इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic. in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2015—आश्विन 3, शक 1937

भाग ४

विषय-सूची

(क)	(1) मध्यप्रदेश विधेयक,	(2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,	(3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक.
(ख)	(1) अध्यादेश,	(2) मध्यप्रदेश अधिनियम,	(3) संसद के अधिनियम.
(ग)	(1) प्रारूप नियम,	(2) अन्तिम नियम.	

भाग ४ (क)—कुछ नहीं

भाग ४ (ख)

संसद के अधिनियम

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2015

क्र. 5898A-इक्कीस-अ-विस-2015.—भारत के राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 अनुभाग 1क खण्ड LI संख्यांक 1 दिनांक 20 मार्च 2015 एवं भारत के राजपत्र असाधारण भाग 2 अनुभाग 1क खण्ड L संख्यांक 3 दिनांक 26 दिसम्बर 2014 में प्रकाशित निम्नलिखित अधिनियम :—

1. सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 (2014 का अधिनियम संख्यांक 17) ;
2. लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (2014 का अधिनियम संख्यांक 1);
3. पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 7);
4. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 10);

5. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 25);

6. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 28);

7. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 34);

8. केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 35);

9. प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2012 का अधिनियम संख्यांक 27);

10. बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 (2013 का अधिनियम संख्यांक 4);

11. महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 14);

12. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का अधिनियम संख्यांक 23);

13. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 6);

14. राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 8);

15. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 9);

16. वित्त अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 11);

17. स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 16);

18. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 19);

19. भारतीय दूर–संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 20);

के हिन्दी अनुवाद जो राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे, सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा पुनः प्रकाशित किए जाते है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
परितोष कुमार तिवारी, उपसचिव.

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2015/29 फाल्गुन, 1936 (शक)

दि व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन ऐक्ट, 2011; (2) दि लोकपाल एंड लोकायुक्ताज ऐक्ट, 2013; (3) दि स्ट्रीट वेन्डर्स (प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलिहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग) ऐक्ट, 2014; (4) दि रानी लक्ष्मी बाई सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी ऐक्ट, 2014; (5) दि फाइनेंस (नं॰ 2) ऐक्ट, 2014; (6) दि दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेब्लिसमेंट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (7) दि कान्स्टिट्यूशन (शेडयूल्ड कास्ट्स) आर्डर (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; और (8) दि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, March 20, 2015/*Phalguna* 29, 1936 *(Saka)*

The translation in Hindi of the following, namely:—The Whistle Blowers Protection Act, 2011; (2) The Lokpal and Lokayuktas Act, 2013; (3) The Street Vendors (Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending) Act, 2014; (4) The Rani Lakshmi Bai Central Agricultural University Act, 2014; (5) The Finance (No. 2) Act, 2014; (6) The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Act, 2014; (7) The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2014; and (8) The Central Universities (Amendment) Act, 2014 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011

(2014 का अधिनियम संख्यांक 17)

[9 मई, 2014]

किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन पर या जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग अथवा जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के प्रकटन से संबंधित शिकायतों को स्वीकार करने के लिए कोई तंत्र स्थापित करने तथा ऐसे प्रकटन की जांच करने या जांच कराने तथा ऐसी शिकायत करने वाले व्यक्ति के उत्पीड़न से पर्याप्त सुरक्षा का तथा उनसे संबंधित या आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना प्रदाता संरक्षण अधिनियम, 2011 है।

(2) इसका विस्तार, जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे और इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

इस अधिनियम के उपबंधों का विशेष संरक्षा ग्रुप को लागू न होना।

2. इस अधिनियम के उपबंध संघ के सशस्त्र बलों को, जो विशेष संरक्षा ग्रुप अधिनियम, 1988 के अधीन गठित विशेष संरक्षा ग्रुप है, लागू नहीं होंगे। 1988 का 34

परिभाषाएं।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "केन्द्रीय सतर्कता आयोग" से केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित आयोग अभिप्रेत है; 2003 का 45

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) संघ के मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, प्रधानमंत्री;

(ii) मंत्री से भिन्न संसद् के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, यदि ऐसा सदस्य राज्य सभा का सदस्य है तो राज्य सभा का सभापति या यदि ऐसा सदस्य लोक सभा का सदस्य है तो लोक सभा का अध्यक्ष;

(iii) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में, मंत्रिपरिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, उस राज्य या संघ राज्यक्षेत्र का मुख्यमंत्री;

(iv) किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के किसी मंत्री से भिन्न, उस विधान परिषद् या विधान सभा के किसी सदस्य के संबंध में, यथास्थिति, यदि ऐसा सदस्य विधान परिषद् का सदस्य है तो विधान परिषद् का सभापति या यदि ऐसा सदस्य विधान सभा का सदस्य है तो विधान सभा का अध्यक्ष;

(v) निम्नलिखित के संबंध में उच्च न्यायालय,—

(अ) कोई न्यायाधीश (उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के सिवाय) जिसके अंतर्गत स्वयं या व्यक्तियों के किसी निकाय के किसी सदस्य के रूप में किन्हीं न्यायनिर्णायक कृत्यों का निर्वहन करने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया कोई व्यक्ति भी है; या

(आ) न्याय प्रशासन से संबंधित किसी कर्तव्य का पालन करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, जिसके अंतर्गत ऐसे न्यायालय द्वारा नियुक्त किया गया कोई समापक, रिसीवर या कमिशनर भी है; या

(इ) कोई मध्यस्थ या अन्य व्यक्ति, जिसे कोई वाद या विषय किसी न्यायालय द्वारा या किसी सक्षम लोक प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय या रिपोर्ट के लिए निर्दिष्ट किया गया है;

(vi) निम्नलिखित के संबंध में, केंद्रीय सतर्कता आयोग या कोई अन्य प्राधिकरण, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे—

(अ) केंद्रीय सरकार की सेवा या वेतन में या किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए फीस या कमीशन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक पर या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या किसी निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित 1956 का 1
केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में कोई व्यक्ति (मंत्रियों, संसद् सदस्यों,

और संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों या व्यक्तियों के सिवाय); या

(आ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे निर्वाचक नामावली तैयार, प्रकाशित, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या संसद् या राज्य विधान-मंडल के निर्वाचनों के संबंध में किसी निर्वाचन या किसी निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त किया गया है; या

(इ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या उससे अपेक्षा की गई है (मंत्रियों और संसद् सदस्यों के सिवाय); या

(ई) ऐसा कोई व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार से या किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही या प्राप्त करने वाली कृषि, उद्योग, व्यवसाय या बैंककारी में लगी किसी रजिस्ट्रीकृत
1956 का 1 सहकारी सोसाइटी का या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित केंद्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या किसी सरकारी कंपनी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है; या

(उ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी केंद्रीय सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे जो भी नाम हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा उस आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन या कोई चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है; या

(ऊ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित या उसके नियंत्रणाधीन या वित्तपोषित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, प्राध्यापक या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी, चाहे जो भी पदनाम हो, है या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाओं का ऐसे विश्वविद्यालय या किसी ऐसे लोक प्राधिकरण द्वारा परीक्षाएं आयोजित या संचालित करने के संबंध में उपभोग किया गया है; या

(ए) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था जिसे किसी भी रीति में स्थापित किया गया है, का कोई पदधारी या कर्मचारी है जो केंद्रीय सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त की है;

(vii) निम्नलिखित के संबंध में, राज्य सतर्कता आयोग, यदि कोई है, या राज्य सरकार का कोई अधिकारी या कोई अन्य प्राधिकारी, जिसे राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे—

(अ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार की सेवा या वेतन में या किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए फीस या कमीशन के रूप में केंद्रीय सरकार द्वारा पारिश्रमिक पर या किसी प्रान्तीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी सोसाइटी या स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या

किसी निकाय या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी की सेवा या वेतन में कोई व्यक्ति (मंत्रियों, राज्य की विधान परिषद् या विधान सभा के सदस्यों के सिवाय); या 1956 का 1

(आ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे निर्वाचक नामावली तैयार, प्रकाशित, बनाए रखने या पुनरीक्षित करने या राज्य में नगरपालिका या पंचायतों या अन्य स्थानीय निकाय के संबंध में किसी निर्वाचन या किसी निर्वाचन के भाग का संचालन करने के लिए सशक्त किया गया है; या

(इ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसा कोई पद धारण करता है, जिसके आधार पर उसे राज्य सरकार के कार्यकलापों के संबंध में किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है या उससे अपेक्षा की गई है (मंत्रियों और राज्य की विधान परिषद् या विधान सभा के सदस्यों के सिवाय); या

(ई) ऐसा कोई व्यक्ति, जो राज्य सरकार से या किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही या प्राप्त करने वाली कृषि, उद्योग, व्यवसाय या बैंककारी में लगी किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी का या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में यथापरिभाषित राज्य 1956 का 1
सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन या उससे सहायता प्राप्त किसी प्राधिकरण या निकाय या किसी सरकारी कंपनी का अध्यक्ष, सचिव या अन्य पदधारी है; या

(उ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी राज्य सेवा आयोग या बोर्ड का, चाहे जो भी नाम हो, अध्यक्ष, सदस्य या कर्मचारी है या ऐसे आयोग या बोर्ड द्वारा उस आयोग या बोर्ड की ओर से किसी परीक्षा का संचालन या कोई चयन करने के लिए नियुक्त की गई किसी चयन समिति का सदस्य है; या

(ऊ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो किसी प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा स्थापित या उसके नियंत्रणाधीन या वित्तपोषित किसी विश्वविद्यालय का कुलपति या उसके शासी निकाय का सदस्य, आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, रीडर, प्राध्यापक या कोई अन्य अध्यापक या कर्मचारी, चाहे जो भी पदनाम हो, है या ऐसा कोई व्यक्ति, जिसकी सेवाओं का ऐसे विश्वविद्यालय या किसी ऐसे लोक प्राधिकरण द्वारा परीक्षाएं आयोजित या संचालित करने के संबंध में उपभोग किया गया है; या

(ए) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी शैक्षिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या अन्य संस्था जिसे किसी भी रीति में स्थापित किया गया है, का कोई पदधारी या कर्मचारी है, जो राज्य सरकार या किसी स्थानीय या अन्य लोक प्राधिकरण से कोई वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है या जिसने प्राप्त की है;

(viii) संविधान के अनुच्छेद 33 के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट सदस्यों या व्यक्तियों के संबंध में, ऐसा कोई प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी, जिसकी उनके संबंध में अधिकारिता है, जिसे, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे;

(ग) "शिकायतकर्ता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस अधिनियम के अधीन प्रकटन के संबंध में कोई शिकायत करता है;

(घ) "प्रकटन" से,—

1988 का 49 (i) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध को करने के प्रयत्न या अपराध किए जाने के संबंध में कोई शिकायत अभिप्रेत है;

(ii) जानबूझकर शक्ति के दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार के दुरुपयोग के संबंध में, जिसके कारण सरकार को प्रमाण्य सदोष हानि होती है या लोक सेवक या किसी तृतीय पक्षकार को प्रमाण्य सदोष अभिलाभ उद्भूत होता है, कोई शिकायत अभिप्रेत है;

(iii) किसी लोक सेवक द्वारा किसी दांडिक अपराध को करने के प्रयत्न या अपराध किए जाने के संबंध में कोई शिकायत अभिप्रेत है,

जो लोक सेवक के विरुद्ध लिखित में या इलैक्ट्रोनिक मेल द्वारा या इलैक्ट्रोनिक मेल संदेश द्वारा की जाती है और जिसमें धारा 4 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट लोक हित प्रकटन सम्मिलित है;

(ङ) "इलैक्ट्रोनिक मेल" या "इलैक्ट्रोनिक मेल संदेश" से किसी कम्प्यूटर, कम्प्यूटर प्रणाली, कम्प्यूटर संसाधन या संचार यंत्र पर, कोई संदेश या सृजित या पारेषित या प्राप्त सूचना अभिप्रेत है, जिसमें पाठ, आकृति, श्रव्य, दृश्य तथा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक अभिलेख के ऐसे संलग्नक सम्मिलित हैं, जो संदेश के साथ प्रेषित किए जाएं;

1956 का 1 (च) "सरकारी कंपनी" से कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में निर्दिष्ट कोई कंपनी अभिप्रेत है;

(छ) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से सक्षम प्राधिकारी की अधिकारिता के अंतर्गत आने वाला कोई प्राधिकारी, निकाय या संस्था अभिप्रेत है;

1988 का 49 (झ) "लोक सेवक" का वही अर्थ होगा, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) में है, किंतु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश नहीं होगा;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

लोक हित प्रकटन

1923 का 19 **4.** (1) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई लोक सेवक या किसी गैर-सरकारी संगठन सहित कोई अन्य व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष कोई लोक हित प्रकटन कर सकेगा। लोक हित प्रकटन की आवश्यकता।

(2) इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी प्रकटन को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए लोक हित प्रकटन माना जाएगा और उसे सक्षम प्राधिकारी के समक्ष किया जाएगा तथा प्रकटन करने वाली शिकायत को सक्षम प्राधिकारी की ओर से ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राप्त किया जाएगा।

(3) प्रत्येक प्रकटन सद्‌भावपूर्वक किया जाएगा और प्रकटन करने वाला व्यक्ति एक व्यक्तिगत घोषणा करते हुए यह कथन करेगा कि युक्तियुक्त रूप से उसका यह विश्वास है कि उसके द्वारा प्रकट की गई जानकारी और उसमें अन्तर्विष्ट अभिकथन सारभूत रूप से सत्य है।

(4) प्रत्येक प्रकटन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जिसे विहित किया जाए, लिखित में या इलैक्ट्रोनिक मेल या इलैक्ट्रोनिक मेल संदेश द्वारा किया जाएगा और उसमें सभी विशिष्टियां होंगी तथा उसके साथ समर्थनकारी दस्तावेज या अन्य सामग्री, यदि कोई हो, संलग्न होगी।

(5) सक्षम प्राधिकारी, यदि उचित समझता है तो प्रकटन करने वाले व्यक्ति से और अधिक जानकारी या विशिष्टियां मंगा सकेगा।

(6) यदि प्रकटन में लोक हित प्रकटन करने वाले शिकायतकर्ता लोक सेवक की पहचान उपदर्शित नहीं की गई है या शिकायतकर्ता लोक सेवक की पहचान गलत या मिथ्या पाई जाती है तब सक्षम प्राधिकारी द्वारा लोक हित अथवा प्रकटन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

अध्याय 3

लोक हित प्रकटन के संबंध में जांच

लोक हित प्रकटन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां और कृत्य।

5. (1) धारा 4 के अधीन किसी लोक हित प्रकटन के प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,—

(क) शिकायतकर्ता या लोक सेवक से यह अभिनिश्चित करेगा कि क्या वह, वही व्यक्ति या लोक सेवक है या नहीं जिसने प्रकटन किया है;

(ख) शिकायतकर्ता की पहचान को तब तक छिपाएगा जब तक कि स्वयं शिकायतकर्ता ने अपनी पहचान किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकारी को लोक हित प्रकटन करते समय या अपनी शिकायत में या अन्यथा प्रकट न की हो।

(2) सक्षम प्राधिकारी शिकायत प्राप्त करने और शिकायतकर्ता की पहचान छिपाने के पश्चात् सर्वप्रथम यह अभिनिश्चित करने के लिए कि प्रकटन का अन्वेषण करने के लिए आगे कार्यवाही करने का कोई आधार है या नहीं, सावधानीपूर्वक जांच, ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर करेगा जो विहित किया जाए।

(3) यदि सक्षम प्राधिकारी की, या तो सावधानीपूर्वक जांच के परिणामस्वरूप या किसी जांच के बिना प्रकटन के आधार पर ही यह राय है कि प्रकटन का अन्वेषण किए जाने की आवश्यकता है तो वह संगठन या प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष संबंधित बोर्ड या निगम या संबंधित कार्यालय से ऐसे समय के भीतर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट मांगेगा।

(4) उपधारा (3) में निर्दिष्ट की गई टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट को मांगते समय सक्षम प्राधिकारी शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट नहीं करेगा और संबंधित संगठन या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को यह निदेश करेगा कि वह शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट न करे:

परंतु यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि लोक प्रकटन के आधार पर उपधारा (3) के अधीन उनसे टिप्पणी या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट मांगने के प्रयोजन के लिए संगठन या प्राधिकरण, बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष को शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान प्रकट करना आवश्यक हो गया है तो सक्षम प्राधिकारी, शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पूर्व लिखित सहमति से संगठन या प्राधिकरण या बोर्ड या संबंधित निगम या संबंधित कार्यालय के ऐसे विभागाध्यक्ष को शिकायतकर्ता या लोक सेवक की पहचान उक्त प्रयोजन के लिए प्रकट कर सकेगा:

परंतु यह और कि यदि शिकायतकर्ता या लोक सेवक विभागाध्यक्ष को अपना नाम प्रकट किए जाने से सहमत नहीं होता है तो उस मामले में, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या लोक सेवक अपनी शिकायत के समर्थन में सभी दस्तावेजी साक्ष्य सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

(5) संगठन या संबंधित कार्यालय का विभागाध्यक्ष ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक की, जिसने प्रकटन किया है, पहचान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट नहीं करेगा।

(6) यदि जांच करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि—

(क) प्रकटन में अंतर्विष्ट तथ्य और अभिकथन तुच्छ या तंग करने वाले हैं; या

(ख) जांच के संबंध में कार्यवाही करने के पर्याप्त आधार नहीं हैं,

तो वह मामले को बंद कर देगा।

(7) उपधारा (3) में निर्दिष्ट टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट के प्राप्त होने के पश्चात् यदि सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसी टिप्पणियों या स्पष्टीकरणों या रिपोर्ट से यह प्रकट होता है कि या तो जानबूझकर शक्ति का दुरुपयोग या जानबूझकर विवेकाधिकार का दुरुपयोग किया गया है या भ्रष्टाचार के अभिकथन सिद्ध हो गए हैं तो वह लोक प्राधिकारी को निम्नलिखित एक या अधिक उपाय करने की सिफारिश करेगा, अर्थात्:—

(i) संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियां आरंभ करना;

(ii) यथास्थिति, भ्रष्ट आचरण या पद के दुरुपयोग या विवेकाधिकार के दुरुपयोग के परिणामस्वरूप सरकार को हुई हानि के प्रतितोष के लिए समुचित प्रशासनिक कदम उठाना;

(iii) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर, यदि आवश्यक हो, तो तत्समय प्रवृत्त सुसंगत विधियों के अधीन दांडिक कार्यवाहियों को आरंभ करने के लिए समुचित प्राधिकारी या अभिकरण को सिफारिश करेगा;

(iv) दोष निवारक उपाय करने की सिफारिश करेगा;

(v) खंड (i) से (iv) के अधीन न आने वाला ऐसा कोई अन्य उपाय जो इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो।

(8) वह लोक प्राधिकारी, जिसे उपधारा (7) के अधीन कोई सिफारिश की जाती है, उस सिफारिश की प्राप्ति के तीन मास के भीतर या तीन मास से अनधिक की ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर, जो सक्षम प्राधिकारी लोक प्राधिकारी द्वारा किए गए अनुरोध पर अनुज्ञात करे, उस सिफारिश पर कोई विनिश्चय करेगा:

परंतु यदि लोक प्राधिकारी सक्षम प्राधिकारी की सिफारिश से सहमत नहीं होता है तो वह ऐसी असहमति के कारणों को अभिलिखित करेगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी, जांच करने के पश्चात्, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को शिकायत पर की गई कार्रवाई और उसके अंतिम निष्कर्ष के बारे में सूचित करेगा:

परंतु ऐसे किसी मामले में, जहां सक्षम प्राधिकारी जांच करने के पश्चात् मामले को बंद करने का विनिश्चय करता है, वहां वह मामले को बंद करने का आदेश पारित करने से पूर्व, यदि शिकायतकर्ता ऐसी वांछा करे तो शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा।

6. (1) यदि किसी प्रकटन में विनिर्दिष्ट विषय या उठाए गए किसी विवाद्यक का अवधारण प्रकटन में विनिर्दिष्ट विषयों या उठाए गए विवाद्यक पर विचार करने के पश्चात् किसी ऐसे न्यायालय या अधिकरण द्वारा किया गया है, जो कि ऐसे विवाद्यक का अवधारण करने के लिए प्राधिकृत है, तब सक्षम प्राधिकारी प्रकटन के संबंध में उस सीमा तक विचार नहीं करेगा जिस सीमा तक ऐसे प्रकटन में ऐसे विवाद्यक पर पुनः विचार करने की मांग की गई हो। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जांच न किए जाने वाले विषय।

(2) सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी प्रकटन को ग्रहण नहीं करेगा या उसके संबंध में जांच नहीं करेगा—

1850 का 37 (क) जिसकी बाबत लोक सेवक (जांच) अधिनियम, 1850 के अधीन औपचारिक और लोक जांच किए जाने का आदेश किया गया है; या

1952 का 60 (ख) ऐसे किसी विषय की बाबत जिसे जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट किया गया है।

(3) सक्षम प्राधिकारी ऐसे किसी प्रकटन का अन्वेषण नहीं करेगा जिसमें ऐसा अभिकथन अंतर्ग्रस्त हो जिसके संबंध में शिकायत करने की तारीख से सात वर्ष के पश्चात् कार्रवाई किए जाने का अभिकथन किया गया है।

(4) इस अधिनियम में किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि सक्षम प्राधिकारी को इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए यदि कोई सद्भाविक कार्रवाई या सद्भाविक विवेकाधिकार (जिसके अंतर्गत प्रशासनिक और कानूनी विवेकाधिकार भी है) का प्रयोग किया है उसके विरुद्ध जांच करने के लिए सशक्त किया गया है।

अध्याय 4

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां

सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां।

7. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी को प्रदत्त की गई शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सक्षम प्राधिकारी, जांच के प्रयोजन के लिए, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति को जो कि उनकी राय में जानकारी देने या जांच के लिए सुसंगत दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या जांच में सहायता के लिए समर्थ है तो वह उसे उक्त प्रयोजन के लिए ऐसी जानकारी देने या ऐसे दस्तावेज, प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो आवश्यक हो।

(2) निम्नलिखित विषयों की बाबत किसी ऐसी जांच (जिसके अन्तर्गत आरम्भिक जांच भी है) के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की वे सभी शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी 1908 का 5
वाद का विचारण करते समय किसी सिविल न्यायालय की होती है, अर्थात्:—

(क) किसी साक्षी को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कोई कमीशन निकालना;

(च) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।

(3) सक्षम प्राधिकारी, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 195 और अध्याय 26 के प्रयोजन के लिए 1974 का 2
सिविल न्यायालय समझा जाएगा और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रत्येक कार्यवाही धारा 193 और धारा 228 के अर्थान्तर्गत तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 196 के प्रयोजनों के लिए न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। 1860 का 45

(4) धारा 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सरकारी या किसी भी लोक सेवक द्वारा अभिप्राप्त या उसको दी गई जानकारी की गोपनीयता बनाए रखने या अन्य निर्बन्धन की किसी बाध्यता का दावा, चाहे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि द्वारा अधिरोपित हो, सक्षम प्राधिकारी या लिखित रूप 1923 का 19
में उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या अभिकरण के समक्ष कार्यवाहियों में किसी लोक सेवक द्वारा नहीं किया जाएगा और सरकारी या कोई भी लोक सेवक किसी ऐसी जांच के संबंध में दस्तावेज पेश करने या साक्ष्य देने की बाबत ऐसे किसी विशेषाधिकार का हकदार नहीं होगा जो किसी अधिनियमिति द्वारा या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों द्वारा अनुज्ञात है:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, सिविल न्यायालय की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करते समय यह सुनिश्चित करने के लिए यथा आवश्यक कदम उठाएगा कि शिकायत करने वाले व्यक्ति की पहचान प्रकट नहीं की गई है या उसे जोखिम में नहीं डाला गया है।

कतिपय मामलों को प्रकटन से छूट।

8. (1) किसी व्यक्ति से इस अधिनियम में अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर ऐसी कोई सूचना देने या ऐसा कोई उत्तर देने या कोई दस्तावेज या जानकारी पेश करने या इस अधिनियम के अधीन जांच में कोई अन्य सहायता देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसे प्राधिकृत नहीं किया जाएगा, यदि ऐसे प्रश्न या दस्तावेज या जानकारी से

भारत की प्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार या नैतिकता के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या न्यायालय का अवमान, मानहानि या किसी अपराध के उद्दीपन के संबंध में, जिसमें —

(क) संघ सरकार के मंत्रिमंडल या मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो;

(ख) राज्य सरकार के मंत्रिमंडल या उस मंत्रिमंडल की किसी समिति की कार्यवाहियों का प्रकटन अंतर्वलित हो,

और इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, भारत सरकार के सचिव या राज्य सरकार के सचिव या केन्द्रीय या राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार प्राधिकृत किसी प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित करने के लिए जारी कोई प्रमाणपत्र, कि कोई जानकारी, उत्तर या किसी दस्तावेज का भाग खंड (क) या खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रकृति का है, आबद्धकर और निश्चायक होगा।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी व्यक्ति को, इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा साक्ष्य देने या कोई ऐसा दस्तावेज पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा, जिसके लिए उसे किसी न्यायालय के समक्ष कार्यवाहियों में देने या पेश करने के लिए विवश नहीं किया जा सकता।

समुचित तंत्र पर सक्षम प्राधिकारी का अधीक्षण।

9. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन उसे भेजे गए प्रकटनों के संबंध में विचार करने या जांच करने के प्रयोजनों के लिए एक समुचित तंत्र सृजित करेगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी, प्रकटनों पर विचार करने या जांच करने के प्रयोजनों के लिए उपधारा (1) के अधीन सृजित तंत्र के कार्यकरण का अधीक्षण करेगा और समय-समय पर इसके उचित कार्यकरण के लिए ऐसे निदेश देगा, जो वह आवश्यक समझे।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा कतिपय मामलों में पुलिस प्राधिकारी आदि की सहायता लेना।

10. संबंधित संगठन से सावधानीपूर्वक जांच करने या जानकारी अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन या पुलिस प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी, जिसे आवश्यक समझा जाए, से सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रकटन के अनुसरण में विहित समय के भीतर जांच पूरी करने के लिए सभी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत होगा।

अध्याय 5

प्रकटन करने वाले व्यक्तियों का संरक्षण

उत्पीड़न के विरुद्ध रक्षोपाय।

11. (1) केन्द्रीय सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई व्यक्ति या लोक सेवक, जिसने इस अधिनियम के अधीन प्रकटन किया है, मात्र इस आधार पर किन्हीं कार्यवाहियों के आरंभ द्वारा या अन्यथा उत्पीड़ित न किया जाए, कि ऐसे व्यक्ति या लोक सेवक ने इस अधिनियम के अधीन जांच में कोई प्रकटन किया था या जांच में सहायता दी थी।

(2) यदि किसी व्यक्ति को इस आधार पर उत्पीड़ित किया जा रहा है या उत्पीड़ित किए जाने की संभावना है कि उसने इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत फाइल की थी या प्रकटन किया था या जांच में सहायता की थी, तो वह मामले में प्रतितोष के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसी कार्यवाही करेगा, जो वह ठीक समझे और ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित होने से संरक्षित करने या उसे उत्पीड़न से बचाने के लिए, यथास्थिति, संबद्ध लोक सेवक या लोक प्राधिकारी को उपयुक्त निदेश दे सकेगा:

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लोक प्राधिकारी या लोक सेवक को कोई ऐसा निदेश देने से पूर्व, शिकायतकर्ता और, यथास्थिति, लोक प्राधिकारी या लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा:

परंतु यह और कि ऐसी किसी सुनवाई में यह साबित करने का भार लोक प्राधिकारी पर होगा कि लोक प्राधिकारी की ओर से अभिकथित कार्रवाई उत्पीड़न नहीं है।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन दिया गया प्रत्येक निदेश उस लोक सेवक या लोक प्राधिकारी के विरुद्ध आबद्धकर होगा, जिसके विरुद्ध उत्पीड़न का अभिकथन साबित हो गया है।

(4) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी अन्य बात के होते हुए भी किसी लोक सेवक के संबंध में उपधारा (2) के अधीन निदेश देने की शक्ति में यथापूर्व स्थिति बनाए रखने के लिए प्रकटन करने वाले लोक सेवक के प्रत्यावर्तन का निदेश देने की शक्ति होगी।

(5) ऐसा कोई व्यक्ति, जो उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी के निदेश का जानबूझकर अनुपालन नहीं करता है, ऐसी शास्ति के लिए, जो तीस हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

साक्षियों और अन्य व्यक्तियों का संरक्षण।

12. यदि सक्षम प्राधिकारी की शिकायतकर्ता या साक्षियों के आवेदन पर या एकत्रित की गई जानकारी के आधार पर यह राय है कि या तो शिकायतकर्ता या लोक सेवक या साक्षी या इस अधिनियम के अधीन जांच के लिए सहायता देने वाले किसी व्यक्ति को संरक्षण की आवश्यकता है तो सक्षम प्राधिकारी संबद्ध सरकारी प्राधिकारी (पुलिस सहित) को समुचित निदेश जारी करेगा, जो ऐसे शिकायतकर्ता या लोक सेवक या संबद्ध व्यक्तियों के संरक्षण के लिए अपने अभिकरणों के माध्यम से आवश्यक कदम उठाएगा।

शिकायतकर्ता की पहचान का संरक्षण।

13. सक्षम प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन यथा अपेक्षित इस अधिनियम के अधीन जांच के प्रयोजनों के लिए तब तक शिकायतकर्ता की पहचान और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों या जानकारी को छिपाएगा, जब तक स्वयं सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा इस प्रकार विनिश्चय नहीं किया जाता या न्यायालय के आदेश के आधार पर इसका प्रकट किया जाना या पेश किया जाना आवश्यक नहीं हो जाता।

अंतरिम आदेश पारित करने की शक्ति।

14. सक्षम प्राधिकारी, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा प्रकटन करने के पश्चात् किसी भी समय, यदि उसकी यह राय है कि उक्त प्रयोजन के लिए किसी जांच के जारी रहने के दौरान किसी भ्रष्ट आचरण को रोकना आवश्यक है तो ऐसे अंतरिम आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ऐसे आचरण को तत्काल रोकने के लिए ठीक समझे।

अध्याय 6

अपराध और शास्तियां

अपूर्ण या गलत या भ्रामक टिप्पणियां या स्पष्टीकरण या रिपोर्ट देने के लिए शास्ति।

15. जहां सक्षम प्राधिकारी की, संगठन या संबंधित पदधारी द्वारा प्रस्तुत की गई शिकायत पर रिपोर्ट या स्पष्टीकरण या धारा 5 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रिपोर्ट की परीक्षा करते समय, यह राय है कि संगठन या संबंधित पदधारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या असद्भाव से रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इंकार किया है या जानते हुए अपूर्ण, गलत या भ्रामक या मिथ्या रिपोर्ट दी है या ऐसे अभिलेख या सूचना को नष्ट किया है, जो प्रकटन की विषय-वस्तु थी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी रीति में बाधा पहुंचाई है, तो वह,—

(क) जहां संगठन या संबंधित पदधारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना विनिर्दिष्ट समय के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की है या असद्भाव से रिपोर्ट प्रस्तुत करने से इंकार किया है वहां ऐसी शास्ति अधिरोपित करेगा, जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक प्रत्येक दिन के लिए दो सौ पचास रुपए तक की हो सकेगी, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पचास हजार रुपए से अधिक नहीं होगी;

(ख) जहां संगठन या संबंधित पदधारी ने, जानते हुए अपूर्ण, गलत या भ्रामक या मिथ्या रिपोर्ट दी है या ऐसे अभिलेख या सूचना को नष्ट किया है, जो प्रकटन की विषय-वस्तु थी या रिपोर्ट प्रस्तुत करने में किसी रीति में बाधा पहुंचाई है, वहां ऐसी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा, जो पचास हजार रुपए तक की हो सकेगी:

परंतु किसी व्यक्ति पर तब तक कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक उसे सुनवाई का अवसर नहीं दे दिया गया हो।

शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करने के लिए शास्ति।

16. कोई व्यक्ति, जो उपेक्षापूर्वक या असद्भाव से किसी शिकायतकर्ता की पहचान प्रकट करता है, इस अधिनियम के अन्य उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से भी, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

17. कोई व्यक्ति, जो असद्भाव से और जानते हुए कोई प्रकटन करता है कि यह गलत या मिथ्या या भ्रामक था तो वह ऐसी अवधि के कारावास से, जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी जो तीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। मिथ्या या तुच्छ प्रकटन के लिए दंड।

18. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है, वहां विभागाध्यक्ष को तब तक अपराध का दोषी माना जाएगा और उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने का दायी होगा, जब तक वह यह साबित नहीं कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी। कतिपय मामलों में विभागाध्यक्ष के लिए दंड।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सरकार के किसी विभाग द्वारा किया जाता है और यह साबित हो जाता है कि अपराध किसी अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसके द्वारा किया गया समझा जाता है, तो ऐसा अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्रवाई किए जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने का दायी होगा।

19. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने के दायी होंगे: कंपनियों द्वारा अपराध।

परंतु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और तद्नुसार दंडित किए जाने का दायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और

(ख) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

20. धारा 14 या धारा 15 या धारा 16 के अधीन शास्ति अधिरोपित करने से संबंधित सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, उस आदेश की तारीख से, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, साठ दिन की अवधि के भीतर उच्च न्यायालय को अपील कर सकेगा: उच्च न्यायालय को अपील।

परंतु उच्च न्यायालय, साठ दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को समय के भीतर अपील करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "उच्च न्यायालय" से ऐसा उच्च न्यायालय अभिप्रेत है जिसकी अधिकारिता के भीतर वाद हेतुक उद्भूत हुआ है।

21. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय की बाबत अधिकारिता नहीं होगी जिसको इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन सक्षम प्राधिकारी अवधारित करने के लिए सशक्त है, और इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा। अधिकारिता का वर्जन।

न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जाना।

22. (1) कोई भी न्यायालय सक्षम प्राधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत के सिवाय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(2) मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट या मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से निम्नतर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

प्रकटीकरणों पर रिपोर्ट।

23. (1) सक्षम प्राधिकारी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, अपने क्रियाकलापों को करने के बारे में एक समेकित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(2) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने पर, उसकी एक प्रति, यथास्थिति, संसद् या राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी:

परंतु जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी वार्षिक रिपोर्ट के तैयार करने के बारे में उपबंध किया गया है वहां सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त वार्षिक रिपोर्ट में उस अधिनियम के अधीन क्रियाकलापों को करने के बारे में पृथक् भाग अंतर्विष्ट किया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

24. इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात की बाबत कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाहियां सक्षम प्राधिकारी या उसकी ओर से कार्य कर रहे किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होंगी।

केन्द्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

25. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन लिखित रूप में या समुचित इलैक्ट्रोनिक साधनों द्वारा प्रकटीकरण की प्रक्रिया;

(ख) वह रीति, जिसमें और वह समय, जिसके भीतर धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सावधानीपूर्वक जांच की जाएगी;

(ग) ऐसे अतिरिक्त विषय, जिनकी बाबत सक्षम प्राधिकारी, धारा 7 की उपधारा (2) के खंड (च) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;

(घ) धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप;

(ङ) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना अपेक्षित है या विहित किया जाए।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

26. राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी।

विनियम बनाने की शक्ति।

27. सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे सभी विषयों के लिए, जिनके लिए इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजनों के लिए उपबंध करना समीचीन है, उपबंध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

अधिसूचनाओं और नियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना।

28. इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना और बनाया गया प्रत्येक नियम और सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम, जारी की जाने या बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखी जाएगी या रखा

जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना या उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी/होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना या नियम अथवा विनियम नहीं बनाई/बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी/जाएगा। तथापि अधिसूचना या नियम अथवा विनियम के ऐसे परिवर्तन या बातिलकरण से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना और बनाए गए नियमों का राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखा जाना।

29. इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा जारी प्रत्येक अधिसूचना और राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाया गया प्रत्येक विनियम जारी किए जाने या बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखी जाएगी/रखा जाएगा।

कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति।

31. (1) तारीख 29 अप्रैल, 2004 के समसंख्यांक संकल्प द्वारा यथा संशोधित, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का संकल्प संख्यांक 371/12/2002-एवीडी-III, तारीख 21 अप्रैल, 2004 द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त संकल्प के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गई समझी जाएगी।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013

(2014 का अधिनियम संख्यांक 1)

[1 जनवरी, 2014]

कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने हेतु संघ के लिए लोकपाल और राज्यों के लिए लोकायुक्त के निकाय की स्थापना करने और उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान ने सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने के लिए एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है;

और भारत ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय का अनुसमर्थन किया है;

और स्वच्छ तथा उत्तरदायी शासन के लिए सरकार की प्रतिबद्धता, भ्रष्टाचार के कार्यों को रोकने और दंडित करने वाले प्रभावी निकायों में परावर्तित होती है;

अतः, अब, उक्त अभिसमय के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए और भ्रष्टाचार के मामलों में तत्परता से तथा निष्पक्ष अन्वेषण और अभियोजन का उपबंध करने के लिए एक विधि अधिनियमित करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार, लागू होना और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह भारत में और भारत के बाहर लोक सेवकों को लागू होगा।

(4) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

भाग 2

संघ के लिए लोकपाल

अध्याय 1

परिभाषाएं

परिभाषाएं। 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''न्यायपीठ'' से लोकपाल की न्यायपीठ अभिप्रेत है;

(ख) ''अध्यक्ष'' से लोकपाल का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(ग) ''सक्षम प्राधिकारी'' से,—

(i) प्रधानमंत्री के संबंध में, लोक सभा अभिप्रेत है;

(ii) मंत्रि-परिषद् के किसी सदस्य के संबंध में, प्रधानमंत्री अभिप्रेत है;

(iii) मंत्री से भिन्न संसद् के किसी सदस्य के संबंध में—

(अ) राज्य सभा के किसी सदस्य की दशा में, राज्य सभा का सभापति; और

(आ) लोक सभा के किसी सदस्य की दशा में, उस सदन का अध्यक्ष,

अभिप्रेत है;

(iv) केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग के किसी अधिकारी के संबंध में, उस मंत्रालय या विभाग का, जिसके अधीन ऐसा अधिकारी सेवारत है, भारसाधक मंत्री अभिप्रेत है;

(v) संसद् के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अध्यक्ष या सदस्यों के संबंध में ऐसे निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय के प्रशासनिक मंत्रालय का भारसाधक मंत्री अभिप्रेत है;

(vi) संसद् के किसी अधिनियम के अधीन स्थापित या गठित अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णतः या भागतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) के किसी अधिकारी के संबंध में ऐसे निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या स्वायत्त निकाय का प्रधान अभिप्रेत है;

(vii) ऊपर उपखंड (i) से उपखंड (vi) के अंतर्गत न आने वाली किसी अन्य दशा में, ऐसा विभाग या प्राधिकरण, जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अभिप्रेत है:

परंतु, यदि उपखंड (v) या उपखंड (vi) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति संसद् का सदस्य भी है तो,—

(अ) ऐसे सदस्य के राज्य सभा का सदस्य होने की दशा में, उस सदन का सभापति; और

(आ) ऐसे सदस्य के लोक सभा का सदस्य होने की दशा में, उस सदन का अध्यक्ष,

सक्षम प्राधिकारी होगा;

2003 का 45 (घ) ''केंद्रीय सतर्कता आयोग'' से केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केंद्रीय सतर्कता आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) ''शिकायत'' से ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, की गई ऐसी कोई शिकायत अभिप्रेत है, जिसमें यह अभिकथन हो कि किसी लोक सेवक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
1988 का 49 1988 के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है;

1946 का 25 (च) ''दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन'' से दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 2 की उपधारा (1) के अधीन गठित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अभिप्रेत है;

1974 का 2 (छ) ''अन्वेषण'' से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन यथापरिभाषित कोई अन्वेषण अभिप्रेत है;

(ज) ''न्यायिक सदस्य'' से लोकपाल का कोई ऐसा न्यायिक सदस्य अभिप्रेत है;

(झ) ''लोकपाल'' से धारा 3 के अधीन स्थापित निकाय अभिप्रेत है;

(ञ) ''सदस्य'' से लोकपाल का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) ''मंत्री'' से संघ का कोई मंत्री अभिप्रेत है, किंतु इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नहीं है;

(ठ) ''अधिसूचना'' से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और ''अधिसूचित'' पद का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा;

(ड) ''प्रारंभिक जांच'' से इस अधिनियम के अधीन की गई कोई जांच अभिप्रेत है;

(ढ) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ण) ''लोक सेवक'' से धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (ज) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति अभिप्रेत है किन्तु इसके अंतर्गत ऐसा कोई लोक सेवक नहीं है, जिसके संबंध में सेना
1950 का 45 अधिनियम, 1950, वायु सेना अधिनियम, 1950, नौसेना अधिनियम, 1957 और तटरक्षक
1950 का 46
1957 का 62 अधिनियम, 1978 के अधीन किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी द्वारा अधिकारिता प्रयोक्तव्य है
1978 का 30 या उन अधिनियमों के अधीन ऐसे लोक सेवक को प्रक्रिया लागू होती है;

(त) ''विनियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(थ) ''नियमों'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत हैं;

(द) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न कोई अनुसूची अभिप्रेत है;

1988 का 49 (ध) ''विशेष न्यायालय'' से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी विशेष न्यायाधीश का न्यायालय अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु भ्रष्टाचार
1988 का 49 निवारण अधिनियम, 1988 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमश: उस अधिनियम में हैं।

(3) इस अधिनियम में किसी ऐसे अन्य अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति निर्देश का, जो किसी ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त नहीं है, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह ऐसे क्षेत्र में प्रवृत्त तत्संबंधी अधिनियम या उसके उपबंध के प्रति कोई निर्देश है।

अध्याय 2

लोकपाल की स्थापना

3. (1) इस अधिनियम के प्रारंभ से ही, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए, ''लोकपाल'' नामक एक निकाय की स्थापना की जाएगी। लोकपाल की स्थापना।

(2) लोकपाल निम्नलिखित से मिलकर बनेगा,—

(क) एक अध्यक्ष, जो भारत का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है या कोई ऐसा विख्यात व्यक्ति, जो उपधारा (3) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट पात्रता को पूरा करता है; और

(ख) उतने सदस्य, जो आठ से अधिक नहीं होंगे, जिनमें से पचास प्रतिशत न्यायिक सदस्य होंगे :

परंतु लोकपाल के सदस्यों के पचास प्रतिशत से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे।

(3) कोई व्यक्ति,—

(क) किसी न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है या किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति है या रहा है;

(ख) न्यायिक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि वह निर्दोष, सत्यनिष्ठा और उत्कृष्ट योग्यता वाला ऐसा व्यक्ति है, जिसके पास भ्रष्टाचार-निरोध नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी हैं, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में विशेष ज्ञान और पच्चीस वर्ष से अन्यून की विशेषज्ञता है।

(4) अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(i) संसद् का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा;

(ii) नैतिक अधमता से अंतर्वलित किसी अपराध का दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं होगा;

(iii) यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख को पैंतालीस वर्ष से कम आयु का व्यक्ति नहीं होगा;

(iv) किसी पंचायत या नगरपालिका का सदस्य नहीं होगा;

(v) ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, जिसको संघ या किसी राज्य की सेवा से हटा दिया गया है या पदच्युत कर दिया गया है,

और वह न्यास या लाभ का कोई पद (अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उसके पद से भिन्न) धारण नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से सहबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा और तदनुसार, अपना पदग्रहण करने से पूर्व, यथास्थिति, अध्यक्ष या किसी सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, यदि,—

(क) वह न्यास या लाभ का कोई पद धारण करता है तो ऐसे पद से त्यागपत्र देगा; या

(ख) वह कोई कारबार कर रहा है, तो ऐसे कारबार के संचालन और प्रबंधन से अपना संबंध समाप्त कर देगा; या

(ग) वह कोई वृत्ति कर रहा है, तो ऐसी वृत्ति करने से प्रविरत हो जाएगा।

चयन समिति की सिफारिशों पर अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति।

4. (1) अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली चयन समिति की सिफारिशें अभिप्राप्त करने के पश्चात् की जाएगी,—

(क) प्रधानमंत्री—अध्यक्ष;

(ख) लोक सभा का अध्यक्ष—सदस्य;

(ग) लोक सभा में विपक्ष का नेता—सदस्य;

(घ) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश—सदस्य;

(ङ) ऊपर खंड (क) से खंड (घ) में निर्दिष्ट अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक विख्यात विधिवेत्ता—सदस्य।

(2) अध्यक्ष या किसी सदस्य की कोई नियुक्ति, केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि चयन समिति में कोई रिक्ति है।

(3) चयन समिति, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के प्रयोजनों के लिए और उस रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करने के लिए कम से कम सात प्रतिष्ठित व्यक्तियों की और जिनके पास भ्रष्टाचार-निरोध नीति, लोक प्रशासन, सतर्कता, नीति निर्माण, वित्त, जिसके अंतर्गत बीमा और बैंककारी भी हैं, विधि और प्रबंधन से संबंधित विषयों में या किसी ऐसे अन्य विषय में, जो चयन समिति की राय में लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने में उपयोगी हो सकेगा, विशेष ज्ञान और विशेषज्ञता है, एक खोजबीन समिति का गठन करेगी:

परंतु खोजबीन समिति के पचास प्रतिशत से अन्यून सदस्य अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्गों से संबद्ध व्यक्तियों और महिलाओं में से होंगे :

परंतु यह और कि चयन समिति, खोजबीन समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति पर विचार कर सकेगी;

(4) चयन समिति, लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का चयन करने के लिए पारदर्शी रीति से स्वयं अपनी प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(5) उपधारा (3) में निर्दिष्ट खोजबीन समिति की कार्यावधि, उसके सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति ऐसी होगी, जो विहित की जाए।

अध्यक्ष या सदस्यों की रिक्तियों का भरा जाना।

5. राष्ट्रपति, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य की पदावधि की समाप्ति के कम से कम तीन मास पूर्व, इस अधिनियम में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, नए अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए सभी आवश्यक उपाय करेगा या कराएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि।

6. अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, चयन समिति की सिफारिशों पर, राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि तक या उसके द्वारा सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस रूप में पद धारण करेगा :

परंतु,—

(क) वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा; या

(ख) उसको धारा 37 में उपबंधित रीति से उसके पद से हटाया जा सकेगा।

अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें।

7. (i) अध्यक्ष का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की हैं;

(ii) अन्य सदस्यों का वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें वही होंगी, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की हैं :

परंतु यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा की बाबत पेंशन (निःशक्तता पेंशन से भिन्न) प्राप्त करता है तो, यथास्थिति, अध्यक्ष या सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से—

(क) उस पेंशन की रकम को; और

(ख) यदि ऐसी नियुक्ति से पूर्व, ऐसी पूर्व सेवा की बाबत उसको शोध्य पेंशन के किसी भाग के बदले उसका संराशीकृत मूल्य प्राप्त किया है तो पेंशन के उस भाग की रकम को, घटा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि अध्यक्ष या किसी सदस्य को संदेय वेतन, भत्ते और पेंशन में तथा उसकी सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकर रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा पद पर न रहने के पश्चात् नियोजन पर निर्बंधन।

8. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, पद पर न रहने के पश्चात्,—

(i) लोकपाल के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए अपात्र होगा;

(ii) किसी राजनयिक कर्तव्यभार, किसी संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के रूप में नियुक्ति और ऐसे अन्य कर्तव्यभार या नियुक्ति के लिए, जो राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा किए जाने के लिए विधि द्वारा अपेक्षित है, अपात्र होगा;

(iii) भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ के किसी अन्य पद पर आगे और नियोजन के लिए अपात्र होगा;

(iv) पद त्याग करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या संसद् के किसी सदन के सदस्य या राज्य विधान-मंडल के किसी सदन या नगरपालिका या पंचायत के सदस्य का कोई निर्वाचन लड़ने के लिए अपात्र होगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, कोई सदस्य, अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए पात्र होगा, यदि सदस्य और अध्यक्ष के रूप में उसकी कुल पदावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां सदस्य को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसकी पदावधि, सदस्य और अध्यक्ष के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक की नहीं होगी।

कतिपय परिस्थितियों में सदस्य का अध्यक्ष के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन करना।

9. (1) अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा, उसके पद पर कोई रिक्ति होने की दशा में, राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा ऐसी रिक्ति को भरने के लिए नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने तक, ज्येष्ठतम सदस्य को, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(2) जब अध्यक्ष, छुट्टी पर अनुपस्थिति के कारण या अन्यथा, अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है, तो उपलब्ध ऐसा वरिष्ठतम सदस्य, जिसको राष्ट्रपति, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त प्राधिकृत करे, उस तारीख तक, जिसको अध्यक्ष, अपने कर्तव्यों को पुनः ग्रहण नहीं करता है, अध्यक्ष के कृत्यों का निर्वहन करेगा।

लोकपाल का सचिव, अन्य अधिकारी तथा कर्मचारिवृंद।

10. (1) लोकपाल का सचिव, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति का होगा, जिसको केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(2) एक जांच निदेशक और एक अभियोजन निदेशक होगा, जो भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य पंक्ति से निम्न पंक्ति का नहीं होगा, जिसकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से अध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(3) लोकपाल के अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की नियुक्ति, लोकपाल के अध्यक्ष या ऐसे सदस्य या अधिकारी द्वारा की जाएगी, जिसको अध्यक्ष निदेश करे :

परंतु राष्ट्रपति, नियम द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगा कि ऐसे किसी पद या किन्हीं पदों की बाबत, जो नियम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात्, नियुक्ति की जाएगी।

(4) संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की सेवा की शर्तें ऐसी होंगी, जो लोकपाल द्वारा तत्प्रयोजनार्थ बनाए गए विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं :

परंतु इस उपधारा के अधीन बनाए गए विनियमों के लिए, जहां तक उनका संबंध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशनों से है, राष्ट्रपति का अनुमोदन अपेक्षित होगा।

अध्याय 3

जांच खंड

11. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय ऐसे किसी अपराध की, जिसके बारे में यह अभिकथन है कि वह लोक सेवक द्वारा किया गया है, प्रारंभिक जांच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच खंड का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष जांच निदेशक होगा : जांच खंड। 1988 का 49

परंतु केंद्रीय सरकार, लोकपाल द्वारा जांच खंड का गठन किए जाने के समय तक, इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच करने के लिए अपने ऐसे मंत्रालयों या विभागों से उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद, जितने लोकपाल द्वारा अपेक्षित हों, उपलब्ध कराएगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई प्रारंभिक जांच करने में लोकपाल की सहायता करने के प्रयोजनों के लिए, जांच खंड के ऐसे अधिकारियों को, जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे के न हों, वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो धारा 27 के अधीन लोकपाल के जांच खंड को प्रदत्त की गई हैं।

अध्याय 4

अभियोजन खंड

12. (1) लोकपाल, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन लोकपाल द्वारा किसी शिकायत के संबंध में, लोक सेवकों का अभियोजन करने के प्रयोजन के लिए, एक अभियोजन खंड का गठन करेगा, जिसका अध्यक्ष अभियोजन निदेशक होगा : अभियोजन खंड।

परंतु केंद्रीय सरकार, लोकपाल द्वारा अभियोजन खंड का गठन किए जाने के समय तक, इस अधिनियम के अधीन अभियोजन करने के लिए, अपने ऐसे मंत्रालयों या विभागों से उतने अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद, जितने लोकपाल द्वारा अपेक्षित हों, उपलब्ध कराएगी।

(2) अभियोजन निदेशक, लोकपाल द्वारा इस प्रकार निदेश दिए जाने के पश्चात्, विशेष न्यायालय के समक्ष अन्वेषण रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार मामला फाइल करेगा और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
1988 का 49 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के संबंध में लोक सेवकों के अभियोजन के संबंध में सभी आवश्यक उपाय करेगा।

1974 का 2 (3) उपधारा (2) के अधीन मामले को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में निर्दिष्ट अन्वेषण के पूरा होने पर फाइल की गई रिपोर्ट समझा जाएगा।

अध्याय 5

लोकपाल के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना

13. लोकपाल के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों या सचिव या अन्य अधिकारियों या कर्मचारिवृंद को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन, भत्ते और पेंशन भी हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे और लोकपाल द्वारा ली गई कोई फीस या अन्य धनराशियां उस निधि के भागरूप होंगी। लोकपाल के व्ययों का भारत की संचित निधि पर भारित होना।

अध्याय 6

जांच के संबंध में अधिकारिता

14. (1) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोकपाल, निम्नलिखित के संबंध में किसी शिकायत में किए गए भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच करेगा या जांच कराएगा, अर्थात्:— प्रधान मंत्री, मंत्रियों, संसद् सदस्यों, केन्द्रीय सरकार के समूह क, समूह ख, समूह ग और समूह घ अधिकारियों और पदधारियों का लोकपाल की अधिकारिता के अंतर्गत होना।

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रधान मंत्री है या रहा है :

परंतु लोकपाल, प्रधान मंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की उस दशा में जांच नहीं करेगा,—

(i) जहां तक वह अंतरराष्ट्रीय संबंधों, बाह्य और आंतरिक सुरक्षा, लोक व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष से संबंधित है;

(ii) जब तक लोकपाल के अध्यक्ष और सभी सदस्यों से मिलकर बनी उसकी पूर्ण न्यायपीठ जांच आरंभ करने के बारे में विचार नहीं करती है और उसके कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसी जांच का अनुमोदन नहीं करते हैं :

परंतु यह और कि ऐसी कोई जांच बंद कमरे में कराई जाएगी और यदि लोकपाल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शिकायत खारिज होने योग्य है तो जांच के अभिलेख प्रकाशित नहीं किए जाएंगे या किसी को उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे;

(ख) कोई व्यक्ति जो संघ का मंत्री है या रहा है;

(ग) कोई व्यक्ति जो संसद् के किसी भी सदन का सदस्य है या रहा है;

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'क' या समूह 'ख' का कोई अधिकारी या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर अधिकारी, जब वह संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की है; 1988 का 49

(ङ) धारा 20 की उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) और उपखंड (ii) में परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'ग' या समूह 'घ' का कोई पदधारी या उसके समतुल्य पदधारी, जब वह संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की है; 1988 का 49

(च) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संसद् के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केन्द्रीय सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) का अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी है या रहा है :

परन्तु खंड (घ) में निर्दिष्ट ऐसे अधिकारियों के संबंध में, जिन्होंने संघ के कार्यों के संबंध में या खंड (ङ) में निर्दिष्ट किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय में सेवा की है, किन्तु राज्य के कार्यों के संबंध में या राज्य विधान-मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसाइटी या न्यास या स्वायत्त निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो) में सेवारत है, लोकपाल और उसके जांच खंड या अभियोजन खंड के अधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारियों की बाबत अधिकारिता केवल संबंधित राज्य सरकार की सहमति अभिप्राप्त करने के पश्चात् ही होगी;

(छ) ऐसा कोई व्यक्ति, जो सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास जिसकी वार्षिक आय ऐसी रकम से अधिक है, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है;

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन किसी विदेशी स्रोत से एक वर्ष में दस लाख रुपए से अधिक या ऐसी उच्चतर राशि का, जो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, संदान प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा है। 2010 का 42

स्पष्टीकरण—खंड (च) और खंड (छ) के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई इकाई या संस्था, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, निगम, सोसाइटी, न्यास, व्यक्ति-संगम, भागीदारी, एकल स्वत्वधारिता, सीमित दायित्व वाली भागीदारी (चाहे तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं), उन खंडों के अंतर्गत आने वाली इकाइयां होंगी :

1988 का 49 परन्तु इस खंड में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के अधीन लोक सेवक समझा जाएगा और तदनुसार, उस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, लोकपाल, संसद् के किसी भी सदन के किसी सदस्य के विरुद्ध, उसके द्वारा संसद् में या संविधान के अनुच्छेद 105 के खंड (2) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अंतर्गत आने वाली उसकी किसी समिति में कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में भ्रष्टाचार के किसी ऐसे अभिकथन में अंतर्वलित या उससे उद्भूत होने वाले या उससे संबद्ध किसी मामले की जांच नहीं करेगा।

(3) लोकपाल, उपधारा (1) में निर्दिष्ट व्यक्तियों से भिन्न किसी व्यक्ति के किसी कार्य या आचरण के बारे में जांच कर सकेगा, यदि ऐसा व्यक्ति, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध 1988 का 49 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के किसी अभिकथन से संबंधित दुष्प्रेरण करने, रिश्वत देने या रिश्वत लेने या षड्यंत्र करने के कार्य में सम्मिलित है :

परन्तु किसी राज्य के कार्यों के संबंध में सेवारत किसी व्यक्ति की दशा में, राज्य सरकार की सहमति के बिना, इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

(4) ऐसा कोई मामला, जिसकी बाबत इस अधिनियम के अधीन लोकपाल को कोई शिकायत 1952 का 60 की गई है, जांच आयोग अधिनियम, 1952 के अधीन जांच के लिए निर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई शिकायत केवल ऐसी अवधि से संबंधित होगी, जिसके दौरान लोक सेवक उस हैसियत में पद धारण कर रहा था या सेवारत रहा था।

1988 का 49 **15.** यदि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबंधित कोई मामला या कार्यवाही इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व या इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् किसी जांच के प्रारंभ के पूर्व, किसी न्यायालय या संसद् के किसी सदन की समिति के समक्ष या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित है, तो ऐसा मामला या कार्यवाही उस न्यायालय, समिति या प्राधिकारी के समक्ष जारी रहेगी। किसी न्यायालय या समिति या प्राधिकारी के समक्ष जांच के लिए लंबित मामलों का प्रभावित न होना।

16. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए,— लोकपाल की न्यायपीठों का गठन।

(क) लोकपाल की अधिकारिता का प्रयोग उसकी न्यायपीठों द्वारा किया जा सकेगा;

(ख) कोई न्यायपीठ, अध्यक्ष, ऐसे दो या अधिक सदस्यों से, जो अध्यक्ष ठीक समझे, गठित की जा सकेगी;

(ग) प्रत्येक न्यायपीठ में साधारणतया कम से कम एक न्यायिक सदस्य होगा;

(घ) जहां कोई न्यायपीठ, अध्यक्ष से मिलकर बनती है, वहां ऐसी न्यायपीठ की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जाएगी;

(ङ) जहां कोई न्यायपीठ, न्यायिक सदस्य और ऐसे गैर-न्यायिक सदस्य से मिलकर बनती है जो अध्यक्ष नहीं है, वहां ऐसी न्यायपीठ की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य द्वारा की जाएगी;

(च) लोकपाल की न्यायपीठें साधारणतया नई दिल्ली में और ऐसे अन्य स्थानों पर अधिविष्ट होंगी, जो लोकपाल, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(2) लोकपाल ऐसे क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा जिनके संबंध में लोकपाल की प्रत्येक न्यायपीठ अधिकारिता का प्रयोग कर सकेगी।

(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, अध्यक्ष को समय-समय पर न्यायपीठों का गठन या पुनर्गठन करने की शक्ति होगी।

(4) यदि किसी मामले या विषय की सुनवाई के किसी प्रक्रम पर अध्यक्ष या किसी सदस्य को यह प्रतीत होता है कि वह मामला या विषय ऐसी प्रकृति का है कि उसकी सुनवाई तीन या अधिक सदस्यों से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ द्वारा की जानी चाहिए तो उस मामले या विषय को अध्यक्ष द्वारा ऐसी न्यायपीठ को, जिसको अध्यक्ष ठीक समझे, यथास्थिति, अंतरित किया जा सकेगा या अंतरित किए जाने के लिए उसको निर्दिष्ट किया जा सकेगा।

न्यायपीठों के बीच कार्य का वितरण।

17. जहां न्यायपीठें गठित की जाती हैं वहां अध्यक्ष, समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा, न्यायपीठों के बीच लोकपाल के कार्यों का वितरण करने के बारे में उपबंध कर सकेगा और ऐसे विषयों के लिए भी उपबंध कर सकेगा, जिन पर प्रत्येक न्यायपीठ द्वारा कार्रवाई की जा सकेगी।

अध्यक्ष की मामले अंतरित करने की शक्ति।

18. अध्यक्ष, शिकायतकर्ता या लोक सेवक द्वारा अंतरण के लिए किए गए किसी आवेदन पर, यथास्थिति, शिकायतकर्ता या लोक सेवक को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, एक न्यायपीठ के समक्ष लंबित किसी मामले को निपटारे के लिए किसी अन्य न्यायपीठ को अंतरित कर सकेगा।

बहुमत द्वारा विनिश्चय किया जाना।

19. यदि समसंख्या में सदस्यों से मिलकर बनी किसी न्यायपीठ के सदस्यों के बीच किसी प्रश्न पर मतभेद है तो वे उस प्रश्न या प्रश्नों का, जिन पर उनमें मतभेद है, कथन करेंगे और अध्यक्ष को निर्देश करेंगे, जो या तो स्वयं उस प्रश्न या उन प्रश्नों पर सुनवाई करेगा या लोकपाल के एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा ऐसे प्रश्न या उन प्रश्नों पर सुनवाई के लिए मामले को निर्देशित करेगा और उस प्रश्न या उन प्रश्नों को लोकपाल के उन सदस्यों की बहुमत की राय के अनुसार विनिश्चित किया जाएगा, जिन्होंने मामले की सुनवाई की है, जिनके अंतर्गत वे सदस्य भी हैं, जिन्होंने उसकी पहले सुनवाई की थी।

अध्याय 7
प्रारंभिक जांच और अन्वेषण के संबंध में प्रक्रिया

शिकायतों और प्रारंभिक जांच तथा अन्वेषण से संबंधित उपबंध।

20. (1) लोकपाल, कोई शिकायत प्राप्त होने पर, यदि वह आगे कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो वह—

(क) अपने जांच खंड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या मामले में कार्यवाही के लिए कोई प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, किसी लोक सेवक के विरुद्ध प्रारंभिक जांच करने का आदेश दे सकेगा; या

(ख) जहां कोई प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, वहां किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा अन्वेषण का आदेश दे सकेगा :

परंतु यदि लोकपाल ने, प्रारंभिक जांच में कार्यवाही करने का विनिश्चय किया है तो वह किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समूह 'क' या समूह 'ख' या समूह 'ग' या समूह 'घ' के लोक सेवकों के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त की गई शिकायतों या शिकायतों के किसी प्रवर्ग या किसी शिकायत को केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सतर्कता आयोग 2003 का 45
को निर्दिष्ट करेगा :

परंतु यह और कि केन्द्रीय सतर्कता आयोग, पहले परंतुक के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई शिकायतों के संबंध में, समूह 'क' और समूह 'ख' के लोक सेवकों की बाबत प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् उपधारा (2) और उपधारा (4) में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार लोकपाल को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और समूह 'ग' और समूह 'घ' के लोक सेवकों की दशा में आयोग केन्द्रीय सतर्कता आयोग
अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करेगा : 2003 का 45

परंतु यह भी कि लोकपाल, खंड (ख) के अधीन किसी अन्वेषण का आदेश करने के पूर्व, लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगेगा जिससे यह अवधारण किया जा सके कि क्या अन्वेषण के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है :

परन्तु यह भी कि किसी अन्वेषण के पूर्व लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगना, इस अधिनियम के अधीन किसी अभिकरण (जिसके अन्तर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) द्वारा की जाने के लिए अपेक्षित तलाशी और अभिग्रहण, यदि कोई हो, हस्तक्षेप नहीं होगा।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच के दौरान, जांच खंड या कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है), लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से शिकायत में किए गए अभिकथनों पर कोई प्रारंभिक जांच करेगा और संगृहीत सामग्री, सूचना और दस्तावेजों के आधार पर टिप्पणियां मांगेगा और संबंधित लोक सेवक तथा सक्षम प्राधिकारी से टिप्पणियां अभिप्राप्त करने के पश्चात्, निर्देश की प्राप्ति की तारीख से साठ दिन के भीतर, लोकपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) लोकपाल के तीन से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक न्यायपीठ जांच खंड या किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) से उपधारा (2) के अधीन प्राप्त

प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगी और लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् यह विनिश्चित करेगी कि क्या प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है और निम्नलिखित कार्रवाइयों में से एक या अधिक के संबंध में कार्यवाही करेगी, अर्थात्:—

(क) यथास्थिति, किसी अभिकरण या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियों का या किसी अन्य समुचित कार्रवाई का आरंभ किया जाना;

(ग) लोक सेवक के विरुद्ध कार्रवाइयों का बंद किया जाना और धारा 46 के अधीन शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच, साधारणतया, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से नब्बे दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

(5) यदि लोकपाल, शिकायत का अन्वेषण करने की कार्यवाही करने का विनिश्चय करता है तो वह किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को यथासंभव शीघ्रता के साथ अन्वेषण करने और अपने आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करने का निदेश देगा :

परंतु लोकपाल, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से उक्त अवधि को एक बार में, छह मास से अनधिक की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ा सकेगा।

1974 का 2 (6) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में किसी बात के होते हुए भी, कोई अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) लोकपाल द्वारा उसको निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में उस धारा के अधीन अधिकारिता रखने वाले न्यायालय को अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति लोकपाल को अग्रेषित करेगा।

(7) लोकपाल के तीन से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनने वाली एक न्यायपीठ, उसके द्वारा उपधारा (6) के अधीन किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) से प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगी और सक्षम प्राधिकारी तथा लोक सेवक की टिप्पणियां अभिप्राप्त करने के पश्चात्—

(क) अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण अभिकरण को लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र फाइल किए जाने की मंजूरी प्रदान कर सकेगी या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल करने का निदेश दे सकेगी;

(ख) सक्षम प्राधिकारी को संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई प्रारंभ किए जाने का निदेश दे सकेगी।

(8) लोकपाल, आरोप पत्र फाइल किए जाने पर उपधारा (7) के अधीन कोई विनिश्चय करने के पश्चात्, अपने अभियोजन खंड या किसी अन्वेषण अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को, अभिकरण द्वारा अन्वेषण किए गए मामलों के संबंध में विशेष न्यायालय में अभियोजन आरंभ करने का निदेश दे सकेगा।

(9) लोकपाल, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान, यथास्थिति, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए ऐसे समुचित आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे।

(10) लोकपाल की वेबसाइट पर समय-समय पर और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उसके समक्ष लंबित या उसके द्वारा निपटाई गई शिकायतों की संख्या की प्रास्थिति जनता के लिए प्रदर्शित की जाएगी।

(11) लोकपाल, ऐसे मूल अभिलेखों और साक्ष्यों को प्रतिधारित कर सकेगा जिनके उसके द्वारा या विशेष न्यायालय द्वारा मामले की प्रारंभिक जांच या अन्वेषण या संचालन की प्रक्रिया में आवश्यकता पड़ने की संभावना है।

(12) जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय, इस अधिनियम के अधीन प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने (जिसके अंतर्गत लोक सेवक को उपलब्ध कराई जाने वाली ऐसी सामग्री और दस्तावेज भी हैं) की रीति और प्रक्रिया ऐसी होगी, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

उन व्यक्तियों को सुना जाना जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

21. यदि कार्यवाही के किसी प्रक्रम पर लोकपाल,—

(क) अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) की यह राय है कि अभियुक्त से भिन्न किसी व्यक्ति की ख्याति पर प्रारंभिक जांच से प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है,

तो लोकपाल, उस व्यक्ति को प्रारंभिक जांच में सुनवाई का और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से संगत युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

लोकपाल द्वारा किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से सूचना आदि प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना।

22. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, लोकपाल या अन्वेषण अभिकरण, किसी लोक सेवक या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उसकी राय में ऐसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से सुसंगत सूचना देने या दस्तावेज प्रस्तुत करने में समर्थ है, ऐसी कोई सूचना देने या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा।

अभियोजन प्रारंभ करने के लिए मंजूरी देने की लोकपाल की शक्ति।

23. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1974 का 2
1946 की धारा 6क या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 19 में किसी बात के होते हुए भी, 1946 का 25
लोकपाल को धारा 20 की उपधारा (7) के खंड (क) के अधीन अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति 1988 का 49
होगी।

(2) किसी ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, जिस पर उसके द्वारा उसके शासकीय कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए या तात्पर्यित रूप से कार्य करते हुए अभिकथित रूप से कोई अपराध करने का अभिकथन किया गया है, उपधारा (1) के अधीन कोई अभियोजन आरंभ नहीं किया जाएगा और कोई न्यायालय, लोकपाल की पूर्व मंजूरी के सिवाय ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) में अंतर्विष्ट कोई बात, ऐसे व्यक्तियों के संबंध में, जो संविधान के उपबंधों के अनुसरण में पद धारण कर रहे हैं और जिनके संबंध में ऐसे व्यक्ति को हटाने की प्रक्रिया उसमें विनिर्दिष्ट की गई है, लागू नहीं होगी।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) में अंतर्विष्ट उपबंध संविधान के अनुच्छेद 311 और अनुच्छेद 320 के खंड (3) के उपखंड (ग) में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होंगे।

ऐसे लोक सेवक के विरुद्ध, जो प्रधान मंत्री, मंत्री या संसद् सदस्य है, अन्वेषण पर कार्रवाई।

24. जहां अन्वेषण पूरा हो जाने के पश्चात्, लोकपाल के निष्कर्षों से धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
1988 के अधीन किसी अपराध का किया जाना प्रकट होता है, वहां लोकपाल, विशेष न्यायालय 1988 का 49
में मामला फाइल कर सकेगा और अपने निष्कर्षों के साथ रिपोर्ट की एक प्रति सक्षम प्राधिकारी को भेजेगा।

अध्याय 8
लोकपाल की शक्तियां

लोकपाल की अधीक्षण संबंधी शक्तियां।

25. (1) लोकपाल को, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4 और केन्द्रीय 1946 का 25
सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन 2003 का 45
दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को लोकपाल द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन पर अधीक्षण करने और निदेश देने की शक्तियां होंगी :

परंतु इस उपधारा के अधीन अधीक्षण या निदेश देने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए लोकपाल, ऐसी किसी रीति से शक्तियों का प्रयोग नहीं करेगा, जिससे किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) से, जिसको अन्वेषण कार्य सौंपा गया है, किसी मामले का किसी विशिष्ट रीति से अन्वेषण करने और उसको निपटाने की अपेक्षा की जाए।

(2) केंद्रीय सतर्कता आयोग, धारा 20 की उपधारा (1) के दूसरे परंतुक के अधीन उसको निर्दिष्ट की गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई के संबंध में लोकपाल को ऐसे अंतराल पर, जो लोकपाल निदेश दे, विवरण भेजेगा और ऐसे विवरण को प्राप्त करने पर लोकपाल, ऐसे मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए दिशा निर्देश जारी कर सकेगा।

(3) लोकपाल द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को निर्दिष्ट किसी मामले का अन्वेषण करने वाले उसके किसी अधिकारी को लोकपाल के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

(4) दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन, लोकपाल की सहमति से लोकपाल द्वारा उसको निर्दिष्ट मामलों का संचालन करने के लिए, सरकारी अधिवक्ताओं से भिन्न अधिवक्ताओं के एक पैनल की नियुक्ति कर सकेगा।

(5) केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर ऐसी निधियां उपलब्ध कराएगी जिसकी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के निदेशक द्वारा, उसको लोकपाल द्वारा निर्दिष्ट मामलों का प्रभावी अन्वेषण करने के लिए अपेक्षा की जाए और निदेशक ऐसे अन्वेषण के संचालन में उपगत व्यय के लिए उत्तरदायी होगा।

26. (1) यदि लोकपाल के पास यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसा कोई दस्तावेज, जो उसकी राय में, इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होगा, किसी स्थान में छिपाया गया है तो वह ऐसे किसी अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) को, जिसको अन्वेषण कार्य सौंपा गया है, ऐसे दस्तावेजों की तलाशी लेने और उनका अभिग्रहण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा। तलाशी और अभिग्रहण।

(2) यदि लोकपाल का यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किसी दस्तावेज का इस अधिनियम के अधीन किसी अन्वेषण के प्रयोजन के लिए साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है और यह कि ऐसे दस्तावेज को उसकी अभिरक्षा में या ऐसे अधिकारी की अभिरक्षा में, जिसको प्राधिकृत किया जाए, प्रतिधारित करना आवश्यक होगा तो वह ऐसा अन्वेषण पूरा हो जाने तक ऐसे दस्तावेज को इस प्रकार प्रतिधारित करेगा या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी को, प्रतिधारित करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु जहां किसी दस्तावेज को वापस किया जाना अपेक्षित है, वहां लोकपाल या प्राधिकृत अधिकारी, ऐसे दस्तावेज की सम्यक् रूप से अधिप्रमाणित प्रतियों को प्रतिधारित करने के पश्चात् उसको वापस कर सकेगा।

27. (1) इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी प्रारंभिक जांच के प्रयोजन के लिए लोकपाल के जांच खंड को किसी, वाद का विचारण करते समय निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात्:— कतिपय मामले में लोकपाल को सिविल न्यायालय की शक्तियां होना।

1908 का 5

(i) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ii) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(iii) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(iv) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;

(v) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना :

परंतु किसी साक्षी की दशा में ऐसा कमीशन केवल वहां निकाला जाएगा, जहां लोकपाल की राय में साक्षी, लोकपाल के समक्ष कार्यवाहियों में हाजिर होने की स्थिति में नहीं है; और

(vi) ऐसे अन्य विषय, जो विहित किए जाएं।

(2) लोकपाल के समक्ष कोई कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अर्थांतर्गत न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी। 1860 का 45

केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की लोकपाल की शक्ति।

28. (1) लोकपाल, कोई प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी अधिकारी या संगठन या अन्वेषण अभिकरण की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

(2) ऐसी जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन के लिए, ऐसा कोई अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (1) के अधीन किया जाता है, लोकपाल के अधीक्षण और निदेशन के अधीन रहते हुए,—

(क) किसी व्यक्ति को समन कर सकेगा और हाजिर करा सकेगा तथा उसकी परीक्षा कर सकेगा;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा; और

(ग) किसी कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा कर सकेगा।

(3) वह अधिकारी या संगठन या अभिकरण, जिसकी सेवाओं का उपयोग उपधारा (2) के अधीन किया जाता है, प्रारंभिक जांच या अन्वेषण से संबंधित किसी मामले की, यथास्थिति, जांच या अन्वेषण करेगा और लोकपाल को, ऐसी अवधि के भीतर, जो इस निमित्त उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, उस पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

आस्तियों की अनंतिम कुर्की।

29. (1) जहां लोकपाल या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी के पास, उसके कब्जे में की सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का, ऐसे विश्वास के कारण को लेखबद्ध किया जाएगा, कारण है कि—

(क) किसी व्यक्ति के कब्जे में भ्रष्टाचार के कोई आगम हैं;

(ख) ऐसा व्यक्ति भ्रष्टाचार से संबंधित कोई अपराध करने का अभियुक्त है; और

(ग) अपराध के ऐसे आगमों को छिपाने, अंतरित करने या ऐसी रीति से संव्यवहार किए जाने की संभावना है, जिसके परिणामस्वरूप अपराध के ऐसे आगमों के अधिहरण से संबंधित कोई कार्यवाहियां विफल हो सकती हैं,

वहां लोकपाल या प्राधिकृत अधिकारी, लिखित आदेश द्वारा ऐसी संपत्ति को, ऐसे आदेश की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक अवधि के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची में उपबंधित रीति से, अनंतिम रूप से कुर्क कर सकेगा और लोकपाल तथा अधिकारी को उस अनुसूची के नियम 1 के उपनियम (ङ) के अधीन अधिकारी समझा जाएगा। 1961 का 43

(2) लोकपाल या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन कुर्की के ठीक पश्चात् आदेश की एक प्रति, उस उपधारा में निर्दिष्ट उसके कब्जे में की सामग्री सहित, एक मुहरबंद लिफाफे में ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, विशेष न्यायालय को अग्रेषित करेगा और ऐसा न्यायालय कुर्की के आदेश को विस्तारित कर सकेगा और ऐसी सामग्री को ऐसी अवधि के लिए, जो न्यायालय ठीक समझे, रख सकेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किया गया कुर्की का प्रत्येक आदेश, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् या उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय द्वारा यथानिदेशित अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावहीन हो जाएगा।

(4) इस धारा की कोई बात, उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन कुर्क की गई स्थावर संपत्ति के उपभोग में हितबद्ध किसी व्यक्ति को ऐसे उपभोग से निवारित नहीं करेगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थावर संपत्ति के संबंध में "हितबद्ध व्यक्ति" के अंतर्गत संपत्ति में किसी हित का दावा करने वाले या दावा करने के हकदार सभी व्यक्ति हैं।

30. (1) लोकपाल, जब वह धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन किसी संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क करता है, ऐसी कुर्की की तीस दिन की अवधि के भीतर अपने अभियोजन खंड को विशेष न्यायालय के समक्ष ऐसी कुर्की के तथ्यों का कथन करते हुए आवेदन फाइल करने तथा विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक संपत्ति की कुर्की की पुष्टि के लिए प्रार्थना करने का निदेश देगा। आस्तियों की कुर्की की पुष्टि।

(2) विशेष न्यायालय, यदि उसकी यह राय है कि अनंतिम रूप से कुर्क की गई संपत्ति का अर्जन भ्रष्ट साधनों से किया गया है, तो विशेष न्यायालय में लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों के पूरा होने तक ऐसी संपत्ति की कुर्की की पुष्टि के लिए आदेश कर सकेगा।

(3) यदि लोक सेवक को तत्पश्चात् उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त कर दिया जाता है तो विशेष न्यायालय के आदेशों के अधीन रहते हुए संपत्ति को, ऐसी संपत्ति से फायदों सहित, जो कुर्की की अवधि के दौरान प्रोद्भूत हुए हों, संबंधित लोक सेवक को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

(4) यदि लोक सेवक को तत्पश्चात्, भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है तो 1988 का 49 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराध से संबंधित आगमों को अधिहृत किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार में किसी बैंक या वित्तीय संस्था को किसी शोध्य ऋण को छोड़कर किसी विल्लंगम या पट्टाधृति हित से मुक्त रूप में निहित होंगे।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "बैंक", "ऋण" और "वित्तीय संस्था" पदों के 1993 का 51 वही अर्थ होंगे जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 2 के खंड (घ), खंड (छ) और खंड (ज) में हैं।

31. (1) धारा 29 और धारा 30 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां विशेष न्यायालय के पास, प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर, यह विश्वास करने का कारण है या उसका यह समाधान हो गया है कि आस्तियां, आगम, प्राप्तियां और फायदे, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्भूत या उपाप्त किए गए हैं, वहां वह उसके दोषमुक्त किए जाने तक ऐसी आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों के अधिहरण को प्राधिकृत कर सकेगा। विशेष परिस्थितियों में भ्रष्टाचार के साधनों द्वारा उद्भूत या उपाप्त आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों का अधिहरण।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन किया गया अधिहरण का कोई आदेश, उच्च न्यायालय द्वारा उपांतरित या बातिल कर दिया जाता है या जहां लोक सेवक को विशेष न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है, वहां उपधारा (1) के अधीन अधिहृत आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को ऐसे लोक सेवक को वापस कर दिया जाएगा और यदि किसी कारण से आस्तियों, आगमों, प्राप्तियों और फायदों को वापस किया जाना संभव नहीं है तो ऐसे लोक सेवक को इस प्रकार अधिहृत किए गए धन सहित उसकी कीमत का, अधिहरण की तारीख से उस पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से परिकलित ब्याज के साथ संदाय किया जाएगा।

32. (1) जहां लोकपाल का, भ्रष्टाचार के अभिकथनों की प्रारंभिक जांच करते समय, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है, कि— भ्रष्टाचार के अभिकथन से संबद्ध लोक सेवक के स्थानांतरण या निलंबन की सिफारिश करने की लोकपाल की शक्ति।

(i) प्रारंभिक जांच करते समय धारा 14 की उपधारा (1) के खंड (घ) या खंड (ङ) या खंड (च) में निर्दिष्ट लोक सेवक के अपने पद पर बने रहने से ऐसी प्रारंभिक जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ii) ऐसे लोक सेवक से साक्ष्य को नष्ट करने या किसी रूप में बिगाड़ने या साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है,

वहां, लोकपाल, ऐसे लोक सेवक को, ऐसी अवधि तक, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके द्वारा धारित पद से स्थानांतरित या निलंबित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, सामान्यतया, उपधारा (1) के अधीन की गई लोकपाल की सिफारिश को, ऐसे किसी मामले में जहां प्रशासनिक कारणों से ऐसा करना साध्य नहीं है, वहां कारणों को लेखबद्ध करते हुए, स्वीकार करेगी, अन्यथा नहीं।

प्रारंभिक जांच के दौरान अभिलेखों के नष्ट किए जाने को रोकने के लिए निदेश देने की लोकपाल की शक्ति।

33. लोकपाल, इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में किसी ऐसे लोक सेवक को, जिसको किसी दस्तावेज या अभिलेख को तैयार करने या उसकी अभिरक्षा रखने का कार्य सौंपा गया है, निम्नलिखित के लिए समुचित निदेश जारी कर सकेगा—

(क) ऐसे दस्तावेज या अभिलेख को नष्ट किए जाने या नुकसान पहुंचाने से उसकी संरक्षा करना; या

(ख) लोक सेवक को ऐसे दस्तावेज या अभिलेख में परिवर्तन करने या उसे छिपाने से रोकना; या

(ग) लोक सेवक को भ्रष्ट साधनों के माध्यम से उसके द्वारा अभिकथित रूप से अर्जित किन्हीं आस्तियों को अंतरित करने या उनका अन्यसंक्रामित करने से रोकना।

प्रत्यायोजन की शक्ति।

34. लोकपाल, साधारण या विशेष लिखित, आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, यह निदेश दे सकेगा कि उसको प्रदत्त किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्ति का, उसके ऐसे सदस्यों या अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा भी, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, प्रयोग या निर्वहन किया जा सकेगा।

अध्याय 9
विशेष न्यायालय

केन्द्रीय सरकार द्वारा विशेष न्यायालयों को गठित किया जाना।

35. (1) केन्द्रीय सरकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 या इस अधिनियम के अधीन उद्भूत मामलों की सुनवाई और उनका विनिश्चय करने के लिए उतने विशेष न्यायालयों का गठन करेगी, जितने लोकपाल द्वारा सिफारिश किए जाएं। 1988 का 49

(2) उपधारा (1) के अधीन गठित विशेष न्यायालय, न्यायालय में मामले के फाइल किए जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक विचारण का पूरा किया जाना सुनिश्चित करेंगे:

परंतु यदि विचारण एक वर्ष की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता है तो विशेष न्यायालय उसके कारणों को अभिलिखित करेगा और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं तीन मास से अनधिक की और अवधि के भीतर या ऐसी और अवधियों के भीतर जो तीन मास से अधिक की नहीं होंगी, ऐसी प्रत्येक तीन मास की अवधि की समाप्ति से पूर्व, किन्तु दो वर्ष से अनधिक की कुल अवधि के भीतर विचारण को पूरा करेगा।

कतिपय मामलों में संविदाकारी राज्य को अनुरोध पत्र।

36. (1) इस अधिनियम या दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, यदि, इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या अन्य कार्यवाही में किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के अनुक्रम में, इस निमित्त लोकपाल के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा विशेष न्यायालय को यह आवेदन किया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के संबंध में कोई साक्ष्य अपेक्षित है और उसकी यह राय है कि ऐसा साक्ष्य संविदाकारी राज्य में किसी स्थान पर उपलब्ध हो सकेगा और विशेष न्यायालय, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा साक्ष्य इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध या कार्यवाही में प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के संबंध में अपेक्षित है, एक अनुरोध पत्र, निम्नलिखित के लिए ऐसे अनुरोध पर कार्यवाही करने के लिए संविदाकारी राज्य में किसी सक्षम न्यायालय या प्राधिकारी को जारी कर सकेगा,— 1974 का 2

(i) मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की परीक्षा करना;

(ii) ऐसे उपाय करना, जो विशेष न्यायालय ऐसे अनुरोध पत्र में विनिर्दिष्ट करे; और

(iii) ऐसे लिए गए या संगृहीत किए गए सभी साक्ष्यों को, ऐसा अनुरोध पत्र जारी करने वाले विशेष न्यायालय को अग्रेषित करना।

(2) अनुरोध पत्र, ऐसी रीति से पारेषित किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार इस निमित्त विहित करे।

(3) उपधारा (1) के अधीन अभिलिखित प्रत्येक कथन या प्राप्त दस्तावेज या चीज को प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के दौरान संगृहीत साक्ष्य समझा जाएगा।

अध्याय 10

लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों और पदधारियों के विरुद्ध शिकायतें

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों का हटाया जाना और उनका निलंबन।

37. (1) लोकपाल, अध्यक्ष या किसी सदस्य के विरुद्ध की गई किसी शिकायत की जांच नहीं करेगा।

(2) उपधारा (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यक्ष या किसी सदस्य को, उच्चतम न्यायालय को संसद् के कम से कम एक सौ सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका पर राष्ट्रपति द्वारा, किए गए निर्देश पर, उस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई किसी जांच पर, उसके द्वारा ऐसी रिपोर्ट दिए जाने के पश्चात् कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे सदस्य को कदाचार के आधार पर हटा दिया जाना चाहिए, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, उस आधार पर उसके पद से हटाया जाएगा।

(3) राष्ट्रपति, ऐसे अध्यक्ष या किसी सदस्य को, जिसके संबंध में उपधारा (2) के अधीन उच्चतम न्यायालय को कोई निर्देश किया गया है, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में की गई सिफारिश या किए गए अंतरिम आदेश की प्राप्ति पर पद से तब तक के लिए निलंबित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय के ऐसे निर्देश पर अंतिम रिपोर्ट की प्राप्ति पर आदेश पारित न कर दिए गए हों।

(4) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, अध्यक्ष या किसी सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसा सदस्य,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है; या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगता है; या

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है।

(5) यदि अध्यक्ष या कोई सदस्य, निगमित कंपनी के सदस्य के रूप में और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप में अन्यथा भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई किसी संविदा या करार में किसी रूप से संपृक्त या हितबद्ध है या हो जाता है या वह किसी रूप में उसके लाभ या उससे उद्भूत किसी फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है तो उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए कदाचार का दोषी समझा जाएगा।

लोकपाल के पदाधिकारियों के विरुद्ध शिकायतें।

1988 का 49 38. (1) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए लोकपाल के अधीन या उससे सहयुक्त किसी अधिकारी या कर्मचारी या अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) के विरुद्ध किए गए अभिकथन या दोषपूर्ण कार्य के संबंध में प्रत्येक शिकायत पर इस धारा के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(2) लोकपाल, शिकायत या अभिकथन की जांच, उसकी प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर पूरी करेगा।

(3) लोकपाल अथवा लोकपाल में नियुक्त या उससे सहयुक्त अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध शिकायत की जांच करते समय यदि, उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर उसका प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है, कि—

(क) जांच करते समय लोकपाल या उसमें नियुक्त या उससे सहयुक्त अभिकरण के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी के अपने पद पर बने रहने से ऐसी जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ख) लोकपाल या उसमें नियुक्त या उससे सहयुक्त अभिकरण के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा साक्ष्य को नष्ट करने या किसी रूप में बिगाड़ने या साक्षियों को प्रभावित करने की संभावना है,

तो लोकपाल, आदेश द्वारा, लोकपाल के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा या लोकपाल में नियुक्त या उससे सहयुक्त ऐसे अभिकरण को उसके द्वारा इससे पूर्व प्रयोग की गई सभी शक्तियों और उत्तरदायित्वों से निर्निहित कर सकेगा।

(4) जांच के पूरा हो जाने पर, यदि लोकपाल का यह समाधान हो जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध या किसी दोषपूर्ण कार्य के किए जाने का प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य है, तो वह ऐसी जांच के पूरा हो जाने की पंद्रह दिन की अवधि के भीतर लोकपाल के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या लोकपाल में नियुक्त या उससे सहयुक्त ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को अभियोजित करने का आदेश करेगा और संबंधित पदधारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां आरंभ करेगा : 1988 का 49

परंतु ऐसा कोई आदेश, लोकपाल के ऐसे अधिकारी या कर्मचारी या उसमें नियुक्त या उससे सहयुक्त ऐसे अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिए बिना पारित नहीं किया जाएगा।

अध्याय 11

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली

विशेष न्यायालय द्वारा हानि का निर्धारण और उसकी वसूली।

39. यदि कोई लोक सेवक, विशेष न्यायालय द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया जाता है, तो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के होते हुए भी और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, वह, ऐसे लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक न किए गए कार्यों या विनिश्चयों के कारण और जिनके लिए उसको सिद्धदोष ठहराया गया है, राजकोष को हुई हानि का, यदि कोई हो, निर्धारण कर सकेगा तथा इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए ऐसे लोक सेवक से, ऐसी हानि की, यदि संभव या परिमाणीय हो, वसूली का आदेश कर सकेगा: 1988 का 49

परंतु यदि विशेष न्यायालय, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएं, इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कारित हानि, इस प्रकार सिद्धदोष ठहराए गए लोक सेवक के कार्यों या विनिश्चयों के हिताधिकारी या हिताधिकारियों के साथ षड्यंत्र के अनुसरण में हुई थी, तो ऐसी हानि, यदि इस धारा के अधीन निर्धारित की गई है और परिमाणीय है, आनुपातिक रूप से ऐसे हिताधिकारी या हिताधिकारियों से भी वसूल की जा सकेगी।

अध्याय 12

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

बजट।

40. लोकपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किए जाएं, अगले वित्तीय वर्ष के लिए, लोकपाल की प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय को दर्शाते हुए अपना बजट तैयार करेगा और उसको केन्द्रीय सरकार को सूचनार्थ अग्रेषित करेगा।

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान।

41. केन्द्रीय सरकार, इस निमित्त विधि द्वारा, संसद् द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, लोकपाल को ऐसी धनराशियां अनुदत्त कर सकेगी, जो अध्यक्ष और सदस्यों को संदेय वेतन तथा भत्तों और प्रशासनिक खर्चों के लिए, जिनके अंतर्गत लोकपाल के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को या उनके संबंध में संदेय वेतन और भत्ते तथा पेंशन भी हैं, संदत्त की जानी अपेक्षित हैं।

लेखाओं का वार्षिक विवरण।

42. (1) लोकपाल, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और ऐसे प्ररूप में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए, लेखाओं का वार्षिक विवरण तैयार करेगा।

(2) लोकपाल के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर की जाएगी, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को इस अधिनियम के अधीन लोकपाल के लेखाओं की संपरीक्षा करने के संबंध में या उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में साधारणतया भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को प्राप्त हैं और विशिष्टतया बहियों, लेखाओं, संबंधित

वाउचरों और अन्य दस्तावेजों तथा कागजपत्रों को प्रस्तुत करने की मांग करने और लोकपाल के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित लोकपाल के लेखाओं को, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किया जाएगा और केन्द्रीय सरकार उसको संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी।

केन्द्रीय सरकार को विवरणियां, आदि प्रस्तुत करना।

43. लोकपाल, केन्द्रीय सरकार को ऐसी विवरणियां और विवरण तथा लोकपाल की अधिकारिता के अधीन किसी विषय के संबंध में ऐसी विशिष्टियां, जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति से, जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरोध किया जाए, प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 13
आस्तियों की घोषणा

आस्तियों की घोषणा।

44. (1) प्रत्येक लोक सेवक, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा उपबंधित रीति से अपनी आस्तियों और दायित्वों की घोषणा करेगा।

(2) कोई लोक सेवक, उस तारीख से, जिसको वह अपना पदग्रहण करने के लिए शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तीस दिन की अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निम्नलिखित के संबंध में सूचना देगा,—

(क) ऐसी आस्तियां, जिनका वह, उसका पति या पत्नी और उसके आश्रित बालक, संयुक्ततः या पृथक्तः, स्वामी या हिताधिकारी हैं;

(ख) अपने और अपने पति या पत्नी तथा अपने आश्रित बालकों के दायित्व।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ के समय, उस रूप में अपना पद धारण करने वाला कोई लोक सेवक, इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के तीस दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी को उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों से संबंधित सूचना देगा।

(4) प्रत्येक लोक सेवक, प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई को या उससे पूर्व उस वर्ष की 31 मार्च तक, उपधारा (2) में यथानिर्दिष्ट ऐसी आस्तियों और दायित्वों की वार्षिक विवरणी सक्षम प्राधिकारी के पास फाइल करेगा।

(5) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन सूचना और उपधारा (4) के अधीन वार्षिक विवरणी, सक्षम प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, प्रस्तुत की जाएगी।

(6) सक्षम प्राधिकारी, प्रत्येक कार्यालय या विभाग के संबंध में यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी विवरण उस वर्ष की 31 अगस्त तक ऐसे मंत्रालय या विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिए गए हैं।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आश्रित बालक" से ऐसे पुत्र और पुत्रियां अभिप्रेत हैं, जिनके पास उपार्जन के कोई पृथक् साधन नहीं हैं और अपनी जीविका के लिए पूर्णतः लोक सेवक पर आश्रित हैं।

कतिपय मामलों में भ्रष्ट साधनों द्वारा आस्तियों के अर्जन के बारे में उपधारणा।

45. यदि कोई लोक सेवक जानबूझकर या ऐसे कारणों से जो न्यायोचित नहीं हैं,—

(क) अपनी आस्तियों की घोषणा करने में असफल रहता है; या

(ख) ऐसी आस्तियों की बाबत भ्रामक सूचना देता है और उसके कब्जे में ऐसी आस्तियां पाई जाती हैं जिनका प्रकटन नहीं किया गया है या जिनकी बाबत भ्रामक सूचना दी गई थी,

तो ऐसी आस्तियों के बारे में, जब तक अन्यथा साबित न हो जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि वे लोक सेवक की हैं और यह उपधारणा की जाएगी कि वे भ्रष्ट साधनों द्वारा अर्जित की गई हैं :

परंतु सक्षम प्राधिकारी, लोक सेवक को ऐसा न्यूनतम मूल्य, जो विहित किया जाए, से अनधिक की आस्तियों की बाबत सूचना देने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा।

अध्याय 14
अपराध और शास्तियां

मिथ्या शिकायत के लिए अभियोजन और लोक सेवक को प्रतिकर आदि का संदाय।

46. (1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, जो कोई इस अधिनियम के अधीन कोई मिथ्या और तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत करेगा, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडित किया जाएगा।

(2) किसी विशेष न्यायालय के सिवाय, कोई भी न्यायालय उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा।

(3) कोई भी विशेष न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसके विरुद्ध मिथ्या, तुच्छ या तंग करने वाली शिकायत की गई थी, या लोकपाल द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा शिकायत किए जाने पर उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध का संज्ञान लेगा अन्यथा नहीं।

(4) उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के संबंध में अभियोजन, लोक अभियोजक द्वारा किया जाएगा और ऐसे अभियोजन से संबंधित सभी व्ययों को केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(5) ऐसे किसी व्यक्ति की [जो कोई व्यष्टि या सोसाइटी या व्यक्ति-संगम या न्यास है (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं)], इस अधिनियम के अधीन मिथ्या शिकायत करने के लिए, दोषसिद्धि की दशा में, ऐसा व्यक्ति, ऐसे लोक सेवक को, जिसके विरुद्ध उसने मिथ्या शिकायत की थी, ऐसे लोक सेवक द्वारा मुकदमा लड़ने संबंधी विधिक व्ययों के अतिरिक्त, जो विशेष न्यायालय अवधारित करे प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा।

(6) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात, सद्भावपूर्वक की गई शिकायतों की दशा में लागू नहीं होगी।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए, "सद्भावपूर्वक" पद से भारतीय दंड संहिता की धारा 79 के अधीन सम्यक् सतर्कता, सावधानी और उत्तरदायित्व के भाव से सद्भावपूर्वक या तथ्य की भूल 1860 का 45
से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा विश्वास किया गया या किया गया कोई कार्य अभिप्रेत है।

सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास द्वारा मिथ्या शिकायत किया जाना।

47. (1) जहां धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किए जाने के समय ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास के कारोबार या कार्यों या क्रियाकलापों के संचालन के लिए उस सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास का प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक या उत्तरदायी था और साथ ही ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों का संगम या न्यास भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा की कोई बात ऐसे किसी व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी , जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास (चाहे वह रजिस्ट्रीकृत है अथवा नहीं) द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध, ऐसी सोसाइटी या व्यक्तियों के संगम या न्यास के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

अध्याय 15

प्रकीर्ण

लोकपाल की रिपोर्ट।

48. लोकपाल का यह कर्तव्य होगा कि वह लोकपाल द्वारा किए गए कार्य के संबंध में एक रिपोर्ट प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को प्रस्तुत करे और राष्ट्रपति, ऐसी रिपोर्ट के प्राप्त होने पर उसकी एक प्रति, ऐसे मामलों के संबंध में, यदि कोई हों, जहां लोकपाल की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया था, वहां ऐसी अस्वीकृति के कारण सहित एक स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा।

लोकपाल का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्‌भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करना।

1988 का 49

49. लोकपाल, ऐसे मामलों में, जहां विनिश्चय में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन भ्रष्टाचार के निष्कर्ष अंतर्विष्ट हैं, किसी लोक प्राधिकारी द्वारा लोक सेवाओं के परिदान और लोक शिकायतों के निवारण का उपबंध करने वाली तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि से उद्‌भूत होने वाली अपीलों के संबंध में अंतिम अपील प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा।

किसी लोक सेवक द्वारा सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

50. इस अधिनियम के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या उसके पदीय कृत्यों के निर्वहन में या उसकी शक्तियों के प्रयोग में किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां किसी लोक सेवक के विरुद्ध न होंगी।

अन्य व्यक्तियों द्वारा सद्‌भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

51. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्‌भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां लोकपाल के विरुद्ध या किसी अधिकारी, कर्मचारी, अभिकरण या किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होंगी।

लोकपाल के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

52. लोकपाल के अध्यक्ष, सदस्यों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के बारे में, जब वे इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुसरण में कोई कार्य कर रहे हैं या उनका कार्य करना तात्पर्यित है, यह समझा जाएगा कि वे, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक हैं।

1860 का 45

कतिपय मामलों में परिसीमा का लागू होना।

53. लोकपाल, ऐसी किसी शिकायत की जांच या अन्वेषण नहीं करेगा, यदि शिकायत, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसी शिकायत में उल्लिखित अपराध के किए जाने का अभिकथन किया गया है, सात वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् की जाती है।

अधिकारिता का वर्जन।

54. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे विषय के संबंध में अधिकारिता नहीं होगी, जिसका लोकपाल इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अवधारण करने के लिए सशक्त है।

विधिक सहायता।

55. लोकपाल, प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन उसके समक्ष कोई शिकायत फाइल की गई है, लोकपाल के समक्ष उसके मामले की प्रतिरक्षा करने के लिए, यदि ऐसी सहायता के लिए अनुरोध किया जाता है, विधिक सहायता उपलब्ध कराएगा।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

56. इस अधिनियम के उपबंध, इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति या इस अधिनियम से भिन्न किसी अधिनियमिति के कारण प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में अंतर्विष्ट उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना।

57. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में।

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन।

58. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को उसमें विनिर्दिष्ट रीति से संशोधित किया जाएगा।

नियम बनाने की शक्ति।

59. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट शिकायत का प्ररूप;

(ख) धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन खोजबीन समिति की अवधि, उसके सदस्यों को संदेय फीस और भत्ते तथा नामों के पैनल के चयन की रीति;

(ग) ऐसा पद या ऐसे पद, जिनके संबंध में धारा 10 की उपधारा (3) के परंतुक के अधीन संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के पश्चात् नियुक्ति की जाएगी;

(घ) ऐसे अन्य विषय, जिनके लिए लोकपाल को, धारा 27 की उपधारा (1) के खंड (vi) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्तियां होंगी;

(ङ) धारा 29 की उपधारा (2) के अधीन विशेष न्यायालय को सामग्री के साथ कुर्की का आदेश भेजने की रीति ;

(च) धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन अनुरोध पत्र पारेषित करने की रीति;

(छ) धारा 40 के अधीन लोकपाल की प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय दर्शित करते हुए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बजट तैयार करने का प्ररूप और समय;

(ज) धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखने के लिए प्ररूप और वार्षिक लेखा विवरणों का प्ररूप ;

(झ) धारा 43 के अधीन विशिष्टियों सहित विवरणियां और विवरण तैयार करने का प्ररूप और रीति तथा समय;

(ञ) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन वार्षिक विवरणी, जिसमें पूर्व वर्ष के दौरान उसके क्रियाकलापों का संक्षिप्त विवरण हो, तैयार करने का प्ररूप और समय;

(ट) धारा 44 की उपधारा (5) के अधीन किसी लोक सेवक द्वारा फाइल की जाने वाली वार्षिक विवरणी का प्ररूप;

(ठ) ऐसा न्यूनतम मूल्य, जिसके लिए सक्षम प्राधिकारी, किसी लोक सेवक को धारा 45 के परंतुक के अधीन आस्तियों के संबंध में सूचना प्रस्तुत करने से माफी दे सकेगा या छूट प्रदान कर सकेगा;

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको विहित किया जाना है या जिसको विहित किया जाए।

विनियम बनाने की लोकपाल की शक्ति।

60. (1) लोकपाल, इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम बना सकेगा।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) लोकपाल के सचिव और अन्य अधिकारियों तथा कर्मचारिवृंद की सेवा शर्तें और ऐसे विषय, जिनके लिए, जहां तक उनका संबंध वेतन, भत्तों, छुट्टी या पेंशन से है, धारा 10 की उपधारा (4) के अधीन राष्ट्रपति का अनुमोदन अपेक्षित है;

(ख) धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन लोकपाल की न्यायपीठों के अधिविष्ट होने का स्थान;

(ग) लोकपाल की वेबसाइट पर धारा 20 की उपधारा (10) के अधीन लंबित या निपटाई गई सभी शिकायतों की प्रास्थिति, उनके प्रतिनिर्देश से अभिलेखों और साक्ष्य सहित, प्रदर्शित करने की रीति;

(घ) धारा 20 की उपधारा (11) के अधीन प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने की रीति और प्रक्रिया;

(ङ) ऐसा कोई अन्य विषय, जिसको इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट किया जाना अपेक्षित है या विनिर्दिष्ट किया जाए।

नियमों और विनियमों का रखा जाना।

61. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

62. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

भाग 3

लोकायुक्त की स्थापना

लोकायुक्त की स्थापना।

63. प्रत्येक राज्य, इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कतिपय लोक कृत्यकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों के संबंध में कार्रवाई करने के लिए, यदि ऐसे किसी निकाय को स्थापित, गठित या नियुक्त नहीं किया गया है, राज्य विधान-मंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा अपने राज्य के लिए लोकायुक्त के नाम से ज्ञात एक निकाय की स्थापना करेगा।

अनुसूची

[धारा 58 देखिए]

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन

भाग 1

जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन

(1952 का 60)

धारा 3 का संशोधन। धारा 3 की उपधारा (1) में, "समुचित सरकार" शब्दों के स्थान पर "जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समुचित सरकार" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

भाग 2

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का संशोधन

(1946 का 25)

धारा 4क का संशोधन। 1. धारा 4क में,—

(i) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) केन्द्रीय सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर निदेशक की नियुक्ति करेगी,—

(क) प्रधानमंत्री—अध्यक्ष;

(ख) लोक सभा में विपक्ष का नेता—सदस्य;

(ग) भारत का मुख्य न्यायमूर्ति या उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश—सदस्य।";

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

नई धारा 4खक का अंत:स्थापन। 2. धारा 4ख के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अभियोजन निदेशक। "4खक. (1) इस अधिनियम के अधीन मामलों के अभियोजन का संचालन करने के लिए एक अभियोजन निदेशालय होगा जिसका प्रमुख एक निदेशक होगा जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का अधिकारी नहीं होगा।

(2) अभियोजन निदेशक, निदेशक के समग्र अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन कृत्य करेगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, अभियोजन निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिश पर करेगी।

(4) अभियोजन निदेशक, उसकी सेवा शर्तों से संबंधित नियमों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, दो वर्ष से अन्यून अवधि तक अपना पद धारण करता रहेगा।"।

धारा 4ग का संशोधन। 3. धारा 4ग में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली समिति की सिफारिश पर, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन में निदेशक के सिवाय, पुलिस अधीक्षक और ऊपर के स्तर के पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और ऐसे अधिकारियों की सेवाधृति के विस्तारण या कम किए जाने की सिफारिश भी करेगी,—

(क) केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त—अध्यक्ष;

(ख) सतर्कता आयुक्त—सदस्य;

(ग) गृह मंत्रालय का भारसाधक भारत सरकार का सचिव—सदस्य;

(घ) कार्मिक विभाग का भारसाधक भारत सरकार का सचिव—सदस्य:

परंतु समिति, केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने से पूर्व निदेशक से परामर्श करेगी।"।

भाग 3

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का संशोधन

(1988 का 49)

1. धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 12 में,— धारा 7, धारा 8, धारा 9 और धारा 12 का संशोधन।

(क) "छह मास" शब्दों के स्थान पर, क्रमश: "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर, क्रमश: "सात वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

2. धारा 13 की उपधारा (2) में,— धारा 13 का संशोधन।

(क) "एक वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "चार वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 14 में,— धारा 14 का संशोधन।

(क) "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "पांच वर्ष" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "सात वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

4. धारा 15 में, "जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी" शब्दों के स्थान पर, "जिसकी अवधि दो वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु पांच वर्ष तक की हो सकेगी" शब्द रखे जाएंगे। धारा 15 का संशोधन।

5. धारा 19 में, "निम्नलिखित की पूर्व मंजूरी के बिना" शब्दों के पूर्व, ", जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 19 का संशोधन।

भाग 4

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का संशोधन

(1974 का 2)

धारा 197 में, "न्यायालय ऐसे अपराध का संज्ञान" शब्दों के पश्चात्, ", जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय" शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 197 का संशोधन।

भाग 5

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का संशोधन

(2003 का 45)

1. धारा 2 के खंड (घ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 2 का संशोधन।

'(घक) "लोकपाल" से लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित लोकपाल अभिप्रेत है;'।

2. धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 8 का संशोधन।

"(ग) लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन लोकपाल द्वारा किए गए निर्देश पर, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित भी होंगे:—

(i) केन्द्रीय सरकार की समूह ख, समूह ग और समूह घ सेवाओं के सदस्य;

(ii) किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगमों, केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सरकारी कंपनियों, सोसाइटियों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के ऐसे स्तर के पदधारी या कर्मचारिवृंद जिनको वह सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे:

परंतु उस समय तक, जब तक इस खंड के अधीन कोई अधिसूचना जारी की जाती है, उक्त निगमों, कंपनियों, सोसाइटियों और स्थानीय प्राधिकरणों के सभी पदधारी या कर्मचारिवृंद को, उपधारा (1) के खंड (घ) में निर्दिष्ट व्यक्ति होना समझा जाएगा।"।

नई धारा 8क और धारा 8ख का अंत:स्थापन।

3. धारा 8 के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

लोक सेवकों के संबंध में प्रारंभिक जांच पर कार्रवाई।

"8क. (1) जहां, केन्द्रीय सरकार के समूह ग और समूह घ पदधारियों से संबंधित लोक सेवकों के भ्रष्टाचार से संबंधित प्रारंभिक जांच की समाप्ति के पश्चात् आयोग के निष्कर्षों से, लोक सेवक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे लोक सेवक द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन 1988 का 49
भ्रष्टाचार से संबंधित आचरण नियमों के प्रथमदृष्ट्या उल्लंघन का प्रकटन होता है, वहां आयोग, निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक कार्रवाइयां किए जाने के लिए कार्यवाही करेगा, अर्थात्:—

(क) यथास्थिति, किसी अभिकरण या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण कराया जाना;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई आरंभ कराया जाना;

(ग) लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाहियों को बंद कराया जाना तथा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 46 के अधीन शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही का किया जाना।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रारंभिक जांच, साधारणतया, शिकायत की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन के भीतर और ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, नब्बे दिन की अतिरिक्त अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

लोक सेवकों के संबंध में अन्वेषण पर कार्रवाई।

8ख. (1) यदि, आयोग, धारा 8क की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शिकायत का अन्वेषण करने के लिए कार्यवाही किए जाने का विनिश्चय करता है तो वह किसी अभिकरण को (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) यथासंभव शीघ्रता के साथ अन्वेषण करने और उसके आदेश की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर अन्वेषण पूरा करने तथा आयोग को अपने निष्कर्षों के साथ अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश देगा:

परंतु आयोग उक्त अवधि को ऐसे कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, छह मास की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 173 में किसी बात के होते हुए भी, कोई 1974 का 2
अभिकरण (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) आयोग द्वारा उसको निर्दिष्ट किए गए मामलों के संबंध में आयोग को अन्वेषण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(3) आयोग, उपधारा (2) के अधीन किसी अभिकरण से (जिसके अंतर्गत दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन भी है) उसको प्राप्त प्रत्येक रिपोर्ट पर विचार करेगा और निम्नलिखित के बारे में विनिश्चय कर सकेगा:—

(क) लोक सेवक के विरुद्ध विशेष न्यायालय के समक्ष आरोपपत्र या मामला बंद किए जाने की रिपोर्ट फाइल करना;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाहियां या कोई अन्य समुचित कार्रवाई आरंभ करना।"।

4. धारा 11 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 11क का अंत:स्थापन।

"11क. (1) एक जांच निदेशक होगा, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो, जिसको लोकपाल द्वारा आयोग को निर्दिष्ट प्रारंभिक जांच करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रारंभिक जांच करने के लिए जांच निदेशक।

(2) केन्द्रीय सरकार, जांच निदेशक को उतने अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के अधीन उसके कृत्यों का निर्वहन करने के लिए अपेक्षित हों।"।

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 7)

[4 मार्च, 2014]

नगरीय पथ विक्रेताओं के अधिकारों की संरक्षा करने और पथ विक्रय क्रियाकलापों का विनियमन करने तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम, विस्तार प्रारंभ और उपबंध।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ; और भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का किसी राज्य के संबंध में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस राज्य में उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

1989 का 24 (4) इस अधिनियम के उपबंध रेल अधिनियम, 1989 के अधीन रेल के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी भूमि, किन्हीं परिसरों और रेलगाड़ियों को लागू नहीं होंगे।

परिभाषाएं । **2.** (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "समुचित सरकार" से—

(i) बिना विधान-मंडल वाले किसी संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित विषयों की बाबत, केंद्रीय सरकार ;

(ii) विधान-मंडल वाले संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित विषयों की बाबत, यथास्थिति, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र की सरकार या पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र की सरकार ;

(iii) किसी राज्य से संबंधित विषयों की बाबत, राज्य सरकार,

अभिप्रेत है ;

(ख) "धारण क्षमता" से पथ विक्रेताओं की वह अधिकतम संख्या अभिप्रेत है जिसके लिए किसी विक्रय जोन में स्थान प्रदान किया जा सकता है और जिसे शहरी विक्रय समिति की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस रूप में अवधारित किया गया है ;

(ग) "स्थानीय प्राधिकारी" से, यथास्थिति, कोई नगर निगम या कोई नगरपालिक परिषद् या नगर पंचायत, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो या छावनी बोर्ड अथवा छावनी अधिनियम, 2006 की धारा 47 के अधीन नियुक्त कोई सिविल क्षेत्र समिति या ऐसा अन्य **2006 का 41** निकाय अभिप्रेत है जो नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने और पथ विक्रय को विनियमित करने के लिए किसी नगर या शहर में स्थानीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए हकदार हो और इसके अंतर्गत ऐसा "योजना प्राधिकारी" भी है जो उस नगर या शहर में भूमि के उपयोग को विनियमित करता है ;

(घ) "चल विक्रेता" से ऐसे पथ विक्रेता अभिप्रेत हैं जो अभिहित क्षेत्र में अपने माल और अपनी सेवाओं का विक्रय करते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते-फिरते विक्रय क्रियाकलाप करते हैं ;

(ङ) "प्राकृतिक बाजार" से ऐसा बाजार अभिप्रेत है जहां विक्रेता और क्रेता उत्पादों या सेवाओं के विक्रय और क्रय के लिए परंपरागत रूप से एकत्र होते हैं और जिसे शहरी विक्रय समिति की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस रूप में अवधारित किया गया है ;

(च) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का तदनुसार अर्थान्वयन किया जाएगा ;

(छ) "योजना प्राधिकरण" से नगर विकास प्राधिकरण या समुचित सरकार द्वारा किसी नगर या शहर में पदाभिहित ऐसा कोई अन्य प्राधिकरण अभिप्रेत है जो मास्टर प्लान या विकास योजना या आंचलिक योजना या अभिन्यास योजना अथवा किसी अन्य ऐसी स्थान विषयक योजना में, जो, यथास्थिति, लागू नगर और ग्राम योजना अधिनियम या नगर विकास अधिनियम अथवा नगर निगम अधिनियम के अधीन विधिक रूप से प्रवर्तनीय है, किसी विशिष्ट क्रियाकलाप के लिए क्षेत्रों के यथावत विस्तार को परिभाषित करते हुए भूमि के उपयोग को विनियमित करने के लिए उत्तरदायी है ;

(ज) "विहित" से समुचित सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ञ) "स्कीम" से धारा 38 के अधीन समुचित सरकार द्वारा विरचित कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(ट) "स्थिर विक्रेता" से ऐसे पथ विक्रेता अभिप्रेत हैं जो किसी विनिर्दिष्ट अवस्थान पर नियमित आधार पर विक्रय संबंधी क्रियाकलाप करते हैं ;

(ठ) "पथ विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी पथ, गली, पार्श्व मार्ग, पैदल पथ, सड़क की पटरी, सार्वजनिक पार्क या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान अथवा प्राइवेट क्षेत्र में किसी अस्थायी निर्मित संरचना से या एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमकर प्रतिदिन के उपयोग की वस्तुएं, माल, सामान, खाद्य पदार्थ या सौदा बेचने अथवा जनसाधारण को सेवाएं प्रदान करने में लगा हुआ है और इसके अंतर्गत हाकर, खोमचे वाला, बैठकर बेचने वाला और ऐसे अन्य सभी समानार्थक पद आते हैं जो किसी स्थान या क्षेत्र विशेष के आपेक्षिक हैं ; और "पथ विक्रय" शब्दों का उनके व्याकरणिक रूपभेदों और सजातीय पदों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ड) "नगर विक्रय समिति" से धारा 22 के अधीन समुचित सरकार द्वारा गठित निकाय अभिप्रेत है ;

(ढ) "विक्रय जोन" से पथ विक्रय के लिए पथ विक्रेताओं द्वारा विनिर्दिष्ट उपयोग के लिए नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उस रूप में अभिहित कोई क्षेत्र या कोई स्थान अथवा अवस्थान अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत पैदल पथ, पार्श्व मार्ग, सड़क की पटरी, तटबंध, किसी पथ का भाग, सार्वजनिक प्रतीक्षा क्षेत्र या कोई ऐसा स्थान भी है, जो विक्रय क्रियाकलापों के लिए और जनसाधारण को सेवाएं प्रदान करने के लिए उपयुक्त समझा जाए ।

(2) इस अधिनियम में किसी अधिनियमिति या उसके किसी उपबंध के प्रति किसी ऐसे क्षेत्र के संबंध में, जिसमें ऐसी अधिनियमिति या ऐसा उपबंध प्रवृत्त नहीं है, किसी निर्देश के बारे में यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस क्षेत्र में प्रवृत्त तत्स्थानी विधि, यदि कोई हो, के प्रतिनिर्देश है ।

अध्याय 2

पथ विक्रय का विनियमन

पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण और बेदखली या पुनःस्थापन से संरक्षण ।

3. (1) नगर विक्रय समिति, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, अपनी अधिकारिता के अधीन के क्षेत्र में विद्यमान सभी पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करेगी और पश्चात्वर्ती सर्वेक्षण प्रत्येक पांच वर्ष में कम से कम एक बार किया जाएगा ।

(2) नगर विक्रय समिति यह सुनिश्चित करेगी कि ऐसे सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं को जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, पथ विक्रय संबंधी योजना और विक्रय जोनों की धारण क्षमता के अनुसार, यथास्थिति, वार्ड या जोन या नगर या शहर की जनसंख्या के ढाई प्रतिशत के अनुरूप किसी सन्नियम के अधीन रहते हुए विक्रय जोनों में स्थान सुविधा उपलब्ध कराई जाए ।

(3) किसी भी पथ विक्रेता को, उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट सर्वेक्षण के पूरा होने और सभी पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र जारी होने तक, यथास्थिति, बेदखल या पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा ।

विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाना ।

4. (1) ऐसे प्रत्येक पथ विक्रेता को, जिसकी धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किए गए सर्वेक्षण के अधीन पहचान की गई है, और जिसने चौदह वर्ष की आयु या ऐसी आयु, जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए, पूरी कर ली है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन और पथ विक्रय संबंधी योजना में विनिर्दिष्ट निर्बंधनों सहित स्कीम में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नगर विक्रय समिति द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा :

परंतु कोई व्यक्ति, चाहे उसे धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन सर्वेक्षण में सम्मिलित किया गया हो या नहीं, जिसे इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विक्रय का प्रमाणपत्र जारी किया गया है, चाहे वह अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के अन्य रूप में ज्ञात हो (चाहे वह स्थिर विक्रेता या चल विक्रेता के रूप में हो या किसी अन्य प्रवर्ग के अधीन हो) उस अवधि के लिए, जिसके

लिए ऐसे विक्रय का प्रमाणपत्र जारी किया गया है उस प्रवर्ग के लिए पथ विक्रेता समझा जाएगा ।

(2) जहां दो सर्वेक्षणों के बीच की मध्यवर्ती अवधि में कोई व्यक्ति विक्रय करने की ईप्सा करता है, वहां नगर विक्रय समिति, स्कीम, पथ विक्रय की योजना और विक्रय जोनों की धारण क्षमता के अध्यधीन ऐसे व्यक्ति को विक्रय प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेगी ।

(3) जहां उन पथ विक्रेताओं की संख्या जिनकी उपधारा (1) के अधीन पहचान की गई है या उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने उपधारा (2) के अधीन विक्रय करने की ईप्सा की है, विक्रय जोन की धारण क्षमता से अधिक है और उन व्यक्तियों की संख्या से अधिक है, जिन्हें उस विक्रय जोन में स्थान उपलब्ध कराया जाना है, वहां नगर विक्रय समिति उस विक्रय जोन के लिए विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पर्चियां डालकर नाम निकालेगी और शेष व्यक्तियों को, पुनःस्थापन का परिवर्जन करने के लिए, किसी साथ लगे विक्रय जोन में स्थान सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी ।

विक्रय प्रमाणपत्र के जारी किए जाने की शर्तें ।

5. (1) प्रत्येक पथ विक्रेता, धारा 4 के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र के जारी किए जाने के पूर्व नगर विक्रय समिति से इस बात का एक वचनबंध करेगा कि—

(क) वह स्वयं या अपने कुटुंब के सदस्य के माध्यम से पथ विक्रय का कारबार करेगा ;

(ख) उसके पास जीविका के कोई अन्य साधन नहीं हैं ;

(ग) वह, किराया, विक्रय प्रमाणपत्र को या उसमें विनिर्दिष्ट स्थान को किसी भी रीति से, चाहे वह कोई भी हो, जिसके अन्तर्गत किराए पर देना भी है किसी अन्य व्यक्ति को अंतरित नहीं करेगा ।

(2) जहां ऐसे किसी पथ विक्रेता की, जिसको विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाता है, मृत्यु हो जाती है या वह किसी स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त हो जाता है या बीमार हो जाता है, वहां उसके कुटुंब का कोई एक सदस्य निम्नलिखित पूर्विकता के क्रम में उसके स्थान पर विक्रय प्रमाणपत्र की विधिमान्यता तक विक्रय कार्य कर सकेगा—

(क) पथ विक्रेता का पति या पत्नी ;

(ख) पथ विक्रेता का आश्रित बालक :

परंतु जहां यह विवाद उत्पन्न होता है कि विक्रेता के स्थान में विक्रय कार्य करने के लिए कौन हकदार है, वहां उस मामले का विनिश्चय धारा 20 के अधीन समिति द्वारा किया जाएगा ।

विक्रय प्रमाणपत्र के प्रवर्ग और पहचान पत्रों का जारी होना ।

6. (1) विक्रय प्रमाणपत्र निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी प्रवर्ग के अधीन जारी किया जाएगा—

(क) कोई स्थिर विक्रेता ;

(ख) कोई चल विक्रेता ; या

(ग) कोई अन्य प्रवर्ग, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रवर्गों के लिए जारी किया गया विक्रय प्रमाणपत्र ऐसे प्ररूप में होगा और ऐसी रीति में जारी किया जाएगा, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और उसमें उस विक्रय जोन को, जहां पथ विक्रेता अपने विक्रय क्रियाकलाप करेगा, ऐसे विक्रय क्रियाकलापों को करने के दिनों और समय-सीमा को तथा उन शर्तों और निर्बंधनों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा जिनके अधीन रहते हुए वह ऐसे विक्रय क्रियाकलाप करेगा।

(3) प्रत्येक पथ विक्रेता को जिसे उपधारा (1) के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया है, पहचान पत्र ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जारी किए जाएंगे जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए ।

7. किसी पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के लिए नगर विक्रय समिति द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मानदंड ऐसे होंगे जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, उनमें अन्य बातों के अलावा, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, स्त्रियों और निःशक्त व्यक्तियों, अल्पसंख्यकों या ऐसे अन्य प्रवर्गों को, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अधिमान दिए जाने का उपबंध किया जा सकेगा । विक्रय प्रमाणपत्र जारी करने के मानदंड ।

8. प्रत्येक ऐसा पथ विक्रेता, जिसे विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया है, ऐसी विक्रय फीस का संदाय करेगा जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए । विक्रय फीस ।

9. (1) प्रत्येक विक्रय प्रमाणपत्र ऐसी अवधि के लिए विधिमान्य होगा जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए । विक्रय प्रमाणपत्र की विधिमान्यता और नवीकरण ।

(2) प्रत्येक विक्रय प्रमाणपत्र, ऐसी अवधि के लिए, ऐसी रीति में और ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, नवीकरणीय होगा ।

10. जहां कोई ऐसा पथ विक्रेता, जिसे इस अधिनियम के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया है, उसकी किन्हीं शर्तों का या इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्कीमों के अधीन पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों का भंग करता है या जहां नगर विक्रय समिति का यह समाधान हो जाता है कि पथ विक्रेता द्वारा ऐसा विक्रय प्रमाणपत्र दुर्व्यपदेशन या कपट करके प्राप्त किया गया है, वहां नगर विक्रय समिति, किसी ऐसे अन्य जुर्माने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जो इस अधिनियम के अधीन किसी पथ विक्रेता से उपगत किया जा सकता हो, विक्रय प्रमाणपत्र को रद्द कर सकेगी या उसे ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए और ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, निलंबित कर सकेगी : विक्रय प्रमाणपत्र का रद्दकरण या निलंबन ।

परंतु नगर विक्रय समिति द्वारा ऐसा कोई रद्दकरण या निलंबन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि पथ विक्रेता को सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया जाता ।

11. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो धारा 6 के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए जाने या धारा 10 के अधीन विक्रय प्रमाणपत्र के रद्द किए जाने या निलंबित किए जाने के संबंध में नगर विक्रय समिति के किसी विनिश्चय से व्यथित है, स्थानीय प्राधिकारी को, ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के भीतर और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा । नगर विक्रय समिति के विनिश्चय के विरुद्ध अपील ।

(2) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटारा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर नहीं दे दिया जाता ।

अध्याय 3

पथ विक्रेताओं के अधिकार और बाध्यताएं

12. (1) प्रत्येक पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र में वर्णित निबंधनों और शर्तों के अनुसार पथ विक्रय क्रियाकलापों का कारबार करने का अधिकार होगा । पथ विक्रेता के अधिकार ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां, यथास्थिति, किसी क्षेत्र या स्थान को विक्रय निषेध जोन के रूप में चिह्नांकित किया गया है वहां कोई भी पथ विक्रेता उस जोन में विक्रय संबंधी कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा ।

13. प्रत्येक ऐसा पथ विक्रेता, जिसके पास विक्रय प्रमाणपत्र है, धारा 18 के अधीन उसके पुनःस्थापन की दशा में, अपने ऐसे विक्रय क्रियाकलाप करने के लिए, यथास्थिति, नवीन स्थल या क्षेत्र का हकदार होगा, जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा नगर विक्रय समिति के परामर्श से अवधारित किए जाएं । पुनःस्थापन पर नवीन स्थल या क्षेत्र के लिए पथ विक्रेता का अधिकार ।

14. जहां कोई पथ विक्रेता समय-विभाजन के आधार पर किसी स्थल का अधिभोग रखता है, वहां वह प्रति दिन, उसे अनुज्ञात समय-विभाजन अवधि की समाप्ति पर, अपने माल और सामान को हटा लेगा । पथ विक्रेताओं का कर्तव्य ।

सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखना ।

15. प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्रय जोनों और उससे लगे हुए क्षेत्रों में सफाई और सार्वजनिक स्वच्छता को बनाए रखेगा ।

विक्रय जोन में नागरिक सुख-सुविधाओं को अच्छी दशा में बनाए रखना ।

16. प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्रय जोन में नागरिक सुख-सुविधाओं और सार्वजनिक संपत्ति को अच्छी दशा में बनाए रखेगा और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा या नष्ट नहीं करेगा या उसे नुकसान नहीं पहुंचवाएगा या नष्ट नहीं करवाएगा ।

अनुरक्षण प्रभारों का संदाय ।

17. प्रत्येक पथ विक्रेता, विक्रय जोनों में उपलब्ध कराई गई नागरिक सुख-सुविधाओं और सुविधाओं के लिए समय-समय पर ऐसे अनुरक्षण प्रभारों का संदाय करेगा जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित किए जाएं ।

अध्याय 4

पथ विक्रेताओं का पुनःस्थापन और बेदखली

पथ विक्रेताओं का पुनःस्थापन या बेदखली ।

18. (1) स्थानीय प्राधिकारी, नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर, किसी जोन या उसके भाग को किसी लोक प्रयोजन के लिए विक्रय निषेध जोन घोषित कर सकेगा और उस क्षेत्र में विक्रय करने वाले पथ विक्रेताओं को ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, पुनःस्थापित कर सकेगा ।

(2) स्थानीय प्राधिकारी ऐसे पथ विक्रेता को, जिसका विक्रय प्रमाणपत्र धारा 10 के अधीन रद्द कर दिया गया है या जिसके पास विक्रय प्रमाणपत्र नहीं है और ऐसे प्रमाणपत्र के बिना विक्रय करता है, ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, बेदखल करेगा ।

(3) किसी भी पथ विक्रेता को स्थानीय प्राधिकारी द्वारा विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान से तब तक पुनःस्थापित या बेदखल नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे उसके लिए तीस दिन की सूचना ऐसी रीति में, जो स्कीम में, विनिर्दिष्ट की जाए, न दे दी गई हो ।

(4) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किसी पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् खाली करने में असफल रहने के पश्चात् ही, ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, वस्तुतः पुनःस्थापित या बेदखल किया जाएगा ।

(5) प्रत्येक पथ विक्रेता, जो विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान में सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् पुनःस्थापन करने या उसे खाली करने में असफल रहता है, ऐसे व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए ऐसी शास्ति का, जो दो सौ पचास रुपए तक की, जैसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, हो सकेगी, किन्तु अभिगृहीत माल के मूल्य से अधिक की नहीं होगी, संदाय करने के लिए दायी होगा ।

माल का अभिग्रहण और वापस लिया जाना ।

19. (1) यदि पथ विक्रेता विक्रय प्रमाणपत्र में विनिर्दिष्ट स्थान को धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के व्यपगत होने के पश्चात् खाली करने में असफल रहता है, तो स्थानीय प्राधिकारी धारा 18 के अधीन पथ विक्रेता को बेदखल करने के अतिरिक्त, यदि वह आवश्यक समझे, ऐसे पथ विक्रेता के माल का ऐसी रीति में, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, अभिग्रहण कर सकेगा :

परंतु जहां कोई ऐसा अभिग्रहण किया जाता है, वहां स्कीम में विनिर्दिष्ट रूप में अभिगृहीत माल की एक सूची तैयार की जाएगी और माल का अभिग्रहण करने वाले प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित उसकी एक प्रति पथ विक्रेता को जारी की जाएगी ।

(2) पथ विक्रेता, जिसका माल, उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत किया गया है, अपने माल को ऐसी रीति में और ऐसी फीस का, जो स्कीम में विनिर्दिष्ट की जाए, संदाय करने के पश्चात् वापस ले सकेगा :

परंतु खराब न होने वाले माल की दशा में, स्थानीय प्राधिकारी, पथ विक्रेता द्वारा किए गए दावे के दो कार्य दिवसों के भीतर माल को छोड़ देगा और खराब होने वाले माल की दशा में, स्थानीय प्राधिकारी, पथ विक्रेता द्वारा किए गए दावे के दिन ही माल को छोड़ देगा ।

अध्याय 5

विवाद समाधान तंत्र

पथ विक्रेताओं की शिकायतों को दूर किया जाना या विवादों का समाधान किया जाना ।

20. (1) समुचित सरकार, उपधारा (2) के अधीन प्राप्त आवेदनों के विनिश्चय के प्रयोजन के लिए अध्यक्ष, जो सिविल न्यायाधीश या न्यायिक मजिस्ट्रेट रहा हो और दो अन्य वृत्तिकों से, जिनके पास ऐसा अनुभव हो जो विहित किया जाए, से मिलकर बनने वाली एक या अधिक समितियों का गठन कर सकेगी :

परंतु समुचित सरकार के किसी भी कर्मचारी या स्थानीय प्राधिकारी को, समिति का सदस्य नियुक्त नहीं किया जाएगा ।

(2) प्रत्येक पथ विक्रेता, जिसको कोई शिकायत है या जिसका कोई विवाद है, उपधारा (1) के अधीन गठित समिति को लिखित में ऐसे प्ररूप और रीति में आवेदन कर सकेगा, जो विहित की जाए ।

(3) उपधारा (2) के अधीन शिकायत या विवाद के प्राप्त होने पर, उपधारा (1) में निर्दिष्ट समिति, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सत्यापन और जांच करने के पश्चात्, ऐसी शिकायत को दूर करने या ऐसे विवाद का समाधान करने के लिए ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में उपाय करेगी जो विहित की जाए ।

(4) ऐसा कोई व्यक्ति, जो समिति के विनिश्चय से व्यथित है, स्थानीय प्राधिकारी को ऐसे प्ररूप में ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में अपील कर सकेगा जो विहित की जाए ।

(5) स्थानीय प्राधिकारी, उपधारा (4) के अधीन प्राप्त अपील का निपटारा ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में करेगा, जो विहित की जाए :

परन्तु स्थानीय प्राधिकारी अपील का निपटारा करने के पूर्व व्यथित व्यक्ति को सुने जाने का अवसर प्रदान करेगा ।

अध्याय 6

पथ विक्रय योजना

पथ विक्रय संबंधी योजना ।

21. (1) प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी योजना प्राधिकारी के परामर्श से और नगर विक्रय समिति की सिफारिशों पर प्रत्येक पांच वर्ष में एक बार पथ विक्रेताओं के व्यवसाय के संवर्धन के लिए पहली अनुसूची में अन्तर्विष्ट विषयों से युक्त एक योजना बनाएगा।

(2) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा तैयार की गई पथ विक्रय संबंधी योजना, समुचित सरकार को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाएगी और वह सरकार, योजना को अधिसूचित करने के पूर्व पथ विक्रेताओं को लागू होने वाले मानदंड अवधारित करेगी ।

अध्याय 7

नगर विक्रय समिति

नगर विक्रय समिति ।

22. (1) समुचित सरकार, इस निमित्त बनाए गए नियमों द्वारा प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में एक नगर विक्रय समिति की अवधि और उसके गठन की रीति का उपबंध कर सकेगी :

परन्तु यदि समुचित सरकार आवश्यक समझे तो वह प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण में, एक से अधिक नगर विक्रय समितियों के या प्रत्येक जोन या वार्ड के लिए एक नगर विक्रय समिति के गठन का उपबंध कर सकेगी ।

(2) प्रत्येक नगर विक्रय समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) यथास्थिति, नगरपालिका आयुक्त या मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जो चेयरपर्सन होगा ; और

(ख) समुचित सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उतने अन्य सदस्य जो विहित किए जाएं जो स्थानीय प्राधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण का चिकित्सा अधिकारी, योजना प्राधिकारी, यातायात पुलिस, पुलिस, पथ विक्रेता संगम, बाजार संगम, व्यापारी संगम, गैर-सरकारी संगठन, समुदाय आधारित संगठन, निवासी कल्याण संगम, बैंक और ऐसे अन्य हितों का, जो वह उचित समझे, प्रतिनिधित्व करते हों ;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों और समुदाय आधारित संगठनों का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या दस प्रतिशत से कम नहीं होगी ;

(घ) पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों की संख्या चालीस प्रतिशत से कम नहीं होगी जो स्वयं पथ विक्रेताओं द्वारा ऐसी रीति में निर्वाचित किए जाएंगे, जो विहित की जाए :

परंतु पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले एक-तिहाई सदस्य महिला विक्रेताओं में से होंगे :

परंतु यह और कि पथ विक्रेताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों में से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों और निःशक्त व्यक्तियों को सम्यक् प्रतिनिधित्व दिया जाएगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट चेयरपर्सन और सदस्य ऐसे भत्ते अभिप्राप्त करेंगे जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

नगर विक्रय समिति की बैठकें ।

23. (1) नगर विक्रय समिति की बैठकें स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता के भीतर ऐसे समय और स्थानों पर होंगी और वह अपनी बैठकों के कार्य संचालन के संबंध में ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन और ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेगी जो विहित किए जाएं ।

(2) नगर विक्रय समिति का प्रत्येक विनिश्चय, ऐसा विनिश्चय करने के कारणों सहित, अधिसूचित किया जाएगा ।

विशिष्ट प्रयोजनों के लिए नगर विक्रय समिति के साथ व्यक्तियों को अस्थायी रूप से सहयुक्त किया जाना ।

24. (1) नगर विक्रय समिति इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे किसी व्यक्ति को, जिसकी सहायता या सलाह की वह वांछा करे अपने साथ ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजनों के लिए सहयुक्त कर सकेगी, जो विहित किए जाएं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन सहयुक्त व्यक्ति को ऐसे भत्तों का संदाय किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

नगर विक्रय समिति के लिए कार्यालय स्थल और अन्य कर्मचारी ।

25. स्थानीय प्राधिकारी, नगर विक्रय समिति को समुचित कार्यालय स्थल और उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा, जितने विहित किए जाएं ।

पथ विक्रेता चार्टर और डाटा-बेस का प्रकाशन और सामाजिक संपरीक्षा का किया जाना ।

26. (1) प्रत्येक नगर विक्रय समिति, पथ विक्रेता चार्टर का प्रकाशन करेगी जिसमें उस समय को, जिसके भीतर किसी पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और उस समय को, जिसके भीतर ऐसे विक्रय प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जाएगा और उन अन्य क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जो उसमें विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर किए जाने होंगे ।

(2) प्रत्येक नगर विक्रय समिति, रजिस्ट्रीकृत पथ विक्रेताओं और ऐसे पथ विक्रेताओं के जिनको विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया है, अद्यतन अभिलेख जिनमें पथ विक्रेता

का नाम, उसे आबंटित स्टाल, उसके द्वारा किए जा रहे कारबार की प्रकृति, पथ विक्रय का प्रवर्ग और ऐसी अन्य विशिष्टियां, जो पथ विक्रेताओं से सुसंगत हों, समाविष्ट हों, ऐसी रीति में बनाए रखेगी, जो विहित की जाए ।

(3) प्रत्येक नगर विक्रय समिति अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या स्कीमों के अधीन अपने क्रियाकलापों की सामाजिक संपरीक्षा ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से कराएगी जो स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

अध्याय 8

पथ विक्रेताओं के उत्पीड़न का निवारण

पुलिस और अन्य प्राधिकारियों द्वारा उत्पीड़न का निवारण।

27. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे किसी पथ विक्रेता को, जो अपने विक्रय प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों के अनुसार पथ विक्रय संबंधी क्रियाकलाप करता है, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने वाले किसी व्यक्ति या पुलिस या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने से निवारित नहीं किया जाएगा ।

अध्याय 9

दांडिक उपबंध

उल्लंघन के लिए शास्ति ।

28. यदि कोई पथ विक्रेता—

(क) विक्रय प्रमाणपत्र के बिना विक्रय क्रियाकलापों में लिप्त होता है ;

(ख) विक्रय प्रमाणपत्र के निबंधनों का उल्लंघन करता है ; या

(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या स्कीमों के अधीन पथ विक्रय को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किन्हीं अन्य निबंधनों और शर्तों का उल्लंघन करता है,

तो वह ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी शास्ति के लिए जैसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, और जो दो हजार रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

इस अधिनियम के उपबंधों का स्वामित्व संबंधी अधिकार आदि प्रदत्त करने के रूप में अर्थान्वयन न किया जाना ।

29. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी पथ विक्रेता को उन विक्रय जोनों में जो उसे आबंटित किए गए हैं विक्रय संबंधी क्रियाकलाप करने या ऐसे किसी अन्य स्थान के संबंध में, जहां पर वह ऐसे विक्रय संबंधी क्रियाकलाप करता है, कोई अस्थायी, स्थायी या शाश्वत अधिकार प्रदान करती है ।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात किसी स्थिर विक्रेता को उस दशा में लागू नहीं होगी यदि उसे किसी पट्टा विलेख द्वारा या अन्यथा ऐसे किसी विनिर्दिष्ट अवस्थान पर, जहां वह तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों के अनुसार ऐसे विक्रय संबंधी क्रियाकलाप करता है, किसी स्थान के संबंध में ऐसे विक्रय संबंधी क्रियाकलाप करने के लिए कोई अस्थायी पट्टाधृति या स्वामित्व संबंधी अधिकार प्रदत्त किया गया है ।

विवरणियां ।

30. प्रत्येक नगर विक्रय समिति समय-समय पर समुचित सरकार और स्थानीय प्राधिकारी को ऐसी विवरणियां प्रस्तुत करेगी जो विहित की जाएं ।

संवर्धनकारी उपाय ।

31. समुचित सरकार, नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण और पथ विक्रेता संगमों या संघों के साथ परामर्श करके, पथ विक्रेताओं को प्रत्यय, बीमा और सामाजिक सुरक्षा की अन्य कल्याणकारी स्कीमें उपलब्ध कराने के लिए संवर्धनकारी उपाय कर सकेगी ।

अनुसंधान, प्रशिक्षण और जागरुकता ।

32. समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के परिमाण तक,—

(क) इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग करने के लिए पथ विक्रेताओं को समर्थ बनाने हेतु, क्षमता वर्धन कार्यक्रमों का आयोजन कर सकेगी ;

(ख) अर्थव्यवस्था में साधारणतया अनौपचारिक सेक्टर और विशिष्टतया पथ विक्रेताओं की भूमिका संबंधी जानकारी और समझ की अभिवृद्धि के लिए तथा जनसाधारण में नगर विक्रय समिति के माध्यम से जागरुकता बढ़ाने के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अपने हाथ में ले सकेगी ।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना ।

33. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी अन्य लिखत में, जिसका इस अधिनियम से भिन्न किसी विधि के आधार पर प्रभाव है, अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

प्रत्यायोजित करने की शक्ति ।

34. समुचित सरकार, लिखित साधारण या विशेष आदेश द्वारा, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियों (धारा 38 के अधीन स्कीम विरचित करने की शक्ति और धारा 36 के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर) और ऐसे कृत्यों को, जो वह आवश्यक समझे, स्थानीय प्राधिकारी या नगर विक्रय समिति या किसी अन्य अधिकारी को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रत्यायोजित कर सकेगी ।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति ।

35. (1) समुचित सरकार द्वारा की गई सिफारिशों पर या अन्यथा, यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, अधिसूचना द्वारा, अनुसूचियों का संशोधन कर सकेगी और ऐसा होने पर, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित हुई समझी जाएगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना की एक प्रति, जारी किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

36. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष के भीतर, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, अधिसूचना द्वारा बनाएगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन पथ विक्रय के लिए आयु ;

(ख) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन स्थानीय प्राधिकारी को अपील फाइल करने का प्ररूप, अवधि और रीति ;

(ग) धारा 20 की उपधारा (1) के अधीन ऐसे व्यक्ति और ऐसा अनुभव, जो ऐसे व्यक्ति के पास होना होगा ;

(घ) धारा 20 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(ङ) शिकायत या विवाद के प्राप्त होने पर, धारा 20 की उपधारा (3) के अधीन सत्यापन और जांच करने की रीति, वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिसमें शिकायतों को दूर करने और विवादों का समाधान करने के उपाय किए जा सकेंगे ;

(च) वह प्ररूप, जिसमें, वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिसमें धारा 20 की उपधारा (4) के अधीन अपील फाइल की जा सकेगी ;

(छ) वह समय जिसके भीतर और वह रीति जिसमें धारा 20 की उपधारा (5) के अधीन अपील का निपटारा किया जाएगा ;

(ज) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन नगर विक्रय समिति की अवधि और उसके गठन की रीति ;

(झ) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन नगर विक्रय समिति के अन्य सदस्यों की संख्या ;

(ञ) धारा 22 की उपधारा (2) के खंड (घ) के अधीन पथ विक्रेताओं में से निर्वाचनों की रीति ;

(ट) धारा 22 की उपधारा (3) के अधीन चेयरपर्सन और सदस्यों के भत्ते ;

(ठ) धारा 23 के अधीन नगर विक्रय समिति की बैठक का समय और स्थान, बैठकों में कार्य संचालन की प्रक्रिया और उसके द्वारा निर्वहन किए जाने वाले कृत्य ;

(ड) वह रीति और प्रयोजन जिसके लिए धारा 24 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को सहयुक्त किया जा सकेगा ;

(ढ) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन सहयुक्त किसी व्यक्ति को संदत्त किए जाने वाले भत्ते ;

(ण) धारा 25 के अधीन नगर विक्रय समिति के अन्य कर्मचारी ;

(त) धारा 26 की उपधारा (2) के अधीन सभी पथ विक्रेताओं के अभिलेख अद्यतन बनाए रखने की रीति ;

(थ) धारा 30 के अधीन प्रस्तुत की जाने वाली विवरणियां ;

(द) धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन स्कीम का सार प्रकाशित करने की रीति।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और बनाई गई प्रत्येक स्कीम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा/रखी जाएगी । यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या स्कीम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा/होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए या स्कीम नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा/जाएगी । किन्तु नियम या स्कीम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उस नियम या स्कीम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

(4) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या बनाई गई प्रत्येक स्कीम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान-मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा/रखी जाएगी ।

उपविधियां बनाने की शक्ति ।

37. स्थानीय प्राधिकारी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या स्कीम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध करने के लिए उपविधियां बना सकेगा, अर्थात् :—

(क) निर्बंधन मुक्त विक्रय जोनों, निर्बंधित विक्रय जोनों और अभिहित विक्रय जोनों में विक्रय का विनियमन और रीति ;

(ख) धारा 17 के अधीन विक्रय जोनों में नागरिक सुख-सुविधाओं और सुविधाओं के लिए मासिक अनुरक्षण प्रभारों का अवधारण ;

(ग) धारा 18 की उपधारा (5) और धारा 28 के अधीन शास्ति का अवधारण ;

(घ) विक्रय जोनों में करों और फीसों के संग्रहण का विनियमन ;

(ङ) विक्रय जोनों में यातायात का विनियमन ;

(च) विक्रय जोनों में जनसाधारण को उपलब्ध कराए गए उत्पादों और सेवाओं की क्वालिटी का विनियमन और लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुरक्षा मानकों का बनाए रखा जाना ;

(छ) विक्रय जोनों में नागरिक सेवाओं का विनियमन ; और

(ज) विक्रय जोनों में ऐसे अन्य विषयों का विनियमन जो आवश्यक हों ।

पथ विक्रेताओं के लिए स्कीम ।

38. (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, समुचित सरकार स्थानीय प्राधिकारी और नगर विक्रय समिति के साथ सम्यक् परामर्श करने के पश्चात्, इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से छह मास के भीतर अधिसूचना द्वारा, एक स्कीम विरचित करेगी जिसमें दूसरी अनुसूची में उपबंधित सभी या किन्हीं विषयों को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा ।

(2) समुचित सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित स्कीम का सार, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा, कम से कम दो स्थानीय समाचारपत्रों में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, प्रकाशित किया जाएगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

39. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

पहली अनुसूची

(धारा 21 देखिए)

पथ विक्रय योजना

(1) पथ विक्रय योजना में,—

(क) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उन सभी विद्यमान पथ विक्रेताओं को, जिनकी सर्वेक्षण में पहचान की गई है, ऐसे सन्नियम के अधीन रहते हुए, जो, यथास्थिति, वार्ड, जोन, नगर या शहर की जनसंख्या के ढाई प्रतिशत के अनुरूप हो, पथ विक्रय योजना में स्थान उपलब्ध कराए जाएं ;

(ख) यात्रियों के निर्बाध आवागमन और बिना किसी अड़चन के सड़कों का उपयोग करने के अधिकार को सुनिश्चित किया जाएगा ;

(ग) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पथ विक्रय के स्थान या क्षेत्र की व्यवस्था युक्तियुक्त और विद्यमान प्राकृतिक बाजारों से संगत हो ;

(घ) विक्रय जोनों के रूप में पहचान किए गए स्थानों या क्षेत्रों का समुचित उपयोग किए जाने के लिए नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखा जाएगा ;

(ङ) माल के वितरण तथा सेवाओं के उपबंध का सुविधाजनक, दक्षतापूर्ण और कारगर लागत के रूप में संवर्धन किया जाएगा ;

(च) ऐसे अन्य विषय होंगे, जो पथ विक्रय योजना को प्रभावी करने के लिए स्कीम में विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

(2) पथ विक्रय योजना में निम्नलिखित सभी विषय अंतर्विष्ट होंगे, अर्थात् :—

(क) पथ विक्रय के लिए स्थानिक योजना मानदंडों का अवधारण ;

(ख) विक्रय जोनों के लिए स्थान या क्षेत्र का चिह्नांकन ;

(ग) विक्रय जोनों का निर्बंधन मुक्त विक्रय जोनों, निर्बंधित विक्रय जोनों और विक्रय-निषेध जोनों के रूप में अवधारण ;

(घ) ऐसी स्थानिक योजनाओं का ऐसे मानदंड अपनाकर, जो आवश्यक हों, बनाया जाना, जो उस नगर या शहर में पथ विक्रेताओं की विद्यमान संख्या के लिए और भावी बढ़ोतरी के लिए भी सहायक और पर्याप्त हों ;

(ङ) ऐसे पारिणामिक परिवर्तन, जिनकी अभिहित विक्रय जोनों में पथ विक्रेताओं को स्थान-सुविधा उपलब्ध कराने के लिए विद्यमान महायोजना (मास्टर प्लान), विकास योजना, आंचलिक योजना (जोनल प्लान), अभिन्यास योजना और किसी अन्य योजना में आवश्यकता है ।

(3) विक्रय निषेध जोन की घोषणा निम्नलिखित सिद्धांतों के अधीन रहते हुए पथ विक्रय योजना द्वारा क्रियान्वित की जाएगी, अर्थात् :—

(क) ऐसे किसी विद्यमान बाजार या प्राकृतिक बाजार को, जिसकी सर्वेक्षण के अधीन पहचान की गई है, विक्रय निषेध जोन घोषित नहीं किया जाएगा ;

(ख) विक्रय निषेध जोन की घोषणा ऐसी रीति में की जाएगी जिससे पथ विक्रेताओं की न्यूनतम प्रतिशतता विस्थापित हो ;

(ग) किसी क्षेत्र को विक्रय निषेध जोन घोषित करने के लिए किसी स्थान की भीड़-भाड़ आधार नहीं होगी परन्तु ऐसे क्षेत्रों में उन व्यक्तियों को, जिनकी सर्वेक्षण में पथ विक्रेताओं के रूप में पहचान नहीं की गई है, विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए जाने पर निर्बंधन लगाए जा सकते हैं ;

(घ) किसी क्षेत्र को विक्रय निषेध जोन घोषित करने के लिए एकमात्र स्वच्छता की समस्या आधार नहीं होगी जब तक कि ऐसी समस्या पथ विक्रेताओं के कारण पैदा हुई न समझी गई हो और उसकी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा समुचित नागरिक कार्रवाई के माध्यम से समाधान न हो सकता हो ;

(ङ) उस समय तक, जब तक कि सर्वेक्षण कार्यान्वित न हो जाए और पथ विक्रय योजना तैयार न हो जाए, किसी भी जोन को, विक्रय निषेध जोन घोषित नहीं किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 38 देखिए)

समुचित सरकार द्वारा पथ विक्रेताओं के संबंध में विरचित स्कीम में उपबंधित किए जाने वाले विषय :—

(क) सर्वेक्षण करने की रीति ;

(ख) वह अवधि जिसके भीतर उन पथ विक्रेताओं को जिनकी सर्वेक्षण के अधीन पहचान की गई है विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे ;

(ग) वे निबंधन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए विक्रय प्रमाणपत्र ऐसे किसी पथ विक्रेता को, जिसके अंतर्गत ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो दो सर्वेक्षणों की मध्यवर्ती अवधि के दौरान पथ विक्रय का कार्य करना चाहते हैं, जारी किया जा सकेगा ;

(घ) ऐसा प्ररूप और रीति, जिसमें किसी पथ विक्रेता को विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया जा सकेगा ;

(ङ) पथ विक्रेताओं को पहचान-पत्र जारी करने का प्ररूप और रीति ;

(च) पथ विक्रेताओं को विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए जाने संबंधी मानदंड ;

(छ) पथ विक्रय के प्रवर्ग के आधार पर संदत्त की जाने वाली विक्रय फीस, जो भिन्न-भिन्न शहरों के लिए भिन्न-भिन्न हो सकेगी ;

(ज) चल स्टालों के रजिस्ट्रीकरण, उनके लिए पार्किंग स्थल के उपयोग के लिए और नागरिक सुख-सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए बैंकों, स्थानीय प्राधिकरण के पटलों और नगर विक्रय समिति के पटलों के माध्यम से विक्रय फीस, अनुरक्षण प्रभारों और शास्तियों का संग्रहण करने की रीति ;

(झ) विक्रय प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि ;

(ञ) वह अवधि, जिसके लिए और वह रीति, जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र का नवीकरण किया जा सकेगा और ऐसे नवीकरण की फीस ;

(ट) वह रीति जिसमें विक्रय प्रमाणपत्र को निलंबित या रद्द किया जा सकेगा ;

(ठ) स्थिर विक्रेताओं और चल विक्रेताओं से भिन्न पथ विक्रेताओं के प्रवर्ग ;

(ड) व्यक्तियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग, जिन्हें विक्रय प्रमाणपत्र जारी किए जाने में अधिमान दिया जाना होगा ;

(ढ) वह लोक प्रयोजन, जिसके लिए किसी पथ विक्रेता का पुनःस्थापन किया जा सकेगा और पथ विक्रेता के पुनःस्थापन की रीति ;

(ण) किसी पथ विक्रेता को बेदखल करने की रीति ;

(त) किसी पथ विक्रेता को बेदखल करने के लिए सूचना देने की रीति ;

(थ) किसी पथ विक्रेता को बेदखल करने में असफल रहने पर वस्तुतः बेदखल करने की रीति ;

(द) स्थानीय प्राधिकारी द्वारा माल के अभिग्रहण की रीति, जिसके अंतर्गत अभिगृहीत माल की सूची का तैयार किया जाना और उसे जारी किया जाना भी सम्मिलित है ;

(ध) पथ विक्रेता द्वारा अभिगृहीत माल को वापस लेने की रीति और उसी के लिए फीस ;

(न) नगर विक्रय समिति के क्रियाकलापों की सामाजिक संपरीक्षा करने का प्ररूप और रीति ;

(प) वे शर्तें, जिनके अधीन निजी स्थानों को निर्बंधन मुक्त विक्रय जोन, निर्बंधित विक्रय जोन और विक्रय निषेध जोन अभिहित किया जा सकेगा ;

(फ) पथ विक्रय के लिए ऐसे निबंधन और शर्तें, जिनके अंतर्गत लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता बनाए रखने के लिए पालन किए जाने वाले सन्नियम भी हैं ;

(ब) राज्य स्तर पर पथ विक्रय से संबंधित सभी विषयों का समन्वय करने के लिए राज्य नोडल अधिकारी को पदाभिहित किया जाना ;

(भ) नगर विक्रय समिति, स्थानीय प्राधिकरण, योजना प्राधिकरण और राज्य नोडल अधिकारी द्वारा पथ विक्रेताओं के संबंध में समुचित अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को बनाए रखने की रीति ;

(म) समय विभाजन के आधार पर विक्रय क्रियाकलाप करने की रीति ;

(य) विक्रय जोनों का, निर्बंधन मुक्त जोनों, निर्बंधित विक्रय जोनों और विक्रय निषेध जोनों के रूप में अवधारण करने के सिद्धांत ;

(यक) विक्रय जोनों की धारण क्षमता का अवधारण करने के सिद्धांत और व्यापक जनगणना तथा सर्वेक्षण कार्य हाथ में लेने की रीति ;

(यख) निम्नलिखित के अधीन रहते हुए पुनःस्थापन के सिद्धांत—

(i) जब तक प्रश्नगत भूमि के लिए स्पष्ट और अत्यावश्यकता न हो पुनःस्थापन यथासंभव नहीं किया जाना चाहिए ;

(ii) प्रभावित विक्रेताओं या उनके प्रतिनिधियों को, पुनर्वासन की योजना बनाने और उसके कार्यान्वयन में अंतर्वलित किया जाएगा ;

(iii) प्रभावित विक्रेताओं को पुनःस्थापित किया जाएगा जिससे कि उनकी आजीविका और जीवन स्तर में सुधार हो सके या कम से कम उन्हें यथार्थ रूप में बेदखल किए जाने के पूर्व के स्तर तक प्रत्यावर्तित किया जा सके ;

(iv) नई अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाओं द्वारा सृजित आजीविका के अवसर विस्थापित विक्रेताओं को प्रदान किया जाना जिससे वे नई अवसंरचना द्वारा सृजित आजीविका के अवसरों का लाभ उठा सकें ;

(v) आस्तियों की हानि नहीं होने दी जाएगी और यदि कोई हानि होती है तो, उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी ;

(vi) भूमि में हक या अन्य हित का किसी अंतरण से उस भूमि पर पथ विक्रेताओं के अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप कोई भी पुनःस्थापन इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(vii) राज्य तंत्र बलात् बेदखलियों की पद्धति पर रोक लगाने और उसे नियंत्रित करने के लिए व्यापक उपाय करेगा ;

(viii) ऐसे प्राकृतिक बाजारों को जहां पथ विक्रेताओं ने पचास से अधिक वर्ष तक कारबार किया है, विरासत बाजार घोषित किया जाएगा और ऐसे बाजारों में पथ विक्रेताओं को पुनःस्थापित नहीं किया जाएगा ;

(यग) कोई अन्य विषय जिसे इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए स्कीम में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 10)

[4 मार्च, 2014]

बुंदेलखंड क्षेत्र में कृषि के विकास के लिए तथा कृषि और सहबद्ध विज्ञान संबंधी विद्या और अनुसंधान कार्य की अभिवृद्धि को अग्रसर करने के लिए एक विश्वविद्यालय की स्थापना और उसका निगमन करने तथा उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में ज्ञात संस्था का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाने का है, यह घोषित किया जाता है कि रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात संस्था राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है। रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करना।

3. इस अधिनियम में और इसके अधीन बनाए गए, सभी परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) "विद्या परिषद्" से विश्वविद्यालय की विद्या परिषद् अभिप्रेत है;

(ख) ''शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द'' से ऐसे प्रवर्ग के कर्मचारिवृन्द अभिप्रेत हैं, जो अध्यादेशों द्वारा शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द अभिहित किए जाएं;

(ग) ''कृषि'' से मृदा और जल प्रबंध संबंधी बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान, फसल उत्पादन, जिसके अन्तर्गत सभी उद्यान फसलों का उत्पादन, पौधों, नाशकजीवों और रोगों का नियंत्रण भी है, उद्यान-कृषि, जिसके अन्तर्गत पुष्प विज्ञान भी है, पशुपालन, जिसके अंतर्गत पशु चिकित्सा और दुग्ध विज्ञान भी है, मत्स्य उद्योग, वन विज्ञान, जिसके अन्तर्गत फार्म वन विज्ञान भी हैं, गृह विज्ञान, कृषि इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी, कृषि तथा पशुपालन उत्पादों का विपणन और प्रसंस्करण, भू-उपयोग और प्रबंध अभिप्रेत है;

(घ) ''बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का प्रबंध बोर्ड अभिप्रेत है;

(ङ) ''अध्ययन बोर्ड'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन बोर्ड अभिप्रेत है;

(च) ''बुंदेलखंड'' से वह क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें मध्य प्रदेश के छह जिले, अर्थात् छत्तरपुर, दमोह, दतिया, पन्ना, सागर और टीकमगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के सात जिले, अर्थात् बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर और महोबा समाविष्ट हैं;

(छ) ''कुलाधिपति'' से विश्वविद्यालय का कुलाधिपति अभिप्रेत है;

(ज) ''महाविद्यालय'' से विश्वविद्यालय का घटक महाविद्यालय अभिप्रेत है चाहे वह मुख्यालय, कैम्पस में या अन्यत्र अवस्थित हो;

(झ) ''विभाग'' से विश्वविद्यालय का अध्ययन विभाग अभिप्रेत है;

(ञ) ''कर्मचारी'' से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृन्द हैं;

(ट) ''विस्तारी शिक्षा'' से कृषि, उद्यान-कृषि, मत्स्य उद्योग और उससे संबंधित समुन्नत पद्धतियों तथा कृषि और कृषि उत्पादन से, जिसके अंतर्गत फसलोत्तर प्रौद्योगिकी और विपणन भी हैं, संबंधित वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरणों में काम कर रहे फलोद्यानियों, कृषकों और अन्य समूहों के प्रशिक्षण से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकलाप अभिप्रेत है;

(ठ) ''संकाय'' से विश्वविद्यालय का संकाय अभिप्रेत है;

(ड) ''अध्यादेश'' से विश्वविद्यालय के अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(ढ) ''विनियम'' से विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं;

(ण) ''अनुसंधान सलाहकार समिति'' से विश्वविद्यालय की अनुसंधान सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

(त) ''परिनियम'' से विश्वविद्यालय के परिनियम अभिप्रेत हैं;

(थ) ''छात्र'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विश्वविद्यालय में कोई उपाधि, डिप्लोमा या सम्यक् रूप से संस्थित अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधि अभिप्राप्त करने के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययन करने के लिए नामांकित किया गया है;

(द) ''शिक्षक'' से आचार्य, सह-आचार्य, सहायक आचार्य, अध्यापन संकाय के सदस्य और उनके समतुल्य सदस्य अभिप्रेत हैं जो विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी संस्थान में शिक्षण देने या अनुसंधान या विस्तारी शिक्षा कार्यक्रम या इनके संयोजन का संचालन करने के लिए नियुक्त किए गए हैं और जिन्हें अध्यादेशों द्वारा शिक्षक के रूप में अभिहित किया गया है;

(ध) ''विश्वविद्यालय'' से इस अधिनियम के अधीन स्थापित रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय अभिप्रेत है;

(न) ''कुलपति'' से विश्वविद्यालय का कुलपति अभिप्रेत है;

(प) ''कुलाध्यक्ष'' से विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष अभिप्रेत है।

4. (1) ''रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय'' के नाम से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। विश्वविद्यालय।

(2) विश्वविद्यालय का मुख्यालय उत्तर प्रदेश राज्य के झांसी में होगा और वह अपनी अधिकारिता के भीतर ऐसे अन्य स्थानों पर भी, जो वह ठीक समझे, कैम्पस स्थापित कर सकेगा :

परंतु विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश राज्य में दो महाविद्यालय और उत्तर प्रदेश राज्य के बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी में दो महाविद्यालय स्थापित करेगा।

(3) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति तथा बोर्ड और विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य तथा वे, सभी व्यक्ति जो आगे चलकर ऐसे अधिकारी या सदस्य बनें, जब तक वे ऐसे पद पर बने रहते हैं या उनकी सदस्यता बनी रहती है इसके द्वारा रानी लक्ष्मी बाई केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय के नाम से निगमित निकाय के रूप में गठित किए जाते हैं।

(4) विश्वविद्यालय का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा।

5. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित उद्देश्य होंगे, अर्थात्:— विश्वविद्यालय के उद्देश्य।

(क) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों की विभिन्न शाखाओं में ऐसी शिक्षा देना जो वह ठीक समझे;

(ख) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों में विद्या की अभिवृद्धि करना और अनुसंधान का संचालन करना;

(ग) अपनी अधिकारिता के अधीन राज्यों के जिलों में बुंदेलखंड में विस्तारी शिक्षा के कार्यक्रम चलाना;

(घ) राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के साथ भागीदारी और संपर्क का संवर्धन करना; और

(ङ) ऐसे अन्य क्रियाकलाप करना जो वह समय-समय पर अवधारित करे।

6. विश्वविद्यालय की निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:— विश्वविद्यालय की शक्तियां।

(i) कृषि और सहबद्ध विज्ञानों में शिक्षण के लिए व्यवस्था करना;

(ii) कृषि और विद्या की सहबद्ध शाखाओं में अनुसंधान करने के लिए व्यवस्था करना;

(iii) विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से अनुसंधान और तकनीकी जानकारी संबंधी निष्कर्षों के प्रसार के लिए व्यवस्था करना;

(iv) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अवधारित करे, व्यक्तियों को डिप्लोमा या प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की किसी अन्य रीति के आधार पर उन्हें उपाधियां या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना और उचित तथा पर्याप्त कारण होने पर किसी ऐसे डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों, उपाधियों या अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों को वापस लेना;

(v) परिनियमों द्वारा विहित रीति में सम्मानिक उपाधियां या अन्य विशिष्ट उपाधियां प्रदान करना;

(vi) फील्ड कार्यकर्ताओं, ग्राम नेताओं और ऐसे अन्य व्यक्तियों के लिए, जिन्हें विश्वविद्यालय के नियमित छात्र के रूप में नामांकित नहीं किया गया है व्याख्यान और शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उन्हें ऐसे प्रमाणपत्र प्रदान करना जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं;

(vii) किसी अन्य विश्वविद्यालय या प्राधिकरण या उच्चतर विद्या की संस्था के साथ ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विश्वविद्यालय अवधारित करे, सहकार करना या सहयोग देना या सहयुक्त होना;

(viii) कृषि, उद्यान-कृषि, मत्स्य-उद्योग, वनोद्योग, पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान, दुग्ध उद्योग, गृह विज्ञान और सहबद्ध विज्ञानों से संबंधित यथा आवश्यक महाविद्यालयों की स्थापना करना और उन्हें चलाना;

(ix) ऐसे कैम्पस, विशेष केन्द्र, विशेषित प्रयोगशाला, पुस्तकालय, संग्रहालय या अनुसंधान और संस्था के लिए ऐसी अन्य इकाइयां स्थापित करना और उन्हें चलाना, जो उसकी राय में, उसके उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए आवश्यक हैं;

(x) अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा के पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xi) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य पदों का सृजन करना और उन पर नियुक्तियां करना;

(xii) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, अध्ययनवृत्ति, पदक और पुरस्कार संस्थित करना और प्रदान करना;

(xiii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए स्तरमान अवधारित करना, जिनके अंतर्गत परीक्षा, मूल्यांकन या परीक्षण की कोई अन्य रीति हो सकेगी;

(xiv) छात्रों और कर्मचारियों के लिए निवास-स्थान की व्यवस्था करना और उनका रखरखाव करना;

(xv) विश्वविद्यालय के छात्रों और कर्मचारियों के निवास-स्थानों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य और सामान्य कल्याण की अभिवृद्धि के लिए प्रबंध करना;

(xvi) सभी प्रवर्गों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत उनकी आचार संहिता भी है, अधिकथित करना;

(xvii) छात्रों और कर्मचारियों के अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना तथा इस संबंध में ऐसे अनुशासन संबंधी उपाय करना जो वह आवश्यक समझे;

(xviii) ऐसी फीसों और अन्य प्रभारों को, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं, नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना;

(xix) केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से विश्वविद्यालय की संपत्ति की प्रतिभूति पर विश्वविद्यालय के प्रयोजन के लिए धन उधार लेना;

(xx) अपने प्रयोजनों के लिए उपकृति, संदान और दान प्राप्त करना और किसी स्थावर या जंगम संपत्ति को, जिसके अंतर्गत न्यास और विन्यास संपत्तियां भी हैं, अर्जित करना, धारण करना, उसका प्रबन्ध और व्ययन करना;

(xxi) ऐसे अन्य सभी कार्य और बातें करना जो उसके सभी या किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या साधक हों।

अधिकारिता।

7. (1) कृषि के क्षेत्र में विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन, अनुसंधान और विस्तारी शिक्षा के कार्यक्रमों की बाबत विश्वविद्यालय की अधिकारिता और उत्तरदायित्व का विस्तार संपूर्ण देश पर होगा और प्राथमिकता बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण के अधीन स्थापित होने वाले सभी महाविद्यालय, अनुसंधान और प्रयोग केन्द्र या अन्य संस्थाएं, उनके अधिकारियों और प्राधिकरणों के पूर्ण प्रबंध या नियंत्रण के अधीन

उसकी घटक इकाइयों के रूप में होंगी तथा ऐसी किसी भी इकाई को सहबद्ध इकाई के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी।

(3) विश्वविद्यालय, फील्ड विस्तार कार्यकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व ग्रहण कर सकेगा और ऐसे प्रशिक्षण केन्द्रों का विकास कर सकेगा जो उसकी अधिकारिता के अधीन राज्यों के विभिन्न भागों में अपेक्षित हों।

8. विश्वविद्यालय सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए चाहे वे किसी भी जाति, पंथ, मूलवंश या वर्ग के हों, खुला होगा और विश्वविद्यालय के लिए यह विधिपूर्ण नहीं होगा कि वह किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय के शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने या उसमें कोई अन्य पद धारण करने या विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश पाने या उसमें स्नातक की उपाधि प्राप्त करने या उसके किसी विशेषाधिकार का उपभोग या प्रयोग करने का हकदार बनाने के लिए किसी धार्मिक विश्वास या मान्यता संबंधी कोई मानदण्ड अपनाए या उस पर अधिरोपित करे : विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना।

परन्तु इस धारा की कोई बात विश्वविद्यालय को महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों या समाज के दुर्बल वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति और अन्य सामाजिक या शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के नागरिकों के नियोजन या प्रवेश के लिए विशेष उपबंध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष होगा। कुलाध्यक्ष।

(2) उपधारा (3) और उपधारा (4) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, कुलाध्यक्ष को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जिन्हें वह निदेश दे, विश्वविद्यालय, उसके भवनों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, संग्रहालयों, कार्यशालाओं और उपस्करों का और किसी संस्था या महाविद्यालय का और विश्वविद्यालय द्वारा संचालित या परीक्षा, दिए गए शिक्षण और किए गए अन्य कार्य का भी निरीक्षण कराने का और विश्वविद्यालय के प्रशासन और वित्त से संबंधित किसी मामले की बाबत उसी रीति से जांच कराने का अधिकार होगा।

(3) कुलाध्यक्ष, प्रत्येक मामले में निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को देगा और विश्वविद्यालय को, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन या ऐसी अन्य अवधि के भीतर जो कुलाध्यक्ष अवधारित करे, उसको ऐसे अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा, जो वह आवश्यक समझे।

(4) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच करा सकेगा जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट है।

(5) जहां कुलाध्यक्ष द्वारा कोई निरीक्षण या जांच कराई जाती है वहां विश्वविद्यालय एक प्रतिनिधि नियुक्त करने का हकदार होगा जिसे ऐसे निरीक्षण या जांच में स्वयं हाजिर होने और सुने जाने का अधिकार होगा।

(6) कुलाध्यक्ष ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणाम के संदर्भ में कुलपति को संबोधित कर सकेगा और उस पर कार्रवाई करने के संबंध में ऐसे विचार और ऐसी सलाह दे सकेगा जो कुलाध्यक्ष देना चाहे, और कुलाध्यक्ष से संबोधन की प्राप्ति पर कुलपति, बोर्ड को निरीक्षण या जांच के परिणाम और कुलाध्यक्ष के विचार तथा उस पर की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में उसके द्वारा दी गई सलाह तुरन्त सूचित करेगा।

(7) बोर्ड, कुलपति के माध्यम से कुलाध्यक्ष को वह कार्रवाई, यदि कोई हो, संसूचित करेगा जो वह ऐसे निरीक्षण या जांच के परिणामस्वरूप करने की प्रस्थापना करता है या उसके द्वारा की गई है।

(8) जहां बोर्ड, कुलाध्यक्ष के समाधानप्रद रूप में कोई कार्रवाई उचित समय के भीतर नहीं करता है वहां कुलाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण या किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के पश्चात्, ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह ठीक समझे और बोर्ड ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय की किसी ऐसी कार्रवाई को, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है, लिखित आदेश द्वारा, निष्प्रभाव कर सकेगा :

परन्तु ऐसा कोई आदेश करने के पहले वह विश्वविद्यालय से इस बात का कारण बताने की अपेक्षा करेगा कि ऐसा आदेश क्यों न किया जाए और यदि उचित समय के भीतर कोई कारण बताया जाता है, तो वह उस पर विचार करेगा।

(10) कुलाध्यक्ष को ऐसी अन्य शक्तियां होंगी जो परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

विश्वविद्यालय के अधिकारी।

10. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित अधिकारी होंगे, अर्थात्:—

(1) कुलाधिपति;

(2) कुलपति;

(3) संकायाध्यक्ष;

(4) निदेशक;

(5) कुलसचिव;

(6) नियंत्रक;

(7) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष; और

(8) ऐसे अन्य अधिकारी, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

कुलाधिपति।

11. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलाधिपति, अपने पदाभिधान से विश्वविद्यालय का प्रधान होगा।

(3) कुलाधिपति, यदि उपस्थित हो तो वह उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित किए जाने वाले विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

कुलपति।

12. (1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर साधारण पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण रखेगा और विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को कार्यान्वित करेगा।

(3) कुलपति, यदि उसकी यह राय है कि किसी मामले में तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक है तो वह किसी ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त है और अपने द्वारा ऐसे मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट उस प्राधिकरण को देगा :

परन्तु यदि संबंधित प्राधिकरण की यह राय है कि ऐसी कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी तो वह ऐसा मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर सकेगा जिस पर उसका विनिश्चय अन्तिम होगा :

परन्तु यह और कि विश्वविद्यालय की सेवा में किसी ऐसे व्यक्ति को, जो कुलपति द्वारा इस उपधारा के अधीन की गई कार्रवाई से व्यथित है, यह अधिकार होगा कि जिस तारीख को ऐसी कार्रवाई का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाता है उससे तीन मास के भीतर वह उस कार्रवाई के विरुद्ध अपील बोर्ड से करे और तब बोर्ड, कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई को पुष्ट कर सकेगा, उपांतरित कर सकेगा या उसे उलट सकेगा।

(4) कुलपति यदि उसकी यह राय है कि विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई विनिश्चय इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है या किया गया विनिश्चय विश्वविद्यालय के हित में नहीं है, तो वह संबंधित प्राधिकरण से अपने विनिश्चय का ऐसे विनिश्चय के साठ दिन के भीतर पुनर्विलोकन करने के लिए कह सकेगा और यदि वह प्राधिकरण उस

विनिश्चय का पूर्णतः या भागतः पुनर्विलोकन करने से इन्कार करता है या उसके द्वारा साठ दिन की उक्त अवधि के भीतर कोई विनिश्चय नहीं किया गया है, तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

13. प्रत्येक संकायाध्यक्ष और प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। संकायाध्यक्ष और निदेशक।

14. (1) कुलसचिव की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए। कुलसचिव।

(2) कुलसचिव को विश्वविद्यालय की ओर से करार करने, दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने और अभिलेखों को अधिप्रमाणित करने की शक्ति होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

15. नियंत्रक की नियुक्ति ऐसी रीति से की जाएगी और वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं। नियंत्रक।

16. विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की रीति तथा उनकी शक्तियां और कर्तव्य परिनियमों द्वारा यथाविहित होंगे। अन्य अधिकारी।

17. विश्वविद्यालय के निम्नलिखित प्राधिकरण होंगे, अर्थात्:— विश्वविद्यालय के प्राधिकरण।

(1) प्रबंध बोर्ड;

(2) विद्या परिषद्;

(3) अनुसंधान परिषद्;

(4) विस्तारी शिक्षा परिषद्;

(5) वित्त समिति;

(6) संकाय और अध्ययन बोर्ड; और

(7) ऐसे अन्य प्राधिकरण, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

18. (1) प्रबंध बोर्ड, विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक निकाय होगा। प्रबंध बोर्ड।

(2) बोर्ड का गठन, उसके सदस्यों की पदावधि और उसकी शक्तियां तथा उसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

19. (1) विद्या-परिषद् विश्वविद्यालय की प्रधान शैक्षणिक निकाय होगी और वह इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए विश्वविद्यालय के भीतर विद्या, शिक्षा, शिक्षण, मूल्यांकन और परीक्षा का नियंत्रण और साधारण विनियमन करेगी तथा उनके स्तरों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी, जो परिनियमों द्वारा प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं। विद्या-परिषद्।

(2) विद्या परिषद् का गठन और उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

20. अनुसंधान परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। अनुसंधान परिषद्।

21. विस्तारी शिक्षा परिषद् का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे। विस्तारी शिक्षा परिषद्।

वित्त समिति।

22. वित्त समिति का गठन और उसकी शक्तियां और उसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

संकाय।

23. विश्वविद्यालय के ऐसे संकाय होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

अध्ययन बोर्ड।

24. अध्ययन बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और उसके कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।

अन्य प्राधिकरण।

25. धारा 17 के खंड (7) में निर्दिष्ट विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकरणों का गठन, उनकी शक्तियां और उनके कृत्य वे होंगे, जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाएं।

परिनियम बनाने की शक्ति।

26. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, परिनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का, जो समय-समय पर गठित किए जाएं, गठन, शक्तियां और कृत्य;

(ख) उक्त प्राधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति और उनका पदों पर बने रहना, सदस्यों के पदों की रिक्तियों का भरा जाना तथा उन प्राधिकरणों से संबंधित अन्य सभी विषय जिनके लिए उपबंध करना आवश्यक या वांछनीय हो;

(ग) विश्वविद्यालय के अधिकारियों की नियुक्ति, उनकी शक्तियां तथा कर्तव्य और उनकी उपलब्धियां;

(घ) विश्वविद्यालय के शिक्षकों, शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति और उनकी उपलब्धियां;

(ङ) किसी संयुक्त परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए, किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में काम करने वाले शिक्षकों और शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की विनिर्दिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति;

(च) कर्मचारियों की सेवा की शर्तें, जिनके अंतर्गत पेंशन, बीमा और भविष्य-निधि का उपबंध, सेवा-समाप्ति और अनुशासनिक कार्रवाई की रीति भी है;

(छ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की सेवा में ज्येष्ठता को शासित करने वाले सिद्धांत;

(ज) कर्मचारियों या छात्रों और विश्वविद्यालय के बीच विवाद के मामलों में माध्यस्थम् के लिए प्रक्रिया;

(झ) विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण की कार्रवाई के विरुद्ध किसी कर्मचारी या छात्र द्वारा बोर्ड को अपील करने की प्रक्रिया;

(ञ) विभागों, केन्द्रों, महाविद्यालयों और संस्थाओं की स्थापना और उत्सादन;

(ट) सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना;

(ठ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों का वापस लिया जाना;

(ड) अध्येतावृत्तियों, छात्रवृत्तियों, अध्ययनवृत्तियों, पदकों और पुरस्कारों का संस्थित किया जाना;

(ढ) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों या अधिकारियों में निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन;

(ण) कर्मचारियों और छात्रों में अनुशासन बनाए रखना;

(त) ऐसे सभी अन्य विषय जो परिनियमों द्वारा विहित किए जाने हैं या किए जाएं।

27. (1) प्रथम परिनियम वे हैं जो अनुसूची में उपवर्णित हैं। परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे।

(2) बोर्ड, समय-समय पर, परिनियम बना सकेगा या उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा :

परन्तु बोर्ड, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण की प्रास्थिति, शक्तियों या उसके गठन पर प्रभाव डालने वाला कोई परिनियम तब तक नहीं बनाएगा, उसका संशोधन नहीं करेगा और उसका निरसन नहीं करेगा जब तक ऐसे प्राधिकरण को प्रस्तावित परिवर्तनों पर अपनी राय लिखित रूप में अभिव्यक्त करने का अवसर नहीं दे दिया गया है और इस प्रकार अभिव्यक्त किसी राय पर बोर्ड विचार करेगा।

(3) प्रत्येक परिनियम या उसके किसी संशोधन या निरसन के लिए कुलाध्यक्ष की अनुमति अपेक्षित होगी जो उस पर अनुमति दे सकेगा या अनुमति विधारित कर सकेगा या उसे बोर्ड को उसके विचारार्थ वापस भेज सकेगा।

(4) कोई परिनियम या विद्यमान परिनियम का संशोधन या निरसन करने वाला कोई परिनियम तब तक विधिमान्य नहीं होगा जब तक कुलाध्यक्ष द्वारा उसकी अनुमति नहीं दे दी गई हो।

(5) पूर्वगामी उपधाराओं में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, इस अधिनियम के प्रारंभ से ठीक पश्चात् की तीन वर्ष की अवधि के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट परिनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगा।

(6) पूर्वगामी उपधाराओं में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष, अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में परिनियमों में उपबंध करने के लिए विश्वविद्यालय को निदेश दे सकेगा और यदि बोर्ड, ऐसे निदेश को उसकी प्राप्ति के साठ दिन के भीतर कार्यान्वित करने में असमर्थ रहता है तो कुलाध्यक्ष, बोर्ड द्वारा ऐसे निदेश का अनुपालन करने में अपनी असमर्थता के लिए संसूचित समुचित कारणों पर, यदि कोई हों, विचार करने के पश्चात्, यथोचित रूप से परिनियमों को बना या संशोधित कर सकेगा।

28. (1) इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:— अध्यादेश बनाने की शक्ति।

(क) विश्वविद्यालय में छात्रों का प्रवेश और उस रूप में उनका नामांकन;

(ख) विश्वविद्यालय की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठ्यक्रम;

(ग) शिक्षण और परीक्षा का माध्यम;

(घ) उपाधियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और अन्य विद्या संबंधी विशिष्ट उपाधियों का प्रदान किया जाना, उनके लिए अर्हताएं और उन्हें प्रदान करने और प्राप्त करने के बारे में किए जाने वाले उपाय;

(ङ) विश्वविद्यालय में अध्ययन के पाठ्यक्रमों के लिए और विश्वविद्यालय की परीक्षाओं, उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों में प्रवेश के लिए प्रभारित की जाने वाली फीस;

(च) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान किए जाने की शर्तें;

(छ) परीक्षाओं का संचालन, जिसके अंतर्गत परीक्षा निकायों, परीक्षकों और अनुसीमकों की पदावधि और नियुक्ति की रीति और उनके कर्तव्य भी हैं;

(ज) छात्रों के निवास की शर्तें;

(झ) छात्राओं के निवास, अनुशासन और अध्यापन के लिए किए जाने वाले विशेष प्रबंध, यदि कोई हों, और उनके लिए अध्ययन के विशेष पाठ्यक्रमों को विहित करना;

(ञ) जिन कर्मचारियों के लिए परिनियमों में उपबंध किया गया है उनसे भिन्न कर्मचारियों की नियुक्ति और उपलब्धियां;

(ट) विशेष केन्द्रों, विशेषित प्रयोगशालाओं और अन्य समितियों की स्थापना;

(ठ) अन्य विश्वविद्यालयों और प्राधिकरणों के साथ, जिनके अंतर्गत विद्वत निकाय या संगम भी हैं, सहकार और सहयोग करने की रीति;

(ड) किसी अन्य ऐसे निकाय का, जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक जीवन में सुधार के लिए आवश्यक समझा जाए, सृजन, उसकी संरचना और उसके कृत्य;

(ढ) शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृन्द की सेवा के ऐसे अन्य निबंधन और शर्तें, जो परिनियमों द्वारा विहित नहीं हैं;

(ण) विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित महाविद्यालयों और संस्थाओं का प्रबंध;

(त) कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के लिए किसी तंत्र की स्थापना; और

(थ) ऐसे सभी अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों के अनुसार अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किए जाएं।

(2) प्रथम अध्यादेश, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, कुलपति द्वारा बनाए जाएंगे, और इस प्रकार बनाए गए अध्यादेश, परिनियमों द्वारा विहित रीति से बोर्ड द्वारा किसी भी समय संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे।

विनियम।

29. विश्वविद्यालय के प्राधिकरण स्वयं अपने और अपने द्वारा स्थापित की गई समितियों के कार्य संचालन के लिए, जिसका इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध नहीं किया गया है, परिनियमों द्वारा विहित रीति से ऐसे विनियम बना सकेंगे, जो इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत हैं।

वार्षिक रिपोर्ट।

30. (1) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट बोर्ड के निदेश के अधीन तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किए गए उपाय होंगे और वह बोर्ड को उस तारीख को या उसके पश्चात् भेजी जाएगी, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाए और बोर्ड अपने वार्षिक अधिवेशन में उस रिपोर्ट पर विचार करेगा।

(2) बोर्ड, वार्षिक रिपोर्ट अपनी टीका-टिप्पणी सहित, यदि कोई हो, कुलाध्यक्ष को भेजेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की प्रति, केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

वार्षिक लेखे।

31. (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे बोर्ड के निदेशों के अधीन तैयार किए जाएंगे और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जिन्हें वह इस निमित्त प्राधिकृत करे, प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार और पंद्रह मास से अनधिक के अंतराल पर उनकी संपरीक्षा की जाएगी।

(2) वार्षिक लेखाओं की प्रति, उन पर संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, बोर्ड को और बोर्ड के संप्रेक्षणों के साथ, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक लेखाओं पर कुलाध्यक्ष द्वारा किए गए संप्रेक्षण बोर्ड के ध्यान में लाए जाएंगे और बोर्ड के संप्रेक्षणों को, यदि कोई हों, कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा।

(4) कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत की गई संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ वार्षिक लेखाओं की एक प्रति केन्द्रीय सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो उसे यथाशीघ्र, संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखवाएगी।

(5) संपरीक्षित वार्षिक लेखे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने के पश्चात् राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे।

कर्मचारियों की सेवा की शर्तें।

32. (1) विश्वविद्यालय का प्रत्येक कर्मचारी लिखित संविदा के अधीन नियुक्त किया जाएगा जो विश्वविद्यालय के पास रखी जाएगी और उसकी एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।

(2) विश्वविद्यालय और उसके किसी कर्मचारी के बीच संविदा से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, कर्मचारी के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा जिसमें बोर्ड द्वारा नियुक्त एक सदस्य, संबंधित कर्मचारी द्वारा नामनिर्देशित एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक होगा।

(3) अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा और अधिकरण द्वारा विनिश्चित मामलों के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद नहीं होगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन कर्मचारी द्वारा किया गया प्रत्येक ऐसा अनुरोध माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 के अर्थ में इस धारा के निबंधनों पर माध्यस्थम् के लिए निवेदन समझा जाएगा। 1996 का 26

(5) अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया परिनियमों द्वारा विहित की जाएगी।

छात्रों के विरुद्ध अनुशासनिक मामलों में अपील और माध्यस्थम् की प्रक्रिया।

33. (1) कोई छात्र या परीक्षार्थी, जिसका नाम विश्वविद्यालय की नामावली से, यथास्थिति, कुलपति, अनुशासन समिति या परीक्षा समिति के आदेशों या संकल्प द्वारा हटाया गया है और जिसे विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बैठने से एक वर्ष से अधिक के लिए विवर्जित किया गया है उसके द्वारा ऐसे आदेशों की या ऐसे संकल्प की प्रति की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर बोर्ड को अपील कर सकेगा और बोर्ड, यथास्थिति, कुलपति या समिति के विनिश्चय को पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

(2) विश्वविद्यालय द्वारा किसी छात्र के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाई से उत्पन्न होने वाला कोई विवाद, उस छात्र के अनुरोध पर, माध्यस्थम् अधिकरण को निर्देशित किया जाएगा और धारा 32 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के उपबंध, इस उपधारा के अधीन किए गए निर्देश को, यथाशक्य, लागू होंगे।

अपील करने का अधिकार।

34. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालय या संस्था के प्रत्येक कर्मचारी या छात्र को, यथास्थिति, विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी या प्राधिकरण अथवा किसी महाविद्यालय या संस्था के विनिश्चय के विरुद्ध ऐसे समय के भीतर, जो परिनियमों द्वारा विहित किया जाए, बोर्ड को अपील करने का अधिकार होगा और तब बोर्ड, उस विनिश्चय को जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या उलट सकेगा।

भविष्य और पेंशन निधियां।

35. (1) विश्वविद्यालय अपने कर्मचारियों के फायदे के लिए ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों द्वारा विहित की जाएं, ऐसी भविष्य-निधि और पेंशन निधि का गठन करेगा या ऐसी बीमा स्कीमों की व्यवस्था करेगा, जो वह ठीक समझे।

(2) जहां ऐसी भविष्य-निधि या पेंशन निधि का इस प्रकार गठन किया गया है वहां केन्द्रीय सरकार यह घोषित कर सकेगी कि भविष्य-निधि अधिनियम, 1925 के उपबंध ऐसी निधि को इस प्रकार लागू होंगे मानो वह सरकारी भविष्य-निधि हो। 1925 का 19

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन के बारे में विवाद।

36. यदि यह प्रश्न उठता है कि कोई व्यक्ति विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है या उसका सदस्य होने का हकदार है या नहीं तो वह मामला कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा, जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

समितियों का गठन।

37. जहां विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण को इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा समितियां स्थापित करने की शक्ति दी गई है वहां जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ऐसी समितियों में, संबंधित प्राधिकरण के ऐसे सदस्य और ऐसे अन्य व्यक्ति, यदि कोई हों, होंगे, जिन्हें प्राधिकरण प्रत्येक मामले में ठीक समझे।

आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना।

38. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के (पदेन सदस्यों से भिन्न) सदस्यों में सभी आकस्मिक रिक्तियां, यथाशीघ्र, ऐसे व्यक्तियों द्वारा भरी जाएंगी जिसने उस सदस्य को, जिसका स्थान रिक्त हुआ है, नियुक्त या सहयोजित किया था और आकस्मिक रिक्ति में नियुक्त या सहयोजित व्यक्ति, ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य उस अवशिष्ट अवधि के लिए होगा, जिस तक वह व्यक्ति जिसका स्थान वह भरता है, सदस्य रहता।

विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की कार्यवाहियों का रिक्तियों के कारण अविधिमान्य न होना।

39. विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि उसके सदस्यों में कोई रिक्ति या रिक्तियां हैं।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाई के लिए संरक्षण।

40. इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के उपबंधों में से किसी उपबंध के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य

विधिक कार्यवाहियां विश्वविद्यालय के बोर्ड, कुलपति, किसी प्राधिकरण या किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध नहीं होगी।

विश्वविद्यालय के अभिलेखों को साबित करने का ढंग।

41. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या समिति की किसी रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या अन्य दस्तावेजों की, जो विश्वविद्यालय के कब्जे में हैं, या विश्वविद्यालय द्वारा सम्यक् रूप से रखे गए किसी रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रतिलिपि, कुलसचिव द्वारा सत्यापित कर दी जाने पर, उस दशा में जिसमें उसकी मूल प्रति पेश की जाने पर साक्ष्य में ग्राह्य होती, उस रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाही, संकल्प या दस्तावेज के या रजिस्टर की प्रविष्टि के अस्तित्व के प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के रूप में ले ली जाएगी और उससे संबंधित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में ग्रहण की जाएगी। 1872 का 1

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

42. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन वर्ष के अवसान के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

संक्रमणकालीन उपबंध।

43. इस अधिनियम और परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी,—

(क) प्रथम कुलाधिपति और प्रथम कुलपति, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(ख) प्रथम कुलसचिव और प्रथम नियंत्रक, कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और उक्त प्रत्येक अधिकारी तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा;

(ग) बोर्ड के प्रथम सदस्य, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे;

(घ) विद्या परिषद् के प्रथम सदस्य, कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे :

परन्तु यदि उपरोक्त पदों या प्राधिकरणों में कोई रिक्ति होती है तो वह कुलाध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, नियुक्ति या नामनिर्देशन द्वारा भरी जाएंगी और इस प्रकार नियुक्त या नामनिर्दिष्ट व्यक्ति तब तक पद धारण करेगा जब तक वह अधिकारी या सदस्य, जिसके स्थान पर उसकी नियुक्ति या नामनिर्देशन किया गया है, पद धारण करता यदि ऐसी रिक्ति नहीं हुई होती।

परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद् के समक्ष रखा जाना।

44. (1) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक परिनियम, अध्यादेश या विनियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस परिनियम, अध्यादेश या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह परिनियम, अध्यादेश या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु परिनियम, अध्यादेश या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(3) परिनियम, अध्यादेश या विनियम बनाने की शक्ति के अन्तर्गत परिनियम, अध्यादेश या विनियम को अथवा उनमें से किसी को ऐसी तारीख से, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ की तारीख से पहले की न हो, भूतलक्षी प्रभाव देने की शक्ति होगी किन्तु किसी परिनियम, अध्यादेश या विनियम को इस प्रकार भूतलक्षी प्रभाव नहीं दिया जाएगा कि उससे किसी ऐसे व्यक्ति के, जिसको ऐसा परिनियम, अध्यादेश या विनियम लागू होता है, हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।

अनुसूची

(धारा 27 देखिए)

विश्वविद्यालय के परिनियम

कुलाधिपति :

1. (1) कुलाधिपति की नियुक्ति, साधारणतया शिक्षा और विशिष्टतया कृषि विज्ञान में ख्यातिप्राप्त व्यक्तियों में से, बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी :

परन्तु यदि कुलाध्यक्ष ऐसे सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी का अनुमोदन नहीं करता है तो वह बोर्ड से नई सिफारिशें मंगा सकेगा।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और पुनःनियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु कुलाधिपति, आपवादिक परिस्थितियों में अपने पद पर तब तक बना रह सकेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है।

कुलपति :

2. (1) कुलपति की नियुक्ति, खंड (2) के अधीन गठित समिति द्वारा सिफारिश किए गए तीन से अन्यून व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—

(i) सचिव, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार — अध्यक्ष;

(ii) सदस्य के रूप में कुलाधिपति का एक नामनिर्देशिती जो संयोजक भी होगा;

(iii) केन्द्रीय सरकार का एक नामनिर्देशिती।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, पद धारण करेगा और वह पांच वर्ष की और अवधि के लिए या जब तक वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, पुनः नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु कुलपति आपवादिक परिस्थितियों में, एक वर्ष से अनधिक अवधि तक या जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो जाता है और वह अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है, अपने पद पर बना रह सकेगा।

(5) कुलपति की उपलब्धियां और सेवा की अन्य शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति को केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर से मासिक वेतन और मकान किराया भत्ता से भिन्न भत्ते दिए जाएंगे और वह अपनी पदावधि के दौरान बिना किराया दिए सुसज्जित निवास-स्थान का हकदार होगा तथा ऐसे निवास-स्थान के रखरखाव की बाबत कुलपति को कोई प्रभार नहीं देना होगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत फायदों और भत्तों का हकदार होगा जो बोर्ड द्वारा कुलाध्यक्ष के अनुमोदन से समय-समय पर नियत किए जाएं :

परंतु जहां विश्वविद्यालय या उसके द्वारा चलाए जाने वाले किसी महाविद्यालय या संस्था का अथवा किसी अन्य विश्वविद्यालय या ऐसे अन्य विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जाने वाले या उससे

संबद्ध किसी संस्था का कर्मचारी कुलपति के रूप में नियुक्त किया जाता है, वहां उसे ऐसी भविष्य-निधि में जिसका वह सदस्य है अभिदाय करते रहने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा और विश्वविद्यालय उस भविष्य-निधि में ऐसे व्यक्ति के खाते में उसी दर से अभिदाय करेगा जिस दर से व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति के ठीक पहले अभिदाय कर रहा था :

परन्तु यह और कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन स्कीम का सदस्य रहा था, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अभिदाय करेगा;

(iii) कुलपति, भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के समतुल्य अधिकारियों के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दर के अनुसार यात्रा और अन्य भत्ते प्राप्त करने का हकदार होगा। इसके अतिरिक्त वह पद ग्रहण करने तथा छोड़ने पर भारत सरकार के सचिव की पंक्ति के समतुल्य अधिकारियों को यथा अनुज्ञेय स्थानांतरण यात्रा भत्ता और अन्य भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा;

(iv) कुलपति किसी कलैंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और छुट्टी को प्रत्येक वर्ष जनवरी तथा जुलाई के प्रथम दिन को पन्द्रह दिन की दो अर्धवार्षिक किस्तों में अग्रिम रूप से उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा :

परन्तु यदि कुलपति आधे वर्ष के चालू रहने के दौरान कुलपति का पद ग्रहण करता है या छोड़ता है तो छुट्टी को अनुपातत: सेवा के प्रत्येक संपूरित मास के लिए ढ़ाई दिन की दर से जमा किया जाएगा;

(v) कुलपति, उपखंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्धवेतन छुट्टी का भी हकदार होगा। इस अर्धवेतन छुट्टी का उपभोग चिकित्सीय प्रमाणपत्र के आधार पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में भी किया जा सकेगा। यदि परिवर्तित छुट्टी उपलब्ध है तो अर्धवेतन छुट्टी की दुगुनी मात्रा देय अर्धवेतन छुट्टी के प्रति विकलित की जाएगी;

(vi) कुलपति, भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी यात्रा रियायत और गृह यात्रा रियायत के लिए हकदार होगा;

(vii) कुलपति, पद छोड़ने के समय भारत सरकार के नियमों के अनुसार छुट्टी नकदीकरण के फायदे का हकदार होगा।

(6) यदि मृत्यु, पदत्याग के कारण या अन्यथा कुलपति का पद रिक्त हो जाता है अथवा यदि वह अस्वस्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो, यथास्थिति, ज्येष्ठतम संकायाध्यक्ष या निदेशक, कुलपति के कर्तव्यों का तब तक पालन करेगा जब तक, यथास्थिति, नया कुलपति पद ग्रहण नहीं कर लेता या कुलपति अपने पद के कर्तव्य नहीं संभाल लेता।

कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य :

3. (1) कुलपति, बोर्ड, विद्या परिषद्, वित्त समिति, अनुसंधान परिषद् और विस्तार शिक्षा परिषद् का पदेन अध्यक्ष होगा और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में उपाधियां प्रदान करने के लिए आयोजित दीक्षांत समारोहों की अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति, विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में उपस्थित रहने और उसे संबोधित करने का हकदार होगा किन्तु वह उसमें मत देने का तब तक हकदार नहीं होगा जब तक वह ऐसे प्राधिकरण का सदस्य न हो।

(3) कुलपति का यह देखना कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का सम्यक् रूप से पालन किया जाता है और उसे ऐसा पालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के कार्यकलापों पर नियंत्रण करेगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को प्रभावी करेगा।

(5) कुलपति को विश्वविद्यालय में समुचित अनुशासन बनाए रखने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसी किसी भी शक्ति का, किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिन्हें वह ठीक समझे, प्रत्यायोजन कर सकेगा।

(6) कुलपति को बोर्ड, विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद्, विस्तार शिक्षा परिषद् और वित्त समिति के अधिवेशन बुलाने या बुलवाने की शक्ति होगी।

महाविद्यालयों और संकायों के संकायाध्यक्ष :

4. (1) प्रत्येक संकाय का एक संकायाध्यक्ष होगा जो संबद्ध महाविद्यालय का प्रमुख भी होगा। यदि किसी संकाय में एक से अधिक महाविद्यालय हैं तो, कुलपति संकायाध्यक्षों में से किसी एक को संकाय का संकायाध्यक्ष नामनिर्देशित कर सकेगा।

(2) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, परिनियम 18 के प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(3) संकायाध्यक्ष, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास स्थान का हकदार होगा।

(4) संकायाध्यक्ष पांच वर्ष की अवधि के लिए पदभार ग्रहण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु संकायाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उस हैसियत से पदधारण नहीं करेगा।

(5) जब संकायाध्यक्ष का पद रिक्त है या जब संकायाध्यक्ष रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो पद के कर्तव्य ऐसे व्यक्तियों द्वारा पूरे किए जा सकेंगे जिन्हें कुलपति इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(6) संकायाध्यक्ष, महाविद्यालय और संकाय में अध्यापन के मानकों के संचालन और अनुरक्षण के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) संकायाध्यक्ष, संकाय के अध्ययन बोर्ड का पदेन अध्यक्ष, विश्वविद्यालय की विद्या परिषद्, अनुसंधान परिषद् और विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य होगा।

शिक्षा निदेशक :

5. (1) शिक्षा निदेशक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) शिक्षा निदेशक, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास स्थान का हकदार होगा।

(3) शिक्षा निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परन्तु शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस हैसियत से पद धारण नहीं करेगा।

(4) शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के विभिन्न संकायों में सभी शैक्षिक कार्यक्रमों की योजना, समन्वय और पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी होगा।

अनुसंधान निदेशक :

6. (1) अनुसंधान निदेशक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) अनुसंधान निदेशक, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास स्थान का हकदार होगा।

(3) अनुसंधान निदेशक पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनः नियुक्ति का पात्र होगा:

परन्तु अनुसंधान निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस हैसियत से पद धारण नहीं करेगा।

(4) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय के सभी अनुसंधान कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण तथा समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा और अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) अनुसंधान निदेशक विश्वविद्यालय की अनुसंधान-परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

विस्तारी शिक्षा निदेशक :

7. (1) विस्तारी शिक्षा निदेशक, इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) विस्तारी शिक्षा निदेशक, निःशुल्क किराया और असुसज्जित निवास स्थान का हकदार होगा।

(3) विस्तारी शिक्षा निदेशक, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा :

परंतु विस्तारी शिक्षा निदेशक पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर उस हैसियत से पद धारण नहीं करेगा।

(4) विस्तारी शिक्षा निदेशक विश्वविद्यालय के सभी विस्तारी शिक्षा कार्यक्रमों के पर्यवेक्षण और समन्वय के लिए उत्तरदायी होगा तथा अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(5) विस्तारी शिक्षा निदेशक, विश्वविद्यालय की विस्तारी शिक्षा परिषद् का पदेन सदस्य-सचिव होगा।

कुलसचिव :

8. (1) कुलसचिव की नियुक्ति परिनियम 18 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा। वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए कुलपति के प्रति उत्तरदायी होगा।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) वह पांच वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) कुलसचिव की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं:

परन्तु कुलसचिव बासठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(5) प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त हुए व्यक्ति की दशा में उसकी अवधि, उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन प्रतिनियुक्ति के निबंधनों के अनुसार होंगे।

(6) जब कुलसचिव का पद रिक्त है या जब कुलसचिव रुग्णता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(7) (क) कुलसचिव को, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध जिनके अंतर्गत शिक्षक नहीं हैं और जो बोर्ड के आदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं, अनुशासनिक कार्रवाई करने की शक्ति होगी तथा उसे, ऐसी जांच के लंबित रहने तक उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर परिनिंदा की या वेतन वृद्धि रोकने की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति होगी:

परंतु ऐसी कोई शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी जब तक संबंधित व्यक्ति को, उसके संबंध में की जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है।

(ख) उपखंड (क) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलसचिव के आदेश के विरुद्ध अपील, कुलपति को होगी।

(ग) ऐसे मामले में, जहां जांच से यह प्रकट होता हो कि कुलसचिव की शक्ति के बाहर का कोई दंड अपेक्षित है वहां, कुलसचिव जांच के पूरा होने पर कुलपति को अपनी सिफारिशों सहित एक रिपोर्ट देगा:

परंतु कोई शास्ति अधिरोपित करने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध अपील बोर्ड को होगी।

(8) कुलसचिव, बोर्ड और विद्या परिषद् का पदेन सचिव होगा, किंतु वह इन प्राधिकरणों में से किसी भी प्राधिकरण का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(9) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि वह—

(क) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा और ऐसी अन्य संपत्ति को, जो बोर्ड उसके भारसाधान में सौंपे, अभिरक्षा में रखे;

(ख) बोर्ड, विद्या-परिषद् के और उन प्राधिकरणों द्वारा नियुक्त किन्हीं समितियों के अधिवेशन बुलाने की सभी सूचनाएं जारी करे;

(ग) बोर्ड, विद्या-परिषद् के और उन प्राधिकरणों द्वारा स्थापित किन्हीं समितियों के सभी अधिवेशनों के कार्यवृत्त रखे;

(घ) बोर्ड और विद्या-परिषद् के शासकीय पत्र-व्यवहार का संचालन करे;

(ङ) अध्यादेशों या अधिसूचनाओं द्वारा विहित रीति के अनुसार, विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की, व्यवस्था करे;

(च) कुलाध्यक्ष को विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के अधिवेशनों की कार्यसूची की प्रतियां, जैसे ही वे जारी की जाएं, और ऐसे अधिवेशनों के कार्यवृत्त दे;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवाहियों में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करे, मुख्तारनामों पर हस्ताक्षर करे और अभिवचनों को सत्यापित करे या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि प्रतिनियुक्त करे; और

(ज) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं अथवा जिनकी बोर्ड या कुलपति द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाए।

नियंत्रक :

9. (1) नियंत्रक, परिनियम 18 के अधीन गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) उसकी नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा।

(3) नियंत्रक पांच वर्ष से अनधिक विनिर्दिष्ट अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्त किया जा सकेगा।

(4) नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं। किसी व्यक्ति के प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त होने की दशा में, उसकी पदावधि, उपलब्धियां और सेवा के अन्य निबंधन, प्रतिनियुक्ति के मानक के अनुसार होंगे:

परंतु नियंत्रक साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(5) जब नियंत्रक का पद रिक्त है या जब नियंत्रक, रुग्णता, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तब उस पद के कर्तव्यों का पालन उस व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो कुलपति उस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे।

(6) नियंत्रक, वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किंतु ऐसी समिति का सदस्य नहीं समझा जाएगा।

(7) नियंत्रक—

(क) विश्वविद्यालय की निधि का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और उसकी वित्तीय नीति के संबंध में उसे सलाह देगा; और

(ख) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो परिनियमों, अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किए जाएं या जिनकी समय-समय पर बोर्ड या कुलपति द्वारा अपेक्षा की जाए।

(8) बोर्ड के नियंत्रण के अधीन रहते हुए, नियंत्रक—

(क) विश्वविद्यालय की संपत्ति और विनिधानों को, जिनके अंतर्गत न्यास और विन्यास की संपत्ति भी है, धारण करेगा और उसका प्रबंध करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि बोर्ड द्वारा एक वर्ष के लिए नियत आवर्ती और अनावर्ती व्यय की सीमाओं से अधिक व्यय न किया जाए और सभी धन का व्यय उसी प्रयोजन के लिए किया जाए जिसके लिए वह मंजूर या आबंटित किया गया है;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा और बजट तैयार किए जाने के लिए और उनको बोर्ड को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) नकद और बैंक अतिशेषों की स्थिति तथा विनिधानों की स्थिति पर बराबर नजर रखेगा;

(ङ) राजस्व के संग्रहण की प्रगति पर नजर रखेगा और संग्रहण करने के लिए अपनाए जाने वाले तरीकों के विषय में सलाह देगा;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि भवन, भूमि, फर्नीचर और उपस्कर के रजिस्टर अद्यतन रखे जाएं तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे सभी कार्यालयों, विशेषित प्रयोगशालाओं, महाविद्यालयों और संस्थाओं के उपस्कर तथा उपयोज्य अन्य सामग्री के स्टाक की जांच की जाए;

(छ) अप्राधिकृत व्यय और अन्य वित्तीय अनियमितताओं को कुलपति की जानकारी में लाएगा तथा व्यतिक्रमी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(ज) विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे किसी कार्यालय, प्रयोगशाला, महाविद्यालय या संस्था से कोई ऐसी जानकारी या विवरणियां मांगेगा जो वह अपने कर्तव्यों के पालन के लिए आवश्यक समझे।

(9) नियंत्रक या बोर्ड द्वारा इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा विश्वविद्यालय को संदेय किसी धन के बारे में रसीद; उस धन के संदाय के लिए पर्याप्त उन्मोचन होगी।

विभागाध्यक्ष :

10. (1) कुलपति द्वारा नियुक्त प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो सह-आचार्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा तथा जिसके कर्तव्य और कृत्य तथा नियुक्ति के निबंधन और शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएंगी।

(2) वह अध्यापन के लिए संकायाध्यक्ष, अनुसंधान के लिए अनुसंधान निदेशक, विस्तारी शिक्षा कार्य के लिए विस्तारी शिक्षा निदेशक के प्रति उत्तरदायी होगा। तथापि, संकायाध्यक्ष संबद्ध महाविद्यालयों में विभागाध्यक्षों का प्रशासनिक नियंत्रक अधिकारी होगा:

परंतु यदि किसी विभाग में एक से अधिक आचार्य हैं तो विभागाध्यक्ष, कुलपति द्वारा आचार्यों में से नियुक्त किया जाएगाः

परंतु यह और कि ऐसे विभाग की दशा में, जहां केवल एक आचार्य है, कुलपति के पास यह विकल्प होगा कि या तो आचार्य को या सह-आचार्य को, विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त करेः

परन्तु यह और भी कि किसी ऐसे विभाग में जहां कोई आचार्य या सह-आचार्य नहीं है, वहां महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा या कुलपति के अनुमोदन से महाविद्यालय के किसी अन्य विभागाध्यक्ष को कर्तव्य सौंपेगा।

(3) आचार्य या सह-आचार्य को विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के प्रस्ताव को अस्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी।

(4) विभागाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया आचार्य या सह-आचार्य उस रूप में तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा और वह पुनः नियुक्ति का पात्र होगा।

(5) विभागाध्यक्ष, अपनी पदावधि के दौरान किसी भी समय अपना पद त्याग सकेगा।

(6) विभागाध्यक्ष ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जो अध्यादेशों द्वारा विहित किए जाएं।

(7) विभागाध्यक्ष पैंसठ वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होगा।

पुस्तकालयाध्यक्ष :

11. (1) विश्वविद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्ति परिनियम 18 के अधीन इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर, बोर्ड द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे कुलपति द्वारा सौंपे जाएं।

प्रबन्ध बोर्ड का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य :

12.(1) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात्:—

(i) कुलपति, पदेन अध्यक्ष;

(ii) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य के कृषि और पशुपालन, मत्स्य उद्योग और उद्यान कृषि विभागों के भारसाधक सचिवों में से चार सचिव चक्रानुक्रम से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगेः

परंतु किसी विशिष्ट समय पर किसी राज्य से दो से अधिक सचिव नहीं होंगे;

(iii) दो ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे;

(iv) कृषि आधारित उद्योगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति या कृषि विकास में विशेष ज्ञान रखने वाला विनिर्माता जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधित्व करने वाला उप महानिदेशक (शिक्षा);

(vi) महाविद्यालय का एक संकायाध्यक्ष और एक निदेशक जो चक्रानुक्रम के आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(vii) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में, कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम से नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले बुंदेलखंड में किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन व्यक्ति जिनके अंतर्गत कम से कम एक महिला भी होगीः

परंतु किसी विशिष्ट समय में बोर्ड में किसी राज्य से दो से अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे।

(viii) एक सलाहकार (कृषि), योजना आयोग;

(ix) प्राकृतिक संसाधन या पर्यावरण प्रबंध में एक विशिष्टता-प्राप्त प्राधिकारी जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा;

(x) संयुक्त सचिव से अन्यून पंक्ति के दो व्यक्ति जो क्रमशः कृषि और पशुपालन से संबंधित भारत सरकार के विभागों से हों; जिन्हें भारत सरकार के संबद्ध सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(xi) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग, भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सचिव का नामनिर्देशिती; और

(xii) विश्वविद्यालय का कुलसचिव—सचिव।

(2) बोर्ड के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) बोर्ड को विश्वविद्यालय के राजस्व और संपत्ति का प्रबंध और प्रशासन करने तथा विश्वविद्यालय के सभी ऐसे प्रशासनिक मामलों का, जिनके लिए अन्यथा उपबंध नहीं किया गया है, संचालन करने की शक्ति होगी।

(4) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, बोर्ड को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(i) अध्यापन और शैक्षणिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उनकी उपलब्धियां अवधारित करना और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अनुमोदन के अध्यधीन विश्वविद्यालय के कर्मचारिवृन्द के कर्तव्यों और सेवा की शर्तों को परिभाषित करना;

(ii) ऐसे शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्द को, जो आवश्यक हों, और विश्वविद्यालय द्वारा चलाए जा रहे महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों और अन्य संस्थाओं के निदेशक और अध्यक्षों को इस प्रयोजन के लिए गठित चयन समिति की सिफारिशों पर नियुक्त करना तथा उनमें अस्थायी रिक्तियों को भरना;

(iii) प्रशासनिक, अनुसचिवीय और अन्य आवश्यक पदों का सृजन करना तथा अध्यादेशों द्वारा विहित रीति से उन पर नियुक्तियां करना;

(iv) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन का विनियमन करना और उसका पालन कराना;

(v) विश्वविद्यालय के वित्त, लेखाओं, विनिधानों, संपत्ति, कामकाज तथा सभी अन्य प्रशासनिक मामलों का प्रबन्ध और विनियमन करना और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अभिकर्ता नियुक्त करना जो वह ठीक समझे;

(vi) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष भर के कुल आवर्ती और कुल अनावर्ती व्यय की सीमाएं नियत करना;

(vii) विश्वविद्यालय के धन को, जिसके अंतर्गत कोई अनुपयोजित आय भी है, ऐसे स्टाकों, निधियों, शेयरों या प्रतिभूतियों में जो वह ठीक समझे या भारत में स्थावर संपत्ति के क्रय में समय-समय पर विनिहित करना जिसके अंतर्गत ऐसे विनिधानों में समय-समय पर उसी प्रकार परिवर्तन करने की शक्ति है;

(viii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का अंतरण करना या अंतरण स्वीकार करना;

(ix) विश्वविद्यालय के कार्य को चलाने के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर और साधित्र तथा अन्य साधनों की व्यवस्था करना;

(x) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, उनमें परिवर्तन करना, उन्हें कार्यान्वित करना और रद्द करना;

(xi) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और छात्रों की किन्हीं शिकायतों को ग्रहण करना, उनका न्यायनिर्णयन करना और यदि ठीक समझा जाता है तो उन शिकायतों को दूर करना;

(xii) परीक्षकों या विशेषज्ञों या परामर्शदाताओं, सलाहकारों और विशेष कर्तव्यारूढ़ अन्य अधिकारियों की फीस, मानदेय, उपलब्धियां और यात्रा भत्ते नियत करना;

(xiii) विश्वविद्यालय के लिए सामान्य मुद्रा का चयन करना और ऐसी मुद्रा की अभिरक्षा और उपयोग की व्यवस्था करना;

(xiv) ऐसे विशेष इंतजाम करना जो छात्राओं के निवास और उनमें अनुशासन के लिए आवश्यक हों;

(xv) अपनी शक्तियों में से कोई शक्ति जो वह ठीक समझे, कुलपति, संकायाध्यक्ष, निदेशक, कुलसचिव या नियंत्रक को या विश्वविद्यालय के अन्य ऐसे कर्मचारी या प्राधिकारी को या अपने द्वारा नियुक्त की गई किसी समिति को, प्रत्यायोजित करना;

(xvi) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, अध्ययनवृत्तियां, पदक और पुरस्कार संस्थित करना;

(xvii) अभ्यागत आचार्यों, प्रतिष्ठित आचार्यों, परामर्शदाताओं तथा विशेष कर्तव्यारूढ़ अधिकारियों और विद्वानों की नियुक्ति का उपबंध करना और ऐसी नियुक्तियों के निबंधनों और शर्तों का अवधारण करना; और

(xviii) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना जो उस अधिनियम या परिनियमों द्वारा प्रदत्त किए जाएं।

बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति :

13. बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके छह सदस्यों से होगी।

विद्या परिषद् का गठन और शक्तियां :

14. (1) विद्या परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति, पदेन अध्यक्ष;

(ii) विश्वविद्यालय के सभी महाविद्यालयों के संकायाध्यक्ष;

(iii) विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक;

(iv) विश्वविद्यालय का विस्तारी शिक्षा निदेशक;

(v) शिक्षा निदेशक;

(vi) चक्रानुक्रम आधार पर कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई पुस्तकालयाध्यक्ष;

(vii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के बाहर से सहयोजित दो विख्यात वैज्ञानिक;

(viii) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट सात विभागाध्यक्ष, जिसमें कम से कम एक प्रत्येक संकाय से हो;

(ix) विश्वविद्यालय का कुलसचिव, पदेन सचिव।

(2) विद्या परिषद् के पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(3) इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अधीन रहते हुए, विद्या परिषद् को, उसमें निहित अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात्:—

(क) विश्वविद्यालय की शैक्षणिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना और शिक्षण की पद्धतियों, महाविद्यालयों और संस्थाओं में सहकारी अध्यापन मूल्यांकन और शैक्षणिक स्तरों में सुधारों के बारे में निदेश देना;

(ख) महाविद्यालयों के बीच समन्वय करना और शैक्षणिक मामलों पर समिति की स्थापना या नियुक्ति करना;

(ग) साधारण शैक्षणिक अभिरुचि के विषयों पर स्वप्रेरणा से या किसी महाविद्यालय या बोर्ड द्वारा निर्देश किए जाने पर विचार करना और उन पर समुचित कार्रवाई करना; और

(घ) परिनियमों और अध्यादेशों से संगत ऐसे विनियम और नियम बनाना जो विश्वविद्यालय के शैक्षणिक कार्यकरण, अनुशासन, निवास, प्रवेश, अध्येतावृत्तियों और अध्ययनवृत्तियों के दिए जाने, फीस, रियायतों, सामुदायिक जीवन और हाजिरी के संबंध में हों।

विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति :

15. विद्या परिषद् के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति विद्या परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।

अध्ययन बोर्ड :

16. (1) प्रत्येक संकाय में एक अध्ययन बोर्ड होगा।

(2) प्रत्येक संकाय का अध्ययन बोर्ड निम्नलिखित रूप से गठित होगा :—

(i) संकायाध्यक्ष — अध्यक्ष;

(ii) अनुसंधान निदेशक — सदस्य;

(iii) विस्तारी शिक्षा निदेशक — सदस्य;

(iv) संकाय के विभागों के सभी अध्यक्ष जो सह-आचार्य की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे — सदस्य;

(v) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट विद्या परिषद् का एक प्रतिनिधि जो विशिष्ट संकाय से नहीं होगा;

(vi) कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट कृषि शिक्षा प्रणाली से दो विख्यात वैज्ञानिक जो विश्वविद्यालय से नहीं होंगे;

(vii) उच्चतम समग्र श्रेणी बिन्दु औसत (ओजीपीए) धारक एक अंतिम वर्ष का स्नातकोत्तर छात्र विद्यार्थी — सदस्य;

(viii) संकाय का सहायक कुलसचिव (विद्या) — सदस्य; और

(ix) शिक्षा निदेशक — सदस्य।

(3) अध्ययन बोर्ड के कृत्य, विद्या परिषद् को संबद्ध संकायों द्वारा प्रस्तावित विभिन्न उपाधियों के लिए विहित की जाने वाली पाठ्यचर्या की सिफारिशें करना और विहित अनुमोदित पाठ्यक्रमों के शिक्षण के लिए उपयुक्त सिफारिशें करना होगा, अर्थात्:—

(क) अध्ययन पाठ्यक्रमों और पाठ्यक्रमों के लिए, जिनमें अनुसंधान उपाधियां नहीं हैं, परीक्षकों की नियुक्ति;

(ख) अनुसंधान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति; और

(ग) अध्यापन और अनुसंधान के स्तर में सुधार के लिए उपाय।

वित्त समिति :

17. (1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:—

(i) कुलपति— अध्यक्ष;

(ii) कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग का वित्तीय सलाहकार या उसका नामनिर्देशिती जो उप सचिव की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा;

(iii) बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति जिनमें कम से कम एक व्यक्ति बोर्ड का सदस्य होगा;

(iv) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले तीन व्यक्ति; और

(v) विश्वविद्यालय का नियंत्रक — सदस्य-सचिव।

(2) वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति उसके तीन सदस्यों से होगी।

(3) वित्त समिति के पदेन सदस्यों से भिन्न सभी सदस्य तीन वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे।

(4) यदि वित्त समिति का कोई सदस्य वित्त समिति के किसी विनिश्चय से सहमत नहीं है तो उसे विसम्मति का कार्यवृत्त अभिलिखित करने का अधिकार होगा।

(5) लेखाओं की परीक्षा और व्यय की प्रस्थापनाओं की संवीक्षा करने के लिए वित्त समिति का अधिवेशन प्रत्येक वर्ष में कम से कम दो बार होगा।

(6) पदों के सृजन से संबंधित सभी प्रस्थापनाओं की और उन मदों की जो बजट में सम्मिलित नहीं की गई हैं, बोर्ड द्वारा उन पर विचार किए जाने से पूर्व, वित्त समिति द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(7) नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और वित्तीय प्राक्कलन वित्त समिति के समक्ष विचार तथा टीका-टिप्पणी के लिए रखे जाएंगे और तत्पश्चात् बोर्ड के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे।

(8) वित्त समिति वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय और कुल अनावर्ती व्यय के लिए सीमाओं की सिफारिश करेगी जो उस विश्वविद्यालय की आय और उसके साधनों पर आधारित होंगी (जिनके अंतर्गत, उत्पादक कार्यों की दशा में, उधारों के आगम भी हो सकेंगे)।

चयन समिति:

18. (1) शिक्षकों, नियन्त्रक, कुलसचिव, पुस्तकालयाध्यक्षों, महाविद्यालयों के संकायाध्यक्षों, निदेशकों तथा विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जा रही अन्य संस्थाओं के अध्यक्षों के पदों पर नियुक्ति के लिए बोर्ड को सिफारिशें करने के लिए एक चयन समिति होगी।

(2) नीचे की सारणी के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए चयन समिति में उक्त सारणी के स्तंभ 2 की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति होंगे:

सारणी

1	2	3
क.	निदेशक/संकाय अध्यक्ष	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष।
		(ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती—सदस्य।
		(iii) तीन विख्यात वैज्ञानिक बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट होंगे जो कुलपति या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त) पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे—सदस्य
ख.	आचार्य/समतुल्य	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष।
		(ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती—सदस्य।
		(iii) संबद्ध संकाय का संकायाध्यक्ष—सदस्य।
		(iv) कुलपति द्वारा नामनिर्देशित अनुसंधान निदेशक या विस्तारी शिक्षा निदेशक या शिक्षा निदेशक—सदस्य।
		(v) तीन विख्यात विषय विशेषज्ञ जो विभागाध्यक्ष या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त) से निम्न पंक्ति के न हों और जिन्हें बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा—सदस्य
ग.	सह-आचार्य/सहायक आचार्य/ समतुल्य	(i) कुलपति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष।
		(ii) कुलाध्यक्ष का एक नामनिर्देशिती—सदस्य।

1	2		3
		(iii)	संबद्ध संकाय का संकायाध्यक्ष—सदस्य।
		(iv)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षा निदेशक या अनुसंधान निदेशक या विस्तारी शिक्षा निदेशक—सदस्य।
		(v)	संबद्ध विभाग का प्रमुख जो आचार्य की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा—सदस्य।
		(vi)	दो विख्यात शिक्षक या वैज्ञानिक जो आचार्य या समतुल्य (सेवारत या सेवानिवृत्त) की पंक्ति से नीचे के नहीं होंगे, जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे—सदस्य।
घ.	कुलसचिव/नियंत्रक/ पुस्तकालयाध्यक्ष	(i)	कुलपति या उसका नामनिर्देशिती—अध्यक्ष।
		(ii)	कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती—सदस्य।
		(iii)	कुलपति द्वारा नामनिर्देशित एक निदेशक/संकायाध्यक्ष—सदस्य।
		(iv)	संबद्ध विषय के दो विशेषज्ञ जो बोर्ड द्वारा अनुमोदित छह नामों के पैनल में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे—सदस्य।

(3) कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में, उसका नामनिर्देशिती, चयन समिति के अधिवेशनों की अध्यक्षता करेगा:

परंतु चयन समिति के अधिवेशन कुलाध्यक्ष के नामनिर्देशितियों के पूर्व परामर्श के पश्चात् नियत किए जाएंगे:

परंतु यह और कि चयन समिति की कार्यवाहियां तब तक विधिमान्य नहीं होंगी, जब तक कि कम से कम दो सदस्य, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, अधिवेशन में उपस्थित न हों।

(4) चयन समिति का अधिवेशन कुलपति या उसकी अनुपस्थिति में उसके नामनिर्देशिती द्वारा बुलाया जाएगा।

(5) चयन समिति द्वारा सिफारिश करने में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया साक्षात्कार से पूर्व समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी।

(6) यदि बोर्ड चयन समिति द्वारा की गई सिफारिशें स्वीकार करने में असमर्थ हो तो वह अपने कारण अभिलिखित करेगी और मामले को अंतिम आदेशों के लिए कुलाध्यक्ष को भेजेगी।

(7) अस्थायी पदों पर नियुक्तियां नीचे उपदर्शित रीति से की जाएंगी—

(i) कुलपति को किसी व्यक्ति की अस्थायी आधार पर छह मास की अवधि के लिए नियुक्ति का प्राधिकार होगा जिसे बोर्ड के अनुमोदन से छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परंतु यदि कुलपति का यह समाधान हो जाता है कि कार्य के हित में रिक्ति का भरा जाना आवश्यक है तो नियुक्ति उपखंड (ii) में निर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति द्वारा केवल अस्थायी आधार पर छह मास से अनधिक अवधि के लिए की जा सकेगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ति एक वर्ष से कम की अवधि के लिए है तो ऐसी रिक्ति पर नियुक्ति स्थानीय चयन समिति की सिफारिश पर की जाएगी जिसमें संबद्ध महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष, विभागाध्यक्ष और कुलपति का एक नामनिर्देशिती होगा:

परंतु यदि एक ही व्यक्ति संकायाध्यक्ष और विभागाध्यक्ष का पद धारण करता है तो चयन समिति में कुलपति के दो नामनिर्देशिती हो सकेंगे:

परंतु यह और कि मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से अध्यापन पदों में हुई अचानक आकस्मिक रिक्ति की दशा में संकायाध्यक्ष संबंधित विभागाध्यक्ष के परामर्श से एक मास के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकेगा और ऐसी नियुक्ति की रिपोर्ट कुलपति और कुलसचिव को देगा।

(iii) यदि परिनियमों के अधीन अस्थायी तौर पर नियुक्त किए गए किसी शिक्षक की सिफारिश नियमित चयन समिति द्वारा नहीं की जाती है तो वह ऐसे अस्थायी नियोजन पर सेवा में नहीं बना रहेगा जब तक कि, यथास्थिति, अस्थायी या स्थायी नियुक्ति के लिए स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा बाद में उसका चयन नहीं कर लिया जाता।

(8) अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद के लिए चयन समिति के गठन का ढंग, परिनियमों में विहित न होकर, अध्यादेशों द्वारा विहित होगा।

नियुक्ति का विशेष ढंग :

19. (1) परिनियम 18 में किसी बात के होते हुए भी, बोर्ड, विद्या संबंधी उच्च विशेष उपाधि और वृत्तिक योग्यता वाले व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, विश्वविद्यालय में यथास्थिति, आचार्य या सह-आचार्य का पद अथवा कोई अन्य शैक्षणिक पद स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकेगा और उस व्यक्ति के ऐसा करने के लिए सहमत होने पर उसे उस पद पर नियुक्त कर सकेगा।

(2) बोर्ड, अध्यादेशों में अधिकथित रीति के अनुसार किसी संयुक्त परियोजना का दायित्व लेने के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले किसी शिक्षक या अन्य शैक्षणिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकेगा।

नियत अवधि के लिए नियुक्ति :

20. बोर्ड, परिनियम 18 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार चयन किए गए किसी व्यक्ति को ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो वह ठीक समझे, एक नियत अवधि के लिए नियुक्त कर सकेगा।

निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य, आदि की अर्हताएं :

21. (1) विभिन्न संकायों के निदेशक, संकायाध्यक्ष, आचार्य, सह-आचार्य और सहायक आचार्य और अनुसंधान तथा विस्तारी शिक्षा में उनके समतुल्यों की अर्हताएं अध्यादेशों द्वारा विहित होंगी।

(2) अशैक्षणिक कर्मचारिवृंद की अर्हताएं अध्यादेशों द्वारा विहित होंगी।

समितियां :

22. (1) विश्वविद्यालय का प्राधिकरण, धारा 16 में विनिर्दिष्ट उतनी स्थायी या विशेष समितियां स्थापित कर सकेगा जितनी वह ठीक समझे और ऐसी समितियों में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगा जो ऐसे प्राधिकरण के सदस्य नहीं हैं।

(2) उपखंड (1) के अधीन नियुक्त कोई समिति उसे नियुक्त करने वाले प्राधिकरण द्वारा पुष्टि के अध्यधीन किसी ऐसे विषय में कार्यवाही कर सकेगी जो उसे प्रत्यायोजित किया जाए।

शिक्षकों आदि की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता :

23. (1) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद तत्प्रतिकूल किसी करार के अभाव में, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में विनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक शिक्षक और अन्य कर्मचारिवृंद लिखित संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाएगा, जिसकी शर्तें अध्यादेशों द्वारा विहित होंगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक संविदा की एक प्रति कुलसचिव के पास रखी जाएगी।

अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा आचार संहिता :

24. विश्वविद्यालय के सभी अशैक्षणिक कर्मचारी, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के अभाव में समय-समय पर बनाए गए परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट सेवा के निबंधनों और शर्तों तथा आचार संहिता द्वारा शासित होंगे।

ज्येष्ठता सूची :

25. (1) जब कभी परिनियमों के अनुसार, किसी व्यक्ति को ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय का कोई पद धारण करना है या उसके किसी प्राधिकरण का सदस्य होना है, तो उस ज्येष्ठता

का अवधारण उस व्यक्ति के, उसकी श्रेणी में लगातार सेवाकाल और ऐसे अन्य सिद्धांतों के अनुसार होगा, जो बोर्ड समय-समय पर, विहित करे।

(2) कुलसचिव का यह कर्तव्य होगा कि जिन व्यक्तियों को इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं उनके प्रत्येक वर्ग की बाबत एक पूरी और अद्यतन ज्येष्ठता सूची खंड (1) के उपबंधों के अनुसार तैयार करे और बनाए रखे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का किसी विशिष्ट श्रेणी में लगातार सेवाकाल बराबर हो अथवा किन्हीं व्यक्तियों की सापेक्ष ज्येष्ठता के विषय में अन्यथा संदेह हो तो कुलसचिव स्वप्रेरणा से वह मामला बोर्ड को प्रस्तुत कर सकेगा और यदि वह व्यक्ति ऐसा अनुरोध करता है तो वह मामला बोर्ड को प्रस्तुत करेगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाया जाना :

26. (1) जहां विश्वविद्यालय के किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी सदस्य या किसी अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी अवचार का अभिकथन हो वहां शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य के मामले में कुलपति और अन्य कर्मचारी के मामले में नियुक्ति करने के लिए सक्षम प्राधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात्, नियुक्ति प्राधिकारी कहा गया है) लिखित आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को निलंबित कर सकेगा और बोर्ड को उन परिस्थितियों की तुरंत रिपोर्ट देगा जिनमें वह आदेश किया गया था :

परंतु यदि बोर्ड की यह राय है कि मामले की परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं कि शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य का निलंबन होना चाहिए तो वह उस आदेश को प्रतिसंहृत कर सकेगा।

(2) कर्मचारियों की नियुक्ति की संविदा के निबंधनों में या सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के संबंध में बोर्ड और अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को, यथास्थिति, शिक्षक या शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को अवचार के आधार पर हटाने की शक्ति होगी।

(3) यथापूर्वोक्त के सिवाय, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को हटाने के लिए तभी हकदार होगा जब उसके लिए उचित कारण हो और उसे तीन मास की सूचना दे दी गई हो या सूचना के बदले में तीन मास के वेतन का संदाय कर दिया गया हो, अन्यथा नहीं।

(4) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी को खंड (2) या खंड (3) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उसके बारे में की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध हेतुक दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(5) किसी शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के सदस्य या अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको हटाए जाने का आदेश किया जाता है :

परंतु जहां कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी हटाए जाने के समय निलंबित है, वहां उसका हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगा जिसको वह निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, कोई शिक्षक, शैक्षणिक कर्मचारिवृंद का सदस्य या अन्य कर्मचारी,—

(क) यदि वह स्थायी कर्मचारी है तो, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को तीन मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में तीन मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा;

(ख) यदि वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी को एक मास की लिखित सूचना देने या उसके बदले में एक मास के वेतन का संदाय करने के पश्चात् ही पद त्याग सकेगा :

परंतु ऐसा त्यागपत्र केवल उस तारीख से ही प्रभावी होगा, जिसको, यथास्थिति, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा वह त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है।

मानद उपाधि :

27. (1) बोर्ड, विद्या परिषद् की सिफारिश पर और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कुलाध्यक्ष से सम्मानिक उपाधियां प्रदान करने की प्रस्थापना कर सकेगा :

परंतु आपातस्थिति की दशा में, बोर्ड स्वप्रेरणा से ऐसी प्रस्थापना कर सकेगा।

(2) बोर्ड, उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित संकल्प द्वारा, कुलाध्यक्ष की पूर्व मंजूरी से, विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त किसी सम्मानिक उपाधि को वापस ले सकेगा।

उपाधियों आदि का वापस लिया जाना :

28. बोर्ड, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो -तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा, किसी व्यक्ति को विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त कोई उपाधि या विद्या संबंधी विशेष उपाधि या दिए गए किसी प्रमाणपत्र या डिप्लोमा को उचित और पर्याप्त कारण से वापस ले सकेगी:

परंतु ऐसा कोई संकल्प तभी पारित किया जाएगा जब उस व्यक्ति को ऐसे समय के भीतर जो उस सूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, यह हेतुक दर्शित करने की लिखित सूचना न दे दी जाए कि ऐसा संकल्प क्यों न पारित कर दिया जाए और जब तक बोर्ड द्वारा उसके आक्षेपों पर, यदि कोई हों, और किसी ऐसे साक्ष्य पर, जो वह उनके समर्थन में प्रस्तुत करे, विचार नहीं कर लिया जाता है।

विश्वविद्यालय के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना :

29. (1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन और अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां कुलपति में निहित होंगी।

(2) कुलपति सभी शक्तियां या उनमें से कोई, जो वह ठीक समझे, ऐसे अन्य अधिकारियों को, जिन्हें वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(3) कुलपति, अनुशासन बनाए रखने की तथा ऐसी कार्रवाई करने की, जो उसे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित प्रतीत हो, अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसी शक्तियों के प्रयोग में आदेश द्वारा निदेश दे सकेगा कि किसी छात्र या किन्हीं छात्रों को किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए निकाला या निष्कासित किया जाए अथवा विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय, संस्था या विभाग में किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रमों में कथित अवधि के लिए प्रवेश न दिया जाए अथवा उसे ऐसी रकम के जुर्माने से दण्डित किया जाए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट है अथवा उसे विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, संस्था या विभाग द्वारा संचालित परीक्षा या परीक्षाओं में सम्मिलित होने से एक या अधिक वर्षों के लिए विवर्जित किया जाए अथवा संबंधित छात्र या छात्रों का, किसी परीक्षा या किन्हीं परीक्षाओं का, जिसमें वह या वे सम्मिलित हुआ है या हुए हैं, परीक्षाफल रद्द कर दिया जाए।

(4) महाविद्यालयों, संस्थाओं के संकायाध्यक्षों तथा विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्षों को यह प्राधिकार होगा कि वे अपने-अपने महाविद्यालयों, संस्थाओं और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों में छात्रों पर ऐसी सभी अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करें जो उन महाविद्यालयों, संस्थाओं और विभागों में अध्यापन के उचित संचालन के लिए आवश्यक हों।

(5) कुलपति, खंड (4) में विनिर्दिष्ट संकायाध्यक्षों और अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अनुशासन और उचित आचरण संबंधी विस्तृत नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। महाविद्यालयों, संस्थाओं के संकायाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के अध्यापन विभागों के अध्यक्ष ऐसे अनुपूरक नियम बना सकेंगे जो वे उसमें पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए आवश्यक समझें।

(6) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह इस आशय की घोषणा पर हस्ताक्षर करे कि वह अपने को कुलपति की तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता के अधीन अर्पित करता है।

महाविद्यालयों आदि के छात्रों में अनुशासन बनाए रखना :

30. ऐसे महाविद्यालय या संस्था के बारे में, जो विश्वविद्यालय द्वारा चलाई जाती है, छात्रों से संबंधित अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां, अध्यादेशों द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार, यथास्थिति, महाविद्यालय या संस्था के संकायाध्यक्ष में निहित होंगी।

दीक्षांत समारोह :

31. उपाधियां प्रदान करने या अन्य प्रयोजनों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह ऐसी रीति से आयोजित किए जाएंगे जो अध्यादेशों द्वारा विहित की जाएं।

कार्यकारी अध्यक्ष :

32. जहां किसी समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए किसी अध्यक्ष का उपबंध नहीं किया गया है अथवा जिसके लिए इस प्रकार अध्यक्ष का उपबंध किया गया है वह अनुपस्थित है, या कुलपति ने लिखित में कोई व्यवस्था नहीं की है, वहां उपस्थित सदस्य ऐसे अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित कर लेंगे।

त्यागपत्र :

33. बोर्ड, विद्या परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी समिति के पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य कुलसचिव को संबोधित पत्र द्वारा पद त्याग कर सकेगा और ऐसा पत्र कुलसचिव को प्राप्त होते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।

निरर्हताएं :

34. (1) कोई भी व्यक्ति विश्वविद्यालय के प्राधिकरण में से किसी का सदस्य चुने जाने और होने के लिए निरर्हित होगा यदि—

(i) वह विकृतचित्त है;

(ii) वह अनुन्मोचित दिवालिया है;

(iii) वह किसी ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है और उसकी बाबत छह मास से अन्यून कारावास से दंडादिष्ट किया गया है।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में वर्णित निरर्हताओं में से किसी एक के अधीन है या रहा है तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष को निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा और ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं होंगी।

सदस्यता और पद के लिए निवास की शर्त :

35. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, ऐसा कोई व्यक्ति जो भारत में मामूली तौर पर निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य बनने के लिए पात्र नहीं होगा।

अन्य निकायों की सदस्यता के आधार पर प्राधिकारियों की सदस्यता :

36. परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में कोई पद धारण करता है या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण या निकाय का किसी विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य की अपनी हैसियत में सदस्य है या कोई विशिष्ट नियुक्ति धारित करता है, केवल तब तक ऐसा पद या सदस्यता धारण करेगा जब तक वह, यथास्थिति, उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय का सदस्य बना रहता है या उस विशिष्ट नियुक्ति को धारित करता रहता है।

पूर्व छात्र संगम:

37. (1) विश्वविद्यालय का एक पूर्व छात्र संगम होगा।

(2) पूर्व छात्र संगम का सदस्यता अभिदाय अध्यादेशों द्वारा विहित किया जाएगा।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई भी सदस्य मतदान करने या निर्वाचन के लिए खड़े होने का तभी हकदार होगा जब वह निर्वाचन की तारीख से पहले कम से कम एक वर्ष तक उक्त संगम का सदस्य रहा है और विश्वविद्यालय का कम से कम पांच वर्ष की कालावधि का डिग्रीधारक है:

परन्तु एक वर्ष की सदस्यता पूरी करने संबंधी शर्त प्रथम निर्वाचन की दशा में लागू नहीं होगी।

छात्र परिषद्:

38. (1) विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में छात्र कल्याण से संबंधित विभिन्न क्रियाकलापों की बाबत, जिनके अंतर्गत क्रीड़ा, खेलकूद, नाट्यकला, वाद-विवाद, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, आदि भी हैं, विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों को सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक छात्र परिषद् होगी, और ऐसी परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी:

(i) महाविद्यालय का संकायाध्यक्ष—अध्यक्ष;

(ii) सभी छात्रावासों के वार्डन;

(iii) परिसर सम्पदा अधिकारी;

(iv) संकायाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच विभागाध्यक्ष;

(v) छात्रावास प्रीफेक्ट;

(vi) प्रत्येक कक्षा या वर्ष से एक छात्र जिसने पूर्ववर्ती शैक्षिक सत्र में उच्चतम समग्र श्रेणी बिन्दु औसत (ओजीपीए) प्राप्त किया हो;

(vii) छात्र कल्याण अधिकारी—सदस्य सचिव।

(2) छात्र परिषद् प्रत्येक सेमेस्टर में कम से कम एक बार अपना अधिवेशन करेगी।

अध्यादेश कैसे बनाए जाएंगे:

39. (1) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश, बोर्ड द्वारा निम्नलिखित विनिर्दिष्ट रीति से किसी भी समय, संशोधित या निरसित किए जा सकेंगे।

(2) धारा 27 में प्रगणित मामलों के बारे में बोर्ड द्वारा उसकी उपधारा (1) के खण्ड (ढ) में प्रगणित अध्यादेशों से भिन्न कोई अध्यादेश तब तक नहीं बनाए जाएंगे जब तक ऐसे अध्यादेश का प्रारूप विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित नहीं किया गया हो।

(3) बोर्ड को इस बात की शक्ति नहीं होगी कि वह विद्या परिषद् द्वारा खंड (2) के अधीन प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप का संशोधन करे किंतु वह प्रस्तावना को नामंजूर कर सकेगा या विद्या परिषद् के पुनर्विचार के लिए संपूर्ण प्रारूप को या उसके किसी भाग को ऐसे किन्हीं संशोधनों सहित जिनका सुझाव बोर्ड दे, वापस भेज सकेगा।

(4) जहां बोर्ड ने विद्या परिषद् द्वारा प्रस्थापित किसी अध्यादेश के प्रारूप को नामंजूर कर दिया है या उसे वापस कर दिया है वहां विद्या परिषद् उस प्रश्न पर नए सिरे से विचार कर सकेगी और उस दशा में जब मूल प्रारूप विद्या परिषद् के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई और सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक बहुमत से पुन: अभिपुष्ट कर दिया जाता है तब प्रारूप बोर्ड को वापस भेजा जा सकेगा या जो तो उसे अंगीकृत कर लेगा या उसे कुलाध्यक्ष को निर्देशित कर देगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(5) बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश तुरंत प्रभावी होगा।

(6) बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रत्येक अध्यादेश उसके अंगीकार किए जाने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जाएगा। कुलाध्यक्ष को, अध्यादेश की प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर विश्वविद्यालय को यह निदेश देने की शक्ति होगी कि वह ऐसे किसी अध्यादेश के प्रवर्तन को निलंबित कर दे और वह यथासंभव शीघ्र प्रस्तावित अध्यादेश पर अपने आक्षेपों के बारे में बोर्ड को सूचित करेगा। कुलाध्यक्ष, विश्वविद्यालय से टिप्पणी प्राप्त कर लेने के पश्चात् या तो अध्यादेश का निलंबन करने वाले आदेश को वापस ले लेगा या अध्यादेश को नामंजूर कर देगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

विनियम :

40. (1) विश्वविद्यालय के प्राधिकरण निम्नलिखित विषयों के बारे में इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों से संगत विनियम बना सकेंगे, अर्थात्:—

(i) उनके अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के लिए अपेक्षित सदस्यों की संख्या अधिकथित करना;

(ii) उन सभी विषयों के लिए उपबंध करना जिनका विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित है;

(iii) ऐसे सभी अन्य विषयों के लिए उपबंध करना, जो ऐसे प्राधिकरणों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबंधित हों और जिनके लिए इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा उपबंध न किया गया हो।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण उस प्राधिकरण के सदस्यों को अधिवेशनों की तारीखों की और उन अधिवेशनों में विचारार्थ कार्य की सूचना देने और अधिवेशनों की कार्यवाहियों का अभिलेख रखने के लिए विनियम बनाएगा।

(3) बोर्ड इन परिनियमों के अधीन बनाए गए किसी विनियम का ऐसी रीति से जो वह विनिर्दिष्ट करे, संशोधन करने या किसी ऐसे विनियम के निष्प्रभाव किए जाने का निदेश दे सकेगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन :

41. अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या प्राधिकरण अपनी शक्ति, अपने या इसके नियंत्रण में के किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण या व्यक्ति को ऐसी शर्त के अधीन रहते हुए प्रत्यायोजित कर सकेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का संपूर्ण उत्तरदायित्व ऐसी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने वाले अधिकारी या प्राधिकरण में निहित बना रहेगा।

अन्य संस्था और संगठनों के साथ सहयोग :

42. विश्वविद्यालय को, विश्वविद्यालय की अधिस्नातक और पी०एच०डी० उपाधियां प्रदान करने के लिए आंशिक अपेक्षाओं को पूरा करने हेतु सहयोगात्मक स्नातकोत्तर अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करने के लिए किसी अनुसंधान और/या उच्चत्तर विद्या की शैक्षणिक संस्था के साथ परस्पर समझ ज्ञापन के माध्यम से कोई करार करने का प्राधिकार होगा।

अनुसंधान परिषद् का गठन और कृत्य :

43. (1) कृषि और सहबद्ध विद्या शाखाओं के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की अनुसंधान नीतियों तथा कार्यक्रमों पर साधारण पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय की एक अनुसंधान परिषद् होगी। अनुसंधान परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(i) कुलपति—अध्यक्ष;

(ii) विस्तारी शिक्षा निदेशक—सदस्य;

(iii) शिक्षा निदेशक—सदस्य;

(iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष—सदस्य;

(v) राज्य सरकार का नामनिर्देशिती जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न होगा—सदस्य;

(vi) विश्वविद्यालय की अनुसंधान टीमों के सभी समन्वयक—सदस्य;

(vii) कुलपति द्वारा तीन वर्ष के लिए नामनिर्दिष्ट दो विख्यात कृषि वैज्ञानिक —सदस्य;

(viii) अनुसंधान निदेशक—सदस्य सचिव।

(2) अनुसंधान परिषद् का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक होगा।

(3) अनुसंधान परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति अनुसंधान परिषद् के एक तिहाई सदस्यों से होगी।

(4) यदि त्यागपत्र के कारण या अन्यथा कोई रिक्ति होती है तो उसे शेष अवधि के लिए भरा जाएगा।

विस्तारी शिक्षा परिषद् का गठन और कृत्य :

44. (1) कृषि और सहबद्ध विद्या शाखाओं के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की विस्तारी शिक्षा नीति और कार्यक्रमों का साधारण पर्यवेक्षण करने के लिए विश्वविद्यालय की एक विस्तारी शिक्षा परिषद् होगी। विस्तारी शिक्षा परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी :

(i) कुलपति—अध्यक्ष;

(ii) अनुसंधान निदेशक—सदस्य;

(iii) शिक्षा निदेशक—सदस्य;

(iv) विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों के सभी संकायाध्यक्ष—सदस्य;

(v) राज्य सरकार का नामनिर्देशिती जो निदेशक की पंक्ति से नीचे का न होगा—सदस्य;

(vi) कुलपति द्वारा तीन वर्षों की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट बुन्देलखण्ड से किसानों के प्रतिनिधि और एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता—सदस्य;

(vii) कुलपति द्वारा दो वर्षों के लिए नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय से बाहर के दो विख्यात वैज्ञानिक; और

(viii) विस्तारी शिक्षा निदेशक—सदस्य सचिव।

(2) विस्तारी शिक्षा परिषद् का अधिवेशन वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक होगा।

(3) विस्तारी शिक्षा परिषद् के अधिवेशन की गणपूर्ति विस्तारी शिक्षा परिषद् के एक-तिहाई सदस्यों से होगी।

केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 का लागू होना :

45. (1) विश्वविद्यालय के सभी नियमित कर्मचारी पेंशन और उपदान तथा साधारण भविष्य-निधि प्रदान करने के संबंध में, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, और साधारण भविष्य-निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 के उपबंधों से शासित होंगे।

(2) भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972, और साधारण भविष्य-निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 में किया गया कोई संशोधन विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी लागू होगा।

(3) पेंशन के संराशीकरण के संबंध में केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन का सरांशीकरण) नियम, 1981 के उपबंध लागू होंगे।

(4) कुलपति पेंशन मंजूरी प्राधिकारी और पेंशन प्राधिकार के प्राधिकारी होंगे।

(5) पेंशन का संदाय नियंत्रक के कार्यालय द्वारा केन्द्रीयकृत और नियंत्रित होगा।

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 25)

[6 अगस्त, 2014]

वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए केन्द्रीय सरकार की वित्तीय प्रस्थापनाओं को प्रभावी करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) इस अधिनियम में जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, धारा 2 से धारा 77 तक 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त हुई समझी जाएंगी।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

आय-कर । **2.** (1) उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए आय-कर, पहली अनुसूची के भाग 1 में विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित किया जाएगा और ऐसे कर में, प्रत्येक दशा में, उसमें उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(2) उन दशाओं में, जिनमें पहली अनुसूची के भाग 1 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की, पूर्ववर्ष में, कुल आय के अतिरिक्त, पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है, और वह कुल आय दो लाख रुपए से अधिक हो जाती है वहां,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में केवल आय-कर प्रभारित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात् मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और

(ख) प्रभार्य आय-कर निम्नलिखित रीति से परिकलित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित आय-कर की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में आय-कर होगी :

परंतु पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "दो लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों ।

(3) उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम, 1961 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 1961 का 43 आय-कर अधिनियम कहा गया है) के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, प्रभार्य कर का अवधारण, उस अध्याय या उस धारा में उपबंधित रूप में और, यथास्थिति, उपधारा (1) द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से किया जाएगा :

परंतु आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ और पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ, धारा 115ङ, धारा 115ञख या धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम से, आय की उस रकम से, अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115ञख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम से, आय की उस रकम से, अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(4) उन दशाओं में जिनमें कर, आय-कर अधिनियम की धारा 115ण या धारा 115थक या धारा 115द की उपधारा (2) या धारा 115नक के अधीन प्रभारित और संदत्त किया जाना है, कर उन धाराओं में यथा विनिर्दिष्ट दरों से प्रभारित और संदत्त किया जाएगा और उसमें ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(5) उन दशाओं में, जिनमें कर आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के अधीन, प्रवृत्त दरों से, काटा जाना है, कटौतियां पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित हो, उनमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(6) उन दशाओं में, जिनमें कर आय-कर अधिनियम की धारा 194ग, धारा 194घक, धारा 194ङ, धारा 194ङङ, धारा 194च, धारा 194छ, धारा 194ज, धारा 194झ, धारा 194झक, धारा 194ञ, धारा 194ठक, धारा 194ठख, धारा 194ठखक, धारा 194ठग, धारा 194ठघ, धारा 196ख, धारा 196ग और धारा 196घ के अधीन काटा जाना है, कटौतियां उन धाराओं में विनिर्दिष्ट दरों से की जाएंगी और उनमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदत्त की जाने वाली संभावित और कटौती के अधीन रहते हुए आय या ऐसी आय का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संदत्त या संदत्त की जाने वाली संभावित और कटौती के अधीन रहते हुए आय या ऐसी आय का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संदत्त या संदत्त की जाने वाली संभावित और कटौती के अधीन रहते हुए आय या ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(7) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 194ख के परंतुक के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण पहली अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उन दशाओं में, जहां कहीं विहित हो, उनमें उपबंधित रीति से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(8) उन दशाओं में, जिनमें कर का संग्रहण आय-कर अधिनियम की धारा 206ग के अधीन किया जाना है, ऐसा संग्रहण उस धारा में विनिर्दिष्ट दरों से किया जाएगा और उसमें,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रहते हुए रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रहते हुए रकम या ऐसी रकमों का योग एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां संगृहीत और संग्रहण के अधीन रहते हुए रकम या ऐसी रकमों का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(9) उपधारा (10) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है या उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से काटा जाना है या उस पर संदत्त किया जाना है अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर", पहली अनुसूची के भाग 3 में विनिर्दिष्ट दर या दरों से इस प्रकार प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा और ऐसे कर में, उन दशाओं में और उसमें यथा उपबंधित रीति से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु उन दशाओं में, जिनमें आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के उपबंध लागू होते हैं, "अग्रिम कर" की संगणना, यथास्थिति, इस उपधारा द्वारा अधिरोपित दरों के या उस अध्याय या धारा में यथाविनिर्दिष्ट दरों के प्रति निर्देश से की जाएगी :

परंतु यह और कि आय-कर अधिनियम की धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित "अग्रिम कर" की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 3 के, यथास्थिति, पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कगक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ, धारा 115ङ, धारा 115जख और धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में पहले परंतुक के अधीन संगणित "अग्रिम कर" में,—

(क) प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या न हो, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ख) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के दस प्रतिशत की दर से;

(ग) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे "अग्रिम कर" के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे "अग्रिम कर" के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु यह भी कि उपरोक्त (क) में वर्णित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम से, आय की उस रकम से, अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम एक करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम से, आय की उस रकम से, अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से, अधिक है :

परंतु यह भी कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य है और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर "अग्रिम कर" और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर "अग्रिम कर" के रूप में संदेय कुल रकम से, आय की उस रकम से, अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है ।

(10) उन दशाओं में जिनमें, पहली अनुसूची के भाग 3 का पैरा क लागू होता है, जहां निर्धारिती की पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर आय-कर पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है, ऐसी अन्य अवधि में कुल आय के अतिरिक्त पांच हजार रुपए से अधिक कोई शुद्ध कृषि-आय है और कुल आय दो लाख पचास हजार रुपए से अधिक है, वहां प्रवृत्त दर या दरों से, उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन आय-कर प्रभारित करने में अथवा उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना करने में,—

(क) शुद्ध कृषि-आय को, कुल आय के संबंध में, केवल, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" प्रभारित या संगणित करने के प्रयोजन के लिए, खंड (ख) में उपबंधित रीति से हिसाब में लिया जाएगा [अर्थात्, मानो शुद्ध कृषि-आय कुल आय के प्रथम दो लाख पचास हजार रुपए के पश्चात् कुल आय में समाविष्ट हो, किंतु कर के दायित्वाधीन न हो]; और

(ख) यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" निम्नलिखित रीति से इस प्रकार प्रभारित या संगणित किया जाएगा, अर्थात्:—

(i) कुल आय और शुद्ध कृषि-आय को संकलित कर दिया जाएगा और संकलित आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो ऐसी संकलित आय कुल आय हो;

(ii) शुद्ध कृषि-आय में दो लाख पचास हजार रुपए की राशि बढ़ा दी जाएगी और इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय के संबंध में आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम, उक्त पैरा क में विनिर्दिष्ट दरों से ऐसे अवधारित की जाएगी, मानो इस प्रकार बढ़ाई गई शुद्ध कृषि-आय कुल आय हो;

(iii) उपखंड (i) के अनुसार अवधारित आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम में से उपखंड (ii) के अनुसार अवधारित, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम घटा दी जाएगी और इस प्रकार प्राप्त राशि, कुल आय के संबंध में, यथास्थिति, आय-कर या "अग्रिम कर" होगी :

परंतु ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (II) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या उससे अधिक, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "तीन लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह और कि ऐसे प्रत्येक व्यष्टि की दशा में, जो पहली अनुसूची के भाग 3 के पैरा क की मद (III) में निर्दिष्ट भारत में निवासी है और पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का है, इस उपधारा के उपबंध ऐसे प्रभावी होंगे मानो "दो लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "पांच लाख रुपए" शब्द रखे गए हों :

परंतु यह भी कि इस प्रकार प्राप्त आय-कर या "अग्रिम कर" की रकम पर, प्रत्येक दशा में परिकलित अधिभार, उसमें उपबंधित रीति में, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा ।

(11) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित लागू अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर दो प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजनों के लिए, और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या उसका संग्रहण किया जाना है यदि स्रोत पर कर की कटौती के या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय का संदाय किसी देशी कंपनी या भारत में निवासी किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है ।

(12) उपधारा (1) से उपधारा (10) में यथा विनिर्दिष्ट और उसमें उपबंधित रीति से परिकलित लागू अधिभार द्वारा संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ाई गई आय-कर की रकम को, ऐसे आय-कर और अधिभार पर एक प्रतिशत की दर से परिकलित "आय-कर पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" नाम से ज्ञात, अतिरिक्त अधिभार द्वारा, संघ के प्रयोजनों के लिए, और बढ़ा दिया जाएगा, जिससे सार्वत्रिक स्तर की क्वालिटी की माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपलब्ध कराने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा किया जा सके :

परंतु इस उपधारा की कोई बात उन दशाओं में लागू नहीं होगी जिनमें उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (7) और उपधारा (8) में वर्णित आय-कर अधिनियम की धाराओं के अधीन कर की कटौती या उसका संग्रहण किया जाना है, यदि स्रोत पर कर की कटौती के या स्रोत पर कर के संग्रहण के अधीन रहते हुए आय का संदाय किसी देशी कंपनी या भारत में निवासी किसी अन्य व्यक्ति को किया जाता है।

(13) इस धारा और पहली अनुसूची के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "देशी कंपनी" से कोई भारतीय कंपनी या कोई अन्य ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, जिसने 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए, आय-कर अधिनियम के अधीन आय-कर के दायित्वाधीन अपनी आय के संबंध में ऐसी आय में से संदेय लाभांशों (जिनके अंतर्गत अधिमानी शेयरों पर लाभांश भी है) भारत में की घोषणा और उनके संदाय के लिए विहित इंतजाम कर लिए हैं;

(ख) "बीमा कमीशन" से बीमा कारबार की याचना करने या उसे उपाप्त करने के लिए (जिसके अन्तर्गत बीमा पालिसियों को जारी रखने, उनका नवीकरण या उन्हें पुनरुज्जीवित करने से संबंधित कारबार है) कमीशन के रूप में या अन्यथा कोई पारिश्रमिक या इनाम अभिप्रेत है;

(ग) "शुद्ध कृषि-आय" से, किसी व्यक्ति के संबंध में, पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के अनुसार संगणित, उस व्यक्ति की किसी भी स्रोत से व्युत्पन्न कृषि-आय की कुल रकम अभिप्रेत है;

(घ) अन्य सभी शब्दों या पदों के, जो इस धारा में और पहली अनुसूची में प्रयुक्त हैं, किन्तु इस उपधारा में परिभाषित नहीं हैं और आय-कर अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके उस अधिनियम में हैं ।

अध्याय 3

प्रत्यक्ष कर

आय-कर

धारा 2 का संशोधन ।

3. आय-कर अधिनियम की धारा 2 में, —

(I) खंड (13) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(13क) "कारबार न्यास" से अवसंरचना विनिधान न्यास या भू-संपदा विनिधान न्यास के रूप में रजिस्ट्रीकृत ऐसा न्यास अभिप्रेत है, जिसकी इकाइयों का, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए और केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित विनियमों के अनुसार किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होना अपेक्षित है;'; 1992 का 15

(II) खंड (14) में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(अ) आरंभिक भाग में, ' "पूंजी आस्ति" से किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है जो निर्धारिती द्वारा धारित है, चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या न हो, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(i) उसके कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए धारित कोई व्यापार स्टाक', शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

' "पूंजी आस्ति" से,—

(क) किसी प्रकार की ऐसी संपत्ति अभिप्रेत है, जो निर्धारिती द्वारा धारित है, चाहे वह उसके कारबार या वृत्ति से संबंधित हो या न हो;

(ख) ऐसी प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं, जो ऐसे किसी विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता द्वारा धारित हैं और जिसने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों में विनिधान किया है, 1992 का 15

किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं :—

(i) उसके कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए धारित [उपखंड (ख) में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों से भिन्न] कोई व्यापार स्टाक,';

(आ) अंत में आने वाले स्पष्टीकरण को उसके "स्पष्टीकरण 1" के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण 2**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए—

(क) "विदेशी संस्थागत विनिधानकर्ता" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 115कघ के स्पष्टीकरण के खंड (क) में उसका है;

1956 का 42 (ख) "प्रतिभूतियां" पद का वही अर्थ होगा, जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ज) में उसका है;';

(III) खंड (15क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 जून, 2013 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(15क) "मुख्य आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर मुख्य आयुक्त या आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है;';

(IV) खंड (16) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 जून, 2013 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(16) "आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर आयुक्त या आय-कर निदेशक या आय-कर प्रधान आयुक्त या आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है;';

(V) खंड (21) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा और 1 जून, 2013 से रखा गया समझा जाएगा, अर्थात् :—

'(21) "महानिदेशक या निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आय-कर महानिदेशक या आय-कर प्रधान महानिदेशक या आय-कर निदेशक या आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति है जो उस उपधारा के अधीन आय-कर अपर निदेशक या आय-कर संयुक्त निदेशक या आय-कर सहायक निदेशक या आय-कर उप निदेशक नियुक्त किया जाता है;';

(VI) खंड (24) के उपखंड (xvi) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड, 1 अप्रैल, 2015 से, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(xvii) धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) में निर्दिष्ट कोई धनराशि;";

(VII) खंड (34) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे और 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किए गए समझे जाएंगे, अर्थात् :—

'(34क) "आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त नियुक्त किया जाता है;

(34ख) "आय-कर प्रधान आयुक्त" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान आयुक्त नियुक्त किया जाता है;

(34ग) "आय-कर प्रधान निदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान निदेशक नियुक्त किया जाता है;

(34घ) "आय-कर प्रधान महानिदेशक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 117 की उपधारा (1) के अधीन आय-कर प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया जाता है;';

(VIII) खंड (42क) में,—

(अ) परंतुक में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(i) "किसी कंपनी में धारित शेयर या भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किसी अन्य प्रतिभूति" शब्दों के स्थान पर, "भारत में किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (किसी यूनिट से भिन्न) किसी प्रतिभूति" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) "धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि के किसी यूनिट" शब्दों, अंकों, कोष्ठकों और अक्षर के स्थान पर, "किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि की किसी यूनिट" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह और कि कंपनी के शेयर (जो किसी मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयर नहीं है) या धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की किसी यूनिट की दशा में, जो 1 अप्रैल, 2014 को आरंभ होने वाली और 10 जुलाई, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अंतरित किए गए हैं, इस खंड के उपबंध इस प्रकार प्रभावी होंगे मानो "छत्तीस मास" शब्दों के स्थान पर "बारह मास" शब्द रखे गए हों।";

(इ) स्पष्टीकरण 1 के खंड (i) के उपखंड (जख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(जग) किसी ऐसी पूंजी आस्ति की दशा में, जो किसी कारबार न्यास की यूनिट है, जो धारा 47 के खंड (xvii) में यथानिर्दिष्ट शेयर या शेयरों के अंतरण के अनुसरण में आबंटित की गई है, वह अवधि सम्मिलित की जाएगी जिसके लिए निर्धारिती द्वारा ऐसा शेयर धारित किया गया था या ऐसे शेयर धारित किए गए थे;";

(ई) स्पष्टीकरण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण 4**—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "साधारण शेयरोन्मुख निधि" का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (38) के स्पष्टीकरण में उसका है;'।

नए प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन।

4. आय-कर अधिनियम में, जैसा अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित है, उसके सिवाय, और जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किसी आय-कर प्राधिकारी के प्रति निर्देश के स्थान पर उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या प्राधिकारियों के प्रति निर्देश रखा जाएगा और 1 जून, 2013 से रखा गया समझा जाएगा और ऐसे पारिणामिक परिवर्तन जो व्याकरण के नियमों के रूप में अपेक्षित हों, किए जाएंगेः

सारणी

क्रम सं०	(1)	(2)
1.	आयुक्त	प्रधान आयुक्त या आयुक्त
2.	निदेशक	प्रधान निदेशक या निदेशक
3.	मुख्य आयुक्त	प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त
4.	महानिदेशक	प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक।

धारा 10 का संशोधन।

5. आय-कर अधिनियम की धारा 10 में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(क) खंड (23ग) में,—

(i) उपखंड (iiiकग) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—उपखंड (iiiकख) और उपखंड (iiiकग) के प्रयोजनों के लिए, उनमें निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को किसी पूर्ववर्ष के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित समझा जाएगा, यदि ऐसे विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था को, सरकारी अनुदान उस सुसंगत पूर्ववर्ष के दौरान, यथास्थिति, उस विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था, अस्पताल या अन्य संस्था की कुल प्राप्तियों की, जिनके अंतर्गत कोई स्वैच्छिक अभिदाय भी हैं, ऐसी प्रतिशतता से, जो विहित की जाए, अधिक है;";

(ii) सत्रहवें परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक और स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि जहां उपखंड (iv) में निर्दिष्ट निधि या संस्था या उपखंड (v) में निर्दिष्ट न्यास या संस्था को, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित है या विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है अथवा उपखंड (vi) में निर्दिष्ट किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या उपखंड (viक) में निर्दिष्ट किसी अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था को विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है और वह अधिसूचना या अनुमोदन किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां इस धारा के [उसके उपखंड (1) से भिन्न] किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट कोई बात, यथास्थिति, उस निधि या न्यास या संस्था या विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल या अन्य आयुर्विज्ञान संस्था की ओर से प्राप्त किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण—इस खंड में, जहां किसी आय को उपयोजित किया जाना या संचित किया जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे प्रयोजन के लिए आय का अवधारण ऐसी किसी आस्ति की बाबत, जिसके अर्जन का दावा इस खंड के अधीन उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, अवधारण अवक्षयण के रूप में या अन्यथा किसी कटौती या मोक के बिना किया जाएगा;";

(ख) खंड (23चख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

'(23चग) किसी विशेष प्रयोजन एकक से प्राप्त या प्राप्य ब्याज के रूप में किसी कारबार न्यास की कोई आय ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विशेष प्रयोजन एकक" पद से ऐसी कोई भारतीय कंपनी अभिप्रेत है, जिसमें कारबार न्यास नियंत्रणकारी हित और शेयरधारिता या हित की ऐसी कोई विनिर्दिष्ट प्रतिशतता धारण करता है, जो उन विनियमों द्वारा, जिनके अधीन ऐसे न्यास को रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है, अपेक्षित हो;

(23चघ) धारा 115पक में निर्दिष्ट ऐसी कोई वितरित आय, जो किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त की गई हो, जो आय का वह अनुपात नहीं है, जो उसी प्रकृति की है, जैसी खंड (23चग) में निर्दिष्ट की गई है;';

(ग) खंड (38) में,—

(i) "साधारण शेयरोन्मुख निधि की कोई यूनिट" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास की कोई यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) परंतुक के पश्चात् किंतु स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि इस खंड के उपबंध ऐसी किसी आय की बाबत, जो किसी कारबार न्यास की ऐसी किन्हीं यूनिटों के, जो धारा 47 के खंड (xvii) में निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप अर्जित की गई हों, अंतरण से उद्भूत किसी आय की बाबत लागू नहीं होंगे।"।

धारा 10कक का संशोधन।

6. आय-कर अधिनियम की धारा 10कक की उपधारा (9) के पश्चात् किंतु स्पष्टीकरण 1 के पूर्व, निम्नलिखित उपधारा 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(10) जहां इस धारा के अधीन किसी कटौती का किसी निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35कघ की उपधारा (8) के खंड (ग) में निर्दिष्ट किसी विनिर्दिष्ट कारबार के लाभों की बाबत दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, वहां विनिर्दिष्ट कारबार के संबंध में उसी या किसी अन्य निर्धारण वर्ष के लिए धारा 35कघ के उपबंधों के अधीन कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की जाएगी।" ।

धारा 11 का संशोधन।

7. आय-कर अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(6) इस धारा में जहां किसी आय का उपयोजन या संचित किया जाना या उपयोजन के लिए अलग रखा जाना अपेक्षित है, वहां ऐसे प्रयोजनों के लिए, आय, ऐसी किसी आस्ति की बाबत, जिसके अर्जन का इस धारा के अधीन दावा उसी या किसी अन्य पूर्ववर्ष में आय के उपयोजन के रूप में किया गया है, अवधारण अवक्षयण के रूप में या अन्यथा किसी कटौती या मोक के बिना किया जाएगा ।

(7) जहां किसी न्यास या संस्था को धारा 12कक की उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उसने धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] 1996 का 33
के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और उक्त रजिस्ट्रीकरण किसी पूर्ववर्ष के लिए प्रवृत्त है, वहां धारा 10 [उसके खंड (1) और खंड (23ग) से भिन्न] में अंतर्विष्ट कोई बात न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न किसी आय को उस पूर्ववर्ष के लिए उसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति की कुल आय से अपवर्जित करने के लिए प्रवर्तित नहीं होगी।"।

धारा 12क का संशोधन।

8. आय-कर अधिनियम की धारा 12क की उपधारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"परंतु जहां रजिस्ट्रीकरण, धारा 12कक के अधीन न्यास या संस्था को मंजूर किया गया है, वहां धारा 11 और धारा 12 के उपबंध पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष की न्यास के अधीन धारित संपत्ति से व्युत्पन्न ऐसी आय के संबंध में लागू होंगे जिसके लिए निर्धारण कार्यवाहियां ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख को निर्धारण अधिकारी के समक्ष लंबित हैं और ऐसे न्यास या संस्था के उद्देश्य और क्रियाकलाप, ऐसे पूर्ववर्ती निर्धारण वर्ष के लिए समान बने रहते हैं:

परंतु यह और कि धारा 147 के अधीन कोई कार्रवाई, निर्धारण अधिकारी द्वारा ऐसे न्यास या संस्था की दशा में, उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उस न्यास या संस्था का केवल रजिस्ट्रीकरण न कराए जाने के कारण पूर्वोक्त निर्धारण वर्ष से पूर्ववर्ती किसी निर्धारण वर्ष के लिए नहीं की जाएगी :

परंतु यह भी कि पहले और दूसरे परंतुक में अंतर्विष्ट उपबंध किसी ऐसे न्यास या संस्था की दशा में लागू नहीं होंगे, जिसका रजिस्ट्रीकरण करने से धारा 12कक के अधीन इंकार कर दिया गया है या उसे मंजूर किए गए रजिस्ट्रीकरण को किसी समय रद्द कर दिया गया है।"।

9. आय-कर अधिनियम की धारा 12कक की उपधारा (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— धारा 12कक का संशोधन।

"(4) उपधारा (3) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां किसी न्यास या किसी संस्था को उपधारा (1) के खंड (ख) के अधीन रजिस्ट्रीकरण मंजूर किया गया है या उसने धारा 12क [जैसी वह वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 द्वारा उसके संशोधन के पूर्व विद्यमान थी] के अधीन किसी समय रजिस्ट्रीकरण अभिप्राप्त किया है और तत्पश्चात् यह अवेक्षा की जाती है कि न्यास या संस्था के क्रियाकलाप ऐसी रीति में किए जा रहे हैं कि धारा 11 और धारा 12 के उपबंध, धारा 13 की उपधारा (1) के प्रवर्तन के कारण ऐसे न्यास या संस्था की संपूर्ण आय या उसके किसी भाग को अपवर्जित करने के लिए लागू नहीं होते हैं, वहां प्रधान आयुक्त या आयुक्त उस न्यास या संस्था के रजिस्ट्रीकरण को लिखित आदेश द्वारा रद्द कर सकेगा:

1996 का 33

परंतु इस उपधारा के अधीन रजिस्ट्रीकरण उस दशा में रद्द नहीं किया जाएगा यदि न्यास या संस्था यह साबित कर देती है कि क्रियाकलापों को उक्त रीति से किए जाने का युक्तियुक्त कारण था।"।

10. आय-कर अधिनियम की धारा 24 के खंड (ख) के दूसरे परंतुक में, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे। धारा 24 का संशोधन।

11. आय-कर अधिनियम की धारा 32कग में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 32कग का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां कोई निर्धारिती, जो कोई कंपनी है, जो किसी वस्तु या चीज के विनिर्माण या उत्पादन के कारबार में लगा हुआ है, नई आस्तियां अर्जित और प्रतिष्ठापित करता है और किसी पूर्ववर्ष के दौरान अर्जित और प्रतिष्ठापित ऐसी नई आस्तिओं की वास्तविक लागत की रकम पच्चीस करोड़ रुपए से अधिक है, वहां ऐसी नई आस्तियों की वास्तविक लागत के पन्द्रह प्रतिशत के बराबर राशि की कटौती उस पूर्ववर्ष से सुसंगत निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात की जाएगी:

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई कटौती ऐसे निर्धारिती को 1 अप्रैल, 2015 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी, जो उक्त निर्धारण वर्ष के लिए उपधारा (1) के अधीन कटौती का दावा करने का पात्र है।

(1ख) उपधारा (1क) के अधीन कोई कटौती 1 अप्रैल, 2018 को या उसके पश्चात् प्रारंभ होने वाले किसी निर्धारण वर्ष के लिए अनुज्ञात नहीं की जाएगी।";

(ii) उपधारा (2) में, "उपधारा (1)" शब्द, कोष्ठकों और अंक के पश्चात्, "या उपधारा (1क)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

12. आय-कर अधिनियम की धारा 35कघ में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 35कघ का संशोधन।

(क) उपधारा (3) में, "कारबार के संबंध में" शब्दों के पश्चात्, "धारा 10कक और" शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (5) में,—

(i) खंड (कज) के अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (कज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(कझ) 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन बिछाने और उसके प्रचालन की प्रकृति का है;

(कञ) 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात्, जहां विनिर्दिष्ट कारबार किसी अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की स्थापना और उसके प्रचालन की प्रकृति का है और जो बोर्ड द्वारा ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अधिसूचित किया गया है; और";

(ग) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

'(7क) ऐसी कोई आस्ति, जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, केवल विनिर्दिष्ट कारबार के लिए उस पूर्ववर्ष से, जिसमें ऐसी आस्ति अर्जित या सन्निर्मित की जाती है, आरंभ होने वाले आठ वर्ष की अवधि के लिए उपयोग में लाई जाएगी।

(7ख) जहां ऐसी कोई आस्ति, जिसकी बाबत इस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है और वह अनुज्ञात की जाती है, उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट कारबार से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए, धारा 28 के खंड (vii) में निर्दिष्ट ढंग से भिन्न रूप में उपयोग में लाई जाती है, वहां एक या अधिक पूर्ववर्षों में इस प्रकार दावा की गई और अनुज्ञात की गई कटौती की कुल रकम को, जो धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटाकर आए, निर्धारिती की उस पूर्ववर्ष की, जिसमें आस्ति इस प्रकार उपयोग में लाई जाती है, "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा।

(7ग) उपधारा (7ख) में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसी किसी कंपनी को लागू नहीं होगी जो रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 की धारा 17 की उपधारा (1) के अधीन, उपधारा (7क) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान, रुग्ण औद्योगिक कंपनी हो गई है।'; 1986 का 1

(घ) उपधारा (8) के खंड (ग) के उपखंड (xi) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(xii) लौह अयस्क के परिवहन के लिए अवपंक पाइपलाइन को बिछाना और उसका प्रचालन;

(xiii) बोर्ड द्वारा अधिसूचित अर्धचालक वेफर संविरचना विनिर्माण इकाई की, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, स्थापना और उसका प्रचालन;"।

धारा 37 का संशोधन।

13. आय-कर अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण को उसके स्पष्टीकरण 1 के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित स्पष्टीकरण 1 के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 2**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, किसी निर्धारिती द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की 2013 का 18

धारा 135 में निर्दिष्ट सामूहिक सामाजिक उत्तरदायित्व से संबंधित क्रियाकलापों पर उपगत किसी व्यय को निर्धारिती द्वारा कारबार या वृत्ति के प्रयोजनों के लिए उपगत किया गया व्यय नहीं समझा जाएगा।"।

14. आय-कर अधिनियम की धारा 40 के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 40 का संशोधन।

(क) उपखंड (i) में,—

(I) "पूर्ववर्ष में" से आरंभ होने वाले शब्दों और "समाप्ति से पूर्व नहीं किया गया है" पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख को या उसके पूर्व उसका संदाय नहीं किया गया है" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(II) परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु जहां किसी ऐसी राशि की बाबत कर की कटौती किसी पश्चात्‌वर्ती वर्ष में की गई है या कटौती पूर्ववर्ष के दौरान की गई है किन्तु उसका संदाय धारा 139 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट नियत तारीख के पश्चात् किया गया है, वहां उस राशि को ऐसे पूर्ववर्ष की आय की संगणना करने में कटौती के रूप में अनुज्ञात किया जाएगा जिसमें ऐसे कर का संदाय किया गया है ।";

(ख) उपखंड (iक) में,—

(I) "किसी निवासी को संदेय कोई ब्याज" से प्रारंभ होने वाले शब्दों और "ठेकेदार या उप ठेकेदार को, जो निवासी है, संदेय रकम," पर समाप्त होने वाले शब्दों के स्थान पर "किसी निवासी को संदेय किसी राशि का तीस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(II) पहले परंतुक में, "वहां उस राशि" शब्दों के पश्चात् "के तीस प्रतिशत" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

15. आय-कर अधिनियम की धारा 43 के खंड (5) के परंतुक के खंड (ङ) में, "कोई पात्र संव्यवहार, जो मान्यताप्राप्त संगम में किया गया हो" शब्दों के स्थान पर, "किसी धारा 43 का संशोधन।
2013 का 17 मान्यताप्राप्त संगम में किया गया ऐसा कोई पात्र संव्यवहार, जो वित्त अधिनियम, 2013 के अध्याय 7 के अधीन वस्तु संव्यवहार कर के लिए प्रभार्य हो" शब्द रखे जाएंगे।

16. आय-कर अधिनियम की धारा 44कङ में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 44कङ का संशोधन।

(i) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"(2) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक माल वाहन से लाभ और अभिलाभ, ऐसे प्रत्येक मास या मास के ऐसे भाग के लिए, जिसके दौरान माल वाहन पूर्ववर्ष में निर्धारिती के स्वामित्व में रहता है, सात हजार पांच सौ रुपए के बराबर रकम होगी या वह रकम होगी, जिसके लिए यह दावा किया गया है कि वह ऐसे यान से वस्तुतः अर्जित की गई है, इनमें से जो भी अधिक हो ।";

(ii) स्पष्टीकरण में, खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(क) "माल वाहन" पद का वही अर्थ होगा, जो मोटर यान अधिनियम,
1988 का 59 1988 की धारा 2 में उसका है;'।

17. आय-कर अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (5) के खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 45 का संशोधन।

'परंतु किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी अंतरिम आदेश के अनुसरण में प्राप्त प्रतिकर की किसी रकम को उस पूर्ववर्ष की, जिसमें

ऐसे न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी का अंतिम आदेश किया जाता है, "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय समझा जाएगा;'।

धारा 47 का संशोधन।

18. आय-कर अधिनियम की धारा 47 में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(क) खंड (viiक) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(viiख) किसी पूंजी आस्ति का, जो ऐसी सरकारी प्रतिभूति है जिस पर ब्याज का कालिक संदाय किया जाता है, किसी अनिवासी द्वारा किसी दूसरे अनिवासी को प्रतिभूतियों का निपटारा करने वाले किसी मध्यवर्ती के माध्यम से भारत के बाहर किया गया कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए "सरकारी प्रतिभूति" का वही अर्थ होगा जो प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (ख) में उसका है;'; 1956 का 42

(ख) खंड (xvi) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(xvii) किसी पूंजी आस्ति का, जो किसी विशेष प्रयोजन एकक का शेयर है, किसी अंतरक को किसी कारबार न्यास द्वारा आबंटित यूनिटों के विनिमय में उस न्यास को कोई अंतरण ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "विशेष प्रयोजन एकक" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 10 के खंड (23चग) के स्पष्टीकरण में उसका है ।'।

धारा 48 का संशोधन।

19. आय-कर अधिनियम की धारा 48 के स्पष्टीकरण के खंड (v) में, "शारीरिक श्रम न करने वाले नगरीय कर्मचारियों के लिए ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्वगामी वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक" शब्दों के स्थान पर, "ऐसे पूर्ववर्ष से ठीक पूर्वगामी वर्ष में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (नगरीय)" शब्द और कोष्ठक, 1 अप्रैल, 2016 से रखे जाएंगे।

धारा 49 का संशोधन।

20. आय-कर अधिनियम की धारा 49 की उपधारा (2कख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2कग) जहां पूंजी आस्ति, जो किसी कारबार न्यास की कोई यूनिट है, धारा 47 के खंड (xvii) में यथा निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती की संपत्ति हो गई है, वहां आस्ति के अर्जन की लागत, को उक्त खंड में निर्दिष्ट शेयर के उसे अर्जित होने की लागत समझा जाएगा ।"।

धारा 51 का संशोधन।

21. आय-कर अधिनियम की धारा 51 में, निम्नलिखित परंतुक, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां किसी पूंजी आस्ति के अंतरण की बातचीत के अनुक्रम में अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त हुई कोई धनराशि, धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (ix) के उपबंधों के अनुसार किसी पूर्ववर्ष की निर्धारिती की कुल आय में सम्मिलित की गई है, वहां ऐसी राशि की अर्जन की, लागत की संगणना करने में, ऐसी लागत से, जिसके लिए आस्ति अर्जित की गई थी या, यथास्थिति, अवलिखित मूल्य या उचित बाजार मूल्य से कटौती नहीं की जाएगी।"।

धारा 54 का संशोधन।

22. आय-कर अधिनियम की धारा 54 की उपधारा (1) में "कोई निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है," शब्दों के स्थान पर, "भारत में एक निवास गृह क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे ।

23. आय-कर अधिनियम की धारा 54ङग की उपधारा (1) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 54ङग का संशोधन।

"परंतु यह और कि किसी निर्धारिती द्वारा एक या अधिक मूल आस्तियों के अंतरण से उद्भूत पूंजी अभिलाभों से ऐसे वित्तीय वर्ष के दौरान, जिसमें मूल आस्ति या आस्तियां अंतरित की जाती हैं, दीर्घकालिक विनिर्दिष्ट आस्ति में विनिधान किया जाता है और वह पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष में पचास लाख रुपए से अधिक का नहीं है।"।

24. आय-कर अधिनियम की धारा 54च की उपधारा (1) में, "कोई निवास गृह (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है," शब्दों के स्थान पर, "भारत में एक निवास गृह (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् नई आस्ति कहा गया है) क्रय किया है या उस तारीख के पश्चात् तीन वर्षों की कालावधि के भीतर सन्निर्मित किया है" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे । धारा 54च का संशोधन।

25. आय-कर अधिनियम की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (viii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 56 का संशोधन।

"(ix) किसी पूंजी आस्ति के अंतरण की बातचीत के अनुक्रम अग्रिम के रूप में या अन्यथा प्राप्त कोई धनराशि, यदि,—

(क) ऐसी रकम समपहृत हो जाती है; और

(ख) ऐसी बातचीत के परिणामस्वरूप ऐसी पूंजी आस्ति का अंतरण नहीं होता है ।"।

26. आय-कर अधिनियम की धारा 73 के स्पष्टीकरण में, "जिसका मुख्य कारबार बैंककारी है" शब्दों के स्थान पर, "जिसका मुख्य कारबार शेयरों में व्यापार करना या बैंककारी है" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे । धारा 73 का संशोधन।

27. आय-कर अधिनियम की धारा 80ग की उपधारा (1) में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे । धारा 80ग का संशोधन।

28. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगघ की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 80गगघ का संशोधन।

(i) "जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार या किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है" शब्दों और अंकों के स्थान पर "जहां किसी निर्धारिती ने, जो 1 जनवरी, 2004 को या उसके पश्चात् केंद्रीय सरकार द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है अथवा किसी अन्य नियोजक द्वारा नियोजित कोई व्यष्टि है" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) उपधारा (1) के अधीन कटौती की रकम एक लाख रुपए से अधिक नहीं होगी ।"।

29. आय-कर अधिनियम की धारा 80गगङ में, "एक लाख रुपए" शब्दों के स्थान पर, "एक लाख पचास हजार रुपए" शब्द, 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे । धारा 80गगङ का संशोधन।

30. आय-कर अधिनियम की धारा 80झक की उपधारा (4) के खंड (iv) के उपखंड (क), उपखंड (ख) और उपखंड (ग) में, "31 मार्च, 2014" अंकों और शब्द के स्थान पर क्रमशः "31 मार्च, 2017" अंक और शब्द 1 अप्रैल, 2015 से रखे जाएंगे। धारा 80झक का संशोधन।

धारा 92ख का संशोधन।

31. आय-कर अधिनियम की धारा 92ख की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(i) "संव्यवहार के बारे में" शब्दों के स्थान पर, "अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के बारे में" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "सुसंगत व्यवहार के निबंधन ऐसे किसी व्यक्ति और सहयुक्त उद्यम के बीच" शब्दों के पश्चात्, "जहां उद्यम या सहयुक्त उद्यम या वे दोनों अनिवासी हैं, इस बात को विचार में लिए बिना कि ऐसा अन्य व्यक्ति कोई अनिवासी है या नहीं," शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 92ग का संशोधन।

32. आय-कर अधिनियम की धारा 92ग की उपधारा (2) के दूसरे परंतुक के पश्चात् किन्तु स्पष्टीकरण के पूर्व, निम्नलिखित परंतुक 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु यह भी कि जहां सर्वाधिक उपयुक्त रीति से एक से अधिक कीमत का अवधारण किया जाता है, वहां 1 अप्रैल, 2014 को या उसके पश्चात् हाथ में लिए गए किसी अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार या विनिर्दिष्ट देशी संव्यवहार के संबंध में असन्निकट कीमत ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संगणित की जाएगी और तद्नुसार पहला और दूसरा परंतुक लागू नहीं होगा।"।

धारा 92गग का संशोधन।

33. आय-कर अधिनियम की धारा 92गग की उपधारा (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(9क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट करार में, ऐसी शर्तों, प्रक्रिया और रीति के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, असन्निकट कीमत का अवधारण करने का उपबंध किया जा सकेगा या उस रीति को विनिर्दिष्ट किया जा सकेगा जिसमें असन्निकट कीमत को व्यक्ति द्वारा उपधारा (4) में निर्दिष्ट पूर्ववर्षों के प्रथम पूर्ववर्ष से पहले के चार पूर्ववर्षों से अनधिक की किसी अवधि के दौरान किए गए अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार के संबंध में अवधारित किया जा सकेगा और उस अंतरराष्ट्रीय संव्यवहार की असन्निकट कीमत उक्त करार के अनुसार अवधारित की जाएगी।"।

धारा 111क का संशोधन।

34. आय-कर अधिनियम की धारा 111क की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(अ) "साधारण शेयरोन्मुख निधि की इकाई" शब्दों के स्थान पर "साधारण शेयरोन्मुख निधि की यूनिट या किसी कारबार न्यास की यूनिट" शब्द रखे जाएंगे;

(आ) परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस उपधारा के उपबंध कारबार न्यास की ऐसी यूनिटों के जो धारा 47 के खंड (xvii) में यथा निर्दिष्ट किसी अंतरण के प्रतिफलस्वरूप निर्धारिती द्वारा अर्जित की गई हों, अंतरण से उद्भूत किसी ऐसी आय के संबंध में लागू नहीं होंगे।"।

धारा 112 का संशोधन।

35. आय-कर अधिनियम की धारा 112 की उपधारा (1) में, 1 अप्रैल, 2015 से,—

(क) खंड (घ) के पश्चात् आने वाले परंतुक में, "जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां या यूनिट या जीरो कूपन बंधपत्र हैं" शब्दों के स्थान पर, "जो सूचीबद्ध प्रतिभूतियां (किसी यूनिट से भिन्न) या जीरो कूपन बंधपत्र हैं" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (घ) के पश्चात् आने वाले परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि जहां ऐसी किसी दीर्घकालिक पूंजी आस्ति का, जो धारा 10 के खंड (23घ) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी पारस्परिक निधि की यूनिट है, 1 अप्रैल, 2014 से प्रारम्भ होने वाली और 10 जुलाई, 2014 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान अंतरण किए जाने से उद्भूत होने वाली किसी आय की बाबत संदेय कर, धारा 48 के दूसरे परंतुक के उपबंधों को प्रभावी करने के पूर्व, पूंजी अभिलाभों की रकम के 10 प्रतिशत से अधिक है, वहां ऐसे आधिक्य को निर्धारिती द्वारा संदेय कर की संगणना करने के प्रयोजन के लिए छोड़ दिया जाएगा।";

(ग) स्पष्टीकरण के खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

36. आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1) के खंड (क) में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 115क का संशोधन।

(I) उपखंड (iiकख) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiकग) वितरित आय, जो धारा 194ठखक की उपधारा (2) में निर्दिष्ट ब्याज है;";

(II) मद (आअ) में, "उपखंड (iiकख)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, "या उपखंड (iiकग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(III) मद (ई) में, "उपखंड (iiकख)" शब्द, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात्, ", उपखंड (iiकग)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे।

37. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखग की उपधारा (1) के खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड, 1 अप्रैल, 2015 से रखा जाएगा, अर्थात् :— धारा 115खखग का संशोधन।

"(ii) आय-कर की वह रकम, जिसके लिए निर्धारिती प्रभार्य होता यदि उसकी कुल आय में से खंड (i) के, यथास्थिति, उपखंड (अ) या उपखंड (आ) में निर्दिष्ट रकम के आधिक्य में प्राप्त अनाम संदानों के योग को घटा दिया जाता।"।

38. आय-कर अधिनियम की धारा 115खखघ की उपधारा (1) में, "1 अप्रैल, 2012 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले या 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए" अंकों और शब्दों का 1 अप्रैल, 2015 से लोप किया जाएगा । धारा 115खखघ का संशोधन।

39. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञग की उपधारा (2) में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 115ञग का संशोधन।

(क) खंड (i) में, अंत में आने वाले, "और" शब्द का लोप किया जाएगा;

(ख) खंड (ii) में, "कटौतियों से, यदि कोई हों," शब्दों के स्थान पर "कटौतियों से, यदि कोई हों; और" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) धारा 35कघ के अधीन इस प्रकार दावा की गई कटौती से, यदि कोई हो, जो धारा 32 के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञेय अवक्षयण की रकम को घटा कर आए मानो कि धारा 35कघ के अधीन ऐसी आस्तियों की बाबत, जिन पर उस धारा के अधीन कटौती का दावा किया जाता है, कोई कटौती अनुज्ञात नहीं की गई हो;"।

40. आय-कर अधिनियम की धारा 115ञङङ में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 115ञङङ का संशोधन।

(अ) उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) धारा 10कक के अधीन; या

(ग) धारा 35कघ के अधीन,";

(आ) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 115ञग के अधीन संदत्त कर के लिए प्रत्यय धारा 115ञघ के उपबंधों के अनुसार अनुज्ञात किया जाएगा ।"।

41. आय-कर अधिनियम की धारा 115ण की उपधारा (1क) के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :— धारा 115ण का संशोधन।

"(1ख) इस धारा के अनुसार संदेय वितरित लाभों पर कर के अवधारण के प्रयोजनों के लिए, उपधारा (1) में निर्दिष्ट लाभांशों के रूप में कोई रकम, जो उपधारा (1क) में निर्दिष्ट रकम को घटाकर आए [जिसे इसके पश्चात् शुद्ध वितरित

लाभ कहा गया है], उतनी रकम तक बढ़ा दी जाएगी जो, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट दर पर बढ़ाई गई ऐसी रकम पर कर को घटाने के पश्चात्, शुद्ध वितरित लाभों के बराबर हो ।"।

धारा 115द का संशोधन ।

42. आय-कर अधिनियम की धारा 115द में,—

(क) उपधारा (2) के स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2014 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) उपधारा (2) के अनुसार संदेय अतिरिक्त आय-कर का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिए, उसमें निर्दिष्ट वितरित आय की रकम, उतनी रकम तक बढ़ा दी जाएगी जो, उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट दर पर बढ़ाई गई ऐसी रकम पर अतिरिक्त आय-कर को घटाने के पश्चात् पारस्परिक निधि द्वारा वितरित आय की रकम के बराबर हो।";

(ख) उपधारा (3क) का, 1 अप्रैल, 2015 से, लोप किया जाएगा ।

धारा 115नक का संशोधन ।

43. आय-कर अधिनियम की धारा 115नक की उपधारा (3) का, 1 अप्रैल, 2015 से लोप किया जाएगा ।

नए अध्याय 12चक का अंतःस्थापन ।

44. आय-कर अधिनियम के अध्याय 12च के पश्चात्, निम्नलिखित अध्याय, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"अध्याय 12चक

कारबार न्यास से संबंधित विशेष उपबंध

यूनिट धारक और कारबार न्यास की आय पर कर ।

115पक. (1) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारकों को वितरित किसी आय को उसी प्रकृति की और यूनिट धारक के पास की उसी अनुपात में की आय समझी जाएगी मानो वह कारबार न्यास द्वारा प्राप्त की गई हो या उसे उपगत हुई हो ।

(2) धारा 111क और धारा 112 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी कारबार न्यास की कुल आय पर कर अधिकतम सीमांत दर से प्रभारित किया जाएगा।

(3) यदि किसी पूर्ववर्ष में, किसी यूनिट धारक द्वारा कारबार न्यास से प्राप्त वितरित आय या उसका कोई भाग, धारा 10 के खंड (23चग) में यथानिर्दिष्ट प्रकृति का है, तो ऐसी वितरित आय या उसके भाग को उस यूनिट धारक की आय समझा जाएगा और उस पर पूर्ववर्ष की आय के रूप में कर प्रभारित किया जाएगा।

(4) किसी कारबार न्यास की ओर से किसी यूनिट धारक को वितरित आय का संदाय करने के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति, यूनिट धारक और विहित प्राधिकारी को ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप में तथा रीति से, जो विहित किए जाएं, उसमें पूर्ववर्ष के दौरान संदत्त आय की प्रकृति के ब्यौरे और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो विहित किए जाएं, देते हुए एक विवरण प्रस्तुत करेगा।"।

धारा 116 का संशोधन ।

45. आय-कर अधिनियम की धारा 116 में,—

(i) खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(कक) आय-कर प्रधान महानिदेशक या आय-कर प्रधान मुख्य आयुक्त;";

(ii) खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा और 1 जून, 2013 से अंतःस्थापित किया गया समझा जाएगा, अर्थात्:—

"(खक) आय-कर प्रधान निदेशक या आय-कर प्रधान आयुक्त;"।

—

46. आय–कर अधिनियम की धारा 119 की उपधारा (2) के खंड (क) में "234ग" अंकों और अक्षर के पश्चात् "234ङ," अंक और अक्षर, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 119 का संशोधन।

47. आय-कर अधिनियम की धारा 133क में, 1 अक्तूबर, 2014 से,— धारा 133क का संशोधन।

(I) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस उपधारा के अधीन कार्य करने वाला कोई आय-कर प्राधिकारी, इस बात का सत्यापन करने के प्रयोजन के लिए कि कर, यथास्थिति, अध्याय 17 के उपशीर्ष ख के अधीन या अध्याय 17 के उपशीर्ष खख के अधीन के उपबंधों के अनुसार स्रोत पर काटा गया या संगृहीत किया गया है, ऐसे किसी कार्यालय या किसी अन्य स्थान में, जहां कारबार या वृत्ति की जाती है उसे सौंपे गए क्षेत्र की सीमाओं के भीतर अथवा ऐसे किसी स्थान में, जिसकी बाबत, वह ऐसे आय-कर प्राधिकारी द्वारा, जिसे वह क्षेत्र सौंपा गया है जिसके भीतर ऐसा स्थान स्थित है जहां लेखा पुस्तकें या दस्तावेज रखे गए हैं, इस धारा के प्रयोजनों के लिए प्राधिकृत है, सूर्योदय के पश्चात् और सूर्यास्त के पूर्व, प्रवेश कर सकेगा और कटौतीकर्ता या संग्रहणकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति से, जो उस समय और स्थान पर उस कार्य के लिए किसी रीति में उपस्थित हो,—

(i) ऐसी लेखा पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों का, जिनकी वह अपेक्षा करे और जो उस स्थान पर उपलब्ध हों, निरीक्षण करने के लिए आवश्यक सुविधा प्रदान करने की; और

(ii) ऐसी सूचना, जिसकी वह ऐसे विषय के संबंध में अपेक्षा करे, प्रदान करने की,

अपेक्षा कर सकेगा।";

(II) उपधारा (3) के खंड (iक) के परंतुक के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ख) उसके लिए, यथास्थिति, प्रधान मुख्य आयुक्त या मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या महानिदेशक या प्रधान आयुक्त या आयुक्त या प्रधान निदेशक या निदेशक का अनुमोदन अभिप्राप्त किए बिना पन्द्रह दिन से अधिक की अवधि के लिए (अवकाश दिनों को छोड़कर) कोई ऐसी लेखा पुस्तकें या अन्य दस्तावेज अपनी अभिरक्षा में नहीं रखेगा; ";

(III) उपधारा (3) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु उपधारा (2क) के अधीन कार्य करने वाले किसी आय-कर प्राधिकारी द्वारा खंड (iक) या खंड (ii) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।"।

48. आय-कर अधिनियम की धारा 133ख के पश्चात्, निम्नलिखित 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— नई धारा 133ग का अंतःस्थापन।

'133ग. विहित आय-कर प्राधिकारी, किसी व्यक्ति से संबंधित अपने कब्जे में की जानकारी के सत्यापन के प्रयोजनों के लिए ऐसे व्यक्ति को कोई सूचना उससे, उसमें विनिर्दिष्ट की जाने वाली तारीख को या उसके पूर्व, उसमें विनिर्दिष्ट रीति में सत्यापित ऐसी जानकारी या दस्तावेज, जो इस अधिनियम के अधीन किसी जांच या कार्यवाही के लिए उपयोगी या सुसंगत हो, प्रस्तुत करने की अपेक्षा करते हुए जारी कर सकेगा । विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा जानकारी मंगाने की शक्ति।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "कार्यवाही" पद का वही अर्थ होगा, जो धारा 133क के स्पष्टीकरण के खंड (ख) में उसका है ।'।

49. आय-कर अधिनियम की धारा 139 में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 139 का संशोधन।

(क) उपधारा (4ग) में,—

(i) खंड (ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ङक) धारा 10 के खंड (23घ) में निर्दिष्ट पारस्परिक निधि;

(ङख) धारा 10 के खंड (23घक) में निर्दिष्ट प्रतिभूतिकरण न्यास;

(ङग) धारा 10 के खंड (23चख) में निर्दिष्ट जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि;";

(ii) "या अवसंरचना ऋण निधि" शब्दों के पश्चात्, "या पारस्परिक निधि या प्रतिभूतिकरण न्यास या जोखिम पूंजी कंपनी या जोखिम पूंजी निधि" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (4घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4ङ) ऐसा प्रत्येक कारबार न्यास, जिससे इस धारा के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन आय या हानि की विवरणी देना अपेक्षित नहीं है, प्रत्येक पूर्ववर्ष में अपनी आय या हानि की बाबत अपनी आय की विवरणी देगा और इस अधिनियम के सभी उपबंध, जहां तक हो सके, इस प्रकार लागू होंगे मानो यह उपधारा (1) के अधीन दिए जाने के लिए अपेक्षित विवरणी हो।" ।

धारा 140 का संशोधन।

50. आय-कर अधिनियम की धारा 140 में, 1 अक्तूबर, 2014 से,—

(i) पार्श्व शीर्ष में "हस्ताक्षरित" शब्द के स्थान पर, "सत्यापित" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "हस्ताक्षरित और सत्यापित" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "सत्यापित" शब्द रखा जाएगा;

(iii) "हस्ताक्षरित और सत्यापित" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, "सत्यापित" शब्द रखा जाएगा;

(iv) खंड (क) में,—

(क) उपखंड (iv) में, "पर हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर, "का सत्यापन" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परंतुक में, "पर हस्ताक्षर" शब्दों के स्थान पर, "का सत्यापन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 142क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

51. आय-कर अधिनियम की धारा 142क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा, 1 अक्तूबर, 2014 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

मूल्यांकन प्राधिकारी द्वारा आस्तियों के मूल्य का प्राक्कलन।

'142क. (1) निर्धारण अधिकारी, निर्धारण या पुनःनिर्धारण के प्रयोजनों के लिए, मूल्यांकन अधिकारी को किसी आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य, जिसके अंतर्गत उचित बाजार मूल्य भी है, का प्राक्कलन करने और रिपोर्ट की एक प्रति उसे प्रस्तुत करने का निर्देश कर सकेगा ।

(2) निर्धारण अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन इस बात का कोई निर्देश कर सकेगा कि उसका निर्धारिती के लेखाओं की शुद्धता और पूर्णता के बारे में, समाधान हो गया है अथवा नहीं ।

(3) मूल्यांकन अधिकारी को, उपधारा (1) के अधीन किए गए किसी निर्देश पर आस्ति, संपत्ति या विनिधान के मूल्य का प्राक्कलन करने के प्रयोजन के लिए, वे सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 38क के अधीन उसे प्राप्त हैं । 1957 का 27

(4) मूल्यांकन अधिकारी, निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे साक्ष्य पर, जो निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किया जाए और उसके कब्जे में एकत्रित किसी अन्य साक्ष्य पर विचार करने के पश्चात्, आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित करेगा ।

(5) मूल्यांकन अधिकारी, यदि निर्धारिती सहयोग नहीं करता है या उसके निदेशों का अनुपालन नहीं करता है, अपनी सर्वोत्तम विवेकबुद्धि के अनुसार आस्ति, संपत्ति या विनिधान का मूल्य प्राक्कलित कर सकेगा ।

(6) मूल्यांकन अधिकारी, उस मास के अंत से, जिसमें उपधारा (1) के अधीन कोई निर्देश किया जाता है, छह मास की अवधि के भीतर, यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) के अधीन प्राक्कलन करने की रिपोर्ट की प्रति निर्धारण अधिकारी और निर्धारिती को भेजेगा ।

(7) निर्धारण अधिकारी, मूल्यांकन अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर और निर्धारिती को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, निर्धारण या पुनःनिर्धारण करने में ऐसी रिपोर्ट पर विचार कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में, "मूल्यांकन अधिकारी" का वही अर्थ है जो धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 2 के खंड (द) में उसका है ।'। 1957 का 27

52. आय-कर अधिनियम की धारा 145 में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 145 का संशोधन ।

(i) उपधारा (2) में, "लेखा पद्धति मानकों" शब्दों के स्थान पर, "आय संगणना और प्रकटन मानकों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, "या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित लेखा मानकों का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर, "का निर्धारिती द्वारा नियमित रूप से अनुसरण नहीं किया गया है या उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित मानकों के अनुसार आय की संगणना नहीं की गई है" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ।

53. आय-कर अधिनियम की धारा 153 के स्पष्टीकरण 1 के खंड (iii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 153 का संशोधन।

"(iv) उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली कालावधि; या"।

54. आय-कर अधिनियम की धारा 153ख के स्पष्टीकरण के खंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— धारा 153ख का संशोधन।

"(iiक) उस तारीख से, जिसको निर्धारण अधिकारी धारा 142क की उपधारा (1) के अधीन मूल्यांकन अधिकारी को कोई निर्देश करता है, प्रारंभ होने वाली और उस तारीख को, जिसको निर्धारण अधिकारी द्वारा मूल्यांकन अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, समाप्त होने वाली कालावधि; या"।

55. आय-कर अधिनियम की धारा 153ग की उपधारा (1) में, अंत में किंतु प्रथम परन्तुक के पूर्व आने वाले "और वह निर्धारण अधिकारी प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करेगा और ऐसे अन्य व्यक्ति को सूचना जारी करेगा तथा धारा 153क के उपबंधों के अनुसरण में ऐसे अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करेगा" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "और वह निर्धारण अधिकारी, प्रत्येक ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध उस दशा में कार्यवाही करेगा और धारा 153क के उपबंधों के अनुसार सूचना जारी करेगा तथा अन्य व्यक्ति की आय का निर्धारण या पुनःनिर्धारण करेगा यदि उस निर्धारण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभिगृहीत या अध्यापेक्षित लेखा बहियां धारा 153ग का संशोधन।

या दस्तावेज या आस्तियां, धारा 153क की उपधारा (1) में निर्दिष्ट सुसंगत निर्धारण वर्ष या वर्षों के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति की कुल आय के अवधारण से संबंधित हैं" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर, 1 अक्तूबर, 2014 से रखे जाएंगे ।

धारा 194क का संशोधन ।

56. आय-कर अधिनियम की धारा 194क की उपधारा (3) के खंड (x) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(xi) किसी ऐसी आय को लागू नहीं होंगे, जो धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में है ।"।

नई धारा 194घक का अंतःस्थापन ।

57. आय-कर अधिनियम की धारा 194घ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

जीवन बीमा पालिसी के संबंध में संदाय ।

"194घक. कोई व्यक्ति, जो किसी निवासी को, जीवन बीमा पालिसी के अधीन किसी राशि का, जिसके अंतर्गत ऐसी पालिसी पर बोनस के रूप में आबंटित ऐसी राशि भी है जो धारा 10 के खंड (10घ) के अधीन कुल आय में सम्मिलित न किए जाने योग्य रकम से भिन्न है, संदाय करने के लिए उत्तरदायी है, उसके संदाय के समय उस पर दो प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा:

परंतु इस धारा के अधीन कोई कटौती वहां नहीं की जाएगी, जहां वित्तीय वर्ष के दौरान पाने वाले की, यथास्थिति, ऐसे संदाय की रकम या ऐसे संदायों की कुल रकम, एक लाख रुपए से कम है ।"।

नई धारा 194ठखक का अंतःस्थापन ।

58. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठख के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

किसी कारबार न्यास की यूनिटों से कतिपय आय ।

"194ठखक. (1) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो निवासी है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चैक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर दस प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।

(2) जहां धारा 115पक में निर्दिष्ट कोई वितरित आय, जो धारा 10 के खंड (23चग) में निर्दिष्ट प्रकृति की है, किसी कारबार न्यास द्वारा अपने यूनिट धारक को, जो ऐसा अनिवासी है, जो कंपनी या कोई विदेशी कंपनी नहीं है, संदेय है, वहां संदाय करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, ऐसे संदाय को पाने वाले के खाते में जमा करते समय या उसका नकद रूप में या चेक या ड्राफ्ट देकर या किसी अन्य ढंग से संदाय करते समय, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, उस पर पांच प्रतिशत की दर से आय-कर की कटौती करेगा।"।

धारा 194ठग का संशोधन ।

59. आय-कर अधिनियम की धारा 194ठग में, 1 अक्तूबर, 2014 से,—

(अ) उपधारा (1) में, "किसी विनिर्दिष्ट कंपनी" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) उपधारा (2) में,—

(क) आरंभिक भाग में, "निर्दिष्ट ब्याज" शब्दों के पश्चात्, "विनिर्दिष्ट कंपनी कारबार न्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) खंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) (क) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व किसी समय किसी ऋण करार के अधीन; या

(ख) 1 जुलाई, 2012 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 अक्तूबर, 2014 के पूर्व किसी समय दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्रों के निर्गमन के रूप में; या

(ग) 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात्, किंतु 1 जुलाई, 2017 के पूर्व किसी समय किसी दीर्घकालिक बंधपत्र, जिसके अंतर्गत दीर्घकालिक अवसंरचना बंधपत्र भी है, के निर्गमन के रूप में,

भारत के बाहर किसी स्रोत से, विदेशी करेंसी में, उधार ली गई ऐसी धनराशियों की बाबत, जो केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अनुमोदित की जाएं; और"।

60. आय-कर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 200 का संशोधन।

"परंतु वह व्यक्ति किसी भूल की परिशुद्धि के लिए या इस उपधारा के अधीन परिदत्त विवरण में दी गई सूचना में कुछ जोड़ने, हटाने या उसे अद्यतन करने के लिए ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से, जो विहित प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, सत्यापित एक संशोधन विवरण उस प्राधिकारी को परिदत्त भी कर सकेगा ।"।

61. आय-कर अधिनियम की धारा 200क की उपधारा (1) में, "जहां स्रोत पर कर की कटौती का कोई विवरण" शब्दों के पश्चात्, "या कोई संशोधन विवरण" शब्द, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 200क का संशोधन।

62. आय-कर अधिनियम की धारा 201 की उपधारा (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा, 1 अक्तूबर, 2014 से रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 201 का संशोधन।

"(3) उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को भारत में निवासी किसी व्यक्ति से संपूर्ण कर या उसके किसी भाग की कटौती करने में असफल रहने के लिए व्यतिक्रमी निर्धारिती माने जाने वाला कोई आदेश, उस वित्तीय वर्ष के, जिसमें संदाय किया जाता है या प्रत्यय दिया जाता है, अंत से सात वर्ष की समाप्ति के पश्चात् किसी समय नहीं किया जाएगा ।"।

63. आय-कर अधिनियम की धारा 206कक की उपधारा (7) में, "अवसंरचना" शब्द का, 1 अक्तूबर, 2014 से लोप किया जाएगा । धारा 206कक का संशोधन।

64. आय-कर अधिनियम की धारा 220 में, 1 अक्तूबर, 2014 से,— धारा 220 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(1क) जहां किसी मांग सूचना की किसी निर्धारिती पर तामील की गई है और उक्त मांग सूचना में विनिर्दिष्ट रकम की बाबत, यथास्थिति, ऐसी कोई अपील फाइल की जाती है या अन्य कार्यवाही आरंभ की जाती है, वहां ऐसी मांग को, यथास्थिति, अंतिम अपील प्राधिकारी द्वारा अपील का निपटारा किए जाने तक या कार्यवाहियों का निपटारा किए जाने तक विधिमान्य समझा जाएगा और ऐसी किसी मांग सूचना का, कराधान विधियां (वसूली की कार्यवाहियों का चालू रखा जाना और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 1964 की धारा 3 में यथाविनिर्दिष्ट प्रभाव होगा।"; 1964 का 11

(ii) उपधारा (2) में,—

(क) पहले परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि जहां पहले परंतुक में विनिर्दिष्ट धाराओं के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप वह रकम, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, कम कर दी गई है और तत्पश्चात्, उक्त धाराओं या धारा 263 के अधीन किसी आदेश के परिणामस्वरूप वह रकम, जिस पर इस धारा के अधीन ब्याज संदेय था, बढ़ा दी जाती है, वहां निर्धारिती, उपधारा (1) में निर्दिष्ट पहली मांग सूचना में वर्णित किसी अवधि के अंत से ठीक बाद के दिन से और उस दिन के अंत तक, जिसको रकम का संदाय किया जाता है, उपधारा (2) के अधीन ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा :";

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और" शब्दों के स्थान पर, "परंतु यह भी" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 245क का संशोधन।

65. आय-कर अधिनियम की धारा 245क के खंड (ख) में 1 अक्तूबर, 2014 से,—

(अ) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(आ) स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (i) "परंतुक के खंड (i) में निर्दिष्ट" शब्दों, कोष्ठकों और अंक के स्थान पर "धारा 147 के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) धारा 254 या धारा 263 या धारा 264 के अधीन, किसी निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने संबंधी किसी आदेश के अनुसरण में नए सिरे से निर्धारण करने की कार्यवाही को उस तारीख से प्रारंभ हुई समझी जाएगी, जिसको किसी निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने संबंधी ऐसा आदेश पारित किया गया था;";

(ग) खंड (iv) में "परंतुक के खंड (i) या खंड (iv) या स्पष्टीकरण के खंड (iiiक)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षर के स्थान पर "खंड (i) या खंड (iii) या खंड (iiiक)" शब्द, कोष्ठक, अंक और अक्षर रखे जाएंगे।

धारा 245ढ का संशोधन।

66. आय-कर अधिनियम की धारा 245ढ में, 1 अक्तूबर, 2014 से,—

(अ) खंड (क) में,—

(I) उपखंड (ii) के अंत में "या" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा;

(II) उपखंड (ii) के पश्चात् और बृहत् पंक्ति से पहले, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiक) ऐसे संव्यवहार से, जो किसी निवासी आवेदक द्वारा अपने हाथ में लिया गया है या लिया जाना प्रस्तावित है, उद्भूत ऐसे आवेदक के कर दायित्व के संबंध में प्राधिकारी द्वारा अवधारण,";

(आ) खंड (ख) के उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iiक) खंड (क) के उपखंड (iiक) में निर्दिष्ट ऐसा निवासी है, जो ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों में आता है, जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे; या";

(इ) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

'(च) ''सदस्य'' से प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष भी आता है;

(छ) ''उपाध्यक्ष'' से प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है।'।

67. आय-कर अधिनियम की धारा 245ण की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं, 1 अक्तूबर, 2014 से रखी जाएंगी, अर्थात्:— धारा 245ण का संशोधन।

''(2) प्राधिकरण, अध्यक्ष और उतने उपाध्यक्षों, राजस्व सदस्यों और विधि सदस्यों से मिलकर बनेगा, जितने केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

(3) कोई व्यक्ति, निम्नलिखित के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हित होगा—

(क) अध्यक्ष, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश रहा है;

(ख) उपाध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा है;

(ग) भारतीय राजस्व सेवा से ऐसा राजस्व सदस्य, जो प्रधान मुख्य आयुक्त या प्रधान महानिदेशक या मुख्य आयुक्त या महानिदेशक है;

(घ) भारतीय विधिक सेवा से ऐसा विधि सदस्य, जो भारत सरकार में अपर सचिव है।

(4) सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा उनको संदेय वेतन और भत्ते वे होंगे जो विहित किए जाएं।

(5) केंद्रीय सरकार, प्राधिकरण को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण के कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक हों।

(6) प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का निर्वहन उसकी ऐसी न्यायपीठों द्वारा, जो अध्यक्ष द्वारा उसके सदस्यों में से गठित की जाएं, किया जा सकेगा।

(7) न्यायपीठ, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष और एक राजस्व सदस्य और एक विधि सदस्य से मिलकर बनेगी।

(8) प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र, दिल्ली में अवस्थित होगा और उसकी न्यायपीठें ऐसे स्थानों पर जो केंद्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, अवस्थित होंगी।''।

68. आय-कर अधिनियम की धारा 269धध के आरंभिक भाग में, "पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा" शब्दों के पश्चात् "या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके" शब्द, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किए जाएंगे। धारा 269धध का संशोधन।

69. आय-कर अधिनियम की धारा 269न के आरंभिक भाग में, "पाने वाले के खाते में देय बैंक ड्राफ्ट द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलैक्ट्रोनिक समाशोधन प्रणाली का उपयोग करके" शब्द, 1 अप्रैल, 2015 से अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 269न का संशोधन।

70. आय-कर अधिनियम की धारा 271चक में, 1 अप्रैल, 2015 से,— धारा 271चक का संशोधन।

(i) पार्श्व शीर्ष में, "वार्षिक सूचना विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "वार्षिक सूचना विवरणी" शब्दों के स्थान पर, "वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) "ऐसी विवरणी" और "विवरणी" शब्दों के स्थान पर, जहां-कहीं वे आते हैं, क्रमशः "ऐसा विवरण" और "विवरण" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 271चकक का अंतःस्थापन।

71. आय-कर अधिनियम की धारा 271चक के पश्चात्, निम्नलिखित धारा, 1 अप्रैल, 2015 से, अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का गलत विवरण देने के लिए शास्ति।

"271चकक. यदि धारा 285खक की उपधारा (1) के खंड (ट) में निर्दिष्ट कोई व्यक्ति, जिससे उस धारा के अधीन कोई विवरण देने की अपेक्षा की जाती है, उस विवरण में गलत जानकारी देता है, और जहां,—

(क) गलती, धारा 285खक की उपधारा (7) में विहित सम्यक् तत्परता की अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहने के कारण हुई है या उस व्यक्ति की ओर से जानूबझकर की गई है; या

(ख) व्यक्ति को, वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने के समय गलती का पता चलता है किन्तु वह विहित आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को सूचित नहीं करता है; या

(ग) व्यक्ति को गलती के बारे में वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने के पश्चात् पता चलता है और वह धारा 285खक की उपधारा (6) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचित करने और सही सूचना देने में असफल रहता है,

वहां विहित आय-कर प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा व्यक्ति शास्ति के रूप में पचास हजार रुपए की राशि का संदाय करेगा ।"।

धारा 271छ का संशोधन।

72. आय-कर अधिनियम की धारा 271छ में, "निर्धारण अधिकारी" शब्दों के पश्चात्, "या धारा 92गक में यथानिर्दिष्ट अंतरण मूल्यांकन अधिकारी" शब्द, अंक और अक्षर, 1 अक्तूबर, 2014 से अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 271ज का संशोधन।

73. आय-कर अधिनियम की धारा 271ज की उपधारा (1) में, आरम्भिक भाग में, "कोई व्यक्ति शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा" शब्दों के स्थान पर, "निर्धारण अधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि कोई व्यक्ति शास्ति के रूप में संदाय करेगा" शब्द 1 अक्तूबर, 2014 से रखे जाएंगे ।

धारा 276घ का संशोधन।

74. आय-कर अधिनियम की धारा 276घ में, ",या जुर्माने से जो हर दिन के लिए, जिसके दौरान व्यतिक्रम चालू रहता है चार रुपए से अन्यून या दस रुपए से अनधिक की दर से संगणित राशि के बराबर होगा, या दोनों से, " शब्दों के स्थान पर "और जुर्माने से" शब्द, 1 अक्तूबर, 2014 से रखे जाएंगे ।

धारा 281ख का संशोधन ।

75. आय-कर अधिनियम की धारा 281ख की उपधारा (2) में, 1 अक्तूबर, 2014 से,—

(i) पहले परंतुक में, "दो वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "दो वर्ष या निर्धारण अथवा पुनःनिर्धारण के आदेश की तारीख के पश्चात् साठ दिन, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) दूसरे परन्तुक तथा तीसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा ।

धारा 285खक के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

76. आय-कर अधिनियम की धारा 285खक के स्थान पर, निम्नलिखित धारा 1 अप्रैल, 2015 से रखी जाएगी, अर्थात्:—

वित्तीय संव्यवहार या रिपोर्ट योग्य खाते का विवरण देने की बाध्यता।

'285खक. (1) कोई व्यक्ति, जो—

(क) कोई निर्धारिती है; या

(ख) सरकार के किसी कार्यालय की दशा में विहित व्यक्ति है; या

(ग) कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है; या

1908 का 16 (घ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार है; या

1988 का 59 (ङ) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है; या

1898 का 6 (च) भारतीय डाकघर अधिनियम, 1898 की धारा 2 के खंड (ञ) में यथानिर्दिष्ट महाडाकपाल है; या

2013 का 30 (छ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खंड (छ) में निर्दिष्ट कलक्टर है; या

1956 का 42 (ज) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंज है; या

1934 का 2 (झ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का कोई अधिकारी है; या

1996 का 22 (ञ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है; या

(ट) कोई विहित रिपोर्टकर्ता वित्तीय संस्था है,

जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार को या ऐसे किसी रिपोर्ट योग्य खाते को, जो विहित किया जाए, रजिस्टर करने या उसकी लेखा बहियां या उसके अभिलेख वाले अन्य दस्तावेज को रखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसे विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार या ऐसे रिपोर्ट योग्य खाते के संबंध में, जो उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत या अभिलिखित किए गए हैं या रखे गए हैं और जिससे संबंधित जानकारी इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सुसंगत और अपेक्षित है, एक विवरण, आय-कर प्राधिकारी या ऐसे अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, जो विहित किया जाए, प्रस्तुत करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट विवरण, ऐसी अवधि के लिए, ऐसे समय के भीतर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में प्रस्तुत किया जाएगा, जो विहित किए जाएं ।

(3) उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, "विनिर्दिष्ट वित्तीय संव्यवहार" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(क) माल या संपत्ति या किसी संपत्ति में अधिकार या हित के क्रय, विक्रय या विनिमय का कोई संव्यवहार; या

(ख) कोई सेवा देने के लिए कोई संव्यवहार; या

(ग) किसी संकर्म संविदा के अधीन कोई संव्यवहार; या

(घ) किए गए किसी विनिधान या उपगत किसी व्यय के रूप में कोई संव्यवहार; या

(ङ) कोई ऋण या निक्षेप लेने या प्रतिगृहीत करने के लिए कोई संव्यवहार,

जो विहित किया जाए :

परन्तु बोर्ड, भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के संबंध में भिन्न-भिन्न संव्यवहारों के लिए, ऐसे संव्यवहार की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भिन्न-भिन्न मूल्य विहित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि इस प्रकार विहित किसी वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसे संव्यवहारों का, यथास्थिति, मूल्य या कुल मूल्य पचास हजार रुपए से कम नहीं होगा ।

(4) जहां, विहित आय-कर प्राधिकारी का यह विचार है कि उपधारा (1) के अधीन दिया गया विवरण त्रुटिपूर्ण है, वहां वह उस व्यक्ति को, जिसने ऐसा विवरण प्रस्तुत किया है, उस त्रुटि की सूचना दे सकेगा और ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, विहित आय-कर प्राधिकारी स्वविवेकानुसार अनुज्ञात करे, उसे त्रुटि की परिशुद्धि करने का अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, तीस दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात अतिरिक्त अवधि के भीतर उस त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे विवरण को अविधिमान्य विवरण माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध इस प्रकार लागू होंगे मानो ऐसा व्यक्ति विवरण प्रस्तुत करने में असफल रहा है ।

(5) जहां ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिससे उपधारा (1) के अधीन कोई विवरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, उसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है, वहां विहित आय-कर प्राधिकारी उस व्यक्ति पर सूचना की यह अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा, कि ऐसी सूचना की तामील की तारीख से तीस दिन से अनधिक की अवधि के भीतर विवरण प्रस्तुत किया जाए और वह सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विवरण प्रस्तुत करेगा।

(6) यदि उपधारा (1) के अधीन या उपधारा (5) के अधीन जारी की गई किसी सूचना के अनुसरण में विवरण प्रस्तुत किए जाने पर विवरण में दी गई सूचना में की कोई गलती ऐसे किसी व्यक्ति की जानकारी में आती है या उसका उसे पता चलता है, तो वह दस दिन की अवधि के भीतर निर्दिष्ट आय-कर प्राधिकारी या उपधारा (1) में अन्य प्राधिकारी या अभिकरण को, उस विवरण में की अशुद्धि की सूचना देगा और सही सूचना ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए।

(7) केंद्रीय सरकार, इस धारा के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा,—

(क) उपधारा (1) में निर्दिष्ट ऐसे व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिन्हें विहित आय-कर प्राधिकारी के पास रजिस्ट्रीकृत किया जाना है;

(ख) सूचना की प्रकृति और वह रीति विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें ऐसी सूचना, खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा रखी जाएगी; और

(ग) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी रिपोर्ट योग्य खाते की पहचान के प्रयोजन के लिए उन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ऐसी सम्यक् तत्परता को विनिर्दिष्ट कर सकेगी ।'।

धन-कर

77. धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 22क के खंड (ख) में, 1 अक्तूबर, 2014 से,— 1957 के अधिनियम 27 का संशोधन।

(अ) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(आ) स्पष्टीकरण में,—

(क) खंड (i) में, "परंतुक के खंड (i) में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही, उस दशा में, जहां धारा 17" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "धारा 17 में निर्दिष्ट निर्धारण या पुनःनिर्धारण की कार्यवाही, उस दशा में, जहां उक्त धारा" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(ख) खंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) धारा 23क या धारा 24 या धारा 25 के अधीन किसी निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने संबंधी किसी आदेश के अनुसरण में नए सिरे से निर्धारण करने की कार्यवाही उस तारीख से प्रारंभ हुई समझी जाएगी, जिसको किसी निर्धारण को अपास्त करने या रद्द करने संबंधी ऐसा आदेश पारित किया गया था;";

(ग) खंड (iv) में, "परंतुक के खंड (i) या खंड (ii) या स्पष्टीकरण के खंड (iii)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

अध्याय 4

अप्रत्यक्ष कर

सीमाशुल्क

1962 का 52

78. सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क अधिनियम कहा गया है) में या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के प्रति निर्देश के स्थान पर उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या प्राधिकारियों के प्रति निर्देश रखा जाएगा और ऐसे पारिणामिक परिवर्तन भी, जो व्याकरण के नियमों के रूप में अपेक्षित हों, किए जाएंगे : नए प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन।

सारणी

क्रम सं०	(1)	(2)
1.	सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त	सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त
2.	सीमाशुल्क आयुक्त	सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त या सीमाशुल्क आयुक्त ।

धारा 3 का संशोधन। **79.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 3 के खंड (क), खंड (ख), खंड (ग), खंड (गग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) सीमाशुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त;

(ख) सीमाशुल्क मुख्य आयुक्त;

(ग) सीमाशुल्क प्रधान आयुक्त;

(घ) सीमाशुल्क आयुक्त;

(ङ) सीमाशुल्क आयुक्त (अपील);

(च) सीमाशुल्क संयुक्त आयुक्त;

(छ) सीमाशुल्क उप आयुक्त;

(ज) सीमाशुल्क सहायक आयुक्त;

(झ) सीमाशुल्क अधिकारियों का ऐसा अन्य वर्ग, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियत किया जाए ।"।

धारा 15 का संशोधन। **80.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के परंतुक में, "वायुयान" शब्द के पश्चात्, "या यान" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन। **81.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(7) राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 की धारा 6 और धारा 7 में यथा निर्दिष्ट क्रमशः भारत के महाद्वीपीय मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में निष्कर्षित या उत्पादित और 7 फरवरी, 2002 के पूर्व आयातित खनिज तेलों को (जिनके अंतर्गत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस भी है) ऐसे खनिज तेलों पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण सीमाशुल्क से छूट प्राप्त समझा जाएगा और सदैव से छूट प्राप्त समझा जाएगा तथा तदनुसार किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसे खनिज तेलों की बाबत कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण में चलाई नहीं जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी । 1976 का 80

(8) उपधारा (7) के अधीन उपबंधित छूट के होते हुए भी, उसमें विनिर्दिष्ट खनिज तेलों की बाबत संदत्त सीमाशुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जाएगा ।" ।

धारा 46 का संशोधन। **82.** सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 की उपधारा (3) में,—

(i) पहले परंतुक का लोप किया जाएगा;

(ii) दूसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यदि ऐसा जलयान या वायुयान या यान, जिसके द्वारा माल भारत में आयात के लिए भेजा गया है, प्रवेश पत्र पेश किए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर पहुंचने की प्रत्याशा है तो वह प्रवेश पत्र ऐसी सूची या रिपोर्ट दिए जाने के पूर्व भी पेश किया जा सकता है ।"।

83. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127क के खंड (च) में, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग" शब्द रखे जाएंगे । धारा 127क का संशोधन।

84. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ख में,— धारा 127ख का संशोधन।

(i) उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) आवेदक ने, यथास्थिति, डाक या कुरियर के माध्यम से आयातित या निर्यातित माल की बाबत प्रवेश पत्र या पोत पत्र या निर्यात पत्र फाइल किया है या यात्री सामान की घोषणा की है या उस पर लेबल लगाया है अथवा घोषणा की है और ऐसे दस्तावेज या दस्तावेजों के संबंध में समुचित अधिकारी द्वारा उसे हेतुक दर्शित करने के लिए सूचना जारी कर दी गई है;";

(ii) खंड (ग) में, "धारा 28कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 28कक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

85. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 127ठ की उपधारा (1) के खंड (i) में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 127ठ का संशोधन ।

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड में, शुल्क दायित्व की विशिष्टियों के छिपाए जाने का संबंध, सीमाशुल्क अधिकारी से ऐसे किसी छिपाए जाने से है ।"।

86. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129क की,— धारा 129क का संशोधन ।

(i) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1ख) के खंड (i) में, "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "आदेश द्वारा" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपधारा (7) के खंड (क) में, "रोके जाने की मंजूरी के लिए या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

87. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ख की उपधारा (2क) के पहले परंतुक, दूसरे परंतुक और तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा । धारा 129ख का संशोधन ।

88. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129घ की उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 129घ का संशोधन ।

"परंतु बोर्ड, दर्शित किए गए पर्याप्त कारण से, उक्त अवधि को और तीस दिन के लिए बढ़ा सकेगा।"।

89. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 129ङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन ।

"129ङ. यथास्थिति, अधिकरण या आयुक्त (अपील),— अपील फाइल किए जाने के पूर्व मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति की कतिपय प्रतिशतता का जमा किया जाना।

(i) धारा 128 की उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि अपीलार्थी ने सीमाशुल्क आयुक्त की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति के किसी सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में शुल्क का, उस दशा में, जहां शुल्क या शुल्क और शास्ति विवादग्रस्त है साढ़े सात प्रतिशत या शास्ति को, जहां ऐसी शास्ति विवादग्रस्त है, जमा नहीं कर दिया हो;

(ii) धारा 129क की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि

अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, शुल्क का, उस दशा में, जहां शुल्क या शुल्क और शास्ति विवादग्रस्त है साढ़े सात प्रतिशत या शास्ति को, जहां ऐसी शास्ति विवादग्रस्त है जमा नहीं कर दिया हो;

(iii) धारा 129क की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, शुल्क का, दस प्रतिशत उस दशा में, जहां शुल्क या शुल्क और शास्ति विवादग्रस्त है या शास्ति को, जहां ऐसी शास्ति विवादग्रस्त है, जमा नहीं कर दिया हो:

परंतु इस धारा के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के पूर्व लंबित रोक संबंधी आवेदनों और अपीलों को लागू नहीं होंगे।"।

धारा 129ङङ के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

90. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 129ङङ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 129ङ के अधीन जमा की गई रकम के विलंबित प्रतिदाय पर ब्याज।

"129ङङ. जहां धारा 129ङ के अधीन अपीलार्थी द्वारा जमा की गई किसी रकम का अपील प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, वहां अपीलार्थी को उस रकम पर प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय नियत की जाए, ऐसी रकम का संदाय किए जाने की तारीख से ऐसी रकम का प्रतिदाय किए जाने की तारीख तक, ब्याज का संदाय किया जाएगा:

परंतु वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के पूर्व, धारा 129ङ के अधीन जमा की गई रकम, धारा 129ङङ, जैसे वह उक्त अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विद्यमान थी, के उपबंधों द्वारा शासित होती रहेगी ।"।

धारा 131खक का संशोधन।

91. सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 131खक की उपधारा (4) में, "अपील अधिकरण या न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या न्यायालय" शब्द रखे जाएंगे ।

सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 के अधीन जारी की गई अधिसूचना का संशोधन।

92. (1) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 185 (अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जैसी दूसरी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट है, उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही तत्स्थानी तारीख तक संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्त्विक समयों पर प्राप्त थी।

(3) ऐसे सभी सीमाशुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किंतु जो उस दशा में इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना सीमाशुल्क अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होती।

(4) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 27 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन सीमाशुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास के भीतर किया जाएगा।

(5) किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन नहीं किया गया होता ।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "तत्स्थानी तारीख" से क्रम सं॰ 141 के सामने विनिर्दिष्ट टैरिफ मदों के संबंध में, 8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है ।

सीमाशुल्क टैरिफ

1975 का 51 **93.** सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसमें इसके पश्चात् सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम कहा गया है) की धारा 8ख की उपधारा (2क) में,— धारा 8ख का संशोधन।

(क) "तब तक, जब तक कि" शब्दों से आरंभ होने वाले और "वस्तुओं को लागू नहीं होगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख उपक्रम द्वारा या किसी विशेष आर्थिक क्षेत्र में की किसी यूनिट द्वारा आयातित वस्तुओं को लागू नहीं होगा, जब तक कि,—

(i) वह, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचनाओं या ऐसे अधिरोपणों में विनिर्दिष्ट रूप से लागू न किया गया हो; या

(ii) आयातित वस्तु की घरेलू टैरिफ क्षेत्र में उस रूप में निकासी की गई है या ऐसे किसी माल के, जिसकी घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निकासी की गई हो, विनिर्माण में उपयोग में लाई गई है और ऐसे मामलों में सुरक्षा शुल्क उस वस्तु के, जिसकी इस प्रकार निकासी की गई है या जो इस प्रकार उपयोग में लाई गई है, उस भाग पर उद्‌गृहीत किया जाएगा, जैसे वह उस समय उद्ग्रहणीय था जब वह भारत में आयात की गई थी।";

(ख) स्पष्टीकरण में, "मुक्त व्यापार क्षेत्र" शब्दों का लोप किया जाएगा।

94. सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची का तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा। पहली अनुसूची का संशोधन।

उत्पाद-शुल्क

1944 का 1
1994 का 32 **95.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (जिसे इसमें इसके पश्चात् केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम कहा गया है) में या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में, नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी के प्रति निर्देश के स्थान पर, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी या प्राधिकारियों के प्रति निर्देश रखा जाएगा और ऐसे पारिणामिक परिवर्तन भी, जो व्याकरण के नियमों के रूप में अपेक्षित हों, किए जाएंगे: नए प्राधिकारियों का प्रतिस्थापन।

सारणी

क्रम सं॰	(1)	(2)
1.	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त
2.	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त	केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त।

धारा 2 का संशोधन।

96. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ख) में, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त" शब्दों के स्थान पर, "केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क मुख्य आयुक्त, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क प्रधान आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 15क और धारा 15ख का अंतःस्थापन।

97. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 15 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

सूचना विवरणी देने की बाध्यता ।

"15क. (1) कोई व्यक्ति जो,—

(क) निर्धारिती है; या

(ख) स्थानीय प्राधिकारी या अन्य लोक निकाय या संगम है; या

(ग) राज्य सरकार का कोई ऐसा प्राधिकारी है, जो मूल्य वर्धित कर या विक्रय-कर के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है; या

(घ) आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन नियुक्त कोई आय-कर प्राधिकारी है; या 1961 का 43

(ङ) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45क के खंड (क) के अर्थान्तर्गत कोई बैंककारी कंपनी है; या 1934 का 2

(च) यथास्थिति, विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन कोई राज्य विद्युत बोर्ड, या कोई विद्युत वितरण या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई अन्य इकाई है, जिसे केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा ऐसे कृत्य सौंपे गए हैं; या 2003 का 36

(छ) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 6 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार है; या 1908 का 16

(ज) कंपनी अधिनियम, 2013 के अर्थान्तर्गत कोई रजिस्ट्रार है; या 2013 का 18

(झ) ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी है, जो मोटर यान अधिनियम, 1988 के अध्याय 4 के अधीन मोटर यानों को रजिस्टर करने के लिए सशक्त है; या 1988 का 59

(ञ) भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 3 के खंड (ग) में निर्दिष्ट कलक्टर है; या 2013 का 30

(ट) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 2 के खंड (च) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेन्ज है; या 1956 का 42

(ठ) निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ङ) में निर्दिष्ट कोई निक्षेपागार है; या 1996 का 22

(ड) भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक का ऐसा कोई अधिकारी है, 1934 का 2

जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन लेखाओं के रजिस्ट्रीकरण या विवरण या किसी कालिक विवरणी या दस्तावेज, जिसमें कर के संदाय के ब्यौरे और अन्य ब्यौरे हों, या माल अथवा सेवाओं के संव्यवहार या किसी बैंक खाते से संबंधित संव्यवहार या विद्युत खपत या माल अथवा संपत्ति के क्रय, विक्रय या विनिमय के संव्यवहार अथवा किसी संपत्ति में के अधिकार या हित से संबंधित अभिलेख बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है, ऐसी अवधियों की बाबत उसकी एक सूचना विवरणी ऐसे समय के भीतर, ऐसे प्ररूप (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक प्ररूप भी है) और रीति में ऐसे प्राधिकारी या अभिकरण को प्रस्तुत करेगा जो विहित किया जाए ।

(2) जहां विहित प्राधिकारी का यह विचार है कि सूचना विवरणी में प्रस्तुत की गई सूचना त्रुटिपूर्ण है, वहां वह उस व्यक्ति को जिसने ऐसी सूचना विवरणी प्रस्तुत की है, उस त्रुटि की सूचना दे सकेगा और उस त्रुटि को ऐसी सूचना की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर, जो इस निमित्त आवेदन किए जाने पर, विहित प्राधिकारी अनुज्ञात करे, उस त्रुटि की परिशुद्धि करने का अवसर दे सकेगा और यदि, यथास्थिति, तीस दिन की उक्त अवधि या इस प्रकार अनुज्ञात अतिरिक्त अवधि के भीतर उस त्रुटि की परिशुद्धि नहीं की जाती है तो इस अधिनियम के किसी अन्य उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी सूचना विवरणी को प्रस्तुत न किया गया माना जाएगा और इस अधिनियम के उपबंध लागू होंगे।

(3) जहां ऐसे किसी व्यक्ति ने, जिससे सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, उसे उपधारा (1) और उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया है, वहां विहित प्राधिकारी उस पर ऐसी सूचना की यह अपेक्षा करते हुए तामील कर सकेगा कि ऐसी सूचना विवरणी ऐसी सूचना की तामील की तारीख से नब्बे दिन से अनधिक की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जाए और ऐसा व्यक्ति ऐसी सूचना विवरणी प्रस्तुत करेगा।

सूचना विवरणी प्रस्तुत करने में असफल रहने के लिए शास्ति।

15ख. यदि ऐसा कोई व्यक्ति, जिससे धारा 15क के अधीन सूचना विवरणी प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, उसकी उपधारा (3) के अधीन जारी की गई सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ऐसा करने में असफल रहता है, तो विहित प्राधिकारी यह निदेश दे सकेगा कि वह व्यक्ति, उस अवधि के प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान ऐसी विवरणी प्रस्तुत करने में असफलता जारी रहती है, शास्ति के रूप में, एक सौ रुपए की राशि का संदाय करे।"।

धारा 31 का संशोधन।

98. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 31 के खंड (छ) में, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 32 का संशोधन।

99. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में, "सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क समझौता आयोग" शब्दों के स्थान पर, "सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 32ङ का संशोधन।

100. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ङ में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) पहले परंतुक के खंड (घ) में, "धारा 11कख" शब्द, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "धारा 11कक" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे;

(ख) दूसरे परंतुक में, "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि समझौता आयोग, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उपधारा (1) के पहले परंतुक के खंड (क) में निर्दिष्ट विवरणियां फाइल न किए जाने की परिस्थितियां विद्यमान हैं, तो वह उसके लिए कारण लेखबद्ध करने के पश्चात् आवेदक को ऐसा आवेदन करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा:

परंतु यह भी कि";

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा ।

धारा 32ण का संशोधन।

101. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 32ण की उपधारा (1) के खंड (i) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"**स्पष्टीकरण**—इस खंड में, शुल्क दायित्व की विशिष्टियों के छिपाए जाने का संबंध, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी से ऐसे किसी छिपाए जाने का है।"।

धारा 35ख का संशोधन।

102. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ख में,—

(क) उपधारा (1) के दूसरे परंतुक में, "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर, "दो लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1ख) के खंड (i) में, "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्दों के स्थान पर, "आदेश द्वारा" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (7) के खंड (क) में, "रोके जाने की मंजूरी या" शब्दों का लोप किया जाएगा।

धारा 35ग का संशोधन।

103. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ग की उपधारा (2क) के पहले, दूसरे और तीसरे परंतुक का लोप किया जाएगा।

धारा 35ङ का संशोधन।

104. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ङ की उपधारा (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु बोर्ड, दर्शित किए गए पर्याप्त कारण से उक्त अवधि को तीस और दिन के लिए बढ़ा सकेगा।"।

धारा 35च के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

105. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35च के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अपील फाइल किए जाने के पूर्व मांगे गए शुल्क या अधिरोपित शास्ति की कतिपय प्रतिशतता का जमा किया जाना।

'35च. यथास्थिति, अधिकरण या आयुक्त (अपील),—

(i) धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि अपीलार्थी ने केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त की पंक्ति से निम्नतर पंक्ति के किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में शुल्क का, उस दशा में, जहां शुल्क या शुल्क और शास्ति विवादग्रस्त है साढ़े सात प्रतिशत या शास्ति को, जहां ऐसी शास्ति विवादग्रस्त है जमा नहीं कर दिया हो;

(ii) धारा 35ख की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा, जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, शुल्क का, उस दशा में, जहां शुल्क या शुल्क और शास्ति विवादग्रस्त है, साढ़े सात प्रतिशत या शास्ति को, जहां ऐसी शास्ति विवादग्रस्त है, जमा नहीं कर दिया हो;

(iii) धारा 35ख की उपधारा (1) के खंड (ख) में निर्दिष्ट विनिश्चय या आदेश के विरुद्ध तब तक कोई अपील ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसे विनिश्चय या आदेश के अनुसरण में, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, शुल्क का दस प्रतिशत, उस दशा में, जहां शुल्क या शुल्क और शास्ति विवादग्रस्त है या शास्ति को, जहां ऐसी शास्ति विवादग्रस्त है, जमा नहीं कर दिया हो:

परंतु इस धारा के अधीन जमा किए जाने के लिए अपेक्षित रकम दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं होगी:

परंतु यह और कि इस धारा के उपबंध किसी अपील प्राधिकारी के समक्ष वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के पूर्व लंबित रोक संबंधी आवेदनों और अपीलों को लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "मांगे गए शुल्क" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) धारा 11घ के अधीन अवधारित रकम;

(ii) भूल से लिए गए केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय की रकम;

(iii) केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2001 के नियम 6 या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2002 या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय नियम, 2004 के अधीन संदेय रकम।'।

धारा 35चच के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

106. केन्द्रीय उत्पाद–शुल्क अधिनियम की धारा 35चच के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

धारा 35च के अधीन जमा की गई रकम के विलंबित प्रतिदाय का ब्याज।

"35चच. जहां धारा 35च के अधीन अपीलार्थी द्वारा जमा की गई किसी रकम का अपील प्राधिकारी के आदेश के परिणामस्वरूप प्रतिदाय किया जाना अपेक्षित है, वहां अपीलार्थी को उस रकम पर, प्रतिवर्ष पांच प्रतिशत से अन्यून और छत्तीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी दर पर, जो केंद्रीय सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तत्समय नियत की जाए, ऐसी रकम का संदाय किए जाने की तारीख से ऐसी रकम का प्रतिदाय किए जाने की तारीख तक, ब्याज का संदाय किया जाएगा:

परंतु वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ के पूर्व, धारा 35च के अधीन जमा की गई रकम, धारा 35चच, जैसे वह उक्त अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व विद्यमान थी, के उपबंधों द्वारा शासित होती रहेगी।"।

धारा 35ठ का संशोधन।

107. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35ठ को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, शुल्क की दर से संबंधित किसी प्रश्न के अवधारण में, निर्धारण के प्रयोजन के लिए माल की कराधेयता या उत्पाद-शुल्क्यता का अवधारण सम्मिलित होगा।"।

धारा 35द का संशोधन।

108. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 35द की उपधारा (4) में, "अपील अधिकरण या न्यायालय" शब्दों के स्थान पर, "आयुक्त (अपील) या अपील अधिकरण या न्यायालय" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे।

पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 का संशोधन।

109. (1) पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 में, जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 127(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए हैं, नियम 8, चौथी अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से, उस अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से ही संशोधित हो जाएगा और भूतलक्षी रूप से संशोधित किया गया समझा जाएगा।

(2) केंद्रीय सरकार को, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति होगी और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन सभी तात्त्विक समयों पर भूतलक्षी रूप से नियम बनाने की शक्ति प्राप्त थी।

(3) ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा, जो संगृहीत किया गया है, किंतु जो इस प्रकार उस दशा में संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सभी तात्त्विक समयों पर प्रवृत्त होते।

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (3) के अधीन उत्पाद-शुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(5) किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप, ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो तब इस प्रकार दंडनीय नहीं होता यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट नियम का भूतलक्षी रूप से संशोधन नहीं किया गया होता।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक सा॰का॰नि॰ 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 का संशोधन।

110. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रथम अधिसूचना कहा गया है) जो अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् द्वितीय अधिसूचना कहा गया है) द्वारा अधिक्रांत की गई थी, जहां तक उसका संबंध प्रथम अधिसूचना से है, पांचवीं अनुसूची के स्तंभ (2) में यथा विनिर्दिष्ट रीति से, भूतलक्षी रूप से,—

(क) प्रथम अधिसूचना के अधीन समाविष्ट, उसमें विनिर्दिष्ट अध्याय 54 या अध्याय 55 के संबंध में 29 जून, 2010 से 16 मार्च, 2012 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अर्थात् द्वितीय अधिसूचना की तारीख के पूर्व की तारीख से; और

(ख) प्रथम अधिसूचना के अधीन समाविष्ट उसमें विनिर्दिष्ट अध्याय 71 के संबंध में 1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अर्थात् द्वितीय अधिसूचना की तारीख के पूर्व तारीख से,

जैसी उस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना के सामने अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, संशोधित हो जाएगी और संशोधित की गई समझी जाएगी ।

(2) केंद्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर प्राप्त थी ।

(3) ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो उस दशा में इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पाद-शुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा ।

(5) किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार तब दंडनीय नहीं होता, यदि अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन नहीं किया गया होता ।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्यांक सा॰का॰नि॰ 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 का संशोधन।

111. (1) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰ सा॰का॰नि॰ 163(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जैसी छठी अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट है, उस अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट रीति से, उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से तत्स्थानी तारीख तक, संशोधित हो जाएगी और भूतलक्षी रूप से संशोधित की गई समझी जाएगी।

(2) केंद्रीय सरकार को उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, उक्त अधिसूचना को भूतलक्षी रूप से संशोधित करने की शक्ति होगी और यह समझा जाएगा कि उसे उसी रूप में शक्ति प्राप्त है, मानो केंद्रीय सरकार को केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन करने की शक्ति सभी तात्विक समयों पर प्राप्त थी ।

(3) ऐसे सभी उत्पाद-शुल्क का प्रतिदाय किया जाएगा जो संगृहीत किया गया है, किन्तु जो उस दशा में इस प्रकार संगृहीत नहीं किया गया होता, यदि उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख के उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी तात्विक समयों पर प्रवृत्त होती ।

(4) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की धारा 11ख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पाद-शुल्क के प्रतिदाय के दावे के लिए उपधारा (3) के अधीन कोई आवेदन उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, छह मास की अवधि के भीतर किया जाएगा।

(5) किसी व्यक्ति की ओर से कोई कार्य या लोप ऐसे किसी अपराध के रूप में दंडनीय नहीं होगा, जो इस प्रकार दंडनीय नहीं होता, यदि अधिसूचना का भूतलक्षी रूप से संशोधन नहीं किया गया होता।

स्पष्टीकरण—उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए "तत्स्थानी तारीख" से,—

(i) क्र० सं० 81 के सामने विनिर्दिष्ट टैरिफ मदों के संबंध में 8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है।

(ii) क्र० सं० 172क के सामने विनिर्दिष्ट अध्यायों के संबंध में 17 मार्च, 2012 से 10 जुलाई, 2014 (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं) अभिप्रेत है।

112. केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची का संशोधन सातवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा। तीसरी अनुसूची का संशोधन।

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ

1986 का 5 **113.** केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची का संशोधन आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से किया जाएगा। पहली अनुसूची का संशोधन।

अध्याय 5

सेवा कर

114. वित्त अधिनियम, 1994 में,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(क) धारा 65ख में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(i) खंड (32) में "के अनुसार प्रभारित किया जाता है" शब्दों के पश्चात् "किंतु इसके अंतर्गत रेडियो टैक्सी नहीं है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (39) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(39क) "प्रिंट मीडिया" से,—

1867 का 25 (i) ऐसी "पुस्तक", अभिप्रेत है जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1 की उपधारा (1) में परिभाषित है, किंतु इसके अंतर्गत ऐसी कारबार निर्देशिकाएं, येलो पेजेज और व्यापार (ट्रेड) सूचीपत्र नहीं आते हैं जो मुख्यतया वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए हों;

1867 का 25 (ii) ऐसा "समाचारपत्र" अभिप्रेत है, जो प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 1 की उपधारा (1) में परिभाषित है; ';

(ख) धारा 66घ में, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे,—

(i) खंड (छ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(छ) प्रिंट मीडिया में विज्ञापनों के लिए स्थान का विक्रय;";

(ii) खंड (ण) के उपखंड (vi) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(vi) मीटर वाली कैब या आटो रिक्शा द्वारा;";

(ग) धारा 67क में, स्पष्टीकरण के स्थान पर, उस तारीख से, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे, निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विनिमय दर" से ऐसे नियमों के अनुसार, जो विहित किए जाएं, अवधारित विनिमय दर अभिप्रेत है।';

(घ) धारा 73 की उपधारा (4क) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(4ख) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी उपधारा (2) के अधीन शोध्य सेवा कर की रकम का अवधारण,—

(क) सूचना की तारीख से छह मास के भीतर करेगा, जहां उन मामलों की बाबत, जिनकी परिसीमा उपधारा (1) में अठारह मास विनिर्दिष्ट की गई है, ऐसा करना संभव हो;

(ख) सूचना की तारीख से एक वर्ष के भीतर करेगा, जहां उन मामलों की बाबत, जो उपधारा (1) के परंतुक या उपधारा (4क) के परंतुक के अंतर्गत आते हैं, ऐसा करना संभव हो।";

(ङ) धारा 80 की उपधारा (1) में, "धारा 77 या धारा 78 की उपधारा (1) के पहले परंतुक" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर, "या धारा 77" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(च) धारा 82 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) जहां केंद्रीय उत्पाद-शुल्क संयुक्त आयुक्त या केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अपर आयुक्त या ऐसा अन्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी, जिसे बोर्ड द्वारा अधिसूचित किया जाए, के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई दस्तावेजें या बहियां या वस्तुएं, जो उसकी राय में इस अध्याय के अधीन की किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत होंगी, किसी स्थान में छिपाई हुई हैं, वहां वह किसी केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को ऐसे दस्तावेजों या बहियों या वस्तुओं के लिए तलाशी लेने और उन्हें अभिगृहीत करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा या स्वयं तलाशी ले सकेगा या उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा।";

(छ) धारा 83 में,—

(i) "धारा 9क की उपधारा (2)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों के स्थान पर, "धारा 5क की उपधारा (2क), धारा 9क की उपधारा (2)" शब्द, अंक, अक्षर और कोष्ठक रखे जाएंगे;

(ii) "धारा 15" के स्थान पर "धारा 15, धारा 15क, धारा 15ख" रखा जाएगा;

(ज) धारा 86 में,—

(i) उपधारा (1क) के खंड (i) में, "राजपत्र में अधिसूचना द्वारा" शब्दों के स्थान पर "आदेश द्वारा" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (6क) के खंड (क) में, "रोके जाने की मंजूरी या" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(झ) धारा 87 के खंड (ग) में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु जहां ऐसा व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् पूर्वाधिकारी कहा गया है) जिससे इस धारा में यथा विनिर्दिष्ट सेवा कर या किसी प्रकार की कोई अन्य धनराशि, वसूलीय या शोध्य है, अपने कारबार या व्यापार का पूर्णतः या भागतः अंतरण करता है या अन्यथा व्ययन करता है या उसके स्वामित्व में ऐसा कोई परिवर्तन करता है, जिसके परिणामस्वरूप वह किसी अन्य व्यक्ति के उस कारबार या व्यापार का उत्तराधिकारी बनता है, वहां इस प्रकार उत्तराधिकारी बनने वाले व्यक्ति की अभिरक्षा या कब्जे में के सभी माल की, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा सशक्त ऐसे अधिकारी द्वारा, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त का लिखित अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात्, ऐसे पूर्वाधिकारी से वसूलीय या शोध्य ऐसे सेवा कर या अन्य धनराशियों को वसूल करने के प्रयोजनों के लिए ऐसे अंतरण या अन्यथा व्ययन या परिवर्तन किए जाने के समय कुर्की भी की जा सकेगी और उसका विक्रय किया जा सकेगा।";

(ञ) धारा 94 की उपधारा (2) के खंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ट) कर से समुचित उद्ग्रहण और संग्रहण के लिए सेवा कर का संदाय करने के लिए दायी व्यक्तियों पर जानकारी देने, अभिलेख रखने के कर्तव्य का और उस रीति का अधिरोपण करना, जिसमें ऐसे अभिलेखों को सत्यापित किया जाएगा;

(ठ) सुविधाओं को वापस लेने या कराधेय सेवा के प्रदाता या निर्यातकर्ता पर निर्बंधनों के (जिसके अंतर्गत केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के उपभोग पर निर्बंधन भी हैं) अधिरोपण के लिए कर के अपवंचन से या केंद्रीय मूल्य वर्धित कर प्रत्यय के दुरुपयोग के संबंध में कार्रवाई करने के लिए उपबंध करना;

(ड) केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड या मुख्य केंद्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त को इस अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए किन्हीं आनुषंगिक या अनुपूरक विषयों के संबंध में अनुदेश जारी करने के लिए प्राधिकार का दिया जाना;

(ढ) कोई अन्य विषय, जो इस अध्याय द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या किया जाए ।";

(ट) धारा 95 की उपधारा (1ञ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1ट) यदि वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2014 की धारा 114 को, जहां तक वह उक्त अधिनियम द्वारा इस अध्याय में संशोधन किए जाने से संबंधित है, प्रभावी करने में कोई कठिनाई होती है, तो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस अध्याय के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर कर सकेगी:

परंतु ऐसा कोई आदेश उस तारीख से, जिसको वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2014 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।";

(ठ) धारा 99 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा प्रदान की गई कराधेय सेवाओं के लिए विशेष उपबंध।

"100. धारा 66 में, जैसी वह 1 जुलाई, 2012 के पूर्व विद्यमान थी, अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 के अधीन स्थापित कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा 1 जुलाई, 2012 के पूर्व की अवधि के दौरान प्रदान की गई कराधेय सेवाओं की बाबत कोई सेवा कर उद्‌गृहीत या संगृहीत नहीं किया जाएगा ।"। 1948 का 34

अध्याय 6

प्रकीर्ण

2001 के अधिनियम 14 का संशोधन।

115. वित्त अधिनियम, 2001 की सातवीं अनुसूची में, टैरिफ मद 2402 20 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

2002 के अधिनियम 58 की धारा 13 का संशोधन।

116. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (1) में, "31 मार्च, 2014" अंकों और शब्द के स्थान पर "31 मार्च, 2019" अंक और शब्द रखे जाएंगे और 1 अप्रैल, 2014 से रखे गए समझे जाएंगे ।

वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 का संशोधन ।

117. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 के अध्याय 7 में, 1 अक्तूबर, 2014 से,— 2004 का 23

(अ) धारा 97 में,—

(i) खंड (3) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(3क) "कारबार न्यास" का वही अर्थ होगा जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (13क) में उसका है,'। 1961 का 43

(ii) खंड (13) के उपखंड (क) में, "किसी साधारण शेयरोन्मुख निधि के यूनिट" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(आ) धारा 98 की सारणी के स्तंभ (2) में,—

(I) क्रम सं॰ 1 में की प्रविष्टि में,—

(i) "किसी कंपनी में साधारण शेयर" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास के किसी यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "शेयर" शब्द के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "या यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(II) क्रम सं॰ 2 में की प्रविष्टि में,—

(i) "किसी कंपनी में साधारण शेयर" शब्दों के पश्चात् "या किसी कारबार न्यास की किसी यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "शेयर" शब्द के पश्चात्, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "या यूनिट" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(III) क्रम सं॰ 3 में की प्रविष्टि में, "साधारण शेयरोन्मुख निधि" शब्दों के पश्चात्, "या किसी कारबार न्यास" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

118. वित्त अधिनियम, 2005 में,— 2005 के अधिनियम 18 का संशोधन।

(क) धारा 85 के पार्श्व शीर्ष में, "अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (पान मसाला और कतिपय तम्बाकू उत्पाद)" शब्दों और कोष्ठकों के स्थान पर, "कतिपय माल पर अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) सातवीं अनुसूची का नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट रीति से संशोधन किया जाएगा।

119. वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 83 की उपधारा (3) में, "स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में" से आरंभ होने वाले और "किसी अन्य प्रयोजन के लिए" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— 2010 के अधिनियम 14 का संशोधन ।

"स्वच्छ पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में, स्वच्छ पर्यावरण या स्वच्छ ऊर्जा प्रारंभिक उपाय निधि अनुसंधान के वित्त पोषण और संवर्धन के प्रयोजन के लिए या उससे संबंधित किसी अन्य प्रयोजन के लिए"।

2014 का 11 **120.** वित्त अधिनियम, 2014 को निरसित किया जाता है और यह समझा जाएगा कि वह कभी अधिनियमित ही नहीं किया गया था। निरसन ।

पहली अनुसूची
(धारा 2 देखिए)
भाग 1
आय-कर
पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	30,000 रु॰ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,30,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक है किंतु 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है किंतु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	25,000 रु॰ **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,25,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है किंतु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,00,000 रु॰ **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु. से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु. से अधिक है किंतु 20,000 रु. से अधिक नहीं है	1,000 रु. **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु. से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु. से अधिक है	3,000 रु. **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु. से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में	कुल आय का 30 प्रतिशत ।
II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—	
(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—	
(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; अथवा	
(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,	
और जहां, ऐसा करार दोनों में से किसी भी दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है	50 प्रतिशत ;
(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो	40 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है:

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

भाग 2

कतिपय दशाओं में स्रोत पर कर की कटौती की दरें

ऐसी प्रत्येक दशा में, जिसमें आय-कर अधिनियम की धारा 193, धारा 194, धारा 194क, धारा 194ख, धारा 194खख, धारा 194घ और धारा 195 के उपबंधों के अधीन कर की कटौती प्रवृत्त दरों से की जानी है, आय में से कटौती निम्नलिखित दरों पर कटौती के अधीन रहते हुए की जाएगी :—

	आय-कर की दर
1. कंपनी से भिन्न व्यक्ति की दशा में,—	
(क) जहां व्यक्ति भारत में निवासी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) बीमा कमीशन के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(v) निम्नलिखित पर संदेय ब्याज के रूप में आय पर—	10 प्रतिशत ;
(अ) किसी केंद्रीय, राज्य या प्रांतीय अधिनियम द्वारा स्थापित किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम द्वारा या उसकी ओर से धन के लिए पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर या प्रतिभूतियां ;	
(आ) किसी कंपनी द्वारा पुरोधृत किए गए कोई डिबेंचर, जहां ऐसे डिबेंचर, भारत में मान्यताप्राप्त किसी स्टाक एक्सचेंज में प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) और उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अनुसार सूचीबद्ध हैं ;	
(इ) केंद्रीय या राज्य सरकार की कोई प्रतिभूति;	
(vi) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है,—	
(i) किसी अनिवासी भारतीय की दशा में,—	
(अ) विनिधान से किसी आय पर	20 प्रतिशत ;
(आ) धारा 115ङ या धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(इ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
(ई) दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] अन्य आय पर	20 प्रतिशत ;
(उ) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(ऊ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	25 प्रतिशत ;
(ऋ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(i)(ऊ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] आय पर,—	25 प्रतिशत ;
(ए) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	25 प्रतिशत ;
(ऐ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ओ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(औ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) किसी अन्य व्यक्ति की दशा में,—	
(अ) सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है),	20 प्रतिशत ;
(आ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कम्प्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है,	25 प्रतिशत ;
(इ) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है,	25 प्रतिशत ;

	आय-कर की दर
सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में [जो उपमद (ख)(ii) (आ) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामिस्व नहीं है] आय पर	
(ई) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है, वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है, वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर	25 प्रतिशत ;
(उ) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऊ) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ऋ) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	15 प्रतिशत ;
(ए) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ऐ) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] आय पर	20 प्रतिशत ;
(ओ) अन्य सम्पूर्ण आय पर	30 प्रतिशत ;
2. किसी कंपनी की दशा में,—	
(क) जहां कंपनी देशी कंपनी है,—	
(i) "प्रतिभूतियों पर ब्याज" से भिन्न ब्याज के रूप में आय पर	10 प्रतिशत ;
(ii) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iv) किसी अन्य आय पर	10 प्रतिशत ;
(ख) जहां कंपनी देशी कंपनी नहीं है,—	
(i) लाटरी, वर्ग पहेली, ताश के खेल और किसी प्रकार के अन्य खेल से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(ii) घुड़दौड़ से जीत के रूप में आय पर	30 प्रतिशत ;
(iii) सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा विदेशी करेंसी में उधार लिए गए धन या उपगत ऋण पर सरकार या किसी भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय ब्याज के रूप में आय पर (जो धारा 194ठख या धारा 194ठग में निर्दिष्ट ब्याज के रूप में आय नहीं है)	20 प्रतिशत ;
(iv) उसके द्वारा 31 मार्च, 1976 के पश्चात् सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामिस्व के रूप में आय पर, जहां ऐसा स्वामिस्व, भारतीय समुत्थान को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के पहले परंतुक में निर्दिष्ट किसी विषय की किसी पुस्तक में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में अथवा भारत में निवासी किसी व्यक्ति को आय-कर अधिनियम की धारा 115क की उपधारा (1क) के दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट किसी कंप्यूटर साफ्टवेयर के संबंध में सभी या किन्हीं अधिकारों के (जिनके अंतर्गत अनुज्ञप्ति देना है) अंतरण के प्रतिफल के रूप में है	25 प्रतिशत ;
(v) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित	

आय-कर की दर

विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा संदेय स्वामित्व के रूप में [जो उपमद (ख)(iv) में निर्दिष्ट प्रकृति का स्वामित्व नहीं है] आय पर—

(अ) जहां करार, 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है — 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार, 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है — 25 प्रतिशत ;

(vi) उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में और जहां ऐसा करार किसी भारतीय समुत्थान के साथ है वहां वह करार केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित है या जहां वह भारत सरकार की तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक नीति में सम्मिलित किसी विषय से संबंधित है वहां वह करार उस नीति के अनुसार है, सरकार या भारतीय समुत्थान द्वारा तकनीकी सेवाओं के लिए संदेय फीस के रूप में आय पर,—

(अ) जहां करार 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व किया गया है — 50 प्रतिशत ;

(आ) जहां करार 31 मार्च, 1976 के पश्चात् किया गया है — 25 प्रतिशत ;

(vii) धारा 111क में निर्दिष्ट अल्पकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 15 प्रतिशत ;

(viii) धारा 112 की उपधारा (1) के खंड (ग) के उपखंड (iii) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में आय पर — 10 प्रतिशत ;

(ix) अन्य दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभों के रूप में [जो धारा 10 के खंड (33), खंड (36) और खंड (38) में निर्दिष्ट दीर्घकालिक पूंजी अभिलाभ नहीं हैं] आय पर — 20 प्रतिशत ;

(x) किसी अन्य आय पर — 40 प्रतिशत।

स्पष्टीकरण — इस भाग की मद 1(ख)(i) के प्रयोजन के लिए, "विनिधान से आय" और "अनिवासी भारतीय" के वही अर्थ हैं, जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12क में उनके हैं ।

आय-कर पर अधिभार

निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार कटौती की गई आय-कर की रकम में,—

(i) इस भाग की मद 1 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी, जो अनिवासी है, की दशा में, जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) इस भाग की मद 2 के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए, किसी देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग, एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जहां संदत्त या संदाय किए जाने के लिए संभाव्य और कटौती के अधीन रहते हुए, आय अथवा ऐसी आय का योग दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, बढ़ा दिया जाएगा ।

भाग 3

कतिपय दशाओं में आय-कर के प्रभारण, "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय से आय-कर की कटौती और "अग्रिम कर" की संगणना के लिए दरें

उन दशाओं में, जिनमें आय-कर, प्रवृत्त दर या दरों से, आय-कर अधिनियम की धारा 172 की उपधारा (4) या उक्त अधिनियम की धारा 174 की उपधारा (2) या धारा 174क या धारा 175 या धारा 176 की उपधारा (2) के अधीन प्रभारित किया जाना है अथवा "वेतन" शीर्ष के अधीन प्रभार्य आय में से उक्त अधिनियम की धारा 192 के अधीन काटा जाना है या उस पर संदाय किया जाना है अथवा जिसमें उक्त अधिनियम के अध्याय 17ग के अधीन संदेय "अग्रिम कर" की संगणना की जानी है, यथास्थिति, ऐसा आय-कर या "अग्रिम कर" [जो आय-कर अधिनियम के अध्याय 12 या अध्याय 12क या धारा 115जख या धारा 115जग या अध्याय 12चक या धारा 161 की उपधारा (1क) या धारा 164 या धारा 164क या धारा 167ख के अधीन, उस अध्याय या धारा में विनिर्दिष्ट दरों पर कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में "अग्रिम कर" नहीं है या धारा 115क या धारा 115कख या धारा 115कग या धारा 115कगक या धारा 115कघ या धारा 115ख या धारा 115खख या धारा 115खखक या धारा 115खखग या धारा 115खखघ या धारा 115खखङ या धारा 115ङ या धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य किसी आय के संबंध में ऐसे "अग्रिम कर" पर अधिभार नहीं है] निम्नलिखित दर या दरों से, प्रभारित किया जाएगा, काटा जाएगा या संगणित किया जाएगा :—

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसे इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है	25,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है	1,25,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक नहीं है	कुछ नहीं ;
(2) जहां कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु० से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 3,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु० से अधिक नहीं है	20,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक है	1,20,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु० से अधिक हो जाती है ।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक नहीं है	**कुछ नहीं ;**
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक है, किन्तु 10,00,000 रु. से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु. से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु. से अधिक है	1,00,000 रु. **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु. से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर, आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु. से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत ;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु. से अधिक है, किंतु 20,000 रु. से अधिक नहीं है	1,000 रु. **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु. से अधिक हो जाती है ;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु. से अधिक है	3,000 रु. **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु. से अधिक हो जाती है ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर	30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम को, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर 30 प्रतिशत ।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु ऊपर उल्लिखित स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल रकम पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से, अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है।

पैरा ङ

कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दरें

I. देशी कंपनी की दशा में कुल आय का 30 प्रतिशत ;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) उसके द्वारा 31 मार्च, 1961 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व ; अथवा

(ख) उसके द्वारा 29 फरवरी, 1964 के पश्चात् किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व सरकार या किसी भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में सरकार या भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, ऐसा करार दोनों में से किसी भी दशा में, केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत ;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत ;

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में निम्नलिखित दर से,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से ;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से ; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से,

परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा :

परंतु प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी, जो आय की उस रकम के, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है :

परंतु यह और कि प्रत्येक ऐसी कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय उस कुल रकम से अधिक नहीं होगी जो आय की उस रकम के, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है, आधिक्य में है ।

भाग 4

[धारा 2(13)(ग) देखिए]

शुद्ध कृषि-आय की संगणना के नियम

नियम 1—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (क) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "अन्य स्रोतों से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 57 से धारा 59 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे :

परंतु धारा 58 की उपधारा (2), इस उपांतर के साथ लागू होगी कि उसमें धारा 40क के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत धारा 40क की उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रति निर्देश नहीं हैं ।

नियम 2—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ख) या उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय [जो ऐसी आय से भिन्न है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता हो] इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "कारबार या वृत्ति के लाभ और अभिलाभ" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और आय-कर अधिनियम की धारा 30, धारा 31, धारा 32, धारा 36, धारा 37, धारा 38, धारा 40, धारा 40क [उसकी उपधारा (3) और उपधारा (4) से भिन्न] धारा 41, धारा 43, धारा 43क, धारा 43ख और धारा 43ग के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 3—आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (1क) के उपखंड (ग) में निर्दिष्ट प्रकृति की कृषि-आय, जो ऐसी आय है, जो ऐसे भवन से व्युत्पन्न होती है, जिसकी उक्त उपखंड (ग) में निर्दिष्ट भाटक या आमदनी के पाने वाले को या खेतिहर को या वस्तु रूप में भाटक के पाने वाले को निवास-गृह के रूप में आवश्यकता

हो, इस प्रकार संगणित की जाएगी मानो वह उस अधिनियम के अधीन "गृह-संपत्ति से आय" शीर्ष के अधीन आय-कर से प्रभार्य आय हो और उस अधिनियम की धारा 23 से धारा 27 के उपबंध, जहां तक हो सके, तदनुसार लागू होंगे ।

नियम 4—इन नियमों के किन्हीं अन्य उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, उस दशा में—

(क) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित चाय के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 8 के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के साठ प्रतिशत भाग को निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ख) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उगाए गए रबड़ के पौधों से उसके द्वारा विनिर्मित या प्रसंस्कृत तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट ब्लाक रबड़ के सेंट्रीफ्यूज लेटेक्स या सिनेक्स या क्रेप्स पर आधारित लेटेक्स (जैसे पेल लेटेक्स क्रेप) या ब्राउन क्रेप (जैसे एस्टेट ब्राउन क्रेप, रिमिल्ड क्रेप, स्माक्ड ब्लेन्केट क्रेप या फ्लेट बार्क क्रेप) के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7क के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के पैंसठ प्रतिशत भाग को निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ;

(ग) जहां निर्धारिती को भारत में उसके द्वारा उपजाई गई और विनिर्मित कॉफी के विक्रय से आय व्युत्पन्न होती है, ऐसी आय, आय-कर नियम, 1962 के नियम 7ख के अनुसार संगणित की जाएगी और ऐसी आय के, यथास्थिति, साठ प्रतिशत या पचहत्तर प्रतिशत भाग को, निर्धारिती की कृषि-आय समझा जाएगा ।

नियम 5—जहां निर्धारिती किसी ऐसे व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिन्दू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) का सदस्य है, जिसकी पूर्ववर्ष में आय-कर अधिनियम के अधीन कर से प्रभार्य या तो कोई आय नहीं है या जिसकी कुल आय किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय (हिंदू अविभक्त कुटुंब, कंपनी या फर्म से भिन्न) की दशा में कर से प्रभार्य न होने वाली अधिकतम रकम से अधिक नहीं है किंतु जिसकी कोई कृषि-आय भी है वहां उस संगम या निकाय की कृषि-आय या हानि, इन नियमों के अनुसार संगणित की जाएगी और इस प्रकार संगणित कृषि-आय या हानि में निर्धारिती के अंश को, निर्धारिती की कृषि-आय या हानि समझा जाएगा ।

नियम 6—जहां कृषि-आय के किसी स्रोत के संबंध में पूर्ववर्ष के लिए संगणना का परिणाम हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से उस पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की आय के प्रति, यदि कोई हो, मुजरा की जाएगी:

परंतु जहां निर्धारिती, किसी व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय का सदस्य है और, यथास्थिति, संगम या निकाय की कृषि-आय में निर्धारिती का अंश, हानि है, वहां ऐसी हानि, कृषि-आय के किसी अन्य स्रोत से निर्धारिती की किसी आय के प्रति मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 7—राज्य सरकार द्वारा कृषि-आय पर उद्गृहीत किसी कर मद्धे निर्धारिती द्वारा संदेय राशि की, कृषि-आय की संगणना करने में, कटौती की जाएगी ।

नियम 8—(1) जहां निर्धारिती की, 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या

2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iv) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(2) जहां निर्धारिती की, 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(ii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(iii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iv) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(v) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vi) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(vii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है ;

(viii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी ।

(3) जहां किसी स्रोत से कृषि-आय प्राप्त करने वाले व्यक्ति का, कोई अन्य व्यक्ति, विरासत से भिन्न रीति से, उसी हैसियत में उत्तराधिकारी हो गया है, वहां उपनियम (1) या उपनियम (2) की कोई बात, हानि उठाने वाले व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा कराने का हकदार नहीं बनाएगी ।

(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी ।

नियम 9—जहां इन नियमों के अनुसार की गई संगणना का अंतिम परिणाम हानि है, वहां इस प्रकार संगणित हानि पर ध्यान नहीं दिया जाएगा और शुद्ध कृषि-आय को शून्य समझा जाएगा ।

नियम 10—आय-कर अधिनियम के निर्धारण की प्रक्रिया से संबंधित उपबंध (जिनके अंतर्गत आय के पूर्णांकन से संबंधित धारा 288क के उपबंध भी हैं) आवश्यक उपांतरणों सहित, निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे कुल आय के निर्धारण के संबंध में लागू होते हैं ।

नियम 11—निर्धारिती की शुद्ध कृषि-आय की संगणना करने के प्रयोजनों के लिए, निर्धारण अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो उसे कुल आय के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए आय-कर अधिनियम के अधीन हैं ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 92 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 [12/2012-सीमाशुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012]	उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 141 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और उस तारीख से उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—	8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"141	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 00	इंडियन आयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, द्वारा गृहस्थ घरेलू उपभोक्ताओं या गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए आयात की गई द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) ।	शून्य	-	-";

तीसरी अनुसूची

(धारा 94 देखिए)

सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में, टैरिफ मद 2402 20 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(2) अध्याय 40 में, टैरिफ मद 4015 90 20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कि॰ग्रा॰" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(3) अध्याय 41 में, शीर्ष 4102 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कि.ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 49 में, शीर्ष 4901, 4909 और 4910 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(5) अध्याय 73 में, शीर्ष 7308, 7323 और 7324 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 82 में, शीर्ष 8205 और 8208 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(7) अध्याय 83 में, शीर्ष 8301 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 84 में,—

(i) शीर्ष 8405 और 8466 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8418 61 00, 8418 69 10, 8418 69 20, 8418 69 30, 8418 69 40, 8418 69 50, 8418 69 90, 8421 91 00, 8421 99 00, 8432 80 10, 8432 80 20, 8432 80 90, 8432 90 10, 8432 90 90, 8473 30 10, 8473 30 20, 8473 30 30, 8473 30 40, 8473 30 91, 8473 30 92, 8473 30 99, 8473 40 10, 8473 40 90, 8473 50 00 और 8483 90 00 में, उनमें प्रत्येक के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(9) अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8503, 8529, 8532, 8533, 8534, 8535 और 8536 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8517 62 90 और 8517 69 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) टैरिफ मद 8517 70 10, 8518 90 00 और 8538 10 10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iv) शीर्ष 8544 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "मी." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(10) अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9004 90 90, 9005 80 90, 9026 90 00, 9031 10 00, 9031 20 00, 9031 41 00, 9031 49 00 और 9031 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी;

(11) अध्याय 91 में, टैरिफ मद 9110 12 00, 9110 19 00, 9110 90 00 और 9113 10 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ।

चौथी अनुसूची

(धारा 109 देखिए)

पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों का संशोधन किया जाना	**संशोधन**	**संशोधन के प्रभावी होने की तारीख**
(1)	(2)	(3)
अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 127(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 [30/2008-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क (एन.टी.), तारीख 1 जुलाई, 2008] द्वारा प्रकाशित पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 का नियम 8	पान मसाला पैकिंग मशीन (क्षमता अवधारण और शुल्क संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 8 के पहले परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट तारीख से रखा जाएगा, अर्थात् :— "परंतु जहां विनिर्माणकर्ता किसी मास के दौरान विभिन्न फुटकर विक्रय कीमतों वाले पाउचों का उत्पादन करने के लिए प्रचालन मशीन का प्रयोग करता है, वहां वह संपूर्ण मास में सबसे ऊंची फुटकर विक्रय कीमत से संबंधित पाउच को लागू शुल्क का संदाय करने का दायी होगा :"।	13 अप्रैल, 2010

पांचवीं अनुसूची

(धारा 110 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. 95(अ), तारीख 1 मार्च, 2006 [05/2006-केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2006]	(1) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 2ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और उस तारीख से उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—	29 जून, 2010 से 16 मार्च, 2012 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"2ग.	54 या 55	(1) प्लास्टिक स्क्रैप या प्लास्टिक, अपशिष्ट, जिसके अंतर्गत अपशिष्ट पॉलीथेलिन टेरीफिथलेट बोतलें भी हैं, से निर्मित पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न	शून्य	-
		(2) सन, जो कारखाने के भीतर प्रविष्टि (1) में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उसके उत्पादन हेतु विनिर्मित और लाभप्रद रूप में उपभोग किया गया हो	शून्य	-;"

	(2) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 24 के अध्याय 71 के सामने, स्तंभ (3), स्तंभ (4) और स्तंभ (5) में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी और उस तारीख से उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, अंतःस्थापित की गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—	1 मार्च, 2011 से 16 मार्च, 2012 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		"(I) (क) स्वर्ण, (ख) चांदी, (ग) प्लेटिनम, (घ) पैलाडियम, (ङ) रोडियम, (च) इरिडियम, (छ) ओसमियम, या (ज) रूथेनियम की ऐसी वस्तुएं, जो ब्रांड नाम वाली न हों ;	शून्य	8";

छठी अनुसूची

(धारा 111 देखिए)

अधिसूचना संख्यांक और तारीख	संशोधन	संशोधन के प्रभावी होने की अवधि
(1)	(2)	(3)
सा.का.नि. संख्यांक 163(अ), तारीख 17 मार्च 2012 [12/2012- केंद्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012]	(1) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 81 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और उस तारीख से और उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—	8 फरवरी, 2013 से 10 जुलाई, 2014 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"81.	2711 12 00, 2711 13 00, 2711 19 00	इंडियन आयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा गृहस्थ घरेलू उपभोक्ताओं या गैर घरेलू छूट प्राप्त प्रवर्ग (एनडीईसी) उपभोक्ताओं को प्रदाय के लिए द्रवीकृत प्रोपेन और ब्यूटेन मिश्रण, द्रवीकृत प्रोपेन, द्रवीकृत ब्यूटेन और द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी)	शून्य	-";

	(2) उक्त अधिसूचना की सारणी में, क्रम संख्यांक 172क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी और उस तारीख से और उस अवधि तक, जो स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है, रखी गई समझी जाएंगी, अर्थात् :—	17 मार्च, 2012 से 10 जुलाई, 2014 तक (जिसमें दोनों दिन सम्मिलित हैं)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"172क.	54 या 55	(1) प्लास्टिक स्क्रैप या पॉलीथेलिन टेरीफिथलेट बोतलों सहित बेकार प्लास्टिक से निर्मित पॉलिस्टर स्टेपल फाइबर या पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न	शून्य	-
		(2) सन, जो कारखाने के भीतर प्रविष्टि (1) में विनिर्दिष्ट माल के विनिर्माण के लिए उसके उत्पादन हेतु विनिर्मित और लाभप्रद रूप में उपभोग किया गया हो	शून्य	-";

सातवीं अनुसूची

(धारा 112 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम की तीसरी अनुसूची में,—

(i) क्रम सं॰ 15 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "2101 11 या 2101 12 00" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(ii) क्र॰ सं॰ 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र॰ सं॰ और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

क्र॰ सं॰	**शीर्ष, उपशीर्ष या टैरिफ मद**	**माल का वर्णन**
(1)	(2)	(3)
"30क.	3002 20 या 3002 30 00	वैक्सीन (राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम के अधीन विनिर्दिष्ट से भिन्न अन्य वैक्सीन)";

(iii) क्र॰ सं॰ 36 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र॰ सं॰ और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"36क.	3215 90 10	फाउंटेन पेन की स्याही
36ख.	3215 90 20	बाल पेन की स्याही
36ग.	3215 90 40	आरेखण स्याही";

(iv) क्र॰ सं॰ 38 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र॰ सं॰ और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"38क.	3306 10 10	दूथ पाउडर";

(v) क्र॰ सं॰ 53 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र॰ सं॰ और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"53क.	39 या 40	दूध पिलाने वाली बोतलों की निप्पलें
53ख.	4015	शल्य चिकित्सीय रबड़ दस्ताने या चिकित्सीय परीक्षा रबड़ दस्ताने";

(vi) क्र॰ सं॰ 62 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र॰ सं॰ और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"62क.	7310 या 7326 या कोई अन्य अध्याय	मैथमेटिकल बाक्स, जियोमेट्री बाक्स और कलर बाक्स, पेंसिल शार्पनर";

(vii) क्र॰ सं॰ 65 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र॰ सं॰ और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"65क.	8215	सभी माल";

(viii) क्रम सं. 68 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, उपशीर्ष "8415 20 में विनिर्दिष्ट माल के सिवाय सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ix) क्रम सं. 69 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"69.	8418 21 00, 8418 29 00, 8418 30 90, 8418 69 20	सभी माल";

(x) क्र. सं. 70 में, स्तंभ (2) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8421 21" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xi) क्र. सं. 70 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र० सं० और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"70क.	8421 21 20, 8421 99 00	विद्युत के बिना काम करने वाले वाटर फिल्टर और उनकी बदलने योग्य किटें";

(xii) क्र. सं. 73 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टाइपराइटर" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xiii) क्र. सं. 76 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8506 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) क्र. सं. 76क में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8508 70 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) क्र. सं. 77 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8509 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) क्र. सं. 78 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8510 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvii) क्र. सं. 79 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टैरिफ मद 8513 90 00 के अंतर्गत आने वाले पुर्जों से भिन्न सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) क्र. सं. 81 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "टेलीफोन सेट, जिनके अंतर्गत कार्डलेस हैंडसेट के साथ और सेलुलर नेटवर्क के लिए और अन्य वायरलेस नेटवर्क के लिए टेलीफोन हैं ; वीडियोफोन" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) क्र. सं. 81ख और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"81ग.	8517	पीसीएमसीआईए या यूएसबी या पीसीआई एक्सप्रेस पोर्ट के साथ वायरलेस डाटा मोडम कार्ड";

(xx) क्र. सं. 84 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "8523 21 00, 8523 29 60 से 8523 29 90, 8523 41 20 से 8523 41 50, 8523 49 30, 8523 49 50 से 8523 49 90, 8523 52 10, 8523 59, 8523 80 20, 8523 80 30 और 8523 80 60 के सिवाय सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी;

(xxi) क्र. सं. 84 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र. सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"84क.	8523 80 20	पैक किया गया साफ्टवेयर या डिब्बाबंद साफ्टवेयर । **स्पष्टीकरण**—इस अनुसूची के प्रयोजनों के लिए, "पैक किया गया साफ्टवेयर या डिब्बाबंद साफ्टवेयर" से विविध प्रकार के उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकसित कोई साफ्टवेयर अभिप्रेत है और जो शेल्फ से विक्रय के लिए आशयित या विक्रय किए जाने योग्य है ।';

(xxii) क्र॰ सं॰ 89 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्र॰ सं॰ और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"89.	8517 या 8525 60	मोबाइल हैंडसेट, जिसके अंतर्गत सेलुलर फोन और रेडियो ट्रंकिंग टर्मिनल भी हैं";

(xxiii) क्र॰ सं॰ 94 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "आटोमोबाइलों के लिए लैंपों के सिवाय सभी माल" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xxiv) क्र॰ सं॰ 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र॰ सं॰ और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"94क.	अध्याय 84 या 85	क्र0 सं0 67 से 94 में विनिर्दिष्ट दो या अधिक मदों पर कार्य किए जाने योग्य माल";

(xxv) क्र॰ सं॰ 99 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्र॰ सं॰ और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(1)	(2)	(3)
"99क.	9619	सभी माल"।

आठवीं अनुसूची

(धारा 113 देखिए)

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में,—

1. अध्याय 24 में,—

(क) टैरिफ मद 2401 10 10, 2401 10 20, 2401 10 30, 2401 10 40, 2401 10 50, 2401 10 60, 2401 10 70, 2401 10 80, 2401 10 90, 2401 20 10, 2401 20 20, 2401 20 30, 2401 20 40, 2401 20 50, 2401 20 60, 2401 20 70, 2401 20 80 और 2401 20 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "55%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) टैरिफ मद 2402 10 10 और 2402 10 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12% या 2250 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ग) टैरिफ मद 2402 20 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "990 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(घ) टैरिफ मद 2402 20 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1995 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ङ) टैरिफ मद 2402 20 30 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "990 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(च) टैरिफ मद 2402 20 40 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1490 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(छ) टैरिफ मद 2402 20 50 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "1995 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ज) टैरिफ मद 2402 20 60 में उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ;

(झ) टैरिफ मद 2402 90 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "2250 रुपए प्रति हजार" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ञ) टैरिफ मद 2402 90 20 और 2402 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर "12% या 2250 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ट) शीर्ष 2403 में के उपशीर्ष 2403 19 की टैरिफ मद 2403 19 10 के पश्चात् टैरिफ मद 2403 19 के रूप में आने वाली टैरिफ मद के स्थान पर, "2403 19 21" टैरिफ मद रखी जाएगी ;

(ठ) टैरिफ मद 2403 99 10, 2403 99 30 और 2403 99 90 के सामने आने वाले स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर "70%" प्रविष्टि रखी जाएगी ।

2. अध्याय 40 में, टैरिफ मद 4015 90 20 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कि.ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

3. अध्याय 41 में, शीर्ष 4102 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "कि.ग्रा." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

4. अध्याय 49 में, शीर्ष 4901, 4909 और 4910 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

5. अध्याय 73 में, शीर्ष 7308, 7323 और 7324 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

6. अध्याय 82 में, शीर्ष 8205 और 8208 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

7. अध्याय 83 में, शीर्ष 8301 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

8. अध्याय 84 में,—

(i) शीर्ष 8405 और 8466 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8418 61 00, 8418 69 10, 8418 69 20, 8418 69 30, 8418 69 40, 8418 69 50, 8418 69 90, 8421 91 00, 8421 99 00, 8432 80 10, 8432 80 20, 8432 80 90, 8432 90 10, 8432 90 90, 8473 30 10, 8473 30 20, 8473 30 30, 8473 30 40, 8473 30 91, 8473 30 92, 8473 30 99, 8473 40 10, 8473 40 90, 8473 50 00 और 8483 90 00 में, उनमें प्रत्येक के सामने स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

9. अध्याय 85 में,—

(i) शीर्ष 8503, 8529, 8532, 8533, 8534, 8535 और 8536 में की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ii) टैरिफ मद 8517 70 10, 8518 90 00 और 8538 10 10 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी;

(iii) शीर्ष 8544 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "मी." प्रविष्टि रखी जाएगी ;

10. अध्याय 90 में, टैरिफ मद 9004 90 90, 9005 80 90, 9026 90 00, 9031 10 00, 9031 20 00, 9031 41 00, 9031 49 00 और 9031 90 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी;

11. अध्याय 91 में, टैरिफ मद 9110 12 00, 9110 19 00, 9110 90 00 और 9113 10 00 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाले स्तंभ (3) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, "इ." प्रविष्टि रखी जाएगी ।

नवीं अनुसूची

[धारा 118(ख) देखिए]

वित्त अधिनियम, 2005 की सातवीं अनुसूची में,—

(i) टैरिफ मद 2106 90 20 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित उपशीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर
(1)	(2)	(3)	(4)
"2202 10	जल, जिसके अंतर्गत खनिज जल और वातित जल है, जिनमें मिलाई गई चीनी या अन्य मधुरक पदार्थ है या जो सुरूचिकारक है	लि०	5%";

(ii) टैरिफ मद 2402 20 60 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 28)

[29 नवम्बर, 2014]

दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन (संशोधन) अधिनियम, 2014 है । संक्षिप्त नाम ।

1946 का 25 2. दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 4क में,— धारा 4क का संशोधन ।

(क) उपधारा (1) के खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ख) लोक सभा में उस रूप में मान्यताप्राप्त विपक्ष का नेता या जहां विपक्ष का ऐसा नेता नहीं है, वहां उस सदन में एकल सबसे बड़े विपक्षी दल का नेता—सदस्य ;";

(ख) उपधारा (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) निदेशक की कोई नियुक्ति, समिति में केवल किसी रिक्ति या किसी सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अविधिमान्य नहीं होगी ।" ।

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 34)

[17 दिसम्बर, 2014]

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम।

सं॰ आ॰ 19

2. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 की अनुसूची में,— संविधान अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन।

(क) भाग 8—केरल में,—

(i) प्रविष्टि 46 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"46. पल्लुवन, पुल्लुवन";

(ii) प्रविष्टि 61 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"61. तण्डान (उन ईयूवास और तियास को छोड़कर, जो तत्कालीन कोचीन और मालाबार क्षेत्रों में तण्डान के नाम से ज्ञात हैं) और (बढ़ई जो तत्कालीन कोचीन और ट्रावनकोर राज्य में तच्चन के नाम से ज्ञात हैं) और तच्चर (बढ़ई से भिन्न)";

(ख) भाग 9—मध्य प्रदेश में, प्रविष्टि 18 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"18. दहाइत, दहायत, दहात, दहिया";

(ग) भाग 13—उड़ीसा में,—

(i) "उड़ीसा" के स्थान पर "ओडिशा" रखें ;

(ii) प्रविष्टि 2 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"2. अमान्त, अमात, दंडछत्र माझी, अमाता, अमाथ";

(iii) प्रविष्टि 13 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"13. बेढिया, बेजिया, बाजिया";

(iv) प्रविष्टि 41 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"41. जग्गली, जग्गिली, जगली";

(v) प्रविष्टि 69 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"69. पाण, पाणों, बुना पाण, देसुआ पाण, बुना पाणों";

(घ) भाग 17—त्रिपुरा में,—

(i) प्रविष्टि 4 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"4. चमार, मूची, चमार-रोहिदास, चमार-रविदास";

(ii) प्रविष्टि 7 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"7. धोबा, धोबी" ;

(iii) प्रविष्टि 12 के स्थान पर, निम्नलिखित रखें,—

"12.जेलेया कैबर्त, झालो-मालो" ।

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 का संशोधन।

3. संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जातियां आदेश, 1978 की अनुसूची में, प्रविष्टि 3 का लोप किया जाएगा। सं॰ आ॰ 110

केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 35)

[17 दिसम्बर, 2014]

केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2009 का 25

नई धारा 3ख का अंतःस्थापन ।

2. केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 की धारा 3क के पश्चात् (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

बिहार राज्य के संबंध में विशेष उपबंध ।

"3ख. (1) धारा 3 की उपधारा (4) के अधीन स्थापित बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय, दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात होगा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता, इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट बिहार राज्य में गंगा नदी के दक्षिण में राज्यक्षेत्र पर विस्तारित होगी ।

(2) इस अधिनियम की पहली अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय के नाम से ज्ञात एक विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा, जो एक निगमित निकाय होगा, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता बिहार राज्य में गंगा नदी के उत्तर में राज्यक्षेत्र पर विस्तारित होगी ।" ।

पहली अनुसूची का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

क्रम सं॰	राज्य का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	क्षेत्रीय अधिकारिता
"1	बिहार	दक्षिण बिहार केन्द्रीय विश्वविद्यालय	बिहार राज्य में गंगा नदी का दक्षिण राज्यक्षेत्र
1क.	बिहार	महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय	बिहार राज्य में गंगा नदी का उत्तर राज्यक्षेत्र" ।

डॉ॰ संजय सिंह,
सचिव, भारत सरकार।

विधि और न्याय मंत्रालय
(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 2014/5 पौष, 1936 (शक)

दि कॉपीराइट (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2012; (2) दि बैंकिंग लॉज (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2012; (3) दि सैक्सुअल हरेसमेंट ऑफ वुमैन ऐट वर्कप्लेस (प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रैसल) ऐक्ट, 2013; (4) दि पेंशन फंड रेग्यूलेटरी एंड डेवेलपमेंट अथॉरिटी ऐक्ट, 2013; (5) दि आंध्र प्रदेश रीआर्गेनाइजेशन ऐक्ट, 2014; (6) दि गवर्नर्स (इमोल्युमेन्ट्स, अलांउसेस एण्ड प्रिवीलेजज) अमेंडमेंट ऐक्ट, 2014; (7) दि नेशनल इंस्टिट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, साईंस एड्युकेशन एंड रिसर्च (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (8) दि फाइनेंस ऐक्ट, 2014; (9) दि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटांसेस (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; (10) दि आंध्र प्रदेश रिआर्गेनाइजेशन (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; और (11) दि टेलीकॉम रेगयुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (अमेंडमेंट) ऐक्ट, 2014; के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किए जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE
(Legislative Department)

New Delhi, December 26. 2014/*Pausa* 5, 1936 *(Saka)*

The translation in Hindi of the following, namely :—The Copyright (Amendment) Act, 2012; (2) The Banking Laws (Amendment) Act, 2012; (3) The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013; (4) The Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013; (5) The Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014; (6) The Governors (Emoluments, Allowances and Privileges) Amendment Act, 2014; (7) The National Institutes of Technology, Science Education and Research (Amendment) Act, 2014; (8) The Finance Act, 2014; (9) The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Act, 2014; (10) the Andhra Pradesh Reorganisation (Amendment) Act, 2014; and (11) The Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Act, 2014 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (*a*) of sub-section (*1*) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 :—

प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2012 का अधिनियम संख्यांक 27)

[7 जून, 2012]

प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1957 का 14 2. प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(i) खंड (च) में, "किसी ऐसी प्रक्रिया से" शब्दों से आरंभ होने वाले और "किसी माध्यम द्वारा ऐसे" शब्दों से समाप्त होने वाले भाग का लोप किया जाएगा;

(ii) खंड (च) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(चक) "वाणिज्यिक किराया" के अंतर्गत किसी लाभनिरपेक्ष पुस्तकालय या लाभनिरपेक्ष शिक्षा संस्था द्वारा लाभनिरपेक्ष प्रयोजनों के लिए किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम, ध्वन्यंकन, दृश्यांकन या चलचित्र फिल्म की विधिपूर्वक अर्जित किसी प्रति को किराए पर, पट्टे पर या उधार में देना सम्मिलित नहीं है।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी "लाभनिरपेक्ष पुस्तकालय या लाभनिरपेक्ष शिक्षा संस्था" से ऐसा पुस्तकालय या शिक्षा संस्था अभिप्रेत है जो सरकार से अनुदान प्राप्त करती है या वह आय-कर अधिनियम, 1961 के अधीन कर के संदाय से छूट प्राप्त है;'; 1961 का 43

(iii) खंड (चच) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(चच) "सार्वजनिक रूप से संसूचित करना" से किसी कृति या प्रस्तुतीकरण की स्थूल प्रतियां उपलब्ध कराने से भिन्न रूप में संप्रदर्शन या विस्तारण करने के लिए किसी माध्यम से अथवा प्रत्यक्ष रूप से जनसाधारण द्वारा चाहे एक साथ या व्यक्तिगत रूप से चुने गए स्थानों और समयों पर, देखे जाने या सुने जाने या अन्यथा उपभोग करने के लिए, इस बात को ध्यान में लाए बिना कि जनसाधारण इस प्रकार उपलब्ध कराई गई कृति या प्रस्तुतीकरण को वास्तव में देखता है, सुनता है या अन्यथा उसका उपभोग करता है या नहीं, उपलब्ध कराना अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण--इस खंड के प्रयोजनों के लिए, उपग्रह या केबल के माध्यम से अथवा युगपद् संप्रेषण के किसी अन्य माध्यम से एक से अधिक घरों या निवास-स्थान को, जिनके अंतर्गत किसी होटल या होस्टल के आवासीय कमरे भी हैं, संसूचना देने को सार्वजनिक रूप से संसूचित करना समझा जाएगा;';

(iv) खंड (थथ) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु किसी चलचित्र फिल्म में किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका प्रस्तुतीकरण नैमित्तिक या आनुषंगिक प्रकृति का है और, उद्योग जगत की पद्धति के सामान्य अनुक्रम में, फिल्म के आकलनों सहित कहीं भी अभिस्वीकार नहीं किया जाता है, धारा 38ख के खंड (ख) के प्रयोजन के सिवाय, प्रस्तुतकर्ता के रूप में नहीं माना जाएगा;";

(v) खंड (भ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(भक) "अधिकार प्रबंधन सूचना" से निम्नलिखित अभिप्रेत हैं,—

(क) कृति या प्रस्तुतीकरण की पहचान कराने वाला शीर्षक या अन्य सूचना;

(ख) रचयिता या प्रस्तुतकर्ता का नाम;

(ग) अधिकारों के स्वामी का नाम और पता;

(घ) अधिकारों के उपयोग से संबंधित निबंधन और शर्तें; और

(ङ) ऐसा कोई संख्यांक या कूट शब्द जो उपखंड (क) से उपखंड (घ) में निर्दिष्ट सूचना को निरूपित करता है,

किन्तु इसके अंतर्गत उपयोक्ता की पहचान करने के लिए आशयित कोई युक्ति या प्रक्रिया नहीं है;';

(vi) खंड (भभ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(भभक) "दृश्यांकन" से गतिमान बिंबों या उनकी प्रतिकृतियों का, किसी संचार माध्यम में किसी पद्धति द्वारा, ऐसा अंकन, जिसके अंतर्गत किसी इलैक्ट्रानिक माध्यम से उसका भंडारण भी है, अभिप्रेत है जिससे उनको किसी पद्धति से बोधगम्य बनाया जा सकता है, पुनरुत्पादित या संसूचित किया जा सकता है;'।

धारा 11 का संशोधन। 3. मूल अधिनियम की धारा 11 में,—

(क) उपधारा (1) में, "कम से कम दो और अधिक से अधिक चौदह अन्य सदस्य" शब्दों के स्थान पर "दो अन्य सदस्य" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं :

परंतु अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य के न तो वेतन और भत्तों में और न ही सेवा के अन्य निबंधनों और शर्तों में, उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी कोई परिवर्तन किया जाएगा।";

(ग) उपधारा (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(4) केंद्रीय सरकार, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात्, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के सचिव और उतने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगी, जितने प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के कृत्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन के लिए आवश्यक समझे जाएं।"।

4. मूल अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) में, "सदस्यों में से गठित की जाएं और ऐसी हर एक न्यायपीठ में कम से कम तीन सदस्य होंगे" शब्दों के स्थान पर, "सदस्यों में से गठित की जाएं" शब्द रखे जाएंगे। धारा 12 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 14 में,— धारा 14 का संशोधन।

(i) खंड (ग) में, उपखंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) कृति को किसी सारवान् रूप में पुनरुत्पादित करना, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(अ) इलैक्ट्रानिक या अन्य साधनों द्वारा किसी माध्यम में उसका भंडारण; या

(आ) दो विमा वाली कृति का तीन विमाओं में चित्रण है; या

(इ) तीन विमा वाली कृति का दो विमाओं में चित्रण है;";

(ii) खंड (घ) में,—

(क) उपखंड (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(i) फिल्म की प्रति तैयार करना, जिसके अंतर्गत—

(अ) उसके भागरूप किसी बिंब का फोटोचित्र है; या

(आ) इलैक्ट्रानिक या अन्य साधनों द्वारा किसी माध्यम में उसका भंडारण है;";

(ख) उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) फिल्म की किसी प्रति का विक्रय करना या उसे वाणिज्यिक भाटक पर देना अथवा विक्रय या ऐसे भाटक पर देने की प्रस्थापना करना;";

(iii) खंड (ङ) में,—

(क) उपखंड (i) में "कोई अन्य ध्वन्यंकन करना" शब्दों के पश्चात् "जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या अन्य साधनों द्वारा किसी माध्यम में उसका भंडारण भी है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपखंड (ii) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(ii) ध्वन्यंकन की किसी प्रति का विक्रय करना या उसे वाणिज्यिक भाटक पर देना अथवा विक्रय या ऐसे भाटक पर देने की प्रस्थापना करना;"।

1911 का 2
2000 का 16

6. मूल अधिनियम की धारा 15 में "डिजाइन अधिनियम, 1911" शब्दों और अंकों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं "डिजाइन अधिनियम, 2000" शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 15 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 के खंड (ङ) के अन्त में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 17 का संशोधन।

"परंतु किसी चलचित्र कृति में सम्मिलित की गई किसी कृति की दशा में, खंड (ख) और खंड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात से धारा 13 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट कृति में रचयिता के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा;"।

8. मूल अधिनियम की धारा 18 की धारा (1) में, परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे:— धारा 18 का संशोधन।

"परंतु यह और कि ऐसा कोई समनुदेशन तब तक ऐसी कृति के जो अस्तित्व में नहीं थी या उस समय, जब समनुदेशन किया गया था वाणिज्यिक उपयोग में नहीं थी समुपयोजन के किसी माध्यम या ढंग को लागू नहीं होगा जब तक कि ऐसे समनुदेशन में कृति के समुपयोजन के ऐसे माध्यम या ढंग के प्रति विनिर्दिष्ट रूप से निर्देश न किया गया हो :

परंतु यह भी कि किसी चलचित्र फिल्म में सम्मिलित साहित्यिक या संगीतात्मक कृति का रचयिता, रचयिताओं के विधिक वारिसों या संग्रहण और वितरण संबंधी किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के सिवाय किसी सिनेमा हाल में चलचित्र फिल्म के साथ सार्वजनिक रूप से कृति को संसूचित करने से भिन्न किसी रूप में ऐसी कृति के उपयोग के लिए प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ समान आधार पर बांटे जाने वाले स्वामिस्वों को प्राप्त करने के अधिकार का समनुदेशन या अधित्यजन नहीं करेगा और इसके प्रतिकूल कोई करार शून्य होगा:

परंतु यह भी किसी ऐसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति का जिसे ध्वन्यंकन में सम्मिलित किया गया हो किन्तु वह किसी चलचित्र फिल्म के भागरूप न हो, रचयिता, रचयिताओं के विधिक वारिसों या संग्रहण और वितरण संबंधी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के सिवाय ऐसी कृति के किसी उपयोग के लिए प्रतिलिप्यधिकार के समनुदेशिती के साथ समान आधार पर बांटे जाने वाले स्वामिस्वों को प्राप्त करने के अधिकार का समनुदेशन या अधित्यजन नहीं करेगा और इसके प्रतिकूल कोई समनुदेशन शून्य होगा।"।

धारा 19 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 19 में,—

(i) उपधारा (3) में, "संदेय स्वामिस्व की रकम भी, यदि कोई हो" शब्दों के स्थान पर "संदेय स्वामिस्व और किसी अन्य प्रतिफल की रकम भी" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (7) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(8) ऐसी किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को, जिसमें कृति का रचयिता सदस्य है, पहले से किसी समनुदिष्ट अधिकारों के निबंधनों और शर्तों के प्रतिकूल किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार का समनुदेशन शून्य होगा।

(9) चलचित्र फिल्म बनाने के लिए किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के किसी समनुदेशन से, किसी सिनेमा हाल में चलचित्र फिल्म के साथ सार्वजनिक रूप से किसी कृति को संसूचित करने से भिन्न किसी रूप में कृति के उपयोग की दशा में संदेय स्वामिस्वों और प्रतिफल के समान अंश का दावा करने के लिए कृति के रचयिता के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(10) ध्वन्यंकन की किसी कृति में, जो किसी चलचित्र फिल्म के भागरूप नहीं है, प्रतिलिप्यधिकार के किसी समनुदेशन से किसी रूप में ऐसी कृति के किसी उपयोग के लिए संदेय स्वामिस्वों और प्रतिफल के समान अंश का दावा करने के लिए किसी कृति के रचयिता के अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।"।

धारा 19क का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 19क में,—

(i) उपधारा (2) के दूसरे परंतुक में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि इस उपधारा के अधीन समनुदेशन के प्रतिसंहरण संबंधी किसी आवेदन के निपटारे के लंबित रहने तक प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड समनुदेशन के निबंधनों और शर्तों के क्रियान्वयन के संबंध में, जिसके अंतर्गत समनुदेशित अधिकारों के उपभोग के लिए संदत्त किया जाने वाला कोई प्रतिफल भी है, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे :

परंतु यह भी कि";

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त प्रत्येक परिवाद पर प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा यथासंभव कार्यवाही की जाएगी और उस मामले में अंतिम आदेश परिवाद के प्राप्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर पारित करने के प्रयास किए जाएंगे और उसके अनुपालन में किसी विलंब के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड इसके कारणों को अभिलिखित करेगा।"।

धारा 21 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 21 में,—

(i) उपधारा (1) में, "प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को विहित प्ररूप में या लोक सूचना के रूप में" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार राजपत्र में सूचना के प्रकाशन से चौदह दिन के भीतर प्रतिलिप्यधिकार कार्यालय की शासकीय वेबसाइट पर सूचना प्रकाशित करेगा जिससे कि यह तीन वर्षों से अन्यून अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र में बनी रहे।"।

12. मूल अधिनियम की धारा 22 में, "(जो फोटोग्राफ से भिन्न हो)" कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा। धारा 22 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 25 का लोप किया जाएगा। धारा 25 का लोप।

14. मूल अधिनियम की धारा 30 में, "द्वारा हस्ताक्षरित लिखित" शब्दों के स्थान पर, "द्वारा लिखित" शब्द रखे जाएंगे। धारा 30 का संशोधन।

15. मूल अधिनियम की धारा 30क और उसके पार्श्व शीर्ष में, "धारा 19 और धारा 19क" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "धारा 19" शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 30क का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 31 में,— धारा 31 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "किसी भारतीय कृति" शब्दों के स्थान पर, "किसी कृति" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "परिवादी को," शब्दों के स्थान पर, "ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को, जो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड की राय में ऐसा करने के लिए अर्हित है या हैं" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) का लोप किया जाएगा।

17. मूल अधिनियम की धारा 31क में,— धारा 31क का संशोधन।

(i) पार्श्व शीर्ष में, "भारतीय कृतियों" शब्दों के स्थान पर, "या प्रकाशित कृतियों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) किसी अप्रकाशित कृति की दशा में अथवा प्रकाशित या सार्वजनिक रूप से संसूचित किसी कृति और ऐसी कृति को भारत में जनसाधारण से विधारित कर दिए जाने की दशा में, जहां रचयिता की मृत्यु हो गई या वह अज्ञात है या उसका पता नहीं लगाया जा सकता है, या ऐसी कृति में के प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी का पता नहीं लग सकता है, वहां कोई भी व्यक्ति उस कृति को या किसी भाषा में उसके भाषांतर को प्रकाशित करने या सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन कर सकेगा।"।

18. मूल अधिनियम की धारा 31क के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 31ख, धारा 31ग और धारा 31घ का अंत:स्थापन।

'31ख. (1) किसी लाभ के आधार पर नि:शक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए या कारबार के लिए कार्यरत कोई व्यक्ति ऐसे प्ररूप और रीति में और ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, ऐसी किसी कृति को, जिसमें प्रतिलिप्यधिकार ऐसे व्यक्तियों के फायदे के लिए अस्तित्व में है प्रकाशित करने के लिए, उस मामले में, जिसको धारा 52 की उपधारा (1) का खंड (यख) लागू नहीं होता है अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन कर सकेगा और प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड ऐसे आवेदन का निपटारा यथासंभव शीघ्रता के साथ करेगा और उस आवेदन का निपटारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दो मास की अवधि के भीतर करने का प्रयास किया जाएगा। नि:शक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति।

(2) प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, उपधारा (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, आवेदक के प्रत्यय पत्रों को सिद्ध करने और अपना यह समाधान करने के लिए कि आवेदन सद्भावपूर्वक किया गया है ऐसी जांच कर सकेगा या ऐसी जांच करने का निदेश दे सकेगा जो वह आवश्यक समझे।

(3) यदि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का, कृति यदि अधिकारों के स्वामियों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, यह समाधान हो जाता है कि नि:शक्त व्यक्तियों को कृति उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी किए जाने की जरूरत है, तो वह प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार को आवेदक को उस कृति को प्रकाशित करने के लिए ऐसी अनुज्ञप्ति देने का निदेश दे सकेगा।

(4) इस धारा के अधीन जारी प्रत्येक अनिवार्य अनुज्ञप्ति में प्रकाशन के साधनों और रूपविधान को, उस अवधि को, जिसके दौरान अनिवार्य अनुज्ञप्ति का प्रयोग किया जा सकेगा और प्रतियों के जारी किए जाने की दशा में, ऐसी प्रतियों की संख्या, जो जारी की जा सकेंगी, स्वामिस्व की दर सहित, विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु जहां प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड ने ऐसी अनिवार्य अनुज्ञप्ति जारी की है वहां वह आगे आवेदन किए जाने पर और अधिकारों के स्वामियों को युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् ऐसे अनिवार्य अनुज्ञप्ति की अवधि बढ़ा सकेगा तथा और अधिक प्रतियों के, जो वह ठीक समझे, जारी किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

आवरण रूपांतरों के लिए कानूनी अनुज्ञप्ति।

31ग. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति की बाबत, जो कोई ध्वन्यंकन हो, जहां कि उस कृति का ध्वन्यंकन अनुज्ञप्ति द्वारा या उस कृति में के अधिकार के स्वामी की सहमति से किया जा चुका है, आवरण रूपांतर बनाने की वांछा करता है, ऐसा इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर सकेगा:

परंतु ऐसा ध्वन्यंकन उसी माध्यम में होगा जैसा अंतिम में था यदि अंतिम अंकन का माध्यम वर्तमान वाणिज्यिक उपयोग में नहीं रहा है।

(2) ध्वन्यंकन करने वाला व्यक्ति ध्वन्यंकन करने के अपने आशय की पूर्व सूचना ऐसी रीति में देगा जो विहित की जाए, और उन सभी आवरणों या लेबलों की प्रतियां अग्रिम रूप से उपलब्ध कराएगा जिसके साथ ध्वन्यंकन का विक्रय किया जाना होगा और इस निमित्त प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा नियत दर पर उसके द्वारा बनाई जाने वाली सभी प्रतियों की बाबत, प्रत्येक कृति में अधिकारों के स्वामी को स्वामिस्व का, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा, इस निमित्त नियत दर पर, अग्रिम रूप में संदाय करेगा :

परंतु ऐसे ध्वन्यंकन पैकेज के किसी प्ररूप में या ऐसे किसी आवरण या लेबल के साथ विक्रय या जारी नहीं किए जाएंगे जिससे जनसाधारण को उसकी पहचान के संबंध में भुलावा या भ्रम होने की संभावना है और विशिष्टतया उसकी कृति के किसी पूर्व ध्वन्यंकन या किसी ऐसी चलचित्र फिल्म जिसमें ऐसा ध्वन्यंकन सम्मिलित किया गया था के किसी प्रस्तुतकर्त्ता का किसी रूप में नाम या चित्रण अन्तर्विष्ट नहीं होगा और इसके अतिरिक्त आवरण पर यह कथन होगा कि यह इस धारा के अधीन बनाया गया आवरण रूपांतर है।

(3) ऐसा ध्वन्यंकन करने वाला व्यक्ति, साहित्यिक या संगीतात्मक कृति में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं करेगा जो अधिकारों के स्वामी द्वारा या उसकी सहमति से पहले नहीं किया गया है या जो ध्वन्यंकन करने के प्रयोजन के लिए तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं है :

परंतु ऐसे ध्वन्यंकन उस वर्ष की, जिसमें कृति का पहला ध्वन्यंकन किया गया था समाप्ति के पश्चात् पांच कलेंडर वर्ष के अवसान तक नहीं किया जाएगा।

(4) ऐसे ध्वन्यंकनों की बाबत एक स्वामिस्व ऐसे प्रत्येक कलेण्डर वर्ष के दौरान, जिसमें प्रत्येक कृति की प्रतियां बनाई जाती हैं, उसकी न्यूनतम पचास हजार प्रतियों के लिए संदत्त किया जाएगा :

परंतु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड, साधारण आदेश द्वारा, ऐसी कृतियों के संभावित परिचालन को ध्यान में रखते हुए किसी विशिष्ट भाषा या बोली में कृतियों की बाबत, निचला न्यूनतम नियत कर सकेगा।

(5) ऐसे ध्वन्यंकन करने वाला व्यक्ति उसकी बाबत ऐसे रजिस्टर और लेखा बहियां, जिनमें विद्यमान स्टाक का पूरा ब्यौरा हो, रखेगा जो विहित किए जाएं और ऐसे ध्वन्यंकन से संबंधित सभी अभिलेखों और लेखा बहियों का अधिकारों के स्वामी या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता या प्रतिनिधि को निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा :

परंतु प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के समक्ष इस आशय का परिवाद किए जाने पर कि अधिकारों के स्वामी ने इस धारा के अनुसरण में किए जाने के लिए तात्पर्यित किन्हीं ध्वन्यंकनों के लिए पूर्ण संदाय नहीं किया है, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड का प्रथमदृष्ट्या यह समाधान हो जाता है कि परिवाद प्रामाणिक है, तो वह ध्वन्यंकन करने वाले व्यक्ति को इस बात का निदेश देते हुए एकपक्षीय आदेश पारित कर सकेगा कि वह उसकी अतिरिक्त प्रतियां बनाने से प्रविरत रहे और ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, ऐसा और आदेश, जो वह ठीक समझे, कर सकेगा जिसके अंतर्गत स्वामिस्व के संदाय का आदेश भी है।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "आवरण रूपांतर" से इस धारा के अनुसार किया गया ध्वन्यंकन अभिप्रेत है।

31घ. (1) ऐसा कोई प्रसारण संगठन, जो ऐसी किसी साहित्यिक या संगीतात्मक, कृति और ध्वन्यंकन को, जिसका पहले प्रकाशन किया जा चुका है, प्रसारण के रूप में या प्रस्तुतीकरण के रूप में सार्वजनिक रूप से संसूचित करने की वांछा करता है, वह ऐसा इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए कर सकेगा। साहित्यिक और संगीतात्मक कृतियों तथा ध्वन्यंकन के प्रसारण के लिए कानूनी अनुज्ञप्ति।

(2) प्रसारण संगठन कृति का प्रसारण करने के अपने आशय की पूर्व सूचना, जिसमें प्रसारण की अवधि और राज्यक्षेत्रीय सीमा क्षेत्र का उल्लेख हो, ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए और प्रत्येक कृति में अधिकारों के स्वामी को प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड द्वारा नियत दर पर और रीति में स्वामिस्व का संदाय करेगा।

(3) रेडियो प्रसारण के लिए स्वामिस्व की दरें टेलीविजन प्रसारण से भिन्न होंगी और प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड रेडियो प्रसारण तथा टेलीविजन प्रसारण के लिए पृथक्-पृथक् दरें नियत करेगा।

(4) उपधारा (2) के अधीन स्वामिस्व की रीति और दर नियत करने में प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड प्रसारण संगठन से अधिकारों के स्वामियों को अग्रिम संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) कृति के रचयिताओं और मुख्य प्रस्तुतकर्ताओं के नाम, उस कृति को प्रस्तुतीकरण के रूप में संसूचित करने वाले प्रसारण संगठन की दशा के सिवाय, प्रसारण में घोषित किए जाएंगे।

(6) किसी साहित्यिक या संगीतात्मक कृति में प्रसारण की सुविधा के लिए कृति को संक्षिप्त करने से भिन्न, नए सिरे से ऐसा कोई परिवर्तन, जो प्रसारण के प्रयोजन के लिए तकनीकी रूप से आवश्यक नहीं है, अधिकारों के स्वामियों की सहमति के बिना नहीं किया जाएगा।

(7) प्रसारण संगठन—

(क) ऐसे अभिलेख और लेखा बहियां रखेगा और अधिकारों के स्वामियों को ऐसी रिपोर्टें और लेखे ऐसी रीति में देगा, जो विहित की जाए; और

(ख) अधिकारों के स्वामी को या उसके सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता अथवा प्रतिनिधि को ऐसे प्रसारण से संबंधित सभी अभिलेखों और लेखा बहियों का, ऐसी रीति में, निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा, जो विहित की जाए।

(8) इस धारा की किसी बात से प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ के पूर्व जारी किसी अनुज्ञप्ति या किए गए किसी करार के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा।'।

19. मूल अधिनियम की धारा 33 में,— धारा 33 का संशोधन।

(i) उपधारा (1) में "परंतु यह और कि" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"परंतु यह और कि किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन में सम्मिलित साहित्यिक, नाट्य,

संगीतात्मक और कलात्मक कृतियों की बाबत अनुज्ञप्ति जारी या अनुदत्त करने का कारबार केवल इस अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के माध्यम से चलाया जाएगा:

परंतु यह भी कि'';

(ii) उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(3क) उपधारा (3) के अधीन किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को अनुदत्त किया गया रजिस्ट्रीकरण पांच वर्ष की अवधि के लिए होगा और उसका प्रत्येक पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पूर्व, विहित प्ररूप में अनुरोध किए जाने पर, समय-समय पर नवीकरण किया जा सकेगा तथा केंद्रीय सरकार धारा 36 के अधीन प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के कार्यकरण पर प्रतिलिप्यधिकार रजिस्ट्रार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण कर सकेगी:

परंतु किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के सतत् सामूहिक नियंत्रण के अध्यधीन होगा जो कृतियों के रचयिताओं के साथ प्रतिलिप्यधिकार या स्वामिस्व प्राप्त करने के अधिकार के स्वामियों के रूप में उनकी हैसियत में बांटा जा रहा हो :

परंतु यह और कि प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी, जो प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रवृत्त होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत है, प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इस अध्याय के अधीन अपने को रजिस्ट्रीकृत कराएगी।'';

(iii) उपधारा (4) और उपधारा (5) में ''अधिकारों के स्वामियों'' शब्दों के स्थान पर ''रचयिताओं और अधिकारों के अन्य स्वामियों'' शब्द रखे जाएंगे;

(iv) उपधारा (5) में ''के हित में'' शब्दों के पश्चात् ''अथवा धारा 33क, धारा 35 की उपधारा (3) और धारा 36 के अननुपालन या ऐसी लिखत में, जिसके द्वारा प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित या निगमित और रजिस्ट्रीकृत की गई है, उसे पूर्व सूचना दिए बिना किए गए ऐसे किसी परिवर्तन के कारण'' शब्द अंत:स्थापित'' किए जाएंगे।

नई धारा 33क का अंत:स्थापन।

20. मूल अधिनियम की धारा 33 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटियों द्वारा टैरिफ स्कीम।

''33क. (1) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी अपनी टैरिफ स्कीम ऐसी रीति में प्रकाशित करेगी, जो विहित की जाए।

(2) कोई ऐसा व्यक्ति, जो टैरिफ स्कीम से व्यथित है, प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को अपील कर सकेगा, और यदि बोर्ड का ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह आवश्यक समझे, समाधान हो जाता है, तो वह ऐसे आदेश कर सकेगा जो उसमें किसी अयुक्तियुक्त तत्व, विषमता या असंगतता को दूर करने के लिए अपेक्षित हों :

परंतु व्यथित व्यक्ति, प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी को ऐसी किसी फीस का, जो विहित की जाए और जो प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को अपील करने के पूर्व देय हो गई हो, संदाय करेगा, और वह तब तक ऐसी फीस का संदाय करता रहेगा, जब तक अपील का विनिश्चय नहीं हो जाता है और बोर्ड, अपील का निपटारा होने तक ऐसी फीस के संग्रहण पर रोक लगाने का कोई आदेश जारी नहीं करेगा:

परंतु यह और कि प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अंतरिम टैरिफ नियत कर सकेगा और अपील का निपटारा होने तक व्यथित पक्षकारों को तदनुसार संदाय करने का निदेश दे सकेगा।''।

धारा 34 का संशोधन।

21. मूल अधिनियम की धारा 34 में, ''अधिकारों के किसी स्वामी'' और ''और अधिकारों के स्वामियों'' शब्दों के स्थान पर जहां कहीं वे आते हैं, क्रमश: ''किसी रचयिता और अधिकार के अन्य स्वामियों'' तथा ''रचयिता और अधिकार के अन्य स्वामियों'' शब्द रखे जाएंगे।

22. मूल अधिनियम की धारा 34क का लोप किया जाएगा। धारा 34क का लोप।

23. मूल अधिनियम की धारा 35 और उसके पार्श्व शीर्ष में,— धारा 35 का संशोधन।

(क) "अधिकारों के स्वामी" और "अधिकारों के स्वामियों' शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "रचयिता और अधिकार के अन्य स्वामियों" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"(3) प्रत्येक प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी का एक शासी निकाय होगा जिसमें सोसाइटी के प्रशासन के प्रयोजन के लिए कृति रचयिताओं और स्वामियों की बराबर संख्या से मिलकर बनी सोसाइटी के सदस्यों में से चुने गए उतने व्यक्ति होंगे, जितने विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(4) प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के सभी सदस्यों को बराबर सदस्यता अधिकार प्राप्त होंगे और स्वामिस्वों के वितरण में रचयिताओं और अधिकारों के स्वामियों के बीच कोई भेदभाव नहीं होगा।"।

24. मूल अधिनियम की धारा 36क में,— धारा 36क का संशोधन।

(क) "प्रस्तुतीकरण अधिकार सोसाइटी" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 1994" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, "प्रतिलिप्यधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2012" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे।

25. मूल अधिनियम की धारा 37 की उपधारा (3) के खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 37 का संशोधन।

"(ङ) खंड (ग) या खंड (घ) में निर्दिष्ट किसी ऐसे ध्वन्यंकन या दृश्यांकन का विक्रय करता है या उसे वाणिज्यिक भाटक पर देता है या विक्रय के लिए या ऐसे भाटक पर देने की प्रस्थापना करता है;"।

26. मूल अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (3) और उपधारा (4) का लोप किया जाएगा। धारा 38 का संशोधन।

27. मूल अधिनियम की धारा 38 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:— नई धारा 38क और धारा 38ख का अंत:स्थापन।

"38क. (1) रचयिताओं को प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रस्तुतकर्ता का अधिकार, जो प्रस्तुतीकरण या उसके किसी सारवान् भाग की बाबत निम्नलिखित कृत्यों में से किसी कृत्य को करने या करने के लिए प्राधिकृत करने के लिए इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए एक अनन्य अधिकार है, अर्थात्:— प्रस्तुतकर्ताओं का अनन्य अधिकार।

(क) प्रस्तुतीकरण का ध्वन्यंकन या दृश्यांकन करने का होगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं,—

(i) पर्याप्त रूप में उसका पुनरुत्पादन करना, जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिक या किसी अन्य साधन द्वारा किसी माध्यम से उसका भंडारण भी है;

(ii) जनसाधारण को उसकी ऐसी प्रतियां उपलब्ध कराना, जो पहले से परिचालन में प्रतियां नहीं हैं;

(iii) सार्वजनिक रूप से उसे संसूचित करना;

(iv) अंकन की किसी प्रति का विक्रय करना या उसे वाणिज्यिक भाटक पर देना या विक्रय करने या वाणिज्यिक भाटक पर देने की प्रस्थापना करना;

(ख) जहां प्रस्तुतीकरण का प्रसारण पहले कर दिया गया है वहां के सिवाय सार्वजनिक रूप से प्रस्तुतीकरण का प्रसारण करने या उसे संसूचित कराने का होगा।

(2) जब किसी प्रस्तुतकर्ता ने, लिखित करार द्वारा, किसी चलचित्र फिल्म में अपने प्रस्तुतीकरण को सम्मिलित किए जाने की सहमति दे दी है तो वह किसी प्रतिकूल संविदा के न होने पर, उसी फिल्म में फिल्म के निर्माता द्वारा प्रस्तुतकर्ता के अधिकार का उपभोग किए जाने के प्रति आक्षेप नहीं करेगा :

परन्तु, इस उपधारा में किसी बात के होते हुए भी प्रस्तुतकर्ता प्रस्तुतीकरणों को वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाए जाने की दशा में स्वामिस्वों के लिए हकदार होगा।

प्रस्तुतकर्ता के नैतिक अधिकार।

38ख. किसी प्रस्तुतीकरण के प्रस्तुतकर्ता को अपने अधिकार के पूर्णत: या भागत: समनुदेशन के पश्चात् अपने अधिकार पर निरपेक्ष रूप से निम्नलिखित का अधिकार होगा—

(क) उस दशा के सिवाय जहां कि लोप प्रस्तुतीकरण के उपयोग की रीति द्वारा अभिप्रेरित किया गया है, अपने प्रस्तुतीकरण के प्रस्तुतकर्ता के रूप में पहचाने जाने का दावा करना; और

(ख) उसके प्रस्तुतीकरण में ऐसी कोई विकृति, विच्छेदन या अन्य उपांतरण जिससे उसकी ख्याति पर प्रतिकूल पड़ता हो, करने से अवरुद्ध करना या उसके संबंध में नुकसानी का दावा करना।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि संपादन करने या ध्वन्यंकन को एक सीमित अवधि के भीतर ठीक जोड़ने के प्रयोजन के लिए प्रस्तुतीकरण के किसी भाग को हटाने मात्र को या पूर्णत: तकनीकी कारणों के लिए अपेक्षित किसी अन्य उपांतरण को प्रस्तुतकर्ता की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं समझा जाएगा।''।

धारा 39क के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

28. मूल अधिनियम की धारा 39क के स्थान पर, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

प्रसारण पुनरुपादन अधिकार और प्रस्तुतकर्ता के अधिकारों की दशा में कतिपय उपबंधों का लागू होना।

''39क. (1) धारा 18, धारा 19, धारा 30, धारा 30क, धारा 33, धारा 33क, धापा 34, धारा 35, धारा 36, धारा 53, धारा 55, धारा 58, धारा 63, धारा 64, धारा 65, धारा 65क, धारा 65ख और धारा 66, आवश्यक अनुकूलनों और उपांतरणों के साथ, किसी प्रसारण में प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार और किसी प्रस्तुतीकरण में प्रस्तुतकर्ता के अधिकार के संबंध में वैसे ही लागू होंगी जैसे वे किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के संबंध में लागू होती हैं:

परन्तु जहां प्रतिलिप्यधिकार या प्रस्तुतकर्ता का अधिकार ऐसी किसी कृति या प्रस्तुतीकरण की बाबत अस्तित्व में है जिसका प्रसारण किया जा चुका है, वहां ऐसे प्रसारण का पुनरुत्पादन करने की कोई अनुज्ञप्ति, यथास्थिति, अधिकार के स्वामी या प्रस्तुतकर्ता अथवा उन दोनों की सहमति के बिना नहीं दी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि वह प्रसारण या प्रस्तुतीकरण किसी कृति में प्रतिलिप्यधिकार के अतिलंघन में है तो प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार या प्रस्तुतकर्ता का अधिकार किसी प्रसारण या प्रस्तुतीकरण में अस्तित्व में नहीं रहेगा।

(2) प्रसारण पुनरुत्पादन अधिकार या प्रस्तुतकर्ता का अधिकार ऐसी किसी कृति में पृथक् प्रतिलिप्यधिकार को प्रभावित नहीं करेगा, जिसके संबंध में यथास्थिति, प्रसारण या प्रस्तुतीकरण किया जाता है।''।

धारा 40 का संशोधन।

29. मूल अधिनियम की धारा 40 के परन्तुक के खंड (iii) में, ''अधिक नहीं होगी'' शब्दों के पश्चात् ''किन्तु प्रतिलिप्यधिकार की ऐसी कोई अवधि इस अधिनियम के अधीन उपबंधित प्रतिलिप्यधिकार की अवधि से अधिक नहीं होगी'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

धारा 40क का संशोधन।

30. मूल अधिनियम की धारा 40क की उपधारा (2) के खंड (ii) में, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:—

''परन्तु यह इस अधिनियम के अधीन उपबंधित अवधि से अधिक नहीं होगी।''।

धारा 45 का संशोधन।

31. मूल अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (1) के परन्तुक में,—

(i) ''किसी माल के संबंध में'' शब्दों के स्थान पर, किसी माल या सेवाओं के संबंध में'' शब्द रखे जाएंगे;

1958 का 43
1999 का 47

(ii) "व्यापार और पण्य वस्तु चिह्न अधिनियम 1958 की धारा 4" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "व्यापार चिह्न अधिनियम, 1999 की धारा 3" शब्द और अंक रखे जाएंगे।

32. मूल अधिनियम की धारा 52 की उपधारा (1) में,— धारा 52 का संशोधन।

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) किसी कृति का, जो कम्प्यूटर प्रोग्राम नहीं है—

(i) प्राइवेट या निजी उपयोग, जिसके अंतर्गत अनुसंधान भी है

(ii) उस कृति की या किसी अन्य कृति की समालोचना या समीक्षा;

(iii) सामयिक घटनाओं और सामयिक क्रियाकलापों की रिपोर्ट, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक रूप से दिए गए किसी व्याख्यान की रिपोर्ट करना भी है,

के प्रयोजनों के लिए उचित प्रयोग।

स्पष्टीकरण—इस खंड में वर्णित प्रयोजनों के लिए किसी इलैक्ट्रानिक माध्यम में किसी कृति के भंडारण जिसके अन्तर्गत किसी कम्प्यूटर प्रोग्राम का ऐसा आनुषंगिक भंडारण भी है, जो स्वतः उक्त प्रयोजनों के लिए अतिलंघनकारी प्रति नहीं है, से प्रतिलिप्यधिकार का अतिलंघन गठित नहीं होगा";"

(ii) खंड (ख), खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (च), खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (ञ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(ख) सार्वजनिक रूप से इलैक्ट्रानिक पारेषण या संसूचित किए जाने की पूर्णतया तकनीकी प्रक्रिया के रूप में किसी कृति या प्रस्तुतीकरण का अस्थायी या आनुषंगिक भंडारण;

(ग) उन स्थानों पर जहां अधिकार धारक द्वारा इलैक्ट्रानिक लिंकों, पहुंच या एकीकरण को अभिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध नहीं किया गया है, वहां जब तक उत्तरदायी व्यक्ति इस बात से अवगत नहीं या उसके पास यह विश्वास करने के युक्तियुक्त आधार नहीं हैं कि ऐसा भंडारण किसी अतिलंघनकारी प्रति का है तब तक ऐसे लिंक, पहुंच या एकीकरण उपलब्ध कराने के प्रयोजन के लिए किसी कृति या प्रस्तुतीकरण का अस्थायी या आनुषंगिक भंडारण है:

परन्तु यदि प्रति के भंडारण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को कृति में प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी से लिखित शिकायत प्राप्त होती है, जिसमें इस बात की शिकायत हो कि ऐसा अस्थायी या आनुषंगिक भंडारण अतिलंघनकारी है, तो भंडारण के लिए उत्तरदायी ऐसा व्यक्ति इक्कीस दिन की अवधि तक अथवा तब तक ऐसी पहुंच को सुकर बनाने से विरत रहेगा जब तक कि उसे सक्षम न्यायालय से पहुंच को सुकर बनाने से विरत रहने संबंधी आदेश प्राप्त नहीं हो जाता और यदि कोई ऐसा आदेश इक्कीस दिन की ऐसी अवधि के अवसान के पूर्व प्राप्त नहीं होता है तो वह ऐसी पहुंच की सुविधा उपलब्ध कराना जारी रख सकेगा;

(घ) किसी न्यायिक कार्यवाही के प्रयोजन के लिए या न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्ट के प्रयोजन के लिए किसी कृति का पुनरुत्पादन;

(ङ) किसी विधान-मंडल के सचिवालय द्वारा या जहां विधान-मंडल के दो सदन हों, वहां विधान-मंडल के किसी भी सदन के सचिवालय द्वारा तैयार की गई किसी कृति का अनन्य रूप से उस विधान-मंडल के सदस्यों के उपयोग के लिए पुनरुत्पादन या प्रकाशन;

(च) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार तैयार की गई या प्रदाय की गई किसी प्रमाणित प्रति में किसी कृति का पुनरुत्पादन;

(छ) किसी प्रकाशित साहित्यिक या नाट्य कृति से यथोचित उद्धरणों का जनता में पठन या सुपठन;

(ज) मुख्यत: प्रतिलिप्यधिकार रहित सामग्री के संकलन में, जो शिक्षा के उपयोग के लिए सद्भावपूर्वक आशयित है और जिसे शीर्षक में तथा प्रकाशक द्वारा या उसकी ओर से निकाले गए किसी विज्ञापन में इस प्रकार वर्णित किया गया है, प्रकाशित साहित्यिक या नाट्य कृतियों में, जो स्वयं में ऐसे उपयोग के लिए प्रकाशित नहीं है, जिनमें प्रतिलिप्यधिकार अस्तित्व में है लघु, लेखांशों का प्रकाशन:

परंतु तब जब कि उसी रचियता की कृतियों में से उसी प्रकाशक द्वारा पांच वर्ष की किसी कालावधि के दौरान दो से अधिक ऐसे लेखांश प्रकाशित नहीं किए जाते हैं।

स्पष्टीकरण—संयुक्त रचयिताओं की किसी कृति की दशा में, इस खंड में कृतियों से लेखांशों के प्रति निर्देशों के अंतर्गत उन लेखांशों के किसी एक या अधिक रचयिताओं की अथवा किसी अन्य व्यक्ति के सहयोग से उन रचयिताओं में से एक या अधिक रचयिताओं की कृतियों से लेखांशों के प्रति निर्देश आएंगे;

(झ) किसी कृति का—

(i) किसी शिक्षक या विद्यार्थी द्वारा प्रशिक्षण के अनुक्रम में पुनरुत्पादन; या

(ii) किसी परीक्षा में उत्तर दिए जाने वाले प्रश्नों के भागरूप पुनरुत्पादन; या

(iii) ऐसे प्रश्न के उत्तरों में पुनरुत्पादन;

(ञ) किसी शिक्षा संस्था के क्रियाकलापों के अनुक्रम में, उस संस्था के कर्मचारिवृंद और छात्रों द्वारा किसी साहित्यिक, नाट्य या संगीतात्मक कृति का या किसी चलचित्र फिल्म का किसी ध्वन्यंकन का प्रस्तुतीकरण, यदि दर्शक समूह ऐसे कर्मचारिवृंद और छात्रों, छात्रों के माता-पिता और संरक्षकों तथा उस संस्था के क्रियाकलापों से सम्बद्ध व्यक्तियों तक सीमित है अथवा किसी चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन के ऐसे दर्शक समूह को संसूचित किया जाना;";

(iii) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ढ) परिरक्षण के लिए किसी गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक पुस्तकालय द्वारा इलैक्ट्रानिक साधनों द्वारा किसी माध्यम में किसी कृति का भंडारण यदि पुस्तकालय के पास पहले से ही कृति की गैर अंकीय प्रति है;";

(iv) खंड (ण) में "सार्वजनिक पुस्तकालय" शब्दों के स्थान पर "गैर-वाणिज्यिक सार्वजनिक पुस्तकालय" शब्द रखे जाएंगे;

(v) खंड (फ) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(ब) किसी उपयोगी युक्ति के किसी पूर्णरूप से क्रियाशील भाग के औद्योगिक उपयोजन के प्रयोजनों के लिए किसी तकनीकी रेखाचित्र जैसी किसी द्विआयामी कलात्मक कृति से त्रिआयामी वस्तु का बनाया जाना;";

(vi) खंड (म) में "नाटय या" शब्दों के स्थान पर "नाट्य, कलात्मक या" शब्द रखे जाएंगे;

(vii) खंड (यक) और उसके अधीन स्पष्टीकरण के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(यख) (i) नि:शक्त व्यक्तियों की कृतियों तक पहुंच बनाने को सुकर बनाने के लिए, जिसके अंतर्गत किसी नि:शक्त व्यक्ति की प्राइवेट या व्यक्तिगत प्रयोग, शैक्षणिक प्रयोजन या अनुसंधान के लिए ऐसे पहुंच योग्य रूपविधान में सहभागिता भी है, किसी व्यक्ति द्वारा; या

(ii) यदि सामान्य रूपविधान ऐसे व्यक्तियों द्वारा ऐसी कृतियों का उपयोग किए जाने को निवारित करता है, तो नि:शक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्य कर रहे किसी संगठन द्वारा, किसी कृति का किसी पहुंच योग्य रूपविधान में अनुकूलन, पुनरुत्पादन करना, उसकी प्रतियों को उपलब्ध कराना या उसे सार्वजनिक रूप से संसूचित करना:

परंतु तब जबकि नि:शक्त व्यक्तियों को कृतियों की प्रतियां ऐसे पहुंच योग्य रूपविधान में लाभ निरपेक्ष आधार पर उपलब्ध कराई जाएं, किंतु उनसे उत्पादन का खर्च वसूल किया जाए :

परंतु यह और कि संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि कृतियों की प्रतियों का प्रयोग ऐसे पहुंच योग्य रूपविधान में केवल नि:शक्त व्यक्तियों द्वारा किया जाए और इसकी प्रविष्टि का कारबार के साधारण माध्यमों में निवारण करने के लिए युक्तियुक्त उपाय किए जाएं।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "किसी संगठन" के अंतर्गत आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 12क के अधीन रजिस्ट्रीकृत और नि:शक्त व्यक्तियों के फायदे के लिए कार्यरत या नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के अध्याय 10 के अधीन मान्यताप्राप्त अथवा नि:शक्त व्यक्तियों तक पहुंच को सुकर बनाने के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाला कोई संगठन या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त कोई शिक्षा संस्था या पुस्तकालय या अभिलेखागार भी है;

1961 का 43

1996 का 1

(यग) लेबल, कंपनी लोगो या संवर्धनकारी या स्पष्टीकारक सामग्री जैसी ऐसी किसी साहित्यिक या कलाकृति की प्रतियों का आयात किया जाना, जो पूर्णतया विधिपूर्वक आयात किए जा रहे अन्य माल या उत्पादों के आनुषंगिक है।'।

धारा 52ख का लोप।

33. मूल अधिनियम की धारा 52ख का लोप किया जाएगा।

धारा 53 के स्थान पर नई धारा का प्रतिस्थापन।

34. मूल अधिनियम की धारा 53 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

अतिलंघनकारी प्रतियों का आयात।

"53. (1) इस अधिनियम द्वारा किसी कृति या ऐसी कृति में सन्निविष्ट किसी प्रस्तुतीकरण की बाबत प्रदत्त किसी अधिकार का स्वामी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को लिखित में यह सूचना दे सकेगा कि,—

(क) वह उक्त अधिकार का, उसके सबूत सहित स्वामी है; और

(ख) वह आयुक्त से यह अनुरोध करता है कि सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, जो एक वर्ष से अधिक की नहीं होगी, कृति की अतिलंघनकारी प्रतियों को प्रतिषिद्ध माल के रूप में माना जाए और यह कि कृति की ऐसी अतिलंघनकारी प्रतियां सूचना में विनिर्दिष्ट समय और स्थान पर भारत में आने की प्रत्याशा है।

(2) आयुक्त, अधिकार के स्वामी द्वारा दिए गए साक्ष्य की संवीक्षा करने और इस बात का समाधान किए जाने के पश्चात्, उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कृति की उन अतिलंघनकारी प्रतियों को प्रतिषिद्ध माल मान सकेगा, जो अभिवहन में के माल को छोड़कर, भारत में, आयात किया जा चुका है:

परंतु यह तब जब कि कृति का स्वामी डेमरेज, भंडारण की लागत और कृतियों के अतिलंघनकारी न पाए जाने की दशा में आयातकर्ता को प्रतिकर दिए जाने संबंधी सम्भावित व्ययों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि, जिसकी आयुक्त अपेक्षा करे, जमा करा देता है।

(3) जब ऐसे किसी माल को, जिसे उपधारा (2) के अधीन प्रतिषिद्ध माल माना गया है, निरुद्ध कर लिया गया है तो उसे निरुद्ध करने वाला सीमाशुल्क अधिकारी आयातकर्ता को और उस व्यक्ति को, जिसने उपधारा (1) के अधीन सूचना दी है, ऐसे माल के निरुद्ध किए जाने की, उसके निरुद्ध किए जाने के अड़तालीस घंटे के भीतर जानकारी देगा।

(4) यदि वह व्यक्ति, जिसने उपधारा (1) के अधीन सूचना दी है, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय का, ऐसे माल के अस्थायी या स्थायी व्ययन के बारे में उसको निरुद्ध किए जाने की तारीख से चौदह दिन के भीतर, कोई आदेश प्रस्तुत नहीं करता है, तो सीमाशुल्क अधिकारी उस माल को छोड़ देगा और उस माल को आगे प्रतिषिद्ध माल नहीं माना जाएगा।"।

धारा 55 का संशोधन।

35. मूल अधिनियम की धारा 55 की उपधारा (2) में "की दशा में, कोई नाम, जो, यथास्थिति, रचयिता या प्रकाशक का नाम होना तात्पर्यित है" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"या, धारा 13 की उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, चलचित्र फिल्म या ध्वन्यंकन की दशा में, कोई नाम, जो, यथास्थिति, उस कृति के रचयिता या प्रकाशक का नाम होना तात्पर्यित है"।

धारा 57 का संशोधन।

36. मूल अधिनियम की धारा 57 में,—

(i) उपधारा (1) के खंड (ख) में, "जो प्रतिलिप्यधिकार की अवधि की समाप्ति के पूर्व किया जाता है," शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ii) उपधारा (2) में, "जो उस कृति का रचयिता होने का दावा करने के अधिकार से भिन्न हो," शब्दों का लोप किया जाएगा।

नई धारा 65क और धारा 65ख का अंत:स्थापन।

37. मूल अधिनियम की धारा 65 के पश्चात्, निम्नलिखित धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

प्रौद्योगिक उपायों का संरक्षण।

"65क. (1) ऐसा कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त अधिकारों में से किसी अधिकार के संरक्षण के प्रयोजन के लिए, उपयोजित प्रभावी प्रौद्योगिक उपायों की, ऐसे अधिकारों का अतिलंघन करने के आशय से, परिवंचना करेगा, कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) की कोई बात किसी व्यक्ति को,—

(क) ऐसे किसी प्रयोजन के लिए, जो इस अधिनियम द्वारा अभिव्यक्त रूप से प्रतिषिद्ध नहीं है उसमें निर्दिष्ट किसी बात को करने से निवारित नहीं करेगी:

परंतु ऐसा कोई व्यक्ति, जो ऐसे किसी प्रयोजन के लिए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी प्रौद्योगिक उपाय की परिवंचना को सुकर बनाता है, ऐसे अन्य व्यक्ति का सम्पूर्ण अभिलेख रखेगा, जिसके अंतर्गत उसका नाम, पता और वे सभी सुसंगत विशिष्टियां, जो उसकी पहचान के लिए आवश्यक हों और वह प्रयोजन, जिसके लिए उसे सुकर बनाया गया है, हो; या

(ख) ऐसी कोई बात करने से निवारित नहीं करेगी जो विधिमान्य रूप से अभिप्राप्त किसी कूटकृत प्रति का प्रयोग करते हुए कूटकरण अनुसंधान करने के लिए आवश्यक हों; या

(ग) कोई विधिपूर्ण अन्वेषण करने से निवारित नहीं करेगी; या

(घ) ऐसी कोई बात करने से निवारित नहीं करेगी, जो किसी कम्प्यूटर प्रणाली या किसी कम्प्यूटर नेटवर्क की, उसके स्वामी के प्राधिकार से सुरक्षा की जांच करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो; या

(ङ) प्रचालन से निवारित नहीं करेगी; या

(च) ऐसी कोई बात करने से निवारित नहीं करेगी, जो किसी उपयोक्ता की पहचान या निगरानी के लिए आशयित प्रौद्योगिक उपायों की परिवंचना करने के लिए आवश्यक हो; या

(छ) राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में आवश्यक उपाय करने से निवारित नहीं करेगी।

अधिकार प्रबंधन सूचना का संरक्षण।

65ख. ऐसा कोई व्यक्ति, जो जानबूझकर,—

(i) प्राधिकार के बिना, किसी अधिकार प्रबंधन सूचना को हटाता या परिवर्तित करता है; या

(ii) प्राधिकार के बिना, किसी कृति या प्रस्तुतीकरण की प्रतियां, यह जानते हुए कि इलैक्ट्रॉनिक अधिकार प्रबंधन सूचना को प्राधिकार के बिना हटा दिया गया है या परिवर्तित कर दिया गया है, वितरित करेगा, वितरित किए जाने के लिए आयात करेगा, सार्वजनिक रूप से प्रसारित या संसूचित करेगा,

वह कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा:

परंतु यदि अधिकार प्रबंधन सूचना से किसी कृति में छेड़छाड़ की गई है, तो ऐसी कृति के प्रतिलिप्यधिकार का स्वामी भी ऐसे कृत्यों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध अध्याय 12 के अधीन उपबंधित सिविल उपचारों का लाभ उठा सकेगा।"।

38. मूल अधिनियम की धारा 66 में "प्रतिलिप्यधिकार के स्वामी को दे दी जाएं" शब्दों के पश्चात् "या ऐसी प्रतियों या प्लेटों के व्ययन के संबंध में ऐसा आदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे। धारा 66 का संशोधन।

39. मूल अधिनियम की धारा 78 की उपधारा (2) में,— धारा 78 का संशोधन।

(i) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

"(क) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें;";

(ii) खंड (ग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(गअ) वह प्ररूप और रीति जिसमें कोई संगठन नि:शक्त व्यक्तियों के लिए अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को आवेदन कर सकेगा और वह फीस जो धारा 31ख की उपधारा (1) के अधीन ऐसे आवेदन के साथ संलग्न की जा सकेगी;

(गआ) वह रीति, जिसमें ध्वन्यंकन करने वाला कोई व्यक्ति धारा 31ग की उपधारा (2) के अधीन ध्वन्यंकन करने के लिए अपने आशय की पूर्व सूचना दे सकेगा;

(गइ) ऐसे रजिस्टर और लेखा बहियां तथा विद्यमान स्टाक के ब्यौरे, जो ध्वन्यंकन करने वाले व्यक्ति द्वारा धारा 31ग की उपधारा (5) के अधीन रखे जा सकेंगे;

(गई) वह रीति, जिसमें किसी प्रसारण संगठन द्वारा धारा 31घ की उपधारा (2) के अधीन पूर्व सूचना दी जा सकेगी;

(गउ) ऐसी रिपोर्टें और लेखे जो धारा 31घ की उपधारा (7) के खंड (क) के अधीन बनाए रखे जा सकेंगे और अभिलेखों और लेखाबहियों का निरीक्षण जो धारा 31घ की उपधारा (7) के खंड (ख) के अधीन किया जा सकेगा।";

(iii) खंड (गग) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(गगअ) वह रीति, जिसमें कोई प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी धारा 33क की उपधारा (1) के अधीन अपनी टैरिफ स्कीम प्रकाशित कर सकेगी;

(गगआ) वह फीस, जो धारा 33क की उपधारा (2) के अधीन प्रतिलिप्यधिकार बोर्ड को अपील फाइल करने के पूर्व संदत्त की जानी होगी;

(गगइ) किसी प्रतिलिप्यधिकार सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप तथा ऐसी फीस, जो धारा 33 की उपधारा (3क) के अधीन ऐसे आवेदन के साथ संलग्न की जा सकेगी;";

(iv) खंड (घख) का लोप किया जाएगा।

बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012

(2013 का अधिनियम संख्यांक 4)

[5 जनवरी, 2013]

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 का और संशोधन करने तथा कतिपय अन्य अधिनियमितियों में पारिणामिक संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रतिनिर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है।

अध्याय 2

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 का संशोधन

धारा 5 का संशोधन।

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (जिसे इस अध्याय में इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :— 1949 का 10

'(क) "अनुमोदित प्रतिभूति" से केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियां या ऐसी अन्य प्रतिभूतियां अभिप्रेत हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं;' ।

धारा 12 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 में,—

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी बैंककारी कंपनी की पूंजी निम्नलिखित रूप में हैं — 1956 का 1

(क) केवल साधारण शेयर, या

(ख) साधारण शेयर और अधिमानी शेयर :

परंतु अधिमानी शेयर का पुरोधरण, रिजर्व बैंक द्वारा अधिमानी शेयरों के वर्ग, ऐसे अधिमानी शेयरों के (चाहे वे स्थायी या अमोचनीय या मोचनीय हों) प्रत्येक वर्ग के पुरोधरण के विस्तार और ऐसे निबंधन और शर्तों को, जिनके अधीन रहते हुए प्रत्येक वर्ग के अधिमानी शेयरों का पुरोधरण किया जा सकेगा, विनिर्दिष्ट करते हुए विरचित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा :

परंतु यह और कि कंपनी द्वारा पुरोधृत अधिमानी शेयर का कोई धारक, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 87 की उपधारा (2) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।"; 1956 का 1

(ii) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(आ) उपधारा (2) में, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु रिजर्व बैंक क्रमिक रूप से मताधिकारों की ऐसी सीमा दस प्रतिशत से बढ़ाकर छब्बीस प्रतिशत कर सकेगा।"।

नई धारा 12ख का अंतःस्थापन।

4. मूल अधिनियम की धारा 12क के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

शेयरों या मताधिकारों के अर्जन का विनियमन।

"12ख. (1) कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "आवेदक" कहा गया है), रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के सिवाय, आवेदन किए जाने पर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करते हुए, किसी बैंककारी कंपनी के ऐसे शेयरों या उसमें मताधिकारों को अर्जित नहीं करेगा

या अर्जित करने के लिए सहमत नहीं होगा जिसका उसके द्वारा या उसके नातेदार या सहयुक्त उद्यम या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा धारित शेयरों और मताधिकारों के साथ, यदि कोई हो, किया गया ऐसा अर्जन, आवेदक को ऐसी बैंककारी कंपनी की पांच प्रतिशत या अधिक की समादत्त शेयर पूंजी का धारक बनाता है या ऐसी बैंककारी कंपनी में पांच प्रतिशत या अधिक मताधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बनाता है ।

स्पष्टीकरण 1—इस उपधारा के प्रयोजन के लिए,—

(क) "सहयुक्त उद्यम" से ऐसी कंपनी अभिप्रेत है, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जो,—

(i) आवेदक की नियंत्री कंपनी या कोई समनुषंगी कंपनी है ; या

(ii) आवेदक का सह उद्यम है ; या

(iii) आवेदक को शासित करने वाले निदेशक बोर्ड या अन्य निकाय के गठन पर नियंत्रण रखता है ; या

(iv) रिजर्व बैंक की राय में, वित्तीय या नीति विषयक विनिश्चय करने में आवेदक पर महत्वपूर्ण असर रखता है ; या

(v) आवेदक के क्रियाकलाप से आर्थिक लाभ अभिप्राप्त करने में समर्थ है ;

1956 का 1 (ख) "नातेदार" का वह अर्थ होगा जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 6 में है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों को "मिलकर कार्य करते हुए" समझा जाएगा जो इस उपधारा में उल्लिखित प्रतिशत से अधिक शेयरों या मताधिकारों के अर्जन के सामान्य उद्देश्य या प्रयोजन के लिए किसी करार या समझौते (औपचारिक या अनौपचारिक) के अनुसरण में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः बैंककारी कंपनी के शेयरों या मताधिकारों के अर्जन द्वारा या अर्जन करने की सहमति द्वारा सहकार करते हैं ।

स्पष्टीकरण 2—इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, सह उद्यम से पारस्परिक लाभ के लिए किसी विशिष्ट संव्यवहार के संयुक्त उपक्रम में लगा हुआ भागीदारी की प्रकृति का कोई विधिक अस्तित्व या कोई व्यक्ति-संगम या संयुक्त रूप से चलाए जा रहे किसी वाणिज्यिक उद्यम में, जिसमें सभी अंशदायी आस्तियां और शेयर जोखिम हैं, कंपनियां अभिप्रेत हैं ।

(2) उपधारा (1) के अधीन कोई अनुमोदन रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया जा सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आवेदक—

(क) लोक हित में ; या

(ख) बैंककारी नीति के हित में ; या

(ग) किसी बैंककारी कंपनी के कार्यकलापों को, बैंककारी कंपनी के हितों के लिए हानिकर या प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली रीति से संचालित किए जाने को रोकने के लिए ; या

(घ) बैंककारी और अंतरराष्ट्रीय उत्तम पद्धतियों में उभरती हुई प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए; या

(ङ) भारत में बैंककारी और वित्तीय प्रणाली के हित में,

शेयरों या मताधिकारों को अर्जित करने के लिए एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है :

परंतु रिजर्व बैंक आवेदक से ऐसी जानकारी मांग सकेगा जो वह उपधारा (1) में निर्दिष्ट आवेदन पर विचार करने के लिए आवश्यक समझे :

परंतु यह और कि रिजर्व बैंक भिन्न-भिन्न प्रतिशतताओं में शेयरों या मताधिकारों के अर्जन के लिए भिन्न-भिन्न मानदंड विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(3) जहां अर्जन, बैंककारी कंपनी के शेयरों के अंतरण के रूप में किया जाता है और रिजर्व बैंक का यह समाधान हो गया है कि ऐसे अंतरण को अनुज्ञात नहीं किया जाना चाहिए वहां वह आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि ऐसा कोई शेयर, प्रस्तावित अंतरिती को अंतरित नहीं किया जाएगा और बैंककारी कंपनी को यह और निदेश दे सकेगा कि वह शेयरों के अंतरण को प्रभावी न करे और यदि अंतरण को रजिस्ट्रीकृत किया गया है तो अंतरिती, बैंककारी कंपनी के किसी भी अधिवेशन में मतदान में अपने मताधिकारों का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।

(4) शेयरों के अर्जन का अनुमोदन, ऐसी शर्तों के अधीन हो सकेगा, जिनको रिजर्व बैंक अधिरोपित करना ठीक समझे जिनके अंतर्गत ऐसी शर्त सम्मिलित है जिसमें शेयरों के किसी अतिरिक्त अर्जन में रिजर्व बैंक का पूर्व अनुमोदन अपेक्षित होगा और आवेदक, शेयरों या मताधिकारों को धारण करने के लिए उपयुक्त और उचित व्यक्ति बना रहता है।

(5) किसी व्यक्ति को किसी शेयर के निर्गमित करने या आबंटित करने या किसी व्यक्ति के नाम में शेयरों के अंतरण को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व, बैंककारी कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि उपधारा (1) की अपेक्षाओं का उस व्यक्ति द्वारा अनुपालन किया जाता है और जहां अर्जन, रिजर्व बैंक के अनुमोदन से किया गया है वहां बैंककारी कंपनी यह और सुनिश्चित करेगी कि उपधारा (4) के अधीन ऐसे अनुमोदन की अधिरोपित शर्तें, यदि कोई हों, पूरी की जाती हैं ।

(6) उपधारा (1) के अधीन किए गए आवेदन पर रिजर्व बैंक का विनिश्चय, रिजर्व बैंक द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर किया जाएगा :

परंतु नब्बे दिन की अवधि की संगणना करने में, रिजर्व बैंक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए आवेदक द्वारा ली गई अवधि को अपवर्जित किया जाएगा ।

(7) रिजर्व बैंक, किसी बैंककारी कंपनी में अर्जित किए जाने वाले शेयरों की न्यूनतम प्रतिशतता को विनिर्दिष्ट कर सकेगा यदि वह यह मानता है कि ऐसा प्रयोजन, जिसके लिए शेयरों को आवेदक द्वारा अर्जित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, जो ऐसे न्यूनतम शेयर धारण का समर्थन करता है ।

(8) रिजर्व बैंक, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्ति जो बैंककारी कंपनी के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के पांच प्रतिशत से अधिक शेयर या मताधिकार धारण करते हैं, ऐसे शेयर या मताधिकारों को धारण करने के लिए उपयुक्त और उचित नहीं हैं, तो यह निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकेगा कि उसके साथ मिलकर कार्य करने वाला ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति, कुल मिलाकर, बैंककारी कंपनी के सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के पांच प्रतिशत से अधिक मताधिकारों का मतदान में प्रयोग नहीं करेंगे :

परंतु रिजर्व बैंक, ऐसे व्यक्ति या उसके साथ मिलकर कार्य करने वाले व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिए बिना ऐसा कोई आदेश पारित नहीं करेगा ।" ।

=

धारा 13 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 13 में,—

(i) अंत में आने वाले "उक्त शेयरों के समादत्त मूल्य" शब्दों के स्थान पर "ऐसी कीमत, जिस पर उक्त शेयर निर्गमित किए जाते हैं," शब्द रखे जाएंगे;

(ii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि "ऐसी कीमत, जिस पर उक्त शेयर निर्गमित किए जाते हैं" पद के अंतर्गत ऐसे शेयरों की रकम या प्रीमियम का मूल्य भी होगा। '।

धारा 18 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 18 में,—

(i) उपधारा (1) में,—

(क) "जो अनुसूचित बैंक नहीं है, भारत में" शब्दों के स्थान पर "जो अनुसूचित बैंक नहीं है, भारत में दैनिक आधार पर" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) "कम से कम तीन प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) "के बराबर हो" शब्दों के पश्चात्, ", जो रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, समय-समय पर, देश की आर्थिक स्थिरता को सुनिश्चित करने की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करे" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(घ) स्पष्टीकरण के खंड (क) के उपखंड (ii) में, "या विकास बैंक" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) यदि किसी भी दिन, कारबार के बंद होने पर ऐसी बैंककारी कंपनी द्वारा धारित अतिशेष उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम से कम है तो ऐसी बैंककारी कंपनी, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उस दिन के संबंध में, उतनी रकम पर, जिससे ऐसा अतिशेष विनिर्दिष्ट न्यूनतम से कम पड़ता है, बैंक दर से तीन प्रतिशत की अधिक दर पर शास्तिक ब्याज का, रिजर्व बैंक को संदाय करने का दायी होगा और यदि ऐसी कमी आगे जारी रहती है तो इस प्रकार प्रभारित शास्तिक ब्याज में ऐसे प्रत्येक पश्चात्वर्ती दिन के संबंध में, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, बैंक दर से पांच प्रतिशत की अधिक दर तक वृद्धि की जाएगी ।

(1ख) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी, यदि रिजर्व बैंक का, व्यतिक्रमी बैंककारी कंपनी द्वारा लिखित में आवेदन किए जाने पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसी व्यतिक्रमी बैंककारी कंपनी के पास उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में उसके असफल रहने के लिए पर्याप्त कारण था, तो वह शास्तिक ब्याज के संदाय की मांग नहीं कर सकेगा ।

(1ग) रिजर्व बैंक, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, इस धारा के उपबंधों से ऐसी छूटों को बैंककारी कंपनी को प्रदान कर सकेगा जिनको वह अपने सभी या किन्हीं अधिकारियों

के प्रतिनिर्देश या अपनी संपूर्ण आस्तियों और दायित्वों या उनके किसी भाग के प्रतिनिर्देश से ठीक समझे ।"।

धारा 24 का संशोधन।

7. मूल अधिनियम की धारा 24 में,—

(क) उपधारा (4) के खंड (क) में, "के खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपधारा (5) के खंड (ख) में "के खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपधारा (8) में "के खंड (क)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षर का लोप किया जाएगा ।

नई धारा 26क का अंतःस्थापन।

8. मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

निक्षेपकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि की स्थापना।

'26क. (1) रिजर्व बैंक "निक्षेपकर्ता शिक्षा और जागरूकता निधि" (जिसे इसमें इसके पश्चात् निधि कहा गया है) के नाम से ज्ञात निधि की स्थापना करेगा ।

(2) किसी बैंककारी कंपनी के पास भारत में किसी ऐसे खाते में, जिसको पिछले दस वर्ष की अवधि तक चलाया नहीं गया है, जमा रकम को या दस वर्ष से अधिक तक किसी निक्षेप या अदावाकृत शेष किसी रकम को दस वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति से तीन मास की अवधि के भीतर निधि में जमा किया जाएगा:

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात निक्षेपकर्ता को या किसी अन्य दावेदार को बैंककारी कंपनी के साथ उसके निक्षेप या अदावाकृत रकम का दावा करने से या उसका खाता या निक्षेप खाता चलाने से उक्त दस वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं रोकेगी और ऐसी बैंककारी कंपनी, ऐसे निक्षेप या ब्याज की ऐसी रकम का, जो रिजर्व बैंक द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, प्रतिदाय करने के लिए दायी होगी ।

(3) जहां बैंककारी कंपनी ने उपधारा (2) में निर्दिष्ट परादेय रकम का संदाय किया है या ऐसे खातों या निक्षेप के प्रचालन को अनुज्ञात किया है, वहां ऐसी बैंककारी कंपनी ऐसी रीति से, जो उपधारा (5) में निर्दिष्ट प्राधिकारी या समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसी रकम के प्रतिदाय के लिए आवेदन कर सकेगी ।

(4) निधि का, निक्षेपकर्ता के हितों के संवर्धन के लिए और ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए, जो रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाने वाले निक्षेपकर्ताओं के हितों के संवर्धन के लिए आवश्यक समझे जाएं, उपयोग किया जाएगा ।

(5) रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी प्राधिकारी या समिति को, ऐसे सदस्यों सहित, जो रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किए जाएं, निधि को प्रशासित करने के लिए और निधि के संबंध में पृथक् लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख ऐसे प्ररूपों में रखने के लिए, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, विनिर्दिष्ट करेगा ।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त प्राधिकारी या समिति के लिए, ऐसे उद्देश्यों को कार्यान्वित करने के लिए, जिनके लिए निधि स्थापित की गई है, निधि में से धनराशि को खर्च करना सक्षम होगा।'।

नई धारा 29क का अंतःस्थापन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 29 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

सहयुक्त उद्यमियों के संबंध में शक्ति ।

'29क. (1) रिजर्व बैंक किसी भी समय, किसी बैंककारी कंपनी को उसके वित्तीय विवरणों के साथ, ऐसे समय के भीतर और ऐसे अंतरालों पर, जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, बैंककारी कंपनी के किसी सहयुक्त उद्यम के कारबार

या कामकाज से संबंधित, ऐसे विवरण और सूचना, जो रिजर्व बैंक इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए अभिप्राप्त करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे, संलग्न करने या पृथक् रूप से देने का निदेश दे सकेगा।

1956 का 1 (2) कंपनी अधिनियम, 1956 में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, रिजर्व बैंक, किसी भी समय, किसी बैंककारी कंपनी के किसी सहयुक्त उद्यम और उसकी लेखा बहियों का, अपने एक या अधिक अधिकारियों या कर्मचारियों या अन्य व्यक्तियों द्वारा ऐसे सहयुक्त उद्यम को विनियमित करने वाले बोर्ड या प्राधिकारी के साथ संयुक्त रूप से किया जाने वाला निरीक्षण करा सकेगा।

(3) धारा 35 की उपधारा (2) और उपधारा (3) के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित इस धारा के अधीन निरीक्षण को लागू होंगे।

स्पष्टीकरण—किसी बैंककारी कंपनी के संबंध में "सहयुक्त उद्यम" में ऐसा उद्यम सम्मिलित है जो—

(i) जो बैंककारी कंपनी की कोई नियंत्री कंपनी या कोई समनुषंगी कंपनी है ; या

(ii) बैंककारी कंपनी का कोई सह उद्यम है ; या

(iii) बैंककारी कंपनी की नियंत्री कंपनी की कोई समनुषंगी कंपनी या कोई सह उद्यम है ; या

(iv) निदेशक बोर्ड या बैंककारी कंपनी को शासित करने वाले किसी अन्य निकाय की संरचना का नियंत्रण करता है ; या

(v) रिजर्व बैंक की राय में वित्तीय या नीति विषयक विनिश्चयों को लेने में बैंककारी कंपनी पर महत्वपूर्ण प्रभाव का प्रयोग करता है ; या

(vi) बैंककारी कंपनी के क्रियाकलापों से आर्थिक फायदे अभिप्राप्त करने में समर्थ है।'।

10. मूल अधिनियम के भाग 2क के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— नए भाग 2कख का अंतःस्थापन।

"भाग 2कख

बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण

कतिपय मामलों में निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण।

36कगक. (1) जहां रिजर्व बैंक का, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में या किसी बैंककारी कंपनी के कामकाज को निक्षेपकर्ताओं या किसी बैंककारी कंपनी के हितों के लिए हानिकर किसी रीति से करने से निवारित करने के लिए या किसी बैंककारी कंपनी के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां रिजर्व बैंक, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, आदेश द्वारा, ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड को छह मास से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, अधिक्रांत कर सकेगा :

परंतु निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि को समय-समय पर इस प्रकार विस्तारित किया जा सकेगा, तथापि कुल अवधि बारह मास से अधिक की नहीं होगी।

(2) रिजर्व बैंक, उपधारा (1) के अधीन बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण पर केन्द्रीय सरकार के परामर्श से ऐसी अवधि के लिए जो वह अवधारित करे, ऐसे किसी प्रशासक को (जो केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार का कोई अधिकारी नहीं हो) नियुक्त कर सकेगा जिसके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखाकर्म में अनुभव हो।

(3) रिजर्व बैंक, प्रशासक को ऐसे निदेश जारी कर सकेगा जो वह उचित समझे और प्रशासक ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए आबद्ध होगा ।

(4) किसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण का आदेश किए जाने पर, कंपनी अधिनियम, 1956 में किसी बात के होते हुए भी,— 1956 का 1

(क) अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और अन्य निदेशक अधिक्रमण की तारीख से उस रूप में अपने पद रिक्त कर देंगे ;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका कंपनी अधिनियम, 1956 या इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से या ऐसी बैंककारी कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किसी संकल्प द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाता है, ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड को पुनर्गठित किए जाने तक उपधारा (2) के अधीन रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा : 1956 का 1

परंतु प्रशासक द्वारा प्रयोग की गई शक्ति, इस बात के होते हुए भी विधिमान्य होगी कि ऐसी शक्ति ऐसी बैंककारी कंपनी के साधारण अधिवेशन में पारित किसी संकल्प द्वारा प्रयोग किए जाने योग्य है ।

(5) रिजर्व बैंक, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्रशासक की उसके कर्तव्यों के निर्वहन में सहायता करने के लिए ऐसे तीन या अधिक व्यक्तियों की एक समिति का गठन कर सकेगा जिनके पास विधि, वित्त, बैंककारी, अर्थशास्त्र या लेखा-कर्म में अनुभव है ।

(6) समिति, ऐसे समय और स्थानों पर बैठक करेगी तथा प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जाएं ।

(7) प्रशासक और रिजर्व बैंक द्वारा उपधारा (5) के अधीन गठित समिति के सदस्यों के वेतन और भत्ते ऐसे होंगे जो रिजर्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं और संबंधित बैंककारी कंपनी द्वारा संदेय होंगे।

(8) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए आदेश में यथा विनिर्दिष्ट निदेशक बोर्ड के अधिक्रमण की अवधि के अवसान से पूर्व दो मास की समाप्ति पर या उसके पूर्व, बैंककारी कंपनी का प्रशासक, नए निदेशकों को निर्वाचित करने और निदेशक बोर्ड का पुनर्गठन करने के लिए कंपनी का साधारण अधिवेशन बुलाएगा ।

(9) किसी अन्य विधि, या किसी संविदा या ज्ञापन, संगम-अनुच्छेद में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति अपने पद की हानि या पर्यवसान के लिए किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

(10) उपधारा (2) के अधीन नियुक्त प्रशासक ऐसी बैंककारी कंपनी के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन के ठीक पश्चात् अपना पद रिक्त कर देगा ।"।

धारा 46 का संशोधन । **11.** मूल अधिनियम की धारा 46 में,—

(क) उपधारा (1) में "दंडनीय होगा तथा जुर्माने का भी दायी होगा" शब्दों के स्थान पर "या जुर्माने से जो एक करोड़ रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "दो हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "बीस लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "एक सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "पचास हजार रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (4) में,—

(i) "पचास हजार रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक करोड़ रुपए" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) "दो हजार पांच सौ रुपए" शब्दों के स्थान पर "एक लाख रुपए" शब्द रखे जाएंगे ।

12. मूल अधिनियम की धारा 47क की उपधारा (1) में,— धारा 47क का संशोधन।

(क) आरंभिक भाग में, "उपधारा (3) या उपधारा (4)" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर "उपधारा (2) या उपधारा (3) या उपधारा (4)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (क) और उपखंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(क) उस दशा में जिसमें उल्लंघन या व्यतिक्रम धारा 46 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रकार का है, प्रत्येक अपराध के संबंध में बीस लाख रुपए से अनधिक शास्ति और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है वहां अतिरिक्त शास्ति से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान, ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है, पचास हजार रुपए से अनधिक तक की हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा ;

(ख) उस दशा में, जिसमें उल्लंघन धारा 46 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रकार का है, उन निक्षेपों की जिनकी बाबत ऐसा उल्लंघन किया गया था, दुगुने से अनधिक रकम की शास्ति अधिरोपित कर सकेगा ;

(ग) उस दशा में, जिसमें उल्लंघन या व्यतिक्रम धारा 46 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रकार का है, एक करोड़ रुपए से या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम में अंतर्वलित रकम की दुगुनी रकम से जहां ऐसी रकम की परिगणना की जा सकती है, इनमें से जो भी अधिक हो, अनधिक शास्ति और जहां ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है वहां अतिरिक्त शास्ति से जो प्रथम दिन के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान, ऐसा उल्लंघन या व्यतिक्रम जारी रहता है एक लाख रुपए तक हो सकेगी, अधिरोपित कर सकेगा ।"।

13. मूल अधिनियम की धारा 51 की उपधारा (1) में, "धारा 30 की उपधारा (1ख), (1ग) और (2)" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षरों से पूर्व, "29क" अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे । धारा 51 का संशोधन।

14. मूल अधिनियम की धारा 56 में,— धारा 56 का संशोधन।

(क) धारा 18 के प्रतिस्थापन से संबंधित खंड (ञ) में,—

(अ) उपधारा (1) में,—

(i) "राज्य सहकारी बैंक" शब्दों के स्थान पर "सहकारी बैंक" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) '(जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक" कहा गया है)' कोष्ठक और शब्दों के स्थान पर '(जिसे इसमें इसके पश्चात् "अनुसूचित सहकारी बैंक" कहा गया है)' कोष्ठक और शब्द रखे जाएंगे;

(iii) "कम से कम तीन प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "ऐसे प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे; और

(iv) "इतनी राशि रखेगा" शब्दों के पश्चात् "जो रिजर्व बैंक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा देश में आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे," शब्द रखे जाएंगे ;

(आ) स्पष्टीकरण में,—

(I) खंड (क) में,—

(1) उपखंड (ii) में "विकास बैंक," शब्दों का लोप किया जाएगा;

(2) उपखंड (iii) और उपखंड (iv) में "राज्य सहकारी बैंक" शब्दों के स्थान पर "सहकारी बैंक" शब्द रखे जाएंगे ;

(II) खंड (ग) में, "तत्स्थानी नए बैंक" शब्दों के स्थान पर "तत्स्थानी नए बैंक या आई डी बी आई बैंक लि." शब्द रखे जाएंगे;

(इ) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधाराएं अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

"(1क) यदि किसी भी दिन कारबार बंद करने के समय बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के खंड (ग) के उपखंड (गगi) में निर्दिष्ट सहकारी बैंक द्वारा धारित अतिशेष, उपखंड (1) के अधीन विनिर्दिष्ट न्यूनतम से कम है तो ऐसा सहकारी बैंक, रिजर्व बैंक को तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस दिन के संबंध में उस रकम पर, जिससे ऐसा अतिशेष विनिर्दिष्ट न्यूनतम से कम पड़ता है, बैंक दर से तीन प्रतिशत अधिक की दर पर शास्तिक ब्याज का संदाय करने के लिए दायी होगा और यदि कमी आगे जारी रहती है तो इस प्रकार प्रभारित शास्तिक ब्याज में प्रत्येक ऐसे पश्चात्वर्ती दिन के सम्बन्ध में, जिसके दौरान व्यतिक्रम जारी रहता है, बैंक दर से पांच प्रतिशत अधिक की दर से वृद्धि की जाएगी। 1949 का

(1ख) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी यदि व्यतिक्रमी सहकारी बैंक द्वारा लिखित में किसी आवेदन पर रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यतिक्रमी सहकारी बैंक के पास उपधारा (1) के उपबंधों का अनुपालन करने में असफल रहने के लिए पर्याप्त कारण थे तो वह शास्तिक ब्याज के संदाय की मांग नहीं कर सकेगा ।

(1ग) रिजर्व बैंक, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विनिर्दिष्ट की जाएं, किसी सहकारी बैंक को इस धारा के उपबंधों से ऐसी छूटें प्रदान कर सकेगा जो वह उसके सभी या किन्हीं अधिकारियों के प्रतिनिर्देश से या उसकी संपूर्ण आस्तियों और दायित्वों या उसके किसी भाग के प्रतिनिर्देश से ठीक समझे।";

(ख) धारा 22 के उपांतरण से संबंधित खंड (ण) में,--

(अ) उपधारा (1) में,--

(i) खंड (क) का लोप किया जाएगा;

(ii) परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह और कि इस उपधारा की कोई बात, प्राथमिक उधार सोसाइटी को, जो बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व बैंककारी कारबार कर रही है, एक वर्ष की अवधि के लिए या तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी और अवधि के लिए जिसको रिजर्व बैंक लिखित में ऐसा करने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात् बढ़ा सके, लागू नहीं होगी ।";

(आ) उपधारा (2) में,--

(i) "प्रत्येक प्राथमिक उधार सोसाइटी जो ऐसे प्रारंभ के पश्चात् प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाती है, अपने इस प्रकार प्राथमिक सहकारी बैंक बन जाने की तारीख से तीन मास के अवसान के पूर्व" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक प्राथमिक उधार सोसाइटी जो बैंककारी विधि (संशोधन) अधिनियम, 2012 के प्रारंभ पर या उसके पूर्व प्राथमिक सहकारी बैंक हो गई थी, उस तारीख से, जिसको वह प्राथमिक सहकारी बैंक बनी थी, तीन मास के अवसान से पूर्व" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;

(ii) "किसी प्राथमिक उधार सोसाइटी से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(iii) परंतुक में,—

(क) खंड (ii) में, "किसी सहकारी बैंक को; या" शब्दों के स्थान पर "किसी सहकारी बैंक को," शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (iii) का लोप किया जाएगा;

(ग) धारा 24 के उपांतरण से संबंधित खंड (थ) में,—

(क) उपखंड (i) का लोप किया जाएगा;

(ख) उपखंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ii) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

1934 का 2 "(2क) कोई अनुसूचित सहकारी बैंक, उस औसत दैनिक अतिशेष के अतिरिक्त जो वह भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 के अधीन रखने के लिए अपेक्षित है, या जिसको रखे जाने की अपेक्षा की जाए और प्रत्येक अन्य सहकारी बैंक, उस नकद आरक्षिती के अतिरिक्त, जो वह धारा 18 के अधीन रखने के लिए अपेक्षित है, भारत में ऐसी आस्तियों को रखेगा जिनका मूल्य द्वितीय पूर्ववर्ती पक्ष के अंतिम शुक्रवार को उसकी कुल मांग और समय दायित्वों के चालीस प्रतिशत से अनधिक की ऐसी प्रतिशतता से कम नहीं होगा जो रिजर्व बैंक समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसी आस्तियां ऐसे रूप और रीति से रखी जाएंगी जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए।" ';

(घ) खंड (दा) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(दाक) धारा 26क में, "बैंककारी कंपनी" शब्दों के स्थान पर "सहकारी बैंक" शब्द रखे जाएंगे;';

(ङ) खंड (ध) में, "धारा 29 और 30" शब्द और अंकों के स्थान पर, "धारा 29" शब्द और अंक रखे जाएंगे;

(च) खंड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(धक) धारा 30 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"30. (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां रिजर्व बैंक का यह समाधान हो जाता है कि लोक हित या सहकारी बैंक या उसके निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह किसी समय साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि किन्हीं ऐसे संव्यवहारों या संव्यवहारों के वर्ग के लिए या ऐसी अवधि या अवधियों के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, सहकारी बैंक के लेखाओं की अतिरिक्त संपरीक्षा संचालित की जाएगी और उसी या भिन्न आदेश द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी संपरीक्षा।

विधि के अधीन सम्यक् रूप से अर्हित किसी व्यक्ति को ऐसी संपरीक्षा किए जाने के लिए नियुक्त कर सकेगा और संपरीक्षक ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा तथा ऐसी संपरीक्षा की रिपोर्ट रिजर्व बैंक को देगा और उसकी एक प्रति सहकारी बैंक को अग्रेषित करेगा ।

(2) रिजर्व बैंक द्वारा किए गए आदेश में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त संपरीक्षा के व्यय या आनुषंगिक व्यय सहकारी बैंक द्वारा वहन किए जाएंगे ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट संपरीक्षक के पास ऐसी शक्तियां होंगी, वह ऐसे कृत्यों का प्रयोग करेगा जो उसमें विहित हों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा वह कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 1956 का 1 227 द्वारा कंपनियों के संपरीक्षकों पर अधिरोपित दायित्वों और शास्तियों के अधीन होगा और साथ ही सहकारी बैंक को स्थापित, गठित या बनाने वाली विधि द्वारा, जहां तक ऐसी विधि के उपबंध, कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के विस्तार तक असंगत नहीं हैं, नियुक्त संपरीक्षक, यदि कोई हों, पर अधिरोपित दायित्वों और शास्तियों के अधीन होंगे ।

(4) उपधारा (1) के अधीन आदेश में निर्दिष्ट मामलों के अतिरिक्त संपरीक्षक अपनी रिपोर्ट में निम्नलिखित कथन करेगा :—

(क) क्या उसके द्वारा अपेक्षित जानकारी और स्पष्टीकरण समाधानप्रद रूप में पाया गया है या नहीं;

(ख) क्या सहकारी बैंक के संव्यवहार, जो उसकी जानकारी में आए हैं, सहकारी बैंक की शक्तियों के भीतर हैं या नहीं;

(ग) क्या सहकारी बैंक के शाखा कार्यालयों से प्राप्त विवरणियों को अपनी संपरीक्षा के प्रयोजन के लिए पर्याप्त पाया गया है या नहीं;

(घ) क्या लाभ और हानि लेखा, ऐसे लेखा के अधीन अवधि के लिए सही अतिशेष या लाभ या हानि दर्शित करते हैं;

(ङ) कोई अन्य मामला जिस पर वह विचार करे कि रिजर्व बैंक और सहकारी बैंक के शेयर धारकों की जानकारी में लाना चाहिए ।" ।

अध्याय 3

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970

धारा 3 का संशोधन। **15.** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 1970 का 5 3 में,—

(क) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड़ रुपए होगी जो दस-दस रुपए के तीन सौ करोड़ पूर्णतः समादत्त शेयरों में विभाजित होगी:

परंतु तत्स्थानी नए बैंक, शेयरों के अभिहित या अंकित मूल्य में कमी कर सकेगा और प्राधिकृत पूंजी को ऐसे अभिधान में विभाजित कर सकेगा जो वह रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से विनिश्चित करे:

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक के परामर्श से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा या घटा सकेगी जो वह ठीक समझे, तथापि, सभी मामलों में शेयर, पूर्णतः संदत्त शेयर होंगे ।";

(ख) उपधारा (2ख) के खंड (ग) में, "लोक निर्गमन" शब्दों के पश्चात् "या अधिकार निर्गमन या बोनस शेयरों के निर्गमन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2खख) में, "लोक निर्गमन" शब्दों के पश्चात् "या अधिकार निर्गमन या बोनस शेयरों के निर्गमन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) उपधारा (2खखक) के खंड (क) में, "लोक निर्गमन" शब्दों के पश्चात् "या अधिकार निर्गमन या बोनस शेयरों के निर्गमन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) उपधारा (2ग) में, "लोक निर्गमन" शब्दों के पश्चात् "या अधिकार निर्गमन या बोनस शेयरों के निर्गमन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(च) उपधारा (2ङ) में,—

(i) "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) दूसरे परंतुक में, "कोई अधिमानी शेयर धारक केवल अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के एक प्रतिशत से आधिक्य में उसके द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा ।" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार से भिन्न कोई अधिमानी शेयर धारक केवल अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के दस प्रतिशत के अतिरिक्त उसके द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 4

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980

1980 का 40 — **16.** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 में,— धारा 3 का संशोधन।

(क) उपधारा (2क) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(2क) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक तत्स्थानी नए बैंक की प्राधिकृत पूंजी तीन हजार करोड़ रुपए होगी जो दस-दस रुपए के तीन सौ करोड़ पूर्णतः समादत्त शेयरों में विभाजित होगी:

परंतु तत्स्थानी नए बैंक शेयरों के अभिहित या अंकित मूल्य में कमी कर सकेगा और प्राधिकृत पूंजी को ऐसे अभिधान में विभाजित कर सकेगा जो वह रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से विनिश्चित करे:

परंतु यह और कि केंद्रीय सरकार, रिजर्व बैंक के परामर्श से और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत पूंजी को बढ़ा या घटा सकेगी, जो वह ठीक समझे, तथापि, सभी मामलों में शेयर, पूर्णतः संदत्त शेयर होंगे ।";

(ख) उपधारा (2ख) के खंड (ग) में, "लोक निर्गमन" शब्दों के पश्चात् "या अधिकार निर्गमन या बोनस शेयरों के निर्गमन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ग) उपधारा (2खख) में, "लोक निर्गमन" शब्दों के पश्चात् "या अधिकार निर्गमन या बोनस शेयरों के निर्गमन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(घ) उपधारा (2खखक) के खंड (क) में, "लोक निर्गमन" शब्दों के पश्चात् "या अधिकार निर्गमन या बोनस शेयरों के निर्गमन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ङ) उपधारा (2ग) में, "लोक निर्गमन" शब्दों के पश्चात् "या अधिकार निर्गमन या बोनस शेयरों के निर्गमन द्वारा" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(च) उपधारा (2ङ) में,--

(i) "एक प्रतिशत" शब्दों के स्थान पर, "दस प्रतिशत" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) दूसरे परंतुक में "कोई अधिमानी शेयर धारक केवल अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के एक प्रतिशत से आधिक्य में उसके द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।" शब्दों के स्थान पर "केंद्रीय सरकार से भिन्न कोई अधिमानी शेयर धारक केवल अधिमानी शेयर पूंजी धारण करने वाले सभी शेयर धारकों के कुल मताधिकारों के दस प्रतिशत से आधिक्य में उसके द्वारा धारित अधिमानी शेयरों के संबंध में मताधिकार का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।" शब्द रखे जाएंगे ।

अध्याय 5

प्रकीर्ण

कतिपय अधिनियमितियों का संशोधन ।

17. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों को, उसके तीसरे स्तंभ में उल्लिखित विस्तार तक और रीति से संशोधित किया जाता है ।

अनुसूची
(धारा 17 देखिए)

क्र.सं.	संक्षिप्त नाम	संशोधन
1.	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (1872 का 9) किसी बैंक या वित्तीय संस्था के प्रत्याभूति करार की व्यावृत्ति।	धारा 28 में, अपवाद 2 के पश्चात् निम्नलिखित अपवाद अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— ''अपवाद 3—यह धारा ऐसी किसी लिखित संविदा को अवैध नहीं करेगी जिसके द्वारा किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा किसी प्रत्याभूति या प्रत्याभूति का उपबंध करने वाले किसी करार में, उस विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर, जो ऐसे पक्षकार के उक्त दायित्व से निर्वापन या उन्मोचन संबंधी विनिर्दिष्ट स्थिति के होने या न होने की तारीख से एक वर्ष से कम की नहीं है, ऐसी प्रत्याभूति या करार के अधीन या उसकी बाबत उसके किसी पक्षकार के अधिकारों का निर्वापन या किसी उन्मोचन करने संबंधी अवधि नियत की गई हो। स्पष्टीकरण— (i) अपवाद 3 में, ''बैंक'' पद से अभिप्रेत है— (क) कोई ''बैंककारी कंपनी'', जो बैंककारी 1949 का 10 विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित है; (ख) कोई ''तत्स्थानी नया बैंक'', जो बैंककारी 1949 का 10 विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (घक) में परिभाषित है; 1955 का 23 (ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन गठित ''भारतीय स्टेट बैंक''; (घ) कोई ''समनुषंगी बैंक'', जो भारतीय स्टेट 1959 का 38 बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (ट) में परिभाषित है; 1976 का 21 (ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन स्थापित ''प्रादेशिक ग्रामीण बैंक''; (च) कोई ''सहकारी बैंक'', जो बैंककारी 1949 का 10 विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगi) में परिभाषित है; (छ) कोई ''बहुराज्य सहकारी बैंक'', जो बैंककारी 1949 का 10 विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगiiiक) में परिभाषित है; और (ii) अपवाद 3 में ''वित्तीय संस्था'' पद से कंपनी 1956 का 1 अधिनियम, 1956 की धारा 4क के अर्थांतर्गत कोई लोक वित्तीय संस्था अभिप्रेत है।''।
2.	भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) किसी बैंक की शाखा का बैंक की पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन का या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्री कंपनी में अंतरण का शुल्क के लिए दायी न होना।	धारा 8घ के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— '8ङ इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी,— (क) भारतीय रिजर्व बैंक की स्कीम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार किसी बैंक की किसी शाखा का बैंक की पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्री कंपनी में अंतरण इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होगा; या

क्र॰सं॰	संक्षिप्त नाम	संशोधन	
		(ख) इस निमित्त भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी स्कीम या मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबंधनों के अनुसार किसी बैंक की शाखा का बैंक की पूर्णतया स्वामित्वाधीन समनुषंगी में संपरिवर्तन किए जाने या किसी बैंक की शेयरधारिता का बैंक की नियंत्री कंपनी को अंतरण किए जाने के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में कोई लिखत, जिसके अंतर्गत किसी संपत्ति, कारबार आस्ति, चाहे वह जंगम हो या स्थावर, संविदा, अधिकार, दायित्व और बाध्यता के अंतरण की या उससे संबंधित कोई लिखत भी है, इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन शुल्क के लिए दायी नहीं होगी।	
		स्पष्टीकरण—(i) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बैंक" पद से अभिप्रेत है—	
		(क) कोई "बैंककारी कंपनी", जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) में परिभाषित है;	1949 का 10
		(ख) कोई "तत्स्थानी नया बैंक", जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (घक) में परिभाषित है;	1949 का 10
		(ग) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अधीन गठित "भारतीय स्टेट बैंक";	1955 का 23
		(घ) कोई "समनुषंगी बैंक" जो भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 2 के खंड (ट) में परिभाषित है;	1959 का 38
		(ङ) प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन स्थापित "प्रादेशिक ग्रामीण बैंक";	1976 का 21
		(च) कोई "सहकारी बैंक", जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगi) में परिभाषित है;	1949 का 10
		(छ) कोई "बहुराज्य सहकारी बैंक", जो बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (गगiiiक) में परिभाषित है; और	1949 का 10
		(ii) इस धारा के प्रयोजनों के लिए "भारतीय रिजर्व बैंक" पद से भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय रिजर्व बैंक अभिप्रेत है।	1934 का 2
3.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2)	धारा 8 की उपधारा (4) में "और उसके पश्चात् जब तक उसका उत्तराधिकारी नामनिर्देशित नहीं कर दिया जाता तब तक के लिए पद धारण करेगा" के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात्:— "पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा: परन्तु ऐसा कोई सदस्य दो अवधियों, अर्थात् निरंतर या आंतरायिक रूप से, आठ वर्ष की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।"।	
4.	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2)	धारा 9 की उपधारा (3) में "और उसके पश्चात् जब तक उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा" के स्थान पर निम्नलिखित रखें, अर्थात्:— "पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा: परन्तु ऐसा कोई सदस्य दो अवधियों, अर्थात् निरन्तर या आंतरायिक रूप से, आठ वर्ष की अधिकतम अवधि से अधिक के लिए नियुक्त नहीं किया जाएगा।"।	

क्र॰सं॰	संक्षिप्त नाम	संशोधन
5.	राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63)	धारा 7 की उपधारा (3) में, "और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10)" शब्दों और अंकों का लोप करें।
6.	भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23)	धारा 12 में, "और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) " शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
7.	भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी) बैंक अधिनियम, 1959 (1959 का 38)	धारा 20 में, "और बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10)" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
8.	भाण्डागारण निगम अधिनियम, 1962 (1962 का 58)	धारा 5 में, "और बैंककारी कम्पनी अधिनियम, 1949 (1949 का 10)" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
9.	प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21)	धारा 7 में, "और उन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के प्रयोजनों के लिए भी अनुमोदित प्रतिभूतियां समझा जाएगा। " शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
10.	औद्योगिक वित्त निगम (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1993 (1993 का 23)	धारा 10 में, "और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10)" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
11.	औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक (उपक्रमों का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 1997 (1997 का 7)	धारा 11 में, "और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10)" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।
12.	भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) अधिनियम, 2002 (2002 का 58)	धारा 17 में, "और बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10)" शब्दों और अंकों का लोप किया जाएगा ।

महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 14)

[22 अप्रैल, 2013]

महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों के निवारण तथा प्रतितोषण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

लैंगिक उत्पीड़न के परिणामस्वरूप भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 15 के अधीन समता तथा संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्राण और गरिमा से जीवन व्यतीत करने के किसी महिला के मूल अधिकारों और किसी वृत्ति का व्यवसाय करने या कोई उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के अधिकार का, जिसके अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न से मुक्त सुरक्षित वातावरण का अधिकार भी है, उल्लंघन होता है;

और, लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण तथा गरिमा से कार्य करने का अधिकार, महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के विभेदों को दूर करने संबंधी अभिसमय जैसे अंतरराष्ट्रीय अभिसमयों और लिखतों द्वारा सर्वव्यापी मान्यताप्राप्त ऐसे मानवाधिकार हैं, जिनका भारत सरकार द्वारा 25 जून, 1993 को अनुसमर्थन किया गया है;

और, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं के संरक्षण के लिए उक्त अभिसमय को प्रभावी करने के लिए उपबंध करना समीचीन है।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''व्यथित महिला'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे नियोजित है या नहीं, जो प्रत्यर्थी द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य के करने का अभिकथन करती है;

(ii) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, किसी भी आयु की ऐसी महिला, जो ऐसे किसी निवास स्थान या गृह में नियोजित है;

(ख) ''समुचित सरकार'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) ऐसे कार्यस्थल के संबंध में, जो,—

(अ) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, केन्द्रीय सरकार;

(आ) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्तपोषित है, राज्य सरकार;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले और उसके राज्यक्षेत्र के भीतर आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, राज्य सरकार;

(ग) ''अध्यक्ष'' से धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) ''जिला अधिकारी'' से धारा 5 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) ''घरेलू कर्मकार'' से ऐसी कोई महिला अभिप्रेत है जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए, चाहे नकद या वस्तुरूप में, या तो सीधे या किसी अभिकरण के माध्यम से अस्थायी, स्थायी, अंशकालिक या पूर्णकालिक आधार पर नियोजित है किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के कुटुंब का कोई सदस्य नहीं है;

(च) ''कर्मचारी'' से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी कार्यस्थल पर किसी कार्य के लिए या तो सीधे या किसी अभिकर्ता के माध्यम से, जिसके अंतर्गत कोई ठेकेदार भी है, प्रधान नियोजक की जानकारी से या उसके बिना, नियमित, अस्थायी, तदर्थ या दैनिक मजदूरी के आधार पर, चाहे पारिश्रमिक पर या उसके बिना, नियोजित है या स्वैच्छिक आधार पर या अन्यथा कार्य कर रहा है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हैं या नहीं और इसके अंतर्गत कोई सहकर्मकार, कोई संविदा कर्मकार, परिवीक्षाधीन, शिक्षु, प्रशिक्षु या ऐसे किसी अन्य नाम से ज्ञात कोई व्यक्ति भी है;

(छ) ''नियोजक'' से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) समुचित सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण के किसी विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट के संबंध में, उस विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट का प्रधान या ऐसा अन्य अधिकारी जो, यथास्थिति, समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;

(ii) उपखंड (i) के अंतर्गत न आने वाले किसी कार्यस्थल के संबंध में, कार्यस्थल के प्रबंध, पर्यवेक्षण और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी कोई व्यक्ति।

स्पष्टीकरण—इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए, ''प्रबंध'' के अंतर्गत ऐसे संगठन के लिए नीतियों की विनिर्मिति और प्रशासन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति या बोर्ड या समिति भी है;

(iii) उपखंड (i) और उपखंड (ii) के अंतर्गत आने वाले कार्यस्थल के संबंध में, अपने कर्मचारियों के संबंध में संविदात्मक बाध्यताओं का निर्वहन करने वाला व्यक्ति;

(iv) किसी निवास स्थान या गृह के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति या गृहस्थी, जो ऐसे नियोजित कर्मकार की संख्या, समयावधि या प्रकार या नियोजन की प्रकृति या घरेलू कर्मकार द्वारा निष्पादित कार्यकलापों का विचार किए बिना, घरेलू कर्मकार को नियोजित करता है या उसके नियोजन से फायदा प्राप्त करता है;

(ज) ''आंतरिक समिति'' से धारा 4 के अधीन गठित आंतरिक परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(छ) ''स्थानीय समिति'' से धारा 6 के अधीन गठित स्थानीय परिवाद समिति अभिप्रेत है;

(ज) ''सदस्य'' से, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति का कोई सदस्य अभिप्रेत है;

(ट) ''विहित'' से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ठ) ''पीठासीन अधिकारी'' से धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया गया आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है;

(ड) ''प्रत्यर्थी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है;

(ढ) ''लैंगिक उत्पीड़न'' के अन्तर्गत निम्नलिखित कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार (चाहे प्रत्यक्ष रूप से या विवक्षित रूप से) हैं, अर्थात्:—

(i) शारीरिक संपर्क और अग्रगमन; या

(ii) लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना; या

(iii) लैंगिक अत्युक्त टिप्पणियां करना; या

(iv) अश्लील साहित्य दिखाना; या

(v) लैंगिक प्रकृति का कोई अन्य अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना;

(ण) ''कार्यस्थल'' के अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं—

(i) ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट, जो समुचित सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी सरकारी कम्पनी या निगम या

सहकारी सोसाइटी द्वारा स्थापित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या पूर्णतः या सारतः, उसके द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित की जाती है;

(ii) कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन या प्राइवेट उद्यम, उपक्रम, उद्यम, संस्था, स्थापन, सोसाइटी, न्यास, गैर-सरकारी संगठन, यूनिट या सेवा प्रदाता, जो वाणिज्यिक, वृत्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है, जिनके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाय, विक्रय, वितरण या सेवा भी है;

(iii) अस्पताल या परिचर्या गृह;

(iv) प्रशिक्षण, खेलकूद या उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त, कोई खेलकूद संस्थान, स्टेडियम, खेलकूद प्रक्षेत्र या प्रतिस्पर्धा या क्रीड़ा का स्थान, चाहे आवासीय है या नहीं;

(v) नियोजन से उद्‌भूत या उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत ऐसी यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध कराया गया परिवहन भी है;

(vi) कोई निवास स्थान या कोई गृह;

(त) किसी कार्यस्थल के संबंध में, "असंगठित सेक्टर" से ऐसा कोई उद्यम अभिप्रेत है, जो व्यष्टियों या स्वनियोजित कर्मकारों के स्वामित्वाधीन है और किसी प्रकार के माल के उत्पादन या विक्रय अथवा सेवा प्रदान करने में लगा हुआ है और जहां उद्यम, कर्मकारों को नियोजित करता है, वहां ऐसे कर्मकारों की संख्या दस से अन्यून है।

लैंगिक उत्पीड़न का निवारण।

3. (1) किसी भी महिला का किसी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा।

(2) अन्य परिस्थितियों में निम्नलिखित परिस्थितियां, यदि वे लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य या आचरण के संबंध में होती हैं या विद्यमान हैं या उससे संबद्ध हैं, तो लैंगिक उत्पीड़न की कोटि में आ सकेंगी:—

(i) उसके नियोजन में अधिमानी व्यवहार का विवक्षित या सुस्पष्ट वचन देना; या

(ii) उसके नियोजन में अहितकर व्यवहार की विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iii) उसके वर्तमान या भावी नियोजन की प्रास्थिति के बारे में विवक्षित या सुस्पष्ट धमकी देना; या

(iv) उसके कार्य में हस्तक्षेप करना या उसके लिए अभित्रासमय या संतापकारी या प्रतिकूल कार्य वातावरण सृजित करना; या

(v) उसके स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने की संभावना वाला अपमानजनक व्यवहार करना।

अध्याय 2

आंतरिक परिवाद समिति का गठन

आंतरिक परिवाद समिति का गठन।

4. (1) किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक, लिखित आदेश द्वारा, "आंतरिक परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा:

परंतु जहां कार्यस्थल के कार्यालय या प्रशासनिक यूनिटें, भिन्न-भिन्न स्थानों या खंड या उपखंड स्तर पर अवस्थित हैं, वहां आंतरिक समिति सभी प्रशासनिक यूनिटों या कार्यालयों में गठित की जाएगी।

---

(2) आंतरिक समिति, नियोजक द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) एक पीठासीन अधिकारी, जो कर्मचारियों में से कार्यस्थल पर ज्येष्ठ स्तर पर नियोजित महिला होगी :

परंतु किसी ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी के उपलब्ध नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों से नामनिर्देशित किया जाएगा:

परंतु यह और कि कार्यस्थल के अन्य कार्यालयों या प्रशासनिक यूनिटों में ज्येष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी नहीं होने की दशा में, पीठासीन अधिकारी, उसी नियोजक या अन्य विभाग या संगठन के किसी अन्य कार्यस्थल से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(ख) कर्मचारियों में से दो से अन्यून ऐसे सदस्य, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति अधिमानी रूप से प्रतिबद्ध हैं या जिनके पास सामाजिक कार्य में अनुभव है या विधिक ज्ञान है;

(ग) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से ऐसा एक सदस्य जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध है या ऐसा कोई व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित मुद्दों से सुपरिचित है:

परंतु इस प्रकार नामनिर्देशित कुल सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्य महिलाएं होंगी।

(3) आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी और प्रत्येक सदस्य अपने नामनिर्देशन की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो नियोजक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(4) गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से नियुक्त किए गए सदस्य को आंतरिक समिति की कार्यवाहियां करने के लिए नियोजक द्वारा ऐसी फीसें या भत्ते, जो विहित किए जाएं, संदत्त किए जाएंगे।

(5) जहां आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका पद पर बने रहना लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे पीठासीन अधिकारी या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी अन्य आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन द्वारा भरा जाएगा।

अध्याय 3

स्थानीय परिवाद समिति का गठन

जिला अधिकारी की अधिसूचना।

5. समुचित सरकार, इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग करने या कृत्यों का निर्वहन करने के लिए किसी जिला मजिस्ट्रेट या अपर जिला मजिस्ट्रेट या कलक्टर या उप कलक्टर को प्रत्येक जिले के लिए जिला अधिकारी के रूप में अधिसूचित कर सकेगी।

स्थानीय परिवाद समिति का गठन और उसकी अधिकारिता।

6. (1) प्रत्येक जिला अधिकारी, संबंधित जिले में, ऐसे स्थापनों से जहां दस से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं की गई है या यदि परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध है, वहां लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद ग्रहण करने के लिए "स्थानीय परिवाद समिति" नामक एक समिति का गठन करेगा।

(2) जिला अधिकारी, ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुका और तहसील में और शहरी क्षेत्र में वार्ड या नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और सात दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को पदाभिहित करेगा।

(3) स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार जिले के उन क्षेत्रों पर होगा, जहां वह गठित की गई है।

स्थानीय परिवाद समिति की संरचना, सेवाधृति और अन्य निबंधन तथा शर्तें।

7. (1) स्थानीय परिवाद समिति, जिला अधिकारी द्वारा नामनिर्देशित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) अध्यक्ष, जो सामाजिक कार्य के क्षेत्र में प्रख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ख) एक सदस्य, जो जिले में ब्लॉक, ताल्लुका या तहसील या वार्ड या नगरपालिका में कार्यरत महिलाओं में से नामनिर्दिष्ट की जाएगी;

(ग) दो सदस्य, जिनमें से कम से कम एक महिला होगी, जो महिलाओं की समस्याओं के प्रति प्रतिबद्ध ऐसे गैर-सरकारी संगठनों या संगमों में से या ऐसा व्यक्ति, जो लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित ऐसे मुद्दों से सुपरिचित हो जो विहित किए जाएं, नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे:

परंतु कम से कम एक नामनिर्देशिती के पास, अधिमानी रूप से विधि की पृष्ठभूमि या विधिक ज्ञान होना चाहिए:

परंतु यह और कि कम से कम एक नामनिर्देशिती, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़े वर्गों या केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय की महिला होगी;

(घ) जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित संबद्ध अधिकारी, सदस्य पदेन होगा।

(2) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य, अपनी नियुक्ति की तारीख से तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए पद धारण करेगा, जो जिला अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए।

(3) जहां स्थानीय परिवाद समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य,—

(क) धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करता है; या

(ख) किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है या उसके विरुद्ध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी अपराध की कोई जांच लंबित है; या

(ग) किन्हीं अनुशासनिक कार्यवाहियों में दोषी पाया गया है या उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही लंबित है; या

(घ) अपनी हैसियत का इस प्रकार दुरुपयोग करता है, जिससे उसका अपने पद पर बने रहना लोकहित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला हो गया है,

वहां, यथास्थिति, ऐसे अध्यक्ष या सदस्य को समिति से हटा दिया जाएगा और इस प्रकार सृजित रिक्ति या किसी आकस्मिक रिक्ति को इस धारा के उपबंधों के अनुसार नए नामनिर्देशन से भरा जाएगा।

(4) स्थानीय समिति का अध्यक्ष और उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (घ) के अधीन नामनिर्दिष्ट सदस्यों से भिन्न सदस्य स्थानीय समिति की कार्यवाहियां करने के लिए ऐसी फीसों या भत्तों के लिए, जो विहित किए जाएं, हकदार होंगे।

8. (1) केंद्रीय सरकार, संसद् द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, राज्य सरकार को धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए उपयोग किए जाने के लिए ऐसी धनराशियों के, जो केंद्रीय सरकार ठीक समझे, अनुदान दे सकेगी। अनुदान और संपरीक्षा।

(2) राज्य सरकार, एक अभिकरण की स्थापना कर सकेगी और उस अभिकरण को उपधारा (1) के अधीन किए गए अनुदान अंतरित कर सकेगी।

(3) अभिकरण, जिला अधिकारी को ऐसी राशियों का, जो धारा 7 की उपधारा (4) में निर्दिष्ट फीसों या भत्तों के संदाय के लिए अपेक्षित हों, संदाय करेगा।

(4) उपधारा (2) में निर्दिष्ट अभिकरण के लेखाओं को ऐसी रीति से रखा और संपरीक्षित किया जाएगा, जो राज्य के महालेखाकार के परामर्श से विहित की जाए और अभिकरण के लेखाओं को अभिरक्षा में रखने वाला व्यक्ति, ऐसी तारीख से पूर्व, जो विहित की जाए, राज्य सरकार को लेखाओं की संपरीक्षित प्रति, उस पर संपरीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4

परिवाद

9. (1) कोई व्यथित महिला, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद, घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर और श्रृंखलाबद्ध घटनाओं की दशा में अंतिम घटना की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर, लिखित में, आंतरिक समिति को, यदि इस प्रकार गठित की गई है या यदि इस प्रकार गठित नहीं की गई है तो स्थानीय समिति को कर सकेगी : लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद।

परंतु जहां ऐसा परिवाद, लिखित में नहीं किया जा सकता है वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी या कोई सदस्य, या स्थानीय समिति का अध्यक्ष या कोई सदस्य, महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा :

परंतु यह और कि, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से तीन मास से अनधिक की समय-सीमा को विस्तारित कर सकेगी, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिस्थितियां ऐसी थीं, जिसने महिला को उक्त अवधि के भीतर परिवाद फाइल करने से निवारित किया था।

(2) जहां व्यथित महिला, अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता या मृत्यु के कारण या अन्यथा परिवाद करने में असमर्थ है वहां उसका विधिक वारिस या ऐसा अन्य व्यक्ति, जो विहित किया जाए, इस धारा के अधीन परिवाद कर सकेगा।

10. (1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, धारा 11 के अधीन जांच आरंभ करने से पूर्व और व्यथित महिला के अनुरोध पर, सुलह के माध्यम से उसके और प्रत्यर्थी के बीच मामले को निपटाने के उपाय कर सकेगी : सुलह।

परंतु कोई धनीय समझौता, सुलह के आधार के रूप में नहीं किया जाएगा।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समझौता हो गया है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, इस प्रकार किए गए समझौते को अभिलिखित करेगी और उसको नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी कार्रवाई, जो सिफारिश में विनिर्दिष्ट की जाए, करने के लिए भेजेगी।

(3) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, उपधारा (2) के अधीन अभिलिखित किए गए समझौते की प्रतियां व्यथित महिला और प्रत्यर्थी को उपलब्ध कराएगी।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई समाधान हो जाता है, वहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा कोई और जांच नहीं की जाएगी।

परिवाद की जांच।

11. (1) धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, वहां प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार और जहां ऐसे कोई नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, परिवाद की जांच करने की कार्यवाही करेगी या किसी घरेलू कर्मकार की दशा में, स्थानीय समिति, यदि प्रथमदृष्ट्या मामला विद्यमान है, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और जहां लागू हो, वहां उक्त संहिता के किन्हीं अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन मामला रजिस्टर करने के लिए सात दिन की अवधि के भीतर पुलिस को परिवाद भेजेगी: 1860 का 45

परंतु जहां व्यथित महिला, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचित करती है कि धारा 10 की उपधारा (2) के अधीन किए गए समझौते के किसी निबंधन या शर्त का प्रत्यर्थी द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है, वहां आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, यथास्थिति, परिवाद की जांच करने के लिए कार्यवाही करेगी या पुलिस को परिवाद भेजेगी :

परंतु यह और कि जहां दोनों पक्षकार कर्मचारी हैं, वहां पक्षकारों को, जांच के अनुक्रम के दौरान, सुनवाई का अवसर दिया जाएगा और निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को, समिति के समक्ष निष्कर्षों के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध कराई जाएगी।

(2) भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, जब प्रत्यर्थी को अपराध का सिद्धदोष ठहराया जाता है, तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का, जो वह समुचित समझे, आदेश कर सकेगा। 1860 का 45

(3) उपधारा (1) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और उसको हाजिर कराना तथा उसकी शपथ पर परीक्षा करना;

(ख) किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण और पेश किए जाने की अपेक्षा करना;

(ग) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1) के अधीन जांच, नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरी की जाएगी।

अध्याय 5

परिवाद की जांच

जांच लंबित रहने के दौरान कार्रवाई।

12. (1) जांच लंबित रहने के दौरान, व्यथित महिला द्वारा किए गए लिखित अनुरोध पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, नियोजक को निम्नलिखित सिफारिश कर सकेगी,—

(क) व्यथित महिला या प्रत्यर्थी का किसी अन्य कार्यस्थल पर स्थानान्तरण करना; या

(ख) व्यथित महिला को तीन मास तक की अवधि की छुट्टी अनुदान करना; या

(ग) व्यथित महिला को ऐसी अन्य राहत, जो विहित की जाए, प्रदान करना ।

(2) इस धारा के अधीन व्यथित महिला को अनुदत्त छुट्टी ऐसी छुट्टी के अतिरिक्त होगी, जिसके लिए वह अन्यथा हकदार होगी।

(3) उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिश पर, नियोजक, उपधारा (1) के अधीन की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करेगा और ऐसे कार्यान्वयन की रिपोर्ट, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को भेजेगा।

च रिपोर्ट।

13. (1) इस अधिनियम के अधीन जांच के पूरा होने पर, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति अपने निष्कर्षों की एक रिपोर्ट, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को जांच के पूरा होने की तारीख से दस दिन की अवधि के भीतर उपलब्ध कराएगी और ऐसी रिपोर्ट संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई जाएगी।

---

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित नहीं किया गया है वहां, वह, नियोजक और जिला अधिकारी को यह सिफारिश करेगी कि मामले में किसी कार्रवाई का किया जाना अपेक्षित नहीं है।

(3) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन साबित हो गया है, वहां, वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी से निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगी,—

(i) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार कदाचार के रूप में या जहां, ऐसे सेवा नियम नहीं बनाए गए हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, लैंगिक उत्पीड़न के लिए कार्रवाई करने;

(ii) प्रत्यर्थी को लागू सेवा नियमों में किसी बात के होते हुए भी, प्रत्यर्थी के वेतन या मजदूरी से व्यथित महिला को या उसके विधिक वारिसों को संदत्त की जाने वाली ऐसी राशि की जो वह समुचित समझे, कटौती करने, जो धारा 15 के उपबंधों के अनुसार वह अवधारित करे:

परंतु यदि नियोजक प्रत्यर्थी के कर्तव्य से अनुपस्थित रहने या नियोजन के समाप्त हो जाने के कारण उसके वेतन से ऐसी कटौती करने में असमर्थ है तो वह प्रत्यर्थी को, व्यथित महिला को ऐसी राशि का संदाय करने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यह और कि यदि प्रत्यर्थी, खंड (ii) में निर्दिष्ट राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, संबंधित जिला अधिकारी को भू-राजस्व के बकाया के रूप में राशि की वसूली के लिए आदेश अग्रेषित कर सकेगी।

(4) नियोजक या जिला अधिकारी, उसके द्वारा सिफारिश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर उस पर कार्रवाई करेगा।

मिथ्या या द्वेषपूर्ण परिवाद और मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड।

14. (1) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध अभिकथन द्वेषपूर्ण है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने परिवाद को मिथ्या जानते हुए किया है या व्यथित महिला या परिवाद करने वाले किसी अन्य व्यक्ति ने कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज पेश किया है तो वह, यथास्थिति, नियोजक या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने, यथास्थिति, धारा 9 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन परिवाद किया है, उसको लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी :

परंतु किसी परिवाद को सिद्ध करने या पर्याप्त सबूत उपलब्ध कराने में केवल असमर्थता, इस धारा के अधीन परिवादी के विरुद्ध कार्रवाई आकर्षित नहीं करेगी :

परंतु यह और कि किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पूर्व, विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के पश्चात् परिवादी की ओर से द्वेषपूर्ण आशय सिद्ध किया जाएगा।

(2) जहां, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जांच के दौरान किसी साक्षी ने मिथ्या साक्ष्य दिया है या कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज दिया है, वहां वह, यथास्थिति, साक्षी के नियोजक या जिला अधिकारी को, उक्त साक्षी को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कार्रवाई करने की सिफारिश कर सकेगी।

प्रतिकर का अवधारण

15. धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (ii) के अधीन व्यथित महिला को संदत्त की जाने वाली राशियों का अवधारण करने के प्रयोजन के लिए, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी,—

(क) व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावात्मक कष्ट;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की हानि;

(ग) पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनश्चिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय;

(घ) प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत;

(ङ) एकमुश्त या किस्तों में ऐसे संदाय की साध्यता।

परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने का प्रतिषेध।

16. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में किसी बात के होते हुए भी, धारा 9 के अधीन किए गए परिवाद की अंतर्वस्तुओं, व्यथित महिला, प्रत्यर्थी और साक्षियों की पहचान और पते, सुलह और जांच कार्यवाहियों से संबंधित किसी जानकारी, यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति की सिफारिशों तथा इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन नियोजक या जिला अधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई को, किसी भी रीति से, प्रकाशित, प्रेस और मीडिया को संसूचित या सार्वजनिक नहीं किया जाएगा : 2005 का 22

परंतु इस अधिनियम के अधीन लैंगिक उत्पीड़न की किसी पीड़ित को सुनिश्चित न्याय के संबंध में जानकारी का, व्यथित महिला और साक्षियों के नाम, पते या पहचान या उनकी पहचान को प्रकल्पित करने वाली किन्हीं अन्य विशिष्टियों को प्रकट किए बिना, प्रसार किया जा सकेगा।

परिवाद की अंतर्वस्तुओं और जांच कार्यवाहियों के प्रकाशन या सार्वजनिक करने के लिए शास्ति।

17. जहां कोई व्यक्ति, जिसको इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन परिवाद, जांच या किन्हीं सिफारिशों या की जाने वाली कार्रवाई का संचालन करने या उस पर कार्यवाही करने का कर्तव्य सौंपा गया है, धारा 16 के उपबंधों का उल्लंघन करेगा, वहां वह, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, शास्ति के लिए दायी होगा।

अपील।

18. (1) धारा 13 की उपधारा (2) के अधीन या धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) या खंड (ii) या धारा 14 की उपधारा (1) या उपधारा (2) या धारा 17 के अधीन की गई सिफारिशों या ऐसी सिफारिशों को कार्यान्वित न किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, उक्त व्यक्ति को लागू सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार न्यायालय या अधिकरण को अपील कर सकेगा या जहां ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं हैं, वहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, अपील कर सकेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन अपील, सिफारिशों के नब्बे दिन की अवधि के भीतर की जाएगी।

अध्याय 6

नियोजक के कर्तव्य

नियोजक के कर्तव्य।

19. प्रत्येक नियोजक,—

(क) कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों से सुरक्षा भी है;

(ख) लैंगिक उत्पीड़न के शास्तिक परिणाम; और धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाले आदेश को कार्यस्थल में किसी सहजदृश्य स्थान पर प्रदर्शित करेगा;

(ग) अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए नियमित अंतरालों पर कार्यशालाएं और जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, आयोजित करेगा;

(घ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्यवाही करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगा;

(ङ) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यर्थी और साक्षियों की हाजिरी सुनिश्चित करने में सहायता करेगा;

(च) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराएगा, जो धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो;

1860 का 45 (छ) महिला को, यदि वह भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद फाइल करना, चयन करती है, सहायता प्रदान करेगा;

(ज) ऐसे कार्यस्थल में, जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई थी, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है, जहां अपराधकर्ता कोई कर्मचारी नहीं है,
1860 का 14 भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कार्रवाई आरंभ करवाएगा;

(झ) लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा और ऐसे कदाचार के लिए कार्रवाई आरंभ करेगा;

(ञ) आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा।

अध्याय 7

जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां

20. जिला अधिकारी,— जिला अधिकारी के कर्तव्य और शक्तियां।

(क) स्थानीय समिति द्वारा दी गई रिपोर्टों को समय से प्रस्तुत किए जाने को मानिटर करेगा;

(ख) ऐसे उपाय करेगा, जो लैंगिक उत्पीड़न और महिलाओं के अधिकारों के संबंध में जानकारी सृजित करने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को लगाने के लिए आवश्यक हों।

अध्याय 8

प्रकीर्ण

21. (1) यथास्थिति, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, प्रत्येक कलैंडर वर्ष में, ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विहित किया जाए, एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको नियोजक तथा जिला अधिकारी को प्रस्तुत करेगी। समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना।

(2) जिला अधिकारी, उपधारा (1) के अधीन प्राप्त वार्षिक रिपोर्टों पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजेगा।

22. नियोजक, अपनी रिपोर्ट में फाइल किए गए मामलों, यदि कोई हों, और अपने संगठन की वार्षिक रिपोर्ट में इस अधिनियम के अधीन उनके निपटारे की संख्या को सम्मिलित करेगा या जहां ऐसी रिपोर्ट तैयार किए जाने की अपेक्षा नहीं की गई है, वहां ऐसे मामलों की संख्या, यदि कोई हो, जिला अधिकारी को सूचित करेगा। नियोजक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट में जानकारी का सम्मिलित किया जाना।

23. समुचित सरकार इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मानिटरी करेगी और कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के फाइल किए गए और निपटाए गए सभी मामलों की संख्या से संबंधित आंकड़े रखेगी। समुचित सरकार द्वारा कार्यान्वयन की मानिटरी और आंकड़े रखा जाना।

24. समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता के अधीन रहते हुए:— समुचित सरकार द्वारा अधिनियम के प्रचार के लिए उपाय किया जाना।

(क) कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण के लिए उपबंध करने वाले इस अधिनियम के उपबंधों के बारे में जनता की समझ बढ़ाने के लिए सुसंगत सूचना, शिक्षा, संसूचना और प्रशिक्षण सामग्रियां विकसित कर सकेगी और जानकारी कार्यक्रम आयोजित कर सकेगी;

(ख) स्थानीय परिवाद समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास और प्रशिक्षण कार्यक्रम निश्चित कर सकेगी।

सूचना मांगने और अभिलेखों का निरीक्षण करने की शक्ति।

25. (1) समुचित सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोक हित में या कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है, लिखित आदेश द्वारा,—

(क) किसी नियोजक या जिला अधिकारी से लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना जो उसको अपेक्षित हो प्रस्तुत, करने की मांग कर सकेगी;

(ख) किसी ऐसे अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेखों और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगी, जो उसको ऐसी अवधि के भीतर, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे निरीक्षण की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(2) प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी, मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष, उसकी अभिरक्षा में ऐसी सभी सूचनाओं, अभिलेखों और अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करेंगे, जो ऐसे निरीक्षण की विषय-वस्तु से संबंधित हैं।

अधिनियम के उपबंधों के अननुपालन के लिए शास्ति।

26. (1) जहां कोई नियोजक,—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन एक आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहेगा;

(ख) धारा 13, धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहेगा; और

(ग) इस अधिनियम के अन्य उपबंधों या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयास करेगा या उनके उल्लंघन को दुष्प्रेरित करेगा,

वहां वह, ऐसे जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा।

(2) यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने के पश्चात् उसी अपराध को करता है और सिद्धदोष ठहराया जाता है तो वह,—

(i) उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए, पूर्ववर्ती सिद्धदोष ठहराए जाने पर अधिरोपित दंड से दुगुने दंड का दायी होगा:

परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए, जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है, कोई उच्चतर दंड विहित है तो न्यायालय दंड देते समय उसका सम्यक् संज्ञान लेगा;

(ii) सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा उसके कारबार या क्रियाकलाप को चलाने के लिए अपेक्षित, यथास्थिति, उसकी अनुज्ञप्ति के रद्द किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किए जाने या नवीकरण या अनुमोदन न किए जाने या रद्दकरण के लिए दायी होगा।

न्यायालयों द्वारा अपराध का संज्ञान।

27. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, व्यथित महिला या आंतरिक समिति अथवा स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा परिवाद किए जाने के सिवाय न करेगा।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध असंज्ञेय होगा।

अधिनियम का किसी अन्य विधि के अल्पीकरण में न होना।

28. इस अधिनियम के उपबंध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति।

29. (1) केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्:—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें या भत्ते;

(ख) धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सदस्यों का नामनिर्देशन;

(ग) धारा 7 की उपधारा (4) के अधीन अध्यक्ष और सदस्यों को संदत्त की जाने वाली फीसें या भत्ते;

(घ) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन परिवाद कर सकेगा;

(ङ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन जांच की रीति;

(च) धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (ग) के अधीन जांच करने की शक्तियां;

(छ) धारा 12 की उपधारा (1) के खंड (ग) के अधीन सिफारिश की जाने वाली राहत;

(ज) धारा 13 की उपधारा (3) के खंड (i) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(झ) धारा 14 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन की जाने वाली कार्रवाई की रीति;

(ञ) धारा 17 के अधीन की जाने वाली कार्रवाई करने की रीति;

(ट) धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन अपील की रीति;

(ठ) धारा 19 के खंड (ग) के अधीन कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं, जानकारी कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित करने की रीति; और

(ड) धारा 21 की उपधारा (1) के अधीन आंतरिक समिति और स्थानीय समिति द्वारा वार्षिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए प्ररूप और समय।

(3) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। किंतु नियम के इस प्रकार परिवर्तित या निष्प्रभाव हाने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(4) किसी राज्य सरकार द्वारा धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन बनाया गया कोई नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, जहां राज्य विधान-मंडल के दो सदन हैं, वहां प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां ऐसे विधान-मंडल का एक सदन है, वहां उस सदन के समक्ष रखा जाएगा।

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हों : कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013

(2013 का अधिनियम संख्यांक 23)

[18 सितम्बर, 2013]

पेंशन निधियों की स्कीमों के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करने के लिए पेंशन निधियों को स्थापित, विकसित और विनियमित करके वार्धक्य आय प्रतिभूति का संवर्धन करने हेतु एक प्राधिकरण की स्थापना के लिए तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे :

परंतु इस अधिनियम के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और किसी ऐसे उपबंध में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं । 2. (1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्राधिकरण" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(ख) "केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण" से अभिलेखपालन, लेखा, प्रशासन और स्कीमों के अभिदाताओं के लिए ग्राहक सेवा के कृत्यों के पालन के लिए धारा 27 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई अभिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "अध्यक्ष" से प्राधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है;

(घ) "दस्तावेज" के अंतर्गत अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम द्वारा या एक से अधिक उन माध्यमों द्वारा किसी पदार्थ पर मुद्रित या इलैक्ट्रानिक रूप में लिखित, अभिव्यक्त या वर्णित कोई विषय--वस्तु सम्मिलित है, जो उस विषय-वस्तु के अभिलेखन के प्रयोजन के लिए अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से संबद्ध प्राधिकरण या किसी मध्यवर्ती या किसी अन्य अस्तित्व द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए आशयित है या प्रयुक्त की जा सकेगी;

(ङ) "व्यष्टि पेंशन लेखा" से, राष्ट्रीय पेंशन स्कीम के अधीन निबन्धनों और शर्तों को उपवर्णित करते हुए किसी संविदा के द्वारा निष्पादित किसी अभिदाता का कोई लेखा अभिप्रेत है ;

(च) "अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण" से संकल्प संख्या एफ॰ सं0 5/7/2003-ईसीबी एंड पी आर, तारीख 10 अक्तूबर, 2003 और एफ॰ सं॰ 1(6)/2007-पी आर, तारीख 14 नवम्बर, 2008 के माध्यम से केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है ;

(छ) "मध्यवर्ती" में पेंशन निधि, केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास, पेंशन निधि सलाहकार, सेवानिवृत्ति सलाहकार, उपस्थिति अस्तित्व और ऐसा अन्य व्यक्ति या अस्तित्व सम्मिलित हैं जो संग्रहण, प्रबन्धन, अभिलेखपालन और संचयों के वितरण से संबंधित हैं ;

(ज) "सदस्य" से प्राधिकरण का कोई सदस्य अभिप्रेत है और जिसमें उसका अध्यक्ष सम्मिलित है ;

(झ) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" से धारा 20 में निर्दिष्ट अभिदायी पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है जिसके द्वारा उपस्थिति अस्तित्व की प्रणाली, केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण और विनियमों द्वारा यथाविनिर्दिष्ट संदायों के लिए पेंशन निधियों द्वारा संचयों का उपयोग करते हुए अभिदाता से अभिदाय संगृहीत किए जाते हैं और किसी व्यष्टि पेंशन लेखा में संचित किए जाते हैं ;

(ञ) "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास" से वह न्यासी बोर्ड अभिप्रेत है जो अभिदाताओं के फायदे के लिए उनकी आस्तियां धारित करता है ;

(ट) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है ;

(ठ) "पेंशन निधि" से कोई मध्यवर्ती अभिप्रेत है जिसे, ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिदाय प्राप्त करने, उनका संचयन करने और अभिदाता को संदाय करने के लिए प्राधिकरण द्वारा धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र प्रदान किया गया है;

(ड) "पेंशन विनियामक और विकास निधि" से धारा 40 की उपधारा (1) के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है ;

(ढ) "उपस्थिति अस्तित्व" से कोई मध्यवर्ती अभिप्रेत है जो धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन उपस्थिति अस्तित्व के रूप में प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकृत है और जो निधियों और अनुदेशों को प्राप्त करने और उनका पारेषण करने तथा निधियों में से उनका संदाय करने के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के साथ इलेक्ट्रानिक संयोजकता रखने में समर्थ है ;

(ण) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(त) "विनियमित आस्तियों" से केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के स्वामित्वाधीन, पट्टाधृत और उसके द्वारा विकसित आस्तियां और सम्पत्तियां, मूर्त और अमूर्त दोनों तथा उसके अन्य अधिकार अभिप्रेत हैं ;

(थ) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;

(द) "स्कीम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पेंशन निधि की कोई स्कीम अभिप्रेत है ;

(ध) "प्रतिभूति अपील अधिकरण" से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
1992 का 15 अधिनियम, 1992 की धारा 15ट की उपधारा (1) के अधीन स्थापित कोई प्रतिभूति अपील अधिकरण अभिप्रेत है ;

(न) "अभिदाता" के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी पेंशन निधि की किसी स्कीम में अभिदाय करता है ;

(प) "अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि" से धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन गठित निधि अभिप्रेत है ;

1949 का 10 (फ) "न्यासी बैंक" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 में यथापरिभाषित बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इस अधिनियम में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं किन्तु जो—

1938 का 4 (i) बीमा अधिनियम, 1938 ;

1956 का 1 (ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 ;

1956 का 42 (iii) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ; और

1992 का 15 (iv) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992,

में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उनके उन अधिनियमों में हैं ।

अध्याय 2

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

3. (1) उस तारीख से, जो केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा नियत करे, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण नामक एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी । प्राधिकरण की स्थापना और निगमन ।

(2) प्राधिकरण उपर्युक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा, जिसका शाश्वत् उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी, जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए जंगम और स्थावर, दोनों ही प्रकार की सम्पत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी तथा उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उस पर वाद लाया जाएगा ।

1985 का 2 (3) प्राधिकरण का मुख्यालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 की धारा 2 के खण्ड (च) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में होगा ।

(4) प्राधिकरण भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा ।

4. प्राधिकरण निम्नलिखित सदस्यों, अर्थात् :-- प्राधिकरण की संरचना ।

(क) एक अध्यक्ष ;

(ख) तीन पूर्णकालिक सदस्यों ; और

(ग) तीन अंशकालिक सदस्यों,

से मिलकर बनेगा, जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, योग्यता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाले तथा अर्थशास्त्र या वित्त या विधि का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से नियुक्त किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक विद्या शाखा में से कम से कम एक व्यक्ति होगा।

प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा की शर्तें।

5. (1) अध्यक्ष और प्रत्येक पूर्णकालिक सदस्य, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे :

परंतु कोई व्यक्ति, उसके पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् अध्यक्ष के रूप में पद धारण नहीं करेगा :

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति, उसके बासठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् पूर्णकालिक सदस्य के रूप में पद धारण नहीं करेगा।

(2) कोई अंशकालिक सदस्य उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए उस रूप में पद धारण करेगा।

(3) अंशकालिक सदस्यों से भिन्न सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(4) अंशकालिक सदस्य ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे, जो विहित किए जाएं ।

(5) किसी सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी कोई सदस्य—

(क) केन्द्रीय सरकार को तीस दिन से अन्यून की लिखित सूचना देकर अपना पद त्याग सकेगा : या

(ख) धारा 6 के उपबंधों के अनुसार उसके पद से हटाया जा सकेगा ।

सदस्यों का पद से हटाया जाना ।

6. (1) केन्द्रीय सरकार, अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को,—

(क) जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया जाता है या किसी समय किया गया है ; या

(ख) सदस्य के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो गया है; या

(ग) जो किसी ऐसे अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें केन्द्रीय सरकार की राय में नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(घ) जिसने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे सदस्य के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है; या

(ङ) जिसने केन्द्रीय सरकार की राय में अपने पद का ऐसा दुरुपयोग किया है जिसके कारण उसका पद पर बने रहना लोक हित में हानिकारक है,

पद से हटा सकेगी ।

(2) किसी ऐसे अध्यक्ष या अन्य सदस्य को उपधारा (1) के खण्ड (घ) या खण्ड (ङ) के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक उसे उस विषय में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दे दिया जाता है ।

सदस्यों के भावी नियोजन पर निर्बंधन।

7. (1) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य उनके उस रूप में पद पर न रहने की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक--

(क) या तो केन्द्रीय सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन; या

(ख) पेंशन सेक्टर में किसी विनियमित अस्तित्व में कोई नियुक्ति,

केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय स्वीकार नहीं करेंगे ।

(2) अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, जो इस अधिनियम के प्रारंभ के पूर्व इस प्रकार पद धारण कर रहे थे, ऐसे प्रारंभ को और उसके पश्चात्, उस तारीख से, जिसको वे इस प्रकार पद पर नहीं रहते हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए पेंशन सेक्टर में किसी विनियमित अस्तित्व में, केन्द्रीय सरकार की पूर्व अनुमति के सिवाय कोई नियुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे ।

8. अध्यक्ष को, प्राधिकरण के सभी प्रशासनिक विषयों की बाबत साधारण अधीक्षण और निदेशन की शक्तियां होंगी । अध्यक्ष की प्रशासनिक शक्तियां ।

9. (1) प्राधिकरण का अधिवेशन ऐसे समय और स्थानों पर होगा और वह अपने अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार के बारे में (जिनके अन्तर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति है) प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगा जो विनियमों द्वारा उपबंधित किए जाएं । प्राधिकरण के अधिवेशन ।

(2) अध्यक्ष या, यदि वह किसी कारण से, प्राधिकरण के अधिवेशन में उपस्थित होने में असमर्थ है तो उस अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा अपने में से निर्वाचित कोई अन्य सदस्य उस अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(3) प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में, उसके समक्ष आने वाले सभी प्रश्नों का विनिश्चय, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा किया जाएगा और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का द्वितीय या निर्णायक मत होगा ।

(4) यदि कोई सदस्य, जो किसी कम्पनी का निदेशक है, और उसके ऐसे निदेशक के रूप में, प्राधिकरण के किसी अधिवेशन में विचार के लिए आने वाले किसी विषय में कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष धनीय हित है तो वह सुसंगत परिस्थितियों के उसकी जानकारी में आने के पश्चात्, यथासंभव शीघ्र ऐसे अधिवेशन में अपने हित की प्रकृति को प्रकट करेगा और ऐसा प्रकटन प्राधिकरण की कार्यवाहियों में लेखबद्ध किया जाएगा तथा वह सदस्य, उस विषय की बाबत प्राधिकरण के किसी विचार-विमर्श या विनिश्चय में भाग नहीं लेगा।

10. प्राधिकरण का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगी कि-- रिक्तियों, आदि से प्राधिकरण की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

(क) प्राधिकरण में कोई रिक्ति है, या उसके गठन में कोई त्रुटि है; या

(ख) प्राधिकरण के सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) प्राधिकरण की प्रक्रिया में कोई ऐसी अनियमितता है, जो मामले के गुणागुण पर प्रभाव नहीं डालती है ।

11. (1) प्राधिकरण, उतने अधिकारियों और कर्मचारियों को नियुक्त कर सकेगा, जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे। प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किए गए प्राधिकरण के अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबन्धन और अन्य शर्तें वे होंगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाएं ।

अध्याय 3

विस्तार और लागू होना

12. (1) यह अधिनियम,-- विस्तार और लागू होना।

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली;

(ख) किसी अन्य पेंशन स्कीम, जो किसी अन्य अधिनियमिति द्वारा विनियमित नहीं की जाती है,

को लागू होगा ।

(2) खण्ड (ख) में निर्दिष्ट प्रत्येक पेंशन स्कीम, ऐसे समय के भीतर जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्राधिकरण द्वारा बनाए गए विनियमों के अनुरूप होगी ।

(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे---

(क) निम्नलिखित के अधीन स्कीमें या निधियां—

(i) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948; 1948 का 46

(ii) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952; 1952 का 19

(iii) नाविक भविष्य निधि अधिनियम, 1966; 1966 का 4

(iv) असम चाय बागान भविष्य निधि और पेंशन निधि स्कीम अधिनियम, 1955; और 1955 का असम अधिनियम 10

(v) जम्मू-कश्मीर कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1961; 1961 का जम्मू और कश्मीर अधिनियम 15

(ख) बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 की उपधारा (2) और उपधारा (11) में निर्दिष्ट संविदा; 1938 का 4

(ग) कोई अन्य पेंशन स्कीम जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के लागू होने से छूट दे;

(घ) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 2क के अधीन गठित संघ या अखिल भारतीय सेवाओं के क्रियाकलापों के संबंध में लोक सेवाओं में 1 जनवरी, 2004 से पूर्व नियुक्त व्यक्ति; 1951 का 61

(ङ) किसी राज्य या ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, क्रियाकलापों के संबंध में लोक सेवाओं में नियुक्त व्यक्ति ।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, कोई राज्य सरकार या किसी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, अधिसूचना द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का अपने कर्मचारियों पर विस्तार कर सकेगी ।

(5) केंद्रीय सरकार, उपधारा (3) के खंड (ग) में किसी बात के होते हुए भी, किसी अन्य पेंशन स्कीम को [जिसके अंतर्गत उपधारा (3) के खंड (ग) के अधीन छूट प्राप्त और अधिसूचित कोई अन्य पेंशन स्कीम भी है] अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के लागू होने का विस्तार कर सकेगी ।

(6) उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी स्कीम या निधियों के अधीन शासित कोई व्यक्ति अपने विकल्प पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में सम्मिलित हो सकेगा ।

अध्याय 4

अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की आस्तियों, दायित्वों, आदि का अंतरण

अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की आस्तियों, दायित्वों, आदि का अंतरण ।

13. अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की तारीख से ही,—

(क) अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की सभी आस्तियां और दायित्व, प्राधिकरण में अंतरित और निहित हो जाएंगे ।

स्पष्टीकरण—अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की आस्तियों में सभी अधिकार और शक्तियां, सभी संपत्तियां, चाहे स्थावर हों या जंगम, जिसमें, विशेषकर नकदी बकाया, निक्षेप और सभी अन्य हित तथा ऐसी संपत्तियों में या उससे उद्भूत अधिकार, जो अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के कब्जे में हों, तथा उससे संबंधित सभी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज सम्मिलित समझे जाएंगे; तथा दायित्वों में, सभी ऋण, दायित्व और अन्य बाध्यताएं, चाहे जिस प्रकार की हों, सम्मिलित समझी जाएंगी;

(ख) खंड (क) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उस तारीख से ठीक पूर्व, उक्त विनियामक प्राधिकरण के प्रयोजन के लिए या उसके संबंध में, उपगत सभी ऋण, बाध्यताएं और दायित्व, की गई सभी संविदाएं और अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए किए जाने के लिए वचनबद्ध सभी विषय और बातें, प्राधिकरण द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत, की गई या की जाने के लिए वचनबद्ध समझी जाएंगी;

(ग) उस तारीख से ठीक पूर्व, अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को देय सभी धनराशियां प्राधिकरण को देय समझी जाएंगी; और

(घ) उस तारीख से ठीक पूर्व अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध संस्थित की गई या जो संस्थित की जा सकती थी, सभी वाद और अन्य विधिक कार्यवाहियां प्राधिकरण द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी।

अध्याय 5

प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य

प्राधिकरण के कर्तव्य, शक्तियां और कृत्य।

14. (1) इस अधिनियम और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन स्कीमों को, जिनको यह अधिनियम लागू होता है, नियमित, संवर्धित करे और उनकी क्रमिक वृद्धि को सुनिश्चित करे तथा ऐसी प्रणाली या स्कीमों के अभिदाताओं के हितों का संरक्षण करे।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे—

(क) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और पेंशन स्कीमों का, जिनको यह अधिनियम लागू होता है, विनियमन;

(ख) स्कीमों, उनके निबन्धनों और शर्तों का अनुमोदन करना तथा पेंशन निधियों के समग्र प्रबन्धन के मानक अधिकथित करना, जिनके अन्तर्गत ऐसी स्कीमों के अधीन विनिधान के मार्गदर्शक सिद्धान्त भी हैं;

(ग) मध्यवर्तियों का रजिस्ट्रीकरण और विनियमन;

(घ) आवेदन पर किसी मध्यवर्ती को एक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करना और ऐसे रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, उपांतरण, प्रत्याहरण, निलम्बन या रद्दकरण;

(ङ) अभिदाताओं के हितों का,—

(i) ऐसी पेंशन निधियों की, जिनको यह अधिनियम लागू होता है, विभिन्न स्कीमों के अभिदाताओं के अभिदाय की सुरक्षा सुनिश्चित करके;

(ii) यह सुनिश्चित करके कि राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन मध्यवर्ती और अन्य प्रक्रिया संबंधी लागत मितव्ययी और युक्तियुक्त है,

संरक्षण करना;

(च) विनियमों द्वारा अवधारित किए जाने वाले अभिदाताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए तंत्र स्थापित करना;

(छ) पेंशन प्रणाली से संबंधित वृत्तिक संगठनों को प्रोन्नत करना;

(ज) मध्यवर्तियों के बीच तथा मध्यवर्तियों और अभिदाताओं के बीच विवादों का न्यायनिर्णयन;

(झ) आंकड़े संग्रहण करना और मध्यवर्तियों से ऐसे आंकड़े संग्रहण करने की अपेक्षा करना तथा अध्ययन, अनुसंधान और परियोजनाओं का जिम्मा लेना और उन्हें चलाना;

(ञ) पेंशन, सेवानिवृत्ति, बचतों और संबंधित विवाद्यकों तथा मध्यवर्तियों के प्रशिक्षण से संबंधित विवाद्यकों पर अभिदाताओं और साधारण जनता को शिक्षित करने के लिए कदम उठाना;

(ट) पेंशन निधियों के पालन से संबंधित सूचना के प्रसारण का मानकीकरण, तथा न्यूनतम मानकों का पालन;

(ठ) विनियमित आस्तियों का विनियमन;

(ड) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए फीस या अन्य प्रभार उद्‌गृहीत करना;

(ढ) उस रूप और रीति को, जिसमें मध्यवर्तियों द्वारा लेखा बहियां बनाए रखी जाएंगी और लेखाओं का विवरण दिया जाएगा, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट करना;

(ण) पेंशन निधियों से संबंधित मध्यवर्तियों और अन्य अस्तित्वों या संगठनों से सूचना मंगाना, उनका निरीक्षण करना, उनके संबंध में जांच या अन्वेषण, जिसके अन्तर्गत लेखापरीक्षा भी है, का संचालन करना;

(त) ऐसी अन्य शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करना, जो विहित किए जाएं।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के खण्ड (ण) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय, प्राधिकरण को वही शक्तियां होंगी जो निम्नलिखित विषयों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात्:— 1908 का 5

(i) ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर जो प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, लेखा बहियों और अन्य दस्तावेजों का प्रकटीकरण और उन्हें प्रस्तुत करना;

(ii) व्यक्तियों को समन करना और उन्हें हाजिर कराना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना;

(iii) किसी स्थान पर धारा 26 में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति या मध्यवर्ती की किसी पुस्तक, रजिस्टर और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करना;

(iv) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;

(v) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) तथा धारा 16 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, आदेश द्वारा अभिदाताओं के हितों में लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से, अन्वेषण या जांच के लम्बित रहने के दौरान निम्नलिखित कोई उपाय कर सकेगी, अर्थात्:—

(i) व्यक्तियों को किसी स्कीम में भाग लेने से अवरुद्ध करना;

(ii) किसी मध्यवर्ती के किसी पदधारी को उस रूप में कार्य करने से अवरुद्ध करना;

(iii) किसी क्रियाकलाप की बाबत, जो अन्वेषणाधीन है, स्कीम के अधीन आगमों को परिबद्ध करना और प्रतिधारित करना;

(iv) अनुमोदन के लिए किए गए आवेदन पर, अधिकारिता रखने वाले प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित किए जाने के पश्चात्, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किसी उपबंध का किसी भी रीति में अतिक्रमण करने वाले किसी मध्यवर्ती या अन्य व्यक्ति के एक या अधिक बैंक खाते या खातों को एक मास से अनधिक की अवधि के लिए कुर्क करना:

परन्तु केवल बैंक खाते या खातों या उनमें किए गए किसी संव्यवहार को ही, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अतिक्रमण में वास्तव में अन्तर्वलित आगमों से संबंधित है, कुर्क करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा;

(v) किसी भी रीति में स्कीम से सहयोजित किसी मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति को, किसी क्रियाकलाप के भागरूप किसी आस्ति का, जो अन्वेषणाधीन है, व्ययन या अन्यसंक्रामण न करने का निदेश देना:

परन्तु प्राधिकरण, इस धारा के अधीन ऐसे आदेश पारित करने के या तो पूर्व या उसके पश्चात्, ऐसे मध्यवर्तियों या संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा।

निदेश जारी करने की शक्ति ।

15. धारा 14 में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यदि कोई जांच करने या कराने के पश्चात् प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि—

(i) अभिदाताओं या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली या किसी पेंशन स्कीम के, जिसको यह अधिनियम लागू होता है, व्यवस्थित विकास के हितों के लिए; या

(ii) धारा 27 में निर्दिष्ट किसी मध्यवर्ती या अन्य व्यक्तियों या अस्तित्वों के क्रियाकलापों का ऐसी रीति में संचालित किए जाने से, जो अभिदाताओं के हितों के लिए हानिकर है, निवारण करने के लिए; या

(iii) किसी ऐसे मध्यवर्ती या व्यक्ति या अस्तित्व के उचित प्रबन्ध को सुनिश्चित करने के लिए,

यह आवश्यक है तो वह धारा 27 में निर्दिष्ट या पेंशन निधि से सहयोजित ऐसे मध्यवर्तियों या किसी ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उपयुक्त समझे :

परन्तु प्राधिकरण, ऐसा आदेश पारित करने के या तो पूर्व या उसके पश्चात् ऐसे मध्यवर्तियों, अस्तित्वों या संबंधित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देगा ।

अन्वेषण की शक्ति ।

16. (1) जहां प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि—

(क) पेंशन निधि के क्रियाकलाप अभिदाता के हितों के लिए हानिकर किसी रीति में संचालित किए जा रहे हैं; या

(ख) पेंशन निधि स्कीमों से सहयोजित किसी मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबन्धों या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों का अतिक्रमण किया है,

तो वह किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को (जिसे इस धारा में अन्वेषक प्राधिकारी कहा गया है), पेंशन निधि से सहयोजित ऐसे मध्यवर्ती या व्यक्तियों के क्रियाकलापों का अन्वेषण करने और प्राधिकरण को उस पर रिपोर्ट देने के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट निदेश दे सकेगा।

1956 का 1

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 से धारा 241 में अन्तर्विष्ट उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कम्पनी की दशा में कम्पनी के प्रत्येक प्रबन्धक, प्रबन्ध निदेशक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी का और धारा 27 में निर्दिष्ट प्रत्येक मध्यवर्ती या व्यक्ति या अस्तित्व या पेंशन निधि से सहयोजित प्रत्येक व्यक्ति का, यथास्थिति, कम्पनी के या कम्पनी से संबंधित या ऐसे मध्यवर्ती या व्यक्ति से संबंधित, जो उसकी अभिरक्षा या शक्ति के अधीन हैं, सभी पुस्तकों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों और अभिलेख को, संरक्षित रखने और अन्वेषक प्राधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को प्रस्तुत करने का कर्तव्य होगा।

(3) अन्वेषक प्राधिकारी, पेंशन निधि से किसी भी रीति में सहयोजित किसी मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति या अस्तित्व से ऐसी जानकारी देने या उसके समक्ष या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष, ऐसी पुस्तकों या अन्य दस्तावेजों या अभिलेख को प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकेगा, जो वह आवश्यक समझे, यदि ऐसी जानकारी देना या ऐसी पुस्तकों या रजिस्टर या अन्य दस्तावेजों या अभिलेख का प्रस्तुत करना उसके अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए सुसंगत या आवश्यक है।

(4) अन्वेषक प्राधिकारी, उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत की गई किसी पुस्तक, रजिस्टर या अन्य दस्तावेज या अभिलेख को छह मास के लिए अपनी अभिरक्षा में रख सकेगा और तत्पश्चात् पेंशन निधि से सहयोजित ऐसे मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति या अस्तित्व को, जिसके द्वारा या जिसकी ओर से पुस्तकें, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे, लौटा देगा :

परन्तु अन्वेषक प्राधिकारी, कोई भी पुस्तक, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज और अभिलेख, यदि उनकी पुनः अपेक्षा हो तो, मंगा सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से अन्वेषक प्राधिकारी के समक्ष पुस्तकों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों या अभिलेखों को प्रस्तुत किया जाता है, अन्वेषक प्राधिकारी के समक्ष पुस्तकों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों या अभिलेख की प्रमाणित प्रतियों की अपेक्षा करता है तो वह, यथास्थिति, ऐसी पुस्तकों, रजिस्टरों, अन्य दस्तावेजों, या अभिलेख की प्रमाणित प्रतियां ऐसे व्यक्ति को या उसको, जिसकी ओर से पुस्तक, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज या अभिलेख प्रस्तुत किए गए थे, देगा।

(5) कोई व्यक्ति, जिसे उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण करने के लिए निदेश दिया गया हो, पेंशन निधि से किसी भी रीति में सहयोजित किसी मध्यवर्ती या किसी व्यक्ति की, उसके कारबार के क्रियाकलापों के संबंध में शपथ पर परीक्षा कर सकेगा और तदनुसार शपथ दिला सकेगा और उस प्रयोजन के लिए उनमें से किसी भी व्यक्ति से उसके समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा कर सकेगा।

(6) उपधारा (5) के अधीन किसी परीक्षण के टिप्पण लिखित में लिए जाएंगे और परीक्षित व्यक्ति को पढ़कर सुनाए जाएंगे या उसके द्वारा पढ़े जाएंगे और उसके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे और तत्पश्चात् उसके विरुद्ध साक्ष्य में उनका प्रयोग किया जा सकेगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति,—

(क) किसी अन्वेषक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति को कोई पुस्तक, रजिस्टर, अन्य दस्तावेज या अभिलेख, जिसे उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन प्रस्तुत करने का उसका कर्तव्य है, प्रस्तुत करने में; या

(ख) किसी जानकारी, जिसको देने का उपधारा (3) के अधीन उसका कर्तव्य है, देने में; या

(ग) अन्वेषक प्राधिकारी के समक्ष, जब उपधारा (5) के अधीन ऐसा करना अपेक्षित हो या किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए जो उससे उस उपधारा के अनुसरण में अन्वेषक प्राधिकारी द्वारा पूछा जाता है, व्यक्तिगत रूप से, उपस्थित होने में; या

(घ) उपधारा (6) में निर्दिष्ट किसी परीक्षा के टिप्पणों पर हस्ताक्षर करने में,

किसी युक्तियुक्त कारण के बिना असफल रहता है या ऐसा करने से इंकार करता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, और किसी और जुर्माने से भी जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता या इंकार जारी रहता है, दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा ।

तलाशी और अभिग्रहण।

17. (1) जहां प्राधिकरण के पास उसके कब्जाधीन जानकारी के परिणामस्वरूप यह विश्वास करने का कारण है कि—

(क) किसी व्यक्ति ने जिससे धारा 16 की उपधारा (3) के अधीन किन्हीं पुस्तकों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों को जो उसकी अभिरक्षा और शक्ति के अधीन हैं, प्रस्तुत करने या करवाने की अपेक्षा की गई है, ऐसी पुस्तकों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने या करवाने में लोप किया है या वह उसमें असफल रहा है; या

(ख) कोई व्यक्ति जिससे यथापूर्वोक्त किन्हीं पुस्तकों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की अध्यपेक्षा जारी की गई है या की जा सकती थी, किन्हीं पुस्तकों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों को प्रस्तुत नहीं करेगा या नहीं कराएगा जो धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन किसी अन्वेषण के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत है; या

(ग) इस अधिनियम के किसी उपबंध का किसी मध्यवर्ती द्वारा कोई उल्लंघन किया गया है या किए जाने की संभावना है; या

(घ) कोई दावा जो मध्यवर्ती द्वारा परिनिर्धारित किया जाना है, नामंजूर या किसी युक्तियुक्त राशि से अधिक राशि पर परिनिर्धारित कर दिया गया है या किए जाने की संभावना है; या

(ङ) कोई दावा जो किसी मध्यवर्ती द्वारा परिनिर्धारित किया जाना है, नामंजूर या किसी युक्तियुक्त राशि से कम राशि पर परिनिर्धारित कर दिया गया है या किए जाने की संभावना है; या

(च) किसी मध्यवर्ती द्वारा किसी अविधिमान्य फीस और प्रभारों का संव्यवहार किया गया है या किए जाने की संभावना है; या

(छ) किसी मध्यवर्ती की किन्हीं पुस्तकों, लेखाओं, कागजपत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, सर्वेक्षणों, रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों को बिगाड़ने या मिथ्याकृत विनिर्मित करने की संभावना है,

तो वह प्राधिकरण के किसी अधिकारी को जो सरकार के किसी राजपत्रित अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत अधिकारी कहा गया है) के समतुल्य पंक्ति से अन्यून पंक्ति का न हो—

(i) किसी भवन या स्थान में, जहां उसके पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी दावे, रिबेट या कमीशन या प्राप्तियों, वाउचरों, रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों से संबंधित ऐसी पुस्तकें, लेखा या अन्य दस्तावेज या कोई पुस्तक या कागजपत्र रखे गए हैं, प्रवेश करने और तलाशी लेने;

(ii) खण्ड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, जहां उसकी चाबियां उपलब्ध नहीं हैं, किसी बक्से, लॉकर, सेफ, अलमारी या अन्य पात्र के ताले को तोड़कर खोलने;

(iii) ऐसी तलाशी के परिणामस्वरूप पाई गई सभी ऐसी पुस्तकों, लेखाओं या अन्य दस्तावेजों का या उनमें से किसी का अभिग्रहण करने; या

(iv) ऐसी पुस्तकों, लेखाओं, या अन्य दस्तावेजों पर पहचान चिह्न लगाने या उनके उद्धरण या प्रतियां प्राप्त करने या कराने,

के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी या केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी की या दोनों की सेवाओं की, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए, उसकी सहायता करने के लिए, अध्यपेक्षा कर सकेगा और ऐसे प्रत्येक पुलिस अधिकारी या अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह ऐसी अध्यपेक्षा का अनुपालन करे ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, जहां उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी ऐसी पुस्तक, लेखा या अन्य दस्तावेज का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है, वहां ऐसे व्यक्ति पर, जिसके वह तुरंत कब्जे या नियंत्रण में है आदेश की तामील करेगा कि वह ऐसे अधिकारी

की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय उसे नहीं हटाएगा, अलग नहीं करेगा या अन्यथा उसका संव्यवहार नहीं करेगा और ऐसा अधिकारी ऐसे कदम उठा सकेगा जो इस उपधारा के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

(4) प्राधिकृत अधिकारी, तलाशी या अभिग्रहण के अनुक्रम के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति की शपथ पर परीक्षा कर सकेगा जिसके कब्जे या नियंत्रण में कोई पुस्तक, लेखा या अन्य दस्तावेज पाया जाता है तथा ऐसी परीक्षा के दौरान ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी कथन का तत्पश्चात् इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में साक्ष्य में प्रयोग किया जा सकेगा।

(5) उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत पुस्तकों, लेखाओं, कागजपत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों को अभिग्रहण की तारीख से एक सौ अस्सी दिन से अधिक की अवधि के लिए प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तब तक प्रतिधारित नहीं किया जाएगा जब तक उनके प्रतिधारण के कारण उसके द्वारा लेखबद्ध नहीं किए जाते हैं और ऐसे प्रतिधारण के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन अभिप्राप्त नहीं किया जाता है :

परन्तु प्राधिकरण, पुस्तकों, लेखाओं, कागजपत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों के प्रतिधारण को, इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों के, जिनसे ऐसी पुस्तकें, लेखा, कागजपत्र, रसीदें, वाउचर, रिपोर्टें या अन्य दस्तावेज सुसंगत हैं, पूरा हो जाने के पश्चात् तीस दिन की अवधि के लिए प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगा।

(6) ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से उपधारा (1) के अधीन पुस्तकें, लेखा, कागजपत्र, प्राप्तियां, वाउचर, रिपोर्टें या अन्य दस्तावेज अभिगृहीत किए जाते हैं, प्राधिकृत अधिकारी या इस निमित्त उसके द्वारा सशक्त किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में ऐसे स्थान और समय पर, जिसे प्राधिकृत अधिकारी इस निमित्त नियत करे, उनकी प्रतियां ले सकेगा या उनसे उद्धरण ले सकेगा।

(7) यदि कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) के अधीन अभिगृहीत पुस्तकों, लेखाओं, कागजपत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों का विधिक रूप से हकदार है, उपधारा (5) के अधीन प्राधिकरण द्वारा दिए गए अनुमोदन पर किसी कारण से आक्षेप करता है तो वह केन्द्रीय सरकार को, उसमें ऐसे आक्षेप के लिए कारण कथित करते हुए और उन पुस्तकों, लेखाओं, कागजपत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों को लौटाने के लिए अनुरोध करते हुए आवेदन कर सकेगा।

(8) उपधारा (7) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जो वह ठीक समझे।

(9) तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबन्ध, उपधारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक तलाशी और अभिग्रहण को यथासाध्य लागू होंगे। 1974 का 2

(10) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस धारा के अधीन किसी तलाशी या अभिग्रहण से संबंधित नियम बना सकेगी और विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा,—

(i) तलाशी लिए जाने के लिए, ऐसे भवन या स्थान में जहां मुक्त प्रवेश उपलब्ध नहीं है, प्रवेश अभिप्राप्त करने के लिए;

(ii) इस धारा के अधीन अभिगृहीत किन्हीं पुस्तकों, लेखाओं, कागजपत्रों, प्राप्तियों, वाउचरों, रिपोर्टों या अन्य दस्तावेजों की सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए,

पालन की जाने वाली प्रक्रिया का उपबंध हो सकेगा।

18. यदि प्राधिकरण, जांच कराए जाने के पश्चात्, यह पाता है कि किसी व्यक्ति ने इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया है या उल्लंघन करने की संभावना है तो प्राधिकरण, ऐसे व्यक्ति से ऐसा उल्लंघन न करने या न कराने और उल्लंघन करने या कराए जाने से प्रविरत रहने की अपेक्षा करने वाला आदेश पारित कर सकेगा। प्राधिकरण की अनुपालन सुनिश्चित करने की शक्ति।

19. (1) यदि किसी समय प्राधिकरण के पास यह विश्वास करने का कारण है कि केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण या पेंशन निधि ऐसी रीति में कार्य कर रहे हैं जिससे अभिदाताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है तो वह, यथास्थिति, केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण या पेंशन निधि को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् उस पर केन्द्रीय सरकार को एक रिपोर्ट देगा। प्रशासक द्वारा प्रबंध।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार की, उपधारा (1) के अधीन की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या उचित है तो वह प्राधिकरण के निदेशन और नियंत्रण के अधीन ऐसी रीति में जो अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, यथास्थिति, केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण या पेंशन निधि के क्रियाकलापों का प्रबन्ध करने के लिए कोई प्रशासक नियुक्त कर सकेगी।

अध्याय 6

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली

20. (1) भारत सरकार के वित्त मंत्रालय की अधिसूचना की संख्या फा॰ सं॰ 5/7/2003-इसीबी, एंड पीआर, तारीख 22 दिसंबर, 2003 द्वारा अधिसूचित अभिदायी पेंशन प्रणाली 1 जनवरी, 2004 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली समझी जाएगी और ऐसी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को विनियमों द्वारा समय-समय पर संशोधित किया जा सकेगा। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली।

(2) उक्त अधिसूचना में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में इस अधिनियम के प्रारम्भ पर निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं होंगी, अर्थात् :--

(क) प्रत्येक अभिदाता का राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एक व्यष्टि पेंशन लेखा होगा ;

(ख) व्यष्टि पेंशन लेखा से प्रत्याहरण को, जो अभिदाता द्वारा किए गए अभिदाय के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का नहीं होगा, ऐसी शर्तों के अध्यधीन, जैसे कि प्रयोजन, अंतराल और परिसीमाएं, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, अनुज्ञात किया जा सकेगा;

(ग) अभिदाता द्वारा अभिलेखपालन, लेखाकर्म और विकल्प बदलने के कृत्यों को केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण द्वारा प्रभावी किया जाएगा;

(घ) बहुविध पेंशन निधियों और बहुविध स्कीमों का विकल्प होगा :

परंतु—

(क) अभिदाता के पास सरकारी प्रतिभूतियों में अपनी निधियों का शत–प्रतिशत तक विनिधान करने का विकल्प होगा; और

(ख) न्यूनतम सुनिश्चित लाभ चाहने वाले अभिदाता को, न्यूनतम सुनिश्चित लाभ प्रदान करने वाली ऐसी स्कीमों में, जो प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जाएं, अपनी निधियों का विनिधान करने का विकल्प होगा;

(ङ) नियोजन में परिवर्तन की दशा में व्यष्टि पेंशन लेखाओं की सुवाह्यता होगी ;

(च) केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को अभिदायों और अनुदेशों का संग्रहण और पारेषण उपस्थिति अस्तित्वों की मार्फत होगा;

(छ) अभिदाता द्वारा क्रय किए जाने वाले बाजार आधारित प्रत्याभूत तंत्र के सिवाय फायदों का कोई अस्पष्ट या सुस्पष्ट आश्वासन नहीं होगा ;

(ज) कोई अभिदाता विनियमों के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट के सिवाय राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर नहीं होगा ; और

(झ) बाहर होने पर, अभिदाता विनियमों के अनुसार किसी जीवन बीमा कंपनी से किसी वार्षिकी का क्रय करेगा।

(3) उपधारा (2) के खंड (क) में उल्लिखित व्यष्टि पेंशन लेखा के अतिरिक्त अभिदाता अपने विकल्प पर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन उपधारा (2) के खंड (ग) से खंड (छ) में उल्लिखित विशेषताओं वाला और ऐसी अतिरिक्त विशेषताओं वाला अतिरिक्त लेखा रख सकेगा, जिससे अभिदाता अतिरिक्त लेखा से किसी समय अपने धन को भागतः या संपूर्णतः निकालने के लिए स्वतंत्र होगा ।

केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण ।

21. (1) प्राधिकरण धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करके एक केंद्रीय अभिलेखपालन अभिकरण नियुक्त करेगा :

परन्तु प्राधिकरण लोक हित में एक से अधिक केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण नियुक्त कर सकेगा ।

(2) केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, उपस्थिति अस्तित्वों की मार्फत अभिदाताओं से, अनुदेश प्राप्त करने, ऐसे अनुदेशों को पेंशन निधियों में, पारेषित करने, अभिदाताओं से प्राप्त अनुदेशों को प्रभावी करने और ऐसे अन्य कर्तव्यों और कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, जो उसे रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अधीन सौंपे जाएं या विनियमों द्वारा अवधारित किए जाएं, उत्तरदायी होगा।

(3) केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के स्वामित्वाधीन, पट्टाधीन या उसके द्वारा विकसित की गई सभी आस्तियों और सम्पत्तियों से विनियमित आस्तियों का गठन होगा और रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के अवसान पर या उसके पूर्व प्रतिसंहरण पर, प्राधिकरण या तो स्वयं या प्रशासक या उसके द्वारा इस निमित्त नामनिर्दिष्ट किसी व्यक्ति के माध्यम से विनियमित आस्तियों का विनियोग करने और उनको ग्रहण करने का हकदार होगा :

परन्तु केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण ऐसी विनियमित आस्तियों का प्राधिकरण द्वारा अभिनिश्चित ऐसे ऋृजु मूल्य के प्रतिकर का हकदार होगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाए :

परन्तु यह और कि जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का पूर्वतम प्रतिसंहरण रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों या इस अधिनियम के उपबंधों या विनियमों के अतिक्रमण पर आधारित है, वहां जब तक प्राधिकरण द्वारा अन्यथा अवधारित न किया जाए केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण ऐसी विनियमित आस्तियों की बाबत किसी प्रतिकर का दावा करने का हकदार नहीं होगा ।

उपस्थिति अस्तित्व ।

22. (1) प्राधिकरण, धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करके एक या अधिक व्यक्तियों को, अभिदाय प्राप्त करने और अनुदेशों को, यथास्थिति, न्यासी बैंक या केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को पारेषित करने तथा प्राधिकरण द्वारा इस बाबत समय-समय पर बनाए गए विनियमों के अनुसार अभिदाताओं को फायदों का संदाय करने के प्रयोजनों के लिए उपस्थिति अस्तित्वों के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) उपस्थिति अस्तित्व अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार कार्य करेगा ।

पेंशन निधि ।

23. (1) प्राधिकरण, धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करके एक या अधिक व्यक्तियों को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, अभिदायों को प्राप्त करने, उन्हें संचित करने और अभिदाताओं को संदाय करने के प्रयोजन के लिए पेंशन निधि के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(2) पेंशन निधियों की संख्या विनियमों द्वारा अवधारित की जाएगी और प्राधिकरण, लोकहित में पेंशन निधियों की संख्या में परिवर्तन कर सकेगा :

परंतु पेंशन निधियों में से कम से कम एक सरकारी कंपनी होगी।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए सरकारी कंपनी का वही अर्थ है, जो कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 617 में है । 1956 का 1

(3) पेंशन निधि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों और इस अधिनियम के अधीन बनाए गए विनियमों के अनुसार कार्य करेगी ।

(4) पेंशन निधि विनियमों के अनुसार स्कीमों का प्रबंध करेगी ।

24. किसी विदेशी कंपनी द्वारा, या तो स्वयं या अपनी समनुषंगी कंपनियों या अपने नामनिर्देशितियों के माध्यम से या किसी व्यष्टि या व्यक्तियों के संगम द्वारा (चाहे भारत के बाहर किसी देश की किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं), पेंशन निधि में कुल साधारण शेयरधारण ऐसी निधि की समादत्त पूंजी के छब्बीस प्रतिशत या ऐसे प्रतिशत से, जो बीमा अधिनियम, 1938 के अधीन किसी भारतीय बीमा कंपनी के लिए अनुमोदित किया जाए, इनमें से जो भी अधिक हो, अधिक नहीं होगा। विदेशी कंपनियों या व्यष्टियों या व्यक्तियों के संगम पर कतिपय निर्बंधन।

1938 का 4

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "विदेशी कंपनी" पद का वही अर्थ होगा, जो आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (23क) में उसका है।

1961 का 43

25. कोई पेंशन निधि, अभिदाताओं की निधियों का भारत से बाहर प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः विनिधान नहीं करेगी। भारत से बाहर अभिदाताओं की निधियों के विनिधान का प्रतिषेध।

26. केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, उपस्थिति अस्तित्व और पेंशन निधि का, विनियमों के अधीन प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट पात्रता कसौटियों का समाधान करेगा, जिसके अंतर्गत न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, पूर्व ट्रैक-रिकार्ड भी है, जिसमें प्रत्याभूत विवरणियां, लागत और फीस, भौगोलिक पहुंच, ग्राहक आधार, सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता, मानव संसाधन उपलब्ध कराने की योग्यता और ऐसे अन्य विषय सम्मिलित हैं। केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण आदि की पात्रता मानक।

अध्याय 7
मध्यवर्तियों का रजिस्ट्रीकरण

27. (1) कोई भी मध्यवर्ती जिसके अंतर्गत कोई पेंशन निधि या कोई उपस्थिति अस्तित्व भी हैं, इस अधिनियम के अधीन विनियमित होने के विस्तार तक, इस अधिनियम के उपबंधों और विनियमों के अनुसार प्राधिकरण द्वारा अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की शर्तों के अधीन या उनके अनुसार पेंशन निधि संबंधी कोई क्रियाकलाप प्रारंभ करेगा अन्यथा नहीं : केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, पेंशन निधि, उपस्थिति अस्तित्व आदि का रजिस्ट्रीकरण।

परन्तु किसी उपस्थिति अस्तित्व सहित कोई भी ऐसा मध्यवर्ती, जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के ठीक पूर्व पेंशन निधि से सहयोजित था और अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा इस प्रकार कार्य करने के लिए नियुक्त था, जिसके लिए ऐसी स्थापना के पूर्व कोई रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र आवश्यक नहीं था, ऐसी स्थापना से छह मास की अवधि तक या यदि उसने छह मास की उक्त अवधि के भीतर ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन किया है तो ऐसे आवेदन का निपटारा होने तक, ऐसा करना जारी रख सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और रीति में होगा तथा उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए।

(3) प्राधिकरण, आवेदन पर विचार करने के पश्चात् और ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन, जो वह विनिर्दिष्ट करे, यथास्थिति, केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण, उपस्थिति अस्तित्व, पेंशन निधि या ऐसे अन्य मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त कर सकेगा।

(4) प्राधिकरण, आदेश द्वारा उपधारा (3) के अधीन अनुदत्त रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को ऐसी रीति में, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, निलंबित या रद्द कर सकेगा :

परन्तु इस उपधारा के अधीन कोई आदेश संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं।

अध्याय 8
शास्तियां और न्यायनिर्णयन

28. (1) कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन यह अपेक्षा की गई है कि वह— मध्यवर्ती या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिनियम के उपबंधों सहित, नियमों, विनियमों और निदेशों का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति।

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई क्रियाकलाप करने के लिए प्राधिकरण से रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त करे, ऐसा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अभिप्राप्त किए बिना ऐसे क्रियाकलाप करता है, तो वह उस प्रत्येक दिन के लिए, एक लाख रुपए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, या एक करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति के लिए दायी होगा ;

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निबंधनों और शर्तों का पालन करे, ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह उस प्रत्येक दिन के लिए, एक लाख रुपए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, या एक करोड़ रुपए, इनमें से जो भी कम हो, की शास्ति के लिए दायी होगा ;

(ग) प्राधिकरण को कोई सूचना, दस्तावेज, बहियां, विवरणियां या रिपोर्ट प्रस्तुत करे, उन्हें प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर पेश करने में असफल रहता है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए या हुए लाभों अथवा परिवर्जित हानियों की रकम, के पांच गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, तक हो सकेगी ;

(घ) लेखा बहियों या अभिलेखों को रखे, उन्हें रखने में असफल रहता है, तो वह उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए या हुए लाभों अथवा परिवर्जित हानियों की रकम के पांच गुने तक, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति के लिए दायी होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिससे इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों के अधीन यह अपेक्षा की गई है कि वह अपने कक्षीकार से करार करे, ऐसा करार करने में असफल रहता है तो वह उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान असफलता जारी रहती है, एक लाख रुपए या हुए लाभों अथवा परिवर्जित हानियों की रकम के पांच गुने तक, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति के लिए दायी होगा ।

(3) यदि प्राधिकरण में रजिस्ट्रीकृत कोई मध्यवर्ती अभिदाता की शिकायतों को दूर करने के लिए लिखित में प्राधिकरण द्वारा मांग किए जाने के पश्चात् प्राधिकरण द्वारा अनुबद्ध समय के भीतर ऐसी शिकायतें दूर करने में असफल रहता है तो वह एक करोड़ रुपए से अनधिक या हुए लाभ अथवा परिवर्जित हानियों की रकम के पांच गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति के लिए दायी होगा ।

(4) यदि कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, कक्षीकार या कक्षीकारों के धन को पृथक् करने में असफल रहता है या किसी कक्षीकार या कक्षीकारों के धन को अपने लिए या किसी अन्य कक्षीकार के लिए उपयोग करता है तो वह एक करोड़ रुपएँ से अनधिक या हुए लाभों अथवा परिवर्जित हानियों की रकम के पांच गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, शास्ति के लिए दायी होगा ।

(5) जो कोई इस अधिनियम के किसी उपबंध का, इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाए गए नियमों अथवा विनियमों या प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए निदेशों का अनुपालन करने में असफल रहेगा, जिनके लिए कोई पृथक् शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है, तो वह ऐसी शास्ति के लिए दायी होगा, जो एक करोड़ रुपए या हुए लाभों अथवा परिवर्जित हानियों की रकम के पांच गुना, इनमें से जो भी अधिक हो, तक की हो सकेगी।

शास्ति के रूप में वसूल की गई राशियों का अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा किया जाना।

29. इस अधिनियम के अधीन शास्तियों के रूप में वसूल की गई सभी राशियां धारा 41 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि में जमा की जाएंगी।

न्यायनिर्णयन की शक्ति ।

30. (1) धारा 28 के अधीन न्यायनिर्णयन के प्रयोजनों के लिए, प्राधिकरण, विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट पंक्ति से अनिम्न किसी अधिकारी को, कोई भी शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए, संबंधित व्यक्ति को सुने जाने का उचित अवसर दिए जाने के पश्चात् ऐसी जांच करने के लिए, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाए, न्यायनिर्णायक अधिकारी नियुक्त करेगा।

(2) जांच करते समय, न्यायनिर्णायक अधिकारी को मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से परिचित किसी व्यक्ति को, ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो न्यायनिर्णायक अधिकारी की राय में जांच की विषय-वस्तु के लिए उपयोगी या सुसंगत

हो, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी तथा यदि ऐसी जांच करने पर उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति धारा 28 में निर्दिष्ट विषयों का अनुपालन करने में असफल रहा है तो वह अन्वेषण और निगरानी के भारसाधक सदस्य को ऐसी शास्ति की सिफारिश कर सकेगा, जो वह उस धारा के उपबंधों के अनुसार उपयुक्त समझे ।

(3) शास्ति अन्वेषण और निगरानी के भारसाधक सदस्य से भिन्न किसी सदस्य द्वारा अधिरोपित की जाएगी :

परन्तु धारा 28 के अधीन शास्ति की मात्रा का न्यायनिर्णयन करते समय सदस्य निम्नलिखित बातों का सम्यक् रूप से ध्यान रखेगा, अर्थात् :—

(क) व्यतिक्रम के परिणामस्वरूप प्राप्त हुए अननुपातिक लाभ या अऋजु फायदे की रकम, जहां कहीं निर्धारणीय हो ;

(ख) किसी अभिदाता या अभिदाताओं के समूह को हुई हानि की रकम; और

(ग) व्यतिक्रम की पुनरावृत्तीय प्रकृति ।

मध्यवर्ती की आस्तियों की कुर्की और प्रबंध का अधिक्रमण ।

31. (1) कोई व्यथित व्यक्ति निम्नलिखित मामलों में से किसी मामले के संबंध में संरक्षण के अंतरिम उपाय के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकेगा, अर्थात् :—

(क) किसी ऐसी आस्ति या सम्पत्ति का, जो इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा विनियमित होती है, निरोध, परिरक्षण, अन्तरिम अभिरक्षा या विक्रय ;

(ख) पेंशन निधि के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन कोई पेंशन निधि, धन और अन्य आस्तियां तथा सम्पत्तियां प्रतिभूत करना;

(ग) अंतरिम व्यादेश या किसी प्रशासक की नियुक्ति ; और

(घ) ऐसे अन्य अन्तरिम उपाय, जो प्राधिकरण को उचित और आवश्यक प्रतीत हों,

और प्राधिकरण को ऐसे आदेश जिसमें पेंशन निधि की आस्तियों की कुर्की के लिए आदेश भी सम्मिलित हैं, करने की शक्ति होगी, जो इस संबंध में वह ठीक समझे ।

(2) जहां प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किसी शिकायत पर या स्वप्रेरणा से, प्राधिकरण कोई जांच करने के पश्चात् इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि शासी बोर्ड या निदेशक बोर्ड, चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, इस अधिनियम के अधीन विनियमित होने की सीमा तक किसी मध्यवर्ती पर नियन्त्रण रखने वाला व्यक्ति किसी ऐसे क्रियाकलाप में लिप्त है जो इस अधिनियम या विनियमों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह विनियमों के उपबंधों के अनुसार शासी बोर्ड या निदेशक बोर्ड या मध्यवर्ती के प्रबंध तंत्र को अधिक्रांत कर सकेगा ।

(3) अधिशासी बोर्ड या निदेशक बोर्ड या किसी मध्यवर्ती प्रबंधन का उपधारा (2) के अधीन अधिक्रमण किए जाने की दशा में प्राधिकरण विनियमों के उपबंधों के अनुसार मध्यवर्ती के क्रियाकलापों की व्यवस्था करने के लिए एक प्रशासक नियुक्त कर सकेगा।

अपराध ।

32. (1) इस अधिनियम के अधीन सदस्य द्वारा किसी शास्ति के अधिनिर्णय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए किन्हीं नियमों या विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा या उल्लंघन का दुष्प्रेरण करेगा, तो वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(2) यदि कोई व्यक्ति सदस्य द्वारा अधिरोपित शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है या सदस्य द्वारा दिए गए किसी निदेश या आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो वह कारावास से, जिसकी अवधि एक मास से कम नहीं होगी किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से, जो पच्चीस करोड़ रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से, दंडनीय होगा ।

उन्मुक्ति प्रदान करने की शक्ति ।

33. (1) यदि केन्द्रीय सरकार का, प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किए जाने पर, यह समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने, जिसके बारे में यह अभिकथन किया गया है कि उसने इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण किया है, अभिकथित अतिक्रमण की बाबत पूर्ण और सही प्रकटन किया है तो वह ऐसे व्यक्ति को ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो वह अधिरोपित करना उचित समझे, इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजन से या अभिकथित अतिक्रमण की बाबत इस अधिनियम के अधीन किसी शास्ति के अधिरोपण से भी उन्मुक्ति प्रदान कर सकेगी :

परन्तु ऐसी कोई उन्मुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा उन मामलों में प्रदान नहीं की जाएगी जहां कि ऐसे किसी अपराध के लिए अभियोजन संबंधी कार्यवाहियां ऐसी उन्मुक्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पूर्व संस्थित कर दी गई हों :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के अधीन प्राधिकरण की सिफारिश केन्द्रीय सरकार पर आबद्धकर नहीं होगी ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे व्यक्ति ने कार्यवाहियों के अनुक्रम में ऐसी शर्त का, जिस पर उन्मुक्ति प्रदत्त की गई थी, अनुपालन नहीं किया था या उसने मिथ्या साक्ष्य दिया था, तो उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को प्रदत्त की गई उन्मुक्ति किसी भी समय वापस ली जा सकेगी और तदुपरि ऐसे व्यक्ति का, ऐसे अपराध के लिए जिसकी बाबत उन्मुक्ति प्रदत्त की गई थी या ऐसे किसी अन्य अपराध के लिए, जिसके बारे में यह प्रतीत होता है कि वह उसके उल्लंघन के संबंध में दोषी है, विचारण किया जा सकेगा और वह इस अधिनियम के अधीन ऐसी किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए भी दायी हो जाएगा, जिसके लिए वह तब दायी होता यदि ऐसी कोई उन्मुक्ति प्रदान न की गई होती।

धन, आय, लाभों और अभिलाभों पर कर से छूट ।

34. (i) धन-कर अधिनियम, 1957; 1957 का 27

(ii) आय-कर अधिनियम, 1961, या 1961 का 43

(iii) धन, आय, लाभ या अभिलाभों पर कर से संबंधित तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमिति में किसी बात के होते हुए भी,

प्राधिकरण अपने व्युत्पन्न धन, आय, लाभ या अभिलाभ की बाबत धन-कर, आय-कर या किसी अन्य कर का संदाय करने का दायी नहीं होगा ।

न्यायालय द्वारा अपराधों का संज्ञान ।

35. (1) कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान, प्राधिकरण द्वारा किए गए परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं ।

(2) सेशन न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा ।

प्रतिभूति अपील अधिकरण को अपील।

36. (1) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा या किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति उस प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष, जिसकी उस मामले में अधिकारिता होगी, अपील कर सकेगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अपील उस तारीख से, जिसको वह आदेश, जिसके विरुद्ध अपील की जानी है, प्राप्त होता है, पैंतालीस दिन की अवधि के भीतर फाइल की जाएगी और वह ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति में होगी और उसके साथ ऐसी फीस होगी, जो विहित की जाए :

परन्तु प्रतिभूति अपील अधिकरण उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी किसी अपील को ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उस अवधि के भीतर अपील न किए जाने के लिए पर्याप्त कारण थे ।

(3) प्रतिभूति अपील अधिकरण, उपधारा (1) के अधीन किसी अपील के प्राप्त होने पर, अपील के पक्षकारों को सुने जाने का अवसर दिए जाने के पश्चात् उस आदेश की, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पुष्टि करते हुए, उसको उपांतरित या अपास्त करते हुए उस पर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

(4) प्रतिभूति अपील अधिकरण, उसके द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश की प्रति प्राधिकरण, अपील के पक्षकारों और संबंधित न्यायनिर्णायक अधिकारियों को भेजेगा ।

(5) प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष उपधारा (1) के अधीन फाइल की गई अपील पर उसके द्वारा यथासंभव शीघ्रता से कार्रवाई की जाएगी और उसके द्वारा उस तारीख से जिसको अपील उसके समक्ष प्रस्तुत की गई है, छह मास के भीतर अपील का अंतिम रूप से निपटारा किए जाने का प्रयास किया जाएगा ।

1992 का 15 (6) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15न और 15प के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रतिभूति अपील अधिकरण इस धारा के अधीन अपील पर ऐसी प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई करेगा, जो विहित की जाए।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का न होना ।

37. किसी सिविल न्यायालय को, किसी ऐसे मामले के बारे में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी, जिसका अवधारण करने के लिए इस अधिनियम के अधीन नियुक्त न्यायनिर्णायक अधिकारी या इस अधिनियम के द्वारा या उसके अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण को सशक्त किया गया है और इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्ति के अनुसरण में की गई या की जाने वाली किसी कार्रवाई की बाबत कोई न्यायालय या अन्य प्राधिकारी कोई व्यादेश नहीं देगा।

उच्चतम न्यायालय को अपील ।

38. इस अधिनियम के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, प्रतिभूति अपील अधिकरण का विनिश्चय या आदेश उसको संसूचित किए जाने की तारीख से साठ दिन के भीतर ऐसे आदेश से उद्भूत विधि के किसी प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय को अपील फाइल कर सकेगा:

परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी को उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था तो वह उसे साठ दिन से अनधिक की और अवधि के भीतर अपील फाइल करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा।

अध्याय 9

वित्त, लेखा और संपरीक्षा

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

39. केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, प्राधिकरण को ऐसी धनराशियों का अनुदान दे सकेगी, जिसे वह सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने हेतु ठीक समझे ।

पेंशन विनियामक और विकास निधि का गठन।

40. (1) पेंशन विनियामक और विकास निधि के नाम से एक निधि का गठन किया जाएगा और उसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,—

(क) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी सरकारी अनुदान, फीस और प्रभार ;

(ख) प्राधिकरण द्वारा ऐसे अन्य स्रोतों से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिश्चित किए जाएं, प्राप्त सभी राशियां।

(2) निधि का उपयोजन निम्नलिखित की पूर्ति के लिए किया जाएगा—

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों तथा अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य पारिश्रमिक;

(ख) प्राधिकरण के कृत्यों के निर्वहन से संबंधित और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके अन्य व्यय।

अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि का गठन।

41. (1) प्राधिकरण अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगा।

(2) अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि में निम्नलिखित रकमें जमा की जाएंगी, अर्थात् :—

(क) अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों, कम्पनियों या किन्हीं अन्य संस्थाओं द्वारा अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि के लिए दिया गया अनुदान और संदान;

(ख) अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि से किए गए विनिधानों से प्राप्त ब्याज और अन्य आय;

(ग) धारा 28 के अधीन प्राधिकरण द्वारा शास्ति के रूप में वसूल की गई राशियां।

(3) अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि का प्राधिकरण द्वारा प्रशासन और उपयोग उक्त प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों के अनुसार अभिदाताओं के हितों के संरक्षण के लिए किया जाएगा।

लेखा और संपरीक्षा।

42. (1) प्राधिकरण, उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके, विहित किया जाए।

(2) प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अंतरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएगी और ऐसी संपरीक्षा के संबंध में उपगत कोई व्यय प्राधिकरण द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के और प्राधिकरण के लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के, उस संपरीक्षा के संबंध में वही अधिकार, विशेषाधिकार और प्राधिकार होंगे जो साधारणतया, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की संपरीक्षा के संबंध में है और उसे विशिष्टतया, बहियां, लेखे संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज और कागजपत्र पेश किए जाने की मांग करने और प्राधिकरण के किसी भी कार्यालय का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

(4) भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित प्राधिकरण के लेखे, उसकी संपरीक्षा रिपोर्ट के साथ प्रतिवर्ष केन्द्रीय सरकार को अग्रेषित किए जाएंगे और सरकार उन्हें संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

अध्याय 10

प्रकीर्ण

केन्द्रीय सरकार की निदेश देने की शक्ति।

43. (1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों के प्रयोग या अपने कृत्यों के पालन में, तकनीकी और प्रशासनिक विषयों से संबंधित प्रश्नों से भिन्न नीति के प्रश्नों पर ऐसे निदेशों से आबद्ध होगा, जो केन्द्रीय सरकार उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे:

परन्तु इस उपधारा के अधीन, कोई निदेश दिए जाने के पूर्व, प्राधिकरण को अपने विचार व्यक्त करने का यावत्साध्य अवसर दिया जाएगा।

(2) कोई प्रश्न नीति का है या नहीं, इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

प्राधिकरण को अतिष्ठित करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

44. (1) यदि किसी समय केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि—

(क) ऐसी परिस्थितियों के कारण, जो प्राधिकरण के नियंत्रण से बाहर हैं, वह इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उनके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों का निर्वहन या कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है; या

(ख) प्राधिकरण ने केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किसी ऐसे निदेश के, जिसे केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के अधीन जारी करने की हकदार है, अनुपालन में या इस अधिनियम के उपबंधों द्वारा या उसके अधीन उस पर अधिरोपित कृत्यों के निर्वहन या कर्तव्यों के पालन में लगातार व्यतिक्रम किया है और ऐसे व्यतिक्रम के फलस्वरूप प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति या प्राधिकरण के प्रशासन को नुकसान हुआ है; या

(ग) ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिनके कारण लोक हित में ऐसा करना आवश्यक हो गया है,

तो केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और उन कारणों से, जो उसमें विनिर्दिष्ट किए जाएं, छह मास से अनधिक की इतनी अवधि के लिए, जितनी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, प्राधिकरण को अतिष्ठित कर सकेगी:

परन्तु ऐसी कोई अधिसूचना जारी करने से पूर्व केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण को प्रस्तावित अधिक्रमण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का उचित अवसर देगी और प्राधिकरण के अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण को अतिष्ठित करने वाली अधिसूचना के प्रकाशन पर--

(क) अध्यक्ष और अन्य सदस्य, अधिक्रमण की तारीख से ही उस रूप में अपने पद को रिक्त कर देंगे;

(ख) ऐसी सभी शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों का, जिनका इस अधिनियम द्वारा या उनके अधीन प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से प्रयोग या निर्वहन किया जा सकता है, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग और निर्वहन किया जाएगा; और

(ग) प्राधिकरण के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन सभी सम्पत्तियां, उपधारा (3) के अधीन प्राधिकरण का पुनर्गठन किए जाने तक, केन्द्रीय सरकार में निहित होंगी ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अतिष्ठित काल की समाप्ति पर या उसके पूर्व प्राधिकरण का पुनर्गठन करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, उपधारा (1) के अधीन जारी की गई अधिसूचना की एक प्रति और उसके द्वारा की गई किसी कार्रवाई की पूरी रिपोर्ट यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगी ।

पेंशन सलाहकार समिति की स्थापना।

45. (1) प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा ऐसी तारीख से, जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे, पेंशन सलाहकार समिति के नाम से ज्ञात एक समिति की स्थापना कर सकेगा।

(2) पेंशन सलाहकार समिति, कर्मचारी संगमों, अभिदाताओं, वाणिज्य और उद्योग, मध्यवर्तियों और पेंशन अनुसंधान में लगे संगठनों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए पच्चीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें पदेन सदस्य सम्मिलित नहीं हैं ।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, पेंशन सलाहकार समिति के पदेन अध्यक्ष और पदेन सदस्य होंगे ।

(4) पेंशन सलाहकार समिति का उद्देश्य, धारा 52 के अधीन विनियम बनाने से संबंधित विषयों पर प्राधिकरण को सलाह देना होगा।

(5) उपधारा (4) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, पेंशन सलाहकार समिति, प्राधिकरण को ऐसे विषयों पर सलाह दे सकेगी, जो प्राधिकरण द्वारा उसे निर्दिष्ट किए जाएं और ऐसे विषयों पर भी सलाह दे सकेगी जो समिति ठीक समझे।

केन्द्रीय सरकार को विवरणियों, आदि का दिया जाना ।

46. (1) प्राधिकरण, केन्द्रीय सरकार को, पेंशन उद्योग के संवर्धन और विकास संबंधी किसी प्रस्थापित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विवरणियां, कथन और अन्य विशिष्टियां ऐसे समय पर और ऐसे प्ररूप तथा रीति में जिनकी केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अपेक्षा करे, देगा जो विहित की जाए या जैसा केन्द्रीय सरकार देने का निदेश दे।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने के पश्चात् नौ मास के भीतर, पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान इस अधिनियम के अधीन विनियमित पेंशन निधि की स्कीमों के संवर्धन और विकास संबंधी क्रियाकलापों सहित अपने क्रियाकलापों का सही और पूर्ण विवरण देते हुए एक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्राप्त रिपोर्टों की प्रतियां उनके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएंगी।

प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

47. प्राधिकरण के अध्यक्ष और अन्य सदस्य तथा अधिकारी और अन्य कर्मचारी, जब वे इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में कार्य कर रहे हों या जब उनका ऐसा कार्य करना तात्पर्यित हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ में लोक सेवक समझे जाएंगे। 1860 का 45

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

48. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, केन्द्रीय सरकार या प्राधिकरण अथवा केन्द्रीय सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध न होगी।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

49. (1) प्राधिकरण, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को, ऐसी शर्तों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, इस अधिनियम के अधीन अपनी ऐसी शक्तियां और कृत्य (धारा 52 के अधीन शक्तियों को छोड़कर), जो वह आवश्यक समझे, प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण, साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा सदस्यों की समिति का भी गठन कर सकेगा और उन्हें प्राधिकरण की ऐसी शक्तियां और कृत्य प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

कंपनियों द्वारा अपराध।

50. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम में उपबंधित किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध, किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तद्नुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए—

(क) "कम्पनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है, और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

---

51. (1) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(क) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की अन्य शर्तें;

(ख) धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन अंशकालिक सदस्यों को संदेय भत्ते;

(ग) ऐसे अतिरिक्त कृत्य, जो धारा 14 की उपधारा (2) के खंड (त) के अधीन प्राधिकरण द्वारा किए जा सकेंगे;

(घ) कोई अन्य विषय, जिसकी बाबत प्राधिकरण धारा 14 की उपधारा (3) के खंड (v) के अधीन सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा;

(ङ) धारा 17 की उपधारा (10) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(च) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 36 की उपधारा (2) के अधीन प्रतिभूति अपील अधिकरण के समक्ष अपील फाइल की जा सकेगी और ऐसी फीस, जो ऐसी अपील के साथ होगी;

(छ) धारा 36 की उपधारा (6) के अधीन अपील पर कार्रवाई करते समय प्रतिभूति अपील अधिकरण द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया;

(ज) वह प्ररूप, जिसमें प्राधिकरण द्वारा धारा 42 की उपधारा (1) के अधीन लेखाओं का वार्षिक विवरण रखा जाएगा;

(झ) वह समय, जिसके भीतर और वह प्ररूप और रीति, जिसमें प्राधिकरण द्वारा धारा 46 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को विवरणियां और रिपोर्टें दी जानी हैं;

(ञ) कोई अन्य विषय, जिसे विहित किया जाना है या जो विहित किया जाए अथवा जिसकी बाबत नियमों द्वारा उपबंध किया जाना है ।

52. (1) प्राधिकरण, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों से संगत हों । विनियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात्:—

(क) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन प्राधिकरण के अधिवेशनों का समय और स्थान तथा ऐसे अधिवेशनों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत ऐसे अधिवेशनों में गणपूर्ति भी है);

(ख) धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा के निबंधन और अन्य शर्तें;

(ग) धारा 12 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट पेंशन स्कीमों की बाबत प्राधिकरण द्वारा बनाए जाने वाले विनियम और वह समय, जिसके भीतर उस धारा की उपधारा (2) के अधीन बनाए गए विनियमों द्वारा ऐसी स्कीमों की पुष्टि की जानी चाहिए;

(घ) धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (च) के अधीन अभिदाताओं की शिकायतों को दूर करने के लिए तंत्र की स्थापना;

(ङ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ढ) के अधीन मध्यवर्तियों द्वारा लेखाबहियां रखी जाएंगी और लेखाओं का विवरण दिया जाएगा;

(च) धारा 20 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का संशोधन;

(छ) धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट व्यष्टि पेंशन लेखा से प्रत्याहरण के लिए प्रयोजन, अंतराल, परिसीमाएं जैसी शर्तें;

(ज) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए अभिदाता धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (ज) में निर्दिष्ट राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से बाहर होगा;

(झ) वे शर्तें, जिनके अधीन रहते हुए अभिदाता धारा 20 की उपधारा (2) के खंड (झ) में निर्दिष्ट किसी वार्षिकी का क्रय करेगा;

(ञ) धारा 21 की उपधारा (2) के अधीन केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण के कर्तव्य और कार्य;

(ट) धारा 21 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को संदेय विनियमित आस्तियों के उचित मूल्य के प्रतिकर का अवधारण;

(ठ) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन अभिदाय और अनुदेश प्राप्त करने तथा उन्हें, यथास्थिति, न्यासी बैंक या केन्द्रीय अभिलेखपालन अभिकरण को पारेषित करने और अभिदाताओं को फायदों का संदाय करने की रीति और धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन उपस्थिति अस्तित्वों के कार्यकरण को शासित करने वाले विनियम;

(ड) वह रीति, जिसमें धारा 23 की उपधारा (1) के अधीन कोई पेंशन निधि अभिदाय प्राप्त कर सकेगी, उनका संचयन कर सकेगी और अभिदाताओं को उनका संदाय कर सकेगी, उपधारा (2) के अधीन पेंशन निधि की संख्या, उपधारा (3) के अधीन पेंशन निधि का कार्यकरण और उपधारा (4) के अधीन पेंशन निधि द्वारा स्कीमों के प्रबंध की रीति;

(ढ) वह प्ररूप और रीति, जिसमें धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए कोई आवेदन किया जाएगा और वह फीस, जिसका ऐसे आवेदन के साथ संदाय किया जाएगा;

(ण) वे शर्तें, जिनके अधीन धारा 27 की उपधारा (3) के अधीन किसी मध्यवर्ती को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त किया जा सकेगा;

(त) धारा 27 की उपधारा (4) के अधीन मध्यवर्तियों के रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के निलम्बन या रद्दकरण की प्रक्रिया और रीति;

(थ) धारा 30 की उपधारा (1) के अधीन किसी न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जांच करने की प्रक्रिया;

(द) धारा 31 की उपधारा (2) के अधीन मध्यवर्ती के शासी बोर्ड या निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण;

(ध) धारा 31 की उपधारा (3) के अधीन प्रशासक द्वारा मध्यवर्ती के कार्यों का प्रबंध;

(न) धारा 41 की उपधारा (3) के अधीन अभिदाता शिक्षा और संरक्षण निधि के प्रशासन और उपयोग की रीति;

(प) धारा 49 की उपधारा (2) के अधीन प्राधिकरण की शक्तियों और कृत्यों का समितियों को प्रत्यायोजन;

(फ) राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली न्यास की स्थापना, उसके कर्तव्य और कृत्य;

(ब) ऐसा कोई अन्य विषय, जो विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाना है या जो विनिर्दिष्ट किया जाए अथवा जिसकी बाबत विनियमों द्वारा उपबंध किया जाना है या उपबंध किया जाए ।

नियमों और विनियमों का संसद् के समक्ष रखा जाना ।

53. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम और प्रत्येक विनियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम या विनियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, उस नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

54. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से पांच वर्ष की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

अन्य विधियों के लागू होने का वर्जित न होना।

55. इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे न कि उनके अल्पीकरण में ।

व्यावृत्ति ।

56. अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण और केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के संकल्प संख्यांक फा0 सं0 5/7/2003-ईसीबी और पीआर, तारीख 10 अक्तूबर, 2003 और फा0 सं0 1(6)2007-पीआर, तारीख 14 नवम्बर, 2008 के और अधिसूचना संख्यांक फा0 सं0 5/7/2003-ईसीबी और पीआर, तारीख 22 दिसम्बर, 2003 के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी ।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 6)

[1 मार्च, 2014]

विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

भाग 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,— परिभाषाएं।

(क) ''नियत दिन'' से वह दिन अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे;

(ख) ''अनुच्छेद'' से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है;

(ग) ''सभा निर्वाचन-क्षेत्र'', ''परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र'' और ''संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र'' के वही अर्थ हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में हैं; (1950 का 43)

(घ) ''निर्वाचन आयोग'' से राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है;

(ङ) ''विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य'' से नियत दिन के ठीक पूर्व यथाविद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य अभिप्रेत है;

(च) "विधि" के अंतर्गत विद्यमान संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य या उसके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत भी है;

(छ) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित कोई आदेश अभिप्रेत है;

(ज) "जनसंख्या अनुपात" से, आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के संबंध में, 2011 की जनगणना के अनुसार 58.32 : 41.68 का अनुपात अभिप्रेत है;

(झ) "आसीन सदस्य" से, संसद् के या विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन का सदस्य है;

(ञ) "उत्तरवर्ती राज्य" से, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य अभिप्रेत है;

(ट) "अंतरित राज्यक्षेत्र" से वह राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो नियत दिन को विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य को अंतरित किया गया है;

(ठ) "खजाना" के अंतर्गत उपखजाना भी है; और

(ड) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के किसी जिले, मंडल, तहसील, तालुक या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह नियत दिन को उस प्रादेशिक खंड के भीतर समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है।

भाग 2

आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन

तेलंगाना राज्य का बनाया जाना।

3. नियत दिन से ही एक नया राज्य बनाया जाएगा, जिसका नाम तेलंगाना राज्य होगा, जिसमें विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे, अर्थात्:—

आदिलाबाद, करीमनगर, मेडक, निजामाबाद, वारंगल, रंगारेड्डी, नालगोंडा, महबूबनगर, खम्माम (किन्तु शा०आ० एमएस० सं० 111, सिंचाई और सीएडी (एलए IV आर एंड आर-I) विभाग, तारीख 27 जून, 2005 में विनिर्दिष्ट मंडलों में के राजस्व ग्रामों तथा भुरगमपाडु मंडल में से भुरगमपाडु, सीता रामनगरम् और कोंडरेका के राजस्व ग्रामों को छोड़कर) और हैदराबाद जिले,

और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के भाग नहीं रहेंगे।

आंध्र प्रदेश राज्य और उसके प्रादेशिक खंड।

4. नियत दिन से ही, आंध्र प्रदेश राज्य में विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के, धारा 3 में विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र समाविष्ट होंगे।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद का सामान्य राजधानी होना।

5. (1) नियत दिन से ही, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद, ऐसी अवधि के लिए जो दस वर्ष से अधिक की नहीं होगी, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की सामान्य राजधानी होगी।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के अवसान पर, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी।

स्पष्टीकरण—इस भाग में, सामान्य राजधानी के अन्तर्गत हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955 के अधीन बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम के रूप में अधिसूचित विद्यमान क्षेत्र आता है। 1956 का हैदराबाद अधिनियम सं० 2

आंध्र प्रदेश के लिए एक राजधानी का गठन करने के लिए विशेषज्ञ समिति।

6. केन्द्रीय सरकार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी के बारे में विभिन्न अनुकल्पों का अध्ययन करने के लिए तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिनियमन की तारीख से छह मास से अनधिक की अवधि में समुचित सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करेगी।

7. नियत दिन से ही, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल ऐसी अवधि के लिए, जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल का सामान्य राज्यपाल होना।

8. (1) नियत दिन से ही, सामान्य राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के प्रयोजनों लिए, राज्यपाल का, उन सभी के, जो ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं, प्राण, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करने का विशेष उत्तरदायित्व होगा। हैदराबाद की सामान्य राजधानी के निवासियों की संरक्षा करने का राज्यपाल का उत्तरदायित्व।

(2) विशिष्टतया, राज्यपाल के उत्तरदायित्व का उन विषयों तक जैसे कि विधि व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण संस्थापनों की सुरक्षा और सामान्य राजधानी क्षेत्र में सरकारी भवनों के प्रबंधन और आबंटन तक विस्तार किया जाएगा।

(3) राज्यपाल, कृत्यों के निर्वहन में, तेलंगाना राज्य की मंत्रि-परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करेगा:

परन्तु यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि यह विषय इस संबंध में ऐसा विषय है या नहीं, जिसके प्रति राज्यपाल से इस उपधारा के अधीन अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है, राज्यपाल का उसके विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए।

(4) राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सलाहकार सहायता प्रदान करेंगे।

9. (1) केन्दीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को अतिरिक्त पुलिस बल जुटाने में सहायता प्रदान करेगी। केन्द्रीय सरकार से उत्तरवर्ती राज्यों को पुलिस बलों की सहायता, आदि।

(2) केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से ही, तीन वर्ष की अवधि के लिए हैदराबाद में ग्रे-हाउंड प्रशिक्षण केन्द्र का अनुरक्षण और प्रशासन करेगी जो उत्तरवर्ती राज्यों के लिए सामान्य प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और उक्त अवधि के अवसान पर हैदराबाद में विद्यमान ग्रे-हाउंड प्रशिक्षण केन्द्र तेलंगाना राज्य का प्रशिक्षण केन्द्र हो जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को, एक वैसा ही प्रतिष्ठापूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र का, ऐसे स्थान पर, जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार आदेश द्वारा अधिसूचित करे, गठन किए जाने में सहायता प्रदान करेगी।

(4) केन्द्रीय सरकार, ग्रे-हाउन्डों के लिए नए प्रचालन केन्द्रों (हब) का ऐसे अवस्थानों पर, जो उत्तरवर्ती राज्य आदेश द्वारा अधिसूचित करें, गठन करने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

(5) विद्यमान आंध्र प्रदेश के ग्रे-हाउन्डों और ओक्टोपस बलों को, कार्मिकों से विकल्प की ईप्सा करने के पश्चात्, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा और इन बलों में प्रत्येक नियत दिन को या उसके पश्चात् उत्तरवर्ती राज्यों के संबंधित पुलिस महानिदेशक के अधीन कार्य करेगा।

10. नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्षक के अधीन,— संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन।

(क) आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची में" शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— 1959 का 56

"तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में";

(ख) प्रविष्टि 28 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"29 तेलंगाना: वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में विनिर्दिष्ट हैं।"।

राज्य सरकार की व्यावृत्त शक्तियां।

11. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह आंध्र प्रदेश सरकार या तेलंगाना सरकार की, नियत दिन के पश्चात् राज्य के किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित करती है।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन।

12. नियत दिन से ही संविधान की चौथी अनुसूची की सारणी में,—

(क) प्रविशिष्ट 1 में, "18" अंकों के स्थान पर, "11" अंक रखे जाएंगे;

(ख) प्रविष्टि 2 से प्रविशिष्ट 30 तक को क्रमश: प्रविष्टि 3 से प्रविष्टि 31 तक के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि 1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:–

"2. तेलंगाना..............................7"।

आसीन सदस्यों का आबंटन।

13. (1) नियत दिन से ही, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के अठारह आसीन सदस्य इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य को आबंटित स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित बनी रहेगी।

लोक सभा

लोक सभा में प्रतिनिधित्व।

14. नियत दिन से ही, लोक सभा में उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को 25 स्थान और उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य को 17 स्थान आबंटित किए जाएंगे और तदनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की 1950 का 43 प्रथम अनुसूची संशोधित समझी जाएगी।

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।

15. (1) नियत दिन से ही, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में संशोधित हो जाएगा।

(2) निर्वाचन आयोग, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008, में विनिर्दिष्ट स्थानों के आबंटन के अनुसार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के लिए लोक सभा और विधान सभाओं के निर्वाचनों का संचालन करा सकेगा।

आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध।

16. (1) ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र का, जो नियत दिन को, धारा 14 के उपबंधों के आधार पर सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्यों को आबंटित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार यथा आबंटित उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ है।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित बनी रहेगी।

विधान सभा

विधान सभाओं के बारे में उपबंध।

17. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या नियत दिन से ही क्रमश: 175 और 119 होगी।

1950 का 43

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, "1. राज्य" शीर्ष के अधीन,—

(क) प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	294	39	15	175	29	7";

(ख) प्रविष्टि 25 से प्रविष्टि 28 को क्रमश: प्रविष्टि 26 से प्रविष्टि 29 के रूप में पुन:संख्यांकित किया जाएगा;

(ग) प्रविष्टि 24 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"25. तेलंगाना	—	—	—	119	19	12"।

आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व।

18. धारा 17 की उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए उत्तरवर्ती राज्यों की विधान सभाओं में एक-एक सदस्य नामनिर्दिष्ट कर सकेगा।

आसीन सदस्यों का आबंटन।

19. (1) ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र से, जो धारा 17 के उपबंधों के आधार पर नियत दिन को सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, तेलंगाना राज्य को आबंटित हो गया है, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचित उस सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस दिन से ही आंध्र प्रदेश की विधान सभा का सदस्य नहीं रह गया है और उसे इस प्रकार आबंटित उस निर्वाचन-क्षेत्र से तेलंगाना की विधान सभा में स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हुआ समझा जाएगा।

(2) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के सभी आसीन सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्य बने रहेंगे और किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसके विस्तार या नाम का धारा 17 के उपबंधों के आधार पर परिवर्तन हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले किसी ऐसे आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह आंध्र प्रदेश की विधान सभा के लिए इस प्रकार यथा परिवर्तित उस निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान सभाओं के बारे में यह समझा जाएगा कि वे नियत दिन को सम्यक् रूप से गठित की गई हैं।

विधान सभाओं की अवधि।

20. आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा और तेलंगाना राज्य की विधान सभा की दशा में, अनुच्छेद 172 के खंड (1) में निर्दिष्ट पांच वर्ष की अवधि उस तारीख को प्रारंभ हुई समझी जाएगी, जिसको वह विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा की दशा में वस्तुत: प्रारंभ हुई है।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रक्रिया नियम।

21. (1) ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष है, उस दिन से ही उस सभा का अध्यक्ष बना रहेगा और उस सभा के सदस्य सभा के सदस्यों में से एक सदस्य को उस सभा का उपाध्यक्ष चुनेंगे।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशाक्य शीघ्र, विद्यमान आंध्र प्रदेश की विधान सभा का उपाध्यक्ष, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य की विधान सभा का उपाध्यक्ष हो जाएगा और उस सभा द्वारा अध्यक्ष को चुने जाने तक, अध्यक्ष के पदीय कर्तव्यों का पालन इस प्रकार नियुक्त उपाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा।

(3) नियत दिन के ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त आंध्र प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम बनाए जाने तक, तेलंगाना की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए होंगे, जो उसके अध्यक्ष द्वारा उनमें किए जाएं।

विधान परिषदें

उत्तरवर्ती राज्यों के लिए विधान परिषद्।

22. (1) प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए, संविधान के अनुच्छेद 169 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार एक-एक विधान परिषद् का गठन किया जाएगा, जो आंध्र प्रदेश विधान परिषद् में के 50 से अनधिक सदस्यों से और तेलंगाना राज्य विधान परिषद् में के 40 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी।

(2) आंध्र प्रदेश राज्य की विद्यमान विधान परिषद् को, नियत दिन से ही, उत्तरवर्ती राज्यों की दो परिषदों के रूप में गठित किया गया समझा जाएगा और विद्यमान सदस्यों को चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट रूप में परिषदों को आबंटित किया जाएगा।

विधान परिषदों के बारे में उपबंध।

23. (1) नियत दिन से ही, क्रमशः आंध्र प्रदेश विधान परिषद् में 50 स्थान और तेलंगाना विधान परिषद् में 40 स्थान होंगे।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में,— 1950 का 43

(i) तृतीय अनुसूची में,—

(क) विद्यमान प्रविष्टि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	50	17	5	5	17	6";

(ख) प्रविष्टि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"7क. तेलंगाना	40	14	3	3	14	6";

(ii) चतुर्थ अनुसूची में, "तमिलनाडु" शीर्ष और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्ष और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:—

"तेलंगाना

1. नगर निगम;
2. नगर पालिकाएं;
3. नगर पंचायतें;
4. छावनी बोर्ड;
5. जिला प्रजा परिषदें;
6. मंडल प्रजा परिषदें।"।

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश का संशोधन।

24. (1) नियत दिन से ही, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (आंध्र प्रदेश) परिसीमन आदेश, 2006, तीसरी अनुसूची के भाग 1 में निदेशित रूप में संशोधित हो जाएगा।

(2) नियत दिन से ही, परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र (तेलंगाना) परिसीमन आदेश, 2014, तीसरी अनुसूची के भाग 2 में विनिर्दिष्ट रूप में उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य को लागू होगा।

(3) केंद्रीय सरकार, यथास्थिति, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्यों से परामर्श करके, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, तीसरी अनुसूची का संशोधन कर सकेगी।

सभापति, उपसभापति और प्रक्रिया नियम।

25. (1) ऐसा व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परिषद् का सभापति है, उसी दिन से ही उस परिषद् का सभापति बना रहेगा और उस परिषद् के सदस्य, परिषद् के सदस्यों में से एक सदस्य को उस परिषद् का उपसभापति चुनेंगे।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, विद्यमान आंध्र प्रदेश की विधान परिषद् का उपसभापति, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् का उपसभापति हो जाएगा और उस परिषद् द्वारा सभापति को चुने जाने तक, सभापति के पदीय कर्तव्यों का पालन इस प्रकार नियुक्त उपसभापति द्वारा किया जाएगा।

(3) नियत दिन के ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त आंध्र प्रदेश विधान परिषद् की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम, अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम बनाए जाने तक, ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो उसके सभापति द्वारा उनमें किए जाएं, तेलंगाना विधान परिषद् के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम होंगे।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन।

26. (1) संविधान के अनुच्छेद 170 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन रहते हुए और इस अधिनियम की धारा 15 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या 175 और 119 से बढ़ाकर क्रमश: 225 और 153 कर दी जाएगी और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन का इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से,—

(क) संविधान के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य की विधान सभाओं में क्रमश: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण किया जा सकेगा;

(ख) उन सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य को विभाजित किया जाएगा, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक के विस्तार का और उनका, जिनमें अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे, अवधारण किया जा सकेगा; और

(ग) खंड (क) में निर्दिष्ट प्रत्येक राज्य में, संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं में ऐसे समायोजन और विस्तार के वर्णन का अवधारण किया जा सकेगा, जो आवश्यक या समीचीन हो।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) और खंड (ग) में निर्दिष्ट विषयों का अवधारण करने में, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखेगा, अर्थात्:—

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे;

(ख) सभी निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करने में उनकी भौतिक विशिष्टताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना होगा; और

(ग) ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों से अवस्थित होंगे, जिनमें कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक हो।

(3) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए अपने साथ सहयुक्त सदस्यों के रूप में ऐसे पांच व्यक्तियों को सहयुक्त करेगा, जो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और वे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो उस राज्य की विधान सभा के या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य हों:

परंतु सहयुक्त सदस्यों में से किसी को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा।

(4) यदि किसी सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो वह, यथासाध्य, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा।

---

(5) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, किसी ऐसे सहयुक्त सदस्य की, जो उनके प्रकाशन की वांछा करता है, विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो आयोग ठीक समझे, ऐसी सूचना के साथ प्रकाशित करेगा, जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दिष्ट की गई हो, जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हुए हों;

(ग) ऐसे सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो उसे इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा,

और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

(6) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति।

27. (1) निर्वाचन आयोग, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) धारा 26 के अधीन किए गए किसी आदेश में किन्हीं मुद्रण संबंधी भूलों को या अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण उसमें हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या किन्हीं आदेशों में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहां ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो उसे ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों।

(2) किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संबंधित विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन।

28. नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में संशोधन हो जाएगा।

अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन।

29. नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का इस अधिनियम की छठी अनुसूची में निर्दिष्ट रूप में संशोधन हो जाएगा।

भाग 4

उच्च न्यायालय

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना किए जाने तक हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय का सामान्य उच्च न्यायालय होना।

30. (1) नियत दिन से ही,—

(क) तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय, इस अधिनियम की धारा 31 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 214 के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय का गठन किए जाने तक, सामान्य उच्च न्यायालय होगा;

(ख) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पद धारण कर रहे हैं, उसी दिन से सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।

(2) सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बाबत व्यय का आबंटन आन्ध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय।

31. (1) धारा 30 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए, एक पृथक् उच्च न्यायालय होगा (जिसे इसमें पश्चात् आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहा गया है) और हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय, तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय कहा गया है) हो जाएगा।

(2) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा, जो राष्ट्रपति, अधिसूचित आदेश द्वारा, नियत करे।

(3) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खंड न्यायालय आन्ध्र प्रदेश राज्य में उसके प्रधान स्थान से भिन्न ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठकें कर सकेंगे, जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति, आन्ध्र प्रदेश के राज्यपाल के अनुमोदन से, नियत करे।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश।

32. (1) हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की तारीख के ठीक पूर्व, जो राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाए, पद धारण कर रहे हों, इस तारीख से हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे।

(2) ऐसे व्यक्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाते हैं, उस दशा के सिवाय, जहां ऐसा कोई व्यक्ति उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाता है, उस न्यायालय में हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपनी-अपनी नियुक्तियों की पूर्विकता के अनुसार रैंक धारण करेंगे।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारिता।

33. आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को, आन्ध्र प्रदेश राज्य में सम्मिलित राज्यक्षेत्रों के किसी भाग की बाबत, ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उक्त राज्यक्षेत्रों के उसके भाग की बाबत हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थे।

विधिज्ञ परिषद् और अधिवक्ताओं के संबंध में विशेष उपबंध।

1961 का 25

34. (1) धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख से ही, अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "राजस्थान, उत्तर प्रदेश" शब्दों के स्थान पर, "राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश" शब्द रखे जाएंगे।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अधिवक्ता है और हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा है, उस तारीख से एक वर्ष के भीतर ऐसे विद्यमान राज्य की विधिज्ञ परिषद् की नामावली में अपने नाम को अंतरित किए जाने का लिखित में विकल्प दे सकेगा और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार दिए गए ऐसे विकल्प पर उसका नाम तेलंगाना विधिज्ञ परिषद् की नामावली में उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजनों के लिए इस प्रकार दिए गए विकल्प की तारीख से अंतरित किया गया समझा जाएगा।

1961 का 25

(3) ऐसे अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को, जो धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार हैं, उस तारीख को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में भी विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी जाएगी।

(4) आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ऐसे सिद्धांतों के अनुसार विनियमित होगा, जो धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में सुनवाई की बाबत प्रवृत्त है।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया।

35. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आवश्यक उपांतरणों, सहित आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी और तदनुसार आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियम बनाने और आदेश करने की ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य हैं:

परंतु ऐसे कोई नियम या आदेश, जो हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत धारा 30 उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, जब तक आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों द्वारा परिवर्तित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिए जाते, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत आवश्यक उपांतरणों सहित इस प्रकार लागू होंगे, मानो वे उस न्यायालय द्वारा बनाए गए हों या किए गए हों।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा।

36. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में लागू होगी।

रिटों और अन्य आदेशिकाओं का प्ररूप।

37. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप की बाबत धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में लागू होगी।

न्यायाधीशों की शक्तियां।

38. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, एकल न्यायाधीश और खंड न्यायालयों की शक्तियों के संबंध में और उन शक्तियों के प्रयोग के आनुषंगिक सभी विषयों के संबंध में, धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया।

39. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय तथा उसके न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में, धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी।

हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को कार्यवाहियों का अंतरण।

40. (1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय की, धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख से ही, आन्ध्र प्रदेश राज्य के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी।

(2) धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी कार्यवाहियां, जो उस दिन से पूर्व या पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा वाद हेतुक उत्पन्न होने के स्थान पर और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्यवाहियों के रूप में प्रमाणित की जाएं, जिनकी सुनवाई और विनिश्चय आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसे प्रमाणीकरण के पश्चात् यथाशक्य आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित हो जाएंगी।

(3) इस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) या धारा 33 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को अपीलों, उच्चतम न्यायालय की इजाजत के लिए आवेदनों, पुनर्विलोकन और ऐसी अन्य कार्यवाहियों के लिए आवेदनों, जिनमें ऐसी किन्हीं कार्यवहियों में धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में कोई अनुतोष मांगा गया है, को ग्रहण करने, सुनवाई करने या उनका निपटारा करने की अधिकारिता होगी और आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को नहीं होगी:

परंतु हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को ग्रहण किए जाने के पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को यह प्रतीत होता है कि उन कार्यवाहियों को आन्ध्र प्रदेश उच्च

न्यायालय को अंतरित किया जाना चाहिए, तो वह यह आदेश करेगा कि वे इस प्रकार अंतरित की जाएं और ऐसी कार्यवाहियां उसके पश्चात् तदनुसार अंतरित हो जाएंगी।

(4) हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा,–

(क) धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के पूर्व, उपधारा (2) के आधार पर आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित किन्हीं कार्यवाहियों में, या

(ख) ऐसी कार्यवाहियों में, जिनकी बाबत हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को उपधारा (3) के आधार पर अधिकारिता रही है,

किया गया कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में ही प्रभावी नहीं रहेगा, बल्कि आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के रूप में भी प्रभावी रहेगा।

आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने या कार्रवाई करने का अधिकार।

41. ऐसे किसी व्यक्ति को, जो धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार अधिवक्ता है या उसमें विधि व्यवसाय करने के लिए कोई अन्य हकदार व्यक्ति है और जो धारा 40 के अधीन उस उच्च न्यायालय से आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत था, उन कार्यवाहियों के संबंध में आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उपसंजात होने का अधिकार होगा।

निर्वाचन।

42. धारा 40 के प्रयोजनों के लिए,—

(क) किसी न्यायालय में कार्यवाहियां तब तक लंबित समझी जाएंगी, जब तक उस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच सभी विवाद्यकों का, जिनके अंतर्गत कार्यवाहियों के खर्चे के विनिर्धारण की बाबत कोई विवाद्यक भी हैं, निपटारा नहीं कर दिया जाता है और उसके अंतर्गत अपीलें, उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, पुनरीक्षण के लिए अर्जियां और रिट याचिकाएं भी हैं; और

(ख) किसी उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत किसी न्यायाधीश या खंड न्यायालय के प्रति निर्देश हैं और किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आदेश के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत उस न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी दंडादेश, पारित निर्णय या डिक्री के प्रति निर्देश है।

व्यावृत्तियां।

43. इस भाग की कोई बात संविधान के किन्हीं उपबंधों के आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को लागू होने पर प्रभाव नहीं डालेगी और इस भाग का प्रभाव किसी ऐसे उपबंध के अधीन रहते हुए होगा, जो धारा 30 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट तारीख को या उसके पश्चात् उस उच्च न्यायालय की बाबत किसी विधान-मंडल या ऐसा उपबंध करने की शक्ति रखने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाए।

भाग 5

व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

तेलंगाना राज्य के व्यय को प्राधिकृत किया जाना।

44. विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल, नियत दिन के पूर्व किसी भी समय, तेलंगाना राज्य की संचित निधि में से ऐसा व्यय प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह तेलंगाना राज्य की विधान सभा द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी के लंबित रहने तक, नियत दिन से आरंभ होने वाली छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए आवश्यक समझे :

परंतु तेलंगाना का राज्यपाल, नियत दिन के पश्चात् तेलंगाना राज्य की संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय, ऐसी किसी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि के परे की नहीं होगी, जो वह आवश्यक समझे, प्राधिकृत कर सकेगा।

आन्ध्र प्रदेश राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें।

45. (1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत अनुच्छेद 151 के खंड (2) में निर्दिष्ट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें को प्रत्येक उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा।

(2) राष्ट्रपति, आदेश द्वारा,—

(क) वित्तीय वर्ष के दौरान नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत या किसी पूर्वतर वित्तीय वर्ष की बाबत किसी सेवा पर आन्ध्र प्रदेश की संचित निधि में से उपगत ऐसे किसी व्यय को, जो उस सेवा के लिए और उस वर्ष के लिए अनुदत्त रकम के; जैसा उपधारा (1) में निर्दिष्ट रिपोर्टें में प्रकट किया गया हो, आधिक्य में हो, सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया घोषित कर सकेगा; और

(ख) उक्त रिपोर्टें से उद्भूत किसी विषय पर की जाने वाली किसी कार्रवाई का उपबंध कर सकेगा।

राजस्व का वितरण।

46. (1) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य को दिए गए राजस्व को केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात तथा अन्य सन्नियमों के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा:

परंतु नियत दिन को, राष्ट्रपति, चौदहवें वित्त आयोग को उत्तरवर्ती राज्यों को उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखने के लिए और प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए पृथक्-पृथक् अधिनिर्णय करने के लिए निर्देश करेगा।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य को उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समुचित अनुदान कर सकेगी और इस बात को भी सुनिश्चित कर सकेगी कि उस राज्य के पिछड़े क्षेत्रों को विशेष विकास पैकेज के रूप में पर्याप्त फायदे और प्रोत्साहन दिए जाएं।

(3) केन्द्रीय सरकार उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष विकास पैकेज पर विचार करते हुए उस राज्य के विशिष्टतया रायलसीमा और उत्तरी तटीय क्षेत्रों में पर्याप्त प्रोत्साहन उपलब्ध कराएगी।

भाग 6

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

भाग का लागू होना।

47. (1) इस भाग के उपबंध विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य की नियत दिन के ठीक पूर्व की आस्तियों और दायित्वों के प्रभाजन के संबंध में लागू होंगे।

(2) उत्तरवर्ती राज्य उन फायदों को, जो विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा किए गए विनिश्चयों से उद्भूत हों, प्राप्त करने के हकदार होंगे और उत्तरवर्ती राज्य, विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य द्वारा किए गए विनिश्चयों से उद्भूत वित्तीय दायित्वों को वहन करने के दायी होंगे।

(3) आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आस्तियों और दायित्वों के न्यायोचित, युक्तियुक्त और साम्यापूर्ण प्रभाजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों।

(4) वित्तीय आस्तियों और दायित्वों की रकम के संबंध में किसी विवाद का निपटारा आपसी करार से, और उसमें असफल रहने पर केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, आदेश द्वारा, किया जाएगा।

भूमि और माल।

48. (1) इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य से संबद्ध समस्त भूमि और समस्त सामान, वस्तुएं और अन्य माल,—

(क) यदि अंतरित राज्यक्षेत्र के भीतर हों, तो तेलंगाना राज्य को संक्रांत हो जाएंगे; अथवा

(ख) किसी अन्य मामले में, आंध्र प्रदेश राज्य की संपत्ति बने रहेंगे:

परन्तु संपत्तियों के विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के बाहर स्थित होने की दशा में, ऐसी संपत्तियों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा:

परंतु यह और कि जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी माल या किसी वर्ग के माल का वितरण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच, माल की अवस्थिति के अनुसार न होकर अन्यथा होना चाहिए, वहां केंद्रीय सरकार माल के न्यायोचित और साम्यापूर्ण वितरण के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे और वह माल तदनुसार उत्तरवर्ती राज्यों को संक्रांत हो जाएगा:

परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन किसी माल या माल के किसी वर्ग के वितरण के संबंध में कोई विवाद होने की दशा में, केंद्रीय सरकार ऐसे विवाद का निपटारा उस प्रयोजन के लिए उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के बीच हुए आपसी करार के माध्यम से करने का प्रयास करेगी, ऐसा करने में असफल रहने पर केंद्रीय सरकार उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों में से किसी के द्वारा किए गए अनुरोध पर, उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, इस उपधारा के अधीन, यथास्थिति, ऐसे माल या माल के ऐसे वर्ग के वितरण के लिए ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।

(2) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जैसे कि विशिष्ट संस्थाओं, कर्मशालाओं या उपक्रमों में या सन्निर्माणाधीन विशेष संकर्मों पर प्रयोग या उपयोग के लिए रखा हुआ सामान उन उत्तरवर्ती राज्यों को संक्रान्त हो जाएगा, जिनके राज्यक्षेत्र में ऐसी संस्थाएं, कर्मशालाएं, उपक्रम या संकर्म अवस्थित हों।

(3) सचिवालय से और संपूर्ण विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य पर अधिकारिता रखने वाले विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से संबंधित सामान को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाएगा।

(4) इस धारा में "भूमि" पद के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर संपत्ति तथा ऐसी संपत्ति में या उस पर के कोई अधिकार हैं और "भूमि" पद के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट तथा करेंसी नोट नहीं आते हैं।

खजाना और बैंक अतिशेष।

49. नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के सभी खजानों के नकद अतिशेषों और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य बैंक के पास विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के जमा अतिशेषों के योग का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच विभाजन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा:

परन्तु ऐसे विभाजन के प्रयोजनों के लिए नकद अतिशेषों का किसी एक खजाने से दूसरे खजाने को कोई अंतरण नहीं किया जाएगा और प्रभाजन भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में नियत दिन को दोनों राज्यों के जमा अतिशेषों को समायोजित करके किया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि नियत दिन को तेलंगाना राज्य का भारतीय रिजर्व बैंक में कोई खाता नहीं है, तो समायोजन ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसे केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे।

करों की बकाया।

50. संपत्ति पर कर या शुल्क की बकाया को, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया भी है, वसूल करने का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिसमें वह संपत्ति स्थित है, और किसी अन्य कर या शुल्क की बकाया की वसूली का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिसके राज्यक्षेत्रों में नियत दिन को उस कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान सम्मिलित किया जाता है।

उधारों और अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार।

51. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का उस राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी स्थानीय निकाय, सोसाइटी, कृषक या अन्य व्यक्ति को नियत दिन के पूर्व दिए गए किन्हीं उधारों या अग्रिमों की वसूली का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिसमें उस दिन वह क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है।

(2) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का उस राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति या संस्था को, नियत दिन के पूर्व दिए गए उधारों या अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार आंध्र प्रदेश राज्य का होगा:

परन्तु किसी ऐसे उधार या अग्रिम की बाबत वसूल की गई किसी राशि का विभाजन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

कतिपय निधियों में विनिधान और जमा।

52. (1) सातवीं अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के नकद अतिशेष विनिधान लेखा या लोक लेखा की किसी निधि से किए गए विनिधानों की बाबत धारित प्रतिभूतियों का प्रभाजन, उत्तरवर्ती राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा:

परन्तु विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य को आपदा राहत निधि में से किए गए विनिधानों में धारित प्रतिभूतियों को उत्तरवर्ती राज्य के अधिभोगाधीन राज्यक्षेत्रों के क्षेत्रों के अनुपात में विभाजित किया जाएगा।

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की किसी ऐसी विशेष निधि में विनिधान, जिसके उद्देश्य किसी स्थानीय क्षेत्र तक सीमित हैं, उस राज्य के होंगे, जिसमें नियत दिन को वह क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है:

परन्तु विद्यमान राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित बहुल इकाइयों पर ऐसी विशेष निधियों में के विनिधानों को, और ऐसे भाग आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के राज्यक्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा।

(3) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के किसी प्राइवेट, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में के ऐसे विनिधान, जिनके उद्देश्य किसी स्थानीय क्षेत्र तक सीमित हैं, उस उत्तरवर्ती राज्य से संबंधित होंगे जिसमें ऐसा क्षेत्र नियत दिन को सम्मिलित किया जाता है:

परन्तु ऐसी इकाइयों में, जिनकी विद्यमान राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित बहुल इकाइयां हैं और ऐसे भाग आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के राज्यक्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, विनिधानों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा।

(4) जहां भाग 2 के उपबंधों के आधार पर, किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य या उसके किसी भाग के लिए गठित कोई निगमित निकाय अंतरराज्यिक निगमित निकाय हो जाता है, वहां, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा नियत दिन के पूर्व किसी ऐसे निगमित निकाय में के विनिधानों या उसे दिए गए उधारों या अग्रिमों का विभाजन, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच उसी अनुपात में किया जाएगा, जिसमें उस निगमित निकाय की आस्तियों का इस भाग के उपबंधों के अधीन विभाजन किया जाता है।

राज्य उपक्रम की आस्तियां और दायित्व।

53. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से संबंधित आस्तियां और दायित्व, जहां ऐसा उपक्रम या उसका कोई भाग अनन्य रूप से किसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित है या उसका प्रचालन उस तक सीमित है, उसके मुख्यालय की अवस्थिति को विचार में लिए बिना उस राज्य को संक्रान्त हो जाएंगे जिसमें वह क्षेत्र नियत दिन को सम्मिलित किया गया है:

परन्तु जहां ऐसे उपक्रम का प्रचालन भाग 2 के उपबंधों के आधार पर अन्तरराज्यिक बन जाता है, वहां—

(क) उस उपक्रम की प्रचालन इकाइयों की आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन उत्तरवर्ती राज्यों के बीच अवस्थिति के आधार पर किया जाएगा; और

(ख) उस उपक्रम के मुख्यालय की आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाएगा।

(2) आस्तियों और दायित्वों के प्रभाजन पर, ऐसी आस्तियों और दायित्वों को पारस्परिक करार पर अथवा ऐसे किसी अन्य ढंग के माध्यम से, जो उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा करार पाया जाए, संदाय या समायोजन करके भौतिक रूप में अन्तरित किया जाएगा।

54. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लोक ऋण और लोक लेखा मद्धे ऐसे सभी दायित्वों का प्रभाजन, जो नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया थे, जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभाजन का कोई भिन्न ढंग उपबंधित न हो, उत्तरवर्ती राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा। लोक ऋण।

(2) उत्तरवर्ती राज्यों को आबंटित किए जाने वाले दायित्वों की विभिन्न मदें और एक उत्तरवर्ती राज्य द्वारा दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को किए जाने वाले अपेक्षित अभिदाय की रकम वह होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, आदिष्ट की जाए:

परन्तु ऐसे आदेश जारी किए जाने तक, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लोक ऋण और लोक लेखा मद्धे दायित्व उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के दायित्व बने रहेंगे।

(3) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य किसी भी स्रोत से लिए गए उधार और ऐसी इकाइयों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, और जिनका प्रचालन क्षेत्र दोनों में से किसी उत्तरवर्ती राज्य तक सीमित है, पुन: उधार देने मद्धे दायित्व उपधारा (4) में यथाविनिर्दिष्ट संबंधित राज्य को न्यागत हो जाएगा।

(4) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का लोक ऋण, जो उस उधार के कारण माना जा सकता है जो किसी विनिर्दिष्ट संस्था को उसे पुन: उधार देने के अभिव्यक्त प्रयोजनार्थ किसी स्रोत से लिया गया हो और नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया हो—

(क) यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में के किसी स्थानीय निकाय, निगमित निकाय या अन्य संस्था को पुन: उधार दिया गया हो तो वह उस राज्य का ऋण होगा जिसमें नियत दिन को वह स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है; या

(ख) यदि किसी अन्य ऐसे निगम या संस्था को, जो नियत दिन को अन्तरराज्यिक निगम या संस्था बन जाती है, पुन: उधार दिया गया हो तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में उसका विभाजन उसी अनुपात में किया जाएगा जिसमें ऐसे निगमित निकाय या ऐसी संस्था की आस्तियों का विभाजन भाग 7 के उपबंधों के अधीन किया जाता है।

(5) जहां विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा कोई निक्षेप निधि या अवक्षयण निधि उसके द्वारा लिए गए किसी उधार के प्रतिसंदाय के लिए रखी गई हो, वहां उस निधि में से किए गए विनिधानों की बाबत धारित प्रतिभूतियों का उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विभाजन उसी अनुपात में किया जाएगा जिसमें इस धारा के अधीन दोनों राज्यों के बीच संपूर्ण लोक ऋण का विभाजन किया जाता है।

(6) इस धारा में, ''सरकारी प्रतिभूति'' पद से कोई ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो लोक ऋण लेने के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई है और जो लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (2) में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित प्ररूपों में से किसी प्ररूप की है।

55. किसी स्थानीय निकाय, निगमित निकाय या अन्य संस्था की लघु अवधि के वित्तपोषण का उपबंध करने के लिए किसी प्लवमान ऋण की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के सभी दायित्वों का अवधारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा, अर्थात्:— प्लवमान

(क) यदि, प्लवमान ऋण के प्रयोजन, नियत दिन से ही, किसी भी उत्तरवर्ती राज्य के अनन्य प्रयोजन हैं, तो उस राज्य के दायित्व होंगे;

(ख) किसी अन्य दशा में, उन्हें जनसंख्या अनुपात के आधार पर विभाजित किया जाएगा।

आधिक्य में संगृहीत करों का प्रतिदाय।

56. (1) संपत्ति पर संगृहीत आधिक्य किसी कर या शुल्क का, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व भी है, प्रतिदाय करने का विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा, जिसके राज्यक्षेत्रों में वह संपत्ति अवस्थित है तथा संगृहीत आधिक्य किसी अन्य कर या शुल्क का प्रतिदाय करने का विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व उस उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा और ऐसे दायित्व का उन्मोचन करने वाला राज्य दूसरे राज्य से, दायित्व के अपने हिस्से को, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।

(2) नियत दिन को संपत्ति पर संगृहीत आधिक्य किसी अन्य कर या शुल्क का विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा, जिसके राज्यक्षेत्रों में ऐसे कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान सम्मिलित किया गया है और विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का संगृहीत आधिक्य किसी अन्य कर या शुल्क का प्रतिदाय करने के दायित्व का प्रभाजन उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा और अपने दायित्व का उन्मोचन करने वाला राज्य दूसरे राज्य से अपने दायित्व के अपने हिस्से को, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा।

निक्षेप, आदि।

57. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का किसी सिविल निक्षेप या स्थानीय निधि निक्षेप की बाबत दायित्व नियत दिन से उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में निक्षेप किया गया है।

(2) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का किसी पूर्त या अन्य विन्यास की बाबत नियत दिन से उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में विन्यास का फायदा पाने की हकदार संस्था अवस्थित है या उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिस तक विन्यास के उद्देश्य, उसके निबंधनों के अधीन सीमित हैं:

परन्तु नियत दिन के पूर्व संपूर्ण राज्य पर अधिकारिता रखने वाले विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा बनाए रखे गए कोई सिविल निक्षेपों या ऋण निधियों या पूर्त अथवा अन्य विन्यास निधियों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा।

भविष्य निधि।

58. नियत दिन को सेवारत किसी सरकारी सेवक के भविष्य निधि खाते की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व, उस दिन से उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा जिसे वह सरकारी सेवक स्थायी रूप से आबंटित किया गया हो।

पेंशन।

59. पेंशनों की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को या उसका उनके बीच इस अधिनियम की आठवीं अनुसूची में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार संक्रान्त होगा या उनका प्रभाजन किया जाएगा।

संविदाएं।

60. (1) जहां विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य के किन्हीं प्रयोजनों के लिए कोई संविदा नियत दिन के पूर्व की हो वहां वह संविदा,—

(क) यदि संविदा के प्रयोजन, नियत दिन से ही, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में से किसी के अनन्य प्रयोजन हों, तो उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई समझी जाएगी और दायित्व का उन्मोचन उस राज्य द्वारा किया जाएगा; और

(ख) किसी अन्य दशा में उन सभी अधिकारों तथा दायित्वों को, जो ऐसी किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं, या प्रोद्भूत हों, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर या ऐसी किसी अन्य रीति में, जो उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा करार पाई जाएं, प्रभाजित किया जाएगा।

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे दायित्वों के अन्तर्गत, जो किसी संविदा के

अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हों,—

(क) उस संविदा से संबंधित कार्यवाहियों में किसी न्यायालय या अन्य अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश या अधिनिर्णय की तुष्टि करने का कोई दायित्व; और

(ख) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में या उनके संबंध में उपगत व्ययों की बाबत कोई दायित्व, भी सम्मिलित समझा जाएगा।

(3) यह धारा इस भाग के उधारों, प्रत्याभूतियों और अन्य वित्तीय बाध्यताओं की बाबत दायित्वों के प्रभाजन से संबंधित अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, और बैंक अतिशेष और प्रतिभूतियों के विषय में कार्यवाही, उनके संविदात्मक अधिकारों की प्रकृति के होते हुए भी उन उपबंधों के अधीन की जाएगी।

अनुयोज्य दोष की बाबत दायित्व।

61. जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य संविदा भंग से भिन्न किसी अनुयोज्य दोष की बाबत किसी दायित्व के अधीन हैं, वहां,—

(क) वह दायित्व, उस दशा में, जब वाद-हेतुक पूर्णतया उन राज्यक्षेत्रों के भीतर उद्भूत हुआ है, जो उस दिन से उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्यों में से किसी के राज्यक्षेत्र हैं, उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा; और

(ख) वह दायित्व किसी अन्य दशा में उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर या ऐसी किसी अन्य रीति में, जो उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा करार पाई जाए, प्रभाजित किया जाएगा।

प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व।

62. जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी या अन्य व्यक्ति के किसी दायित्व के बारे में प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायी हो वहां,—

(क) वह दायित्व, उस दशा में, यदि उस सोसाइटी या व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र उन राज्यक्षेत्रों तक सीमित है जो उस दिन से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्यों में से किसी के राज्यक्षेत्र हैं, उस राज्य का दायित्व होगा; और

(ख) वह दायित्व किसी अन्य दशा में, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर या ऐसी किसी अन्य रीति में, जो उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा करार पाई जाए, प्रभाजित किया जाएगा।

उचंत मदें।

63. यदि किसी उचंत मद के बारे में अंततोगत्वा यह पाया जाता है कि उसका इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी में निर्दिष्ट प्रकार की किसी आस्ति या दायित्व पर प्रभाव पड़ता है तो उसके संबंध में उस उपबंध के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

अवशिष्ट उपबंध।

64. विद्यमान आंध्र प्रदेश की किसी ऐसी आस्ति का फायदा या दायित्व का भार, जिसके बारे में इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में कोई उपबंध नहीं है, प्रथमत: आंध्र प्रदेश राज्य को, ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन रहते हुए जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच करार पाया जाए, या ऐसे करार के अभाव में, जैसे केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे, संक्रांत हो जाएगा।

आस्तियों या दायित्व का करार द्वारा प्रभाजन।

65. जहां उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच यह करार पाया जाता है कि किसी विशिष्ट आस्ति के फायदे या दायित्व के भार का उनके बीच प्रभाजन ऐसी रीति से किया जाना चाहिए जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में उपबंधित रीति से भिन्न है, वहां उनमें अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस आस्ति के फायदे या दायित्व के भार का प्रभाजन उस रीति से किया जाएगा, जो करार पाई जाए।

कतिपय मामलों में आबंटन या समायोजन का आदेश करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

66. जहां उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में से कोई भी, इस भाग के उपबंधों में से किसी के आधार पर, किसी संपत्ति का हकदार हो जाता है या कोई फायदा अभिप्राप्त कर लेता है या किसी दायित्व के अधीन हो जाता है और नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि के भीतर दोनों में से किसी राज्य द्वारा निर्देश किए जाने पर केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि वह संपत्ति या वे फायदे दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को अन्तरित किए जाने चाहिएं, वहां उक्त संपत्ति या फायदों का आबंटन दोनों राज्यों के बीच ऐसी रीति से किया जाएगा या दूसरा राज्य उस राज्य को, जो उस दायित्व के अधीन है,

उसके बारे में ऐसा अभिदाय करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, दोनों राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, आदेश द्वारा, अवधारित करे।

कतिपय व्यय का संचित निधि पर भारित होना।

67. इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर, यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा या तेलंगाना राज्य द्वारा अन्य राज्यों को या केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को संदेय सभी राशियां, यथास्थिति, उस राज्य की संचित निधि पर, जिसके द्वारा ऐसी राशियां संदेय हों, या भारत की संचित निधि पर, भारित होंगी।

भाग 7

कतिपय निगमों के बारे में उपबंध

विभिन्न कंपनियों और निगमों के बारे में उपबंध।

68. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लिए गठित नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कंपनियां और निगम नियत दिन से ही उन क्षेत्रों में, जिनकी बाबत उस दिन के ठीक पूर्व वे कार्य कर रहे थे, इस धारा के उपबंधों के अधीन कार्य करते रहेंगे।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कंपनियों और निगमों की आस्तियों, अधिकारों तथा दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच धारा 53 में उपबंधित रीति में प्रभाजित किया जाएगा।

विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जल के प्रदाय के बारे में व्यवस्थाओं का बना रहना।

69. यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन या प्रदाय या जल प्रदाय के बारे में या ऐसे उत्पादन या प्रदाय के लिए किसी परियोजना के निष्पादन के बारे में व्यवस्था का उस क्षेत्र के लिए अहितकर रूप में उपांतरण इस तथ्य के कारण हो गया है या उपांतरण होने की संभावना है कि वह क्षेत्र भाग 2 के उपबंधों के आधार पर उस राज्य से बाहर हो गया है, जिसमें, यथास्थिति, ऐसी शक्ति के उत्पादन और प्रदाय के लिए विद्युत केन्द्र और अन्य संस्थापन अथवा जल प्रदाय के लिए जलागम क्षेत्र, जलाशय और अन्य संकर्म स्थित हैं, तो केन्द्रीय सरकार, जहां कहीं आवश्यक हो, उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, पहले वाली व्यवस्था को, जहां तक साध्य हो, बनाए रखने के लिए ऐसे निदेश, जो वह उचित समझे, राज्य सरकार या अन्य संबद्ध प्राधिकारी को दे सकेगी और वह राज्य, जिसे ऐसे निदेश दिए गए हैं उनका पालन करेगा।

आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम के बारे में उपबंध।

70. (1) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम नियत दिन से ही, उन क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह उस दिन के ठीक पूर्व कार्य कर रहा था, इस धारा के उपबंधों तथा ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किए जाएं, कार्य करता रहेगा। 1951 का 63

(2) उपधारा (1) के अधीन निगम के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अन्तर्गत ऐसा निदेश भी हो सकेगा कि उक्त अधिनियम निगम के प्रति उसके लागू होने में, ऐसे अपवादों तथा उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा, जो निदेश में विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, निगम का निदेशक बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत दिन के पश्चात् किसी समय निगम के, यथास्थिति, पुनर्गठन या पुनर्संगठन या विघटन की किसी स्कीम के, जिसके अन्तर्गत नए निगमों के बनाए जाने और विद्यमान निगम की आस्तियां, अधिकार तथा दायित्व उन्हें अंतरित किए जाने के बारे में प्रस्थापनाएं भी हैं, विचारार्थ अधिवेशन बुला सकेगा और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो बुलाएगा और यदि ऐसी कोई स्कीम उपस्थित और मत देने वाले शेयर धारकों के बहुमत से साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है तो वह स्कीम केन्द्रीय सरकार को उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

(4) यदि स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा उपांतरणों के बिना या ऐसे उपांतरणों के सहित, जो साधारण अधिवेशन में अनुमोदित किए जाते हैं, मंजूर कर ली जाती है तो केन्द्रीय सरकार, स्कीम को प्रमाणित करेगी और ऐसे प्रमाणन पर वह स्कीम, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उस स्कीम द्वारा प्रभावित निगमों पर तथा उनके शेयर धारकों और लेनदारों पर भी आबद्धकर होगी।

(5) यदि स्कीम इस प्रकार अनुमोदित या मंजूर नहीं की जाती है तो केन्द्रीय सरकार इस स्कीम को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को, जो उसके मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित किया जाए, निर्देशित कर सकेगी और उस स्कीम के बारे में न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा और स्कीम द्वारा प्रभावित निगमों पर तथा उनके शेयर धारकों और लेनदारों पर भी आबद्धकर होगा।

(6) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य की सरकार को, नियत दिन को या उसके पश्चात् किसी समय राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन उस राज्य के लिए किसी राज्य वित्तीय निगम का गठन करने से निवारित करने वाली है। (1951 का 63)

कंपनियों के बारे में कतिपय उपबंध।

71. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम की नवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट कंपनियों में से प्रत्येक के लिए—

(क) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के हितों और शेयरों का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच विभाजन के बारे में;

(ख) कंपनी के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन की अपेक्षा करने के लिए, जिससे सभी उत्तरवर्ती राज्यों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके,

निदेश जारी कर सकेगी।

कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञापत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध।

72. (1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 में किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या उस राज्य में किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्र, यदि ऐसा अनुज्ञापत्र नियत दिन के ठीक पूर्व अंतरित राज्यक्षेत्र में के किसी क्षेत्र में विधिमान्य और प्रभावी था, तत्समय उस क्षेत्र में प्रवृत्त उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन हुए रहते उस क्षेत्र में उस दिन के पश्चात् और उसकी विधिमान्यता की अवधि तक विधिमान्य और प्रभावी बना रहा समझा जाएगा और ऐसे किसी अनुज्ञापत्र को उस क्षेत्र में उपयोग के लिए उसे विधिमान्य करने के प्रयोजन के लिए तेलंगाना राज्य परिवहन प्राधिकारी या उसमें किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं होगा: (1988 का 59)

परन्तु केन्द्रीय सरकार, उन शर्तों में, जो ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसके द्वारा अनुज्ञा प्रदान की गई थी अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न की गई हों, उत्तरवर्ती राज्य सरकार या संबद्ध सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन कर सकेगी।

(2) किसी ऐसे अनुज्ञापत्र के अधीन उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी में किसी परिवहन यान को चलाने के लिए नियत दिन के पश्चात् उस परिवहन यान की बाबत कोई पथकर, प्रवेश फीस या वैसी ही प्रकृति के अन्य प्रभार उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे यदि ऐसे यान को उस दिन के ठीक पूर्व अन्तरित राज्यक्षेत्र में चलाने के लिए ऐसे किसी पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के संदाय से छूट प्राप्त हो:

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसे पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के उद्ग्रहण को, संबद्ध राज्य सरकार या सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगी:

परन्तु यह और कि इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां ऐसे पथकर, प्रवेश फीस या इसी प्रकार के अन्य प्रभार ऐसी किसी सड़क या पुल के उपयोग के लिए उद्ग्रहणीय हैं, जिसका सन्निर्माण या विकास वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा, ऐसे संयुक्त उपक्रम द्वारा जिसमें राज्य सरकार एक शेयर धारक है या प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया गया है।

कतिपय मामलों में छंटनी प्रतिकर से संबंधित विशेष उपबंध।

73. जहां किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित कोई निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सहकारी सोसाइटी या उस राज्य का कोई वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम, इस अधिनियम के अधीन विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के कारण किसी भी रीति से पुनर्गठित या पुनर्संगठित किया जाता है या किसी अनन्य

निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटी या उपक्रम में समामेलित किया जाता है या विघटित किया जाता है और ऐसे पुनर्गठन, पुनर्संगठन, समामेलन या विघटन के परिणामस्वरूप ऐसे निगमित निकाय या किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी या ऐसे उपक्रम द्वारा नियोजित किसी कर्मकार को किसी अन्य निगमित निकाय को या किसी अन्य सहकारी सोसाइटी या उपक्रम को स्थानांतरित किया जाता है या उसके द्वारा पुनर्नियोजित किया जाता है वहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25च या धारा 25चच या धारा 25चचच में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा स्थानांतरण या पुनर्नियोजन उसे उस धारा के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा: 1947 का 14

परन्तु यह तब तक कि—

(क) ऐसे स्थानांतरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् कर्मकार को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसे स्थानांतरण या पुनर्नियोजन के ठीक पूर्व कर्मकार को लागू होने वाले निबंधनों और सेवा-शर्तों से कम अनुकूल न हों;

(ख) उस निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटी या उपक्रम से, जहां कर्मकार को स्थानांतरित या पुनर्नियोजित किया गया हो, संबंधित नियोजक, करार द्वारा या अन्यथा उस कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा चालू रही है और स्थानांतरण या पुनर्नियोजन द्वारा उसमें बाधा नहीं पड़ी है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25च या धारा 25चच या धारा 25चचच के अधीन विधिक रूप से प्रतिकर देने का दायी हो। 1947 का 14

आय-कर के बारे में विशेष उपबंध।

74. जहां इस भाग के उपबंधों के अधीन कारबार चलाने वाले किसी निगमित निकाय की आस्तियां, अधिकार और दायित्व ऐसे किन्हीं अन्य निगमित निकायों को अन्तरित किए जाते हैं, जो अन्तरण के पश्चात् वही कारबार चलाते हों, वहां प्रथम वर्णित निगमित निकाय को हुई हानियां या लाभ या अभिलाभ, जिनका ऐसा अन्तरण न होने पर, आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत या मुजरा किया जाना अनुज्ञात कर दिया गया होता, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार अंतरिती, निगमित निकायों के बीच प्रभाजित किए जाएंगे और ऐसे प्रभाजन पर, प्रत्येक अंतरिती निगमित निकाय को आबंटित हानि के अंश के संबंध में कार्यवाही उक्त अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार की जाएगी मानो वे हानियां स्वयं अंतरिती निगमित निकाय को उसके द्वारा चलाए गए किसी कारबार में उन वर्षों में हुई हों जिनमें वे हानियां हुई थीं। 1961 का 43

कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना।

75. (1) यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्य की या तेलगांना राज्य की सरकार इस अधिनियम की दसवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट उन संस्थाओं की बाबत, जो उस राज्य में अवस्थित हैं, ऐसी सुविधाएं, जो किसी भी प्रकार से उन लोगों के लिए, जो उन्हें नियत दिन के पूर्व उपलब्ध कराई जा रही थीं, कम अनुकूल नहीं होंगी, ऐसी अवधि तक और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो दोनों राज्य सरकारों के बीच नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के भीतर करार पाई जाएं या यदि कोई करार नहीं किया जाता है तो उक्त अवधि तक जो केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा नियत किया जाए उपलब्ध कराना जारी रखेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से एक वर्ष के भीतर किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) में निर्दिष्ट दसवीं अनुसूची में आंध्र प्रदेश और तेलगांना राज्यों में नियत दिन को विद्यमान किसी अन्य संस्था को विनिर्दिष्ट कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर यह समझा जाएगा कि ऐसी अनुसूची का संशोधन उक्त संस्था को उसमें सम्मिलित करके किया गया है।

भाग 8

सेवाओं के बारे में उपबंध

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध।

76. (1) इस धारा में "राज्य काडर" पद का —

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में वही अर्थ है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है;

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में वही अर्थ है जो भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है; और

(ग) भारतीय वन सेवा के संबंध में वही अर्थ है जो भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में उसका है।

(2) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के काडरों के स्थान पर, नियत दिन से ही, इन सेवाओं में से प्रत्येक की बाबत दो पृथक् काडर होंगे जिनमें से एक आंध्र प्रदेश राज्य के लिए और दूसरा तेलंगाना राज्य के लिए होगा।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट राज्य काडरों के अधिकारियों की अनंतिम सदस्य संख्या, संरचना और आबंटन ऐसा होगा जो केन्द्रीय सरकार, नियत दिन को या उसके पश्चात्, आदेश द्वारा, अवधारित करे।

(4) उक्त सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य, जो नियत दिन के ठीक पूर्व आंध्र प्रदेश काडर में के थे, उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के उत्तरवर्ती राज्य काडरों को ऐसी रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, आबंटित किए जाएंगे।

(5) इस धारा की कोई बात नियत दिन को या उसके पश्चात् अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। 1951 का 61

77. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अधिष्ठायी आधार पर सेवा कर रहा हो, उस दिन से ही तेलंगाना राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करता रहेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा उससे आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करने की अपेक्षा न की जाए: अन्य सेवाओं संबंधित उपबंध।

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियत दिन से एक वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी प्रत्येक निदेश उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के परामर्श से जारी किया जाएगा।

(2) केन्द्रीय सरकार, नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, उस उत्तरवर्ती राज्य का, जिसे उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति सेवा के लिए, कर्मचारियों से विकल्प की ईप्सा करने पर प्राप्त विकल्प पर विचार करने के पश्चात्, अंतिम रूप से आबंटित किया जाएगा और उस तारीख का, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा, अवधारण करेगी:

परन्तु ऐसा आबंटन किए जाने के पश्चात् भी, केन्द्रीय सरकार, सेवा में किसी कमी को पूरा करने के लिए, अन्य राज्य विषयक सेवाओं के अधिकारियों को एक उत्तरवर्ती राज्य से दूसरे उत्तरवर्ती राज्य में प्रतिनियुक्त कर सकेगी:

परन्तु, यह और कि जहां तक स्थानीय, जिला, आंचलिक और बहु-आंचलिक काडरों का संबंध है, कर्मचारी, उस काडर में, नियत दिन को या उसके पश्चात्, सेवा करते रहेंगे:

परन्तु यह भी कि स्थानीय, जिला, आंचलिक और बहु-आंचलिक काडरों के ऐसे कर्मचारी, जो संपूर्णतया उत्तरवर्ती राज्यों में से एक के अन्तर्गत आते हैं, उस उत्तरवर्ती राज्य को आबंटित किए गए समझे जाएंगे:

परन्तु यह भी कि यदि कोई विशिष्ट आंचल या बहु-आंचल दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अन्तर्गत आता है, जो उस आंचलिक या बहु-आंचलिक काडर के कर्मचारी अंतिम रूप से, एक या दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को इस उपधारा के उपबंधों के निबंधनों के अनुसार आबंटित किए जाएंगे।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसे किसी उत्तरवर्ती राज्य को उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन अंतिम रूप से आबंटित किया जाता है, यदि वह उस राज्य में पहले से सेवा नहीं कर रहा है तो उस उत्तरवर्ती राज्य में, ऐसी तारीख से, जो उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के बीच करार पाई जाए, या ऐसे करार के अभाव में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, सेवा करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा:

परन्तु केन्द्रीय सरकार को इस धारा के अधीन जारी किए गए अपने आदेशों में से किसी का भी पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी।

78. (1) इस धारा या धारा 77 की कोई बात, नियत दिन को या उसके पश्चात् संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहे व्यक्तियों की सेवा शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी। सेवाओं से संबंधित उपबंध।

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जिसे धारा 77 के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य को आबंटित किया गया समझा गया है, नियत दिन के ठीक पूर्व लागू होने वाली सेवा शर्तों में उसके लिए अहितकर परिवर्तन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन के पूर्व की गई सभी सेवाएं, उसकी सेवा शर्तों को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए—

(क) यदि उसे धारा 77 के अधीन किसी राज्य को आबंटित किया गया समझा जाए तो उस राज्य के कार्यकलापों के संबंध में की गई सेवाएं समझी जाएंगी;

(ख) यदि उसे उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के प्रशासन के संबंध में संघ को आबंटित किया गया समझा जाए, तो संघ के कार्यकलापों के संबंध में की गई सेवाएं समझी जाएंगी।

(3) धारा 77 के उपबंध किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे।

अधिकारियों के उसी पद पर बने रहने के बारे में उपबंध।

79. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में ऐसे किसी क्षेत्र में, जो उस दिन उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी में आता है, किसी पद या अधिकार-पद को धारण करता हो या उसके कर्तव्यों का निवर्हन करता हो, उस उत्तरवर्ती राज्य में वही पद या अधिकार-पदधारण करता रहेगा और उसी दिन से ही उस उत्तरवर्ती राज्य की सरकार द्वारा या उसमें के किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद या अधिकार-पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा:

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सक्षम प्राधिकारी को, नियत दिन से ही, ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसके ऐसे पद या अधिकार-पद पर बने रहने पर प्रभाव डालने वाला आदेश पारित करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।

सलाहकार समितियां।

80. (1) केन्द्रीय सरकार, —

(क) इस भाग के अधीन अपने किसी कृत्य का निवर्हन करने; और

(ख) इस भाग के उपबंधों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ ऋजु और साम्यापूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किन्हीं अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार करने,

के संबंध में अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ, आदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिनियमन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्त आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिनियमन की तारीख को या उसके पश्चात् जारी किए जाएंगे और केन्द्रीय सरकार द्वारा व्यष्टिक कर्मचारियों का वास्तविक आबंटन, सलाहकार समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा:

परंतु असहमति या मतभेद होने की दशा में, केंद्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा:

परंतु यह और कि आवश्यक मार्गदर्शक सिद्धांत, जब कभी अपेक्षित हों, यथास्थिति, केंद्रीय सरकार द्वारा या राज्य सलाहकार समिति द्वारा विरचित किए जाएंगे, जिन्हें ऐसे मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किए जाने के पूर्व केंद्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति।

81. केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार और तेलंगाना राज्य की सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों, और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगी।

पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, आदि के कर्मचारियों के लिए उपबंध।

82. नियत दिन से ही, राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, निगमों और अन्य स्वशासी निकायों के कर्मचारी ऐसे उपक्रम, निगम या स्वशासी निकायों में एक वर्ष की अवधि तक कार्य करते रहेंगे और इस अवधि के दौरान संबंधित निगमित निकाय दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच कार्मिकों के वितरण से संबंधित पद्धतियों का अवधारण करेगा।

83. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का लोक सेवा आयोग, नियत दिन से ही, आंध्र प्रदेश राज्य का लोक सेवा आयोग होगा। राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध।

(2) उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार एक लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा और ऐसे आयोग का गठन किए जाने तक संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रपति के अनुमोदन से, उस अनुच्छेद के खंड (4) के निबंधनों के अनुसार तेलंगाना राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत हो सकेगा।

(3) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद धारण करने वाले व्यक्ति, नियत दिन से आंध्र प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य होगा।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन नियत दिन को आंध्र प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य हो जाए,—

(क) आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार से सेवा की ऐसी शर्तें पाने का हकदार होगा जो उन शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी, जिनका वह उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन हकदार था;

(ख) अनुच्छेद 316 के खंड (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पूर्व उसे लागू होने वाले उपबंधों के अधीन यथा अवधारित उसकी पदावधि का अवसान होने तक पद धारण करेगा या धारण किए रहेगा।

(5) आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत किए गए कार्य के बारे में आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 के खंड (2) के अधीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के राज्यपालों को प्रस्तुत की जाएगी और आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जहां तक संभव हो उन दशाओं के संबंध में, यदि कोई हों, जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, उसके इस प्रकार स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों को स्पष्ट करने संबंधी ज्ञापन के साथ उस रिपोर्ट की प्रति आंध्र प्रदेश राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और तेलंगाना राज्य की विधान सभा के समक्ष ऐसी रिपोर्ट या किसी ऐसे ज्ञापन को रखवाना आवश्यक नहीं होगा।

भाग 9

जल संसाधनों का प्रबंधन और विकास

84. (1) नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए एक उच्चतर परिषद् का गठन करेगी। गोदावरी और कृष्णा नदी जल संसाधनों और उनके प्रबंधन बोर्डों के लिए उच्चतर परिषद्।

(2) उच्चतर परिषद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,—

(क) जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार—अध्यक्ष;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री—सदस्य;

(ग) तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री—सदस्य।

(3) उच्चतर परिषद् के कृत्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित कृत्य होंगे —

(i) गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यकरण का पर्यवेक्षण;

(ii) नदी प्रबंधन बोर्डों और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा, जहां कहीं अपेक्षित हो, प्रस्ताव का अंकन और उसकी सिफारिश किए जाने के पश्चात् गोदावरी या कृष्णा नदी जल पर आधारित नई परियोजनाओं के, यदि कोई हों, सन्निर्माण संबंधी योजना और प्रस्तावों का अनुमोदन;

(iii) नदियों के जल में हिस्सा बांटे जाने से उद्भूत किसी विवाद का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच बातचीत से और आपसी करार के माध्यम से सौहार्दपूर्ण निपटारा;

(iv) कृष्णा जल विवाद अधिकरण के अन्तर्गत न आने वाले किन्हीं विवादों को, अन्तरराज्यिक
1956 का 33 नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित किए जाने वाले किसी अधिकरण को निर्देश किया जाना।

नदी प्रबंध बोर्ड का गठन और उसके कृत्य।

85. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी परियोजनाओं के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, प्रशासन, विनियमन, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए नियत दिन से साठ दिन की अवधि के भीतर गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड के नाम से ज्ञात दो पृथक् बोर्डों का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) गठन करेगी।

(2) गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड का मुख्यालय उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड का मुख्यालय उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित होगा।

(3) गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृष्णा नदी प्रबंधन बोर्ड केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन स्वशासी निकाय होंगे और वे ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उन्हें दिए जाएं।

(4) प्रत्येक बोर्ड निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा,—

(क) सचिव या अपर सचिव, भारत सरकार से अनिम्न पंक्ति या स्तर का एक अध्यक्ष, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा;

(ख) दो सदस्य, जिन्हें उत्तरवर्ती राज्यों में से प्रत्येक द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, उनमें से संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य मुख्य इंजीनियर से अनिम्न पंक्ति का एक तकनीकी सदस्य होगा और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा।

(ग) एक विशेषज्ञ, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(5) प्रत्येक बोर्ड का एक पूर्णकालिक सचिव होगा, जो केन्द्रीय जल आयोग में मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(6) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय जल आयोग में मुख्य इंजीनियर की पंक्ति के उतने पद सृजित करेगी, जितने वह आवश्यक समझे।

(7) प्रत्येक बोर्ड को, जलाशयों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अधीन गठित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहायता प्रदान की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे। 1968 का 50

(8) प्रत्येक बोर्ड के कृत्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित कृत्य होंगे —

(क) परियोजनाओं से जल प्रदाय का उत्तरवर्ती राज्यों को, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, विनियमन—

(i) अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित अधिकरणों द्वारा किए गए अधिनिर्णय; 1956 का 33

(ii) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार को सम्मिलित करते हुए किया गया कोई करार या ठहराव; और

(ख) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार को सम्मिलित करते हुए किए गए किसी करार या ठहराव को ध्यान में रखते हुए विद्युत का वितरण करने के भारसाधक अधिकारी को उत्पादित विद्युत का प्रदाय किए जाने का विनियमन; और

(ग) उत्तरवर्ती राज्यों के माध्यम से नदियों या उनकी सहायक नदियों से संबंधित जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित ऐसे शेष चालू या नए संकर्मों का निर्माण, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे;

(घ) गोदावरी या कृष्णा नदियों पर नई परियोजनाओं के सन्निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव को आंकना तथा यह समाधान करने के पश्चात् कि ऐसी परियोजनाओं से अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन नियत दिन के पूर्व पहले से पूरी हो गई या आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए गठित अधिकरणों के अधिनिर्णयों के अनुसार जल की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तकनीकी मंजूरी प्रदान करना; 1956 का 33

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों के आधार पर उसे सौंपे।

प्रबंध बोर्ड के कर्मचारिवृन्द।

86. (1) बोर्ड उतने कर्मचारिवृन्द नियोजित करेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे और ऐसे कर्मचारिवृन्द को, प्रथमतः, उत्तरवर्ती राज्यों से समान अनुपात में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड में स्थायी रूप से आमेलित किया जाएगा।

(2) उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारें सब समयों पर बोर्ड को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सभी व्ययों को (जिनके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द के वेतन तथा भत्ते भी हैं) पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएंगी और ऐसी रकमों को सम्बद्ध राज्यों में ऐसे अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जैसे केन्द्रीय सरकार, उक्त राज्यों में से प्रत्येक के फायदों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दिष्ट करे।

(3) बोर्ड, अपनी ऐसी शक्तियां, कृत्य या कर्तव्य, जैसे वह ठीक समझे, उक्त बोर्ड के अध्यक्ष को या बोर्ड के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को दक्ष रूप से कार्य करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ, संबद्ध राज्य सरकारों या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी और राज्य सरकारें या अन्य प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे।

बोर्ड की अधिकारिता।

87. (1) बोर्ड, साधारणतया संबद्ध राज्यों को जल या विद्युत का प्रदाय करने के लिए आवश्यक जल शीर्ष तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) नहर, नेटवर्क के भाग तथा पारेषण लाइनों पर उन परियोजनाओं में से किसी के बारे में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेगा जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा
1956 का 33 अन्तराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित अधिकरणों द्वारा किए गए अधिनिर्णयों, यदि कोई हों, के अनुसार अधिसूचित की जाए।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है कि उपधारा (1) के अधीन उसमें निर्दिष्ट किसी परियोजना पर बोर्ड की अधिकारिता है अथवा नहीं, तो उसे केन्द्रीय सरकार को उस पर विनिश्चय के लिए निर्दिष्ट किया जाएगा।

विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति।

88. बोर्ड, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों —

(क) बोर्ड के अधिवेशनों के समय और स्थान का तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन;

(ग) बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का विनियमन;

(घ) कोई अन्य विषय जिसके लिए विनियम बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं।

जल संसाधनों का आबंटन।

89. कृष्णा जल विवाद अधिकरण की अवधि निम्नलिखित निर्देश-निबंधनों के साथ बढ़ाई जाएगी, अर्थात्: —

(क) यह कि यह परियोजनावार विनिर्दिष्ट आबंटन करेगा, यदि अंतराज्यिक नदी जल
1956 का 33 विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा ऐसा आबंटन नहीं किया गया है;

(ख) यह कि यह कम प्रवाह की दशा में जल के परियोजनावार छोड़े जाने के लिए कार्यान्वयन नयाचार (प्रोटोकाल) का अवधारण करेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि अधिकरण द्वारा नियत दिन को या उसके पूर्व पहले से किए गए परियोजना-विनिर्दिष्ट अधिनिर्णय उत्तरवर्ती राज्यों पर आबद्धकर होंगे।

पोलावरम् सिंचाई परियोजना का राष्ट्रीय परियोजना होना।

90. (1) पोलावरम् सिंचाई परियोजना को इसके द्वारा राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित किया जाता है।

(2) इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ द्वारा सिंचाई के प्रयोजनों के लिए पोलावरम् सिंचाई परियोजना के विनियमन और विकास को अपने नियंत्रण में लिया जाना चाहिए।

(3) पोलावरम् सिंचाई परियोजना के लिए सहमति उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य द्वारा दी गई समझी जाएगी।

(4) केंद्रीय सरकार परियोजना का निष्पादन करेगी और पर्यावरण, वन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन संबंधी सन्नियमों सहित सभी अपेक्षित मंजूरियां अभिप्राप्त करेगी।

तुंगभद्रा बोर्ड के संबंध में ठहराव।

91. (1) तुंगभद्रा बोर्ड के संबंध में विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य का स्थान उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सरकारें लेंगी।

(2) तुंगभद्रा बोर्ड उच्च स्तरीय नहर, निम्न स्तरीय नहर और राजोलीबांदा अपयोजन स्कीम में जल छोड़े जाने को मानीटर करना जारी रखेगा।

भाग 10

अवसंरचना और विशेष आर्थिक उपाय

उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि, का पालन किया जाना।

92. केंद्रीय सरकार द्वारा, नियत दिन से ही कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस तथा विद्युत उत्पादन, परेषण और वितरण की शक्ति के संबंध में बारहवीं अनुसूची में यथा प्रगणित विषयों पर जारी किए गए सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, निदेशों और आदेशों का उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा।

उत्तरवर्ती राज्यों की प्रगति और विकास से संबंधित उपाय।

93. केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से दस वर्ष की अवधि के भीतर उत्तरवर्ती राज्यों की प्रगति और अविरत विकास के लिए तेरहवीं अनुसूची में यथा प्रगणित सभी आवश्यक उपाय करेगी।

कर प्रोत्साहनों सहित राजवित्तीय उपाय।

94. (1) केंद्रीय सरकार, दोनों राज्यों में उद्योगीकरण और आर्थिक विकास को प्रोन्नत करने के लिए उत्तरवर्ती राज्यों के प्रति समुचित राजवित्तीय उपाय, जिनके अंतर्गत कर प्रोत्साहनों की प्रस्थापना भी है, करेगी।

(2) केंद्रीय सरकार, उत्तरवर्ती राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, जिसके अंतर्गत भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का विस्तार भी है, कार्यक्रमों का समर्थन करेगी।

(3) केंद्रीय सरकार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी में आवश्यक सुविधाओं के, जिनके अंतर्गत राजभवन, उच्च न्यायालय, शासकीय सचिवालय, विधान सभा, विधान परिषद् भी हैं, और ऐसी अन्य आवश्यक अवसंरचनाओं के सृजन के लिए विशेष वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी।

(4) केंद्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी के सृजन को, यदि आवश्यक समझा जाए, अवश्रेणीकृत वन्य भूमि को अधिसूचना में से निकाल कर, सुकर बनाएगी।

भाग 11

उच्चतर शिक्षा तक पहुंच

सभी छात्रों के लिए क्वालिटीयुक्त उच्चतर शिक्षा के समान अवसर।

95. उत्तरवर्ती राज्यों में सभी छात्रों के लिए क्वालिटीयुक्त उच्चतर शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करने की दृष्टि से, सभी सरकारी या प्राइवेट, सहायताप्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त, उच्चतर, तकनीकी और आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का विद्यमान कोटा, जहां तक संविधान के अनुच्छेद 371घ के अधीन यह उपबंधित है, दस वर्ष की अवधि तक उस रूप में जारी रहेगा जिसके दौरान विद्यमान सामान्य प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी।

भाग 12

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

96. संविधान के अनुच्छेद 168 के खंड (1) के उपखंड (क) में, ''तमिलनाडु'' शब्द के स्थान पर, ''तमिलनाडु, तेलंगाना'' शब्द रखे जाएंगे। संविधान के अनुच्छेद 168 का संशोधन।

97. नियत दिन से ही, संविधान के अनुच्छेद 371घ में,– संविधान के अनुच्छेद 371घ का संशोधन।

(क) पार्श्व शीर्ष में, ''आंध्र प्रदेश राज्य'' शब्दों के स्थान पर, ''आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:–

''(1) राष्ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, प्रत्येक राज्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के विषय में और शिक्षा के विषय में साम्यापूर्ण अवसरों और सुविधाओं का उपबंध कर सकेगा और दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध किए जा सकेंगे।'';

(ग) खंड (3) में, ''आंध्र प्रदेश राज्य के लिए'' शब्दों के स्थान पर, ''आंध्र प्रदेश राज्य के लिए और तेलंगाना राज्य के लिए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

98. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15क में, ''तमिलनाडु राज्य विधान परिषद् के गठन'' शब्दों के पश्चात् ''और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् के गठन'' शब्द और अंक अंत:स्थापित किए जाएंगे। 1951 के अधिनियम 43 की धारा 15क का संशोधन।

1956 का 37 99. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में, नियत दिन से ही, खंड (ङ) में ''आंध्र प्रदेश'' शब्दों के स्थान पर, ''आंध्र प्रदेश और तेलंगाना'' शब्द रखे जाएंगे। 1956 के अधिनियम 37 की धारा 15 का संशोधन।

100. भाग 2 के उपबंधों की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि उनसे उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त आंध्र प्रदेश लैंड रिफार्म्स (सीलिंग आन एग्रिकल्चरल होल्डिंग्स) ऐक्ट, 1973 और कोई अन्य विधि विस्तारित होती है या लागू होती है, कोई परिवर्तन हुआ है और ऐसी किसी विधि में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राज्यक्षेत्रीय निर्देशों का, जब तक की सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए, तब तक यह अर्थ लगाया जाएगा कि मानो वे नियत दिन के पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र हैं। विधियों का राज्यक्षेत्रीय विस्तार। (1973 का आंध्र प्रदेश अधिनियम सं॰ 1)

101. नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार उस दिन से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व आदेश द्वारा, उस विधि के ऐसे अनुकूलन तथा उपांतरण, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, जैसा आवश्यक या समीचीन हो, कर सकेगी और तब ऐसी प्रत्येक विधि, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दी जाए, तब तक इस प्रकार किए गए अनुकूलनों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी। विधियों के अनुकूलन की शक्ति।

स्पष्टीकरण–इस धारा में ''समुचित सरकार'' पद से संघ सूची में प्रगणित किसी विषय से संबंधित किसी विधि के बारे में केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य विधि के बारे में, उसके किसी राज्य को लागू होने की दशा में, राज्य सरकार अभिप्रेत है।

102. इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पूर्व बन ई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 101 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्या त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किया गया कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश राज्य अथवा तेलंगाना राज्य के संबंध में उसके लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ, उस विधि का अर्थान्वयन, उसके सार पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी रीति से कर सकेगा, जो उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष मामले की बाबत आवश्यक या उचित हो। विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति।

कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों, आदि को नामित करने की शक्ति।

103. तेलंगाना राज्य की सरकार, अंतरित राज्यक्षेत्र के बारे में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जो नियत दिन को या उसके पश्चात्, उस दिन प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे प्रयोक्तव्य कृत्यों का, जो उस अधिसूचना में वर्णित हों, प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी विधि तदनुसार प्रभावी होगी।

विधिक कार्यवाहियां।

104. जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य इस अधिनियम के अधीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच प्रभाजनाधीन किसी संपत्ति, किन्हीं अधिकारों या दायित्वों की बाबत किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का पक्षकार हो, वहां आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर उस संपत्ति या उन अधिकारों या दायित्वों का उत्तराधिकारी होता है या उनमें कोई अंश अर्जित करता है, उन कार्यवाहियों में विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया या पक्षकार के रूप मे जोड़ा गया समझा जाएगा और कार्यवाहियां तदनुसार चालू रखी जा सकेंगी।

लंबित कार्यवाहियों का अंतरण।

105. (1) नियत दिन के ठीक पूर्व, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उस दिन को आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर आता हो, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही, यदि वह कार्यवाही अनन्यतः उस राज्यक्षेत्र से संबंधित है जो उस दिन से तेलंगाना राज्य के राज्यक्षेत्र हैं, तो उस राज्य के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही अंतरित हो जानी चाहिए तो उसे हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जाएगा और उस उच्च न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) इस धारा में,–

(क) "कार्यवाही" के अंतर्गत कोई वाद, मामला या अपील भी है; और

(ख) तेलगांना राज्य में "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी" से अभिप्रेत है–

(i) वह, न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी जिसमें या जिसके समक्ष वह कार्यवाही होगी, यदि वह नियत दिन के पश्चात् संस्थित की जाती है; या

(ii) शंका की दशा में उस राज्य का ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जो नियत दिन के पश्चात्, यथास्थिति, उस राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा या नियत दिन के पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के रूप में अवधारित किया जाए।

कतिपय मामलों में प्लीडरों का विधि व्यवसाय करने का अधिकार।

106. ऐसा कोई व्यक्ति, जिसे नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य में किन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार प्लीडर के रूप में नामांकित किया जाता है, उस दिन से एक वर्ष की अवधि के लिए, उन न्यायालयों में, इस बात के होते हुए भी कि उन न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उनका कोई भाग तेलंगाना राज्य को अंतरित कर दिया गया है, विधि व्यवसाय करने का हकदार बना रहेगा।

अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों से असंगत होने की दशा में प्रभाव।

107. इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।

108. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राष्ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसी कोई बात कर सकेगा जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो:

परंतु ऐसा कोई आदेश, नियत दिन से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

पहली अनुसूची

(धारा 13 देखिए)

(i) आसीन पांच सदस्यों, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल, 2014 को समाप्त होगा, अर्थात् श्री टी॰ सुब्बारामी रेड्डी, श्री नन्दी येल्लया, श्री मोहम्मद अली खान, श्रीमती टी॰ रतना बाई और श्री के॰वी॰पी॰ रामचन्द्र राव में से ऐसे दो सदस्यों को जिन्हें राज्य सभा के सभापति द्वारा लाट निकाल कर अवधारित किया जाए, तेलंगाना राज्य को आबंटित सात स्थानों में से दो स्थान भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा और तीन अन्य आसीन सदस्यों को आंध्र प्रदेश राज्य को आबंटित ग्यारह स्थानों में से तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

(ii) आसीन छह सदस्यों, जिनका कार्यकाल 21, जून, 2016 को समाप्त होगा, अर्थात, श्री जेसुदासु सीलम, श्री जयराम रमेश, श्री एन॰ जनार्दन रेड्डी, श्री वी॰ हनुमंता राव, श्रीमती गुंडु सुधारानी और श्री वाई॰एस॰ चौधरी में से ऐसे दो सदस्यों को जिन्हें राज्य सभा के सभापति द्वारा लाट निकाल कर अवधारित किया जाए, तेलंगाना राज्य को आबंटित दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा और चार अन्य असीन सदस्यों को आंध्र प्रदेश राज्य को आबंटित चार स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले छह आसीन सदस्यों, जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 2018 को समाप्त होगा, अर्थात्, श्री आनन्द भास्कर रपेालु, श्री के॰ चिरंजीवी, श्री पलवी गोवर्धन रेड्डी, श्रीमती रेणुका चौधरी, श्री टी॰ देवेन्द्र गौड और श्री सी॰एम॰ रमेश में से ऐसे तीन सदस्य, जिन्हें राज्य सभा के सभापति द्वारा लाट निकाल कर अवधारित किया जाए, तेलंगाना राज्य को आबंटित तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे और तीन अन्य आसीन सदस्यों को आंध्र प्रदेश राज्य को आबंटित तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा।

(iv) एक स्थान, जिसकी अवधि 9 अप्रैल, 2014 को समाप्त होगी और जो श्री नन्दमुरी हरिकृष्ण द्वारा 22 अगस्त, 2013 को त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हो गया है, आंध्र प्रदेश राज्य को आंबटित किया जाएगा।

दूसरी अनुसूची

(धारा 15 देखिए)

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 का संशोधन

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 में,—

1. अनुसूची 1 में,–

(i) आंध्र प्रदेश से संबंधित क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का क्रम संख्यांक और नाम	समय-समय पर यथा संशोधित, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976, के आधार पर यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् गठित सभा और स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	42	6	2	25	4	1";

(ii) तमिलनाडु से संबंधित क्रम संख्यांक 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"25. तेलंगाना	–	–	–	17	3	2";

(iii) क्रम संख्यांक 25 से 28 को क्रमश: क्रम संख्यांक 26 से 29 के रूप में पुन: संख्यांकित किया जाएगा।

2. अनुसूची 2 में,–

(iv) आंध्र प्रदेश से संबंधित क्रम संख्यांक 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का क्रम संख्यांक और नाम	समय-समय पर यथा संशोधित, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976, के आधार पर यथा गठित सदन में स्थानों की संख्या			संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 के अनुसार तत्पश्चात् गठित सभा स्थानों की संख्या		
	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित	कुल	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	294	39	15	175	29	7";

(v) तमिलनाडु से संबंधित क्रम संख्यांक 24 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित रख़ा जाएगा, अर्थात्:—

1	2	3	4	5	6	7
"25. 'तेलंगाना	–	–	–	119	19	12";

(vi) क्रम संख्यांक 25 से 28 को क्रमश: क्रम संख्यांक 26 से 29 के रूप में पुन:संख्याकित किया जाएगा।

3. अनुसूची 3 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

"अनुसूची 3

आंध्र प्रदेश

सारणी क-सभा निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम संख्यांक और नाम	सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार
1	2
	1—श्रीकाकुलम जिला
1. इचापुरम	कानचिल्ली, इचापुरम, कविती और सोमपेटा मंडल।
2. पलासा	पलासा, मन्डासा और वाजरापुकोथुरू मंडल।
3. टेक्काली	नन्दीगाम, टेक्काली, सन्थाबोम्माली और कोटाबोम्माली मंडल।
4. पथापटनम	पथापटनम, मेलियापुट्टी, एल.एन. पेट, कोथुर और हीरामण्डलम मंडल।
5. श्रीकाकुलम	गारा और श्रीकाकुलम मंडल।
6. अम्डालावालसा	अम्डालावालसा, पोन्डुरू, सारूबुज्जिली और बुरजा मंडल।
7. इटचेरला	जी॰ सिगदम, लावेरू, रानसतालाम तथा इटचेरला मंडल।
8. नारासन्नापेट	जालुमुरू, नारासन्नापेट, सरावाकोटा तथा पोलाकी मंडल।
9. राजम (अ.जा.)	वांगरा, रेगिडी, अमादलंवालसा, राजम तथा सन्थाकाविति मंडल।
10. पालकोन्डा (अ.ज.जा.)	सीतमपेट, भामिनी, पालकोन्डा तथा वाराघट्टम मंडल।
	2—विजियनगरम जिला
11. कुरुपम (अ.ज.जा.)	कुरूपम, गुम्मालक्ष्मीपुरम, जियाम्मावालसा, कोमरादा तथा गुरुगुबिल्ली मंडल।
12. पार्वथीपुरम (अ.ज.जा.)	पार्वथीपुरम, सीथानगरम तथा बालीजीपेट मण्डल।
13. सालुर (अ.ज.जा.)	सालुर, पाचीपेन्टा, मेन्टाडा तथा मकक्कुवा मण्डल।
14. बोब्बिली	बोब्बिली, रामभद्रपुरम, बादंगी तथा थेरलाम मण्डल।
15. चीपुरूपल्ले	मेराकमुदीदम, गारिविडि, चीपुरूपल्ले तथा गुर्ला मण्डल।
16. गजपतिनगरम	गजपतिनगरम, बोन्डापल्ली, गन्तयाडा तथा दत्तीराजेरू मण्डल; और जमी मण्डल के विजीनिगिरि, थन्डरांगी, जमी वालासा, वेन्ने, ससनापल्ले, अट्टाडा, भीमासिंगी, सोमायाजुलापालेम, लोटलापल्ले, मोलचासा कोथवालसा, कुमारम और अन्नाराजूपेट गांव।
17. नेल्लीमरला	नेल्लीमरला, पूसापाटीरेगा, डेनकाडा तथा भोगापुरम मण्डल।
18. विजियानगरम	विजियानगरम मण्डल।
19. सरूंगावारापुकोटा	सरूंगावारापुकोटा, वेपाडा, लक्कावारापुकोटा तथा कोथावालसा मण्डल; तथा जमी मण्डल (विजीनिगिरि, थन्डरांगी, जमी वालासा, वेन्ने,ससनापल्ले, अट्टाडा, भीमासिंगी, सोमायाजुलापालेम, लोटलापल्ले, मोलचासा कोथवालासा, कुमारम और अन्नाराजूपेट इन 12 गांव को छोड़ते हुए)।

1	2
	3–विशाखापटनम जिला
20. भीमिली	आनन्दपुरम, पदमानाभम, भीमुनिपतनम तथा विशाखापटनम ग्रामीण मण्डल।
21. विशाखापटनम पूर्व	विशाखापटनम (शहरी) मण्डल (भाग) विशाखापटनम (नगर निगम)–वार्ड सं॰ 1 से 11तथा 53 से 55।
22. विशाखापटनम दक्षिण	विशाखापटनम (शहरी) मंडल (भाग) विशाखापटनम (नगर निगम)–वार्ड सं॰ 12 से 34, 42 से 43 तथा 46 से 48।
23. विशाखापटनम उत्तर	विशाखापटनम (शहरी) मण्डल (भाग) विशाखापटनम (नगर निगम) –वार्ड सं॰ 36 से 41, 44 से 45 तथा 49 से 52।
24. विशाखापटनम पश्चिम	विशाखापटनम (शहरी) मंडल (भाग) विशाखापटनम (नगर निगम)–वार्ड सं. 35 तथा 56 से 71।
25. गजुवाका	गजुवाका मंडल (गजुवाका नगर निगम सहित)।
26. चौदावरम	चौदावरम, बुटचाय्यापेटा, रविकामाथम तथा रोलुगुन्टा मंडल।
27. मडुगुला	मडुगुला, चीडीकाडा, देवरापल्ले और के. कोटापाडु मंडल।
28. अराकु वेली (अ.ज.जा.)	मुनचिंगीपुट्टू, पेडाबायालू, डुम्बरीगुडा, अराकु वेली, हुकुमपेटा तथा अनन्तगिरी मंडल।
29. पाडेरू (अ.ज.जा.)	पाडेरू, जी. मडूगुला, चिन्तापल्ले, गुदेम कोथा वीधी और कोयूरू मंडल।
30. अनाकापल्ले	कासिमकोटा और अनाकापल्ले मंडल।
31. पेण्डुरथी	पेडागान्टयाडा (गजुवाका नगरपलिका में सम्मिमिल क्षेत्रों को छोड़कर) परावाडा, सब्बावरम और पेण्डुरथी मंडल।
32. येलामानचिली	रामबिली, मुनागापाका, अटचुटापुरम और येलामानचिली मंडल।
33. पायाकारओपेट (अ.जा.)	कोटाउराटला, नक्कापल्ले, पायाकारओपेट और एस. रयावरम मंडल।
34. नरसीपटनम	नाथवरम, गोलूगोण्डा, नरसीपटनम और मकावरापलेम मंडल।
	4–पूर्व गोदावरी जिला
35. तुनी	थोन्दांगी, कोटनन्दूरू और तुनी मंडल।
36. प्राथीपाडु	सन्खावरम, प्राथीपाडु, येलेश्वरम और रोवथुलापुडी मंडल।
37. पिथापुरम	गोलापरोलू, पिथापुरम और कोथापल्ले मंडल।
38. ककिनाडा ग्रामीण	करापा और ककिनाडा ग्रामीण मंडल।
	ककिनाडा शहरी मंडल (भाग)।
	ककिनाडा शहरी (एम) (भाग)।
	ककिनाडा (एम)– वार्ड सं. 66 से 70।
39. पेडापुरम	सामालकोटा और पेडापुरम मंडल।
40. अनापारथी	पेडापुडी, बिकावोलू, रंगामपेटा और अनापारथी मंडल।
41. ककिनाडा शहर	ककिनाडा शहरी मंडल (भाग)।
	ककिनाडा शहरी (एम) (भाग)।
	ककिनाडा (एम)– वार्ड सं. 1 से 65 ।
42. रामचन्द्रपुरम	काजुलूरू, रामचन्द्रपुरम और पामारू मंडल।
43. मुमीदिवरम	पोलावरम, मुमीदिवरम, थाल्लारेवु और काटरेनीकोना मंडल।
44. अमालापुरम (अ.जा.)	उप्पालागुप्लाम, अलावरम और अमालापुरम मंडल।

1	2
45. राजोल (अ.जा.)	राजोल, मलिकिपुरम, सखिनेपटील्ले मंडल।
	मामिदिकुडुरू मंडल (भाग)।
	मामिदिकुडुरू, गेड्डाडा, ऐडराडा, कोमाराडा, मगातापल्ले और गोगन्नामाथम गांव।
46. गन्नावरम (अ.जा.)	पी. गन्नावरम, अम्बाजीपेट और ऐनाविल्ली मंडल।
	मामिदिकुडुरू मंडल (भाग)।
	पेडापटनम, अप्पानापल्ले, बोटलाकुररू, डोडावरम, पसारलापुडी, पेडापटनम, नगरम, मोगलीकुडुरू, मकानापलेम, लुतुकुररू, पसारलापुदिलान्का और अडुरू गांव।
47. कोथापेटा	रावुलापलेम, कोथापेटा, अत्रेयापुरम और अलामुरु मंडल।
48. मन्दापेट	मन्दापेट, रायावरम और कपिलेश्वरपुरम मंडल।
49. राजानगरम	राजानगरम, सीतानगरम और कोरूकोन्डा मंडल।
50. राजामुन्दरी शहर	राजामुन्दरी शहरी मंडल (भाग)।
	राजामुन्दरी (नगर निगम)(भाग)।
	राजामुन्दरी (नगर निगम)-वार्ड सं॰ 7 से 35 और 42 से 89।
51. राजामुन्दरी ग्रामीण	कादिआम और राजामुन्दरी ग्रामीण मंडल।
	राजामुन्दरी शहरी मंडल(भाग)।
	राजामुन्दरी (नगर निगम)(भाग)।
	राजामुन्दरी (नगर निगम)-वार्ड सं॰ 1 से 6 और 36 से 41 से 90।
52. जग्गमपेट	गोकावरम, जग्गमपेट, गान्डेपल्ले और किरलामपुडी मंडल।
53. रामपचोदावरम (अ.ज.जा.)	मारेडुमिली, देवीपटनम, वाई, रामवरम, अद्दातीगाला, गंगावरम, रामपचोदावरम और राजावोममन्गी मंडल।
	5-पश्चिमी गोदावरी जिला
54. कोव्वुर (अ.जा.)	कोव्वुर, चगालू और तल्लापुडडी मंडल।
55. निडाडावोले	निडाडावोले, उन्डराजावरम ओर पेरावनी मंडल।
56. अचन्ता	पेनुगोंडा, अचन्ता और पेनुमंत्रा मंडल।
	पोडुरू मंडल (भाग)।
	कविताम, जगन्नाधापुरम, पांडीथाविलुरू, मिनीमिनचिलीपाडु, पोडुरू, पेम्माराजूपोलावरम और गुम्मालुरू गांव।
57. पालाकोल	पालाकोल और येलामानचिली मंडल।
	पोंडुरू मंडल (भाग)।
	कोमपुचिक्काला, वेडन्नी, जिन्नुरू, मेट्टापारु, पेनुमदाम, रविपाडु और वाडीपारू गांव।
58. नरसापुरम	मोगालथुर और नरसापुरम मंडल।
59. भीमावरम	वीरावासराम मंडल तथा भीमावरम मंडल।
	भीमावरम (नगरपलिका + बाह्य विकास)
	भीमावरम (नगरपलिका)-वार्ड सं॰ 1 से 27।
	चिनामेराम (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड सं. 28।
	रायालाम (ग्रामीण) (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड सं॰ 29।
60. उन्डी	कल्ला, पालाकोडेरू, उन्डी और अकिविडु मंडल।
61. तानुकु	तानुकु, अटिली और इरागावरम मंडल।
62. टाडेपल्लीगुडेम	टाडेपल्लीगुडेम और पेन्टपाडु मंडल।

1	2
63. उन्नुटूर	उन्नुटूर, भीमाडाल, निडामारूरू और गनापावरम मंडल।
64. देनदुलुरू	पेडावेगी, पेडापाडु और देनदुलुरू मंडल।
	इलुरू मंडल (भाग)।
	मल्कापुरम, चाटापारू, जलीपुडी, कटलामपुडी, माडेपल्ली, मानुरू, श्रीपारू, कलाकुरू, कोमतीलंका, गुडीवकालंका, कोकीरेलंका, पायदीचिन्तापाडु ओर पराथीकोलंका गांव।
65. इलुरू	इलुरू मंडल (भाग)।
	इलुरू (नगरपालिका) (भाग)।
	इलुरू (नगरपालिका) -वार्ड सं. 1 से 28।
	इलुरू मंडल (भाग)।
	इलुरू (बाह्य विकास) (भाग)।
	सतरामपाडु (बाह्य विकास)-वार्ड सं. 29।
	गवारावरम (बाह्य विकास)-वार्ड सं. 30।
	टंगेलामुडी (ग्रामीण) (बाह्य विकास)-वार्ड सं. 31।
	कोमाडावोलु (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड सं. 32।
	इलुरू (ग्रामीण) (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड सं. 33।
	इलुरू मंडल (भाग)।
	चोडीमेल्ला, सन्नीवारापुपेटा, इलुरू (ग्रामीण), कोमाडावोल (ग्रामीण) और पोनान्गी गांव।
66. गोपालापुरम (अ.जा.)	द्वारका तिरूमाला, नल्लाजेरला, देवारापल्ले और गोपालापुरम मंडल।
67. पोलावरम (अ.ज.जा.)	पोलवरम, बुट्टायागुडेम, जेलुगुमिल्ली, कोययालगुडेम और टी. नरसापुरम मंडल।
68. चिण्टालापुडी (अ.जा.)	चिण्टलापुडी, लिन्गापालेम, कमावारापुकोटा और जंगारेड्डीगुडेम मंडल।
	6-कृष्णा जिला
69. तिरूवुरू (अ.जा.)	विस्सन्नापेट, गमपालागुडेम, तिरूवुरू और ए. कोनडुरू मंडल।
70. नुजविद	अगिरीपल्ली, चतराई, मुसुनुरू और नुजविद मंडल।
71. गन्नावरम	बापुलापेडु, गन्नावरम और उन्गुतुरू मंडल।
	विजयवाड़ा (ग्रामीण) मंडल (भाग)।
	अम्बापुरम, फिरयाडी नैनावरम, पथापाडु, नुन्ना इनीकेपाडु, निडामानुरू, डोन अटकुरू, गुडावल्ली प्रसादामपाडु और रामावारापाडु गांव।
72. गुडीवाडा	गुडलावल्लेरू, गुडीवाडा और नन्दीवाडा मंडल।
73. केकालुर	मन्डावल्ली, केकालुर, कालीडिन्डी और मुदिनेपल्ले मंडल।
74. पेडाना	गुडुर, पेडाना, बानतुमिल्ली और करूथीवेनु मंडल।
75. मछलीपटनम	मछलीपटनम मंडल।
76. अवानीगड्डा	चल्लापल्ली, मोपीदेवी, अवानीगड्डा, नगयालंका, कोडुरू और घन्टासाला मंडल।
77. पामारू (अ.जा.)	पामारू, थोटलावल्लूरू, पमिडीमुक्काला, मोवा और पेडापारूपुडी मंडल।
78. पेनामालुरू	कन्कीपाडु, वुय्युरू और पेनामालुरू मंडल।
79. विजयवाड़ा पश्चिम	विजयवाड़ा शहरी मंडल (भाग)।
	विजयवाड़ा शहरी (नगर निगम) (भाग)।
	विजयवाड़ा (नगर निगम)-वार्ड सं. 1 से 13, 15 से 19, 75 और 76।
80. विजयवाड़ा केन्द्रीय	विजयवाड़ा शहरी मंडल (भाग)।
	विजयवाड़ा शहरी (नगर निगम) (भाग)।
	विजयवाड़ा (नगर निगम)-वार्ड सं. 14, 20 से 31, 33 से 35, 42 से 44, 49, 77 और 78।

1	2
81. विजयवाड़ा पूर्व	विजयवाड़ा शहरी मंडल (भाग)।
	विजयवाड़ा शहरी (नगर निगम) (भाग)।
	विजयवाड़ा (नगर निगम)-वार्ड सं. 32, 36 से 41, 45 से 48 और 50 से 74।
82. मइलावरम	इब्राहीमपटनम, जी. कोन्डुरू, मइलावरम और रेड्डीगुडेम मंडल।
	विजयवाड़ा (ग्रामीण) मंडल (भाग)।
	कोट्टुरू, टाडेपल्ले, वेमावरम, शाबडा, पेडुरूपाडु, रेयानापाडु, गोलापुडी और जाकामपुडी गांव।
83. नन्दीगाम (अ.जा.)	कंचिकाचेरला, चन्द्रालापाडु और वीरूल्लापाडु मंडल।
	नन्दीगाम मंडल (भाग)।
	पेडावरम, थाक्केल्लापाडु, मुनागाचेरला, लात्वापालेम, लिंगालापाडु, अडिवीरवुलापाडु, चंदापुरम, केथावीरूनी पाडु, कन्वेला, इथावरम, अम्बारूपेट्टा, नन्दीगाम, सत्यावरम, पल्लागिरी और राघवपुरम गांव।
84. जाग्गायृयापेटा	वत्सावी, जाग्गायृयापेटा और पेगुनचिपोरोलू मंडल।
	नन्दीगाम मंडल (भाग)।
	मगालू, कोन्डुरू, रामिरेड्डीपल्ले, जोनालागाड्डा, कोनाथामतमाकुरू, तोरागुदीपाडु, दामुलुरू, सोमावरम, रूद्रावरम और गोल्लामुडी गांव।
	7-गुन्टुर जिला
85. पेडाकुरापाडु	बेल्लामकोन्डा, अटचामपेट, करोसुरू, अमरावती और पेडाकुरापाडु मंडल।
86. टाडीकोन्डा (अ.जा.)	टुल्लूर, टाडीकोन्डा, फिरंगीपुरम और मेडीकोन्डुरू मंडल।
87. मंगलागिरी	टाडेपल्ले, मंगलागिरी और डुग्गीराला मंडल।
88. पोन्नुर	पोन्नुर, चेबरोलू और पेडाकाकानी मंडल।
89. वेमुरू (अ.जा.)	वेमुरू, कोलुर, टसुन्दुर, भाट्टीपरोलु और अमरूथालुर मंडल।
90. रेपल्ले	निजामपटनम, नगरम, चेरूकुपल्ली और रेपल्ले मंडल।
91. तेनाली	कोल्लीपाडा और तेनाली मंडल।
92. बापतला	बापतला, पित्तालवानीपलेम और कारलापलेम मंडल।
93. प्राथीपाडु (अ.जा.)	गुन्टुर मंडल (सिवाय नगर निगम), वात्तिचेरूकुरू, प्राथीपाडु, पेडानन्दीपाडु और काकुमानु मंडल।
94. गुन्टुर पश्चिम	गुन्टुर मंडल (भाग)।
	गुन्टुर (नगर निगम) (भाग)।
	गुन्टुर (नगर निगम)-वार्ड सं. 1 से 6 और 24 से 28।
95. गुन्टुर पूर्व	गुन्टुर मंडल (भाग)।
	गुन्टुर (नगर निगम) (भाग)।
	गुन्टुर (नगर निगम)-वार्ड सं. 7 से 23।
96. चिलाकालुरीपेट	नाडेन्दला, चिलाकालुरीपेट और इदलापाडु मंडल।
97. नरसाराओपेट	रोमपिचेरला और नरसाराओपेट मंडल।
98. सात्टेनापल्ले	सात्टेनापल्ले, राजुपलेम, नेकारीकल्लु और मुप्पल्ला मंडल।
99. विनुकोन्डा	बोल्लापल्ले, विनुकोन्डा, नुजेन्डला, सवालयापुरम और इपुर मंडल।

1	2
100. गुराजाला	गुराजाला, डाचेपल्ले, पिडुगुराला और मचावरम मंडल।
101. माचेरला	माचेरला, वेलदुरथी, दुर्गी, रेन्ताचिन्ताला ओर करेमपुडी मंडल।
	8-प्रकाशम जिला
102. येरागोन्डापलेम (अ.जा.)	येरागोन्डापलेम, पुल्लालाचेरूवु, त्रिपुरान्थाकाम, डोरनाला और पेडा अरावेडु मंडल।
103. डारसी	डोनाकोन्डा, कुरीचेडु, मुन्डलामुरू, डारसी और थाल्लुर मंडल।
104. पारचुर	येडानापुडी, पारचुर, करामचेडु, इकोल्लु, चिनागंजम और मारथुर मंडल।
105. अड्डान्की	जे. पानगुलुरू, अड्डान्की, सन्थामागुलुरू, बल्लीकुरावा और कोरीसापाडु मंडल।
106. चिराला	चिराला और वेटापलेम मंडल।
107. सन्थानुथालापाडु (अ.जा.)	नगुलुपालापाडु, माद्दीपाडु, चिमाकुरथी और सन्थानुथालापाडु मंडल।
108. आंगोले	आंगोले और कोथापटनम मंडल।
109. कान्डुकुर	कान्डुकुर, लिन्गासमुन्द्रम, गुडलुरू, उलावापाडु और वोलेटीवारीमलेम मंडल।
110. कोनदापी (अ.जा.)	सिंगारायाकोन्डा, कोनदापी, टंगुटूर, जारूगुमिल्ली, पोन्नालुरू और मारीपुडी मंडल।
111. मार्कापुरम	कोनाकानामिटला, पोडिली, मार्कापुर और तारलुपाडु मंडल।
112. गिड्डालुर	बेस्तावारीपेटा, राचेरला, गिड्डालुर, कोमारोलु, कुमबुम और अरधावीडु मंडल।
113. कानीगिरि	हनुमान्थुनीपाडु, चन्द्रसेखरपुरम, पामुर, वेलीगन्धला, पेडाचेरलोपल्ले और कानीगिरि मंडल।
	9-नेल्लोर जिला
114. कावाली	कावाली, बोगोले, आलुर और दगादारथी मंडल।
115. अट्माकुर	चेजेरला, अट्माकुर, अनुमासमुन्द्रामपेटा, मरीपाडु, संगम और अनन्थासागरम मंडल।
116. कोवुर	विदावालु, कोडावालुर, कोवुर, बुचिरेड्डीपलेम और इन्दुकुरपेट मंडल।
117. नेल्लोर शहर	नेल्लोर मंडल (भाग)।
	नेल्लोर मंडल (नगरपालिका + बाह्य विकास) (भाग)।
	नेल्लोर (नगरपालिका)-वार्ड सं. 1 से 15, 27, 28 और 31 से 44।
118. नेल्लोर ग्रामीण	नेल्लोर मण्डल (भाग)।
	गोल्ला, कान्दुकुर, सज्जापुरम, वेल्लन्ती, कन्डामुर, अप्पूटर, दक्षिण मोपुर, मोगल्लापलेम, सत्तेमपाडु, अमनचेरला, मन्नावरापपाडु, मुलुमुडी, देवारापलेम, पोट्टेवलेम, अक्काचेरूवुपाडु, ओगरूपाडु, अम्बापुरम, दोनथाली, बुजा बुजा नेल्लोर (ग्रामीण), कल्लुरपल्ली (ग्रामीण), कानूपारथीपाडु, अल्लीपुरम (ग्रामीण), गुडीपल्लीपेडु, पेड्डा, वेरूकुर, चिन्तारेड्डीपलेम, वीसवाविलेटीपाडु, गुन्डापलेम, ककुपल्ली-1, ककुपल्ली-2 (मडराजा गुडुर) और पेनुबारथी गांव।
	नेल्लोर मण्डल (नगरपालिका + बाहय विकास)(भाग)।
	नेल्लोर (नगरपालिका)-वार्ड सं॰ 16 से 26, 29 और 30।
	अल्लीपुरम (बाहय विकास) (भाग)-वार्ड सं॰ 45।
	काल्लुरपल्ले (बाहय विकास) (भाग)-वार्ड सं॰ 46।
	बुजा बुजा नेल्लोर (बाहय विकास) (भाग)-वार्ड सं॰ 47।
	नेल्लोर-(बीट-1) (बाहय विकास) (भाग)-वार्ड सं॰ 48।
119. सर्वेपल्ली	पोडालाकुर, थोटापल्लीगुडुर, मुथुकुर, वेंकटचलम और मनुबोलू मण्डल।
120. गुडुर (अ॰जा॰)	गुडुर, चिल्लाकुर, कोटा, वकाडु और चित्तामुर मण्डल।
121. सुल्लुरपेटा (अ॰जा॰)	ओजिली , नईडुपेट, पेल्लांकुर, दोरावारीसतराम, सुल्लरपेटा और टाडा मण्डल।
122. वेन्कटगिरी	कलुवोया, रापुर, सयदापुरम, दक्किली, वेन्कटगिरी और बलायापल्ले मण्डल।

1	2
123. उदयगिरी	जालादन्की, सीथारामापुरम, उदयगिरी, वरीकुन्तापाडु, विन्जामुर, दुत्तालुर, कलीगिरि और कोन्डापुरम मण्डल।
	10–कडापा जिला
124. बाडवेल (अ.जा.)	कलसापाडु, बी. कोडुर, श्री अवधुथा कासीनयन, पोरूमामिल्ला, बाडवेल, गोपावरम और अतलुर मण्डल।
125. राजमपेट	सिधोट, वोन्तीमित्ता, नन्दलुर, राजमपेट, वीराबल्ले और टी॰ सुन्डुपल्ले मण्डल।
126. कडापा	कडापा मण्डल।
127. कोडुर (अ.जा.)	पेन्गालुर, चितवेल, पुल्लामपेट, ओबुलावारीपल्ले और कोडुर मण्डल।
128. रायाचोटी	साम्बेपल्ले, चिन्नामनदेम, रायाचोटी, गलीवीडु, लाक्किरेड्डीपल्ली और रामापुरम मण्डल।
129. पुलीवेन्डला	सिमहद्रीपुरम, लिन्गाला, थोन्दुर, पुलीवेन्डला, वेमुला, वेमपल्ले और चक्रयापेट मण्डल।
130. कमलापुरम	पेन्डलीमारी, चिन्थाकोम्मडिने, कमलापुरम, वल्लूर, वीरापुनायुनीपल्ले और चेन्नुर मण्डल।
131. जम्मालामाडुगु	पेड्डामुडियम, मइलावरम, कोन्डापुरम, जम्मालामाडुगु, मुड्डानुर और येरागुन्त्ला मण्डल।
132. प्रोड्डादुर	राजूपलेम और प्रोड्डादुर मण्डल।
133. माईदुकुर	दुववुर, एस. माईदुकुर, खाजीपेट, ब्रहमगिरिमाट्टम और चापाड मण्डल।
	11– कुरनूल जिला
134. अल्लागड्डा	सिरवेल, अल्लागड्डा, डोरनीपाडु, उयालावाडा, चगालमारी और रूद्रावरम मण्डल।
135. श्रीसांईलाम	श्रीसांईलाम, अत्माकुर, वेलगोडे, बान्दी अत्माकुर और महानन्दी मण्डल।
136. नन्दीकोटकुर (अ.जा.)	नन्दीकोटकुर, पगिडयाला, जे. बंगला, कोथापल्ले, पमुलापाडु और मिडथुर मण्डल।
137. कुरनूल	कुरनूल मण्डल (भाग)।
	कुरनूल (नगर निगम) (भाग)।
	कुरनूल (नगर निगम)–वार्ड सं॰ 1 से 69।
138. पानयाम	कल्लूर, ओरवाकल, पानयाम और गाडीवेमुला मण्डल।
139. नन्दयाल	नन्दयाल और गोसपाडु मण्डल।
140. बानागानापल्ले	बानागानापल्ले, ओक, कोइलकुन्तला, सन्जामाला और कोलिमीगुन्डला मण्डल।
141. धोने	बेथामचेरला, धोने और पीपल्ली मण्डल।
142. पट्टीकोन्डा	कृष्णागिरी, वेलडुर्थी, पट्टीकोन्डा, माड्डीकेरा और दुगाली मण्डल।
143. कोडुमुर (अ.जा.)	सी. बेलगाल, गुडुर और कोडुमुर मण्डल।
	कुरनुल मण्डल (भाग)।
	आर. कंथालापाडु, सुनकेसुला, रेमाता, उलचाला, बसवापुरम, इदुरूर, जी. सिंगावरम, निडजूर, मुनागलापाडु, ममीडालपाडु, पानचालिन्गाला, ई. थानडरापाडु, गोन्डीपारला, दिनेरेदेवरापाडु, बी. थान्डरापाडु,, पासूपुला, रूद्रावरम, नोथानपल्ले, देवमाडा, पुडुर, गरगेयापुरम और डिगुवापाडु गांव।
144. येम्मीगनुर	नन्दावरम, येम्मीगनुर और गोनेगंडला मण्डल।
145. मंत्रालायम	पेडाकाडुबुर, मंत्रालायम, कोसीगी और कोवथालम मण्डल।
146. अडोनी	अडोनी मण्डल।
147. अलूर	देवनाकोन्डा, होलागुन्डा, हलाधरवी, अलूर, अस्पारी और चिप्पागिरी मण्डल।
	12–अनन्तपुर जिला
148. रायदुर्ग	डी. हिरेहाल, रायदुर्ग, कनेकाल, बोमानहाल और गुम्मागट्टा मण्डल।
149. उरावाकोन्डा	विडापानकाल, वजराकरूर, उरावकोन्डा, बेलूगुप्पा और कुदैर मण्डल।
150. गुन्यकाल	गुन्यकाल, गोटी और पामिडी मण्डल।

1	2
151. टाडपात्री	पेड्डवाडुगुर, याडीकी, टाडपात्री और पेड्डापाप्पुर मंडल।
152. सिंगानमाला (अ.जा.)	गरलाडिन्ने, सिंगानमाला, पुट्लुर, येल्लनूर, नरपाला और बी.के. समुद्रम मंडल।
153. अनन्तपुर शहरी	अनन्तपुर मंडल (भाग)।
	अनन्तपुर (नगरपालिका + बाहय विकास) (भाग)।
	अनन्तपुर (नगरपालिका) -वार्ड सं॰ 1 से 28।
	नारायणपुरम (बाहय विकास) -वार्ड सं॰ 29।
	काक्कलापल्ले (ग्रामीण) (बाहय विकास) (भाग)-वार्ड सं॰ 30।
	अनन्तपुर (ग्रामीण) (बाहय विकास)-वार्ड सं॰ 31।
154. कल्याणदुर्ग	ब्रहमासमुद्रम, कल्याणदुर्ग, सेत्तुर, कुन्दुरपी और काम्बाडुर मंडल।
155. रापटाडु	अटमाकुर, रापटाडु, कानागानापल्ली, सी॰के॰ पाल्ली और रामागिरी मंडल, अनंतपुर मंडल (भाग), कोडीमी, थोटीचेरला, सोमनाडोड्डी, रचनापल्ले, सज्जालाकलवा, कुरुगुन्टा, गोलपल्ले, कमरूपल्ले, अलमुरू, कटीगानीकालवा, कक्कालपल्ले (ग्रामीण), उप्परापल्ले, इतिकालपल्ले, जानगालपल्ले, कान्डाकुर, चियेदु, मानिला और पापमपेट (जनगणना शहर) गांव।
156. माडाकासिरा (अ.जा.)	माडाकासिरा, अमरापुरम, कुडीबन्दा, रोल्ला और अगाली मंडल।
157. हिन्दुपुर	हिन्दुपुर, लेपकाशी और चिल्माथुर मंडल।
158. पेनुकोन्डा	परीगी, पेनुकोन्डा, गोरन्तला, सोमानडेपल्ले और रोडाम मंडल।
159. पुत्तापारथी	नालामादा, बुक्कापटनम, कोथाचेरुवु, पुत्तापारथी, ओ॰डी॰ चेरुवु और अमाडागुर मंडल।
160. धर्मावरम	धर्मावरम, बाथालापल्ले, टाडीमारी और मुडीगुब्बा मंडल।
161. कादिरि	तलुपुला, नामबुलीपुलीकुन्टा, गन्डलापेन्टा, कादिरि, नालाचेरुवु और तनाकल मंडल।
	13-चित्तूर जिला
162. थामबल्लापल्ले	मुलाकालाचेरुवु, थामबल्लापल्ले, पेड्डामनडयम, कुरबालकोटा, पेड्डाथिपासमुन्द्रम और बी॰ कोथाकोटा मंडल।
163. पिलेरू	गुरमकोन्डा, कलाकाडा, के॰वी॰ पल्ले, पिलेरू, कलीकिरी और वयालपाड मंडल।
164. मदनापल्ले	मदनापल्ले, निम्मानापल्ले और रामसमुद्रम मंडल।
165. पुन्गानुर	सोदाम, सोमाला, चौवदेपल्ले, पुन्गानुर, पुलीचेरला और रोमपिचेरला मंडल।
166. चन्द्रागिरि	तिरुपति (ग्रामीण), चन्द्रागिरि, पकाला, रामचन्द्रपुरम, चिन्नागोटीगल्लु और येरावारीपलेम मंडल।
	तिरुपति (शहरी) मंडल (भाग)।
	कोंकाचैन्नय्यागुन्टा, मंगलम और चेन्नयागुन्टा गांव।
167. तिरुपति	तिरुपति (शहरी) मंडल (भाग)।
	तिरुमाला (जनगणना शहर)।
	तिरुपति (एन एम ए) (जनगणना शहर)।
	अक्करामपल्ले (जनगणना शहर)।
	तिरुपति (नगरपालिका + बाह्य विकास) (भाग)।
168. श्रीकालाहस्ती	रेनीगुन्टा, यरेपेडु, श्रीकालाहस्ती और थोट्टामबेडु मण्डल।
169. सत्यावेडु (अ.जा.)	नारायणवनम, बी.एन. कन्द्रीगा, वरडैय्यापलेम, के.वी.बी. पुरम, पिट्चातुर, सत्यावेडु और नंगलापुरम मण्डल।
170. नागरी	निद्रा, विजयपुरम, नागरी, पुट्टुर और बाडामालापेटा मण्डल।
171. गंगाधर नेल्लोर (अ.जा.)	वेडुरूकुप्पम, कारवेटीनगर, पेनुमुरू, एस.आर.पुरम, जी.डी. नेल्लोर और पालासमुद्रम मण्डल।

1	2
172. चित्तूर	चित्तूर और गुडीपाला मण्डल।
173. पुथालापट्टु (अ.जा.)	पुथालापट्टु, इराला, थावनामपल्ले, बन्गारूपलेम और यादामारी मण्डल।
174. पालमानेर	गंगावरम, पालमानेर, बेरेड्डीपल्ले, वी. कोटा और पेड्डापन्जनी मण्डल।
175. कुप्पम	सान्तिपुरम, गुडुपल्ले, कुप्पम और रामाकुप्पम मण्डल।

सारणी ख-संसदीय निर्वाचन क्षेत्र

क्रम संख्यांक और नाम	सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार
1	2
1. अराकु (अ.ज.जा.)	10-पालकोन्डा (अ.ज.जा.), 11-कुरूपम (अ.ज.जा.), 12-पार्वथीपुरम (अ.जा.), 13-सालुर (अ.ज.जा.), 28-अराकु वेली (अ.ज.जा.), 29-पाडेरू (अ.ज.जा.) और 53-रामपचोदावरम (अ.ज.जा.)।
2. श्रीकाकुलम	1-इचापुरम, 2-पलासा, 3-टेक्काली, 4-पथापटनम, 5-श्रीकाकुलम, 6-अम्डालावालसा और 8-नारासन्नापेट।
3. विजियानगरम	7-इटचेरला, 9-राजम (अ.जा.), 14-बोब्बिली, 15-चीपुरूपल्ले, 16-गजपतिनगरम, 17-नेल्लीमरला और 18-विजियानगरम।
4. विशाखापटनम	19-सरूंगावारापुकोटा, 20-भीमिली, 21-विशाखापटनम पूर्व, 22-विशाखापटनम दक्षिण, 23-विशाखापटनम उत्तर, 24-विशाखापटनम पश्चिम और 25-गजुवाका।
5. अनाकापल्ले	26-चौदावरम, 27-मडुगुला, 30-अनाकापल्ले, 31-पेण्डुरथी, 32-येलामानचिली, 33-पायाकारओपेट (अ.जा.) और 34-नरसीपटनम।
6. ककिनाडा	35-तुनी, 36-प्राथीपाडु, 37-पिथापुरम, 38-ककिनाडा ग्रामीण, 39-पेड्डापुरम, 41-ककिनाडा शहर और 52-जग्गमपेट।
7. अमालापुरम (अ.जा.)	42-रामचन्द्रपुरम, 43-मुमीदिवरम, 44-अमालापुरम (अ.जा.), 45-राजोल (अ.जा.), 46-गन्नावरम (अ.जा.), 47-कोथापेटा और 48-मन्दापेट।
8. राजामुन्दरी	40-अनापारथी, 49-राजानगरम, 50-राजामुन्दरी शहर, 51-राजामुन्दरी ग्रामीण, 54-कोव्वुर (अ.जा.), 55-निडाडावोले और 66-गोपालापुरम (अ.जा.)।
9. नरसापुरम	56-अचन्ता, 57-पालाकोल, 58-नरसापुरम, 59-भीमावरम, 60-उन्डी, 61-तानुकु और 62-टाडेपल्लीगुडेम।
10. इलुरू	63-उनुटुर, 64-देनदुलुरू, 65-इलुरू, 67-पोलावरम (अ.ज.जा.), 68-चिण्टलापुडी (अ.जा.), 70-नुजविद और 73-केकालुर।
11. मछलीपटनम	71-गन्नावरम, 72-गुडीवाडा, 74-पेडाना, 75-मछलीपटनम, 76-अवानीगड्डा, 77-पामारू (अ.जा.) और 78-पेनामालुरू।
12. विजयवाड़ा	69-तिरूवुरू (अ.जा.), 79-विजयवाड़ा पश्चिम, 80-विजयवाड़ा केन्द्रीय, 81-विजयवाड़ा पूर्व, 82-मइलावरम, 83-नन्दीगाम (अ.जा.) और 84-जाग्गाय्यापेटा।
13. गुन्टुर	86-टाडीकोन्डा (अ.जा.), 87-मंगलागिरि, 88-पोन्नुर, 91-तेनाली, 93-प्राथीपाडु (अ.जा.), 94-गुन्टुर पश्चिम और 95-गुन्टुर पूर्व।
14. नरसाराओपेट	85-पेडाकुरापाडु, 96-चिलाकालुरीपट, 97-नरसाराओपेट, 98-सात्टेनापल्ले, 99-विनुकोन्डा, 100-गुराजाला और 101-माचेरला।
15. बापतला (अ.जा.)	89-वेमुरू (अ.जा.), 90-रेपल्ले, 92-बापतला, 104-पारचुर, 105-अड्डान्की, 106-चिराला और 107-सन्थानुथालापाडु (अ.जा.)।
16. ओंगोले	102-येरागोन्डापलेम (अ.जा.), 103-डारसी, 108-ओंगोले, 110-कोनदापी (अ.जा.), 111-मार्कापुरम, 112-गिड्डालुर और 113-कानीगिरि।
17. नन्दयाल	134-अल्लागड्डा, 135-श्रीसांईलाम, 136-नन्दीकोटकुर (अ.जा.), 138-पानयाम, 139-नन्दयाल, 140-बानागानापल्ले और 141-धोने।
18. कुरनूल	137-कुरनूल, 142-पट्टीकोन्डा, 143-कोडुमूर (अ.जा.), 144-येम्मीगनुर, 145-मंत्रालायम, 146-अडोनी और 147-अलूर।
19. अनन्तपुर	148-रायदुर्ग, 149-उरावकोन्डा, 150-गुन्टाकाल, 151-टाडपात्री, 152-सगानमाला (अ.जा.), 153-अनन्तपुर शहरी और 154-कल्याणदुर्ग।

1	2
20. हिन्दुपुर	155-रापटाडु, 156-माडाकासिरा, 157-हिन्दुपुर, 158-पेनुकोन्डा, 159-पुत्तापारथी, 160-धर्मावरम और 161-काडिरि।
21. कडापा	124-बाडवेल (अ.जा.), 126-कडापा, 129-पुलीवेन्डला, 130-कमलापुरम, 131-जम्मालामाडुगु, 132-प्रोड्डाटुर और 133-माईदुकुर।
22. नेल्लोर	109-कान्डुकुर, 144-कावाली, 115-अटमाकुर, 116-कोवुर, 117-नेल्लोर शहर और 123-उदयगिरि।
23. तिरुपति (अ.जा.)	119-सर्वेपल्ली, 120-गुडुर (अ.जा.), 121-सुल्लुरपेटा (अ.जा.), 122-वेन्कटगिरि, 167-तिरूपति, 168-श्रीकालाहस्ती और 169-सत्यावेडु (अ.जा.)।
24. राजमपेट	125-राजमपेट, 127-कोडुर (अ.जा.), 128-रायाचोटी, 162-थामबल्लापल्ले, 163-पिलेरू, 164-मदनापल्ले और 165-पुन्गानुर।
25. चित्तूर (अ.जा.)	166-चन्द्रागिरि, 170-नागरी, 171-गंगाधर नेल्लोर (अ.जा.), 172-चित्तूर, 173-पुथालापट्टु (अ.जा.), 174-पालमानेर और 175-कुप्पम।

टिप्पण-सारणी क में जनगणना शहर (सी.टी.), बाह्य विकास (ओ.जी.), मंडल तथा ग्राम तथा अन्य क्षेत्रीय विभाजन के किसी सन्दर्भ से अभिप्राय उस जनगणना शहर (सी.टी.), बाह्य विकास (ओ.जी.), मंडल तथा ग्राम या अन्य क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत 15 फरवरी, 2004 के दिन निहित क्षेत्रफल से होगा। पुन:, सारणी क में नगर पालिका क्षेत्रों के वार्ड से अभिप्राय 2001 की भारत जनगणना रिपोर्ट में यथा परिभाषित क्षेत्रों से माना जाएगा।

4. अनुसूची 26 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"अनुसूची 27

तेलंगाना

सारणी क-सभा निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम संख्यांक और नाम	सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार
1	2
	1. आदिलाबाद जिला
1. सिरपुर	कोउथाला, बेज्जुर, कागजनगर, सिरपुर (टी) तथा दहेगांव मंडल।
2. चेन्नुर (अ.जा.)	जयपुर, चेन्नुर, कोटापल्ले तथा मन्डामरी मंडल।
3. बेल्लामपल्ले (अ.जा.)	कसीपेट, तान्दूर, बेल्लामपल्ले, भीमिनी, नेनाल तथा वेमनपल्ले मंडल।
4. मन्चेरियल	लक्सेट्टीपेट, मन्चेरियल तथा डान्डेपल्ले मंडल।
5. आसिफाबाद (अ.ज.जा.)	केरामेरी, वानकडी, सिरपुर (शहरी), आसिफाबाद, जैनूर, नारनूर, तिरयानी तथा रेब्बाना मंडल।
6. खानापुर (अ.ज.जा.)	जन्नारम, उत्नूर, कद्दाम (बेड्डूर), खानापुर तथा इन्दरावेल्ली मंडल।
7. आदिलाबाद	आदिलाबाद, जेनाद तथा बेला मंडल।
8. बोथ (अ.ज.जा.)	तामसी, तलामाडुगु, गुडिहाथनूर, इचोदा, बाजारहाथनूर, बोथ तथा नेराडिगोन्डा मंडल।
9. निर्मल	दिलावरपुर, निर्मल, लक्ष्मनचंदा, मामदा तथा सारंगापुर मंडल।
10. मुधोले	कुन्टाला, कुबीर, भैंसा, तनूर, मुधोले तथा लोकेस्वरम मंडल।
	2. निजामाबाद जिला
11. अरमूर	नन्दीपेट, अरमूर तथा मकलूर मंडल।
12. बोधन	रन्जाल, नवीपेट, येदपल्ली तथा बोधन मंडल।
13. जुक्कल (अ.जा.)	मदनूर, जुक्कल, बिचकुन्डा, पितलम तथा निजामसागर मंडल।
14. बांसवाड़ा	बीरकूर, वर्नी, बांसवाड़ा, तथा कोटगिरी मंडल।
15. येल्लारेड्डी	येल्लारेड्डी, नागारेड्डीपेट, लिंगमपेट, ताडवाई, गन्धारी तथा सदाशिवनगर मंडल।
16. कामारेड्डी	माचारेड्डी, डोमाकोंडा, कामारेड्डी तथा भीकनूर मंडल।

1	2
17. निजामाबाद (शहरी)	निजामाबाद (नगर पालिका)
18. निजामाबाद (ग्रामीण)	जाकारानपल्ले तथा सिरकोंडा मंडल, निजामाबाद मंडल (भाग), निजामाबाद (सिवाय निजामाबाद नगर पालिका), डिचपल्ले तथा धारपल्ले मंडल।
19. बालकोन्डा	बालकोन्डा, मोरटाड, काम्मरपल्ले, भीमगल तथा वेलपुर मंडल।
	3. करीमनगर जिला
20. कोरातला	इब्राहिमपटनम, मल्लापुर, कोरातला तथा मेटपल्ले मंडल।
21. जगतियाल	रायकाल, सांरगापुर तथा जगतियाल मंडल।
22. धर्मापुरी (अ.जा.)	धर्मापुरी, धर्माराम, गोल्लापल्ले, वेलगाटूर तथा पेगाडापल्ले मंडल।
23. रामागुन्डम	रामागुन्डम मंडल।
24. मन्थानी	कामनपुर, मन्थानी, कटाराम, महादेवपुर, मुथाराम (महादेवापुर) मालहरराओ तथा मुथाराम (मन्थानी) मंडल।
25. करीमनगर	करीमनगर मंडल।
27. चोप्पाडान्डी (अ.जा.)	गंगाधारा, रामाडुगु, चोप्पाडान्डी, मल्लिआल, कोडिमियाल तथा बोइनपल्ले मंडल।
28. वेमुलवाडा	वेमुलवाडा, कोनाराओपेटा, चान्दुर्थी, काथलापुर तथा मेडीपल्ले मंडल।
29. सिरसिल्ला	येल्लारेड्डीपेट, गम्भीराओपेट, मुस्ताबाद तथा सिरसिल्ला मंडल।
30. मान्कोन्डुर (अ.जा.)	मान्कोन्जुर, इल्लान्थाकुन्त्या, बेज्जानकी, टिम्मापुर (एलएमडी कालोनी) तथा शंकपटनम मंडल।
31. हुजूराबाद	वीमावंका, जम्मीकुन्त्या, हुजूराबाद तथा कमलापुर मंडल।
32. हुस्नाबाद	चिगुरूमामिडि, कोहेडा, हुस्नाबाद, सैदापुर, भीमादेवारपल्ले तथा इलकाथुर्थी मंडल।
	4. मेडक जिला
33. सिद्दीपेट	सिद्दीपेट, चिन्नाकोडुर तथा नांगनूर मंडल।
34. मेडक	मेडक, पापन्नापेट, रामाय पेट तथा शंकमरामपेट-आर. मंडल।
35. नारायणखेड	कंगटी, मानूर, नारायणखेड, कालहेर तथा शंकारामपेट-ए मंडल।
36. अंडोले (अ.जा.)	टेकमल, अल्लादुर्ग, रेगोड, रायकोडे, अंडोले, पुलकाल तथा मुलपल्ले मंडल।
37. नरसापुर	कोवडीपल्ले, कुलचरम, नरसापुर, हाथनुरा, येलडुथी तथा शिवमपेट मंडल।
38. जहीराबाद (अ.जा.)	जहीराबाद, कोहिर, न्यालकाल तथा झारासंगम मंडल।
39. संगारेड्डी	सदाशिवपेट, कोंडापुर तथा संगारेड्डी मंडल।
40. पाटनचेरू	जिन्नारम, पाटनचेरु तथा रामाचन्दापुरम मंडल।
41. डुब्बक	मीरडोडी, दौलताबाद, चेगुंटा, डुब्बक तथा टोगुटा मंडल।
42. गजवेल	तुपराप, कोंडापाक, गजवेल, जगदेवपुर, वारगल तथा मुलुग मंडल।
	5. रंगारेड्डी जिला
43. मेडचाल	मेडचाल, शामिरपेटर, घाटकेसर तथा कीसारा (ग्रामीण) मंडल।
44. मलकाजगिरी	मलकाजगिरी मंडल।
45. कुथबुल्लापुर	कुथबुल्लापुर मंडल।
46. कुकटपल्ले	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)। हैदराबाद (नगर निगम)-वार्ड सं॰ 24 (भाग)। (बालानगर मंडल में क्षेत्र)। कुकटपल्ले (नगर पालिका) (भाग)। कुकटपल्ले (नगर पालिका)-वार्ड सं॰ 5 से 16।

1	2
47. उप्पल	उप्पल नगर पालिका, कापरा नगर पालिका
48. इब्राहिमपटनम	हयाथनगर, इब्राहिमपटनम मंचाल तथा याचाराम मंडल।
49. लाल बहादुर नगर	सरुरनगर मंडल (भाग)।
	गड्डियाननराम (जनगणना शहर)।
	लाल बहादुर नगर (नगर पालिका + बाह्य विकास) (भाग)।
	लाल बहादुर नगर (नगर पालिका)- वार्ड सं॰ 1 से 10।
50. महेस्वरम	महेस्वरम तथा कंडुकुर मंडल।
	सरुरनगर मंडल (भाग)।
	मेडबोवली, अलमासगुडा, बाडंगपेट, चिन्तालाकुन्टा, जलपल्ली, मामिदीपल्ली।
	कुरमलगुडा तथा नाडागुल (ग्रामीण) मंडल।
	हैदराबाद (बाह्य विकास) (भाग)।
	बालापुर (बाह्य विकास)-वार्ड सं॰ 36।
	कोथापेट (बाह्य विकास)-वार्ड सं॰ 37।
	वेंकटपुर (बाह्य विकास)-वार्ड सं॰ 39।
	मल्लापुर (बाह्य विकास)-वार्ड सं॰ 40।
	लाल बहादुर नगर (नगर पालिका + बाह्य विकास) (भाग)।
	लाल बहादुर नगर (नगर पालिका)-वार्ड सं॰ 11।
	नादारगुल (बाह्य विकास) (भाग)-वार्ड सं॰ 12।
	जिल्लालगुडा (बाह्य विकास)-वार्ड सं॰ 15।
	मीरपेट (जनगणना शहर)।
51. राजेन्द्र नगर	राजेन्द्र नगर तथा शामशाबाद मंडल।
52. सेरीलिंगपल्ली	सेरीलिंगमपल्ली मंडल।
	बालानगर मंडल (भाग)।
	कुकटपल्लै (नगर पालिका) (भाग)।
	कुकटपल्लै (नगर पालिका)-वार्ड सं॰ 1 से 4।
53. चेवेल्ला (अ.जा.)	नवाबपेट, शंकरपल्ले, मोइनाबाद, चेवेल्ला तथा शब्द मंडल।
54. पारगी	डीमा, गंडीड, कुलकाचेर्ला, पारगी तथा पुडुर मंडल।
55. विकाराबाद	मारपल्ले, मोमिनपेट, विकाराबाद, धारुर तथा बंतवारम मंडल।
56. तंदूर	पेड्डेमुल, तंदूर बशीराबाद तथा यालाल मंडल।
	6. हैदराबाद जिला
57. मुशीराबाद	हैदराबाद (नगर निगम+ बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 1।
58. मलकपेट	हैदराबाद (नगर निगम+बाह्य विकास)(भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 16।
	वार्ड सं॰ 17 (भाग)।
	खंड सं॰ 8 तथा 9।

1	2
59. अम्बरपेट	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम)+ (भाग)।
	वार्ड सं॰ 2।
	वार्ड सं॰ 3 (भाग)।
	खंड सं॰ 1 से 4।
60. खैराताबाद	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 6।
	वार्ड सं॰ 3 (भाग)।
	खंड सं॰ 5 तथा 6।
	वार्ड सं॰ 8 (भाग)।
	खंड सं॰ 2।
	वार्ड सं॰ 5 (भाग)।
	खंड सं॰ 10।
61. जुबली हिल्स	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 8 (भाग)।
	खंड सं॰ 1 , 3 तथा 4।
62. सनथनगर	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 7, 24 (विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-46 कुकटपल्ले में क्षेत्र को छोड़कर) और 25 से 30।
63. नामपल्ली	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 10 से 12।
64. कारवां	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 9।
	वार्ड सं॰ 13 (भाग)।
	खंड सं॰ 3 से 6।
65. गोशमहल	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 4, 14 तथा 15 ।
	वार्ड सं॰ 5 (भाग)।
	खंड सं॰ 1 से 9।
	वार्ड सं॰ 13 (भाग)।
	खंड सं॰ 1 तथा 2।
66. चारमिनार	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।

1	2
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 20 तथा 23।
67. चंद्रायनगुट्टा	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 18 (भाग)।
	खंड सं॰ 1 से 3 तथा 8 से 14।
68. याकुतपुरा	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	खंड सं॰ 17 (भाग)।
	खंड सं॰ 1से 7।
	वार्ड सं॰ 18 (भाग)।
	खंड सं॰ 6 तथा 7।
69. बहादुरपुरा	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 18 (भाग)।
	खंड सं॰ 4 तथा 5।
	वार्ड सं॰ 19।
70. सिकंदराबाद	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 33 (भाग)।
	खंड सं॰ 4 से 7।
	वार्ड सं॰ 34 तथा 35।
	उस्मानिया विश्वविद्यालय क्षेत्र।
71. सिंकदराबाद कैंट (अ॰जा॰)	हैदराबाद (नगर निगम + बाह्य विकास) (भाग)।
	हैदराबाद (नगर निगम) (भाग)।
	वार्ड सं॰ 31 तथा 32।
	खंड सं॰ 33 (भाग)।
	खंड सं॰ 1 से 3।
	सिकंदराबाद कैन्टोनमैंट बोर्ड।
	7. महबूबनगर जिला
72. कोडंगल	कोडंगल, बोमरसपेट, कोसगी, दौलथबाद तथा मदुर मंडल।
73. नारायनपेट	कोइलकोंडा, नारायनपेट, डामारागिड्डा तथा धानवाड़ा मंडल।
74. महबूबनगर	हनवाडा तथा महबूबनगर मंडल।
75. जाडचेरला	जाडचेरला, नवाबपेट, बालानगर तथा मिडजिल मंडल।
76. देवरकाडरा	भूथपूर, अड्डाकाल, देवरकाडरा, चिन्न चिंता कुन्त्र तथा कोथाकोटा मंडल।
77. मकथाल	मकथाल, मागानूर, अतमाकुर, नार्वा तथा उत्कूर मंडल।
78. वानापार्थी	वानापार्थी पेब्बेयर, गोपालपेटा, पेड्डामांडाडी तथा घानपुर मंडल।
79. गडवाल	गडवाल, धारुर, माल्दाकाल तथा घट्टू मंडल।
80. आलमपुर (अ॰जा॰)	ईज़, इतिक्याल, वाड्डेपल्ले, मानोपाड तथा आलमपुर मंडल।
81. नगरकुरनूल	नगरकुरनूल, बिजिनापल्ले, थिम्माजीपेट, तडूर, और तेलकापल्ले मंडल।
82. अचम्पेट (अ॰जा॰)	बलमूर, लिंगल, अमराबाद, अचम्पेट, उप्पुनुथाला और वनूर मंडल।

1	2
83. कालावाकुरथी	वेलडान्डा, कालवाकुरथी, तालाकोन्डापल्ले, अमान्गल और मडगुल मंडल।
84. शादनगर	कोन्दुर्ग, फारूखनगर, कोथुर और केशामपेट मंडल।
85. कोल्लापुर	बीपानगन्डला, कोल्लापुर, पेड्डाकोथापल्ले, कोर्डए और पन्गाल मंडल।
	8. नालगोंडा जिला
86. देवराकोन्डा (अ॰ज॰जा॰)	चिन्तापल्ले, गुन्डलापल्ले, चन्दामपेट, देवराकोन्डा और पेड्डा आदीसारलापल्ले मंडल।
87. नार्गाजुन सागर	गुररामपोडे, निडामानुर, पेड्डावोरा, अनुमुला और थ्रिपुराराम मंडल।
88. मिरयालगुडा	वेमुलापल्ले, मिरयालगुडा और डामेरचेर्ला मंडल।
89. हुजूरनगर	नेरेडचेरला, गारीडेपेल्ले, हुजूरनगर, मट्टामपल्ली और मेल्लाचेरदू मंडल।
90. कोडाड	मोथे, नाडीगुडेम, मुनागाला, चिलकुर और कोडाड मंडल।
91. सूर्यपेट	अटमाकुर (एस॰), सूर्यपेट, चिववेमला और पेनापाहद मंडल।
92. नलगोन्डा	थिप्पार्थी, नलगोन्डा और कन्गल मंडल।
93. मुनुगोडे	मुनुगोडे, नारायणपुर, मारिगुडा, नामपल्ले, चन्दूर और चौटुप्पाल मंडल।
94. भोंगिर	भोंगिर, बीबीनगर, वालीगोंडा, और पोचमपल्ले मंडल।
95. नकरेकल (अ॰जा॰)	रामन्नापेटा, चितयाला, काट्टानगूर, नकरेकल, केथेपल्ले और नारकेटपल्ले मण्डल।
96. थुन्गाथुरथी (अ॰जा॰)	थिरूरामालागिरी, थुन्गाथुरथी, नुथानकाल, जाजीरेड्डीगुडेम, साली गौराराम, और मोथकुर मण्डल।
97. अलेयर	एम॰ टुर्कापल्ले, राजापेट, याडागिरिगुडा, अलेयर, गुन्डाला, अत्माकुर (एम) और बोम्मालारामाराम मण्डल।
	9. वारंगल जिला
98. जनगांव	चेरियल, मडडुर, बचनापेट, नरपेटा और जनगांव मण्डल।
99. घानपुर (स्टेशन) (अ॰जा॰)	घानपुर (स्टेशन), धर्मासागर, रघुनाथपल्ले, जाफरगद और लिंगालाघानपुर मण्डल।
100. पालाकुरथी	पालाकुरथी, देवरूप्पुला, कोडाकान्डला, रायपारथी और थोरूर मण्डल।
101. दोरनाकल (अ॰ज॰जा॰)	नरसिम्हलापेट, पारिपेडा, कुरावी और दोरनाकल मण्डल।
102. महाबूबाबाद (अ॰ज॰जा॰)	गुडुर, नेल्लागुडुर, केसामुद्रम और महाबूबाबाद मण्डल।
103. नरसामपेट	नरसापमेट, खन्नापुर, चेन्नारावपेट, डुग्गोन्डा मण्डल।
104. पारकल	पारकल अत्माकुर, संगम और गेसुगोन्डा मण्डल।
105. वारंगल पश्चिम	वारंगल मण्डल (भाग) वारंगल (नगर निगम) भाग वारंगल मण्डल (नगर निगम)-वार्ड सं॰ 1 से 7, 15, 21 और 23 से 25।
106. वारंगल पूर्व	वारंगल मण्डल (भाग) वारंगल (नगर निगम) (भाग) वारंगल मण्डल (नगर निगम)-वार्ड सं॰ 8 से 14, 16 से 20 और 22।
107. वारधन्नापेट (अ॰जा॰)	हसनपारथी, हनमकोन्डा, पारवाथागिरि और वारधन्नापेट मण्डल।
108. भुपालपल्ले	मोगुल्लापल्ले, चितयाल, भुपालपल्ले, घानपुर (मुलुग) रेगोन्डा और श्यामपेट मण्डल।
109. मुलुग (अ॰ज॰जा॰)	वेंकटापुर, इतुरनगरम, मन्गापेन्ट, टाडवई, कोथागुडेम, गोविन्दारावपेट और मुलुग मण्डल।
	10. खम्माम जिला
110. पिनापाका (अ॰ज॰जा॰)	पिनापाका, मनुगुरू, गुन्डाला, बुरगामपाहाड और आस्वापुरम मण्डल।
111. येल्लाण्डु (अ॰ज॰जा॰)	कामेपल्ले, येल्लाण्डु, बैयाराम तेकुलापल्ले और गारला मण्डल।
112. खम्माम	खम्माम मण्डल।
113. पालेयर	थिरूमालायापालेम, कुसुमानची, खम्माम ग्रामीण और नेलाकोन्डापल्ले मण्डल।
114. मधिरा (अ॰जा॰)	मुडीगोन्डा, चिन्थाकानी, बोनाकाल, मधिरा और येरूपलेम मण्डल।
115. वायरा (अ॰ज॰जा॰)	इन्कुरू, कोनीजेरला, सिंगारेनी, जुलुरपाडु और वायरा मण्डल।
116. साथुपल्ले (अ॰जा॰)	साथुपल्ले, पेनुबल्ली, कल्लुर, तल्लाडा और वेमसूर मण्डल।
117. कोथागुडेम	कोथागुडेम और पलवानचा मण्डल।

1	2
118. असवारावपेट (अ॰ज॰जा॰)	मुलीकालापल्ले, वेलैरपाडु, कुकुनूर, चन्दरूगौण्डा, असवारावपेट और दम्मापेटा मण्डल।
119. भद्राचलम (अ॰ज॰जा॰)	वाभुड, वेंकटपुरम, चेरला, डुम्मुगुडेम, भद्राचलम, कुनावरमख, चिन्तूर और वी॰आर॰ पुरम मण्डल।

सारणी ख-संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम संख्यांक व नाम	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार
1	2
1. आदिलाबाद (अ॰ज॰जा॰)	1-सिरपुर, 5-आसिफाबाद (अ॰ज॰जा॰), 6-खानापुर (अ॰ज॰जा॰), 7-आदिलाबाद, 8-बोथ (अ॰ज॰जा॰), 9-निर्मल और 10-मुधोले।
2. पेड्डापल्ले (अ॰जा॰)	2-चेन्नुर (अ॰जा॰), 3-बेल्लापल्ले (अ॰जा॰), 4-मन्चेरियल, 22-धर्मापुरी (अ॰जा॰), 23-रामागुन्डम, 24-मन्थानी और 25-पेड्डापल्ले।
3. करीमनगर	26-करीमनगर, 27-चोप्पाडान्डी (अ॰जा॰), 28-वेमुलवाडा, 29-सिरसिल्ला, 30-मान्कोन्डुर (अ॰जा॰), 31-हुजूराबाद और 32-हुस्नाबाद।
4. निज़ामाबाद	11-अरमूर, 12-बोधन, 17-निज़ामाबाद (शहरी), 18-निज़ामाबाद (ग्रामीण), 19-बालकोन्डा, 20-कोराताला और 21-जगतियाल।
5. ज़हीराबाद	13-जुक्कल (अ॰जा॰), 14-बांसवाड़ा, 15-येल्लारेड्डी, 16-कामारेड्डी, 35-नारायणखेड, 36-अन्डोले (अ॰जा॰) और 38-जहीराबाद (अ॰जा॰)।
6. मेडक	33-सिद्दीपेट, 34-मेडक, 37-नरसापुर, 39-संगारेड्डी, 40-पाटनचेरु, 41-डुब्बक और 42-गजवेल।
7. मल्कागिरि	43-मेडचाल, 44-मलकाजगिरि, 45-कुथबुल्लापुर, 46-कुकटपल्ले, 47-उप्पल, 49-लाल बहादुर नगर और 71-सिकन्दराबाद (कैन्ट) (अ॰जा॰)।
8. सिकन्दराबाद	57-मुशीराबाद, 59-अम्बरपेट, 60-खैराताबाद, 61-जुबली हिल्स, 62-सनथनगर, 63-नामपल्ली और 70-सिकन्दरबाद।
9. हैदराबाद	58-मलकपेट, 64-कारवां, 65-गोशमहल, 66-चारमिनार, 67-चन्द्रायनगुट्टा, 68-याकुतपुरा और 69-बहादुरपुरा।
10. चेवेल्ला	50-महेस्वरम्, 51-राजेन्द्रनगर, 52-सेरीलिंगपल्ली, 53-चेवेल्ला (अ॰जा॰), 54-पारगी, 55-विकाराबाद (अ॰जा॰) और 56-तन्दूर।
11. महबूबनगर	72-कोडंगल, 73-नारायनपेट, 74-महबूबनगर, 75-जाडचेरला, 76-देवरकाडरा, 77-मकथाल और 84-शादनगर।
12. नगरकुरनूल (अ॰जा॰)	78-वानापार्थी, 79-गडवाल, 80-आलमपुर (अ॰जा॰), 81-नगरकुरनूल, 82-अचम्पेट (अ॰जा॰), 83-कालवाकुरथी और 85-कोल्लापुर।
13. नलगोन्डा	86-देवराकोन्डा (अ॰अ॰जा॰), 87-नार्गाजुन सागर (अ॰जा॰), 88-मिरयालागुडा, 89-हुजूरनगर, 90-कोडाड, 91-सूर्यपेट और 92-नलगोन्डा।
14. भोंगीर	48-इब्राहिमपट्नम, 93-मुनुगोडे, 94-भोंगिर, 95-नकरेकल (अ॰जा॰), 96-थुन्नाथुरथी (अ॰जा॰), 97-अलेयर और 98-जनगांव।
15. वारंगल (अ॰जा॰)	99-घानपुर (स्टेशन) (अ॰जा॰), 100-पालाकुरथी, 104-पारकल, 105-वारंगल पश्चिम, 106-वारंगल पूर्व, 107-वारधन्नापेट (अ॰जा॰) और 108-भुपालपल्ले।
16. महाबूबाबाद (अ॰ज॰जा॰)	101-दोरनाकल (अ॰ज॰जा॰), 102-महाबूबाबाद (अ॰ज॰जा॰), 103-नरसामपेट, 109-मुलुग (अ॰ज॰जा॰), 110-पिनापाका (अ॰ज॰जा॰), 111-येल्लाण्डु (अ॰ज॰जा॰) और 119-भद्राचलम (अ॰ज॰जा॰)।
17. खम्माम	112-खम्माम, 113-पालेयर, 114-मधिरा (अ॰जा॰), 115-वायरा (अ॰ज॰जा॰), 116-साथुपल्ले (अ॰जा॰), 117-कोथागुडेम और 118-असवावपेटा (अ॰जा॰)।

टिप्पण-सारणी क में जनगणना शहर (सी॰टी॰), बाह्य विकास (ओ॰जी॰) मंडल तथा ग्राम तथा अन्य क्षेत्रीय विभाजन के किसी संदर्भ से अभिप्राय उस जनगणना शहर (सी॰टी॰) बाह्य विकास (ओ॰जी॰), मंडल तथा ग्राम या अन्य क्षेत्रीय विभाजन के अंतर्गत 15 फरवरी, 2004 के दिन निहित क्षेत्रफल से होगा। पुनः, सारणी क में नगर पालिका क्षेत्रों के वार्ड से अभिप्राय 2001 की भारत जनगणना रिपोर्ट में यथा परिभाषित क्षेत्रों से माना जाएगा।"।

तीसरी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

भाग 1

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 में उपांतरण

परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 से संलग्न सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:–

"सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र		
1. श्रीकाकुल्लम स्थानीय प्राधिकारी	श्रीकाकुल्लम	1
2. विजयनगरम स्थानीय प्राधिकारी	विजयनगरम	1
3. विशाखापट्नम स्थानीय प्राधिकारी	विशाखापट्नम	2
4. पूर्व गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पूर्व गोदावरी	2
5. पश्चिम गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पश्चिम गोदावरी	2
6. कृष्णा स्थानीय प्राधिकारी	कृष्णा	2
7. गुन्टुर स्थानीय प्राधिकारी	गुन्टुर	2
8. प्रकाशम स्थानीय प्राधिकारी	प्रकाशम	1
9. नेल्लोर स्थानीय प्राधिकारी	नेल्लोर	1
10. चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी	चित्तूर	2
11. कडप्पा स्थानीय प्राधिकारी	कडप्पा	1
12. अनन्तपुर स्थानीय प्राधिकारी	अनन्तपुर	2
13. कूरनूल स्थानीय प्राधिकारी	कूरनूल	1
स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र		
1. श्रीकाकुल्लम-विजयनगरम-विशाखापट्नम स्नातक	श्रीकाकुल्लम, विजयनगरम, विशाखापट्नम	1
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी स्नातक	पूर्व-पश्चिम गोदावरी	1
3. कृष्णा-गुन्टुर स्नातक	कृष्णा, गुन्टुर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर स्नातक	प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर	1
5. कडप्पा-अनंतपुर-कूरनूल स्नातक	कडप्पा, अनंतपुर, कूरनूल	1
अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र		
1. श्रीकाकुल्लम-विजयनगरम-विशाखापट्नम अध्यापक	श्रीकाकुल्लम विजयनगरम, विशाखापट्नम	1
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी अध्यापक	पूर्व-पश्चिम गोदावरी	1
3. कृष्णा-गुन्टुर अध्यापक	कृष्णा-गुन्टुर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर अध्यापक	प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर	1
5. कडप्पा-अनंतपुर-कुरनूल अध्यापक	कडप्पा, अनंतपुर, कूरनूल	1

भाग 2

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम परिषद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (तेलंगाना), आदेश, 2014 है।

2. तेलंगाना राज्य की विधान परिषद् के (क) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों और (ग) अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए उक्त तेलंगाना राज्य को निम्नलिखित निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार क्षेत्र और ऐसे प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या निम्नलिखित सारणी में दर्शित किए गए अनुसार होगी :-

सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र		
1. महबूबनगर स्थानीय प्राधिकारी	महबूबनगर	1
2. रंगा रेड्डी स्थानीय प्राधिकारी	रंगा रेड्डी	1
3. हैदराबाद स्थानीय प्राधिकारी	हैदराबाद	2
4. मेडक स्थानीय प्राधिकारी	मेडक	1
5. निजामाबाद स्थानीय प्राधिकारी	निजामाबाद	1
6. आदिलाबाद स्थानीय प्राधिकारी	आदिलाबाद	1
7. करीमनगर स्थानीय प्राधिकारी	करीमनगर	1
8. वारंगल स्थानीय प्राधिकारी	वारंगल	1
9. खामम्म स्थानीय प्राधिकारी	खामम्म	1
10. नालगोंडा स्थानीय प्राधिकारी	नालगोंडा	1
स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र		
1. महबूबनगर-रंगा रेड्डी-हैदराबाद स्नातक	महबूबनगर-रंगा रेड्डी-हैदराबाद	1
2. मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर स्नातक	मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर	1
3. वारंगल-खमम्म-नलगोंडा स्नातक	वारंगल-खमम्म-नलगोंडा	1
अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र		
1. महबूबनगर-रंगा रेड्डी हैदराबाद अध्यापक	महबूबनगर-रंगा रेड्डी हैदराबाद	1
2. मेडक-निजामाबाद आदिलाबाद-करीमनगर अध्यापक	मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर	1
3. वारंगल-खमम्म-नलगोंडा अध्यापक	वारंगल-खमम्म-नलगोंडा	1"।

चौथी अनुसूची

[धारा 22 (2) देखिए]

उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की विधान परिषद् के सदस्यों की सूची—

आंध्र प्रदेश की विधान परिषद्:

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य:

(1) इल्लापुरम वेंकय्या (2) पोथुल्ला रामा राव, (3) डी॰वी॰ सूर्यानारायण राजू, (4) नारायण रेड्डी चदीपिराल्ला, (5) बोद्दू भास्करा रामाराव, (6) अंगारा रामामोहन, (7) डा॰ दसाई थिप्पा रेड्डी एम॰एस॰, (8) मेका सेशु बाबू (9) पीरूकातला विश्व प्रसाद राव, (10) नारायणा रेड्डी वकाती (11) मेट्टु गोविन्दा रेड्डी।

स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य:

1. बोद्दू नागेश्वर राव, (2) कालीडिन्डी रवि किरण वर्मा, (3) एम॰वी॰एस॰ सरमा, (4) यन्डापल्ली श्रीनिवासुलु रेड्डी, (5) डा॰ गेयानंद एम।

अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य:

(1) गड़े श्रीनिवासुलू नायडु, (2) के॰वी॰वी॰ सत्यनारायण राजू, (3) के॰एस॰ लक्ष्मण राव, (4) बाला सुब्रह्मणयम, (5) बचला पुल्लिहा वितापु।

नामनिर्दिष्ट सदस्य:

(1) जुपूदी प्रभाकर राव, (2) बलशाली इंदिरा, (3) डा॰ ए॰ चक्रपणि, (4) आर॰ रेद्देप्पा रेड्डी, (5) शेख हुसैन।

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य:

(1) के॰ वीरभद्र स्वामी, (2) ए॰ लक्ष्मी शिव कुमारी, (3) आर॰ पदमा राजू, (4) पालाडुगु वेन्कटा राव, (5) मोहम्मद जानी, (6) एन॰ राजकुमारी, (7) वाई॰ रामकृष्णुडु, (8) एस॰ बासव पुनय्या, (9) ए॰ अप्पा राव, (10) पी॰जे॰ चन्द्रशेखरा राव, (11) बी॰ चांगल रायुडू, (12) पी॰ सामंताकुमारी, (13) सी॰ रामाचन्द्रय्या , (14) एस॰वी॰ सतीश कुमार रेड्डी, (15) जी॰ थिप्पे स्वामी, (16) एम॰ सुधाकर बाबू।

तेलंगाना की विधान परिषद्:

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य:

(1) नेति विद्या सागर, (2) वी॰ भूपाल रेड्डी, (3) अरीकाला नरसा रेड्डी, (4) पोटला नागेश्वर राव, (5) टी॰ भानू प्रसाद राव, (6) एस॰ जगदीश्वर रेड्डी, (7) श्री एम॰एस॰ प्रभाकर राव, (8) श्री पट्नम नरेन्द्र रेड्डी, (9) सय्यैद अमीनुल हसन जाफरी।

स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य:

(1) डा॰ के॰ नागेश्वर, (2) कपीलावई दिलीप कुमार, (3) के॰ स्वामी गोड।

अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य:

(1) पथुरी सुधाकर रेड्डी, (2) पूला रविन्द्र, (3) काटेपल्ली जनार्धन रेड्डी।

नामनिर्दिष्ट सदस्य:

(1) डी॰ राजेश्वर राव, (2) फारूक हुसैन, (3) बी॰ वेंकटा राव।

विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य:

(1) के॰आर॰ अमोस, (2) मोहम्मद अली शब्बीर, (3) के॰ यादवा रेड्डी, (4) वी॰ गंगाधर गोड, (5) टी॰ सन्तोष कुमार, (6) एन॰ राजालिंगम, (7) डी॰ श्रीनिवास, (8) एम॰ रंगा रेड्डी, (9) पी॰ सुधाकर रेड्डी, (10) बी॰ लक्ष्मी नारायण, (11) मोहम्मद सलीम, (12) बी॰ वेंकटेश्वरलु, (13) पीर शब्बीर अहमद, (14) मोहम्मद महमूद अली, (15) सय्यद अलताफ हैदर रजवी।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 28 देखिए)

वेधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, में,—

(1) पैरा 2 में, "24" अंकों के स्थान पर "25" अंक रखे जाएंगे।

(2) अनुसूची में,--

(क) आंध्र प्रदेश से संबंधित भाग 1 में, मद संख्या 9 का लोप किया जाएगा;

(ख) भाग 24 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"भाग 25 - तेलंगाना

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. अनामुक
4. आरे माल
5. अरुंधतिय
6. अरब माल
7. बारिकी
8. बावुरी
9. बेड (बुडग) जंगम
10. बिंड्ल
11. बैगारा, बैगारी
12. चचाटि
13. चलवादि
14. चमार, मोची, मुचि, चमार - रविदास, चमार - रोहिदास
15. चम्भार
16. चंडाल
17. डक्कल, डोक्कलवार
18. डंडासि
19. ढोर
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पनो
21. एल्लमल्वार, येल्लमालवाण्डल
22. घासी, हड्डी, रेल्लि, चचन्डि
23. गोडारी
24. गोसंगी
25. होलया
26. होलया दासारी
27. जग्गलि
28. जाम्बुवुलु
29. कोलुपुलुवाण्डलु, पम्बांडा, पम्बाला
30. मदासि, कुरुवा, मदारी कुरुवा

31. मादिगा
32. मादिगा दासु, माटीन
33. महार
34. माला, माला आयावारु
35. माला दासरि
36. माला दासु
37. माला हन्नाइ
38. माला जंगम
39. माल मस्ति
40. माला साले, नेट्कानि
41. माला सन्यासी
42. मांग
43. मांग गारोडी
44. मन्न
45. मष्टि
46. मातंगि
47. मेहतर
48. मिता अय्यल्वार
49. मुडला
50. पाकि, मोटि, तोटि
51. पामिडी
52. पंचम पेरिया
53. रेल्लि
54. सामगार
55. सम्बन
56. सप्रु
57. सिंधोल्लु, चिंदोल्लु
58. यातला
59. वल्लूवन।''।

छठी अनुसूची

(धारा 29 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में, —

(1) पैरा 2 में, ''22'' अंकों के स्थान पर ''23'' अंक रखे जाएंगे।

(2) अनुसूची में, —

(क) आंध्र प्रदेश से संबंधित भाग 1 में, मद संख्या 20 में,—

(i) ''(आदिलाबाद, हैदराबाद, करीम नगर, खम्माम, महबूबनगर, मेदक, नालगोंड निजामाबाद और वरंगल जिलों को छोड़कर)'' कोष्ठकों और शब्दों का लोप किया जाएग

(ii) मद संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

(ख) भाग 24 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"भाग 25 - तेलंगाना

1. आंध्र, साधू आंध्र
2. बगटा
3. भील
4. चेंचु
5. गडवा, बोडो गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, कापू गडावा
6. गोंड, नायकपोड, राजगोंड, कोइतूर
7. गोडू (अभिकरण भूखंडों में)
8. हिल रेड्डि
9. जातपू
10. कम्मरा
11. कडुनायकन
12. कोलम, कोलावार
13. कोंडधोरा, कुबी
14. कोड कापु
15. कोडारेड्डि
16. कोंध, कोडि, कोध, देसेय कोंध, डोंगारिया कोंध, कुट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, वेंथो ओरिया, वारत्तिका, डुलिया, होल्वा, सनरोण, सिधोपैको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया, राजा, राशकोया, लिंगधारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भिण कोया, राज कोया
19. कुलिया
20. मन्ना दोरा
21. मुक्खा दोरा, नूका दोरा
22. नायक (अभिकरण भूखंडों में)
23. परधाण
24. पुर्जा, परांगीपेरजी
25. रेड्डी दोरा
26. रोणा, रेणा
27. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार
28. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा
29. तोटि (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और वारंगल जिलों में)

30. येनादी, चेला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी

31. येरुकुल्लास, कोरचा, डब्बा येरुकुल्ला, कुंचापुरी येरुकुल्ला, उपु येरुकुल्ला

32. नक्काला, कुरविकरन।''।

सातवीं अनुसूची

(धारा 52 देखिए)

निधियों की सूची

क. भविष्य निधियां, पेंशन निधियां, बीमा निधियां—

1. अभिदायी भविष्य निधि- 50 प्रतिशत भारित, एनआरएस
2. अखिल भारतीय सेवा भविष्य निधि
3. भाविष्य निधि अभिदाय से जिला प्रजा परिषदों को निक्षेप
4. साधारण भविष्य निधि (नियमित)
5. आंध्र प्रदेश चतुर्थ श्रेणी सरकारी सेवक कुटुम्ब पेंशन निधि
6. आंध्र प्रदेश राज्य कर्मचारी कुटुम्ब फायदा निधि
7. आंध्र प्रदेश राज्य सरकारी जीवन बीमा निधि
8. अनिवार्य बचत स्कीम
9. 50% डीए, साधारण भविष्य निधि, एनआरएस
10. जीपीएफ, वर्ग 4
11. साधारण भविष्य निधि संकर्म प्रभारित 50% एनआरएस
12. सीपीएफ संकर्म प्रभारित स्थापन
13. विद्युत विभाग भविष्य निधि
14. आईसीएस भविष्य निधि
15. विश्वविद्यालय कर्मचारियों के लिए अनिवार्य बचत स्कीम
16. डाक बीमा और जीवन वार्षिकी निधि
17. केन्द्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा स्कीम
18. आईएएस, समूह बीमा
19. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी अभिदायी पेंशन स्कीम
    (i) कर्मचारी अभिदाय;
    (ii) सरकार का अभिदाय।
20. आंध्र प्रदेश सहायताप्राप्त शैक्षणिक संस्थान कर्मचारी अभिदायी पेंशन स्कीम
    (i) कर्मचारी अभिदाय;
    (ii) सरकार का अभिदाय।
21. पंचायत राज कर्मचारियों के लिए समूह बीमा
22. समूह बीमा विपणन समिति
23. राज्य सरकार कर्मचारी समूह जनता निजी दुर्घटना पालिसी
24. कर्मचारी कल्याण निधि (आंध्र प्रदेश राज्य) ।

ख. निक्षेप निधि, प्रत्याभूति पुनरारंभ निधि, आरक्षित निधियां—

25. निक्षेप निधि - विनिधान लेखा।

26. गारंटी मोचन निधि - विनिधान लेखा।

27. अवक्षयण आरक्षित निधि - सरकारी वाणिज्यिक विभागों और उपक्रमों से संबंधित—

(i) अल्कोहल कारखाना, नारायणगुडा;

(ii) अल्कोहल कारखाना, कामारेड्डी;

(iii) आंध्र पेदेश पाठ्यपुस्तक प्रेस;

(iv) सरकारी आसवनी, चगालु;

(v) सरकारी मृत्तिका कारखाना, गुडूर;

(vi) सरकारी ब्लाक ग्लास कारखाना गुडूर।

28. औद्योगिक विकास निधियां—

(i) शर्करा उद्योगों के संरक्षण के लिए आरक्षित निधि;

(ii) रेशम कीट पालन विकास निधि।

29. विद्युत विकास निधियां - विशेष आरक्षित निधि -विद्युत

30. अन्य विकास और कल्याण निधियां—

(i) विकास स्कीमों के लिए निधियां;

(ii) औद्योगिक बागान निधि;

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य आसवनी;

(iv) आंध्र प्रदेश राज्य आसवनी प्रदूषण नियंत्रण।

31. सरकारी मुद्रणालय की अवक्षयण आरक्षित निधि

32. जल संकर्मों की अवक्षयण आरक्षित निधि

33. लघु और सीमांत कृषकों के लिए राज्य विकास सहायकी निधि

34. औद्योगिक अनुसंधान और विकास निधि - मुख्य खाता

35. औद्योगिक अनुसंधान और विकास निधि - विनिधान खाता

36. विकास स्कीमों के लिए निधि - विनिधान खाता

37. आंध्र प्रदेश आसवनी और निसवनी

38. जीआरएफ चालू खाते में भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा राशि

39. प्रतिभूति समायोजन आरक्षिति - विनिधान खाता।

ग. अन्य निधि—

40. शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विकास निधि

41. के॰जी॰ और पेन्नार जल निकास उपकर निधि

42. मुख्यमंत्री राहत निधि

43. नगरपालिका पर्यावरणीय स्कीम निधि

44. जिला प्रजा परिषद् निधियां

45. केन्द्रीय सड़क निधि से सरकारी सहायता

46. पुलिस निधियों का निक्षेप

47. आंध्र प्रदेश समाज कल्याण निधि निक्षेप

48. खनिज संसाधनों का विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि

49. ग्राम पंचायत निधि

50. मंडला प्रजा परिषद् निधियां

51. विपणन समिति निधियां

52. बुनकरों के लिए मितव्यय निधि सह बचत और प्रतिभूति स्कीमें

53. राज्य कृषि प्रत्यय स्थिरीकरण निधि

54. आंध्र प्रदेश राज्य सरकार कर्मचारी अभिदायी पेंशन स्कीम—

(i) कर्मचारी अभिदाय;

(ii) सरकार का अभिदाय।

55. कर्मचारी कल्याण निधि में निक्षेप और कर्मचारी कल्याण निधि पर उपार्जित ब्याज के बराबर समतुल्य अभिदाय—

(i) सरकारी कर्मचारियों को ऋण;

(ii) पंचायत राज कर्मचारियों को ऋण;

(iii) नगर निगम/नगरपालिक कर्मचारियों को ऋण;

(iv) कर्मचारी कल्याण निधि और लेखन सामग्री, स्टांप, आकस्मिक मदों, आदि जैसे अन्य संबद्ध व्यय में कार्यरत कर्मचारियों को पारिश्रमिक।

56. आंध्र प्रदेश भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निक्षेप

57. प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित अतिरिक्त धन राशि निधि

58. कृषि प्रयोजनों के लिए विकास निधि

59. जमींदारी उन्मूलन निधि

60. एथाइल एल्कोहाल भंडारण प्रसुविधा निधि—

(i) आंध्र प्रदेश सरकारी पावर एल्कोहाल कारखाना, बोधान;

(ii) आंध्र प्रदेश सरकारी पावर एल्कोहाल कारखाना, छागल्लु।

61. प्रतिभूति समायोजन आरक्षिती

62. आंध्र प्रदेश फसल बीमा निधि

63. आंध्र प्रदेश व्यापक फसल बीमा स्कीम

64. धार्मिक पूर्त विन्यास निधियां

65. पन-तापीय-बिजली स्कीमों की अवमूल्यन आरक्षिती निधि—

(i) पन-तापीय-बिजली स्कीमों की अवमूल्यन आरक्षिती निधि;

(ii) मछकुंड;

(iii) तुंगभद्रा।

66. राज्य नवीकरण निधि

67. आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास निधि

68. सार्वजनिक पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए समग्र निधि

69. सरकारी वाणिज्यिक विभागों/उपक्रमों की साधारण आरक्षिती निधियां।

आठवीं अनुसूची

(धारा 59 देखिए)

पेंशनों की बाबत दायित्व का प्रभाजन

1. पैरा 3 में वर्णित समायोजनों के अधीन रहते हए, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा नियत दिन के पूर्व अनुदत्त पेंशनों की बाबत प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य अपने-अपने खजानों में से दी जाने वाली पेंशनें संदत्त करेगा।

2. उक्त समायोजनों के अधीन रहते हुए विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले उन अधिकारियों की पेंशनों के बारे में दायित्व, जो नियत दिन के पूर्व सेवानिवृत्त होते हैं या सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले जाते हैं किन्तु पेंशनों के लिए जिनके दावे उस दिन के ठीक पूर्व बकाया हैं, आंध्र प्रदेश राज्य के दायित्व होंगे।

3.नियत दिन से प्रारंभ होने वाली और नियत दिन के पश्चात् ऐसी तारीख को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, समाप्त होने वाली अवधि की बाबत तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्ष की बाबत पैरा 1 और 2 में निर्दिष्ट पेंशनों के बारे में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों को किए गए कुल संदायों को संगणना में लिया जाएगा। पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कुल दायित्व का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच प्रभाजन जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा और अपने द्वारा देय अंश से अधिक का संदाय करने वाले किसी उत्तरवर्ती राज्य की आधिक्य रकम की प्रतिपूर्ति राज्य या कम संदाय करने वाले राज्य द्वारा की जाएगी।

4. नियत दिन के पूर्व अनुदत्त की गई और विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र से बाहर किसी भी क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशनों के बारे में विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व, पैरा 3 के अनुसार किए जाने वाले समायोजनों के अधीन रहते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व होगा, मानो ऐसी पेंशनें पैरा 1 के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य के किसी खजाने से ली गई हों।

5. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व सेवा करने वाले और उस दिन या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी की पेंशन के बारे में दायित्व उसे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे अनुदत्त करने वाले उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा; किन्तु किसी ऐसे अधिकारी को विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा के कारण तात्पर्यित पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे का भाग उत्तरवर्ती राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में आबंटित किया जाएगा और पेंशन अनुदत्त करने वाली सरकार, अन्य उत्तरवर्ती राज्यों में से प्रत्येक राज्य से इस दायित्व का उसका अंश प्राप्त करने की हकदार होगी।

(2) यदि ऐसा कोई अधिकारी नियत दिन के पश्चात् पेंशन अनुदत्त करने वाले राज्य से भिन्न एक से अधिक उत्तरवर्ती राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करता रहा हो, तो पेंशन अनुदत्त करने वाला राज्य उस सरकार को ऐसी रकम की प्रतिपूर्ति करेगा जिसके द्वारा पेंशन की रकम अनुदत्त की गई है, जिसको नियत दिन के पश्चात् की उसकी सेवा के कारण तात्पर्यित पेंशन के भाग का वही अनुपात हो, जो प्रतिपूर्ति करने वाले राज्य के अधीन नियत दिन के पश्चात् की उसकी अर्हक सेवा का उस अधिकारी को उसकी पेंशन के प्रयोजनार्थ परिकलित नियत दिन के पश्चात् की कुल सेवा का है।

6. इस अनुसूची में पेंशन के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत पेंशन के सारांशीकृत मूल्य के प्रति निर्देश भी है।

नवीं अनुसूची

(धारा 68 और धारा 71 देखिए)

सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची

क्रम सं०	सरकारी कंपनियों के नाम	पता
(1)	(2)	(3)
1.	आंध्र प्रदेश स्टेट सीड्स डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	एस-10-193, दूसरा तल, एचएसीए भवन, पब्लिक गार्डन के सामने, हैदराबाद-500 004.
2.	आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	504, हर्मिटेज ऑफिस कांप्लेक्स, हिल फोर्ट रोड, हैदराबाद-500 004.
3.	आंध्र प्रदेश स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन	वेयरहाउसिंग सदन, दूसरा तल, गांधी भवन के पीछे, नमपल्ली, हैदराबाद- 500 001
4.	आंध्र प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई। कारपोरेशन लिमिटेड	6-3-655/1/ए, सिविल सप्लाई भवन, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद-500 082.
5.	आंध्र प्रदेश गेन्को	विद्युत शोध, खैराताबाद, हैदराबाद-500 004.
6.	आंध्र प्रदेश ट्रांसको	विद्युत सुधा, खैराताबाद, हैदराबाद - 500 004
7.	सिंगारेनी कोलियरीस कंपनी लिमिटेड	सिंगारेनी भवन, मचारमंजिल रेडहिल्स, हैदराबाद - 500 004.
8.	एनआरईडीसीएपी	पिसगा कांप्लेक्स, नमपल्ली, हैदराबाद - 500 001.
9.	आंध्र प्रदेश फारेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	यूएनआई बिल्डिंग, तीसरा तल, ए.सी.गार्डस, हैदराबाद - 500 004.
10.	आंध्र प्रदेश स्टेट फिल्म और टेलीविजन थियेटर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	10-2-1, एफडीसी कांप्लेक्स, ए.सी. गार्डस, हैदराबाद - 500 004.
11.	आंध्र प्रदेश मेडीकल सर्विसिस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन	एपीएमएसआईडीसी बिल्डिंग, डीएम एंड एचएस कैंपस, सुल्तान बाजार, हैदराबाद - 500 095
12.	आंध्र प्रदेश स्टेट पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	डीआईजी ऑफिस, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.
13.	आंध्र प्रदेश स्टेट हाऊसिंग कारपोरेशन लिमिटेड	3-6-184, स्ट्रीट सं. 17, उर्दू हाल लेन, हिमायत नगर हैदराबाद
14.	आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड	ग्रुहकल्पा, एम.जे.रोड, नामपल्ली, हैदराबाद - 500 028
15.	आंध्र प्रदेश टेक्नोलाजी सर्विसिस लिमिटेड	बी.आर.के. बिल्डिंग, टैंक बंद रोड, हैदराबाद
16.	आंध्र प्रदेश मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	रेयर ब्लॉक, तीसरा तल, एचएमडब्ल्यू सएसबी परिसर, खेराताबाद, हैदराबाद-500 004.
17.	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड	5-9-58/बी, छठा तल,परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद, 500 004.

(1)	(2)	(3)
18.	आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	5-9-58/बी, छठा तल,परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद, 500 004.
19.	आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंस कारपोरेशन	5-9-194, चिराग अली लेन, अबिद, हैदराबाद - 500 001.
20.	आंध्र प्रदेश लैदर इडस्ट्रीयल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एलआईडीसीएपी)	5-77/27, दरगाहुसैनी शॉ अली, गोलकोंडा पोस्ट, हैदराबाद - 500 008.
21.	आंध्र प्रदेश हैडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	हस्तकला भवन, मुशीराबाद, एक्स रोड, हैदराबाद।
22.	आंध्र प्रदेश स्टेट ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड (एपीटीपीसी)	6-10-74, फतेह मैदान रोड, शकर भवन, हैदराबाद-500 034.
23.	आंध्र प्रदेश स्टेट इरीगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	8-2-674/2/बी, रोड नं° 13, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034.
24.	आंध्र प्रदेश स्टेट माइनोरीटीज फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	पांचवां तल, ए.पी. स्टेट हज हाउस, पब्लिक गार्डन के सामने, नमपल्ली, हैदराबाद - 500 001.
25.	आंध्र प्रदेश बेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड	चौथा तल, प्रोहिबिसन एंड एक्साइज कंप्लेक्स, 9 एंड 10 इस्टर्न, एम.जे.रोड, नमपल्ली, हैदराबाद - 500 001.
26.	आंध्र प्रदेश स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन	बस भवन, मुशीराबाद, एक्स रोड, हैदराबाद।
27.	आंध्र प्रदेश फूड्स	आईडीए, नचाराम, हैदराबाद - 500 076.
28.	आंध्र प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	3-5-891, ए.पी. टूरिज्म हाउस, हिमायत नगर, हैदराबाद।
29.	आंध्र प्रदेश राजीव स्वगरूहा कारपोरेशन लिमिटेड	ए-06, शाहभवन, बांडलागुडा, जीएसआई (पोस्ट), हैदराबाद - 500 068.
30.	इस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड	कारपोरेट ऑफिस, गुरूवार जंक्शन के नजदीक, पी एंड टी सीताम्मधारा कालोनी, विशाखापटनम - 530 013.
31.	सदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड	1-13-65/ए, श्रीनिवासपुरम, तिरुपति-517503.
32.	सेन्ट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड	6-1-50, कारपोरेट ऑफिस, मिंट कंपाउंड, हैदराबाद - 500 063.
33.	नार्दर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड	1-1-478, चैतन्यापुरी कालोनी, आरईएस पेट्रोल पंप के नजदीक, वरंगल.
34.	आंध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फैक्टरी, कोंडापल्ली 521 228. कृष्णा डिस्ट्रीक्ट.
35.	वाईज़ैग ऐपरल पार्क फार एक्सपोर्ट लिमिटेड	सी-ब्लॉक, चौथा तल, बीआरके भवन, हैदराबाद - 500 063.

(1)	(2)	(3)
36.	आंध्र प्रदेश स्टेट क्रिश्चयन (माइनोरीटीज) फाइनेंस कारपोरेशन	6-2-41, फ्लैट नं॰ 102, मुगल इमामी मेनशन, शाडान कालेज के सामने, खैराताबाद, हैदराबाद- 500 004.
37.	हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड	मेट्रो रेल भवन, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004.
38.	आंध्र प्रदेश अर्बन फाइनेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	दूसरा तल, ई एंड पीएच कंप्लेक्स, कसाना बिल्डिंग, एसी गार्ड, हैदराबाद.
39.	आंध्र प्रदेश इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (आईएनसीएपी)	10-2-1, तीसरा तल, एफडीसी कंप्लेक्स, एसी गार्ड, हैदराबाद - 500 028
40.	आंध्र प्रदेश ओवरसीज मैनपावर कंपनी लिमिटेड (ओएमसीएपी)	आईटीआई मालेपल्ली कैंपस, विजयनगर कालोनी, हैदराबाद - 500 057.
41.	आंध्र प्रदेश पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	एल-ब्लॉक, चौथा तल, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद।
42.	आंध्र प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन	आर एंड बी आफिस, महावीर के पास, एसी गार्ड, हैदराबाद - 500 057.
43.	आंध्र प्रदेश ट्राइबल पावर कंपनी लिमिटेड (टीआरआईपीसीओ)	चौथा तल, दामोदरम सांजिवाइआ संकेशमा भवन, मसब टैंक, हैदराबाद.
44.	आंध्र प्रदेश ट्राईबल माइनिंग कंपनी लिमिटेड (टीआरआईएमसीओ)	चौथा तल, दामोदरम सांजिवाइआ संकेशमा भवन, मसब टैंक, हैदराबाद.
45.	आंध्र प्रदेश कोआपरेटिव आयल सीड्स ग्रोवर्स फेडरेशन लिमिटेड	परिशर्मा भवन, नवां फ्लोर, हैदराबाद।
46.	आंध्र प्रदेश मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड	हाका भवन, हिल फोर्ड रोड, हैदराबाद।
47.	डेक्कन इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड लैंड होल्डिंग्स लिमिटेड	केयर आफ आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड, ग्राउंड फ्लोर, ग्रुहा कल्पा, एम जे रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500 001.
48.	आंध्र प्रदेश एविएशन कारपोरेशन लिमिटेड	दूसरा तल, कंटेनर, फ्लोराइड स्टेशन, एयर कारपोरेशन काम्पलेक्स, बेगमपेट 16.
49.	आंध्र प्रदेश गैस इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन (पी) लिमिटेड	5-9-58/बी, परिश्रम भवन, दूसरा तल, फते मैदान रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-14
50.	आंध्र प्रदेश गैस डिस्ट्रिब्यूसन कारपोरेशन लिमिटेड	5-9-58/बी, परिश्रम भवन, दूसरा तल, फते मैदान रोड, बशीरबाग, हैदराबाद-14.
51.	आंध्र प्रदेश खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड (एपीकेवीआईबी)	मेहदीपतन रोड, मसब टैंक, हुमायूं नगर, हैदराबाद।
52.	आंध्र प्रदेश स्टेट हैंडलूम वीवर्स को-आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड (एपीसीओ)	सड़क नं. 16, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया, चिन्थल, हैदराबाद-55.
53	आंध्र प्रदेश टैक्सटाइल डेवलपमेंट कारपोरेशन (एपीटीईएक्स)	चौथ तल, बं.आरकेआर भवन, सी ब्लाक, टैंकबंदरोड, सैफाबाद, हैदराबाद-4.
54.	निजाम सूगर्स लिमिटेड (एनएसएल)	6-3-570/1, 201, डायमंड ब्लाक, रॉकडेल कंपाडंड, सोमाजीगुडा, एरामंजिल, हैदराबाद-82.

(1)	(2)	(3)
55.	आंध्र प्रदेश फूड प्रोसेसिंग सोसाइटी (एपीएफपीएस)	पहला तल, बीआरकेआर भवन, टैंक बंद रोड, हैदराबाद-63.
56.	कृष्णाआपतनम इंटरनेशनल लैदर कॉम्प्लेक्स प्राइवेट लिमिटेड (केपीआईएलसी)	पांचवां तल, फ्लौर, परिशर्मा भवन, बशीरबाग, हैदराबाद-4.
57.	आंध्र प्रदेश स्टेट फेडरेशन आफ को-आपरेटिव सुगर फैक्टरीज लिमिटेड (एपीएसएफसीएससी)	चिरोग अली लेन, हैदराबाद-500 001.
58.	टैक्सटाइल पार्क, पाशा मैलाराम	पाशा मैलाराम, मेडक डिस्ट्रिक्ट।
59.	आंध्र प्रदेश वुमेन्स को-आपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	डोर नं. 1335/एच, रोड नं. 45, जुबली हिल्स, हैदराबाद-500 033.
60.	आंध्र प्रदेश विकलांगुला को-आपरेटिव कारपोरेशन	एपी विकलांगुला संक्षेमा भवन, नालगोंडा एक्स रोड्स, माल्कपेट।
61.	आंध्र प्रदेश वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट कारपोरेशन	चौथा तल, जलसौदा बिल्डिंग, एराम मंजिल, हैदराबाद।
62.	आंध्र प्रदेश स्टेट प्रोपर्टी टैक्स बोर्ड (एपीएसपीटीबी), हैदराबाद	एसी गार्ड्स मसबटैंक, हैदराबाद।
63.	आंध्र प्रदेश टेड्डी टैपर्स कोआपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (एपी गीता पारिश्रमिक सहकारा आर्थिक समक्षीमा संस्था), नारायनगुंडा, हैदराबाद	3-5-1089, बीसाइड दीपक सेन्मा थीएटर, नारायनगुंडा, हैदराबाद-29.
64.	सोसाइटी फार इंप्लायमेंट, प्रोमोशन एंड ट्रेनिंग इन ट्विन सिटीज (एसईटीडब्ल्युआइएन)	आजमठ जाह पैलेस, पुरानी हवेली, हैदराबाद- 500 022.
65.	स्पोट्स अथारिटी आफ आंध्र प्रदेश (एसएएपी)	लाल बहादुर स्टेडियम, हैदराबाद-500 001. एपी. इंडिया।
66.	आंध्र प्रदेश सोसाइटी फार ट्रेनिंग एंड इंप्लायमेंट प्रोमोशन (एपीएसओईपी) टू बी ऐडेड	डायरेक्टर आफ यूथ सर्विसेज एंड एमडी, एपीएसटीईपी, बिहाइंड बोट्स क्लब, सिंकदराबाद।
67.	स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, तिरुपति	एसवी जू पार्क के समीप, एपी टूरिज्म ट्रांसपोर्ट के साथ, पेलर विलेज, तिरुपति चित्तूर जिला - 517 507.
68	स्टेट इंस्टीट्यूट आफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजली, मेडक	कोहीर क्रास रोड, कावेरी विलेज, मेडक जिला - 502 321.
69.	आंध्र प्रदेश मीट डेवलपमेंट कारपोरेशन, हैदराबाद	10-2-289/129, शांतिनगर, हैदराबाद-28.
70.	आंध्र प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कारपोरेशन, हैदराबाद	विजया भवन, लालापेट, हैदराबाद-17.
71.	एपी शीप एंड गोट डेवलपमेंट कोआपरेटिव फेडरेशन, हैदराबाद	मैनेजिंग डायरेक्टर, 10 - 2 - 289/127, शांतिनगर, मसाबटैंक, हैदराबाद-28.

(1)	(2)	(3)
72.	आंध्र प्रदेश स्टेट फिशरमेन कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन, हैदराबाद	मैनेजिंग डायरेक्टर, आफिस आफ कमिश्नर आफ फिशरीज, फोर्थ लांस, शांतिनगर, मत्स्य भवन, हैदराबाद।
73.	आंध्र प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट कोआपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद	विजया भवन, लालापेट, हैदराबाद-17.
74.	आंध्र प्रदेश स्टेट वेटरनरी काउंसिल, हैदराबाद	मकान सं॰ 2-289/124, रोड नं॰ 4, शांति नगर, हैदराबाद-500 028.
75.	आंध्र प्रदेश गिरिजन कोआपरेटिव कारपोरेशन	तेलुगु सक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
76.	आंध्र प्रदेश स्टेट एसटी कोआपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन (त्रिकोर)	मैनेजिंग डायरेक्टर, पहला तल, डी.एस.एस.भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
77.	आंध्र प्रदेश एजुकेशन एंड वेलफेयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन (एपीईडब्ल्यूआईडीसी)	चौथा तल, राजीव विघा मिशन बिल्डिंग, एससीईआरटी कंपाउंड, हैदराबाद - 500 001.
78.	आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट्स कोआपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन	वीसी एंड एमडी,दामोदरम संजीवैय्या संक्षेमा भवन, पांचवा तल, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
79.	आंध्र प्रदेश बैकवर्ड क्लासेस कोआपरेटिव फाइनेंस कारपोरेशन	सक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
80.	आंध्र प्रदेश वाशरमेन कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
81.	आंध्र प्रदेश नाई ब्राह्मण कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
82.	आंध्र प्रदेश सागर कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
83.	आंध्र प्रदेश वाल्मिकी कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
84.	आंध्र प्रदेश बालीजा कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
85.	आंध्र प्रदेश बत्राजा कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
86.	आंध्र प्रदेश मेदारा कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
87.	आंध्र प्रदेश कुम्मारी कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
88.	आंध्र प्रदेश विश्वब्राह्मण कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.
89.	आंध्र प्रदेश टैडी टेपर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज फेडरेशन लिमिटेड	संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद-28.

दसवीं अनुसूची

(धारा 75 देखिए)

कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं को जारी रखना

प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों की सूची

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी संघ, हैदराबाद
2. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्गों के लिए स्टडी सर्कल, विशाखापटनम
3. पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
4. आंध्र प्रदेश वन अकादमी, रंगारेड्डी जिला
5. आंध्र प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद् (एपीसीओएसटी), हैदराबाद
6. डा० एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
7. सुशासन केन्द्र, हैदराबाद
8. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य संस्थान, वंगालराव नगर, हैदराबाद
9. राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड, हैदराबाद
10. आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी, हैदराबाद
11. जल और भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद
12. एएमआर, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, हैदराबाद
13. श्री रमनानंदा तीर्थ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान
14. आंध्र प्रदेश मद्यनिषेध और उत्पाद शुल्क अकादमी
15. राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, हैदराबाद
16. राज्य शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, हैदराबाद
17. आंध्र प्रदेश अध्ययन केन्द्र, हैदराबाद
18. जनजातीय संस्कृति और अनुसंधान संस्थान, संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद
19. मध्यवर्ती शिक्षा बोर्ड, हैदराबाद
20. आंध्र प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण, हैदराबाद
21. आंध्र प्रदेश पशुधन विकास अभिकरण, हैदराबाद
22. वन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अध्ययन केन्द्र (सीईएफएनएआरएम), रंगारेड्डी जिला
23. आंध्र प्रदेश प्रेस अकादमी, हैदराबाद
24. एड्स नियंत्रण सोसाइटी, हैदराबाद
25. आंध्र प्रदेश चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति बोर्ड, हैदराबाद
26. आंध्र प्रदेश पराचिकित्सीय बोर्ड, हैदराबाद
27. आंध्र प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्, हैदराबाद
28. न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद
29. राज्यस्तर पुलिस भर्ती बोर्ड
30. आंध्र प्रदेश नेटवर्क सोसाइटी (एसएपीएनईटी), हैदराबाद
31. आंध्र प्रदेश इंजीनियरी अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद
32. आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी, हैदराबाद
33. आंध्र प्रदेश गरीबों के लिए शहरी सेवाएं, हैदराबाद
34. नगरपालिका क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन मिशन (एमईपीएमए), हैदराबाद

35. आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीवनयापन परियोजना (पी०एम०यू०), हैदराबाद

36. जल संरक्षण मिशन

37. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी, हैदराबाद

38. रोजगार उत्पत्ति और विपणन मिशन, हैदराबाद

39. आंध्र प्रदेश राज्य दूर संवेदी प्रयोग केन्द्र, हैदराबाद

40. आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी, हैदराबाद

41. ए०पी०आर०ई०आई० सोसाइटी, हैदराबाद

42. आंध्र प्रदेश समाज कल्याण आवासीय शिक्षा संस्थान सोसाइटी (ए०पी०एस०डब्ल्यू०आर०ई०आई०), हैदराबाद

43. राज्य कृषि प्रबंध और विस्तारण प्रशिक्षण संस्थान (एस०ए०एम०ई०टी०आई०), हैदराबाद

44. मृदा संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद

45. आंध्र प्रदेश पशुधन विकास राज्य प्रबंध संस्थान, हैदराबाद (एस०एम०आई०एल०डी०ए०), हैदराबाद

46. राज्य पशुपालन प्रशिक्षण केन्द्र, पूर्व गोदावरी

47. राज्य मत्स्य क्षेत्र प्रौद्योगिकी संस्थान (एस०आई०एफ०टी०) काकीनाड़ा

48. महात्मा ज्योतिबा फूले आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आवासीय शैक्षिक संस्था सोसाइटी, हैदराबाद

49. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग, हैदराबाद

50. हिन्दी अकादमी, हैदराबाद

51. तेलगु अकादमी, हैदराबाद

52. संस्कृत अकादमी, हैदराबाद

53. ओरियंटल पांडुलिपि पुस्तकालय और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

54. आंध्र प्रदेश राज्य अभिलेख और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद

55. राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, हैदराबाद

56. जवाहर लाल नेहरू वास्तु और ललितकला विश्वविद्यालय, हैदराबाद

57. श्री पदमावती महिला विश्वविद्यालय, हैदराबाद

58. द्रविड़ियन विश्वविद्यालय, कुप्पम

59. तेलगु विश्वविद्यालय, हैदराबाद

60. डाक्टर बी०आर० अम्बेडर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद

61. आर०वी०एम० (एसएसए) प्राधिकरण, हैदराबाद

62. आंध्र प्रदेश सरकारी पाठ्य पुस्तक मुद्रणालय, हैदराबाद

63. राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय, हैदराबाद

64. आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हैदराबाद

65. आंध्र प्रदेश राज्य जैव-विविधता बोर्ड, हैदराबाद

66. आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय हरित कार्पस, सिकंदराबाद

67. निवारक ओषधि संस्थान निदेशालय, हैदराबाद

68. आंध्र प्रदेश इलैक्ट्रानिक शासन संस्थान (आई०ई०जी०), एपी ज्ञान नेटवर्क सोसाइटी, हैदराबाद

69. राष्ट्रीय शहरी प्रबंध संस्थान (एन०आई०यू०एम०), हैदराबाद

70. आंध्र प्रदेश राज्य वक्फ बोर्ड, हैदराबाद

71. वक्फ सर्वेक्षण आयुक्त, हैदराबाद
72. अल्पसंख्यक शैक्षिक विकास केन्द्र, हैदराबाद
73. दैरातुल मारिफ, ओयू, हैदराबाद
74. आंध्र प्रदेश राज्य हज समिति, हैदराबाद
75. आंध्र प्रदेश राज्य विकास योजना सोसाइटी, हैदराबाद
76. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, राजेन्द्र नगर
77. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, हासनपार्थी
78. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, बापतला
79. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, सामलकोट
80. विस्तारण प्रशिक्षण केन्द्र, श्रीकलाहस्ती
81. आंध्र प्रदेश राजीव शिक्षा और नियोजन मिशन (आरईईएमएपी), हैदराबाद
82. ग्रामीण विकास सेवा सोसाइटी, हैदराबाद
83. सामाजिक संपरीक्षा, जवाबदेही और पारदर्शिता सोसाइटी, हैदराबाद
84. स्त्री निधि प्रत्यय सहकारी फेडरेशन लिमिटेड, हैदराबाद
85. आंध्र प्रदेश सर्वेक्षण प्रशिक्षण अकादमी, हैदराबाद
86. अम्बेडकर अनुसूचित जाति अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद
87. आंध्र प्रदेश राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग, हैदराबाद
88. विक्टोरिया मेमोरियल गृह (आवासीय विद्यालय), हैदराबाद
89. एपीटीडब्ल्यू आवासीय शिक्षा संस्था सोसाइटी (गुरूकुलम), हैदराबाद
90. डा॰ वाई॰एस॰आर॰ अनुसूचित जाति स्टडी सर्कल (पीईटीसी), सिकंदराबाद
91. आंध्र प्रदेश महिला आयोग, सिकंदराबाद
92. आंध्र प्रदेश राज्य सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड, हैदराबाद
93. राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, सिकंदराबाद
94. दृष्टि से विक्लांग व्यक्तियों के अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र, सिकंदराबाद
95. आंध्र प्रदेश नि:शक्त व्यक्ति स्टडी सर्कल, हैदराबाद
96. एपीएसआरटीसी कर्मचारी मितव्ययिता और प्रत्यय सहकारी सोसाइटी लिमिटेड, हैदराबाद
97. ट्रक चालक राजमार्ग प्रसुविधा सोसाइटी (टीओएचएएस), हैदराबाद
98. राष्ट्रीय केडेट कार्पस निदेशालय, सिकंदराबाद
99. शिल्पारमन कला शिल्प सांस्कृतिक सोसाइटी, मधापुर, हैदराबाद
100. डा॰ वाईएसआर राष्ट्रीय पर्यटन और सत्कार प्रबंध संस्थान, हैदराबाद
101. राज्य सुधारक प्रशासन संस्थान, चंचलगुड़ा, हैदराबाद
102. आंध्र प्रदेश अग्निशमन सेवा और सिविल रक्षा प्रशिक्षण संस्थान, हैदराबाद
103. श्री प्रागदा कोटयया मेमोरियल भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (एसपीकेएमआईएचटी), नल्लोर
104. तेलगु चेनेथा पारिश्रमिक शिक्षण केन्द्रम, अनन्तपुर
105. बुनकर प्रशिक्षण केन्द्र, करीमनगर (डब्ल्यूटीसी), करीमनगर
106. विद्युत करघा सेवा केन्द्र, सिरसिल्ला, करीमनगर
107. खादी ग्रामोद्योग महाविद्यालय, हैदराबाद।

ग्यारहवीं अनुसूची

[धारा 85(7)(ङ) देखिए]

नदी प्रबंधन बोर्डों के कृत्यों को शासित करने वाले सिद्धांत

1. कृष्णा नदी जल विवाद अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन के पश्चात्, समुचित आश्रित मापदंड पर आधारित जल संसाधनों की बाबत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रचालन प्रोटोकाल दोनों उत्तरवर्ती राज्यों पर बाध्यकारी होगा।

2. सिंचाई और विद्युत के लिए जल की मांग में विरोध की दशा में, जल की सिंचाई के लिए अपेक्षा अभिभावी होगी।

3. सिंचाई और पेयजल के लिए जल की मांग में विरोध की दशा में, पेयजल के प्रयोजन के लिए जल की अपेक्षा अभिभावी होगी।

4. गोदावरी और कृष्णा नदियों पर विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में या विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्रों के लिए नदी जल अधिकरणों द्वारा किए गए आबंटन सुनिश्चित जल की बाबत नहीं रहेंगे।

5. भविष्य में किसी अधिकरण द्वारा अतिरिक्त प्रवाह के लिए किए जाने वाले आबंटन, यदि कोई हों, तेलंगाना राज्य तथा उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश के राज्य दोनों पर बाध्यकारी होंगे।

6. बोर्ड दोनों राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और शमन के लिए, विशेषकर जल को छोड़ने के संदर्भ में, कृष्णा और गोदावरी नदियों में आपदा या सूखा अथवा बाढ़ के प्रबंधन के लिए परामर्श देंगे जबकि उत्तरवर्ती राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी। बोर्ड को कृष्णा और गोदावरी नदियों पर बांधों, जलाशयों के मुख्य संकर्मों या नहरों के मुख्य संकर्मों के प्रचालन और उससे संबंधित संकर्मों, जिनके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित जल विद्युत परियोजनाएं भी हैं के संबंध में, दोनों उत्तरवर्ती राज्य सरकारों द्वारा उनके आदेशों के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन करवाए जाने के लिए पूर्ण प्राधिकार होगा।

7. तेलंगाना राज्य या आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य द्वारा गोदावरी या कृष्णा नदियों पर समुचित आश्रित मानदंडों पर आधारित जल संसाधनों के आधार पर कोई नई परियोजनाएं नदी जल संसाधनों पर सर्वोच्च परिषद् से स्वीकृति प्राप्त किए बिना प्रारंभ नहीं की जा सकेंगीं। ऐसे सभी प्रस्ताव उक्त सर्वोच्च परिषद् द्वारा स्वीकृति से पूर्व, क्रमवर्ती बोर्ड द्वारा पहले आंके तथा तकनीकी रूप से अनुमोदित किए जाएंगे।

8. गोदावरी और कृष्णा नदियों पर चल रही परियोजनाओं तथा भविष्यवर्ती नई परियोजनाओं के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व उस संबंधित राज्य सरकार का होगा जहां परियोजना अवस्थित है।

9. दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा विनिश्चय का कार्यान्वयन होने की दशा में, व्यतिक्रमी राज्य उत्तरदायित्व का वहन करेगा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित वित्तीय और अन्य शास्तियों का सामना करेगा।

10. निम्नलिखित सिंचाई परियोजनाएं, जो निर्माणाधीन हैं, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा अधिसूचित योजना के अनुसार पूरी की जाएंगी और जल में हिस्सा बंटाने संबंधी ठहराव इस प्रकार जारी रहेंगे:—

(i) हांडरी नीवा

(ii) तेलुगु गंगा

(iii) गलेरू नागिरि

(iv) वेनेगोंडु

(v) कलवाकुर्थि

(vi) नेत्तमपडु

बारहवीं अनुसूची

(धारा 92 देखिए)

क. कोयला

1. सिंगरेनी कोयला खान कंपनी लिमिटेड (एससीसीएलएस) की कुल इक्वीटी का 51 प्रतिशत तेलंगाना सरकार का और 49 प्रतिशत भारत सरकार का होगा।

2. एससीसीएल के विद्यमान कोयला अनुबंध किसी परिवर्तन के बगैर जारी रहेंगे।

3. नए अनुबंध, भारत सरकार की नवीन कोयला वितरण नीति के अनुसार उत्तरवर्ती राज्यों को आबंटित किए जाएंगे।

4. आंबटित कोयला ब्लाकों के अंतोपयोजी संयंत्रों को उनकी अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुपात में आपूर्ति किए जाने वाले ब्लाक से कोयले की आपूर्ति जारी रहेगी।

ख. तेल और गैस

1. प्राकृतिक गैस का आबंटन, भारत सरकार की नीतियों और उसके द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार किया जाता रहेगा।

2. तेल और गैस के घरेलू अपतट उत्पादन पर संदेय स्वामिस्व उस राज्य को प्रोद्भूत होगा जिसमें ऐसा उत्पादन हुआ है।

ग. विद्युत

1. एपीजीईएनसीओ की इकाइयों को विद्युत संयंत्रों की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर विभाजित किया जाएगा।

2. संबद्ध डीआईएससीओएमएस से किए गए विद्यमान विद्युत क्रय करार चालू परियोजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं, दोनों के लिए जारी रहेंगे।

3. विद्यमान आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी) छह मास से अनधिक अवधि के लिए संयुक्त विनियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसके भीतर उत्तरवर्ती राज्यों में पृथक् एसईआरसी स्थापित किया जाएगा।

4. विद्यमान राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एसएलडीसी), दो से अनधिक वर्ष की अवधि हेतु दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के लिए कार्य करेगा जिस समय के भीतर प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए पृथक् राज्य भार वितरण केन्द्र स्थापित किया जाएगा। इस अवधि के दौरान, विद्यमान एसएलडीसी बंगलूरू स्थित दक्षिणी आरएलडीसी के सीधे प्रशासन और नियंत्रणाधीन कृत्य करेगा।

5. उत्तरवर्ती राज्यों से गुजरने वाली 132 के॰वी॰ के एपीटीआरएएनएससीओ की पारेषण लाइनों और उच्चतर वोल्टेज की पारेषण लाइनों को अन्तरराज्यिक पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) लाइनों के अनुरूप समझा जाएगा। प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के राज्यक्षेत्रों के भीतर आने वाली पारेषण लाइनें संबद्ध राज्य पारेषण इकाइयों को अन्तरित की जाएंगी। (आईएसटीएस) का रखरखाव भी उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा, क्रमशः उनकी अधिकारिताओं में किया जाएगा।

6. केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की विद्युत, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य को ऐसे अनुपात में आबंटित होगी जो संबद्ध उत्तरवर्ती राज्य में सुसंगत डीएससीओएमएस के पिछले पांच वर्ष की वास्तविक ऊर्जा की खपत पर आधारित होगा।

7. दस वर्ष की अवधि के लिए, ऐसे उत्तरवर्ती राज्य को, जिसके पास कम मात्रा में विद्युत शक्ति है अन्य उत्तरवर्ती राज्य से अधिशेष विद्युत को क्रय करने से इंकार करने का पहला अधिकार होगा।

8. अनन्तपुर और कुरनूल जिले, जो आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की अधिकारिता में आते हैं, अब आंध्र प्रदेश दक्षिण विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पुनः सौंपे जाएंगे।

तेरहवीं अनुसूची

(धारा 93 देखिए)

शिक्षा

1. भारत सरकार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में बारहवीं और तेरहवीं योजना अवधि में राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना के लिए उपाय करेगी। इसके अन्तर्गत एक आईआईटी, एक एनआईटी, एक आईआईएम, एक आईआईएसईआर, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, एक कृषि विश्वविद्यालय और एक आईआईआईटी सम्मिलित होंगे।

2. भारत सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का अतिविशिष्ट अस्पताल सह शिक्षण संस्था स्थापित करेगी।

3. भारत सरकार, आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य, प्रत्येक में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी।

4. उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में एक उद्यान कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।

5. भारत सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान स्थापित करेगी।

अवसंरचना

1. भारत सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के दुगीराजूपट्नम में एक नवीन प्रमुख पत्तन विकसित करेगी जो 2018 के अन्त तक पहले चरण के साथ भिन्न-भिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा।

2. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल) नियत दिन से छह मास के भीतर उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के खम्माम जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगा।

3. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल), नियत दिन से छह मास के भीतर उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के वाईएसआर जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगा।

4. आईओसी या एचपीसीएल, नियत दिन से छह मास के भीतर, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रीनफील्ड क्रूड आयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कामप्लेक्स स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

5. भारत सरकार, नियत दिन से छह मास के भीतर, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर के साथ-साथ विशाखापट्नम-चेन्नई औद्योगिक कारीडोर स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और उस अवधि के भीतर उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

6. भारत सरकार, नियत दिन से छह मास के भीतर, विद्यमान विशाखापट्नम, विजयवाड़ा और तिरुपति विमानपत्तनों को और अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विस्तारित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

7. एनटीपीसी, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में आवश्यक कोयला लिंकेज की स्थापना के पश्चात् 4000 मेगावाट विद्युत शक्ति सुविधा स्थापित करेगी।

8. भारतीय रेल, नियत दिन से छह मास के भीतर, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में नवीन रेल जोन स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

9. एनएचएआई, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करेगी।

10. भारतीय रेल, नियत दिन से छह मास के भीतर, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में रेल कोच कारखाना स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और राज्य में रेल संपर्क का सुधार करेगी और उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

11. केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी से हैदराबाद और तेलंगाना के अन्य महत्वपूर्ण शहरों तक त्वरित रेल और सड़क संपर्क स्थापित करने संबंधी उपायों पर विचार करेगी।

12. भारत सरकार, विशाखापट्नम में मेट्रो रेल सुविधा की संभाव्यता की जांच करेगी और विजयवाड़ा-गुंटूर-तेनाली मेट्रोपोलिटन शहरी विकास प्राधिकरण नियत दिन से एक वर्ष की अवधि के भीतर, उस पर शीघ्र विनिश्चय करेगी।

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 8)

[4 मार्च, 2014]

राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

1982 का 43 2. राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात्:- धारा 2 का संशोधन।

'(क) "पूर्व राज्यपाल" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी राज्य का या दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल रहा है;

(कक) "राज्यपाल" से किसी राज्य का या दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल या कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कर रहा है;'।

नई धारा 12क का अंतःस्थापन।

3. मूल अधिनियम की धारा 12 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

पूर्व राज्यपाल की सचिवालयिक सहायता की हकदारी।

"12क. इस निमित्त बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हए, पूर्व राज्यपाल, उसके शेष जीवन के लिए, प्रतिपूर्ति आधार पर एक निजी सहायक की सचिवालयिक सहायता का हकदार होगा:

परन्तु जहां ऐसा पूर्व राज्यपाल, राज्यपाल के पद पर पुनर्नियुक्त या संसद् या राज्य विधान-मंडल के लिए निर्वाचित या संघ या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर नियुक्त किया गया है वहां, वह, ऐसी अवधि के लिए जिसके दौरान वह ऐसा पद धारण करता है, ऐसी सचिवालयिक सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।"।

धारा 13 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 13 उपधारा (2) के खंड (छ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

"(ज) धारा 12क के अधीन सचिवालयिक सहायता और प्रतिपूर्ति प्रदान करने की रीति।"।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 9)

[4 मार्च, 2014]

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 है।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

=

धारा 2 का संशोधन।

2. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में "पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे। 2007 का 29

धारा 3 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (ग) में "पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची" शब्दों के उन दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं "पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (घ) में "या धारा 30क की उपधारा (1)" शब्दों, अंकों, अक्षर और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (छ), खंड (ट) और खंड (ड) में, जहां-जहां "पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची" शब्द आते हैं, के स्थान पर "पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 4 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में "पहली अनुसूची और दूसरी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

"(1क) बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर को इस अधिनियम के अधीन निगमित हुआ समझा जाएगा और ऐसे निगमन पर इसे भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर कहा जाएगा।"।

नई धारा 5क का अंतःस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 5 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर के निगमन का प्रभाव।

"5क. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से ही—

(क) बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर के प्रति किसी विधि, संविदा या अन्य लिखत में निर्देश को भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के प्रति निर्देश समझा जाएगा;

(ख) बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर की सभी जंगम और स्थावर संपत्ति भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर में निहित हो जाएगी;

(ग) बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर के सभी अधिकार और दायित्व भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के अधिकार और दायित्व होंगे;

(घ) प्रत्येक व्यक्ति (जिसके अंतर्गत निदेशक, अधिकारी और अन्य कर्मचारी भी हैं) जो, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ की तारीख से तुरंत पूर्व बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर में नियोजित है ऐसे प्रारंभ को और उसके पश्चात् भारतीय इंजीनियरी

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर का कर्मचारी हो जाएगा और अपना पद या सेवा उसी अवधि के लिए और उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, अवकाश, उपदान, भविष्य निधि और अन्य विषयों के संबंध में वैसे ही अधिकारों और विशेषाधिकारों पर धारण करेगा जैसे कि वह राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ को ऐसे धारण करता जैसे कि उक्त अधिनियम प्रवर्तन में नहीं लाया गया था और वह तब तक ऐसा करना जारी रखेगा जब तक उनके नियोजन को समाप्त नहीं कर दिया जाता है या जब तक ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक, निबंधनों और शर्तों में परिनियमों या अध्यादेशों द्वारा परिवर्तन नहीं कर दिया जाता है :

परंतु ऐसे व्यक्ति की पदावधि, पारिश्रमिक, सेवा के निबंधनों और शर्तों में उसके हित के प्रतिकूल, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा :

परंतु यह और कि बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर के कुलपति और उपकुलपति के प्रति किसी विधि, लिखत या अन्य दस्तावेज में उक्त अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व किए गए किसी निर्देश का अर्थ क्रमशः भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के कुलाध्यक्ष और निदेशक के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जाएगा;

(ङ) बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर का उपकुलपति भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर का उस तारीख तक, जब तक केन्द्रीय सरकार भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के नए निदेशक की नियुक्ति नहीं कर देती है, का निदेशक होगा;

(च) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से तुरन्त पूर्व बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर द्वारा प्रवेश या डिग्रियां प्रदान करने के लिए संचालित की गई परीक्षा वैध परीक्षा होगी और इसे भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर द्वारा संचालित किया गया समझा जाएगा ।"।

6. मूल अधिनियम की धारा 11क में,— धारा 11क का संशोधन ।

(क) पार्श्वशीर्ष में, "दूसरी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) आरंभिक भाग में, "दूसरी अनुसूची" शब्दों के स्थान पर "दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची" शब्द रखे जाएंगे ।

7. मूल अधिनियम की धारा 30 की उपधारा (1) में, "पहली अनुसूची" शब्दों के पश्चात् "दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे । धारा 30 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 30क का लोप किया जाएगा । धारा 30क का लोप ।

9. मूल अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (2) में, "और धारा 30क की उपधारा (2) के खंड (ञ)" शब्दों, अंकों, अक्षरों और कोष्ठकों का लोप किया जाएगा । धारा 31 का संशोधन ।

धारा 37 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 37 में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

"(ङ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से ठीक पूर्व बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर की उस रूप में कृत्य कर रही सभा, विद्या परिषद् और कार्यकारी परिषद् तब तक कृत्य करना जारी रखेंगी जब तक कि भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर के लिए इस अधिनियम के अधीन नए बोर्ड का गठन नहीं कर दिया जाता है किंतु इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के गठन पर या उसके पश्चात् सभा, विद्या परिषद् और कार्यकारी परिषद् के सदस्य पद पर नहीं रहेंगे;

(च) बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर के प्राधिकारी, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हों, जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से पूर्व उस रूप में कृत्य कर रहे हैं, तब तक कृत्य करना जारी रखेंगे, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन उन्हीं कृत्यों का पालन करने के लिए नए प्राधिकारी की नियुक्ति या गठन नहीं कर दिया जाता है, किंतु ऐसी नियुक्ति या गठन पर और उसके पश्चात् बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर अधिनियम, 2004 या तद्धीन बनाए गए किन्हीं परिनियमों या अध्यादेशों के अधीन कृत्य कर रहे प्राधिकारी पद पर नहीं रहेंगे; 2004 का 13

(छ) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ होने से पूर्व प्रत्येक संस्थान के संबंध में गठित प्रत्येक सिनेट या किसी अन्य प्राधिकारी के नाम से ज्ञात सिनेट तब तक उक्त अधिनियम के अधीन गठित सिनेट समझी जाएगी जब तक कि संस्थान के लिए इस अधिनियम के अधीन नई सिनेट का गठन नहीं कर दिया जाता है किंतु इस अधिनियम के अधीन नई सिनेट के गठन पर ऐसे गठन से पूर्व पद धारण करने वाले सिनेट के सदस्य अपने पद पर नहीं रहेंगे;

(ज) जब तक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के अधीन पहले परिनियम और अध्यादेश नहीं बनाए जाते हैं और प्रवर्तन में नहीं लाए जाते हैं उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने से ठीक पूर्व बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर के लिए बनाए गए परिनियम, अध्यादेश और नियमों का भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर को लागू होना तब तक जारी रहेगा जब तक कि वे उक्त अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं ।"।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

11. (1) यदि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी, विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत हों :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के अवसान पर ऐसा कोई आदेश नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उसके किए जाने के तुरंत पश्चात् संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा ।

12. मूल अधिनियम की दूसरी अनुसूची के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात्:— अनुसूची का संशोधन।

"तीसरी अनुसूची

[धारा 3(छ), (ट), (ड), 4(1) और 11क देखिए]

राष्ट्रीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थानों की सूची

क्रम सं.	विश्वविद्यालय या सोसाइटी	तत्स्थानी संस्थान
(1)	(2)	(3)
	बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर	भारतीय इंजीनियरी विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान, शिवपुर।"।

13. (1) बंगाल इंजीनियरी और विज्ञान विश्वविद्यालय, शिवपुर अधिनियम, 2004 का इसके द्वारा निरसन किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

2004 का 13

(2) साधारण खंड अधिनियम, 1897 के उपबंध इस अधिनियम के निरसन को ऐसे लागू होंगे मानो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिनियम एक केन्द्रीय अधिनियम था।

1897 का 10

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

वित्त अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 11)

[4 मार्च, 2014]

आय-कर की विद्यमान दरों को वित्तीय वर्ष 2014-2015 के लिए जारी रखने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम वित्त अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) धारा 2, 1 अप्रैल, 2014 को प्रवृत्त होगी।

अध्याय 2

आय-कर की दरें

2. वित्त अधिनियम, 2013 की धारा 2 और पहली अनुसूची के उपबंध, 1 अप्रैल, 2014 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में, निम्नलिखित उपांतरणों सहित, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे 1 अप्रैल, 2013 को प्रारंभ होने वाले, यथास्थिति, निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष के लिए आय-कर के संबंध में लागू होते हैं, अर्थात्:— आय-कर।

2013 का 17

(क) धारा 2 में,—

(i) उपधारा (1) में, "2013" अंकों के स्थान पर, "2014" अंक रखे जाएंगे;

(ii) उपधारा (3) में, पहले परंतुक, दूसरे परंतुक और तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखे जाएंगे, अर्थात्:—

''परंतु धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, पहली अनुसूची के भाग 1 के पैरा क, पैरा ख, पैरा ग, पैरा घ या पैरा ङ में यथा उपबंधित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह और कि किसी ऐसी आय के संबंध में, जो आय-कर अधिनियम की धारा 115क, धारा 115कख, धारा 115कग, धारा 115कक, धारा 115कघ, धारा 115ख, धारा 115खख, धारा 115खखक, धारा 115खखग, धारा 115खखघ, धारा 115खखङ, धारा 115ङ, धारा 115जख या धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, इस उपधारा के अधीन संगणित आय-कर की रकम में,—

(अ) प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति या सहकारी सोसाइटी या फर्म या स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(आ) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से:

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(इ) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(i) जहां कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से;

(ii) जहां कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से, परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि दूसरे परंतुक की मद (अ) में वर्णित ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जग के अधीन कर से प्रभार्य है, और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है, और ऐसी आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु यह भी कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय, आय-कर अधिनियम की धारा 115जख के अधीन कर से प्रभार्य कुल आय है, और ऐसी आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और उस पर अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है।'';

(iii) उपधारा (13) के खंड (क) में, "2013" अंकों के स्थान पर, "2014" अंक रखे जाएंगे;

(ख) पहली अनुसूची में,—

(i) भाग 1 के स्थान पर, निम्नलिखित भाग 1 रखा जाएगा, अर्थात्:—

"भाग 1

आय-कर

पैरा क

(I) इस पैरा की मद (II) और मद (III) में निर्दिष्ट व्यष्टि से भिन्न प्रत्येक व्यष्टि या हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय की, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जो ऐसी दशा नहीं है, जिसमें इस भाग का कोई अन्य पैरा लागू होता है,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	30,000 रु॰ धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,30,000 रु॰ धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है।

(II) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय साठ वर्ष या अधिक आयु का, किंतु अस्सी वर्ष से कम आयु का है —

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक है, किंतु 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 10 प्रतिशत, जिससे कुल आय 2,50,000 रु॰ से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है किंतु 10,00,000 से अधिक नहीं है	25,000 रु॰ धन उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है;
(4) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,25,000 रु॰ धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है।

(III) प्रत्येक ऐसे व्यष्टि की दशा में, जो भारत में निवासी है और जो पूर्ववर्ष के दौरान किसी समय अस्सी वर्ष या अधिक आयु का है —

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	कुछ नहीं;
(2) जहां कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक है किंतु 10,00,000 रु॰ से अधिक नहीं है	उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 5,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक है	1,00,000 रु॰ धन उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,00,000 रु॰ से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक व्यष्टि या हिंदू अविभक्त कुटुंब या व्यक्ति-संगम या व्यष्टि-निकाय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, या आय-कर अधिनियम की धारा 2 के खंड (31) के उपखंड (vii) में निर्दिष्ट प्रत्येक कृत्रिम विधिक व्यक्ति की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु इस पैरा में वर्णित ऐसे व्यक्तियों की दशा में, जिनकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

पैरा ख

प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में,—

आय-कर की दरें

(1) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक नहीं है	कुल आय का 10 प्रतिशत;
(2) जहां कुल आय 10,000 रु० से अधिक है किंतु 20,000 रु० से अधिक नहीं है	1,000 रु० **धन** उस रकम का 20 प्रतिशत, जिससे कुल आय 10,000 रु० से अधिक हो जाती है;
(3) जहां कुल आय 20,000 रु० से अधिक है	3,000 रु० **धन** उस रकम का 30 प्रतिशत, जिससे कुल आय 20,000 रु० से अधिक हो जाती है।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु इस पैरा में वर्णित ऐसी प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

पैरा ग

प्रत्येक फर्म की दशा में,—

आय-कर की दर

सम्पूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु इस पैरा में वर्णित ऐसी प्रत्येक फर्म की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

पैरा घ

प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में,—

आय-कर की दर

संपूर्ण कुल आय पर — 30 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा:

परंतु इस पैरा में वर्णित ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है।

पैरा ङ

किसी कंपनी की दशा में,—

आय-कर की दर

I. देशी कंपनी की दशा में कुल आय का 30 प्रतिशत;

II. देशी कंपनी से भिन्न कंपनी की दशा में,—

(i) कुल आय के उतने भाग पर, जो निम्नलिखित के रूप में है,—

(क) 31 मार्च, 1961 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से प्राप्त स्वामिस्व; अथवा

(ख) 29 फरवरी, 1964 के पश्चात्, किंतु 1 अप्रैल, 1976 के पूर्व उसके द्वारा सरकार या भारतीय समुत्थान के साथ किए गए किसी करार के अनुसरण में उस सरकार या किसी भारतीय समुत्थान से तकनीकी सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राप्त फीस,

और जहां, दोनों में से किसी भी दशा में, ऐसा करार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है 50 प्रतिशत;

(ii) कुल आय के अतिशेष पर, यदि कोई हो 40 प्रतिशत।

आय-कर पर अधिभार

इस पैरा के पूर्ववर्ती उपबंधों या धारा 111क या धारा 112 के उपबंधों के अनुसार संगणित आय-कर की रकम में, निम्नलिखित दर से परिकलित अधिभार, संघ के प्रयोजनों के लिए, बढ़ा दिया जाएगा,—

(i) प्रत्येक देशी कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के दस प्रतिशत की दर से;

(ii) देशी कंपनी से भिन्न प्रत्येक कंपनी की दशा में,—

(क) जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसे आय-कर के दो प्रतिशत की दर से; और

(ख) जिसकी कुल आय दस करोड़ रुपए से अधिक है, ऐसे आय-कर के पांच प्रतिशत की दर से:

परंतु ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय एक करोड़ रुपए से अधिक है किंतु दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो एक करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो एक करोड़ रुपए से अधिक है:

परंतु यह और कि ऐसी प्रत्येक कंपनी की दशा में, जिसकी कुल आय दस करोड़ से अधिक है, ऐसी आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम, जो दस करोड़ रुपए की कुल आय पर आय-कर और अधिभार के रूप में संदेय कुल रकम है, आय की उस रकम से अधिक नहीं होगी, जो दस करोड़ रुपए से अधिक है।'';

(ii) भाग 4 के नियम 8 में,—

(अ) उपनियम (1) और उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

"(1) जहां निर्धारिती की 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में कोई कृषि-आय है और 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि-आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2006 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(ii) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(iii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(iv) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(v) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(vi) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्ररंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(vii) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है,

(viii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि-आय के प्रति मुजरा की जाएगी।

(2) जहां निर्धारिती की 2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष में या, यदि आय-कर अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर, आय-कर उस पूर्ववर्ष से भिन्न किसी अवधि की आय के संबंध में प्रभारित किया जाना है तो, ऐसी अन्य अवधि में, कोई कृषि-आय है और 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को आरंभ होने वाले निर्धारण वर्षों से सुसंगत पूर्ववर्षों में से किसी एक या अधिक के लिए निर्धारिती की कृषि -आय की संगणना का शुद्ध परिणाम हानि है, वहां इस अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (10) के प्रयोजनों के लिए,—

(i) 2007 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(ii) 2008 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iii) 2009 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(iv) 2010 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि-आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(v) 2011 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि–आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vi) 2012 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन या 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि–आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(vii) 2013 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि, उस परिमाण तक, यदि कोई हो, जिस तक ऐसी हानि 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए कृषि–आय के प्रति मुजरा नहीं की गई है;

(viii) 2014 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए इस प्रकार संगणित हानि,

2015 के अप्रैल के प्रथम दिन को प्रारंभ होने वाले निर्धारण वर्ष से सुसंगत पूर्ववर्ष के लिए निर्धारिती की कृषि–आय के प्रति मुजरा की जाएगी।'';

(आ) उपनियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

''(4) इस नियम में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी हानि, जिसे निर्धारण अधिकारी द्वारा इन नियमों के या वित्त अधिनियम, 2006 (2006 का 21) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2007 (2007 का 22) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2008 (2008 का 18) की पहली अनुसूची के या वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2009 (2009 का 33) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2010 (2010 का 14) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2011 (2011 का 8) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2012 (2012 का 23) की पहली अनुसूची के या वित्त अधिनियम, 2013 (2013 का 17) की पहली अनुसूची के भाग 4 में अंतर्विष्ट नियमों के उपबंधों के अधीन अवधारित नहीं किया गया है, यथास्थिति, उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन मुजरा नहीं की जाएगी।''।

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 16)

[7 मार्च, 2014]

स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985
का और संशोधन
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

1985 का 61 2. स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 में,— धारा 2 का संशोधन।

(क) खंड (iv) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(ivक) ''केन्द्रीय सरकार के कारखानों'' से केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन कारखाने या किसी ऐसी कंपनी के, जिसमें केन्द्रीय सरकार समादत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत धारण करती है, स्वामित्वाधीन कारखाने अभिप्रेत हैं;';

(ख) खंड (viiiक) को खंड (viiiख) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुन:अक्षरांकित खंड (viiiख) से पहले निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

'(viiiक) ''आवश्यक स्वापक ओषधि'' से केंद्रीय सरकार द्वारा चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए अधिसूचित कोई स्वापक ओषधि अभिप्रेत है;'।

धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 में,—

(क) उपधारा (1) में, ''रोकथाम के प्रयोजनों के लिए'' शब्दों के पश्चात्, ''और उनके चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में, खंड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(घक) चिकित्सीय और वैज्ञानिक उपयोग के लिए स्वापक ओषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों की उपलब्धता;''।

धारा 9 का संशोधन।

4. मूल अधिनियम की धारा 9 में,—

(क) उपधारा (1) के खंड (क) में,—

(i) उपखंड (iii) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(iiiक) ऐसे पौधों से, जिनसे चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया है, उत्पादित पोस्त तृण का कब्जा रखने, परिवहन, अन्तरराज्यिक आयात, अन्तरराज्यिक निर्यात, भांडागारण, विक्रय, क्रय, उपभोग और उपयोग;'';

(ii) उपखंड (v) के पश्चात् निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(vक) आवश्यक स्वापक ओषधियों का विनिर्माण, कब्जा, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग और उपयोग :

परंतु जहां किसी आवश्यक स्वापक ओषधि की बाबत, राज्य सरकार ने स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से पूर्व धारा 10 के उपबंधों के अधीन अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र दिया है, वहां ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र, उसकी समाप्ति की तारीख तक या ऐसे प्रारंभ से बारह मास की अवधि तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, विधिमान्य बना रहेगा।'';

(ख) उपधारा (2) के खंड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

''(जक) आवश्यक स्वापक ओषधियों के विनिर्माण, कब्जे, परिवहन, अंतरराज्यिक आयात, अंतरराज्यिक निर्यात, विक्रय, क्रय, उपभोग और उपयोग के लिए अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञापत्रों के प्ररूप और शर्तें, ऐसे प्राधिकारी, जिनके द्वारा ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञापत्र दिया जा सकेगा और वह फीस, जो उसके लिए प्रभारित की जा सकेगी, विहित कर सकेंगे;''।

धारा 10 का संशोधन।

5. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खंड (क) में,—

(क) उपखंड (i) में ''पोस्त तृण का'' शब्दों के पश्चात्, ''ऐसे पौधों से, जिनसे चीरा लगाकर रस नहीं निकाला गया है, उत्पादित पोस्त तृण के सिवाय,'' शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे;

(ख) उपखंड (v) में ''विनिर्मित अफीम से भिन्न विनिर्मित ओषधियों'' शब्दों के स्थान पर, ''विनिर्मित ओषधियों (विनिर्मित अफीम और आवश्यक स्वापक ओषधियों से भिन्न)'' शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे;

धारा 15 का संशोधन।

6. मूल अधिनियम की धारा 15 के खंड (क) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे।

7. मूल अधिनियम की धारा 17 के खंड (क) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 17 का संशोधन।

8. मूल अधिनियम की धारा 18 के खंड (क) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 18 का संशोधन।

9. मूल अधिनियम की धारा 20 के खंड (ख) के उपखंड (ii) की मद (अ) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 20 का संशोधन।

10. मूल अधिनियम की धारा 21 के खंड (क) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 21 का संशोधन।

11. मूल अधिनियम की धारा 22 के खंड (क) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 22 का संशोधन।

12. मूल अधिनियम की धारा 23 के खंड (क) में, ''छह मास'' शब्दों के स्थान पर, ''एक वर्ष'' शब्द रखे जाएंगे। धारा 23 का संशोधन।

13. मूल अधिनियम की धारा 27क के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:— नई धारा 27ख का अंत:स्थापन।

''27ख. जो कोई, धारा 8क के उपबंध का उल्लंघन करेगा, ऐसी अवधि के, जो तीन वर्ष से कम की नहीं होगी, किन्तु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी, कठोर कारावास से दंडनीय होगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।''। धारा 8क के उल्लंघन के लिए दंड।

14. मूल अधिनियम की धारा 31 में,— धारा 31 का संशोधन।

(क) उपधारा (1) में,—

(i) ''अधिकतम अवधि के आधे तक'' शब्दों के स्थान पर, ''अधिकतम अवधि के डेढ़ गुणे तक'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''अधिकतम रकम के आधे तक'' शब्दों के स्थान पर, ''अधिकतम रकम के डेढ़ गुणे तक'' शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) ''न्यूनतम अवधि का आधा'' शब्दों के स्थान पर, ''न्यूनतम अवधि का डेढ़ गुणा'' शब्द रखे जाएंगे;

(ii) ''न्यूनतम रकम का आधा'' शब्दों के स्थान पर, ''न्यूनतम रकम का डेढ़ गुणा'' शब्द रखे जाएंगे।

15. मूल अधिनियम की धारा 31क की उपधारा (1) में, ''मृत्यु दंड से दंडनीय होगा'' शब्दों के स्थान पर, ''ऐसे दंड से जो धारा 31 में विनिर्दिष्ट दंड से कम का नहीं होगा या मृत्यु दंड से, दंडित किया जाएगा'' शब्द और अंक रखे जाएंगे। धारा 31क का संशोधन।

16. मूल अधिनियम की धारा 42 की उपधारा (1) के परंतुक में ''परंतुक'' शब्द के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:— धारा 42 का संशोधन।

''परंतु इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या किए गए आदेश के अधीन विनिर्मित ओषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों या नियंत्रित पदार्थों के विनिर्माण के लिए दी गई, अनुज्ञप्ति के धारक के संबंध में ऐसी शक्ति का प्रयोग ऐसे किसी अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो :

परंतु यह और कि''।

धारा 52क का संशोधन।

17. मूल अधिनियम की धारा 52क में,—

(क) उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) केंद्रीय सरकार, किन्हीं स्वापक ओषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों के संबंध में, परिसंकटमय प्रकृति, चोरी के लिए अतिसंवेदनशीलता, प्रतिस्थापन, समुचित भंडारण स्थान की विषमता या किसी अन्य सुसंगत महत्व को ध्यान में रखकर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी स्वापक ओषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों अथवा स्वापक ओषधियों का वर्ग, मन:प्रभावी पदार्थों का वर्ग, नियंत्रित पदार्थों का वर्ग या हस्तांतरणों का वर्ग विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जिनका, उनके अभिग्रहण के पश्चात्, यथाशीघ्र, ऐसे अधिकारी द्वारा और ऐसी रीति में, जो सरकार, समय-समय पर, इसमें इसके पश्चात् विनिर्दिष्ट प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् अवधारित करे, व्ययन किया जाएगा।";

(ख) उपधारा (2) में,—

(i) "स्वापक ओषधि या मन:प्रभावी पदार्थ" और "स्वापक ओषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों" शब्दों के स्थान पर, जहां-जहां वे आते हैं, "स्वापक ओषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों; नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (ख) में "ऐसी ओषधियों या पदार्थों" शब्दों के स्थान पर, "ऐसी ओषधियों, पदार्थों या हस्तांतरणों" शब्द रखे जाएंगे;

(ग) उपधारा (4) में, "स्वापक ओषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों" शब्दों के स्थान पर, "स्वापक ओषधियों, मन:प्रभावी पदार्थों, नियंत्रित पदार्थों या हस्तांतरणों" शब्द रखे जाएंगे।

नई धारा 57क का अंत:स्थापन।

18. मूल अधिनियम की धारा 57 के पश्चात् निम्नलिखित धारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

अधिसूचित अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की संपत्ति के अभिग्रहण की रिपोर्ट।

"57क. जब कभी धारा 53 के अधीन अधिसूचित कोई अधिकारी इस अधिनियम के अधीन कोई गिरफ्तारी या अभिग्रहण करता है और अध्याय 5क के उपबंध ऐसी गिरफ्तारी या अभिग्रहण के मामले में संलिप्त किसी व्यक्ति को लागू होते हैं तो अधिकारी, गिरफ्तारी या अभिग्रहण के नब्बे दिन के भीतर, अधिकारिता वाले सक्षम प्राधिकारी को ऐसे व्यक्ति की अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों के बारे में एक रिपोर्ट देगा।"।

अध्याय 5क के शीर्षक के स्थान पर, नए शीर्षक का प्रतिस्थापन।

19. मूल अधिनियम के अध्याय 5क में, "अवैध व्यापार से प्राप्त हुई या उसमें उपयोग की गई संपत्ति का समपहरण" शीर्षक के स्थान पर, "अवैध रूप से अर्जित संपत्ति का समपहरण" शीर्षक रखा जाएगा।

धारा 68ख का संशोधन।

20. मूल अधिनियम की धारा 68ख में,—

(क) खंड (छ) में,—

(i) उपखंड (i) में, "अर्जित की गई है; या" शब्दों के स्थान पर, "अर्जित की गई है या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य; या" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) उपखंड (ii) में, "अर्जित की गई है; या" शब्दों के स्थान पर, "अर्जित की गई है या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य; या" शब्द रखे जाएंगे;

(iii) उपखंड (ii) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(iii) ऐसे व्यक्ति द्वारा, चाहे स्वापक ओषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारंभ से पूर्व या उसके पश्चात्, ऐसी किसी आय, उपार्जनों या आस्तियों से या द्वारा, जिसका स्रोत नहीं दिया जा सकता है, पूर्णत: या भागत: अर्जित कोई संपत्ति या ऐसी संपत्ति का समतुल्य मूल्य;";

(ख) खंड (ज) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:—

'(ज) "संपत्ति" से प्रत्येक वर्णन की कोई संपत्ति या आस्तियां, चाहे शाश्वत् या अशाश्वत्, जंगम या स्थावर, मूर्त या अमूर्त हों या नहीं, चाहे कहीं भी अवस्थित हों, अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत ऐसी संपत्ति या आस्तियों के हक या उसमें हित का साक्ष्य देने वाले विलेख और लिखत भी हैं;'।

21. मूल अधिनियम की धारा 68घ की उपधारा (1) में, "किसी सीमाशुल्क कलक्टर या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क कलक्टर" शब्दों के स्थान पर, "किसी सीमाशुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त" शब्द रखे जाएंगे। धारा 68घ का संशोधन।

22. मूल अधिनियम की धारा 68ज में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत में अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 68ज का संशोधन।

"स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि ऐसे मामले में जहां धारा 68ञ के उपबंध लागू होते हैं, इस धारा के अधीन कोई सूचना मात्र इस आधार पर अविधिमान्य नहीं होगी कि वह उस साक्ष्य का उल्लेख करने में असफल रहती है, जिस पर निर्भर किया गया है या वह समपहृत किए जाने की वांछा की गई संपत्ति और इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में किसी क्रियाकलाप के बीच सीधा संबंध सिद्ध करने में असफल रहती है।"।

23. मूल अधिनियम की धारा 68ण की उपधारा (4) के परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:— धारा 68ण का संशोधन।

"परन्तु यह और कि यदि अध्यक्ष की मृत्यु, त्यागपत्र के कारण या अन्यथा उसका पद रिक्त है या यदि अध्यक्ष अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असमर्थ है तो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा किसी सदस्य को, नए अध्यक्ष की नियुक्ति किए जाने और, यथास्थिति, कार्यभार ग्रहण करने या अपने कर्तव्यों को ग्रहण करने तक, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए नामनिर्देशित कर सकेगी।"।

24. मूल अधिनियम की धारा 71 की उपधारा (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:— धारा 71 का संशोधन।

"(1) सरकार, व्यसनियों की पहचान, उपचार, शिक्षा, पश्चात्वर्ती देखरेख, पुनर्वास, सामाजिक पुन:एकीकरण के लिए तथा सरकार के पास रजिस्ट्रीकृत व्यसनियों को और अन्य व्यक्तियों को संबंधित सरकार द्वारा किन्हीं स्वापक ओषधियों या मन:प्रभावी पदार्थों का प्रदाय किए जाने के लिए, जहां ऐसा प्रदाय चिकित्सीय आवश्यकता है, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उतने केंद्रों को स्थापित कर सकेगी, मान्यता दे सकेगी या अनुमोदित कर सकेगी, जितने वह ठीक समझे।"।

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 19)

[17 जुलाई, 2014]

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 29 मई, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2014 का 6 2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में, "खम्माम (किन्तु शा॰आ॰ एमएस सं॰ 111, सिंचाई और सीएडी (एलए IV और एंड आर-I) विभाग, तारीख 27 जून, 2005 में विनिर्दिष्ट मंडलों में के राजस्व ग्रामों तथा भुरगमपाडु मंडल में के भुरगमपाडु, सीतारामनगरम् और कोंडरेका के राजस्व ग्रामों को छोड़कर)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर, "खम्माम (किंतु कुकुनूर, वेलैरपाडु और भुरगमपाडु मंडलों, किन्तु इसके अंतर्गत पलवानचा राजस्व प्रभाग के अधीन उसके पिनापाका, मोरामपल्ली बंजार, भुरगमपाडु, नागिनेनीपरोलू, कृष्णासागर, टेकुला, सरापका, इरावेंडी, मोथेपट्टीनगर, उप्पुसका, सोमपल्ली और नकरीपेटा राजस्व ग्राम नहीं हैं और चिंतुर, कुनावरम, वरारामचन्द्रपुरम और भद्राचलम मंडलों, किंतु इसके अंतर्गत भद्राचलम राजस्व प्रभाग के अधीन भद्राचलम का राजस्व ग्राम सम्मिलित नहीं है, को छोड़कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे। धारा 3 का संशोधन।

2014 का अध्यादेश 4 3. (1) आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश, 2014 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यावृत्ति।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 का 6 2014 के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014

(2014 का अधिनियम संख्यांक 20)

[17 जुलाई, 2014]

भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2014 है। संक्षिप्त नाम और प्रारंभ।

(2) यह 28 मई, 2014 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

1997 का 24 2. भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 में,- धारा 5 का संशोधन।

(i) उपधारा (8) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

"(8) अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्य, उस तारीख से जिसको वे इस प्रकार पद पर नहीं रह गए हैं, दो वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के सिवाय,-

(क) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन कोई नियोजन; या

(ख) दूर-संचार सेवा के कारबार में किसी कंपनी में कोई नियुक्ति,

स्वीकार नहीं करेंगे।";

(ii) अंत में स्पष्टीकरण का लोप किया जाएगा।

निरसन और व्यावृत्ति। 3. (1) भारतीय दूर-संचार विनियामक प्राधिकरण (संशोधन) अध्यादेश, 2014 इसके द्वारा निरसित किया जाता है। 2014 का अध्यादेश 3

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 1, तारीख 18 फरवरी, 2014, खण्ड 1 का शुद्धिपत्रः—

पृष्ठ	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
1	अधिनियमों के हिन्दी नाम	6	स्केवेंजर	स्केवेंजर्स
3	वृहत् नाम	1	संस्था	संस्थान
25	58ख.	6	हाने	होने
51	3(क)(ii)(ख)	1	एरियल:प	एरियल रूप
51	3(ख)(ii)(ख)	1	एरियल:प	एरियल रूप
56	8(आ)	अन्तिम	प्रत्यक्ष:प	प्रत्यक्ष रूप
57	8 स्पष्टीकरण (iv)	3	प्रत्यक्ष:प	प्रत्यक्ष रूप
66	102 (4)	1	प्रत्यक्ष:प	प्रत्यक्ष रूप
74	(13)	2	अधीन द्वारा निर्देश	अधीन निर्देश
98	114(3)	1	केन्द्रीय सरकार बनाया	केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया
147	2. पार्श्व अधिनियम सं॰	–	1951 का 43	1992 का 15
167	36(3)	5	पूर्वोक्त सत्रों	पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों
200	104(ख) (2)	2	प्रतिकर का	प्रतिकर के
201	108 क	3	बात में होते	बात के होते

भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग 2, अनुभाग 1क, संख्यांक 2, तारीख 8 मई, 2014, खण्ड 1 का शुद्धिपत्रः—

पृष्ठ	धारा	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़ें
208	अधिनियम का नाम	1	दि राइट टू कंपेन्सेशन	दि राइट टू फेअर
209	स्कन्ध शीर्ष	–	खंड	कंपेन्सेशन एंड......
				अनुभाग 1क भारत का राजपत्र असाधारण
226	24(1)पार्श्व अधिनियम सं॰ "1894 का 1" का लोप करें।			
243	72(2)(ख)	3	छोडकर	छोड़कर
245	86(1) परन्तुक	3	समयक्	सम्यक्

डा॰ संजय सिंह,
सचिव, भारत सरकार।

भाग ४ (ग)

अन्तिम विनियम

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग

पंचम तल, बिट्टन मार्केट, भोपाल-462 016

भोपाल, दिनांक 18 सितम्बर 2015

क्रमांक 1709/मप्रविनिआ/2015. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 39 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ) के उप-खण्ड (एक), धारा 40 के खण्ड (ग) के उप-खण्ड (एक), धारा 66 तथा धारा 86 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (एक) के साथ पठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, एतद्द्वारा, निम्नलिखित संहिता बनाता है, अर्थात् :-

मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015

1. **प्रस्तावना** - राष्ट्रीय विद्युत नीति (एन.ई.पी.) में राज्य स्तर पर उपलब्धता आधारित विद्युत-दर (ए.बी.टी.) की एक विश्वसनीय व्यवस्थापन कार्य विधि का कार्यान्वयन राज्यान्तरिक विद्युत इकाईयों के मध्य, अन्तःदिवस विद्युत के अन्तरण की व्यवस्था की संस्थापना किये जाने की परिकल्पना है । राष्ट्रीय टैरिफ नीति के अनुसार, इस संरचना का विस्तार विद्युत उत्पादन स्टेशनों (जिनमें राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा यथा अवधारित क्षमता वाले ग्रिड संयोजित कैप्टिव संयंत्र सम्मिलित है) तक किया जाना चाहिए । यह संहिता राष्ट्रीय टैरिफ नीति की धारा 5, 7, 1 (बी) तथा (डी) एवं राष्ट्रीय विद्युत नीति की धारा 6, 2 (1) तथा 6, 3 के उद्देश्यों को भी प्रभावी बनाए जाने की दृष्टि से बनाई गई है । केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि तथा संबंधित विषय विनियम, 2014 अधिसूचित किये गये हैं तथा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (असूचीबद्ध विनियम प्रभार तथा संबंधित विषय) विनियम, 2009 निरसित किए जा चुके हैं । उपरोक्त दृष्टि से मध्यप्रदेश सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता विनियम, 2015 अधिसूचित किये जा रहे हैं ।

2. **संक्षिप्त नाम, प्रयुक्ति का विस्तार और प्रारम्भः-**

1 इस संहिता का संक्षिप्त नाम **मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2015 (आर. जी-34(एक), सन् 2015)** है ।

2 यह संहिता मध्यप्रदेश राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के भीतर लागू होगी तथा इस संहिता में यथाविनिर्दिष्ट रीति में समस्त राज्यीय तथा राज्यान्तरिक इकाईयों पर लागू होगी ।

3 यह संहिता मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन वाले माह के अगले माह की पहली तारीख से प्रवृत्त होगी।

3. **परिभाषाएं** :– इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, –

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36);

(ख) "क्रेता" से अभिप्रेत है हितग्राही को सम्मिलित करते हुए, कोई व्यक्ति जो विनियम के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के माध्यम से लघु–अवधि खुली पहुंच, मध्यम–अवधि खुली पहुंच तथा दीर्घ–अवधि खुली पहुंच के लिए लागू विद्युत क्रय करता है;

(ग) "के वि नि आ" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 76 में निर्दिष्ट किया गया केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग;

(घ) "सी एम आर आई" से अभिप्रेत है बहुनिर्मिति विद्युत ऊर्जा माप यंत्रों से आंकड़ों को डाऊनलोड करने तथा इनके संग्रहण हेतु उपयोग में लाए जाने वाला सामान्य माप यंत्र वाचन उपकरण;

(ड.) "आयोग" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 82 के अधीन गठित मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग;

(च) "दिवस" से अभिप्रेत है एक निरन्तर कालावधि जो 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होती है;

(छ) "प्रेषण अनुसूची " से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादक कंम्पनी के विद्युत संयन्त्र से उद्भूत शुद्ध विद्युत उत्पादन मेगावॉट तथा मेगावाट ऑवर में, जिसका समय–समय पर ग्रिड को संप्रेषण किया जाना अधिसूचित किया गया हो;

(ज) "विस्तृत प्रक्रिया " से अभिप्रेत है इस संहिता के अन्तर्गत राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई विस्तृत परिचालन प्रक्रिया;

(झ) "विचलन" किसी समय–खण्ड में किसी विक्रेता हेतु इसका तात्पर्य इसके वास्तविक अन्तःक्षेपण में से इसके समग्र अनुसूचित उत्पादन को घटा कर प्राप्त की गई मात्रा से है जबकि किसी क्रेता हेतु इसका तात्पर्य इसके समग्र वास्तविक आहरण में से इसके समग्र अनुसूचित आहरण की मात्रा को घटाकर प्राप्त की गई मात्रा से है;

(ञ) "विचलन प्रभार" से अभिप्रेत उन दरों के अनुसार प्रभारों की गणना, जो 15 मिनट के समय–खण्ड में ग्रिड की औसत आवृत्ति के तत्स्थानी हों जो कि एक के वि नि आ द्वारा समय–समय पर विनिर्दिष्ट की गई हो;

(ट) "विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म विनियम" से अभिप्रेत है, केन्द्रीय विद्युत् विनियामक आयोग (विचलन व्यवस्थापन मैकेनिज्म और संबंधित विषय) विनियम, 2014 तथा इसमें उसके कोई पश्चात्‌वर्ती संशोधन सम्मिलित है;

(ठ) "वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र" से अभिप्रेत है इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी मुख्यालय पर संस्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष (वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र के निर्माण, स्वामित्व, संचालन तथा संधारण संबंधित विद्युत वितरण कंपनी द्वारा किया जाएगा);

(ड) "वितरण कंपनी ऊर्जा लेखांकन दल" से अभिप्रेत है प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा गठित किया जाने वाला दल जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र के समन्वयन से (जहां कहीं यह अपेक्षित हो), इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

(ढ) "वितरण अनुज्ञप्तिधारी या वितरण कम्पनी" से अभिप्रेत है कोई अनुज्ञप्तिधारी जो उसके प्रदाय-क्षेत्र में उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय हेतु किसी विद्युत वितरण प्रणाली को संचालित तथा संधारित किये जाने हेतु प्राधिकृत है;

(ण) "आहरण अनुसूची" से अभिप्रेत है विद्युत उत्पादन संयंत्र से उद्भूत (एक्स-पावर प्लांट) मेगावाट की मात्रा जो किसी विद्युत वितरण कम्पनी अथवा एक खुली पहुंच क्रेता (ओपन एक्सेस कस्टमर) द्वारा एक विद्युत उत्पादक स्टेशन से प्राप्त की जाना है तथा इसमें समय-समय पर अनुसूचीबद्ध किये गये द्विपक्षीय तथा सामूहिक लेन-देन सम्मिलित हैं;

(त) "ऊर्जा लेखांकन दल" से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र स्तर पर गठित किया जाने वाला वह दल जो इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा;

(थ) "स्वत्वाधिकार" से अभिप्रेत है किसी विद्युत उत्पादक स्टेशन की स्थापित क्षमता/उत्पादन सुयोग्यता में विद्युत वितरण कम्पनी अथवा एक खुली पहुंच क्रेता का अंशदान (मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर में);

(द) "विद्युत संयंत्र से उद्भूत" से अभिप्रेत है एक विद्युत उत्पादन स्टेशन से सहायक खपत तथा रूपान्तरण हानियों को घटाकर शुद्ध विद्युत उत्पादन मेगावाट/मेगावाट ऑवर में;

(ध) "उत्पादक नियंत्रण केन्द्र" से अभिप्रेत है इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक अधोसंरचना तथा मानव संसाधनों से युक्त मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड

मुख्यालय पर संस्थापित किया गया नियंत्रण कक्ष (उत्पादक नियंत्रण केन्द्र का निर्माण, स्वामित्व, अधिकार, परिचालन तथा संधारण का दायित्व मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड का होगा);

(न) "ग्रिड" से अभिप्रेत है अन्तर्संयोजित पारेषण तन्तुपथ (लाईनों), उपकेन्द्रों तथा उत्पादन संयन्त्रों की उच्च वोल्टेज आधारित आधारभूत प्रणाली;

(प) "स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक" से अभिप्रेत है कोई विद्युत उत्पादक कंपनी जो केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा धारित या उनके नियंत्रण में न हो;

(फ) "भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 79 की उप–धारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता;

(ब) "अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन (आई एस जी एस)" से अभिप्रेत है कोई केन्द्रीय/अन्य विद्युत उत्पादक स्टेशन जिसमें दो या दो से अधिक राज्यों की भागीदारी हो तथा जिसके अनुसूचीकरण का समन्वयन क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र) द्वारा किया जाता है;

(भ) "राज्यान्तरिक इकाई" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (इकाई) जिसका विद्युत मापन यथास्थिति राज्य पारेषण इकाई या विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाता है, तथा ऊर्जा लेखांकन राज्य भार प्रेषण केन्द्र या अन्य किसी प्राधिकृत राज्य अभिकरण द्वारा किया जाता है;

(म) "मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (एम पी ई जी सी)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 86 की उपधारा (1) के खण्ड (ज) के अधीन विनिर्दिष्ट की गई ग्रिड संहिता;

(य) "माह" से अभिप्रेत है ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार निर्दिष्ट एक कलेण्डर माह की अवधि;

(य–क) "एम पी पी एम सी एल" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा दिनांक 29 जून, 2012 को अधिसूचित मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड;

(य–ख) "शुद्ध आहरण अनुसूची" से अभिप्रेत है किसी विद्युत वितरण कम्पनी अथवा किसी खुली पहुंच क्रेता की आनुपातिक पारेषण हानियों (प्राक्कलित) को घटाकर तैयार की गई आहरण अनुसूची";

(य–ग) "खुली पहुंच क्रेता" से अभिप्रेत है कोई ऐसा व्यक्ति (क्रेता) जिसे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में खुली पहुंच) विनियम, 2008 (यथासंशोधित) तथा म प्र वि नि आ (मध्यप्रदेश राज्य में खुली पहुंच प्रणाली की निबन्धन तथा शर्तें) विनियम, 2005 (यथासंशोधित) अथवा कोई विद्युत उत्पादक कंपनी (कैप्टिव उत्पादक संयंत्र को सम्मिलित कर) अथवा कोई अनुज्ञप्तिधारी अथवा कोई उपभोक्ता जिसे म प्र वि नि आ द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उसके प्रदाय क्षेत्र को छोड़कर, किसी अन्य व्यक्ति (क्रेता) से विद्युत प्राप्ति हेतु प्राधिकृत किया गया हो अथवा एक राज्य शासन की कोई इकाई जिसे विद्युत के विक्रय अथवा क्रय हेतु प्राधिकृत किया गया हो;

(य–घ) "विक्रेता" से अभिप्रेत है कोई व्यक्ति (विक्रेता), जिसमें ऐसा विद्युत उत्पादक स्टेशन सम्मिलित है, जो विद्युत प्रदाय (विक्रय), विनियमों के अनुसार अनुसूचित संव्यवहार के अनुसार विद्युत प्रदाय करता है जैसा कि यह लघु–अवधि खुली पहुंच, मध्यम–अवधि खुली पहुंच तथा दीर्घ–अवधि खुली पहुंच को लागू होता है;

(य–ङ.) "राज्य भार प्रेषण केन्द्र" से अभिप्रेत है, अधिनियम की धारा 31 की उपधारा (1) के अधीन स्थापित केन्द्र;

(य–च) "राज्य" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य;

(य–छ) "राज्य ऊर्जा लेखा" से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा क्षमता प्रभारों, ऊर्जा प्रभारों तथा प्रोत्साहन, यदि लागू हों, की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया मासिक राज्य ऊर्जा लेखा;

(य–ज) "राज्य प्रबाधी लेखा" से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रबाधी ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्ताहिक राज्य प्रबाधी लेखा;

(य–झ) "राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा (एस डी एस एम ए)" से अभिप्रेत है राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा विचलन प्रभारों की बिलिंग तथा व्यवस्थापन हेतु तैयार किया गया साप्ताहिक राज्य विचलन व्यवस्थापन कियाविधि लेखा;

(य–ञ) "राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन (एस एस जी एस)" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश ऊर्जा उत्पादक कम्पनी द्वारा संचालित राज्य के भीतर कोई विद्युत उत्पादक स्टेशन, जिसमें पेंच जल विद्युत स्टेशन सम्मिलित है, अन्तर्राज्यीय विद्युत उत्पादक स्टेशन तथा स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक स्टेशन /केप्टिव विद्युत उत्पादक जो मध्यप्रदेश राज्य के भीतर स्थित है, तथा जिनमें राज्य का अपना अंशदान है; को छोड़कर;

(य–ट) "राज्य पारेषण इकाई (एस टी यू)" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा यथाविनिर्दिष्ट मण्डल अथवा सरकारी कंपनी;

(य–ठ) "समय–खण्ड" से अभिप्रेत है प्रत्येक 15–मिनट अवधि का समय–खण्ड, जिसके लिए विशेष ऊर्जा मापयंत्र (मीटर) विनिर्दिष्ट विद्युत मानदण्ड तथा मात्राएं अभिलिखित करते हैं तथा जिसका प्रथम समय खण्ड 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होता है;

(य–ड) "सप्ताह" से अभिप्रेत है सात दिवस की निरंतर कालावधि जो ब्रिटिश कलेण्डर के अनुसार सोमवार को 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर आगामी रविवार को 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होती है ।

(2) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियां के, जो इस संहिता में प्रयुक्त हुए हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किये गये हैं, किन्तु जो अधिनियम या भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता या मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में परिभाषित किये गये हैं, वे ही अर्थ होंगे जो यथास्थिति अधिनियम या भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता या मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, में उनके लिए दिए गए हैं ।

4. अधोसंरचना तथा अपेक्षित क्षमता :–

(1) संबंधित इकाई, इस संहिता के सम्पूर्ण कार्यान्वयन हेतु, यथोचित अधोसंरचना तथा क्षमता का विकास किया जाना सुनिश्चित करेगी ।

(2) इस संहिता के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र , आयोग के पूर्व अनुमोदन से उन सुसंगत तथा शेष मामलों से संबंधित एक विस्तृत प्रक्रिया जारी करेगा जिन्हें कि इस संहिता में विस्तृत रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है, और :–

(क) अनुसूचीकरण तथा प्रेषण हेतु विस्तृत प्रक्रिया;

(ख) ऊर्जा मीटरीकरण के लिए विस्तृत प्रक्रिया (जिसमें डाटा संग्रहण, डाटा प्रसंस्करण,डाटा अन्तरण, डाटा परिरक्षण, आदि सम्मिलित हैं)];

(ग) ऊर्जा लेखांकन, मांग पार्श्व प्रबंधन लेखांकन, प्रबाधी लेखांकन तथा व्यवस्थापन (जिसमें समर्पित बैंक खाता प्रबंधन, साख–पत्र प्रबंधन भुगतान तथा प्राप्तियां, सम्मिलित हैं);

(घ) कोई अन्य प्रक्रिया, जिसे कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र इस संहिता के सफल कार्यान्वयन हेतु आवश्यक समझे ।

(3) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी इस संहिता के कार्यान्वयन हेतु वितरण कम्पनी ऊर्जा लेखांकन दल को विभिन्न गतिविधियों जैसे कि विचलन व्यवस्थापन विद्युत वितरण कंपनियों का ऊर्जा व्यवस्थापन, अन्तर्निहित उपभोक्ता जो लघु–अवधि खुली पहुंच व्यवस्था के अंतर्गत विद्युत का आहरण करते हों तथा अन्य गतिविधियों के के बारे में भी दायित्वों हेतु तत्संबंधी विद्युत नियन्त्रण केन्द्र को पूर्णतया विकसित तथा उपकरणों से सज्जित करेंगी ।

5. अनुसूचीकरण तथा प्रेषण

(1) इस धारा में अनुसूचीकरण तथा प्रेषण के सामान्य सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। अनुसूचीकरण की पृष्ठभूमि में मुख्य विचारधारा, दिवस–पश्चात् आधार पर विद्युत प्रदाय तथा मांग का मिलान किया जाना है । इस धारा को समय–समय पर यथासंशोधित भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता, मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 के साथ–साथ पढ़ा जाएगा ।

सामान्य सिद्धांत : अनुसूचीकरण :

(2) समस्त अनुसूचीकरण 15–मिनट के समय–खण्ड पर निष्पादित किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए अनुसूचीकरण प्रत्येक दिवस हेतु, 00.00 घंटे (बजे) से प्रारंभ होकर 24.00 घंटे (बजे) पर समाप्त होगा जिसे प्रत्येक 15–मिनट की अवधि के 96 बराबर समय–खण्डों में विभाजित किया जाएगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक क्रेता को आहरण अनुसूची तथा प्रत्येक विक्रेता को अग्रिम रूप से उत्पादन अनुसूची संकलित तथा संसूचित करेगा ।

(3) सुयोग्यता क्रमानुसार परिचालन : विद्युत वितरण कंपनियां विद्युत वितरण कम्पनियों की ओर से मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, (विद्युत वितरण कंपनियों से विद्युत मांग प्राप्त होने पर) अपनी विद्युत संबंधी मांग एक दिवस पूर्व तथा वास्तविक समय आधार पर वैयक्तिक सुयोग्यता क्रमानुसार प्रस्तुत करेगी, अर्थात् वैयक्तिक विद्युत वितरण कंपनी/मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आवंटित अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन, जलविद्युत विद्युत स्टेशनों को छोड़कर, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक तथा अन्य दीर्घ–अवधि, मध्यम–अवधि, खुली पहुंच तथा राज्यान्तरिक लघु–अवधि खुली पहुंच की ऊर्जा लागत (अर्थात् परिवर्तनीय लागत) के आरोही क्रम में।

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई किसी विद्युत वितरण कंपनी की शुद्ध आहरण अनुसूची, विभिन्न राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों, अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों के अंशदान, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों, अन्य दीर्घ अवधि तथा मध्यम अवधि खुली पहुंच, कोई द्विपक्षीय संव्यवहार तथा सामूहिक आदान–प्रदान जैसा कि इसके बारे में मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा अन्य विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से सहमति व्यक्त की गई हो, का योग होगा ।

(5) प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन की उत्पादन अनुसूची, प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी द्वारा प्रेषित की गई मांगों का योग होगी जो उनके स्वत्वाधिकार तक परिसीमित होगी तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा अभिव्यक्त किये गये किसी अन्य अधिकतम तथा न्यूनतम मूल्य के मानदण्डों अथवा तकनीकी परिसीमाओं के अध्यधीन होगी।

(6) समस्त राज्यांतरिक इकाईयां अपने आहरण/अन्तःक्षेपण विधि से इस तरह से संधारित रखे जाने के प्रयास करेंगी ताकि वे केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (विचलन, व्यवस्थापन, क्रियाविधि तथा संबंधित विषय) विनियम, 2014 तथा उसके जारी अनुवर्ती संशोधनों में विनिर्दिष्ट विचलन मात्रा की परिसीमाओं का उल्लंघन न करें ।

(7) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी/पुनरीक्षित की गई उत्पादन अनुसूचियां तथा आहरण अनुसूचियां, संसूचना की असफलता पर विचार किये बिना, निर्दिष्ट समय–खंड से प्रभावशील हो जाएंगी ।

(8) किसी विद्युत उत्पादक द्वारा किये गये अनुसूचित उत्पादन के पुनरीक्षण के संबंध में (समझे गए किसी कार्योत्तर पुनरीक्षण को सम्मिलित करते हुए), विद्युत वितरण कंपनियों के अनुसूचित आहरणों का तत्संबंधी पुनरीक्षण भी किया जाएगा।

(9) अनुसूचियों में किये गये परिवर्तनों के संबंध में, समय–घटक पर यथोचित विचार करते हुए, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संसूचना के अभिलेखन हेतु एक प्रक्रिया (ध्वनि–अभिलेखन के साथ समय-मुद्राकंन द्वारा) विकसित की जाएगी ।

(10) विद्युत उत्पादक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि दिवस के दौरान व्यवस्ततम समय पर घोषित क्षमता (डीसी), कम व्यवस्ततम ऑफ–पीक से कम न होगी।
अपवाद : विवशजन्य अवरोध के कारण इकाईयों में विद्युत का अवरोध (ट्रिपिंग होना)/पुनः–समकालन किया जाना)

(11) अनुसूचियों को तैयार करते समय निम्नलिखित विशिष्ट बिन्दुओं पर विचार किया जाएगा :

(क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह जांच करेगा कि परिणामी विद्युत प्रवाह में किसी प्रकार की कृत्रिम परिस्थितियों का पारेषण दबाव उत्पन्न न करें । दबाव की स्थिति में राज्य भार प्रेषण केन्द्र अपेक्षित सीमा तक अनुसूची को युक्तियुक्त कर संबंधित वितरण कम्पनयों को संसूचित करेगा; तथा

(ख) राज्य भार प्रेषण केन्द्र यह जांच करेगा कि अनुसूचियां, विशेषतः दरों की घटत/बढ़त तथा न्यूनतम तथा अधिकतम उत्पादन स्तरों के अनुपात के संबंध में युक्तियुक्त रूप से परिचालन योग्य हैं । राज्य भार प्रेषण केन्द्र संबंधित वितरण कंपनियों को संसूचित करते हुए अनुसूची को आवश्यक सीमान्तर्गत युक्तियुक्त करेगा। विभिन्न श्रेणियों के स्टेशनों के संबंध में दरों की घटत/बढ़त, तकनीकी आंकड़ों पर आधारित होगी जैसा कि इनके संबंध में उत्पादन स्टेशनों द्वारा अभिपुष्टि की जाए तथा विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा या मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से राज्य भार प्रेषण केन्द्र की यथोचित स्वीकृति द्वारा इस हेतु परस्पर सहमति व्यक्त की जाए।

(12) उत्पादन अनुसूचियों को तैयार करते समय, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पारेषण प्रणाली के प्रतिबंधों तथा परिचालनीय सीमाओं मार्जिन (आरक्षित किये गये) के उपबंधों को ध्यान में रखा जाएगा जैसा कि भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता में उपबंधित है ।

(13) क्रेताओं की उनकी बाह्य सीमा पर शुद्ध आहरण अनुसूचियों की गणना हेतु, साप्ताहिक संयोजन बिन्दु हानियों की गणना जैसी कि यह राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों तथा हानियों में साझेदारी) विनियम, 2010 (यथा संशोधित) तथा मध्यप्रदेश के साप्ताहिक प्राक्कलित पारेषण वितरण/अन्य हानियां, यदि लागू हों, तो इसे उनके आहरण अनुसूचियों के अनुपात में संविभाजित किया जाएगा । साप्ताहिक हानियों की गणना में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी :

(क) किसी दिए गए सप्ताह हेतु, राज्य पारेषण हानि = [सप्ताह के दौरान, राज्य ग्रिड में कुल शुद्ध अन्तःक्षेपण (इन्जेक्शन)] – राज्य ग्रिड से सप्ताह में कुल शुद्ध आहरण;

(ख) $n^{वें}$ सप्ताह में हानि की गणना, $(n+1)^{वें}$ सप्ताह के पांचवे दिवस तक की जाएगी;

(ग) हानि के इस आंकड़े को तब $(n+2)^{वें}$ सप्ताह के प्रारंभ से अनुसूचीकरण प्रक्रिया में उपयोग में लाया जाएगा;

(घ) राज्य भार प्रेषण केन्द्र $n^{वें}$ सप्ताह की वास्तविक हानि को $(n+2)^{वें}$ सप्ताह में अनुसूचीकरण के प्रयोजन से निकटतम 0.01% तक, पूर्णांक करेगा (उदाहरणतया,

4.705% को 4.71% तक पूर्णांक किया जाएगा, तथा इसी प्रकार 3.442% को 3.44% तक पूर्णांक किया जाएगा, आदि); तथा

ड़) ग्रिड में अपवादित प्रकृति की घटनाओं के परिणाम किसी सप्ताह के दौरान असामान्य रूप से उच्च अथवा निम्न हानियों के रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह राज्य में किसी भार में अचानक कमी आ जाने के रूप में या तो मौसम में किसी विक्षोभ के कारण अथवा किसी वृहद जल–विद्युत पावर स्टेशन के मानसून में जलाशय से किसी रेत (सिल्ट)/कचरे की निकासी हेतु, उसे बन्द किये जाने के कारण या किसी मुख्य पारेषण तन्तुपथ आदि में अवरोध के कारण संभव हो सकता है। जहां तक अनुसूचीकरण प्रक्रिया का संबंध है, इन असामान्य सप्ताहों हेतु, हानियों की सामान्यतः ध्यान नहीं दिया जाएगा । इस संबंध में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र का निर्णय अन्तिम माना जाएगा।

(14) जहां राज्य क्षेत्र उत्पादक कंपनी, स्वतंत्र विद्युत उत्पादक तथा नवकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की उपलब्धता की घोषणा की परिशुद्धता (रैसोल्यूशन) 0.1 मेगावाट तथा 0.1 मेगावाट ऑवर की होगी, वहां समस्त स्वत्वाधिकारों, मांगों तथा अनुसूचियों को निकटतम दो दशमलवों तक पूर्णांक किया जाएगा, जिससे 0.01 मेगावाट की परिशुद्धता प्राप्त की जा सकें ।

(15) राज्य भार प्रेषण केन्द्र उपरोक्त खण्डों अर्थात् 5(2) से 5(14) तक के अधीन सम्पूर्ण जानकारी को समुचित रूप से उनकी वैबसाईट पर अभिलेखित करेगा, जिसमें विद्युत उत्पादक स्टेशनों के परामर्शानुसार स्टेशनवार एक्स पावर संयंत्र से उद्भूत दृष्टव्य (फोरसीन) योग्यताएं, अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों के स्वत्वाधिकार, वितरण कंपनियों के परामर्शानुसार आहरण अनुसूचियां, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी की गई समस्त अनुसूचियों तथा समस्त पुनरीक्षणों/समस्त ऐसी जानकारियों को अद्यतन कर सम्मिलित करते हुए वैबसाईट पर प्रदर्शित किया जाएगा ।

सामान्य सिद्धान्त : अनुसूचियों का पुनरीक्षण किया जाना

(16) राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन द्विभाग विद्युत दर से युक्त स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक द्वारा घोषित योग्यता का पुनरीक्षण मय क्षमता प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार (मध्यप्रदेश विद्युत उत्पादक पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के जल विद्युत स्टेशनों को छोड़कर) तथा दिवस की शेष अवधि हेतु हितग्राही(हितग्राहियों) की मांग को अग्रिम सूचना के साथ अनुज्ञात किया जाएगा । ऐसे प्रकरणों में पुनरीक्षित अनुसूचियां/घोषित योग्यता चौथे समय–खण्ड से प्रभावशील हो जाएगी जिसके संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र में पुनरीक्षण हेतु अनुरोध सर्वप्रथम प्राप्त किया गया है ।

(17) राज्य पारेषण इकाई अथवा राज्यान्तरिक पारेषण में सन्निहित अन्य कोई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (जैसा कि इसे राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा प्रमाणित किया जाए) के स्वामित्व वाली पारेषण प्रणाली, संबद्ध स्विचयार्ड अथवा उपकेन्द्रों में किसी प्रतिबन्ध, अवरोध, इसके असफल होने अथवा परिसीमाओं के कारण विद्युत की निकासी में कोई ऐसा व्यवधान होने की दशा में, जिसके कारण विद्युत उत्पादन में कमी की जाना आवश्यक हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनुसूचियों को पुनरीक्षित करेगा, जो चौथे समय–खंड से प्रभावशील होगा, जिसकी गणना ऐसे समय–खंड को प्रथम मानकर की जाएगी जिसमें विद्युत की निकासी में व्यवधान सर्वप्रथम होना पाया गया हो। इसके अतिरिक्त, ऐसी किसी घटना के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय समय–खंड के दौरान, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का अनुसूचित उत्पादन वास्तविक उत्पादन के बराबर पुनरीक्षित किया गया माना जाएगा तथा वितरण कंपनियों के अनुसूचित आहरण वास्तविक आहरणों के बराबर पुनरीक्षित किये गये माने जाएगे।

(18) ग्रिड में किसी प्रकार का विक्षोभ होने की दशा में, समस्त राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों /स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का अनुसूचित उत्पादन तथा वितरण कम्पनियों का अनुसूचित आहरण ग्रिड विक्षोभ द्वारा प्रभावित समस्त समय–खंडों हेतु उनके वास्तविक उत्पादन/आहरण के बराबर पुनरीक्षित किया गया माना जाएगा। ग्रिड विक्षोम तथा इसकी अवधि का प्रमाणीकरण क्षेत्रीय भार प्रेषक केन्द्र/राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किया जाएगा ।

(19) यदि, किसी भी समय राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा यह पाया जाता है कि प्रणाली के बेहतर प्रचालन के हित में अनुसूचियों को पुनरीक्षण किये जाने की आवश्यकता है, तो ऐसा वह स्वयं के द्वारा भी कर सकेगा तथा ऐसे मामलों में, पुनरीक्षित अनुसूचियां चौथे समय–खण्ड से प्रभावशील हो जाएंगी तथा इस हेतु, उस समय–खंड को प्रथम माना जाएगा जिसमें कि राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा, इस हेतु पुनरीक्षित अनुसूची सर्वप्रथम जारी की गई हो ।

(20) यदि किसी अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन से कोई पुनरीक्षण प्राप्त हुआ हो, तो ऐसी दशा में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र वास्तविक समय–आधार पर जानकारी को (केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के विनियमों/आदेशों की अपेक्षाओं के अनुसार) तत्क्षण प्रसारित करेगा जिसके अंतर्गत अनुसूची हेतु सुसंगत जानकारी संलग्न की जाएगी जिसके आधार पर राज्य भार प्रेषण केन्द्र पुनरीक्षण की कार्यवाही समानान्तर रूप से करेगा । क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र तथा राज्य भार प्रेषण केन्द्र हेतु पुनरीक्षण का कार्यान्वयन समय एक समान रहेगा।

कार्यान्वित की गई अनुसूचियां

(21) प्रचालन तिथि की समाप्ति पर 24.00 घंटे (बजे) पर, दिवस के दौरान अन्तिम रूप से कार्यान्वित की गई अनुसूची, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा (उत्पादक स्टेशनों की प्रेषण अनुसूची में वस्तुस्थिति से पूर्व के समस्त परिवर्तनों तथा वितरण कम्पनियों की आहरण अनुसूची पर विचार करते हुए) तीन दिवस के भीतर या पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र की कार्यान्वित सूची प्राप्त होने पर जारी कर दी जाएगी । इसके अतिरिक्त, यदि पश्चिमी क्षेत्र पॉवर समिति द्वारा कार्यान्वित सूची का कार्योत्तर पुनरीक्षण किया जाता है तो कार्यान्वित अनुसूची को राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पुनरीक्षित भी किया जा सकता है । ये अनुसूचियां वाणिज्यिक लेखांकन का आधार बनेंगी । प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन तथा स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों हेतु औसत एक्स बस योग्यता की गणना राज्य भार प्रेषण केन्द्र को वस्तुस्थिति पूर्व के परामर्श के आधार पर की जाएगी ।

(22) राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जारी किये गये अनुसूचीकरण तथा अन्तिम रूप से कार्यान्वित की गई अनुसूचियों हेतु प्रक्रिया समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों हेतु किसी जांच/सत्यापन के लिये पांच दिवस की अवधि हेतु खुली रहेगी । किसी प्रकार की त्रुटि/चूक पाए जाने की दशा में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र अविलंब इसकी जांच करेगा तथा इसमें आवश्यक सुधार करेगा ।

समयावली तथा उत्तरदायित्व सारणी (मध्यप्रदेश विद्युत सन्तुलन तथा व्यवस्थापन संहिता)

समय (तक प्रस्तुत कर दी जाए)	प्राथमिक गतिविधि	उत्तरदायित्व
10.00 घंटे (बजे)	(एक) पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को मध्यप्रदेश राज्य हेतु प्रत्येक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन में मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर हकदारी आगामी दिवस हेतु 00. 00 घंटे से 24.00 घंटे तक, 15–मिनट के समय–खण्ड हेतु सूचित करेगा;	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केंद्र
	(दो) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड राज्य भार प्रेषण केन्द्र को आगामी दिवस हेतु 00.00 घंटे से 24.00 घंटे के मध्य की अवधि बाबत प्रत्येक 15–मिनट के समय–खण्ड में संभावित एक्स–पावर संयंत्र मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर क्षमताओं की अनुशंसा करेगी;	मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड / उत्पादन नियंत्रण केन्द्र
	(तीन) स्वतंत्र विद्युत उत्पादक तथा पात्र नवकरणीय ऊर्जा उत्पादक , राज्य भार प्रेषण केन्द्र को स्टेशनवार एक्स विद्युत संयंत्र उनके मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर अन्तःक्षेपों के बारे में आगामी दिवस हेतु 00.00 घंटे से 24.00 घंटे की अवधि बाबत स्वतंत्र विद्युत उत्पादक नवकरणीय विद्युत उत्पादकों को प्रत्येक 15--मिनट समय–खण्ड हेतु सूचना देंगे;	स्वतंत्र विद्युत उत्पादक / नवकरणीय ऊर्जा उत्पादकों
	(चार) इन्दिरा सागर परियोजना, ओंकारेश्वर जल विद्युत परियोजना, अंशदान वाले स्टेशन तथा अन्य कोई स्टेशन, जो उपरोक्त सरल क्रमांक (एक) (दो) तथा (तीन) के अंतर्गत नहीं आते, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को तत्संबंधी एक्स–विद्युत संयंत्र मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर की संभावित क्षमताओं को प्रत्येक 15--मिनट के समय–खण्ड में आगामी दिवस को 00.00 घंटे पर प्रारंभ होकर 24.00 घंटे पर समाप्त होने वाली अवधि बाबत सूचना देंगे ।	तत्संबंधी स्टेशन
10.30 घंटे (बजे)	(एक) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, समस्त विद्युत उत्पादक स्टेशनों से कुल एक्स–पावर संयंत्र उपलब्धता मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर में संकलित करेगा	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
	(दो) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, स्टेशनवार तथा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के कुल मेगावाट तथा मेगावाट ऑवर स्वत्वाधिकारों की गणना आगामी दिवस हेतु, प्रत्येक 15 मिनट के समय--खण्ड हेतु करेगा तथा इसे मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को सूचित करेगा	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
	(तीन) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी उसकी कुल मेगावाट मांग प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आगामी दिवस हेतु उसके दिवस–पूर्व भार पूर्वानुमान के अनुसार वास्तविक राज्य पारेषण हानियों को सकलबद्ध करते हुए करेगी ।	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड / तत्संबंधी विद्युत वितरण कंपनी
11.00 घंटे (बजे)	(एक) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड राज्य हेतु समग्र रुप से विद्युत की कमी तथा आधिक्य की गणना विद्युत वितरण कंपनियों के परामर्श से करेगी; (दो) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड विद्युत के संव्यवहार के बारे में विद्युत विनिमय केन्द्रों के माध्यम से दिवस पूर्व/अवधि पूर्व आधार पर निर्णय लेगी ।	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड

13.30 (बजे)	घंटे	(एक) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड विद्युत विनिमय केन्द्रों से प्रावधिक लेन--देन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य हेतु सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण समग्र रूप से समस्त विद्युत संयत्रों हेतु, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आवंटित विद्युत संयंत्रों को सम्मिलित करते हुए करेगी; (दो) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी के लिए मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (प्रत्येक समय–खण्ड के लिए) निम्नानुसार तुलना करेगी :– (क) किसी प्रदत्त विद्युत वितरण कंपनी हेतु कुल एक्स पावर प्लांट मेगावाट स्वत्वाधिकार; (ब) किसी निर्दिष्ट वितरण कंपनी हेतु कुल एक्स पावर प्लांट मेगावाट मांग ; (तीन) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड उनके द्वारा किये गये आवंटन को प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी को प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु, उनकी विद्युत आवश्यकतानुसार आवंटित करेगी	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, विद्युत वितरण कंपनियों के परामर्श से
14.00 (बजे)	घंटे	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड राज्य भार प्रेषण केन्द्र को विद्युत वितरण कम्पनीवार उसके प्रत्येक विद्युत उत्पादक स्टेशन पर एक्स--विद्युत संयंत्र मेगावाट मांग, मय दीर्घ–अवधि द्विपक्षीय लेन–देन, मध्यम अवधि लेन–देन, अनुमोदित किये गये लघु–अवधि द्विपक्षीय लेन–देन तथा विद्युत विनिमय केन्द्रों के माध्यम से सामूहिक लेन–देन संसूचित करेगी	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
15.00 (बजे)	घंटे	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र को प्रत्येक अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों संबंधी मप्र राज्य की समन्वित मांग मय अन्य दीर्घ अवधि द्विपक्षीय लेन--देन, मध्यम–अवधि द्विपक्षीय लेन–देन संसूचित करेगा ।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,
17.00 (बजे)	घंटे	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को मध्यप्रदेश राज्य की आहरण अनुसूची एक्स विद्युत संयत्र आधार पर केन्द्रीय पारेषण इकाई–राज्य पारेषण इकाई अंतर्मुख पर आगामी दिवस हेतु 15–मिनट के प्रत्येक समय–खंड हेतु अवगत करायेगा ।	पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र
17.30 (बजे)	घंटे	(एक) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड विद्युत प्रदाय के बारे में विद्युत विनिमय केन्द्रों से अन्तिम लेन–देन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर राज्य हेतु समग्र रूप से समस्त विद्युत संयत्रों हेतु, मय मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड को आवंटित विद्युत संयंत्रों को शामिल करते हुए सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण संचालित करेगी : (दो) प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी हेतु, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड (प्रत्येक समय–खण्ड हेतु) निम्नानुसार तुलना करेगी : क. किसी प्रदत्त विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत संयंत्र से उदभूत मेगावाट स्वत्वाधिकार; ख. किसी प्रदत्त विद्युत वितरण कंपनी हेतु विद्युत संयंत्र से उदभूत मांग ; (तीन) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड उनके द्वारा किये गये आवंटन को प्रत्येक विद्युत वितरण कंपनी को प्रत्येक 15 मिनट के समय–खण्ड हेतु, उनकी विद्युत आवश्यकतानुसार आवंटित करेगी ।	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड विद्युत वितरण कंपनियों के परामर्श से
18.00 (बजे)	घंटे	(एक) राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक विक्रेता की एक्स–पावर प्लांट मेगावाट उत्पादन अनुसूचियों तथा प्रत्येक क्रेता की मेगावाट आहरण अनुसूचियों को (एक्स--विद्युत संयंत्र तथा राज्य पारेषण इकाई क्रेता अर्न्तमुख पर) अन्तिम रूप देगा	राज्य भार प्रेषण केन्द्र

	(दो) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, तत्संबंधी विक्रेता को उत्पादन अनुसूचियों को संसूचित करेगा ; (तीन) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड /तत्संबंधी क्रेता को आहरण अनुसूचियां संसूचित करेगा	
21.30 घंटे (बजे)	राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादक/विद्युत वितरण कम्पनियां राज्य भार प्रेषण केन्द्र विद्युत वितरण कंपनियों को उपरोक्त अनुसूचियां में किये जाने वाले परिवर्तन, यदि कोई हों, के संबंध में सूचित कर सकेगी ।	राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन / विद्युत वितरण कम्पनियों
22.00 घंटे (बजे)	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र को अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों से संबंधित समस्त परिवर्तनों के संबंध में तथा अन्तर्राज्यीय लेन–देन (यदि कोई हों) के संबंध में सूचित करेगा	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,
23.30 घंटे (बजे)	पश्चिमी भार प्रेषण केन्द्र से 23.00 घंटे (बजे) पर मध्यप्रदेश राज्य की अन्तिम आहरण अनुसूची की प्राप्ति उपरान्त तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उल्लिखित समस्त परिवर्तनों पर विचारोपरांत, राज्य भार प्रेषण केन्द्र,तत्संबंधी विकेता को अन्तिम उत्पादन अनुसूचियां तथा मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड /तत्संबंधी क्रेता को अन्तिम आहरण अनुसूचियां जारी करेगा ।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,
प्रचालन दिवस के दौरान	विद्युत वितरण कंपनियों या मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों की ओर से अपनी मांग प्रस्तुत करने के बाद या विद्युत उत्पादकों द्वारा अपनी पुनरीक्षित घोषित क्षमताप्रस्तुत करने के बाद, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, आहरण अनुसूची /अन्तःक्षेपण अनुसूची को विक्रेता/क्रेता संहिता के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित करेगा । पात्र नवकरणीय विद्युत उत्पादकों की अन्तःक्षेपण अनुसूचियों को भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा नवकरणीय विद्युत उत्पादन विषय पर केन्द्रीय विद्युत् विनियसमक आयोग/मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग विनियमों/आदेशो के प्रावधानों के अनुसार (यथासंशोधित) राभाप्रेके द्वारा ऐसे विद्युत उत्पादकों या समन्वयन अभिकरण से मांग प्राप्त होने पर पुनरीक्षित किया जाएगा	मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड / विद्युत वितरण कंपनियां/ विक्रेता/ क्रेता/ राज्य भार प्रेषण केन्द्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक राज्य भार प्रेषण केन्द्र
तीन दिवस के भीतर	राज्य भार प्रेषण केन्द्र, तीन दिवस के भीतर या पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केन्द्र से कार्यान्वित अनुसूचियां प्राप्त होने पर राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों की कार्यान्वित अनुसूचियों तथा अन्तिम एक्स–विद्युत संयंत्र योग्यताएं तैयार करेगा ।	राज्य भार प्रेषण केन्द्र,

* मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के समस्त जल–विद्युत स्टेशन मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (उत्पादन टैरिफ के अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें) विनियम, 2012 (समय–समय पर यथासंशोधित) के अनुसार दिवस पूर्व घोषित क्षमता प्रस्तुत करेंगे ।

6. ऊर्जा मापयंत्र प्रणाली :–

खुली पहुंच उपभोक्ताओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादकों के परिसरों या पारेषण इकाई के अति उच्च दाब उपकेन्द्रों में उपलब्धता आधारित विद्युत दर मापयन्त्रों तथा जांच मापयंत्रों की लागत खुली पहुंच उपभोक्ताओं तथा नवरकणीय ऊर्जा उत्पादकों द्वारा वहन की जाएगी । स्थापित किये जाने वाले मापयंत्रों के प्रकार, मापयंत्र स्थापना योजना, मापयंत्र स्थापना योग्यता, परीक्षण तथा अंशांकन अर्हताएं तथा मीटरीकृत आंकड़ों के संग्रहण तथा प्रसार, को मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता, तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा मापयंत्रों की स्थापना तथा परिचालन के बारे में अधिसूचित

विनियमों तथा अनुवर्ती संशोधनों के अनुसार निर्दिष्ट किये जाएंगे । समस्त संबंधित राज्यान्तरिक इकाईयां (जिनके परिसरों में विशेष ऊर्जा मापयंत्र स्थापित किये गये हों) द्वारा एबीटी मापयंत्र आंकड़े रा भा प्रे के को सूदूर आकंड़े सम्प्रेषण हेतु स्वचालित मापयंत्र वाचन सुविधा प्रदान की जाएगी । यदि विशेष ऊर्जा मापयंत्र के साप्ताहिक आंकड़े रा भा प्रे के पर स्थापित की गई स्वचालित मापयंत्र वाचन प्रणाली पर प्राप्त न होते हों, तो इसे डाऊनलोड किया जाएगा तथा इसे ए बी टी मीटर या इकाईयां जिन्हें ऊर्जा मापयंत्र वाचन लेने हेतु प्राधिकृत किया गया है, के स्वामी द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, को सम्प्रेषित किया जाएगा । सम्पूर्ण साप्ताहिक ए बी टी मापयंत्र आंकड़े या स्वचालित मापयंत्र वाचन प्रणाली या मापयंत्र वाचन उपकरण द्वारा हस्तचालित आंकड़ा डाऊनलोड न होने की दशा में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र, मध्यप्रदेश राज्य की पारेषण हानियों, राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा तथा राज्य प्रबाधी लेखा को तैयार कर मासिक आधार पर जारी करेगा ।

(2) राज्य भार प्रेषण केन्द्र प्रत्येक विक्रेता के शुद्ध किलोवाट ऑवर अंतःक्षेप की गणना करने तथा प्रत्येक क्रेता के उपरोक्त मापयंत्र के आधार पर 15 मिनट समय–खण्डवार वास्तविक शुद्ध आहरण, तथा राज्य ऊर्जा लेखा तैयार किये जाने हेतु उत्तरदायी होगा। समस्त 15 मिनट–वार ऊर्जा आंकड़े (शुद्ध अनुसूचित किये गये, वास्तविक रूप से मीटरीकृत किये गये तथा विचलन) निकटतम शून्य दशमलव स्थान तक पूर्णांक किए जाएंगे । राज्य भार प्रेषण द्वारा निष्पादित की गई समस्त गणनाएं समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों की जांच/सत्यापन हेतु पंद्रह (15) दिवस की अवधि हेतु, अवलोकनार्थ रखी जाएंगी । यदि ऊर्जा मीटरीकरण, राज्य ऊर्जा लेखे, राज्य विचलन लेखे तथा राज्य प्रबाधी लेखे में किसी प्रकार की त्रुटि इंगित की जाती हो, तो ऐसी दशा में राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा मामले की सम्पूर्ण छानबीन की जाएगी तथा उसके द्वारा इसे पंद्रह दिवस के भीतर सुधार किया जाएगा ।

(3) मुख्य मापयंत्र की अनुपलब्धता तथा जांच मापयंत्र के मापयंत्र/मापयंत्र उपकरण के विफल होने की दशा में, रा भा प्रे के लुप्त मापयंत्र की उपलब्धता को, जैसा कि इसे केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के (समय–समय पर यथासंशोधित) में परिभाषित किया गया है, आंकलन करेगा । अन्तर्मुख मीटरीकरण बिन्दु पर स्थापित समस्त प्रकार के ए बी टी मापयंत्रों के विफल होने की दशा में रा भा प्रे के लुप्त आंकड़ों का आंकलन निम्न आधार पर करेगा :

(एक) उत्पादक स्टेशनों हेतु – रा भा प्रे के के पास उपलब्ध प्रति घंटा उत्पादन आंकड़ों के आधार पर ;

(दो) विद्युत वितरण कंपनियों के अंतर्मुख बिन्दुओं पर इसके लिये आंकड़ों का आंकलन इसी अन्तर्मुख बिन्दु पर स्थापित किये गये ए बी टी मापयंत्र के पूर्व सप्ताह के लिये उपलब्ध आंकड़े के आधार पर किया जाएगा व इसे बाजू में स्थापित किये गये ट्रांसफार्मरों/संभरक के भार प्रतिदर्श से संरेखित समायोजित किया जाएगा ;

(तीन) खुली पहुंच केताओं हेतु – खुली पहुंच क्रेताओं के प्रकरण में, यदि ए बी टी मापयंत्र आंकड़े किसी मुख्य मापयन्त्र/जांच मापयंत्र/वैकल्पिक मापयंत्र या फिर किसी अन्य मापयंत्र के बारे में उपलब्ध न हों तो रा भा प्रे के विचलन प्रभारों की गणना करते समय वास्तविक आंकड़ों को अनुसूची द्वारा स्थापित करेगा ।

7. ऊर्जा लेखांकन तथा व्यवस्थापन

राज्य ऊर्जा लेखा (एस ई ए)

(1) राज्य भार प्रेषण केन्द्र अनंतिम मासिक राज्य ऊर्जा लेखा तैयार करेगा तथा आगामी माह के 7वें दिवस तक अथवा पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा समिति द्वारा क्षेत्रीय ऊर्जा लेखा के जारी होने के पश्चात् की दिनांक में जारी (समस्त अंतर्राज्यीय सत्ता को) करेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा जब कभी अपेक्षित हो राज्य ऊर्जा लेखे को समय–समय पर पुनरीक्षित किया जाएगा । राज्य ऊर्जा सेवा में व्यापक रूप में निम्नलिखित जानकारी होगी :

(क) प्रत्येक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक हेतु माह में सफल संयंत्र उपलब्धता कारक पी ए एफ एम का ब्यौरे प्रतिशत में;

(ख) राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक द्वारा घोषित क्षमता की गलत–घोषणा के ब्यौरे (यदि कोई हो);

(ग) अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन तथा राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों (डिस्कॉम) को अनुसूचित ऊर्जा संबंधी ब्यौरे;

(घ) सार्वजनिक मीटर केन्द्र पर नवकरणीय ऊर्जा उत्पादकों के ऊर्जा अन्तःक्षेपण, मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा क्रय की गई ऊर्जा का तथा क्रमशः वितरण कम्पनियों डिस्कॉम), मध्यप्रदेश ऊर्जा प्रसारण लिमिटेड द्वारा (विक्रय के रूप में) दी गई वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) को स्वयं के उपयोग/तृतीय पक्ष को विक्रय के लिए भेजी की गई ऊर्जा के ब्यौरे;

ङ) अन्य कोई विवरण, जिनके संबंध में राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य ऊर्जा लेखा को पूर्ण करने के लिए उचित समझे ।

(2) विद्युत वितरण कम्पनियां (मध्यप्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कंपनी लिमिटेड), केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार, संबंधित अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन को अनुसूचित प्रेषण हेतु (एक्स–पावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों तथा संयंत्र प्रभार कारक (पी एल एफ) प्रोत्साहन (यदि कोई हो) से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेंगी । इन प्रभारों से संबंधित देयक तत्संबंधी अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से) मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे ।

(3) विद्युत वितरण कम्पनियां (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से), मध्यप्रदेश विनियामक आयोग की सुसंगत अधिसूचनाओं तथा आदेशों के अनुसार संबंधित राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक को अनुसूचित प्रेषण हेतु (एक्स–पावर संयंत्र आधार पर), संयंत्र उपलब्धता तथा ऊर्जा प्रभारों से तत्संबंधी क्षमता प्रभारों का भुगतान करेगी। इन प्रभारों से संबंधित देयक राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को (मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से) मासिक आधार पर जारी किये जाएंगे ।

राज्य डी एस एम लेखा (एस डी एस एम ए)

(4) राज्य भार प्रेषण केन्द्र (समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों को) साप्ताहिक राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा (डीएसएम) सप्ताह के अन्तिम दिन से दस दिवस के भीतर तैयार कर समस्त अंतर्राजीय इकाईयों को जारी करेगा तथा यदि आवश्यक हो तो बाद की किसी तिथि को पुनरीक्षित भी करेगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र, द्वारा विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा अधिनियम, "केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (डेवीएशन सेटलमेंट मैकेजिम एण्ड रिलेटेड मेटर्स) रेग्युलेशन, 2014" तथा इसमें अनुवर्ती जारी किये जाने वाले संशोधनों के अनुसार तैयार किया जाएगा । विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखों में व्यापक तौर पर निम्न जानकारी सम्मिलित होंगी :

(क) वर्तमान में प्रचलित विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि टैरिफ संरचना के ब्यौरे;

(ख) प्रत्येक राज्यान्तरिक इकाई के दिवसवार तथा कुल विचलन संव्यवहारों के विवरण (विवरण में सम्मिलित होंगे, अनुसूचित ऊर्जा, वास्तविक ऊर्जा, विचलन प्रभार (असमायोजित) तथा विचलन प्रभार (संमायोजित), परिसीमन राशि तथा अतिरिक्त विचलन प्रभार);

(ग) संक्षेपिका सारणी, जिसमें बाईं ओर समस्त भुगतान करने वाली इकाईयों की सूची (मय उनके द्वारा भुगतान किये जाने वाली शुद्ध राशि संबंधी जानकारी के) दर्शाई जाएंगी तथा दायीं ओर समस्त प्राप्तिकर्ता इकाईयों की सूची (मय उनके द्वारा प्राप्त की जाने वाली शुद्ध राशि संबंधी जानकारी के) दर्शाई जाएगी;

(घ) पारेषण के प्रतिबंधों तथा ग्रिड विक्षोभ के कारण विचलन के समय–खंडों के स्थगन के ब्यौरे;

(ङ.) अन्य कोई ब्यौरे, जिन्हें राज्य भार प्रेषण विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा को पूर्ण किये जाने हेतु उचित समझता हो ।

(5) मध्यप्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि संकोष लेखा में भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य विचलन की समन्वित विचलन राशि को पश्चिमी क्षेत्र ऊर्जा समिति (वेस्टर्न रीजन पावर कमेटी–डब्लू आर पी सी) द्वारा तैयार तथा प्रसारित किये गये साप्ताहिक क्षेत्रीय डी एस एम लेखा से प्राप्त किया जाएगा ।

(6) विचलन की गणना हेतु प्रत्येक क्रेता हेतु वास्तविक आहरण तथा अनुसूचित आहरण की तुलना की जाएगी । प्रत्येक क्रेता की विचलन ऊर्जा की गणना 15–मिनट आधार पर वास्तविक आहरण में से अनुसूचित आहरण को घटा कर की जाएगी । इसी प्रकार, प्रत्येक विक्रेता की विचलन ऊर्जा की गणना 15–मिनट आधार पर वास्तविक अन्तःक्षेप में से अनुसूचित अन्तःक्षेप घटाकर की जाएगी । विचलन ऊर्जा को तत्पश्चात विचलन प्रभार में परिवर्तन प्रत्येक समय–खण्ड की विचलन दर पर जो कि उक्त समय–खण्ड में औसत ग्रिड आवृत्ति (फिक्वेंसी) से तत्संबंधी है, से गुणा करते हुए किया जाएगा । सप्ताह के दौरान इसी प्रकार की गणना, समस्त समय–खण्डों हेतु भी की जाएगी । विचलन व्यवस्थापन नवीकरणीय ऊर्जा विद्युत उत्पादकों को लागू नहीं होगा, केवल उन्हें छोड़कर जो भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता द्वारा निर्दिष्ट के परिशिष्ट–1 के पैरा–5 तथा अनुवर्ती जारी किये गये संशोधनों के अंतर्गत नवीकरणीय विनियामक निधि क्रियाविधि प्रावधान के अन्तर्गत सम्मिलित हों।

(7) राज्य में सक्रिय ऊर्जा संव्यवहार हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(ए) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक विद्युत आहरण हेतु (+) भुगतान रकम;

(बी) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम विद्युत आहरण हेतु (-) प्राप्ति योग्य रकम;

(ग) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा कम विद्युत उत्पादन हेतु (+) भुगतान योग्य रकम ;

(घ) राज्यान्तरिक इकाई द्वारा अधिक विद्युत उत्पादन हेतु (-) प्राप्ति योग्य रकम ;

विद्युत के विचलन संबंधी उपरोक्त प्रभारों के अतिरिक्त, विचलन हेतु, अतिरिक्त प्रभार विद्युत के आधिक्य–अन्तःक्षेपण कम आहरण के लिए प्रत्येक ऐसे समय–खण्ड पर किसी विक्रेता/क्रेता द्वारा, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (डेविएशन सेटलमेंट मैकेनिज्म) विनियम, 2014 समय–समय पर यथासंशोधित के अनुसार ग्रिड आवृत्ति 50.10 हर्ट्ज तथा इससे अधिक हो, लागू होंगे ।

(8) किसी निर्दिष्ट दिवस हेतु, प्रत्येक राज्यान्तरिक इकाई द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य राशि तथा मध्यप्रदेश राज्य द्वारा क्षेत्रीय विचलन राशि (भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य) को कुल भुगतान–योग्य तथा कुल प्राप्ति–योग्य राशियों के औसत से मिलान किया जाएगा । किसी निर्दिष्ट सप्ताह हेतु, राज्यान्तरिक इकाई हेतु शुद्ध विचलन प्रभारों भुगतान–योग्य (+)/प्राप्ति–योग्य (–) राशि सप्ताह के समस्त दिवसों हेतु मिलान किये गये विचलन प्रभार्य भुगतान–योग्य (+)/प्राप्ति–योग्य (–) का अंकगणितीय योग होगा । राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों का असंतुलन व्यवस्थापन राज्य भार प्रेषण केन्द्र, द्वारा परिशिष्ट के अनुसार किया जाएगा।

(9) किसी राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों से प्राप्त की गई अस्थाई ऊर्जा को विचलन के रूप में लेखांकित किया जाएगा तथा इसका भुगतान राज्य विचलन व्यवस्थापन (डी एस एम) से क्रियाविधि कोष लेखा से प्रयोज्य आवृत्ति से संबद्ध दर के अनुसार, मध्यप्रदेश ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड के जल विद्युत स्टेशनों को छोड़कर, किया जाएगा । इसके अतिरिक्त ग्रिड से कमीशन की स्थिति के अधीन उत्पादन इकाई द्वारा आहरित प्रारंभ करने हेतु ऊर्जा, केन्द्रीय विद्युत विनियमाक आयोग से अनुमोदित प्रक्रियां के जारी प पत्र क्रमांक एल 1/(93)/2009/केन्द्रीय विनियामक आयोग, दिनांक 12.08.2014 तथा समय–समय पर उसके संशोधनों के अनुसार विचलन क्रियाविधि के रूप में व्यवस्थापित किए जाएंगे ।

(10) अन्तर्राज्यीय खुली पहुंच क्रेताओं की असंतुलित मात्राएं (यदि वे विद्यमान हों), जो कि राज्य प्रणाली में आरोपित हैं, का व्यवस्थापन केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (अन्तर्राज्यीय पारेषण में खुली पहुंच)

क्रियाविधि–विनियम, 2008 तथा उसके संशोधनों में विनिर्दिष्ट की गई क्रियाविधि के अनुसार किया जाएगा । जब तक कि आयोग राज्यान्तरिक खुली पहुंच क्रेताओं हेतु (यदि वे विद्यमान हों) असंतुलन की मात्राओं के व्यवस्थापन के विवरण विनिर्दिष्ट नहीं कर देता है, राज्यान्तरिक इकाई हेतु, विचलन दर क्षेत्रीय इकाई की सीमा पर विचलन दर का 105 प्रतिशत (विद्युत के अधिक आहरण अथवा कम उत्पादन हेतु) तथा 95 प्रतिशत (विद्युत के कम आहरण तथा अधिक उत्पादन हेतु) होगी ।

(11) विचलन प्रभारों का व्यवस्थापन, राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालित किये जाने वाले राज्य डी एस एम संकोष लेखा के माध्यम से किया जाएगा । राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (जिसकी शाखा कार्यालय जबलपुर में हो) के साथ एक पृथक बैंक खाता खोला तथा संधारित किया जाएगा ।

(12) विचलन प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को दर्शाई गई राशि का भुगतान राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा विवरण–पत्र जारी होने के दस दिवस के भीतर राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा संचालित किये जाने वाले राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि संकोष लेखा में करना होगा । वह इकाई जिसे विचलन प्रभारों से संबंधित भुगतान प्राप्त करना हो, उसे तत्पश्चात यह भुगतान "राज्य विचलन संकोष लेखा" में भुगतान प्राप्त होने की तिथि से दो कार्य दिवस के भीतर "राज्य विचलन कोष लेखा निधि" से किया जाएगा। विचलन तथा अतिरिक्त प्रभारों हेतु प्रभारों के मुख्य घटक हेतु पृथक लेखा पुस्तकें संधारित की जाएंगी।

(13) यदि विचलन प्रभारों के विरूद्ध भुगतानों में दो दिवस से अधिक का विलंब होता हो, अर्थात् राज्य विचलन लेखा जारी होने से बारह दिवस से अधिक का, तो व्यतिक्रमी इकाईयों को 0.04 प्रतिशत के साधारण ब्याज प्रति दिवस की दर से विलंब हेतु भुगतान करना होगा। इस प्रकार एकत्रित की गई ब्याज राशि का संदाय उन इकाईयों को किया जाएगा, जिनके द्वारा यह राशि प्राप्त की जानी थी तथा जिनके भुगतान के संबंध में विलंब हो चुका हो।

(14) समस्त राज्यान्तरिक इकाईयां जिनके द्वारा किसी पूर्व तिमाही के दौरान किसी भी समय विचलन से संबंधित प्रभारों के भुगतान में चूक की गई हो, जिनमें इन विनियमों के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट समय सीमा के अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार भी सम्मिलित है, को एक साख पत्र खाता खोलना अनिवार्य होगा, जिसकी राशि वर्ष की पूर्व तिमाही में विचलन हेतु औसत भुगतान योग्य सप्ताहिक देयता के 110 प्रतिशत के बराबर होगी। यह खाता राज्य भार प्रेषण केन्द्र, द्वारा संधारित किये जाने वाले कोष लेखा के पक्ष में, जबलपुर शाखा कार्यालय स्थित किसी राष्ट्रीयकृत/अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में खोला जाएगा।

परन्तु,—

(एक) यदि कोई राज्यान्तरिक इकाई विचलन से संबंधित प्रभारों, जिसमें विचलन से संबंधित अतिरिक्त प्रभार सम्मिलित हैं, का भुगतान वर्ष के दौरान चालू तिमाही के दौरान इन विनियमों में विनिर्दिष्ट किए गए समय में करने में चूक करती है, तो ऐसे में उसे यथास्थिति (इकाई को) मध्यप्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड या राज्य भार प्रेषण केन्द्र के पक्ष में कोष लेखा एक साख पत्र साप्ताहिक बकाया देयता के 110 प्रतिशत के बराबर खोलना अनिवार्य होगा।

(दो) यदि साख पत्र की राशि पूर्व साख पत्र राशि से 50 प्रतिशत से अधिक हो जाए तो साख पत्र की राशि को त्रैमास के दौरान किसी भी सप्ताह के दौरान भुगतान–योग्य साप्ताहिक देयता के 110 प्रतिशत के बराबर बढ़ा दिया जाएगा।
उदाहरण यदि किसी राज्यान्तरिक इकाई की विचलन बाबत औसत भुगतान–योग्य साप्ताहिक देयता वर्ष 2009–10 के दौरान रू. 20 करोड़ हो तो राज्यान्तरिक इकाई को वर्ष 2010–11 में रू. 22 करोड़ का एक साख पत्र खाता खोलना होगा। यदि वर्ष 2010–11 के दौरान साप्ताहिक भुगतान देयता रू. 35 करोड़ हो, जो वर्ष के पिछले त्रैमास के दौरान रू. 30 करोड़ की औसत भुगतान साप्ताहिक देयता से अधिक हो, तो संबंधित राज्यान्तरिक इकाई साख पत्र की राशि में रू. 16.5 करोड़ जोड़कर, इसे रू. 38.5 करोड़ (1.1* रू. 35.0) तक बढ़ा देगी।

(तीन) "राज्य विचलन कोष लेखा निधि" में, विचलनों के प्रभारों के भुगतान में, विवरण पत्र जारी होने की तिथि से बारह दिवस के भीतर भुगतान करने में चूक किये जाने की दशा में, राज्य भार प्रेषण केन्द्र को चूक की सीमा के अन्तर्गत संबंधित इकाई का साखपत्र भुनाने का अधिकार होगा तथा संबंधित इकाई को साख पत्र की राशि को तीन दिवस के भीतर प्रतिपूर्ति करनी होगी।

राज्य प्रबाधी लेखा (एस आर ए)

(15) राज्य भार प्रेषण केन्द्र, समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग ग्रिड संहिता की अर्हताओं का प्रतिपालन करते हुए, के पश्चात बाद की तारीख में साप्ताहिक राज्य प्रबाधी लेखा सप्ताह के अन्तिम दिवस से दसवें दिवस के भीतर अथवा पश्चिमी क्षेत्र भार प्रेषण केंन्द्र वैबसाईट में राज्य प्रबाधी प्रभारों की राशि की उपलब्धता तैयार करेगा तथा इसे जारी करेगा। राज्य भार प्रेषण केन्द्र समय–समय पर, जब कभी अपेक्षित हो, एस आर ए पुनरीक्षित करेगा । राज्य प्रबाधी लेखे में व्यापक रूप से निम्नलिखित जानकारी सम्मिलित की जाएगी :-

(क) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान दिवसवार शुद्ध प्रबाधी ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण के विवरण;

(ख) प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु न्यून वोल्टेज (<97%) तथा उच्च वोल्टेज (>103%) के दौरान साप्ताहिक कुल शुद्ध प्रबाधी ऊर्जा अन्तःक्षेपण/आहरण की संक्षेपिका;

(ग) विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान–योग्य/प्राप्ति–योग्य प्रबाधी प्रभारों की संक्षेपिका (टीपः प्रबाधी ऊर्जा की दर भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तथा अनुवर्ती संशोधन के अनुसार ली जाएगी); तथा

(घ) अन्य कोई ब्यौरे, जो राज्य भार प्रेषण केन्द्र राज्य प्रबाधीलेखा को संपूर्ण किये जाने के संबंध में आवश्यक समझे ।

(16) राज्य में प्रबाधी ऊर्जा संव्यवहारों हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे :

(क) वोल्टेज 97% से कम होने पर, आहरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (+) भुगतान योग्य रकम ;

(ख) वोल्टेज 97% से कम होने पर, अन्तःक्षेपण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (-) प्राप्ति योग्य रकम ;

(ग) वोल्टेज 103% से अधिक होने पर, अन्तःक्षेपण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (-) भुगतान योग्य रकम ;

(घ) वोल्टेज 103% से अधिक होने पर, आहरण हेतु विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा (-) प्राप्ति योग्य रकम ;

(17) उपरोक्त में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसी दशा में जब ग्रिड की सुरक्षा अथवा किसी उपकरण का बचाव संकटापन्न हो, राज्य भार प्रेषण केन्द्र किसी विद्युत वितरण कम्पनी को उसके प्रबाधी आहरण/अन्तःक्षेपण में कटौती किये जाने हेतु निर्देश प्रसारित कर सकेगा । समस्त राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतंत्र विद्युत उत्पादक/खुली पहुंच विद्युत उत्पादक (ओ ए जी एस), राज्य भार प्रेषण केन्द्र के दिशा–निर्देशों के अनुरूप तत्संबंधी विद्युत उत्पादक इकाईयों की क्षमता सीमाओं के अन्तर्गत प्रबाधी ऊर्जा का उत्पादन अन्तर्लीन करेंगे, जो तत्समय में वांछित सक्रिय विद्युत उत्पादन के त्याग के मूल्य पर कदापि न होंगी। राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक/खुली पहुंच विद्युत उत्पादक को (ओ ए जी एस) को ऐसे मूल्य वर्धित अनुपात (वी ए आर)

उत्पादन/अन्तर्लयन हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जाएगा । इसी प्रकार, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन पहुंच विद्युत उत्पादक/स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक/खुली पहुंच विद्युत उत्पादक (ओ ए जी एस) को भी ऐसे (वी ए आर) उत्पादन/अन्तर्लयन हेतु किसी प्रकार का भुगतान नहीं करना होगा ।

(18) प्रबाधी ऊर्जा का व्यवस्थापन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा :

नामपद्धति/(पारिभाषिक शब्दावली):

आर आर सी : मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+)/प्राप्ति–योग्य (–) कुल क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार तथा राज्यान्तारित द्विपक्षीय प्रबाधी प्रभार होंगे ।

एस आर सी पीः विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा भुगतान–योग्य (+) कुल राज्य प्रबाधी प्रभार होंगे ।

एस आर सी आरः विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) कुल राज्य प्रबाधी प्रभार होंगे ।

आर आर एः राज्य प्रबाधी लेखा में उपलब्ध प्रबाधी आरक्षित रकम होगी (अर्थात्, बचत की अवशेष रकम, जो पूर्व के समस्त प्रबाधी संव्यवहारों के व्यवस्थापन के पश्चात् उपलब्ध होगी) ।

(क) प्रकरण–प्रथम : यदि क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार, मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+) हैं तथा क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य से कम हैः शेष राशि को प्रबाधी संचिति राशि के रूप में, क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार तथा राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य के भुगतान के पश्चात्, रखा जाएगा।

(ख) प्रकरण–द्वितीय : यदि क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा भुगतान–योग्य (+) हैं तथा क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य से अधिक हैः बचत रकम, यदि कोई हो, जो प्रबाधी संचिति रकम के रूप में, उपलब्ध हो, को वापस आहरित किया जाएगा ताकि इसका मिलान क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य, तथा राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य से किया जा सके। यदि कोई संचिति अर्थात् 'आपूर्ति' रिजर्व उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अपर्याप्त हो तो राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य तथा राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान–योग्य तथा कुल प्राप्ति–योग्य राशियों से मेल खाये।

(ग) प्रकरण–तृतीय : यदि क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) है तथा क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य से कम हैः तो ऐसी दशा में कुल राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य के भुगतान के पश्चात् शेष रकम को प्रबाधी संचित रकम (आरआरए) के रूप में रखा जाएगा।

(घ) प्रकरण–चतुर्थ : यदि क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार मध्यप्रदेश राज्य द्वारा प्राप्ति–योग्य (–) हैं तथा क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार, प्राप्ति–योग्य, राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य से अधिक हैः बचत रकम, यदि कोई हो, जो संचित (आरआरए) रूप में उपलब्ध हो, को वापस आहरित किया जाएगा ताकि इसका मिलान क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार + राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य, तथा राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य से किया जा सके। यदि कोई संचित उपलब्ध न हो अथवा यदि यह घाटे की आपूर्ति हेतु अप्रर्याप्त हो तो ऐसी दशा में राज्य प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य तथा राज्य प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य को समुचित रूप से कम किया जाएगा ताकि वह कुल भुगतान–योग्य तथा प्राप्ति–योग्य से मेल खाये।

(ङ) प्रकरण–पंचम : यदि राज्य प्रबाधी प्रभार वितरण कंपनियों द्वारा प्राप्ति–योग्य हों तथा कोई भी क्षेत्रीय प्रबाधी प्रभार प्राप्ति–योग्य न हों तथा संचित (आरआरए) में कोई शेष राशि

उपलब्ध न हो तो ऐसी दशा में वितरण कंपनियों को कोई भी प्रबाधी प्रभार भुगतान–योग्य न होंगे।

(19) प्रबाधी प्रभारों के भुगतान को उच्च प्राथमिकता प्रदान की जाएगी तथा संबंधित इकाई को दर्शाई गई राशि का भुगतान एमपीपीएमसीएल द्वारा संचालित राज्य प्रबाधी खाते के अन्तर्गत राज्य प्रबाधी लेखा विवरण–पत्र जारी होने के दस दिवस के भीतर करना होगा । वह इकाई, जिसे प्रबाधी प्रभारों से संबंधित भुगतान प्राप्त करना है, को तदनुसार भुगतान राज्य प्रबाधी लेखा में से दो कार्यकारी दिवसों के भीतर किया जाएगा ।

(20) यदि प्रबाधी प्रभार के विरूद्ध भुगतान में दो दिवस से अधिक का विलंब होता हो अर्थात् राज्य प्रबाधी लेखा विवरण–पत्र जारी होने से बारह दिवस से अधिक का, तो ऐसी दशा में चूककर्ता इकाईयों को 0.04 प्रतिशत के साधारण ब्याज प्रति दिवस विलंब हेतु भुगतान करना होगा । इस प्रकार एकत्रित की गई ब्याज राशि का भुगतान उन इकाईयों को किया जाएगा, जिनके द्वारा यह रकम प्राप्त की जानी थी तथा जिनके भुगतान के संबंध में विलंब किया गया था ।

8. विचलन प्रभारों के असंतुलित व्यवस्थापन की प्रक्रिया :

इस संहिता के उपबंधों के अनुरूप राज्यान्तरिक इकाईयों हेतु विचलन प्रभारों के असंतुलित व्यवस्थापन का उदाहरण परिशिष्ट में दर्शाया गया है ।

9. आंकडा अभिलेखों की अपेक्षाएं:

(1) समस्त इकाईयों द्वारा समस्त अभिलेख/जानकारी/आंकड़े निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट की गई समयावधि हेतु उचित रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे । ये अभिलेख किसी भी समय मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अथवा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा नियुक्त किये गये किसी स्वतंत्र लेखा–परीक्षण अभिकरण (एजेन्सी) द्वारा अंकेक्षण के प्रयोजन हेतु सुगमता से पुनः अधिष्ठापित किये जाने के सुयोग्य रखे जायेंगे :

अनु. क्रमांक	अभिलेख/सूचना /आंकड़े	प्रकार तथा उसकी कालावधि	उत्तरदायित्व
1.	राज्यान्तरिक इकाईयों द्वारा लघु–अवधि खुली पहुंच तथा संबद्ध संविदाएं/अनुबन्ध	इलेक्ट्रानिक –2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
2.	समस्त राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों /स्वतन्त्र विद्युत उत्पादकों/ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों की घोषित क्षमता तथा समस्त अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशनों में स्वत्वाधिकार (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक –2 वर्ष पत्रों पर– 12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र
3.	प्रत्येक वितरण कम्पनी की मांग, स्वत्वाधिकार तथा मांग पत्र (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक 2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी)
4.	लघु अवधि खुली पहुंच संव्यवहार द्विपक्षीय संव्यवहार (प्रत्यक्ष तथा व्यापारियों के माध्यम से) तथा विद्युत विनिमय केन्द्रों के माध्यम से सामूहिक संव्यवहार	इलेक्ट्रानिक –2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र वितरण नियन्त्रण केन्द्र (डीसीसी)
5.	अन्तर्राज्यीय उत्पादक स्टेशन, विक्रेता, क्रेता की अनुसूचियां (समस्त पुनरीक्षणों सहित)	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र उत्पादन नियन्त्रण केन्द्र, वितरण नियंत्रण केन्द्र
6.	राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन,	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष	राज्य भार प्रेषण केन्द्र

	विक्रेता, क्रेता के अन्तर्मुखों से उपलब्धता आधारित टैरिफ (एबीटी) मापयन्त्र आंकड़े, 15–मिनट के समय–खण्ड में		
7.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र के राज्यान्तरिक इकाईयों को दिशा–निर्देशों के विवरण	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष	राज्य भार प्रेषण केन्द्र का
8.	राज्य भार प्रेषण केन्द्र को राज्यान्तरिक इकाईयों के अनुरोध संबंधी विवरण	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र
9.	परिचालन, वाणिज्यिक वितरण नियंत्रण केन्द्र अथवा विपणन अंकेक्षण के प्रयोजन से अन्य कोई जानकारी, जो आवश्यक समझी जाए	इलेक्ट्रानिक – 2 वर्ष पत्रों पर–12 माह	राज्य भार प्रेषण केन्द्र , वितरण नियंत्रण केन्द्र, उत्पादन नियंत्रण केन्द्र

10. विपणन अंकेक्षण हेतु स्थायी समिति :–

(1) आयोग, विपणन संव्यवहारों की स्वतंत्र समीक्षा व अंकेक्षण हेतु तथा राज्यान्तरिक इकाईयां जिन्हें संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता लागू होती हो, के आचरण पर निगरानी हेतु एक स्थाई समिति की नियुक्ति कर सकेगा। इस समिति में निम्न सदस्य होंगे:

(क) राज्य भार प्रेषण केन्द्र से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता से कम श्रेणी का नहीं होगा) स्थायी समिति का अध्यक्ष होगा;

(ख) राज्य पारेषण इकाई से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता से कम श्रेणी का नहीं होगा); एवं

(ग) मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से एक प्रतिनिधि (जो न्यूनतम मुख्य अभियंता या समकक्ष श्रेणी से कम का नहीं होगा);

(घ) मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड से एक प्रतिनिधि (जो मुख्य अभियंता या समकक्ष श्रेणी से कम का नहीं होगा);

(ड़) तीन विद्युत वितरण कम्पनियों से एक प्रतिनिधि प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी से चक्रानुक्रम अनुसार एक वर्ष की अवधि हेतु, (जो न्यूनतम मुख्य अभियन्ता या समकक्ष श्रेणी से कम नहीं होगा);

(च) नेशनल हाईड्रो डवलपमेंट कारपोरेशन, स्वतन्त्र विद्युत उत्पादक (जिनकी स्थापित क्षमता 250 मेगावाट तथा इससे अधिक हो) तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों (जिनकी स्थापित क्षमता एकल स्थान पर 50 मेगावाट या इससे अधिक हो) से एक प्रतिनिधि एक वर्ष के लिये चक्रानुक्रम अनुसार; तथा

(छ) राष्ट्रीय भार प्रेषण केन्द्र /विद्युत वितरण कम्पनी,मध्यप्रदेश पॉवर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड/मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड / राज्य पारेषण इकाई से एक प्रमाणित ऊर्जा अंकेक्षक जिसे स्थाई समिति द्वारा समिति को ऊर्जा अंकेक्षण प्रतिवेदन को तैयार करने हेतु नामांकित किया जाएगा।

(2) अंकेक्षण वर्ष में दो बार किया जाएगा तथा समिति आयोग को अंकेक्षण कार्य प्रारंभ किये जाने से साठ दिवस के भीतर अंकेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

(3) समिति, आयोग को परिवर्धन तथा सुझावों (यदि कोई हों)की अनुशंसा करेगी। आयोग, तद्नुसार आवश्यकता पड़ने पर, संबंधित धारा अथवा आदेश अथवा प्रक्रिया को संशोधित तथा अधिसूचित कर सकेगा।

11 **संहिता की प्रयोज्यता**

यह संहिता राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशनों, स्वतंत्र ऊर्जा उत्पादकों, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों विद्युत वितरण कम्पनियों तथा अन्तर्राज्यीय /राज्यान्तरिक खुली पहुंच इकाईयों को इसके लागू होने की तिथि से प्रयोज्य होगी तथा यह ऐसे अन्य विद्युत उत्पादकों/इकाईयों को भी ऐसी तिथि से, जैसा कि आयोग द्वारा इसे पृथक से अधिसूचना के माध्यम से जारी किया जाए, लागू होगी।

12. **कठिनाइयां दूर करने की शक्तियां**

(1) इस संहिता के उपबन्धों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर आयोग, किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से किसी भी इकाई को उचित कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित कर सकेगा जो कि अधिनियम के उपबन्धों के असंगत नही होंगी जो आयोग को कठिनाईयों को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो ।

(2) इस संहिता के लागू किये जाने पर उत्पन्न होने वाली कठिनाईयां दूर किये जाने हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र, राज्य पारेषण इकाई और/या राज्यान्तरिक इकाईयों में से कोई भी इकाई आयोग को आवेदन प्रस्तुत कर उचित आदेश पारित किये जाने हेतु भी निवेदन कर सकेंगे।

13. **संशोधन की शक्ति –**

आयोग किसी भी समय आवश्यक प्रक्रिया का पालन करते हुए, इस संहिता के किन्हीं उपबंधों में परिवर्धन, परिवर्तन, सुधार, उपांतरण या संशोधन कर सकेगा।

14. **व्यावृत्ति**

(1) संहिता अर्थात् "मध्यप्रदेश विद्युत संतुलन तथा व्यवस्थापन संहिता, 2009 (जी–34, सन् 2009)" अधिसूचित दिनांक 23 अक्टूबर, 2009 तथा समस्त संशोधनों के साथ सहपठित है, जैसा कि वह संहिता की विषयवस्तु के साथ प्रयोज्य है, एतद्द्वारा अतिष्ठित की जाती है ।

(2) इस संहिता में की कोई भी बात, आयोग को अन्तर्निहित शक्तियों को ऐसे आदेश जो न्यायहित में या आयोग की प्रक्रियाओं में दोष रोकने के लिये जारी करना आवश्यक है, सीमित या अन्यथा प्रभावित नहीं करेगी ।

(3) इस संहिता में की कोई भी बात, आयोग को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप किसी विषय या विषयों के वर्ग की विशिष्ट परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, लिखित कारणों सहित यदि आयोग आवश्यक व उचित समझे तो ऐसी प्रक्रिया अपनाने में नही रोकेगा जो इन संहिता के किन्हीं प्रावधानों से अन्यथा हो ।

(4) इस संहिता में की कोई भी बात, अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से आयोग को, किसी विषय या अधिनियम के अधीन किन्ही शक्तियों के प्रयोग से वर्जित नहीं करेगी जिसके लिए कोई विनियम या संहिता नहीं बनाई गई हो तथा आयोग ऐसे विषयों, अधिकारों, शक्तियों तथा कृत्यों उसी प्रकार से, जैसा वह उचित समझे, कार्यवाही कर सकेगा ।

परिशिष्ट

राज्यान्तरिक इकाईयों के विचलन प्रभारों पर असंतुलन व्यवस्थापन संबंधी प्रक्रिया

विचलन व्यवस्थापन लेखा का कोष सन्तुलन दो चरणों में किया जाएगा ; प्रथम चरण में कोष सन्तुलन समस्त राज्यान्तरिक इकाईयों (दीर्घ–अवधि के अन्तर्गत) के संबंध में किया जाएगा जिनमें खुली पहुंच क्रेताओं को सम्मिलित नहीं किया जाएगा, जबकि द्वितीय चरण खुली पहुंच क्रेताओं को सम्मिलित किया जाएगा। द्वितीय चरण में खुली पहुंच क्रेताओं को सम्मिलित करने का उद्देश्य यह है कि खुली पहुंच क्रेताओं की समायोजन राशि नाम मात्र की होती है, भले ही मध्यप्रदेश राज्य द्वारा देय/प्राप्य क्षेत्रीय विचलन की राशि वृहद क्यों न हो।

चरण प्रथम

राज्य कोष के प्रत्येक सहभागी द्वारा देय/प्राप्य खण्डवार विचलन प्रभारों की गणना सप्ताह/माह के अन्त में की जाती है। मध्यप्रदेश राज्य द्वारा देय/प्राप्य दिवसवार क्षेत्रीय विचलन समायोजन की राशि को पश्चिमी क्षेत्र पावर समिति द्वारा तैयार किये गये क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि लेखा से प्राप्त किया जाता है।

राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा (सप्ताह/माह के किसी प्रदत्त दिवस के लिये)

सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी2	3000	डी 1	4500
डी3	2000	एसएसजीएस3	3500
एसएसजीएस1	3500	क्षेत्रीय डीएसएमराशि	3000
एसएसजीएस2	1500		
कुल देयक	**10000**	**कुल प्राप्य**	**11000**

जहां,
डी 1, डी 2, डी 3 विद्युत वितरण कम्पनियां हैं, राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 1, राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 2, तथा राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 3, राज्य क्षेत्र उत्पादक स्टेशन हैं। क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि रकम मध्यप्रदेश राज्य द्वारा देय/प्राप्य विचलन रकम है।

इस प्रकार राज्य विचलन कोष को/से देय/प्राप्य रकम का किसी प्रदत्त दिवस हेतु मिलान नहीं हो रहा है। अतएव इनके मिलान हेतु, "कुल देय राशि" तथा "कुल प्राप्य राशि" के औसत को आधार मानकर देय/प्राप्य रकमों का औसत से मिलान किया जाता है।

विवरण	कुल देय रकम	कुल प्राप्य रकम
कुल रकम	10000	11000
"कुल देय रकम" तथा "कुल प्राप्य रकम" का औसत	10500/–	
समायोजन अनुपात # एआरपी 1 (= औसत/कुल देय रकम)	1.05	
समायोजन अनुपात # एआरपी। (= औसत/कुल देय राशि)	0.954545	

प्रथम प्रक्रम समायोजन

सहभागियों द्वारा देय रकम – प्रथम समायोजन

सहभागीगण	मूल देय रकम	समायोजन अनुपात एआरपी1	समायोजित देय रकम
डी 2	3000	1.05	3150
डी 3	2000	1.05	2100
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 1	3500	1.05	3675
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 2	1500	1.05	1575
कुल देय	**10000**		**10500**

सहभागियों द्वारा प्राप्य राशि – प्रथम समायोजन			
सहभागीगण	**मूल देयक**	**समायोजन अनुपात**	**समायोजित देयक**
डी 1	4500	0.954545	4295
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 3	3500	0.954545	3341
क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि रकम	3000	0.954545	2864
कुल प्राप्तियां	**11000**		**10500**

चूंकि क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि राशि का भुगतान बिना किसी समायोजन के किया जाना चाहिए, अतएव "वास्तविक क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि राशि तथा समायोजित विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि राशि" की वसूली शेष बचे हुए सहभागियों से उनकी मूल राशियों के अनुपात में की जानी चाहिए ।

समायोजित क्षेत्रीय डीएसएम रकम तथा वास्तविक क्षेत्रीय डीएसएम रकम का अन्तर	=2864-3000=-136
मूल कुल प्राप्य रकम, वास्तविक क्षेत्रीय विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि रकम को छोड़कर	=11000-3000=8000
समायोजित अनुपात प्राप्तियों हेतु	=-136/8000=-0.017046

सहभागीगण	मूल प्राप्तियां	समायोजन अनुपात	समायोजित प्राप्तियां
डी1	4500	–0.017046	–77
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 3	3500	–0.017046	–60
कुल प्राप्तियां	**8000**	–	**–136**

सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम (किसी सप्ताह के प्रदत्त दिवस हेतु) – अन्तिम

सहभागीगण	प्रथम समायोजन उपरान्त रकम	द्वितीय समायोजन रकम	योग (अन्तिम) समायोजित रकम
डी1	4295	–77	4219
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 3	3341	–60	3281
क्षेत्रीय डीएसएम रकम	3000	0	3000
कुल प्राप्य रकम	**10636**	**–136**	**10500**

अन्तिम सन्तुलित राज्य विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा

सहभागियों द्वारा देय रकम		सहभागियों द्वारा प्राप्य रकम	
सहभागीगण	रूपये	सहभागीगण	रूपये
डी2	3150	डी1	4219
डी3	2100	एसएसजीएस 3	3281
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 1	3675	क्षेत्रीय डीएसएम रकम	3000
राज्य क्षेत्रीय उत्पादन केन्द्र 2	1575		
कुल देयक	**10500**	**कुल प्राप्तियां**	**10500**

चरण द्वितीय

प्रक्रम प्रथम तथा द्वितीय

प्रथम चरण मे सन्तुलित विचलन व्यवस्थापन क्रियाविधि कोष लेखा प्राप्त किये जाने के उपरान्त, खुली पहुंच उत्पादकों /खुली पहुंच क्रेताओं (लघु–अवधि के अन्तर्गत) को सम्मिलित किया जाता है तथा प्रथम चरण की क्रियाविधि को सन्तुलित डी एस एम कोष लेखे की प्राप्ति हेतु उपयोग में लाया जाता है ।

मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग
के आदेशानुसार

शैलेन्द्र सक्सेना, आयोग सचिव

Notification

Bhopal, dated 18.09/2015

No. 1709/MPERC/2015. In exercise of the powers conferred by Section 181 read with sub- clause (i) of clause (d) of sub-section (2) of section 39, sub-clause (i) of clause (c) of section 40, section 66,and clause (i) of sub-section (2) and clause (c) of sub-section (1) of section 86 of the Electricity Act 2003 (No. 36 of 2003), the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission, hereby, makes the following Code, namely:-

MADHYA PRADESH ELECTRICITY BALANCING AND SETTLEMENT CODE, 2015

1. **Preamble :-** The National Electricity Policy (NEP) envisages implementation of the Availability Based Tariff (ABT) at State level to establish a credible settlement mechanism for Intra-day power transfers among Intra-State Entities. As per the Tariff Policy, this framework should be extended to Generating Stations (including Grid connected Captive Plants of capacities as determined by the State Electricity Regulatory Commission). This Code has been specified to give effect to the intentions of Section 5.7.1(b) and (d) of the National Electricity Policy as well as section 6.2(1) and 6.3 of the Tariff Policy. Central Electricity Regulatory Commission has notified Deviation Settlement Mechanism and Related Matters Regulations, 2014 and Central Electricity Regulatory Commission (UL charges and related matters), Regulations, 2009 have been repealed. In view of the aforesaid, the Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2015 are notified.

2. **Short title, extent of application and commencement**

(1) These Codes may be called the "Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2015." [RG-34(I) of 2015]

(2) This Code shall apply within the geographical area of the State of Madhya Pradesh and shall apply to all Inter / Intra-State Entities in Madhya Pradesh in a manner as specified in this Code.

(3) This Code shall come into force from the first day of the month proceeding the month of publication in the Official Gazette of Madhya Pradesh.

3. Definitions :- In this Code, unless the context otherwise requires:

(a) "Act" means the Electricity Act, 2003 (36 of 2003);

(b) "Buyer" means a person, including beneficiary, purchasing electricity through a

transaction scheduled in accordance with the regulations applicable for short-term open access, medium-term open access and long-term open access;

(c) "CERC" means the Central Electricity Regulatory Commission referred to in section 76 of the Act;

(d) "CMRI" means Common Meter Reading Instrument used for downloading and storage of data from electronic energy meters of multiple make;

(e) "Commission" means the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (MPERC) constituted under Section 82 of the Act;

(f) "Day" means a continuous period starting at 00.00 hours and ending at 24.00 hours;

(g) "Despatch Schedule" means the ex-Power Plant net Mega Watt and Mega Watt Hour output of a Generating Station, Scheduled to be exported to the Grid from time to time;

(h) "Detailed Procedure" means the detailed operating procedure issued by the State Load Desptach Centre under this code;

(i) "Deviation" in a time-block for a seller means its total actual injection minus its total scheduled generation and for a buyer means its total actual drawal minus its total scheduled drawal;

(j) "Deviation Charges" means the charges computed as per the rates corresponding to average Frequency of the grid in a 15-minute time block as specified by the Central Electricity Regulatory Commission from time to time;

(k) "Deviation Settlement Mechanism Regulations" means Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 including any subsequent amendments thereof;

(l) "Discom Control Centre (DCC)" means the Control Room established at each Discom Headquarters with necessary Infrastructure and Human Resources for implementation of this Code (DCC shall be built, owned, operated and maintained by respective Discom);

(m) "Discom Energy Accounting Group (DEAG)" means the group to be formed by each Discom (at DCC) which would be responsible for implementation of this Code in coordination with State Load Despatch Centre (wherever required);

(n) "Distribution Licensee or Discom" means a Licensee authorized to operate and maintain a Distribution System for supplying electricity to the consumers in his area of supply;

(o) "Drawal Schedule" means the ex-Power Plant, Mega Watt that a Discom or an Open Access Customer is Scheduled to receive from an Electricity Generating Station, including Bilateral and Collective transactions from time to time;

(p). "Energy Accounting Group (EAG)" means the group to be formed at the State Load Despatch Centre which would be responsible for implementation of this Code;

(q). "Entitlement" means share of a Discom or an Open Access Customer (in Mega Watt and Mega Watt Hour) in the installed Capacity/output Capability of an Electricity Generating Station;

(r) "Ex-Power Plant" means net Mega Watt / Mega Watt hour output of an Electricity Generating Station, after deducting Auxiliary consumption and Transformation losses;

(s) "Generator Control Centre (GCC)" means the control room established at Headquarters of the generating company with necessary Infrastructure and Human Resources for implementation of this Code (GCC shall be built, owned, operated and maintained by Madhya Pradesh Power Generating Company Limited);

(t) "Grid" means the high Voltage backbone system of inter-connected Transmission lines,Sub-Stations and Generating plants;

(u) "Independent Power Producer (IPP)" means an Electricity generating company not owned or controlled by the Central / State Government;

(v). "Indian Electricity Grid Code (IEGC)" means the Grid Code specified by the Central Electricity Regulatory Commission under Clause (h) of Sub-section(1) of Section 79 of the Act;

(w) "Inter-State Generating Station (ISGS)" means a Central/other Electricity Generating Station in which two or more States have shares and whose Scheduling is to be coordinated by the Regional Load Despatch Centre (RLDC);

(x) "Intra-State Entity" means a person whose metering is done by the State Transmission Utility or the Distribution Licensee, as the case may be and the energy accounting is done by the State Load Despatch Centre or by any other authorized State Agency.

(y) "Madhya Pradesh Electricity Grid Code (MPEGC)" means the Grid Code specified by the MPERC under Clause (h) of sub-section(1) of Section 86 of the Act;

(z). "Month" means a Calendar month as per the British Calendar;

(z-a) "MPPMCL" means Madhya Pradesh Power Management Company Ltd. notified by the Government of Madhya Pradesh on 29th June' 2012;

(z-b) "Net Drawal Schedule" means the Drawal Schedule of a Discom or an Open Access Customer after deducting the apportioned Transmission Losses (estimated);

(z-c) "Open Access Customer" means a person who has availed or intends to avail of Open Access under Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations 2008 as amended and Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for intra state open access in Madhya Pradesh) Regulations, 2005 and amendments thereof or a Generating Company (including Captive Generating Plant) or a licensee or a Consumer permitted by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission to receive supply of electricity from a person other than Distribution Licensee of his area of supply, or a State Government Entity authorized to sell or purchase electricity;

(z-d) "Seller" means a person, including an Electricity generating station, supplying electricity through a transaction schedule in accordance with the regulations applicable for short-term open access, medium-term open access and long-term open access;

(z-e) "State Load Despatch Centre (SLDC)" means the Centre established under Sub-section(1) of Section 31 of the Act;

(z-f) "State" means the State of Madhya Pradesh;

(z-g) "State Energy Account (SEA)" means monthly State Energy Account prepared by State Load Despatch Centre for the billing and settlement of Capacity charges, Energy charges and incentives, if any, applicable;

(z-h) "State Reactive Account (SRA)" means weekly State Reactive Energy Account prepared by State Load Despatch Centre for the billing and settlement of Reactive Energy Charges;

(z-i). "State Deviation Settlement Mechanism Account (SDSMA)" means weekly State Deviation Settlement Mechanism Account prepared by State Load Despatch Centre for the billing and settlement of Deviation charges;

(z-j) "State Sector Generating Station (SSGS)" means any Electricity Generating Station within the State including pench hydro power station (operated by Madhya Pradesh Power Generating Company Limited), except Inter-State Generating Stations (ISGS) and Independent Power producer generating stations (IPPs) / Captive Power Producer (CPP) located within the State of MP in which state has its share;

(z-k) "State Transmission Utility (STU)" means the Board or the Government Company specified as such by the State Government under Sub-section(1) of Section 39 of the Act;

(z-l) "Time Block" means Block of 15-minute each for which special energy meters record specified electrical parameters and quantities with first Time Block starting and 00.00 hours;

(z-m) "Week" means a period of consecutive seven days commencing from 00.00 hours on the Monday and ending at 24.00 hours on following Sunday as per the British Calendar;

(2) Words and expressions used in this Code and not defined herein but defined in the Act or Indian Electricity Grid Code or Madhya Pradesh Electricity Grid Code shall have the meaning assigned to them under the Act or Indian Electricity Grid Code or Madhya Pradesh Electricity Grid Code, as the case may be.

4. Infrastructure and Capability Requirements

(1) Respective Entity shall ensure adequate Infrastructure and Capability Development to fully implement this Code.

(2) Subject to provisions of this Code, the State Load Despatch Centre, with prior approval of the Commission shall issue a detailed procedure covering relevant and residual matters not detailed in this Code such as:-

(a) Detailed procedure for Scheduling and Despatch;

(b) Detailed procedure for Energy Metering (including data collection, data processing, data transfer, data archiving, etc.);

(c) Detailed procedure for Energy Accounting, Demand Side Management Accounting, Reactive Accounting and Settlement (including management of dedicated Bank Account, management of Letters of Credit, payments/receipts, etc.)

(d) Any other procedure which State Load Despatch Centre feels necessary for the successful implementation of this Code.

(3) Each Discom shall fully develop and equip Discom Energy Accounting Group (DEAG) at respective Discom Control Centre (DCC) for undertaking various activities such as deviation settlement, energy settlement of Discoms embedded customer drawing power under short term open access and other activities required for implementation of this Code.

5. Scheduling and Despatch

(1) This section describes general Principles of Scheduling and Despatch. The basic idea behind Scheduling is to match the Supply and Demand on a day- ahead basis. This section shall be read in conjunction with the Indian Electricity Grid Code, Madhya Pradesh Electricity Grid Code and Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Generation Tariff) Regulations, 2012 as amended from time to time.

General Principles: Scheduling

(2) All the scheduling shall be done on 15-minutes time block. For this purpose of scheduling each day starting from 00.00 hrs to 24.00 hrs shall be divided into 96 equal time blocks each of 15-minutes duration. State Load Despatch Centre shall compile and intimate the Drawal Schedule to each Buyer and the Generation Schedule to each Seller in advance.

(3) Merit Order Operation: Discoms or Madhya Pradesh Power Management Company Limited on behalf of Discoms (on receipt of requisition from Discoms) will give their requisitions on day ahead and real time basis as per individual Merit Order i.e. in ascending order of the cost of energy (i.e. variable cost) of Inter State Generating Station, State Area Generating Station excluding Hydro Power Stations, Independent Power Pruducer and other Long Term, Medium Term Open Access and intra state short term Open Access allocated to individual Discom /Madhya Pradesh Power Management Company Limited.

(4) The Net Drawal Schedule of any Discom issued by State Load Despatch Centre would be sum of ex-Power Plant Schedules from different State Sector Generating Station, share from Inter State Generating Station, Independent Power Producers, Other Long Term and Medium Term Open Access, any Bilateral transactions and Collective transactions agreed by Madhya Pradesh Power Management Company

Limited on behalf of Discoms.

(5) The Generation Schedule of each State Area Generating Station shall be sum of the requisitions made by each Discom, restricted to their Entitlement and subjected to maximum and minimum Value criteria or any other technical constraints indicated by State Load Despatch Centre.

(6) All the Intra State entities shall endeavour to maintain their Drawals/injections in such a manner that they do not violate the limits on deviation volume as specified in the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 and subsequent amendments thereof.

(7) Generation Schedules and Drawal Schedules issued / revised by State Load Despatch Centre shall become effective from designated time block irrespective of communication success.

(8) For any revision of scheduled Generation of any Generator (including post facto deemed revision), there shall be a corresponding revision of scheduled Drawals of the Discoms.

(9) A procedure for recording the communication regarding changes to Schedules duly taking into account the time factor shall be evolved by State Load Despatch Centre (Voice recorder with time stamping).

(10) Generator shall ensure that Declared Capacity (DC) during Peak shall not be less than that of during Off-Peak period of the day.
[Exception: Tripping/Re- synchronisation of units due to Forced Outage]

(11) The following specific points would be taken into consideration while preparing the Schedules:

(a) State Load Despatch Centre shall check that the resulting power flows do not give rise to any Transmission constraint. In case of any constraints, State Load Despatch Centre shall moderate the Schedule to the required extent by intimation to concerned Discoms; and

(b) State Load Despatch Centre shall check that Schedules are operationally reasonable particularly in terms of ramping-up/ ramping-down rates and ratio between minimum and maximum generation levels. State Load Despatch Centre shall moderate the Schedule to the required extent by intimation to concerned Discoms. The ramping up/ ramping down rates in respect of

different categories of Stations would be based on the technical data as substantiated by Electricity Generating Stations and as mutually agreed by Discoms or Madhya Pradesh Power Management Company Limited on behalf of Discoms with due consent of State Load Despatch Centre.

(12) While preparing Generation Schedules, State Load Despatch Centre shall keep in view the Transmission system constraints and provision of operating margins (reserves) and limitations on generation as provided in the Indian Electricity Grid Code and Madhya Pradesh Electricity Grid Code.

(13) For calculating the Net Drawal Schedules of Buyers at their periphery, the weekly Point of Connection losses as computed by National Load Despatch Centre in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Sharing of Inter State Transmission Charges and Losses) Regulations, 2010 as amended and Weekly Estimated Transmission Losses of Madhya Pradesh Distribution / Other losses, if applicable, shall be apportioned in proportion to their Drawal Schedules. Following process shall be adopted to compute weekly losses:-

(a) State Transmission loss for a given Week = (Total net injection into the State Grid in a week) - (Total net Drawal from the State Grid in a Week);

(b) Loss of n^{th} Week shall be computed by the 5th day of the $(n+1)^{th}$ Week;

(c) This loss figure shall then be used in the Scheduling process from the beginning of the $(n+2)^{th}$ Week;

(d) State Load Despatch Centre shall round-off actual loss of n^{th} Week to nearest 0.01% for the purpose of Scheduling for the $(n+2)^{th}$ Week (e.g. 4.705% is rounded-off to 4.71%, 3.442% is rounded off to 3.44% and so on);

(e) Events in the Grid of an exceptional nature could result in abnormally high or low losses in any Week. This could be either a Load crash in the State due to a Weather disturbance or closure of any Major Hydro Power Station during the monsoon for flushing of silt/debris from the Reservoir or Outage of any major Transmission Lines etc. The losses for these abnormal weeks shall generally be ignored as far as the Scheduling process is concerned. State Load Despatch Centre decision in this regard will be final.

(14) While availability declaration by State Area Generating Station, Independent Power Producers and Renewable Energy Generators may have a Resolution of 0.1 MegaWatt

and 0.1 MegaWatt hours,all Entitlements, Requisitions and Schedules shall be rounded-off to the nearest two decimal, to have a Resolution of 0.01 MegaWatt.

(15) State Load Despatch Centre shall properly document all the information mentioned under Clauses 5(2) to 5(14) on its Website including Station-wise foreseen ex-Power Plant capabilities advised by the Generating Stations, Entitlements in Inter State Generating Station, Drawal Schedules advised by Discoms, all Schedules issued by the State Load Despatch Centre and all revisions/updating of such information be hosted on Website.

General Principles: Revision of Schedules

(16) Revision of declared capability by the State Area Generating Station, Independent Power Producer having two part tariff with capacity charge and energy charge (except hydro station of Madhya Pradesh Power Generating Company Limited) and requisition by beneficiary (ies) for the remaining period of the day shall also be permitted with advance notice. Revised schedules / declared capability in such cases shall become effective from 4th time block, counting the time block in which the request for revision has been received in the State Load Despatch Centre to be the first one.

(17) In the event of bottleneck in evacuation of power due to any constraint, outage, failure or limitation in the Transmission system, associated Switchyard and Sub- stations owned by the State Transmission Unit or any other Transmission Licensee involved in Intra-State Transmission (as certified by the State Load Despatch Centre) necessitating reduction in generation, the State Load Despatch Centre shall revise the Schedules which shall become effective from the 4th Time Block, counting the Time Block in which the bottleneck in evacuation of power has taken place to be the First one. Also, during the first, second and third Time blocks of such an event, the Scheduled generation of the State Area Generating Station / Independent Power Producers shall be deemed to have been revised to be equal to actual generation, and the Scheduled Drawals of the Discoms shall be deemed to have been revised to be equal to their Actual Drawals.

(18) In case of any Grid disturbance, Scheduled Generation of all the State Area Generating Station / Independent Power Producers and Scheduled Drawal of all the Discoms shall be deemed to have been revised to be equal to their actual generation/Drawal for all the Time Blocks affected by the Grid disturbance. The Certification of grid disturbance and its duration shall be done by the Regional Load Despatch Centre / State Load Despatch Centre.

(19) If, at any point of time, the State Load Despatch Centre observes that there is

need for revision of the Schedules in the interest of better system operation, it may do so on its own, and in such cases, the revised Schedules shall become effective from the 4th Time block, counting the time block in which the revised Schedule is issued by the State Load Despatch Centre to be the first one.

(20) If a revision is received from any Inter State Generating Station, Regional Load Despatch Centre will flash the information (as per the requirements of the Central Electricity Regulatory Commission Regulations/Orders) in real-time basis containing all the relevant information needed to the Schedule based on which State Load Despatch Centre will process the revision in parallel. The implementation time of revision will be same for Regional Load Despatch Centre and State Load Despatch Centre.

Implemented Schedules

(21) After the operating day is over at 24.00 hours, the Schedule finally implemented during the day (taking into account all before-the-fact changes in Despatch Schedule of Electricity Generating Stations and Drawal Schedule of the other Intra-State Entities) shall be issued by State Load Despatch Centre within three days or on receipt of Western Regional Load Despatch Centre implemented schedule. Further, implemented schedule may be revised by State Load Despatch Centre if Ex-post facto revision in implemented schedule is made by Western Region Power Committee. These Schedules shall form the basis for commercial accounting. The average Ex-bus capability for each State Area Generating Station and Independent Power Producers shall also be worked out based on all before-the-fact advice to State Load Despatch Centre.

(22) The procedure for Scheduling and the final implemented Schedules issued by State Load Despatch Centre, shall be open to all Intra-State Entities for any checking/verification, for a period of five (5) days. In case any mistake/omission is detected, the State Load Despatch Centre shall forthwith make a complete check and rectify the same.

Timelines and responsibility matrix (Madhya Pradesh Balancing and Settlement Code)

Time (Furnish by)	Primary Activity	Responsibility
10:00 hours	(i) Western Regional Load Despatch Centre intimates MegaWatt and MegaWatt hours entitlements of Madhya Pradesh in each Inter State Generating Station to State Load Despatch Centre for the next day i.e. between 00.00 hrs to 24.00 hrs of the following day, in each 15-minute time block;	Western Regional Load Despatch Centre
	(ii) Madhya Pradesh Power Generating Company Limited* shall advise State Load Despatch Centre the Station wise ex-Power Plant Mega Watt and Mega Watt hour Capabilities foreseen for the next day i.e. between 00.00 hrs to 24.00 hrs of the following day, in each 15-minute Time Block;	Madhya Pradesh Power Generating Company Limited/ GCC
	(iii) Independent Power Producer and eligible Renewable Energy Generators shall advise State Load Despatch Centre the Station wise ex-Power Plant MegaWatt and MegaWatt hour Injections for the next day i.e. between 00.00 hours to 24.00 hours of the following day, Independent Power Producers /Renewable Energy Generators in each 15-minute Time block;	Independent Power Producers/Renewable Energy Generators
	(iv) Indira Sagar Project, Omkareshwar Hydro-Electric Project, Shared Stations and any other Stations not covered under above Serial. Number (i),(ii) and (iii) shall advise State Load Despatch Centre the Station wise ex-Power PlantRespective MegaWatt and MegaWatt hour Capabilities foreseen for the next day i.e. between 00.00 Station hours to 24.00 hours of the following day, in each 15-minute Time Block.	Respective Station
10.30 hours	(i) State Load Despatch Centre shall compile total ex-Power Plant MegaWatt. and MegaWatt hour availability from all the Generating Stations;	State Load Despatch Centre
	(ii) State Load Despatch Centre shall compute Station wise and total MegaWatt and MegaWatt hour Entitlement of each Discom for the next day in each 15-minute Time Block and shall intimate to Madhya Pradesh Power Management Company Limited;	State Load Despatch Centre
	(iii) Each Discom shall intimate to Madhya Pradesh Power Management Company Limited its total MegaWatt demand in each 15-minute Time Block for the next day based on day-ahead demand forecasts grossed up for actual State Transmission Losses.	Madhya Pradesh Power Management Company Limited/ Respective Discom

11.00 hours	(i) Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall compute the shortage and surplus of power for State as a whole in consultation with Discoms; (ii) Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall take decisions for transaction of power through power exchanges on day ahead/term ahead basis	Madhya Pradesh Power Management Company Limited
13.30 hours	(i) Madhya Pradesh Power Management Company Limited on receipt of Provisional Transaction Report of power through power exchanges shall run Merit Order Dispatch for State as a whole for all power plants including power plants allocated to Madhya Pradesh Power Management Company Limited. (ii) For each Discom, Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall compare (for each time block) :- (a) Total ex-power plant MegaWatt entitlement of a given Discom (b) Total ex-power plant MegaWatt demand for a given Discom (iii) Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall allocate the power from Madhya Pradesh Power Management Company Limited allocation to each Discom as per their power requirement for each 15 minutes time block.	Madhya Pradesh Power Management Company Limited in consultation with Discoms
14.00 hours	Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall intimate to State Load Despatch Centre, the Discom-wise ex-Power Plant MegaWatt requisition in each of the Generating Stations along with Long-term Bilateral transactions, Medium Term Transactions, approved Short-term Bilateral transactions and collective transactions through power exchanges.	Madhya Pradesh Power Management Company Limited
15.00 hours	State Load Despatch Centre shall intimate to Western Regional Load Despatch Centre, Madhya Pradesh composite requisition in each of the Inter State Generating Station / Independent Power Producers along with other Long-term Bilateral transactions, Medium Term Transactions	State Load Despatch Centre
17.00 hours	Western Regional Load Despatch Centre intimates to State Load Despatch Centre, Madhya Pradesh Drawal Schedule at Ex-power plant basis and at Central Transmission Unit-State Transmission Unit Interface in each 15-minute Time Block for the next day.	Western Regional Load Despatch Centre
17.30 hours	(i) Madhya Pradesh Power Management Company Limited on receipt of Final Transaction Report of power	Madhya Pradesh Power

	through power exchanges shall run Merit Order Dispatch for State as a whole for all power plants including power plants allocated to Madhya Pradesh Power Management Company Limited. (ii) For each Discom, Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall compare (for each time block) a. Total ex-power plant MegaWatt entitlement of a given Discom b. Total ex-power plant MegaWatt demand for a given Discom (iii) Madhya Pradesh Power Management Company Limited shall allocate the power from Madhya Pradesh Power Management Company Limited allocation to each Discom as per their power requirement for each 15 minutes time block.	Management Company Limited in consultation with Discoms
18.00 hours	(i) State Load Despatch Centre shall finalize ex-Power Plant MegaWatt Generation Schedules of each seller and MegaWatt Drawal Schedules (at ex-Power Plant and State Transmission Unit-Buyer Interface) of each Buyer (ii) State Load Despatch Centre shall intimate Generation Schedules to respective Seller (iii) State Load Despatch Centre shall intimate Drawal Schedules to Madhya Pradesh Power Management Company Limited / respective Buyer.	State Load Despatch Centre
21.30 hours	State Area Generating Station / Independent Power Producers /Discoms may inform the modifications to be made, if any, in the above Schedules to State Load Despatch Centre/Discoms	State Area Generating Station / Discoms
22.00 hour	State Load Despatch Centre shall intimate to Western Regional Load Despatch Centre, all the modifications pertaining to Inter State Generating Station / Independent Power Producers Schedules and Inter-State transactions (if any).	State Load Despatch Centre
23.30 hours	After receipt of final Drawal Schedule of Madhya Pradesh from Western Regional Load Despatch Centre at 23.00 hours and taking into account all the modifications indicated by Discoms, State Load Despatch Centre shall issue the final Generation Schedules to respective Seller and final Drawal Schedules to Madhya Pradesh Power Management Company Limited / respective Buyer.	State Load Despatch Centre
During the day of operation	As per the requisition submitted by the DISCOMs or Madhya Pradesh Power Management Company Limited on behalf of Discoms or the revised DC submitted by the generators State Load Despatch Centre shall revise the Drawal Schedule / Injection Schedule as per provisions of this Seller/Buyer Code.	Madhya Pradesh Power Management Company Limited / Discoms/ Seller/Buyer / State Load

		Despatch Centre
	The injection schedule of eligible renewable generators shall be revised by State Load Despatch Centre on receipt of requisition from such generators or coordinating agency as per provisions of Indian Electricity Grid Code and other Central Electricity Regulatory Commission / Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission regulations/orders on renewable generation as amended from time to time.	Renewable Energy Generating / State Load Despatch Centre
Within 3 days	State Load Despatch Centre shall prepare implemented Schedules and final ex-power plant capabilities of State Area Generating Station / Independent Power Producers within 3 days or on receipt of implemented Schedule from Western Regional Load Despatch Centre.	State Load Despatch Centre

*All Hydro Power Stations of Madhya Pradesh Power Generating Company Limited shall furnish day ahead Declared Capacity (DC) as per Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission (Terms and conditions for determination of Generation Tariff) Regulations, 2012 and amendment from time to time.

6. Energy Metering

(1) The State Transmission Unit shall install Special Energy Meters (SEMs) on all Interface points with intra-state entities and Discoms shall install Special Energy Meters on interface points with Discoms embedded Open Access Customers, Renewable Energy Generating and Inter-Discom interface points for recording of actual net Kwh Interchanges and kVArh injection / Drawls.

The cost of ABT meters and check meters installed in the premises of OAC & Renewable Energy Generating or in the EHV S/s of Transmission Utility shall be borne by the OAC & Renewable Energy Generating. The type of Meters to be installed, metering Scheme, metering capability, testing and calibration requirements and the scheme for collection and dissemination of metered data shall be as specified under Madhya Pradesh Electricity Grid Code and Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations 2006 and subsequent amendments thereof. All concerned Intra-State Entities (in whose premises the Special Energy Meters are installed) shall provide Automatic Meter Reading (AMR) facility for transmitting ABT meter data to State Load Despatch Centre remotely. If the weekly data of Special Energy Meter is not received through AMR system installed at State Load Despatch Centre, the same may be downloaded and transmitted to the State Load Despatch Centre by the owner of the ABT meter or entities who have been authorized to take

energy meter reading. In case of non-receipt of complete weekly ABT meter data through Automatic Meter Reading or manual data download by MRI, the State Load Despatch Centre shall prepare and issue Transmission losses of Madhya Pradesh, State DSM Account and State Reactive Account on monthly basis.

(2) The State Load Despatch Centre shall be responsible for computation of actual net kWh Injection of each Seller and actual net Drawal of each Buyer on 15-minute time block wise, based on meter readings and for preparation of the State Energy Accounts. All 15-minute Energy in Kwh figures (net Scheduled, actually metered and Deviation) shall be rounded off to the Zero decimal places. All computations carried out by State Load Despatch Centre shall be open to all Intra-State Entities for checking/verifications for a period of fifteen days. In case any discrepancy is pointed out regarding energy metering, State Energy Accounts, State Deviation Accounts and State Reactive Accounts, the State Load Despatch Centre shall make a complete check and rectify the same within fifteen days.

(3) In case of non-availability of main meter and check meter data on account of meter / metering equipment failure, State Load Despatch Centre shall assess the missing meter data as defined in clause 15 of Central Electricity Authority (Installation and Operation of meters) Regulations 2006 as amended from time to time. In case of failure of all type of ABT meters installed at interface metering point, State Load Despatch Centre shall assess the missing data on the following basis:-

(i) For generating stations - On the basis of hourly generation data available at State Load Despatch Centre.

(ii) For interface points of Discoms -The data shall be assessed on the basis of data available for previous week of the ABT meter installed at the same interface point and shall be adjusted in line with load pattern of the adjoining transformers/feeder.

(iii) For Open Access Customers (OAC) - In case of OAC's, if ABT meter data of main meter / check meter / standby meter or any other meter is not available, then State Load Despatch Centre shall substitute the actual with schedule while calculating the deviation charges.

7. Energy Accounting and Settlement

State Energy Account (SEA)

(1) The State Load Despatch Centre shall prepare and issue (to all Intra-State Entities) provisional monthly State Energy Account (SEA) by 7th day of the next month or on later date after issue of Regional Energy Account (REA) by Western Region Power

Committee. The State Load Despatch Centre shall revise the State Energy Account as and when required from time to time. SEA shall broadly contain the following information:

(a) Details of PAFM (Plant Availability Factor achieved during the Month in %) for each State Area Generating Station/ Independent Power Producer;

(b) Details of mis-declaration of Declared Capability by State Area Generating Station/ Independent Power Producer (if any);

(c) Details of Energy scheduled to Discoms from Inter State Generating Station and State Area Generating Station /Independent Power Producer;

(d) The details of energy injection of Renewable Energy Generators (REG) at common metering point, energy purchased by Madhya Pradesh Power Management Company Limited and energy wheeled to Discoms for own use / third party sale as furnished by respective Discoms/ Madhya Pradesh Power Transmission Company Limited; and

(e) Any other details which State Load Despatch Centre feels necessary to complete the State Energy Account;

(2) Discoms (through Madhya Pradesh Power Management Company Limited) shall pay to the respective Inter State Generating Station Capacity Charges corresponding to Plant Availability and Energy Charges and PLF incentives (if any) for the Scheduled Despatch (on ex-Power Plant basis), as per the relevant notifications and orders of Central Electricity Regulatory Commission. The bills for these charges shall be issued by the respective Inter State Generating Station to each Discom (through Madhya Pradesh Power Management Company Limited) on monthly basis.

(3) Discoms (through Madhya Pradesh Power Management Company Limited) shall pay to the respective State Area Generating Station/Independent Power Producers Capacity Charges corresponding to Plant Availability and Energy Charges for the Scheduled Despatch (on ex-Power Plant basis), as per the relevant notifications and orders of Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission. The bills for these charges shall be issued by the respective State Sector Generating Station to each Discom (through Madhya Pradesh Power Management Company Limited) on monthly basis.

State DSM Account (SDSMA)

(4) The State Load Despatch Centre shall prepare and issue (to all Intra-State Entities) Weekly State Deviation Settlement Method Account (DSMA) within ten days from the last day of the Week and shall revise the same at a later date if required. The Deviation Settlement Method account shall be prepared by State Load Despatch Centre in accordance with Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations 2014 and subsequent amendments thereof. Deviation Settlement Method Account shall broadly contain the following information:

(a) Details of Deviation Settlement Method Tariff Structure currently in force;

(b) Details of Day-wise and total Deviation transactions for each Entity (details shall include Scheduled Energy, actual Energy, Deviation Charges (unadjusted) and Deviation charges (Adjusted), capping amount and additional deviation charges);

(c) Summary table listing all paying Entities (along with net amount payable by them) on left-hand side and all receiving Entities (along with net amount receivable by them) on right-hand side;

(d) Details of time-blocks of suspension of Deviation due to Transmission constraints and Grid disturbances;

(e) Any other details which State Load Despatch Centre feels necessary to complete the Deviation Settlement Method Account.

(5) Composite Deviation amount payable/receivable by the Madhya Pradesh in the Regional Deviation Settlement Method Pool Account shall be obtained from the Weekly Regional DSM Account prepared and circulated by Western Region Power Committee.

(6) Comparison of the Actual Drawal and Scheduled Drawal for each Buyer will be carried out to calculate Deviation. The Deviation energy of each Buyer is calculated by deducting Scheduled Drawal from the Actual Drawal on 15-minute basis. Similarly, Deviation Energy of each Seller is calculated by deducting Scheduled Injection from the Actual Injection on 15- minute basis. This Deviation Energy is then converted into Deviation charge by multiplying the deviation rate for each time block corresponding to average Grid frequency in that time block. Similar calculations are to be carried out for all the time blocks in a Week. The deviation Settlement shall not be applicable for Renewable Energy Generators (REG) except for those which are covered under

Renewable Regulatory Fund Mechanism as per para 5 of Annexure-1 to the Indian Electricity Grid Code (Complementary Commercial Mechanism) and subsequent amendment thereof.

(7) Following rules shall apply for Active Energy transactions in the State:

(a) Amount payable (+) by Intra-State Entity for Over-Drawal;
(b) Amount receivable (-) by Intra-State Entity for Under-Drawal;
(c) Amount payable (+) by Intra-State Entity for Under-Generation;
(d) Amount receivable (-) by Intra-State Entity for Over-Generation.

In addition to above Charges for Deviation, Additional Charge for Deviation shall be applicable for over-injection/under-drawal of electricity for each time block by a seller/buyer as the case may be when grid frequency is 50.10 Hz and above, as per Central Electricity Regulatory Commission (Deviation and Settlement Mechanism) Regulations, 2014 as amended from time to time.

(8) For a given day, amount payable/receivable by each Intra-State Entity and Regional Deviation amount payable/receivable by the Madhya Pradesh shall be matched with the average of total payables and total receivables. Net Deviation payable (+) / receivable (-) for any Intra-State Entity for a given Week shall be the Arithmetic sum of matched Deviation charges payable (+) / receivable (-) for all the days in a Week. The imbalance settlement of Deviation charges of the Intra State entities shall be done by State Load Despatch Centre as per Appendix.

(9) In-firm Power from any State Sector Generating Station / Independent Power Producers shall be accounted as Deviation and paid for from the State Deviation Settlement Mechanism Pool Account at the applicable Frequency-linked Deviation rate- in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Deviation Settlement Mechanism and related matters) Regulations, 2014 excluding hydro power stations of Madhya Pradesh Power Generating Company Limited. Further, the start-up power drawn by Generating Unit under commissioning phase from the grid shall be settled as per Deviation Settlement Mechanism in accordance with Central Electricity Regulatory Commission approved Procedure issued vide letter No. L1/(93)/2009-Central Electricity Regulatory Commission dated 12.08.2014 and amendments thereof from time to time.

(10) Imbalances of Inter-State Open Access Customers (if any) embedded in the State system shall be settled as per the methodology specified in Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in Inter-State Transmission) Regulations, 2008 and amendment thereof. Till such time the Commission specifies the details of

settlement of imbalances of Intra-State Open Access Customers (if any), the Deviation rate of Intra State Entity shall be 105% (for Over-Drawal or Under-Generation) and 95% (for Under-Drawals or Over- Generation) of Deviation rate at the periphery of Regional Entity.

(11) Settlement of Deviation charges shall be done through State DSM Pool Account to be operated by State Load Despatch Centre. The State Load Despatch Centre shall open and maintain a separate Bank Account with a Nationalized/Scheduled Commercial Bank (having Branch Office in Jabalpur).

(12) Payment of Deviation charges shall have a high priority and the concerned Entity shall pay the indicated amount, within ten days from the date of issue of State Deviation Settlement Method Account, into a State Deviation Settlement Method DSM Pool Account operated by State Load Despatch Centre. The Entity which has to receive the money on account of Deviation charges would then be paid out from the State Deviation Pool Account within next two working days of receipt of payments in the "State Deviation Pool Account Fund". Separate books of accounts shall be maintained for the principal component of charges for Deviation and Additional Charges.

(13) If payments against the Deviation Charges are delayed by more than two days, i.e. beyond twelve days from date of issue of State Deviation Account, the defaulting Entities shall have to pay Simple Interest @ 0.04% for each Day of delay. The Interest so collected shall be paid to the Entities who had to receive the amount and whose payment has got delayed.

(14) All Intra State entities which had at any time during the previous quarter of the year failed to make payment of Charges for Deviation including Additional Charges for Deviation within the time specified in these regulations shall be required to open a Letter of Credit (LC) equal to 110% of its average payable weekly liability for Deviations in the previous quarter of the year, in favour of the pool account maintained by State Load Despatch Centre with a nationalised/scheduled commercial bank having branch office in Jabalpur.

Provided that –

(i) if any Intra State entity fails to make payment of Charges for Deviation including Additional Charges for Deviation by the time specified in these regulations during the current quarter of the year, it shall be required to open a Letter of Credit equal to 110% of weekly outstanding liability in favour of Madhya Pradesh Power Management Company Limited or State Load Despatch Centre pool account as the case may be.

(ii) Letter of Credit amount shall be increased to 110% of the payable weekly liability for Deviation in any week during the quarter, if it exceeds the previous Letter of Credit amount by more than 50%.

Illustration: If the average payable weekly liability for Deviation of a intra state entity during 2009-10 is Rs. 20 crore, the intra state entity shall open Letter of Credit for Rs. 22 crore in 2010-11. If the weekly payable liability during any week in 2010-11 is Rs. 35 crore which is more than 50% of the previous quarter of the year average payable weekly liability of Rs. 30 Crore, the concerned intra state entity shall increase the LC amount to Rs. 38.5 Crore (1.1*35.0) by adding Rs. 16.5 Crore.

(iii) In case of failure to pay into the "State Deviation Pool Account Fund" within the specified time of 12 days from the date of issue of statement of charges for Deviations, the State Load Despatch Centre shall be entitled to encash the Letter of Credit of the concerned entity to the extent of the default and the concerned entity shall recoup the Letter of Credit amount within 3 days.

State Reactive Account (SRA)

(15) The State Load Despatch Centre shall prepare and issue discoms Weekly State Reactive Account (SRA) complying with the requirements of Indian Electricity Grid Code and Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission Grid Code within ten days from the last day of the Week or on later date after availability of state reactive charges amount in Western Regional Load Despatch Centre website. The State Load Despatch Centre shall revise the SRA as and when required from time to time. State Reactive Account shall broadly contain the following information:-

(a) Details of day-wise net Reactive Energy Injection/Drawal during low Voltage (<97%) and high Voltage (>103%) for each Discom;

(b) Summary of weekly total net Reactive Energy Injection/Drawal during low Voltage (<97%) and high Voltage (>103%) for each Discom;

(c) Summary of Reactive Charges payable/receivable by the Discom [Note: Rate of reactive energy shall be taken as per Indian Electricity Grid Code and subsequent amendment thereof] and

(d) Any other details which State Load Despatch Centre feels necessary to complete the State Reactive Account.

(16) Following rules shall apply for Reactive Energy transactions in the State:

(a) Amount payable (+) by Discom for Drawal when V<97%;
(b) Amount receivable (-) by Discom for Injection when V<97%;
(c) Amount payable (+) by Discom for Injection when V>103%;
(d) Amount receivable (-) by Discom for Drawal when V>103%.

(17) Notwithstanding the above, State Load Despatch Centre may direct a Discom to curtail its Reactive Drawal/ Injection in case the security of Grid or safety of any equipment is endangered. All State Area Generating Station / Independent Power Producers /Open Access Generators (OAGs) shall generate / absorb Reactive power as per instructions of State Load Despatch Centre, within capability limits of the respective Generating Units that are without sacrificing on the active generation required at that time. No payments shall be made to the State Area Generating Station / Independent Power Producers / Open Access Generators (OAGs) for such Value Added Ratio generation/absorption.. Also, State Area Generating Station / Independent Power Producers /Open Access Generators (OAGs) will not be required to make any payment for such Value Added Ratio generation/ absorption.

(18) The Reactive Energy Settlement shall be carried out as per following procedure:

Nomenclature:

RRC: Total of Regional Reactive Charges and Inter State Bilateral Reactive Charges payable (+) / receivable (-) by MP.

SRCP: Total State Reactive Charges payable (+) by Discoms.

SRCR: Total State Reactive Charges receivable (-) by Discoms.

RRA: Reactive Reserve Amount available in State Reactive Account (i.e. surplus balance amount after settlement of all earlier Reactive transactions)

(a) Case-I: If Regional Reactive Charges is payable (+) by Madhya Pradesh and (Regional Reactive Charges + State Reactive Charge Receivable) < State Reactive Charge Payable: Balance amount shall be kept as reserve (Reactive Reserve Amount) after paying out Regional Reactive Charges and State Reactive Charges Receivable;

(b) Case-II: If Regional Reactive Charges is payable (+) by MP and (Regional Reactive Charges + State Reactive Charges Receivable) > State Reactive Charge Payable: Surplus amount, if any, available in reserve (RRA) shall be withdrawn to match

(Regional Reactive Charge + State Reactive Charge Receivable) and State Reactive Charge Payable. If there is no reserve or if it is inadequate to meet the gap, State Reactive Charge Receivable and State Reactive charge Payable shall be reduced appropriately to match the total payables and total receivables;

(c) Case-III: If Regional Reactive Charge is receivable (-) by MP and (Regional Reactive Charge + State Reactive Charge Payable) > State Reactive Charge Receivable: Balance amount shall be kept as reserve (RRA) after paying out SRCR;

(d) Case-IV: If Regional Reactive Charges is receivable (-) by MP and (Regional Reactive Charges + State Reactive Charge Payable) < State Reactive Charge Receivable: Surplus amount, if any, available in reserve (RRA) shall be withdrawn to match (Regional Reactive Charges + State Reactive Charge Payable) and State Reactive Charge Receivable. If there is no reserve or if it is inadequate to meet the gap, State Reactive Charge Receivable and State Reactive Charge Payable shall be reduced appropriately to match the total payables and total receivables;

(e) Case-V: If State Reactive Charges are receivable by Discoms and no Regional Reactive Charges (RRC) are receivable and reserve (RRA) has no balance available then no Reactive Charges shall be payable to the Discoms.

(19) Payment of Reactive Charges shall have a high priority and the concerned Entity shall pay the indicated amounts, within ten days of State Reactive Account Statement issue, into a State Reactive Account operated by the Madhya Pradesh Power Management Company Limited. The Entity which has to receive the money on account of Reactive Charges would then be paid out from the State Reactive Account within next two working days.

(20) If payments against the Reactive Charges are delayed by more than two days, i.e. beyond twelve days from State Reactive Account Statement issue, the defaulting Entities shall have to pay Simple Interest @ 0.04% for each Day of delay. The Interest so collected shall be paid to the Entities which had to receive the amount, payment of which got delayed.

8. **Procedure for Imbalance Settlement of Deviation charges**

Appendix to this Code provides the illustration of Imbalance Settlement of Deviation charges for Intra State entities.

9. **Data Archiving Requirements**

(1) All Entities shall properly preserve respective record of documents /information/Data for the period as specified in following table. The records shall be easily retrievable at any time for the purpose of Audit by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission or any other independent Audit Agency appointed by the Madhya Pradesh Electricity Regulatory Commission.

S. no.	Documents / information / data	Mode and period of	Responsibility
1	Short term Open Access and associated contracts / agreements by Intra-State Entities	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre
2	Declared Capacity of all State Area Generating Station / Independent Power Producers / Renewable Energy Generators And Entitlements in all Inter State Generating Station (all revisions)	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Generator Control Centre
3	Demand, Entitlement and Requisition of each Discom (all revisions)	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Delivery Control Centre
4	Short-term Open Access transactions: Bilateral transactions (direct and through Traders) and Collective transactions through Power Exchanges	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Delivery Control Centre
5	Schedules of Inter State Generating Station, Seller and Buyer (all revisions)	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Delivery Control Centre, Generator Control Centre.
6	ABT meter data from Interfaces with Seller, & Buyer in 15-minute Time Block	Electronic -2 Years	State Load Despatch Centre
7	Details of State Load Despatch Centre instructions to Intra-State Entities	Electronic -2 Years	State Load Despatch Centre
8	Details of requests from Intra-State Entities to State Load Despatch Centre	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre

9	Any other information deemed necessary for Operational, Commercial Delivery Control Centre or Market Audit purpose	Electronic -2 Years Paper - 12 months	State Load Despatch Centre, Delivery Control Centre, Generator Control Centre.

10. **Standing Committee for Market Audit**

(1) The Commission may appoint a Standing Committee (SC) for independent review and audit of market transactions and behavior of Intra-State Entities to which Balancing and Settlement Code is applied. The Committee shall comprise of following members:

(a) A Representative from State Load Despatch Centre (not below the rank of Chief Engineer) - chairperson of the Standing Committee;

(b) A Representative from State Transmission Unit (not below the rank of Chief Engineer);

(c) A representative from Madhya Pradesh Power Management Company Limited (not below the rank of Chief Engineer or equivalent post);

(d) A representative from Madhya Pradesh Power Generating Company Limited L (not below the rank of Chief Engineer or equivalent post);

(e) A representative from three discoms (on rotation for one year and not below the rank of Chief Engineer or equivalent post);

(f) A representative from National Hydro Development Corporation, Independent Power Producers (having installed capacity 250 Mega Watt. & above) and Renewable Energy Generators (having installed capacity of 50 Mega Watt & above at single location) on rotation for one year; and

(g) A Certified Energy Auditor from State Load Despatch Centre /Discom/ Madhya Pradesh Power Generating Company Limited / Madhya Pradesh Power Management Company Limited / State Transmission Unit as nominated by the Standing Committee, to assist the Committee for preparation of energy audit report.

(2) The Audit may be conducted twice a Year and the Committee shall submit the Audit Report to the Commission within sixty days of the initiation of the Audit.

(3) The Committee shall recommend modifications and suggestions(if any) to the Commission. The Commission may accordingly amend and notify, if required, the concerned Section or Order or Procedure.

11. **Applicability of Code :-**

(1) This Code shall apply only to State Area Generating Station, Independent Power Producers, Renewable Energy Generating, Discoms and Inter/ Intra State Open Access Entities from the date of coming into force and shall apply to such other Generators/ Entities from such date, as may be specified by the Commission separately by way of notification.

12. **Powers to remove difficulties**

(1) If any difficulty arises in giving effect to any of the provisions of this Code, the Commission may, by general or special order, direct State Load Despatch Centre, State Transmission Unit and/or any of the Intra-State Entities to take suitable action, not being inconsistent with the provisions of the Act, which appears to the Commission to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

(2) State Load Despatch Centre, State Transmission Unit and/or any of the Intra-State Entities may also make an application to the Commission and seek suitable orders to remove any difficulties that may arise in implementation of this Code.

13. Power to amend :- The Commission may from time to time add, vary, alter, modify or amend any provisions of this Code after following the necessary procedure.

14. **Savings**

(1) The Code namely "Madhya Pradesh Electricity Balancing and Settlement Code, 2009 (G- 34 of 2009) notified on 23rd October, 2009 and read with all amendments thereto as applicable to the subject matter of this Code is hereby superseded.

(2) Nothing in this Code shall be deemed to limit or otherwise affect the inherent power of the Commission to make such orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuses of the process of the Commission.

(3) Nothing in this Code shall bar the Commission from adopting, in conformity with the provisions of the Act, a procedure, which is at variance with any of the provisions of this Code, if the Commission, in view of the special circumstances of a matter or class of matters and for reasons to be recorded in writing, deems it necessary or expedient for dealing with such a matter or class of matters.

(4) Nothing in this Code shall, expressly or impliedly, bar the Commission dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulations or Code have been framed, and the Commission may deal with such matters, powers and functions in a manner it thinks fit.

APPENDIX

PROCEDURE FOR IMBALANCE SETTLEMENT OF DEVIATION CHARGES OF INTRA STATE ENTITIES

The pool balancing of Deviation Settlement Account shall be done in two steps; in the first step pool balancing is done of all Intra State entities (under long term) excluding Open Access Consumers and in the second step including Open Access Consumers. The objective of including the Open Access Consumers in the second stage is that adjustment amount of Open Access Consumers is nominal even if there is large amount of Regional Deviation amount payable / receivable by MP

Step -I

Blockwise Deviation charges amount payable / receivable by each participant of the State Pool is calculated at the end of the week / month. The day wise Regional Deviation Settlement amount payable / receivable by Madhya Pradesh is obtained from the Regional Deviation Settlement Method Account prepared by Western Region Power Committee.

State Deviation Settlement Method Pool Account (for a given day in a week / month)

Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs.	Participants	Rs.
D2	3000	D1	4500
D3	2000	SSGS3	3500
SSGS1	3500	Regional DSM Amount	3000
SSGS2	1500		
Total Payables	**10000**	**Total Receivables**	**11000**

Where,
D1,D2,D3 are Discoms
State Region Generating Station 1, State Region Generating Station 2,
State Region Generating Station 3 are State Sector Generating Stations.
Regional DSM Amount is the Deviation amount payable / receivable by Madhya Pradesh.

The amount payable and receivable to / from State Deviation Pool does not match for a given day. In order to match them, the average of the "Total Payables" and "Total Receivables" is taken as a base and payable / receivables are matched to average.

Particular	**Total Amount Payable**	**Total Amount Receivables**
Sum Total	10000	11000
Average of the 'Total Amount Payable' and "Total Amount Receivables'	10500	
Adjustment Ratio# AR_{P1} (=Average / Total Amount Payable)	1.05	

Adjustment Ratio# AR_{R1} (=Average / Total Amount Receivable)	0.954545

First Stage Adjustment

Amount Payable by Participants - First Adjustment			
Participants	**Original Payable**	**Adjustment Ratio AR_{P1}**	**Adjusted Payable**
D2	3000	1.05	3150
D3	2000	1.05	2100
State Region Generating Station 1	3500	1.05	3675
State Region Generating Station 2	1500	1.05	1575
Total Payables	**10000**		**10500**

Amount Receivable by the Participants - First Adjustment			
Participants	**Original Payable**	**Adjustment Ratio AR_{R1}**	**Adjusted Payable**
D1	4500	0.954545	4295
State Region Generating Station 3	3500	0.954545	3341
Regional Deviation Settlement Method Amount	3000	0.954545	2864
Total Receivables	**11000**		**10500**

Since regional Deviation Settlement Method amount must be paid without any adjustments, difference "actual regional Deviation Settlement Method amount" and adjusted Deviation Settlement Method amount" shall be recovered from remaining participant in proportion to their original amounts

Difference between adjusted regional Deviation Settlement Method amount and	=2864-3000=-136

Actual Regional Deviation Settlement Method amount	
Original Total receivables excluding Actual Regional Deviation Settlement Method amount	=11000-3000=8000
Adjustment Ratio AR_{R2} for receivables	=-136/8000 = -0.017046

Second Stage Adjustment

Participants	Original Receivables	Adjustment Ratio AR_{R1}	Adjusted Receivables
D1	4500	-0.017046	-77
State Region Generating Station 3	3500	-0.017046	-60
Total Receivables	**8000**		**-136**

Amount Receivable by Participants (for a given day in a week) - Final

Participants	Amount after first Adjustment	Second adjustment Amount	Total (Final) Adjusted Amount
D1	4295	-77	4219
State Region Generating Station 3	3341	-60	3281
Regional Deviation Settlement Method Amount	3000	0	3000
Total Receivables	**10636**	**-136**	**10500**

Final Balanced State Deviation Settlement Method Pool Account

Amount Payable by Participants		Amount Receivable by Participants	
Participants	Rs.	Participants	Rs.
D2	3150	D1	4219
D3	2100	SSGS3	3281
State Region Generating Station 1	3675	Regional DSM Amount	3000
State Region Generating Station 2	1575		
Total Payables	**10500**	**Total Receivables**	**10500**

Step -II

Stage I & II

After obtaining the balanced Deviation Settlement Mechanism pool account in step-I, the Open Access Generators/ Open Access Consumers (under short term) are included and same methodology is applied as of step-I for obtaining the balanced Deviation Settlement Mechanism pool account.

By Order of the Commission,

Shailendra Saxena, Commission Secretary

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2015.